सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

वाणिज्य विभाग

विषयसूची

सिंहावलोकन 2

1. संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य 6

2. वैश्विक आर्थिक एवं व्यापार स्थिति 19

3. भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां 23

4. विदेश व्यापार नीति, एग्जिम व्यापार एवं प्रमुख स्कीम 29

5. निर्यात संवर्धन तंत्र 49

6. वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 76

7. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू) 123

8. विशिष्ट एजेंसियां 134

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए संचालित किए गए कार्यक्रम 184

10. पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां 191

अनुबंध 199

सिंहावलोकन

1. वैश्विक आर्थिक सिंहावलोकन

कोविड–19 महामारी ने पूरे विश्व में ऊंची एवं बढ़ती मानव लागतें थोपी हैं तथा संरक्षण के आवश्यक उपायों ने आर्थिक गतिविधि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), अक्टूबर 2020 ने (–) 4.4 प्रतिशत की वैश्विक विकास दर का अनुमान व्यक्त किया है जो उनके जून के अनुमानों की तुलना में 0.8 प्रतिशत अधिक है। संशोधन दूसरी तिमाही में अनुमानित जीडीपी उत्पादन से बेहतर तथा तीसरी तिमाही में मजबूत रिकवरी का संकेत देता है। अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक विकास दर 2021 में 5.2 प्रतिशत होगी जो डब्ल्यूईओ अपडेट जून 2020 में दर्शायी गई दर से 0.2 प्रतिशत कम है तथा लगातार सामाजिक दूरी की अपेक्षाओं को दर्शाती है।

2020 के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास दर के बारे में आईएमएफ के नवीनतम पूर्वानुमान ने विकास दर (–) 5.8 प्रतिशत और उसके बाद 2021 में 3.9 प्रतिशत का उछाल दर्शाया है। उभरती बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2020 में विकास दर (–) 3.3 प्रतिशत होने और फिर 2021 में 6.0 प्रतिशत की रिकवरी होने का अनुमान दर्शाया गया है। इसके साथ 2020–21 में उभरती बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रति व्यक्ति आय में संचयी वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक दर्शायी गई है।

2. वैश्विक व्यापार

कोविड–19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं विश्व व्यापार में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया है क्योंकि पूरे विश्व में उत्पादन एवं उपभोग घट गया है। डब्ल्यूटीओ के अक्टूबर 2020 के अनुमानों के अनुसार, उम्मीद है कि 2020 में विश्व पण्य व्यापार में 9.2 प्रतिशत गिरावट होगी और 2021 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2020 में निर्यात के लिए (–) 4.5 प्रतिशत और आयात के लिए (–) 4.4 प्रतिशत की एशिया में व्यापार गिरावट अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होगी। विश्व व्यापार कोविड–19 द्वारा उत्पन्न भारी मंदी से उबरने का संकेत दिखाता है परंतु महामारी के सतत प्रभावों से रिकवरी में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

कोविड–19 महामारी के दौरान व्यापार का निष्पादन महामारी की प्रकृति तथा इससे लड़ने के लिए प्रयुक्त नीतियों से काफी जुड़ा है। लॉकडाउन तथा यात्रा पर प्रतिबंधों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्ति पक्ष से संबंधित काफी अड़चनें उत्पन्न हुई हैं तथा अनेक क्षेत्रों में उत्पादन एवं रोजगार काफी घट गया है। साथ ही, मजबूत मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों से आय बढ़ी है जिससे लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर उपभोग एवं आयात में उछाल आया है।

3. भारत का पण्य वस्तु व्यापार

वित्तीय वर्ष 2019–20 में वैश्विक आर्थिक मंदी देखने को मिली जो कोविड–19 महामारी के प्रकोप से वित्तीय वर्ष के आखिरी दो महीनों में बदतर हो गई जिसके दौरान 2018–19 में 330.1 बिलियन अमरीकी डालर के शीर्ष निर्यात की तुलना में 2019 में 313.4 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में (–) 5.1 प्रतिशत कम है। अप्रैल से दिसंबर 2020 (क्यूई) के दौरान निर्यात 200.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान यह 238.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो (–) 15.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात बहुत अधिक तनाव में रहा है। तथापि, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा बृहद निर्यातक समुदाय के माध्यम से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने पर सरकार द्वारा निरंतर बल दिए जाने से इन प्रतिकूल घटनाओं के आलोक में भारत के निर्यात निष्पादन को मजबूती से प्रोन्नत किया जाएगा।

2019–20 के दौरान 474.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया गया जो 2018–19 में 514.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात की तुलना में (–) 7.7 प्रतिशत कम है। अप्रैल से दिसंबर 2020 (क्यूई) के दौरान आयात का मूल्य 258.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 364.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात की तुलना में (–) 29.1 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

2018–19 में 184 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2019–20 में 161.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा होने का अनुमान था। अप्रैल से दिसंबर 2019 में 125.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार घाटा की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2020 (क्यूई) में व्यापार घाटा कम होकर 57.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

4. भारत का सेवा व्यापार

2019–20 में वैश्विक मंदी के बावजूद, जो कोविड–19 के सतत संकट से और गंभीर हो गई, सेवा क्षेत्र ने 2019–20 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है। 2018–19 में 208 बिलियन अमरीकी डालर के सेवा निर्यात की तुलना में 2019–20 में सेवा निर्यात का मूल्य 213.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल से दिसंबर 2019 में 160.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2020 (ई) में भारत के सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 147.7 बिलियन अमरीकी डॉलर है जो (–) 8.1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।

2018–19 में 126.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2019–20

में सेवा आयात का मूल्य 1.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 128.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। अप्रैल से दिसंबर 2020 (ई) के दौरान आयात का संचयी मूल्य 85.0 बिलियन अमरीकी डॉलर है जो अप्रैल से दिसंबर 2019 की तुलना में (–) 14.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।

2019–20 और अप्रैल–दिसंबर 2020 (ई) में सेवा व्यापार में क्रमशः 84.9 बिलियन अमरीकी डॉलर और 62.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का अधिशेष सृजित किया गया। सेवा क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रचुर संभावना और अवसर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक व्यापक एवं संकेन्द्रित रणनीति पर काम कर रही है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और भारत को वैश्विक सेवा केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए नवाचार, कौशल विकास, अवसंरचना उन्नयन और घरेलू सुधारों को प्रोत्साहित करना है।

5. कोविड/ कोविड पश्चात काल में भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा की गई पहलें

(क) कोविड–19 के दौरान निर्यातकों के लिए राहत

कोविड–19 महामारी की अवधि के दौरान निर्यातकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अग्रिम प्राधिकार की वैधता 6 माह तक बढ़ाई गई है और निर्यात प्रतिबद्धता अवधि 6 माह तक बढ़ाई गई है। विदेश व्यापार नीति का कार्यकाल भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, रियायती क्रेडिट के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है।

(ख) कोविड–19 के दौरान विश्व को चिकित्सा आपूर्तियों के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत

भारत सरकार ने इस अवधि के दौरान पूरे विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एवं पैरासीटामोल, एन95 मास्क, 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, पीपीई कवरॉल, पीपीई किट, डायग्नोस्टिक किट / लैबोरेटरी रीगेंट, पीपीई एवं वेंटीलेटर सहित दवाओं की आपूर्ति की। कोविड–19 से लड़ने में भारत की सहायता के अंग के रूप में इन देशों को इन चिकित्सा मदों की आपूर्ति के लिए निषेधों से विशेष छूट प्रदान की गई।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक शासन एवं व्यापार सुगमता के माध्यम से कारोबार करने की सरलता में वृद्धि

विदेश व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी चालित समाधान लागू किए गए। अधिमानी उद्‌गम प्रमाण पत्र (सीओओ) के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म शुरू किया गया और विभिन्न एफटीए साझेदार देशों से ई–सीओओ स्वीकार करने के लिए आग्रह किया गया। अग्रिम प्राधिकार एवं ईपीसीजी जैसे ड्‌यूटी छूट प्राधिकारों को पेपरलेस किया गया तथा कस्टम को डिजिटल रूप में इनक्रिप्टेड प्राधिकार डेटा स्वतः पारेषित किया जा रहा है। एमईआईएस निर्यात लाभ रियल टाइम में फेसलेस, आटो अनुमोदन प्रक्रियाओं के माध्यम से जारी किए गए तथा ड्‌यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के स्वैच्छिक ई–ट्रांसफर के लिए एक ऑनलाइन माड्‌यूल से संपूरित किया गया। स्टील के आयात की अग्रिम सूचना के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) लागू की गई। एल्युमिनियम, कॉपर, फुटवियर, फर्नीचर, पेपर, स्पोर्ट्स गुड्‌स, जिम उपकरण आदि के लिए आयात निगरानी प्रणाली (आईएमएस) विकसित की जा रही है। इसके अलावा ई–आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) को चौबीसों घंटे स्वतः तैयार करने की प्रक्रिया लागू की गई है।

(घ) तकनीकी विनियमों (टीआर) तथा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का अंगीकरण

देश में गुणवत्तापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में विनियामक अंतरालों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से संकेन्द्रित प्रयास किए जा रहे हैं। 185 उत्पाद लाइनों (57 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक आयात मूल्य को शामिल करते हुए) के लिए तकनीकी विनियम तैयार किए गए हैं। हितधारकों के परामर्श से संबंधित विभागों द्वारा रसायनों एवं मशीनरी की उत्पाद श्रेणियों को शामिल करने के लिए ओमनीबस तकनीकी विनियम भी तैयार किए जा रहे हैं।

(ङ.) गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता

30 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जेम पोर्टल पर लेनदेन का कुल मूल्य 74552 करोड़ रुपए को पार कर गया है। जेम पर 17.6 लाख सूचीबद्ध उत्पाद, 9 लाख विक्रेता एवं सेवा प्रदाता तथा 11543 उत्पाद श्रेणियां हैं। जेम ने विक्रेताओं को निष्पक्ष एवं समान अवसर प्रदान करते हुए पारदर्शी सार्वजनिक प्रापण को बढ़ावा देने में मदद की है।

(च) व्यापार निदान के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र

घरेलू उद्योग के लिए पारदर्शिता, दक्षता एवं शीघ्र राहत को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत घरेलू उद्योग द्वारा याचिका दायर करने में सुगमता प्रदान करने के लिए पाटनरोधी अन्वेषण के लिए ई–फाइलिंग की सुविधा औपचारिक रूप से शुरू की गई है। इसके अलावा, व्यापार निदानों के लिए आवेदन आनलाइन दायर करने में सहायता प्रदान करने के लिए एआरटीआईएस (भारतीय उद्योग एवं अन्य हितधारकों के लिए व्यापार निदान के लिए आवेदन) नामक एक आनलाइन पोर्टल का विकास किया गया है।

(छ) निर्यात क्रेडिट, बीमा तथा एमएआई सहायता की क्षमता में वृद्धि

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के तहत जनवरी – दिसंबर 2020 के दौरान समर्थन किए गए निर्यात का मूल्य 1767.67 करोड़ रुपए था तथा 1816.55 करोड़ रुपए मूल्य का बीमा कवर जारी किया गया। जनवरी – दिसंबर 2020 के दौरान ईसीजीसी ने 499.993 करोड़ रुपए के निर्यात की सहायता की है, प्रीमियम में 986 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, 15154 क्रेता जोड़े हैं, 11839 पॉलिसी जारी की गई है और 677.77 करोड़ रुपए के दावे का निस्तारण किया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ईसीजीसी में 390 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई है। 1 अप्रैल 2020 से 19 जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान बाजार पहुंच पहल के तहत 131.55 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

(ज) निर्यात केन्द्र के रूप में जिलों का विकास करना

प्रत्येक जिले को निर्यात केन्द्र के रूप विकसित करने के लिए, प्रत्येक जिले से निर्यात के संवर्धन में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों में तालमेल स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में, विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे कि सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों द्वारा राज्य निर्यात रणनीति / नीति तैयार किया जाना, प्रत्येक जिले में उत्पादों / सेवाओं की पहचान, जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन, डीजीएफटी के आरए द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार किया जाना, डीईपीसी द्वारा डीईएपी का अंगीकरण तथा डीईएपी के कार्यान्वयन की निगरानी, जिलों में कृषि / खिलौना क्लस्टरों की पहचान प्रत्येक जिले में जीआई उत्पादों का मानचित्रण और जिलों से ई–कामर्स को बढ़ावा देने के लिए निर्यात विकास केन्द्र।

(झ) वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक (जीआईआरजी)

भारत सरकार ने चुनिंदा वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक (जीआईआरजी) को ट्रैक करने का निर्णय लिया है। वाणिज्य विभाग तीन ऐसे वैश्विक सूचकांकों अर्थात केओएफ भूमंडलीकरण सूचकांक, लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक और सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक के लिए नोडल विभाग है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक, कानून सूचकांक का शासन सूचकांक, नेटवर्क तैयारी सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक आदि जैसे सूचकांकों के संबंध में विभिन्न पैरामीटरों के लिए इनपुट प्रदान करके अन्य नोडल मंत्रालयों / विभागों की भी सहायता कर रहा है।

संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

1. कार्य

वाणिज्य विभाग (डीओसी) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), जो बुनियादी रूपरेखा तथा कार्यनीति प्रदान करती है, तैयार करता है, कार्यान्वित करता है और इसकी निगरानी करता है। घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते आर्थिक परिदृश्यों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु विदेशी व्यापार नीति की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुगमता तथा कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है।

सचिव इस विभाग के प्रमुख हैं जिनकी सहायता दो विशेष सचिवों, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दो अपर सचिवों/अपर सचिव स्तर के अधिकारियों, 12 संयुक्त सचिवों/ संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों एवं अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्य की दृष्टि से विभाग को निम्नलिखित 10 प्रभागों में बांटा गया है :

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग
- विदेश व्यापार क्षेत्र प्रभाग
- निर्यात उत्पाद प्रभाग
- निर्यात उद्योग प्रभाग
- निर्यात सेवा प्रभाग
- आर्थिक प्रभाग
- प्रशासन एवं सामान्य सेवा प्रभाग
- वित्त प्रभाग
- पूर्ति प्रभाग
- लॉजिस्टिक्स प्रभाग

विभिन्न कार्यालय/संगठन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

- दो संबद्ध कार्यालय
- दस अधीनस्थ कार्यालय
- दस स्वायत्त निकाय
- पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) (गवर्नमेंट ई–मार्किट्प्लेस)
- 14 निर्यात संवर्धन परिषदें
- एक परामर्शी निकाय
- छः अन्य संगठन

पत्राचार के लिए पते सहित इन कार्यालयों/ संगठनों की पूर्ण सूची अनुबंध–क में दी गई है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/संगठनों के विस्तृत संगठनात्मक ढांचे तथा प्रमुख भूमिकाओं एवं कार्यों पर यहां नीचे चर्चा की गई है :

(क) संबद्ध कार्यालय

(i) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। अस्तित्व में आने से लेकर 1991 तक, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण शुरू हुआ, डीजीएफटी विदेश व्यापार को विनियमित करने एवं बढ़ावा देने के काम में अनिवार्य रूप से लगा हुआ है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की नीतियों तथा निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर, डीजीएफटी को ''सुविधा प्रदाता'' की भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखकर आयात / निर्यात के नियंत्रण एवं निषेध के स्थान पर निर्यात / आयात के संवर्धन एवं सुगमता पर बल दिया गया है।

नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ इस निदेशालय के प्रमुख विदेश व्यापार महानिदेशक हैं। यह विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) तैयार करने में सरकार की मदद करता है और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से एफटीपी के तहत नीति एवं स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा इसके तहत अधिसूचित नियमों एवं विनियमों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। डीजीएफटी निर्यातकों को प्राधिकार भी जारी करता है और अपने 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए उनकी तदनुरूपी बाध्यताओं की निगरानी करता है।

(ii) व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (पहले इसका नाम पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय था) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। 1997 में गठित पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) को मई 2018 में एकक खिड़की रूपरेखा के तहत व्यापार प्रतिकार के सभी कार्यों अर्थात पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), सुरक्षोपाय

शुल्क (एसजीडी), रक्षोपाय साधनों (क्यूआर) को शामिल एवं पुनर्निर्मित करके डीजीटीआर के रूप में पुनगर्ठित किया गया। इस प्रकार, डीजीएडी (वाणिज्य विभाग), रक्षोपाय महानिदेशालय (राजस्व विभाग) और डीजीएफटी के रक्षोपाय साधन (क्यूआर) के कार्यों का विलय करके डीजीटीआर का गठन किया गया है। डीजीटीआर विभिन्न सेवाओं एवं विशेषज्ञताओं से चुने गए अधिकारियों से उत्पन्न बहु–क्षेत्र कौशल सेट के साथ व्यावसायिक दृष्टि से एकीकृत संगठन है।

डीजीटीआर पाटनरोधी, प्रतिकारी शुल्क तथा रक्षोपाय साधनों सहित व्यापार प्रतिकार के सभी उपायों के प्रशासन के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं नियमावली तथा अन्य संगत कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रासंगिक रूपरेखा के तहत पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से व्यापार प्रतिकार की विधियों का प्रयोग करके व्यापार की अनुचित प्रथाओं जैसे कि निर्यातक देशों से डंपिंग तथा करणीय सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करता है। यह हमारे घरेलू उद्योग एवं निर्यातकों के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा शुरू किए गए व्यापार प्रतिकार के अन्वेषणों के मामलों से निपटने में उनको व्यापार रक्षा सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(i) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है। महानिदेशक की अध्यक्षता में निदेशालय का कार्यालय कोलकाता में है तथा यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों और विदेशी क्रेताओं द्वारा अपेक्षित व्यापार सांख्यिकी एवं विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचना का संग्रहण करने, संकलन करने और प्रकाशन / प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के संकलन एवं प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र 9001:2015 के साथ पहला बड़ा डेटा प्रसंस्करण संगठन है जो निर्यात एवं आयात डेटा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

(ii) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एमईपीजेड), विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, सांताक्रूज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड) विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापट्‌टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास आयुक्तों के कार्यालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र नामक स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं – अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम / नियम के अनुसार जब तक विशिष्ट रूप से छूट न दी गई हो, भारत के सभी कानून एसईजेड पर लागू होते हैं। प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र का अध्यक्ष एक विकास आयुक्त होता है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के अनुसार इसे अभिशासित किया जाता है। विनिर्माण, व्यापार या सेवा की गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों को निबल विदेशी मुद्रा अर्जक होना होता है परंतु वे पहले से निर्धारित किसी मूल्य अभिवृद्धि (रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) या न्यूनतम निर्यात तरजीह जैसी अपेक्षाओं के अधीन नहीं होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री को निर्यात की जाने वाली वस्तु के रूप में माना जाता है तथा वे लागू सीमा शुल्क के भुगतान के अधीन होते हैं।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य एवं वस्त्र)

सचिव मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार की सलाह पर मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की सहायता से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। सचिव विनियोजन लेखा को प्रमाणित करते हैं तथा लोक लेखा समिति तथा लेखाओं पर स्थायी संसदीय समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वाणिज्य विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय दोनों के लिए एक साझा लेखांकन प्रकोष्ठ है। लेखा प्रकोष्ठ मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के पर्यवेक्षण में काम करता है, जिनकी सहायता लेखा नियंत्रक (सीए), सहायक लेखा नियंत्रक लेखा (एसीए) तथा 10 वेतन एवं लेखा कार्यालयों – दिल्ली में 4 पीएओ और चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता प्रत्येक में 2 पीओए द्वारा की जाती है। मंत्रालय के बजट प्रभाग की जिम्मेदारी सीसीए को सौंपी जाती है। सीसीए बजट निर्माण, निगरानी एवं व्यय के नियंत्रण में वित्तीय सलाहकार को सभी सहायता प्रदान करते हैं, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों, एफआरबीएम अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित प्रकटन विवरण, वार्षिक वित्त लेखा, विनियोजन लेखा और गैर कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान तथा प्रवाह आदि तैयार करने में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

लेखा प्रकोष्ठ के कार्य में शामिल हैं : दावों का भुगतान करना,

लेखांकन के लेनदेन, लेखा तथा अन्य संबंधित मामलों का समेकन जैसे कि पेंशन को अंतिम रूप देना तथा भुगतान करना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की सहायता से पेंशन का संशोधन और अंतिम जीपीएफ शेष का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम, सहायता अनुदान, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) / अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस), छुट्टी वेतन अंशदान एवं पेंशन अंशदान (एलएससी एवं पीसी) आदि का अनुरक्षण। इसके अलावा पीएफएमएस माड्यूल अर्थात ईआईएस, ईएटी, पेंशन, जीपीएफ, सीडीडीओ पैकेज, एनटीआरपी, एलओए आदि के अबाध कामकाज की निगरानी के साथ सीसीए कार्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं में पीएफएमएस (ईएटी / डीबीटी) के कार्यान्वयन एवं अबाध कामकाज का समन्वय भी किया जाता है।

विभाग का एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ है जो आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य संभालता है। वाणिज्य विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में 347 यूनिटें हैं। आंतरिक लेखा का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं लेखांकन का अध्ययन करना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सही एवं पर्याप्त हों।

31 अक्टूबर, 2017 से पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णय के फलस्वरूप सीसीए (पूर्ति) का कार्यालय बंद कर दिया गया है तथा अब नई दिल्ली एवं कोलकाता में मामूली स्टाफ तथा 3 पीएओ के साथ सीसीए (वाणिज्य) द्वारा अवशिष्ट कार्य संभाला जा रहा है।

(ग) स्वायत्त निकाय

(i) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत गठित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है। इस बोर्ड में 33 सदस्य हैं जिनमें सचिव, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक हैं, एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष तथा संसद सदस्यों, कॉफी पैदा करने वाले राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों और कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के रूप शेष 31 सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अपनी गतिविधियों को अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी एवं आंतरिक संवर्धन तथा श्रम कल्याण के उपायों पर संकेंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरू में अपने प्रधान कार्यालय के साथ काम करता है। बालेहोनुरू, चिकमगलुरू जिला, कर्नाटक में केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) चेत्ताली में एक उप केन्द्र और चुंडाले (केरल), थांडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) एवं डीफू (असम) में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों के साथ अनुसंधान विभाग का मुख्यालय है।विस्तार नेटवर्क कॉफी पैदा करने वाले परंपरागत क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर परंपरागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैला है।

(ii) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष इस बोर्ड के प्रमुख हैं और कार्यपालक निदेशक सहित इसके 29 सदस्य हैं जो प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि रबर उत्पादन क्षेत्र, रबर निर्माण उद्योग, श्रम, रबर का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों की सरकारों और संसद सदस्यों (लोक सभा से 2 तथा काउंसिल ऑफ स्टेट्स से 1) का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोर्ड की कार्यकारिणी और प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक निदेशक के पास हैं। बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम, केरल में स्थित है। भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों का निर्वहन प्राकृतिक रबर (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और मदद प्रदान करके बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबर की सांख्यिकी का अनुरक्षण, रबर के विपणन को प्रोत्साहित करना तथा श्रमिकों के कल्याण से संबंधित कार्य करना भी शामिल है। 1955 में स्थापित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) कोट्टायम, केरल में स्थित है तथा इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आरआरएस) हैं जो रबर का उत्पादन करने वाले देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान ने देश में प्राकृतिक रबर के जैविक एवं प्रौद्योगिकीय सुधार का सुनिश्चय करने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किया। बोर्ड का एक प्रशिक्षण विभाग अर्थात रबर प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) भी है जो कोट्टायम में स्थित है तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। रबर बोर्ड को उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण, विपणन एवं उपभोग सहित प्राकृतिक रबर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा यह रबर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iii) चाय बोर्ड

भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए अधिनियम में परिकल्पित विभिन्न कार्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए चाय बोर्ड चाय अधिनियम 1953 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। अध्यक्ष सहित चाय बोर्ड के सदस्यों की संख्या 31 है। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का होता है। वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 11 फरवरी 2019से 10 फरवरी 2022 तक है।

उपाध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनकी सहायता असम के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) और तमिलनाडु के कून्नूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे दक्षिण भारत क्षेत्र के लिए) में तैनात दो कार्यपालक निदेशक करते हैं। बोर्ड का कार्य चाय बागानों में दक्षता एवं नवाचार को सुगम बनाने के लिए प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियों का विकास करना, अच्छी गुणवत्ता की चाय के उत्पादन के लिए प्रसंस्करण की नवाचारी प्रौद्योगिकी का विकास करना, निर्यात के लिए अधिक मूल्य वाली चाय का उत्पादन बढ़ाना, चाय उद्योग के सभी स्तरों पर मानव संसाधन के लिए क्षमता निर्माण, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों और विनिर्माण तकनीकों का विकास करने के लिए अनुसंधान और विकास को मजबूत करना और उनके स्थायित्व के लिए छोटे चाय उत्पादकों को एसएचजी, एफपीओ और एफपीसी में समूहबद्ध करना तथा और उन्हें मूल्य श्रृंखला में शामिल करना है।

(iv) तंबाकू बोर्ड

तंबाकू भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। उत्पादन को विनियमित करने, विदेशों में विपणन को प्रोत्साहित करने तथा पूर्ति एवं मांग में असंतुलन की आवर्ती घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत भारत सरकार द्वारा तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है तथा अध्यक्ष इसके मुखिया हैं।

तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का उद्देश्य देश में तंबाकू उद्योग का योजनाबद्ध ढंग से विकास करना है। तंबाकू उद्योग के संवर्धन के लिए अधिनियम में रेखांकित बोर्ड की विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- भारत एवं विदेशों में मांग को ध्यान में रखते हुए वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन एवं संसाधन को विनियमित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों एवं निर्यातकों (पैकर सहित) तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं एवं अन्य संबंधितों के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना।
- उत्पादकों के स्तर पर तंबाकू की ग्रेडिंग को प्रोत्साहित करना।
- पंजीकृत उत्पादकों द्वारा वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफार्म स्थापित करना तथा नीलामी प्लेटफार्म पर नीलामीकर्ता के रूप में काम करना।
- विद्यमान बाजारों का रखरखाव एवं सुधार तथा भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- भारत तथा विदेश दोनों में वर्जीनिया तंबाकू के बाजार की लगातार निगरानी करना और उत्पादकों के लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत का सुनिश्चय करना।
- भारत सरकार के अनुमोदन से उत्पादकों से उस समय वर्जीनिया तंबाकू की खरीद करना जब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए।

(v) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत 26 फरवरी, 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में मसाला बोर्ड का गठन किया गया। मसाला बोर्ड के 31 सदस्य हैं तथा अध्यक्ष (गैर सरकारी) द्वारा बोर्ड का नेतृत्व किया जा रहा है और सचिव इसके अध्यक्ष हैं तथा इसका प्रधान कार्यालय केरल में कोच्चि में है। मसाला बोर्ड इलायची उद्योग के विकास तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में निर्धारित 52 मसालों के निर्यात के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के कार्यों में अनुसंधान एवं विकास, छोटी एवं बड़ी इलायची का घरेलू विपणन, मसालों के निर्यात का संवर्धन, विकास, विनियमन तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण, फसलोपरांत गुणवत्ता सुधार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक मसालों का विकास शामिल है। बोर्ड मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण है तथा इलायची के डीलरों एवं नीलामीकर्ताओं को प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड मूल्यवर्धन के लिए मसालों में हाइटेक प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना सहायता जैसी अनेक परियोजनाएं एवं कार्यक्रम चला रहा है, मसालों के औषधीय गुणों, नए उत्पादों के विकास पर अध्ययन एवं अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मेलों में भागीदारी, मसालों का उत्पादन करने वाले मुख्य केन्द्रों में मसाला पार्कों की स्थापना तथा किसानों एवं निर्यातकों के बीच सीधा बाजार संबंध स्थापित करने के लिए क्रेता – विक्रेता बैठकों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बोर्ड द्वारा स्थापित ई–ऑक्शन सेंटर पर इलायची की ई–नीलामी के माध्यम से इलायची के पंजीकृत / लाइसेंसी नीलामीकर्ता और डीलर घरेलू विपणन को सुगम बनाते हैं।

(vi) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय है, का गठन मपेडा अधिनियम 1972 के तहत देश में समुद्री उत्पादों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने और भारत से इसके निर्यात का संवर्धन करने के अधिदेश के साथ किया गया।

(vii) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन 1985 में किया गया। एपीईडीए का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा अध्यक्ष इसके प्रमुख हैं। इसने मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

अपेडा का प्राथमिक उद्देश्य अपेडा अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का विकास एवं संवर्धन करना है। इसके अलावा, अपेडा दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध विशेष उत्पादों के लिए भारत में या भारत के बाहर बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण एवं संरक्षण के लिए भी जिम्मेदार है। वर्तमान में, दूसरी अनुसूची में केवल चावल है।

एपीडा जैविक निर्यातों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों के सचिवालय के रूप में भी काम करता है।

(viii) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

गुणवत्ता नियंत्रण तथा नौप्रेषण पूर्व निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का समुचित विकास सुनिश्चित करने तथा इससे संबंधित मामलों के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) का गठन किया गया। ईआईसी भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है और अध्यक्ष इसके मुखिया हैं। निदेशक (निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण) ईआईसी के कार्यपालक प्रमुख हैं जो निर्यात के लिए आशयित विभिन्न जिंसों, जो निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित हैं, के गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने तथा लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। ईआईसी की मुख्य भूमिका आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा का सुनिश्चित करना है। यह आवश्वासन खेंपवार निरीक्षण प्रणाली या गुणवत्ता आश्वासन / खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं के अनुसार खाद्य वस्तुओं के निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन में पचास वर्ष से अधिक अनुभव के साथ, ईआईसी ने वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता एवं पहचान विकसित की है।

ईआईसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानक निर्धारण प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल है और निर्यातकों के हितों की रक्षा करने का सुनिश्चय करने के लिए फीडबैक प्रदान करती है। ईआईसी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाई है तथा यह अपने उद्देश्यों को साकार करने का सुनिश्चय करने के लिए आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित है।

(ix) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

विदेश व्यापार एवं संबद्ध अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर बल के साथ 2 मई, 1963 को स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) का गठन किया गया। संस्थान की सर्वांगीण उपलब्धियों के सम्मान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संस्थान को मई, 2002 में ''मानद विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्रदान किया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जून 2018 में श्रेणी–I ''मानद विश्वविद्यालय''के रूप में वर्गीकृत किया गया। राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने 2015 में 3.53 के समग्र सीजीपीए स्कोर सहित सर्वोच्च ग्रेड 'ए' के साथ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को प्रत्यायित किया।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 में, जिसमें प्रबंधन श्रेणी में कुल 630 व्यवसाय स्कूलों ने भाग लिया था, आईआईएफटी को प्रबंधन श्रेणी में 26वीं रैंक प्रदान की गई है तथा यह पिछले वर्ष (2019 में 31वीं रैंक) से पांच स्थान ऊपर उठा है।

आईआईएफटी ने बिजनेस टूडे – एमडीआरए बी–स्कूल रैंकिंग सर्वेक्षण में भाग लिया और निम्नलिखित हासिल किए :

- सरकारी बी–स्कूल श्रेणी में आईआईएफटी को भारत में 7वां सर्वश्रेष्ठ बी–स्कूल का दर्जा प्रदान किया गया है
- समग्र रूप में शीर्ष बी–स्कूल के पैरामीटर पर, आईआईएफटी को भारत में 11वें सर्वश्रेष्ठ बी–स्कूल का दर्जा प्रदान किया गया है
- करियर–360 बी–स्कूल रैंकिंग में आईआईएफटी ने भारत में सर्वश्रेष्ठ बी–स्कूल के रूप में 14वां स्थान प्राप्त किया

प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय है। प्रबंधन बोर्ड के 11 सदस्य हैं तथा संस्थान के निदेशक इसके प्रमुख हैं। सचिव, वाणिज्य विभाग इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान का निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यपालक है और संस्थान के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है।

(x) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) मई 1966 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अग्रणी पैकेजिंग एवं संबद्ध उद्योगों तथा वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं कोलकाता (1976), चेन्नई (1971), दिल्ली (1986), हैदराबाद (2006) और अहमदाबाद (2017) में स्थित हैं। यह संस्थान विभिन्न गतिविधियों में शामिल है, जैसे कि पैकेजिंग सामग्रियों का परीक्षण एवं प्रमाणन तथा घरेलू एवं निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग जिसमें

हानिकर / घातक वस्तुओं के निर्यात के लिए अनिवार्य यूएन पैकेजिंग प्रमाणन शामिल है, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, परामर्श एवं परियोजनाएं तथा पैकेजिंग के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व पैकेजिंग संगठन (डब्ल्यूपीओ) और एशियाई पैकेजिंग परिसंघ (एपीएफ) के साथ संस्थान के उत्कृष्ट संबंध हैं। संस्थान यूएन प्रमाण पत्र जारी करने तथा निर्यात के लिए हानिकर वस्तुओं एवं घातक रसायनों के लिए पैकेजिंग के परीक्षण के लिए पिछले 25 वर्षों से नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। संस्थान हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्रों में शामिल कारीगरों, बुनकरों, निर्यातकों, हितधारकों आदि को नवाचारी एवं सुरुचिपूर्ण पैकेजिंग में प्रशिक्षण भी देता है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

(i) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। एसटीसी ने भारत में व्यापक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दालें, चीनी, खाद्य तेल आदि) और औद्योगिक कच्ची सामग्री के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं इसकी व्यवस्था की और भारत से काफी संख्या में वस्तुओं के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

एसटीसी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 60 करोड़ रुपए है तथा एसटीसी की इक्विटी में भारत सरकार का शेयर 90 प्रतिशत है। कंपनी ने प्रशासनिक कारणों से 2018–19 से नए कारोबारी प्रचालन बंद कर दिए हैं।

एसटीसीएल लिमिटेड (पूर्व में स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जो एसटीसी की सहायक कंपनी है, बंद होने की प्रक्रिया में है तथा इसने 2014–15 से अपनी सभी कारोबारी गतिविधियों को बंद कर दिया है।

(ii) एमएमटीसी लिमिटेड

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का काम करने के लिए 1963 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एमएमटीसी लिमिटेड का निगमन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में एमएमटीसी ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा व्यवसाय के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार के क्षेत्र में विविधता लाई है और उर्वरक, बुलियन, कृषि आदि जैसे विभिन्न जींसों का आयात एवं निर्यात को कंपनी के पोर्टफोलियों में शामिल किया गया है।

लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क / कंसन्ट्रेट के लिए कैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में काम करने के अलावा एमएमटीसी सोना एवं चांदी तथा यूरिया के आयात, अन्य जींसों में व्यापार तथा व्यापार संबद्ध संयुक्त उद्यम में निवेश के लिए नामित एजेंसियों में से एक के रूप में काम करता है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा इसे अक्टूबर 1994 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की शेयर पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित किया गया। शुरूआत से, यह कंपनी जिंसों का व्यापार कर रही है और इसने सिंगापुर में अपने आपको विश्वसनीय व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

(iii) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड को "दि प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के रूप में 1971 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया और यह 1991 में स्वतंत्र कंपनी बनी। 25 नवंबर 1997 को कंपनी का नाम बदलकर पीईसी लिमिटेड रखा गया। पीईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यों में इंजीनियरिंग उपकरण तथा परियोजनाओं का निर्यात, बुलियन का आयात तथा औद्योगिक कच्चा माल एवं कृषि वस्तुओं का व्यापार शामिल है। पीईसी ने 2019–20 के दौरान 8.08 करोड़ रुपए (अनंतिम) का टर्नओवर हासिल किया। कंपनी ने प्रशासनिक कारणों से सितंबर 2019 से नए कारोबार का प्रचालन बंद कर दिया है।

(iv) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) और राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने एवं सहायता प्रदान करने के लिए "न लाभ न हानि" आधार पर निर्यातकों और बैंकों को अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के आधार पर निर्यात क्रेडिट बीमा सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1957 में मुंबई में ईसीजीसी लिमिटेड का गठन किया गया जो भारत सरकार की अग्रणी निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है। यह वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। ईसीजीसी लिमिटेड का मिशन उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से भारतीय निर्यातों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी बीमा एवं व्यापार संबद्ध सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना

है। ईसीजीसी लिमिटेड की सेवाएं बैंक वित्त तक पहुंच, सूचना तक पहुंच तथा विदेशी क्रेताओं / देशों से बकाया ऋणों की वसूली में सहायता को संभव बनाती हैं।

(ख) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता न्यास (एनईआईए)

भारत से परियोजना निर्यात जो कार्यनीतिक एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में एनईआईए न्यास का गठन किया। 66 करोड़ रुपए के शुरुआती कारपस से न्यास का गठन किया गया।

परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से एनईआईए भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतियोगी बनने तथा सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ प्राप्त करने में मदद करता है। सफल परियोजना निर्यात विदेश में परियोजनाएं निष्पादित करने में भारत की क्षमता पर स्थायी स्पष्ट प्रभाव उत्पन्न करता है।

(v) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टीएफएआई) का नाम बदलने और भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण (टीडीए) के विलय के बाद वर्ष 1976 में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) का गठन किया गया। आईटीपीओ भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसूची 'ख' मिनीरत्न श्रेणी–1 सीपीएसई है।

आईटीपीओ भारत की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है और यह व्यापार और उद्योग के लिए सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी उपलब्ध कराता है और भारत के व्यापार के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आईटीपीओ भारत और विदेश में व्यापार मेलों का आयोजन करके / उनमें भाग लेकर और इस प्रकार भारत के निर्यात में वृद्धि करके व्यापार के संवर्धन / सुगमता से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में शामिल है।

आईटीपीओ के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- भारत और विदेश में औद्योगिक व्यापार तथा अन्य मेलों एवं प्रदर्शनियों को बढ़ावा देना, आयोजित करना और भाग लेना तथा देश का व्यापार बढ़ाने के लिए सभी आनुषंगिक कदम उठाना;
- भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का भारत एवं विदेश में प्रचार करना तथा उनमें भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित करना;
- भारत में और विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों के संबंध में या सिलसिले में माल एवं सेवाओं में व्यापार का संवर्धन करना;
- निर्यात का संवर्धन करना तथा निर्यात की परंपरागत मदों के लिए नए बाजारों की तलाश करना और निर्यात व्यापार का विस्तार करने, विविधता लाने और बनाए रखने के उद्देश्य से नई मदों के निर्यात का विकास करना।

(ड.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत सृजित गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (जेम) – विशेष प्रयोजन वाहन (जेम–एसपीवी)

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा अपेक्षित माल एवं सेवाओं के प्रापण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत धारा 8 कंपनी के रूप में राष्ट्रीय सार्वजिनक प्रापण पोर्टल के रूप में गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (जेम) के गठन के लिए मंजूरी प्रदान की। अधिसूचना दिनांक 8 दिसंबर 2017 के माध्यम से भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली 1961 ने निम्नलिखित प्रविष्टि की है :

'32' राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल–गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण''

जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार जो वस्तुएं एवं सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं उनका क्रय अनिवार्य रूप से जेम के माध्यम से किया जाना चाहिए। खुले एवं पारदर्शी प्रापण प्लेटफार्म के माध्यम से प्रापण की सरलता की दृष्टि से हो रहे प्रचुर लाभों को पूरी तरह से साकार करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (केरल और सिक्किम को छोड़कर) ने उनके द्वारा अपेक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं के अविछिन्न प्रापण के लिए जेम के साथ एमओयू किया है।

(च) निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। ईपीसी कंपनी अधिनियम / सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाओं एवं कार्यों का मार्गदर्शन विदेश व्यापार नीति 2015–20 द्वारा होता है जो उनको निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी मान्यता प्रदान करती है।

(i) मूलभूत रसायन, कास्मेटिक्स और डाईज निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1963 में मूलभूत रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) का गठन किया गया। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके

4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थित हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है :

- डाई एवं डाई इंटरमीडिएट
- जैविक, अजैविक एवं कृषि रसायन
- कास्मेटिक्स, साबुन, शौचालय सामग्री और आवश्यक तेल
- अरंडी का तेल

(ii) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल)

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1958 में कैपेक्सिल की स्थापना की गई। परिषद का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।परिषद को प्रकाशनों एवं मुद्रण, पेपर बोर्ड एवं उत्पाद, ग्लास एवं ग्लास वेयर, विविध उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज, सिरेमिक्स एवं संबद्ध उत्पाद, प्लाईवुड एवं संबद्ध उत्पाद, रबर के उत्पाद, ओसीन एवं जिलेटिन, बल्क मिनरल एवं अयस्क, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद, पेंट, प्रिंटिंग इंक एवं संबद्ध उत्पाद, ऑटो टायर एवं ट्यूब, पशु उपोत्पाद, सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर तथा ऐसबेस्टोस सीमेंट उत्पाद, ग्रेफाइट एवं विस्फोटक के निर्यात संवर्धन के कार्यकलाप सौंपे गए हैं।

(iii) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) का गठन जुलाई 1984 में किया गया। यह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत लाभ न कमाने वाली स्वायत्त कंपनी है जिसे भारतीय चमड़ा उद्योग के निर्यात संवर्धन एवं विकास के कार्य सौंपे गए हैं। यह सदस्य निर्यातकों तथा पूरे विश्व में क्रेताओं के बीच सेतु का काम करती है। इसका पंजीकृत प्रधान कार्यालय चेन्नई में है तथा इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई एवं मुंबई में हैं तथा विस्तार कार्यालय आगरा, उत्तर प्रदेश और जालंधर, पंजाब में हैं।

(iv) ईईपीसी इंडिया

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में गठित परिषद है। यह निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी (लाभ न कमाने वाली) है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं। इंजीनियरिंग विनिर्माताओं एवं निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने तथा बेहतर पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से ईईपीसी इंडिया ने टियर 2 और टियर 3 के 12 शहरों में अर्थात तमिलनाडु (11 मई 2019), छत्तीसगढ़ (19 जून 2019), झारखंड (3 जुलाई 2019), कर्नाटक (23 जुलाई 2019), पश्चिम बंगाल (3 अगस्त 2019), हिमाचल प्रदेश (10 अगस्त 2019), मध्य प्रदेश (24 अगस्त 2019), आंध्र प्रदेश (19 सितंबर 2019), महाराष्ट्र (18 अक्टूबर 2019), ओडिशा (8 नवंबर 2019), राजस्थान (9 नवंबर 2019) एवं उत्तराखण्ड (22 नवंबर 2019) में अपने चैप्टर खोले हैं।

सलाहकार संस्था के रूप में यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रियता से योगदान होता है तथा इंजीनियरिंग उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। 1955 में स्थापित ईईपीसी इंडिया के सदस्यों की संख्या अब 13000 के आसपास है जिसमें से 60 प्रतिशत एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से स्रोतन को सुगम बनाता है तथा एसएमई को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने मानकों को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ अपने व्यवसाय को एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। 'भविष्य को अभियांत्रिक करना' को अपने ध्येय के रूप में रखते हुए ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समुदाय के लिए भविष्य में भारत को इंजीनियरिंग के एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उनके प्रयासों में संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है।

(v) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

भारत से प्लास्टिक एवं लिनोलियम के उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से 1955 में प्लासिटक निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत की गई। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थिति है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में

हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

(vi) खेलों के सामान ईपीसी

खेल की सामग्रियों एवं खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) की स्थापना वर्ष 1958 में हुई। परिषद घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र में अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करती है। क्रिकेट के अलावा कई प्रकार के अन्य खेलों की ओर अग्रसर होने से भारत में खेल सामग्री उद्योग का विकास हो रहा है। इसने ब्रांड निर्माण एवं अवसंरचना से प्रमुख उद्यमियों वेंचर तक भारतीय बाजार पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

(vii) शेलक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शेलक निर्यात संवर्धन परिषद कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जून, 1957 में स्थापित की गई। 08 फरवरी, 2007 को इसका नाम बदलकर शेलक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल) किया गया। परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है तथा इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन में तथा वाणिज्य विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

शेफेक्सिल गैर इमारती वन उपज के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्पादों के लिए भी नामित नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है। इस समय परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है :

- लाख तथा लाख आधारित उत्पाद
- वनस्पतियों के अर्क एवं जड़ी–बूटियों के अर्क
- ग्वार गम
- पौधे एवं उनके भाग (जड़ी–बूटियां)
- नियत वनस्पति तेल, खली तथा अन्य
- अन्य वनस्पति खनिज
- पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित अनेक उत्पाद

(viii) भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल)

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 13 अप्रैल 2004 को स्थापित, लाभ न कमाने वाली कंपनी, भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की अनोखी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई।

परिषद का मुख्यालय हैदराबाद में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई एवं नई दिल्ली में हैं और शाखा कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरू में हैं। परिषद में लगभग 4500 सदस्य हैं। सरकार के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के अलावा परिषद पेटेंट से संबंधित मुद्दों, विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार संबद्ध सहायता आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को व्यावसायिक सलाह भी प्रदान करती है। फार्मेक्सिल घरेलू स्तर पर फार्मा उद्योग निर्यात संवर्धन के कार्यक्रमों तथा क्रेता – विक्रेता बैठकों का आयोजन करने के अलावा विदेश में भारतीय फार्मा शिष्टमंडलों के दौरों का भी आयोजन करती है। फार्मेक्सिल पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है।

फार्मेक्सिल के दायरे में आने वाले उत्पाद एवं सेवाएं हैं : सक्रिय फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स (एपीआई); फिनिश्ड डोजेज फार्म्स (एफडीएफ); हर्बल / आयुर्वेद; यूनानी; सिद्धा; होमियोपैथी; बायोलॉजिक्स; डायग्नोस्टिक; सर्जिकल्स; न्यूट्रास्युटिकल्स; सहयोगात्मक अनुसंधान; संविदा विनिर्माण; क्लीनिकल ट्रायल एवं परामर्श; विनियामक सेवाएं।

(ix) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) भारत के सेवा निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2006 में गठित शीर्ष व्यापार निकाय है। सलाहकार संस्था के रूप में एसईपीसी भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रियता से योगदान करती है तथा सेवा उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। यह भारतीय सेवा निर्यात समुदाय के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा विदेश में भारत की छवि का निर्माण करने में सहायक रहा है। यह काफी संख्या में प्रचार प्रसार की गतिविधियों का आयोजन करती है जैसे कि क्रेता – विक्रेता बैठक / रिवर्स क्रेता – विक्रेता बैठक, विदेश में आयोजित व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेना और चुनिंदा विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय मंडप / सूचना बूथ स्थापित करना।

परिषद सेवा निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुझानों एवं अवसरों के बारे में उनको जानकारी प्रदान करती रहती है। एसईपीसी ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने निर्यात का विस्तार कर सकें। एसईपीसी के सदस्य डीजीएफटी, वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) का लाभ उठा सकते हैं।

(x) परियोजना ईपीसी (पीईपीसी)

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति की रूपरेखा के अंदर तथा उनके ज्ञापन पीईएम (परियोजना निर्यात मैनुअल) में यथा उल्लिखित विदेशी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में विदेशों में परियोजनाएं प्राप्त करने एवं निष्पादित करने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए शीर्ष समन्वय एजेंसी के रूप में काम करती है।

पीईपीसी न केवल निर्यात संवर्धन की आवश्यक पहलों का आयोजन करता है अपितु सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी तथा भारतीय परियोजना निर्माण की मदों का प्रयोग करके इंजीनियरिंग सेवा के निम्नलिखित माड्यूल में से किसी में विदेश में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में प्रोसेस इंजीनियरिंग कंट्रेक्टर और कंसल्टेंट सहित भारतीय सिविल एवं इंजीनियरिंग (ईपीसी) को आवश्यक तकनीकी सूचना, मार्गदर्शन एवं सहायता भी प्रदान करता है :

- सिविल निर्माण (संरचना / अवसंरचना)
- टर्नकी
- प्रक्रिया तथा इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं
- परियोजना निर्माण की वस्तुएं (स्टील एवं सीमेंट को छोड़कर) / परियोजना माल

(xi) ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस)

देश में 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिटों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) यूनिटों तथा एसईजेड विकासकों की निर्यात संवर्धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनवरी 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) का गठन किया गया। ईपीसीईएस पूरे देश में फैले 7000 से अधिक ईओयू एवं एसईजेड का प्रतिनिधित्व करता है।

ईपीसीईएस के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- भारत से निर्यात को बढ़ावा देना और देश के लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना।
- केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकार तथा ईओयू / एसईजेड समुदाय के बीच अंत:क्रिया को सुगम बनाना।
- निर्यात बाजार विकास के उनके प्रयासों में मदद करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय निर्यातकों के लिए चलाई जा रही बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के लाभ प्रदान करना।
- अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों / भारत में निर्यात संवर्धन संगठनों तथा विदेशों में समान संस्थाओं और इस क्षेत्र में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना।

(xii) भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) का सरोकार तिलहनों, तेलों एवं खलियों के विकास एवं निर्यात संवर्धन से है। इसका गठन 23 जून, 1956 को किया गया था। आईओपीईपीसी, पूर्व में इसका नाम आईओपीईए था, छः दशक से अधिक समय से निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है। निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा, परिषद भारत में तिलहनों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों, विक्रेताओं, प्रोसेसर, सर्वेयर एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में भी काम कर रही है।

(xiii) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई)

भारत से काजू कर्नेल, काजू गिरी, शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 17 अगस्त 1955 को भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) की स्थापना की। अस्तित्व में आने के समय से ही परिषद इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार के लिए संस्थानिक रूपरेखा प्रदान कर रही है।

परिषद विदेशी आयातकों तथा काजू की गिरी के सदस्य निर्यातकों को एक मंच पर लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है। परिषद विस्तृत अध्ययन करती है और काजू के संभावित बाजारों से संबंधित व्यापार / बाजार सूचना तथा अन्य ब्यौरे एकत्र करती है और उनको निर्यातकों को उपलब्ध कराती है। यह अंधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के माध्यम से विभिन्न पक्षों से प्राप्त व्यापारिक पूछताछ का भी जवाब देती है तथा उनको अपने सदस्यों को प्रसारित करती है। काजू एवं काजू उत्पादों पर बदलती वैश्विक व्यापार सूचना को नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है।

(xiv) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय

रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, इस साल अपने गठन के 54 वर्ष पूरे कर रही है। नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 6107 के आसपास है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र भारत के अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्रों में एक है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान (सितंबर 2020 तक) भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात का मूल्य 8690.32 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए 14869.32 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 54.89 प्रतिशत कम है। व्यवसाय, कारखाना, दुकान, लोगों की आवाजाही, सामाजिक जमावड़ा जैसे कि शादी के बंद हो जाने, लॉकडाउन के कारण स्थगित या रद्द किए गए कार्यक्रमों / प्रदर्शनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मांग के अभाव के कारण अन्य क्षेत्रों की तरह, कोविड–19 ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। तथापि, जीजेईपीसी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा ले रही है और वर्चुअल समाधान प्रस्तुत किए हैं। अपने विभिन्न वर्चुअल शो एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जीजेईपीसी अपने व्यवसाय के अनुरूप बी2बी लेनदेन को बहाल करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है।

(छ) सलाहकार निकाय

व्यापार बोर्ड (बीओटी)

विदेश व्यापार नीति विवरण 2015–2020 के पैरा 300 के तहत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार व्यापार अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 23 मार्च 2016 के माध्यम से व्यापार बोर्ड (बीओटी) का पुनर्गठन किया गया है। बीओटी का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना तथा भारत के व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना है।

परामर्श प्रक्रिया में अधिक सुसंगति लाने के लिए व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद (सीटीडीपी), जिसका गठन 3 जुलाई 2015 को राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समर्थकारी माहौल प्रदान करने के उपायों पर राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित चर्चा का सुनिश्चय करने तथा भारत का निर्यात बढ़ाने में राज्यों को सक्रिय साझेदार बनाने के लिए रूपरेखा का निर्माण करने के लिए किया गया, का अधिसूचना संख्या 11/2015–20 के माध्यम से 17 जुलाई 2019 को व्यापार बोर्ड के साथ विलय कर दिया गया है। पुनगर्ठित व्यापार बोर्ड (बीओटी) के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

- व्यापार नीति पर अपने परिप्रेक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मंच प्रदान करना
- भारत के व्यापार की संभावनाओं एवं अवसरों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अवगत कराने तथा नई स्थिति से निपटने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए भारत सरकार को मंच प्रदान करना
- राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति के अनुरूप निर्यात रणनीतियों का विकास करने एवं लागू करने में राज्य सरकारों की मदद करना
- व्यापार के संवर्धन के लिए संगत अवसंरचना तथा भारत के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली बाधाओं एवं अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना
- व्यापार अवसंरचना को कार्यशील करने पर चर्चा करने के लिए तंत्र को सुगम बनाना
- आर्थिक परिदृश्य बढ़ाने के लिए अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने के लिए नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना
- विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, अड़चनों की पहचान करना और निर्यात आय को इष्टतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना
- आयात एवं निर्यात के लिए विद्यमान संस्थानिक रूपरेखा की जांच करना और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों का सुझाव देना
- आयात एवं निर्यात के लिए नीतिगत तंत्रों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उनको तर्कसंगत बनाने हेतु कदमों का सुझाव देना और
- ऐसे मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारत के व्यापार के संवर्धन तथा भारतीय माल एवं सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए संगत समझा जाता है।

(ज) अन्य संगठन

(i) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफ आई ई ओ)

निर्यात संवर्धन संगठनों की शीर्ष संस्था के रूप में 1965 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट अर्गनाइजेशंस (एफआईईओ) का गठन किया गया। यह दिल्ली में मुख्यालय के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 की अधिनियम संख्या 21) के तहत पंजीकृत है। फेडरेशन को विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट 2टी के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में चिह्नित किया गया है। कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, रांची और इंदौर जैसे सभी महानगरों एवं शहरों को शामिल करते हुए पूरे देश में इसके 17 कार्यालय हैं।

यह आई एस ओ 9001–2015 प्रमाणित संगठन है।

एफआईईओ निर्यातकों तथा नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और निर्यात के संवर्धन में सहायक है। यह अपने 32000 से अधिक सदस्यों को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक सेवा एजेंसी के रूप में काम करता है। निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्तु बोर्ड, निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य चैंबर, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, परामर्श, संगठन तथा व्यापार संघ आदि जैसे संगठन एफआईईओ के सदस्य हैं। एफआईईओ स्टेटस होल्डर निर्यातक फर्मों तथा अनेक उत्पादों में सौदा करने वाले अन्य निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण है। यह निर्यातकों को पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी करता है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी जारी करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अनेक देशों द्वारा अपेक्षित है।

(ii) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर बल के साथ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत तथा बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत भी 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) स्थापित किया गया। आईडीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा यह रत्न एवं आभूषण (जीएंडजे) निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण निर्माण के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार जेमोलोजी आदि एक छत के नीचे रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल कर रहा है। संस्थान स्वर्ण मूल्यांकन तथा हीरा ग्रेडिंग के पहलुओं पर कस्टम अधिकारियों का कौशल उन्नयन करने/ कौशल प्रदान करने में मदद करता है। संस्थान उद्यमी विकास संस्थान (सीईडी), गुजरात सरकार की कौशल संवर्धन योजना के तहत एमएसएमई जीएंडजे यूनिटों के मौजूदा कर्मचारियों के कौशलों का भी उन्नयन करता है।

(iii) फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत वर्ष 1986 में स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग को कुशल मानव संसाधन तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है।

एफडीडीआई को फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसार ''राष्ट्रीय महत्व की संस्था'' का दर्जा प्रदान किया गया है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान फुटवियर, लेदर, फैशन, रिटेल एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में कौशल अंतराल को पाटकर भारतीय उद्योग को सुगमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान की पूरे भारत में मौजूदगी है तथा नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, छिंदवाड़ा, रोहतक, जोधपुर, गुना, पटना, हैदराबाद, अंकलेश्वर एवं बनूर (चंडीगढ़) में इसके बहुत सुंदर कैंपस हैं।

एफडीडीआई फुटवियर डिजाइन एवं उत्पादन, प्रबंधन, रचनात्मक डिजाइन कैड / कैम, फैशन व्यापार एवं फुटकर प्रबंधन, लेदर गुड्स एवं असेसरीज डिजाइन, फैशन डिजाइन और व्यवसाय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अनेक तरह के व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन करता है।

(iv) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) समापन की प्रक्रिया में है तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(v) मूल्य स्थिरता निधि न्यास (पीएसएफटी)

मूल्य स्थिरता निधि न्यास को इन जींसों की निरंतर कम कीमतों के कारण कॉफी, चाय, रबर एवं तंबाकू के उत्पादों की कठिनाई को कम करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई मूल्य स्थिरता निधि योजना को लागू करने के लिए शुरू में 10 साल की अवधि के लिए नाबार्ड और वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत सार्वजनिक न्यास के रूप में 11 सितंबर 2003 को पंजीकृत किया गया। न्यास को 11 सितंबर 2013 के बाद 10 साल की अगली अवधि के लिए पुनः पंजीकृत किया गया।

(vi) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य विदेशी बाजारों में 'ब्रांड इंडिया' के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। इस प्रयोजन के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन सरकार एवं उद्योग जगत के हितधारकों के साथ निकटता से काम करता है।

वैश्विक आर्थिक एवं व्यापार स्थिति

1. 2020–21 में वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण अभूतपूर्व संकट देखने को मिला है जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), व्यापार आदि जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों ने 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि में धीमी गति का संकेत दिया। कोविड–19 संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्ति एवं मांग दोनों में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। पूर्ति से जुड़े व्यवधान मुख्य रूप से श्रम की आपूर्ति में कटौती, लॉकडाउन और व्यवसायों के बंद होने के कारण थे, जबकि मांग से जुड़े व्यवधान बेरोजगारी, क्वारंटीन आदि से उत्पन्न आय की क्षति एवं नौकरी छूटने के कारण थे।
- आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के अनुसार, महामारी पूर्व अनुमानित पथ की तुलना में आउटपुट में 2020–21 में 11 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की संचयी क्षति होने का अनुमान है। रिपोर्ट इस बात का भी उल्लेख करती है कि 2020 में लगभग 90 मिलियन लोगों के चरम अभावग्रसता में पहुंच जाने की संभावना है। 2020 में वैश्विक विकास (–)4.4 प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है (जबकि पिछला अनुमान (–)5.2 प्रतिशत था)। अभूतपूर्व राजकोषीय, मौद्रिक एवं नियामक रिस्पांस के कारण अनेक अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए तेजी से उत्थान के कारण विकास में सुधार का पूर्वानुमान है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2021 में विकास दर 5.2 प्रतिशत होगी जो जून के अनुमानों की तुलना में (–) 0.2 प्रतिशत कम है।
- नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तथा अनुमान इस प्रकार हैः

		अनुमान		जून, 2020 से डब्ल्यूईओ अपडेट से अंतर	
	2019	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
विश्व आउटपुट	2.8	-4.4	5.2	0.8	-0.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.7	-5.8	3.9	2.3	-0.9
संयुक्त राज्य	2.2	-4.3	3.1	3.7	-1.4
यूरो क्षेत्रा	1.3	-8.3	5.2	1.9	-0.8
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)	3.7	-3.3	6.0	-0.2	0.2
उभरता एवं विकासशील एशिया	5.5	-1.7	8.0	-0.9	0.6
चीन	6.1	1.9	8.2	0.9	0.0
भारत	**4.2**	**-10.3**	**8.8**	**-5.8**	**2.8**

स्रोतः आईएमएफ, डब्ल्यूईओ अपडेट, अक्टूबर 2020

2. 2020–21 में वैश्विक व्यापार

- व्यापार तनावों तथा धीमी आर्थिक प्रगति के कारण 2019 में पण व्यापार की मात्रा में 0.1 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। 2019 में डॉलर में मूल्य की दृष्टि से विश्व पण निर्यात में 18.89 ट्रिलियन अमरीकी डालर अर्थात 3 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। कोविड–19 महामारी के कारण स्थिति और बदतर हो गई तथा डब्ल्यूटीओ के नवीनतम व्यापार अनुमान के अनुसार 2020 में विश्व पण व्यापार में 9.2 प्रतिशत की गिरावट होनी है। पूरे विश्व में लॉकडाउन में ढील दिए जाने से उत्थान के संकेत मिल रहे हैं तथा डब्ल्यूटीओ को 2021 में व्यापार की मात्रा में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है परंतु यह संकटपूर्व रुझान से कम रहेगा। 2021 में रिकवरी प्रकोप की अवधि तथा नीतिगत रिस्पांस की कारगरता पर निर्भर है।
- 2020 और 2021 में विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार के बारे में डब्ल्यूटीओ का अनुमान निम्नानुसार हैः

वार्षिक परिवर्तन (प्रतिशत में)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
विश्व पण्य वस्तु व्यापार की मात्रा	2.3	1.4	4.7	2.9	-0.1	-9.2	7.2
निर्यात							
उत्तरी अमरीकी	2.6	0.7	3.4	3.8	1	-14.7	10.7
दक्षिण एवं मध्य अमेरिका	0.6	1.3	2.9	0.1	-2.2	-7.7	5.4
यूरोप	2.9	1.1	3.7	2	0.1	-11.7	8.2
एशिया	1.3	2.3	6.7	3.7	0.9	-4.5	5.7
अन्य क्षेत्र	1.8	3.5	0.7	0.7	-2.9	-9.5	6.1
आयात							
उत्तरी अमरीका	5.2	0.3	4.4	5.2	-0.4	-8.7	6.7
दक्षिण एवं मध्य अमेरिका	-7.6	-9	4.3	5.3	-2.1	-13.5	6.5
यूरोप	3.6	3	3	1.5	0.5	-10.3	8.7
एशिया	2.1	2.2	8.4	4.9	-0.6	-4.4	6.2
अन्य क्षेत्र	-3.9	-4.5	3.4	0.3	1.5	-16	5.6

स्रोत : डब्ल्यूटीओ की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 6 अक्टूबर 2020
**अनुमान*

3. 2020–21 में अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का व्यापार

- डब्ल्यूटीओ की नवीनतम सांख्यिकी के अनुसार अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में निर्यात ने वियतनाम (12.49 प्रतिशत), चीन (11.36 प्रतिशत), जापान (2.62 प्रतिशत), हांगकांग, चीन (1.49 प्रतिशत) में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की और यूनाइटेड किंगडम (–14.71 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरिका (–6.96 प्रतिशत), भारत (–5.16 प्रतिशत), कोरिया गणराज्य (–3.79 प्रतिशत), यूरोपीय संघ (–0.87 प्रतिशत) में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की।
- नीचे दी गई सारणी दर्शाती है कि अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भारत की निर्यात वृद्धि ने सुधार के रुझान का प्रदर्शन किया है।

निर्यातः माह–वार वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)

माह	चीन	यूरोपीय संघ	हांगकांग, चीन	भारत	जापान	कोरिया गणराज्य	यूके	यूएसए	वियतनाम
अप्रैल 2020	3.36	-33.48	0.75	-60.96	-19.05	-25.59	-24.50	-28.95	-13.86
मई 2020	-3.16	-30.39	1.17	-35.56	-26.45	-23.77	-33.80	-36.34	-12.31
जून 2020	0.52	-8.30	4.47	-12.18	-25.82	-10.89	-19.35	-23.80	5.61
जुलाई 2020	7.15	-7.29	3.90	-9.56	-17.97	-7.14	-14.82	-15.25	8.24
अगस्त 2020	9.49	-3.09	7.18	-12.06	-14.61	-10.28	-10.64	-14.65	7.02
सितंबर 2020	9.87	5.15	18.24	6.00	-3.19	7.24	-12.17	-9.46	16.29
अक्टूबर 2020	11.36	-0.87	1.49	-5.16	2.62	-3.79	-14.71	-6.96	12.49

स्रोतः डब्ल्यूटीओ डेटाबेस
टिप्पणीः किसी विशेष माह के विकास दर की गणना पिछले वर्ष के उस माह की विकास दर की तुलना में की गई है

- डब्ल्यूटीओ की नवीनतम सांख्यिकी के अनुसार अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में आयात ने चीन (4.73 प्रतिशत), हांगकांग, चीन (2.68 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरिका (0.45 प्रतिशत), वियतनाम (8.46 प्रतिशत) में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की और यूरोपीय संघ (–3.11 प्रतिशत), भारत (–11.56 प्रतिशत), जापान (–10.85 प्रतिशत), कोरिया गणराज्य (–5.60 प्रतिशत), यूनाइटेड किंगडम (–4.83 प्रतिशत) में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की।

आयातः माह–वार वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)

माह	चीन	यूरोपीय संघ	हांगकांग, चीन	भारत	जापान	कोरिया गणराज्य	यूके	यूएसए	वियतनाम
अप्रैल 2020	-14.19	-30.72	-4.60	-59.67	-3.72	-15.81	-29.92	-20.61	-11.32
मई 2020	-16.59	-29.06	-11.14	-51.04	-24.20	-20.57	-31.82	-25.36	-21.29
जून 2020	2.67	-10.02	-3.27	-48.07	-13.98	-10.80	-7.66	-13.05	6.61
जुलाई 2020	-1.38	-9.69	-2.07	-29.57	-21.09	-11.42	-15.87	-8.09	-3.66
अगस्त 2020	-2.12	-3.31	-2.48	-25.89	-20.57	-15.77	-9.49	-5.43	1.19
सितंबर 2020	13.19	2.32	5.37	-19.61	-15.83	1.60	3.84	0.14	11.29
अक्टूबर 2020	4.73	-3.11	2.68	-11.56	-10.85	-5.60	-4.83	0.45	8.46

स्रोत : डब्ल्यूटीओ डेटाबेस

टिप्पणीः किसी विशेष माह के विकास दर की गणना पिछले वर्ष के उस माह की विकास दर की तुलना में की गई है

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां

1. समग्र व्यापार

- भारत के समग्र निर्यात (पण एवं सेवा निर्यात दोनों) ने 2019–20 के दौरान आधा ट्रिलियन डॉलर के निशान को पार कर लिया परंतु 2018–19 से कम रहा। 2018–19 में 538.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2019–20 के दौरान भारत के समग्र निर्यात का मूल्य 526.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो (–) 2.1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर 2020 (ई) की अवधि के दौरान निर्यात 348.5 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान यह 398.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो (–) 12.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है।
- 2019–20 में समग्र आयात का मूल्य 603 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में (–) 5.8 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर 2020 (ई) की अवधि के दौरान आयात 343.3 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान यह 463.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो (–) 25.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है।
- 2019–20 में समग्र व्यापार घाटा 76.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो 2018–19 में 102.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार घाटे से कम है। अप्रैल से दिसंबर 2020 (ई) की अवधि के लिए समग्र व्यापार अधिशेष 5.2 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान व्यापार घाटा 64.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
- पिछले 10 वर्षों में समग्र निर्यात, आयात एवं व्यापार संतुलन की विस्तृत रुझानें नीचे चार्ट में दर्शाई गई हैं:

पिछले 10 वर्षों में समग्र व्यापार – (पण्य वस्तु एवं सेवा व्यापार को मिलाकर)

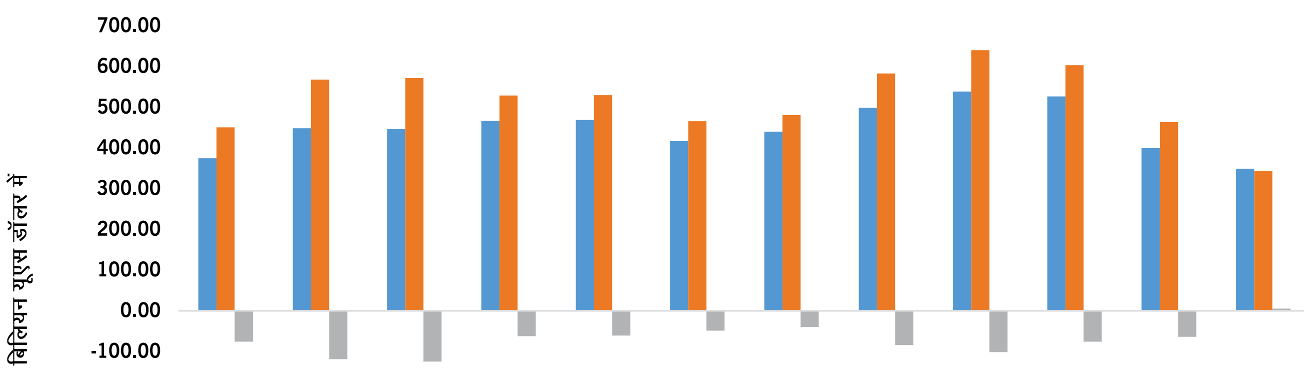

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	Apr-Dec 2019	Apr-Dec 2020 (E)
निर्यात	374.45	448.29	446.08	466.22	468.45	416.60	440.05	498.62	538.08	526.55	398.95	348.49
आयात	450.32	567.55	571.50	528.95	529.61	465.64	480.21	583.11	640.14	602.98	463.03	343.27
व्यापार संतुलन	-75.87	-119.26	-125.42	-62.73	-61.17	-49.04	-40.16	-84.49	-102.06	-76.43	-64.09	5.22

■ निर्यात ■ आयात ■ व्यापार संतुलन

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, आरबीआई डाटाबेस और आरबीआई प्रेस रिलीज

'टिप्पणी : आरबीआई द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए जारी किया गया नवीनतम डाटा नवंबर 2020 के लिए है। दिसंबर 2020 का डाटा अनुमान पर आधारित है जिसे आरबीआई की परवर्ती रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

2. भारत का पण्य वस्तु व्यापार

- वित्त वर्ष 2019–20 में वैश्विक आर्थिक मंदी देखने को मिली जो कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण वित्त वर्ष के आखिरी दो महीनों में बदतर हो गई जिसके दौरान 2018–19 में 330.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के शीर्ष निर्यात की तुलना में 2019 में 313.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में (–) 5.1 प्रतिशत कम है।
- अप्रैल से दिसंबर 2020 (क्यूई) के दौरान निर्यात 200.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान यह 238.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो (–) 15.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- 2019–20 के दौरान 474.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया गया जो 2019–20 में 514.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात की तुलना में (–) 7.7 प्रतिशत कम है। अप्रैल से दिसंबर 2020 (क्यूई) के दौरान आयात का मूल्य 258.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो अप्रैल से दिसंबर 2019 के

दौरान 364.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात की तुलना में (–) 29.1 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

- 2018–19 में 184 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2019–20 में 161.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा होने का अनुमान था। अप्रैल से दिसंबर 2019 में, 125.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार घाटा की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2020 (क्यूई) में व्यापार घाटा कम होकर 57.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- पिछले 10 वर्षों में पण निर्यात, आयात एवं व्यापार संतुलन की विस्तृत रुझानें नीचे सारणी में दर्शाई गई हैं:

पण्य वस्तु व्यापार:

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्र. सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि (प्रतिशत)	आयात	वृद्धि (प्रतिशत)	व्यापार संतुलन
1	2010-11	249.82	39.76	369.77	28.23	-119.95
2	2011-12	305.96	22.48	489.32	32.33	-183.36
3	2012-13	300.40	-1.82	490.74	0.29	-190.34
4	2013-14	314.41	4.66	450.20	-8.26	-135.79
5	2014-15	310.34	-1.29	448.03	-0.48	-137.69
6	2015-16	262.29	-15.48	381.01	-14.96	-118.72
7	2016-17	275.85	5.17	384.36	0.88	-108.50
8	2017-18	303.53	10.03	465.58	21.13	-162.05
9	2018-19	330.08	8.75	514.08	10.42	-184.00
10	2019-20	313.36	-5.06	474.71	-7.66	-161.35
	अप्रैल–दिसंबर 2019	**238.27**		**364.18**		**-125.91**
	अप्रैल–दिसंबर 2020 क्यूई	**200.80**	**-15.73**	**258.27**	**-29.08**	**-57.47**

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, क्यूई का अर्थ है त्वरित अनुमान

3. भारत का सेवा व्यापार

- 2019–20 में वैश्विक मंदी के बावजूद, जो कोविड–19 के सतत संकट के कारण और गंभीर हो गई, सेवा क्षेत्र ने 2019–20 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है। 2018–19 में 208 बिलियन अमरीकी डॉलर के सेवा निर्यात की तुलना में 2019–20 में सेवा निर्यात का मूल्य 213.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो 2.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- अप्रैल से दिसंबर 2019 में 160.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2020 (ई) में भारत के सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 147.7 बिलियन अमरीकी डॉलर है जो (–) 8.1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- 2018–19 में 126.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2019–20 में सेवा आयात का मूल्य 1.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 128.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। अप्रैल से दिसंबर 2020 (ई) के दौरान आयात का संचयी मूल्य 85.0 बिलियन अमरीकी डॉलर है जो अप्रैल से दिसंबर 2019 की तुलना में (–) 14.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।
- 2019–20 और अप्रैल–दिसंबर 2020 (ई) में सेवा व्यापार में क्रमशरू 84.9 बिलियन अमरीकी डॉलर और 62.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का सरप्लस सृजित किया गया।
- पिछले 10 वर्षों में सेवा निर्यात, आयात एवं व्यापार संतुलन की विस्तृत रुझान नीचे सारणी में दर्शाया गया है

सेवा व्यापार

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्र सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि (प्रतिशत)	आयात	वृद्धि (प्रतिशत)	निवल – सेवाएं
1	2010-11	124.64	29.77	80.55	34.19	44.08
2	2011-12	142.32	14.19	78.23	-2.89	64.10
3	2012-13	145.68	2.36	80.76	3.24	64.91
4	2013-14	151.81	4.21	78.75	-2.50	73.07
5	2014-15	158.11	4.15	81.58	3.59	76.53
6	2015-16	154.31	-2.40	84.63	3.75	69.68
7	2016-17	164.20	6.41	95.85	13.25	68.34
8	2017-18	195.09	18.81	117.53	22.61	77.56
9	2018-19	208.00	6.62	126.06	7.26	81.94
10	2019-20	213.19	2.50	128.27	1.75	84.92
	अप्रैल–दिसंबर 2019	**160.67**		**98.85**		**61.82**
	अप्रैल–दिसंबर 2020 क्यूई	**147.69**	**-8.08**	**85.00**	**-14.01**	**62.69**

स्रोतः आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई की प्रेस विज्ञप्तियां, ई का अर्थ है अनुमानित।

'टिप्पणीः आरबीआई द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए जारी किया गया नवीनतम डाटा नवंबर 2020 के लिए है। दिसंबर 2020 का डाटा अनुमान पर आधारित है जिसे आरबीआई की परवर्ती रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

4. 2019–20 में निर्यात और आयात की प्रमुख वस्तुएं

2019–20 में शीर्ष 10 वस्तुओं का निर्यात

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

रैंक	वस्तु	2018–19	2019–20	वृद्धि (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
1	पेट्रोलियम उत्पाद	46.55	41.29	-11.31	13.18
2	मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर	25.97	20.69	-20.33	6.6
3	ड्रग फार्मुलेशन, जैविक पदार्थ	14.39	15.94	10.78	5.09
4	सोना एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं के आभूषण	12.95	13.75	6.15	4.39
5	लोहा एवं इस्पात	9.74	9.28	-4.77	2.96
6	इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	8.42	8.97	6.45	2.86
7	साजो–सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	8.69	8.64	-0.6	2.76
8	जैविक रसायन	9.33	8.35	-10.47	2.66
9	मोटर वाहन/ कार	8.50	7.80	-8.26	2.49
10	लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	7.26	7.01	-3.49	2.24

स्रोतः डीजीसीआईएंडएसए कोलकाता

2019—20 में शीर्ष 10 वस्तुओं का आयात

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

रैंक	वस्तु	2018—19	2019—20	वृद्धि (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
1	पेट्रोलियमः क्रूड	114.04	102.75	-9.90	21.64
2	सोना	32.91	28.23	-14.22	5.95
3	पेट्रोलियम उत्पाद	26.88	27.80	3.43	5.86
4	मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर	27.08	22.46	-17.05	4.73
5	कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	26.18	22.46	-14.22	4.73
6	इलेक्ट्रानिक्स के कंपोनेंट	15.75	16.32	3.64	3.44
7	दूरसंचार के इंस्ट्रूमेंट	17.92	14.22	-20.61	3.00
8	जैविक रसायन	14.25	12.22	-14.23	2.57
9	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	12.47	11.98	-3.93	2.52
10	इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	9.86	11.28	14.37	2.38

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

5. 2019—20 में निर्यात के प्रमुख गंतव्य तथा आयात के स्रोत

2019—20 में भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

रैंक	देश	2018—19	2019—20	वृद्धि (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	52.43	53.11	1.30	16.95
2	संयुक्त अरब अमीरात	30.13	28.85	-4.23	9.21
3	चीन	16.75	16.61	-0.83	5.30
4	हांगकांग	13.00	10.97	-15.65	3.50
5	ऋसगापुर	11.57	8.92	-22.90	2.85
6	यूनाइटेड ऋकगडम	9.33	8.77	-6.04	2.80
7	नीदरलैंड	8.81	8.37	-5.05	2.67
8	जर्मनी	8.90	8.29	-6.89	2.65
9	बांग्लादेश	9.21	8.20	-10.96	2.62
10	नेपाल	7.77	7.16	-7.80	2.29

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

2019–20 में भारत के शीर्ष 10 आयात गंतव्य

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

रैंक	देश	2018–19	2019–20	वृद्धि (प्रतिशत)	हिस्सा (प्रतिशत)
1	चीन	70.32	65.26	-7.19	13.75
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	35.55	35.82	0.76	7.55
3	संयुक्त अरब अमीरात	29.79	30.27	1.61	6.38
4	सऊदी अरब	28.48	26.86	-5.69	5.66
5	इराक	22.37	23.74	6.11	5.00
6	हांगकांग	17.99	16.94	-5.85	3.57
7	स्विटजरलैंड	18.09	16.90	-6.57	3.56
8	दक्षिण कोरिया	16.76	15.66	-6.56	3.30
9	इंडोनेशिया	15.85	15.07	-4.97	3.17
10	सिंगापुर	16.28	14.75	-9.43	3.11

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

विदेश व्यापार नीति, एग्जिम व्यापार एवं प्रमुख स्कीम

1. प्रस्तावना

01 अप्रैल 2015 को जारी की गई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 माल एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 के साथ ही को एफटीपी विवरण, प्रक्रिया पुस्तिका, परिशिष्ट तथा आयात – निर्यात फार्म भी जारी किए गए। प्रक्रिया पुस्तिका विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ किसी निर्यातक या आयातक अथवा किसी लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करता है। प्रक्रियाएं निम्नलिखित दस्तावेज दी गई हैं :

- प्रक्रिया पुस्तिका
- परिशिष्ट तथा आयात – निर्यात फार्म और
- मानक इनपुट – आउटपुट मानदंड (एस आई ओ एन)

2015–2020 के लिए विदेश व्यापार नीति में निम्नलिखित के लिए प्रयास किए गए हैं : पण्य वस्तु एवं सेवाओं में विदेश व्यापार के लिए स्थिर एवं संपोषणी नीति परिवेश प्रदान करना, आयात एवं निर्यात के नियमों, प्रक्रियाओं एवं प्रोत्साहनों को अन्य पहलों जैसे कि 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' एवं 'स्किल इंडिया' से जोड़ना ताकि एक निर्यात संवर्धन मिशन का सृजन हो सके; वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों की मदद करके भारत के निर्यात बास्केट में विविधता को प्रोत्साहित करना; प्रमुख क्षेत्रों तक इसके बाजारों के विस्तार एवं बेहतर एकीकरण और इस प्रकार भारत के उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि करने एवं मेक इन इंडिया पहल में योगदान करने के उद्देश्य से भारत की वैश्विक व्यापार भागीदारी के लिए एक वास्तुशिल्प सृजित करना; और आयात को तर्कसंगत बनाने तथा व्यापार असंतुलन को घटाने के उद्देश्य से नियमित आकलन के लिए एक तंत्र प्रदान करना। मौजूदा एफटीपी 2015–2020 जो 31 मार्च 2020 तक मान्य है, की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा 5 दिसंबर 2017 को जारी की गई।

2. विदेश व्यापार नीति विवरण

विदेश व्यापार नीति विवरण में 2015 से 2020 की अवधि के लिए विजन, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है जो विदेश व्यापार नीति की नींव हैं। इसमें न केवल निर्यात संवर्धन के लिए अपितु व्यापार के संपूर्ण ईको सिस्टम में वृद्धि के लिए भी परिकल्पित बाजार एवं उत्पाद रणनीति तथा अपेक्षित उपायों का वर्णन किया गया है। यह विदेश व्यापार के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर पहला व्यापक विवरण है। विदेश व्यापार के निष्पादन में सुधार के लिए एक विस्तृत रूपरेखा विकसित करना आवश्यक है जो अनेक प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय की संभावना प्रदान करे। एफटीपी विवरण के माध्यम से विदेशी क्षेत्र पर समग्र सोच को व्यक्त किया गया है, इसमें कुछ संरचनात्मक एवं संस्थानिक संस्थानों पर ध्यान देने के लिए सरकारी कार्यनीति का वर्णन किया गया है, जो विदेश व्यापार क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह सरकार व्यापार साझेदारों के साथ व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण करार करेगी तथा भारतीय उद्यमों के लिए बेहतर कार्य करेगी। विदेश व्यापार नीति में 'समग्र सरकार का दृष्टिकोण' अपनाया गया है। एफटीपी ऐसी पहलों का विवरण प्रस्तुत करती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों को शामिल करने के लिए विभाग द्वारा की गई हैं।

3. प्रमुख योजनाएं

(क) निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी)

मंत्रिमंडल ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की माफी (आरओडीटीईपी) नामक एक नई योजना शुरू करने के लिए 13 मार्च 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर शुल्कों एवं करों जैसे कि विद्युत कर तथा परिवहन के लिए प्रयुक्त ईंधन पर वैट, जिनके लिए किसी अन्य मौजूदा तंत्र के तहत छूट नहीं मिल रही है या रिफंड नहीं किया जा रहा है, को निर्यातकों को डिजिटल रूप में रिफंड करने का तंत्र उपलब्ध होगा। अधिसूचित वस्तुओं के लिए योजना का लाभ 1 जनवरी 2021 से उपलब्ध होगा। रिफंड कस्टम के साथ निर्यातक के लेजर खाते में क्रेडिट किया जाएगा तथा आयातित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क के भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

इस संबंध में, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) से एक नई योजना अर्थात आरओडीटीईपी में पारगमन शुरू कर दिया है। जुलाई 2020 में, राजस्व विभाग (डीओआर) ने आरओडीटीईपी योजना के तहत रिफंड की सीलिंग दरों का निर्धारण करने के लिए श्री जी के पिल्लई की अध्यक्षता में एक आरओडीटीईपी समिति का गठन किया था। वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग क्रमशः योजना के दिशानिर्देशों तथा कार्यान्वयन के तौर तरीकों को अधिसूचित करने पर एक दूसरे के परामर्श से काम कर रहे हैं।

(ख) भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस) तथा भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)

विदेश व्यापार नीति 2015–20 के तहत अधिसूचित सेवाओं के निर्यात के लिए भारत से पण्य निर्यात स्कीम (एमईआईएस) तथा भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) शुरू की गई। एमईआईएस स्कीम निर्यात के वसूले गए एफओबी मूल्य के 2, 3 और 5 प्रतिशत की दर से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की दृष्टि से निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये स्क्रिप बाजार में मुक्त रूप से हस्तांतरणीय / बिक्री योग्य हैं तथा सीमा शुल्क सहित कतिपय केन्द्रीय शुल्कों / करों के भुगतान के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। 1 अप्रैल 2015 को लागू होने के समय एम ई आई एस के तहत 8 डिजिट पर 4914 टैरिफ लाइनें शामिल थीं। इसके बाद 29 अक्टूबर 2015 को इस योजना के तहत 110 नई टैरिफ लाइनें शामिल की गई हैं। शुरू में एमईआईएस के तहत देशों के विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग दरों के साथ कुल टैरिफ लाइनों में से 2787 लाइनों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध थे, जब निर्यात विशिष्ट देशों को किए जाते थे। बाद में 4 मई 2016 से दरों में इस देश / गंतव्य विशिष्ट अंतर को समाप्त कर दिया गया तथा उसी एकल दर के साथ एमईआईएस के लिए किसी भी देश को निर्यातित उत्पाद को पात्र बनाया गया। निर्यात बास्केट में विविधता लाने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2016 को 2901 और टैरिफ लाइनों के लिए एमईआईएस के प्रोत्साहन प्रदान किए गए। इसलिए 2015–2016 से 2016–17 तक एमईआईएस के तहत शामिल लाइनों की संख्या लगभग 5000 से बढ़कर 8000 प्लस हो गई। दिसंबर 2017 में विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा के दौरान एमईआईएस के तहत लगभग 2250 श्रम सघन / एमएसएमई मदों के लिए दरों में अतिरिक्त 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई। ये उच्च दरें 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2019 तक किए गए निर्यात के लिए उपलब्ध थीं। 2019–20 में, केन्द्रीय एवं राज्य करों एवं लेवी से रिबेट की योजना (आरओएससीटीएल) के तहत शामिल मदों [अर्थात वस्त्र के परिधान एवं मेडअप क्षेत्र] को एमईआईएस से बाहर किए जाने के बाद कवरेज में कटौती हुई। 31 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार एमईआईएस के तहत पात्र एचएस लाइनें लगभग 7400 प्लस थीं। एमईआईएस योजना 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने के लिए अधिसूचित की गई है।

विदेश व्यापार नीति 2009–14 में भारत से सेवा स्कीम (एसएफआईएस) को प्रतिस्थापित करके विदेश व्यापार नीति (2015–20) में 79 सेवा श्रेणियों के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) शुरू की गई। एसईआईएस स्कीम सेवा निर्यातक द्वारा अर्जित निवल विदेशी मुद्रा के 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत पर हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में इनाम की पेशकश करती है। विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा के दौरान सभी सेवा श्रेणियों के लिए दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

निम्नलिखित सारणी 2018–19, 2019–20 और अप्रैल – अक्टूबर 2020 के दौरान स्क्रिप जारी करने का विवरण दर्शाती है :

(मूल्य करोड़ रुपए में)

निर्यात संवर्धन स्कीमें		2018–19	2019–20	अप्रैल–अक्तूबर 2020
भारत पण्य वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	2,98,350	2,88,023	99,295
	स्क्रिप का मूल्य	39,298	39,046	13,340
	निर्यात का एफबोबी मूल्य	12,46,772	12,02,958	4,47,104
भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	6,376	8,280	4,122
	स्क्रिप का मूल्य	4,263	7,114	3,288
	सकल आय	13,72,212	27,64,377	7,63,415

(ग) पिछली विदेश व्यापार नीतियों की निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत स्क्रिप का निर्गम

स्क्रिप विभिन्न स्कीमों जैसे कि (i) फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस), (ii) फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस), (iii) विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (iv) वृद्धिमूलक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (आईईआईएस), (v) भारत से सेवित योजना (एसएफआईएस) और (vi) स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) के तहत भी जारी की जाती थी। निम्नलिखित सारणी में 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल – अक्टूबर 2020 –21 के दौरान स्क्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप का ब्यौरा दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रुपए में)

निर्यात संवर्धन स्कीमें		2018–19	2019–20	अप्रैल–अक्तूबर 2020
फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)	स्क्रिप की संख्या	917	319	27
	स्क्रिप का मूल्य	89	44	4
	निर्यात का एफओबी मूल्य	2,672	1400	106
फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस)	स्क्रिप की संख्या	2,910	674	79
	स्क्रिप का मूल्स	369	70	10
	निर्यात का एफओबी मूल्य	18,004	3172	422
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)	स्क्रिप की संख्या	123	32	1
	स्क्रिप का मूल्स	4	2	0
	निर्यात का एफओबी मूल्य	99	34	1
भारत से सेवित योजना (एसएफआईएस)	स्क्रिप की संख्या	259	36	5
	स्क्रिप का मूल्स	194	20	14
हितधारक प्रोत्साहन स्क्रिप (सीएचआईएस)	स्क्रिप की संख्या	20	14	15
	स्क्रिप का मूल्स	22	5	13
वृद्धिपरक निर्यात प्रोत्साहन योजना (आईईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	189	70	9
		66	12	3

चित्र 1 : 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप की संख्या

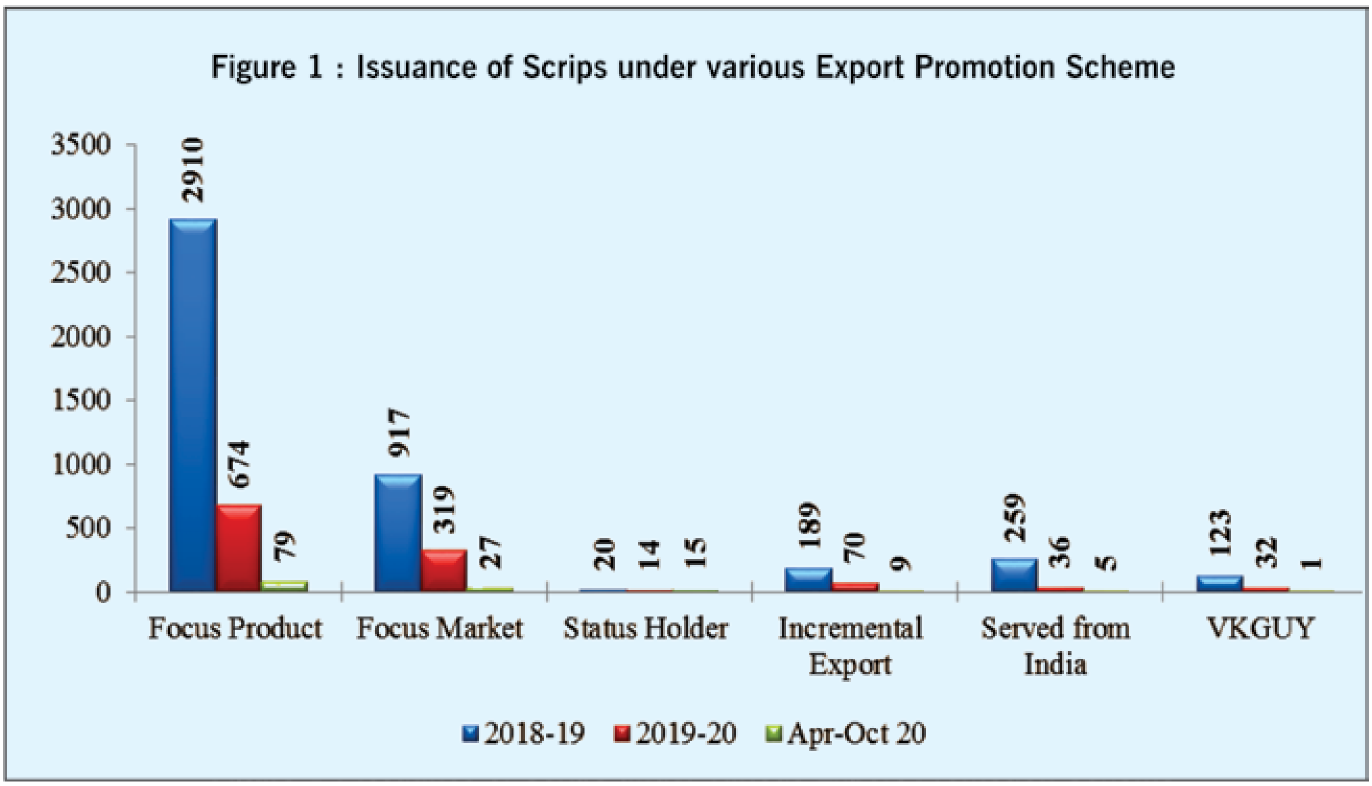

चित्र 2 : 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप का मूल्य

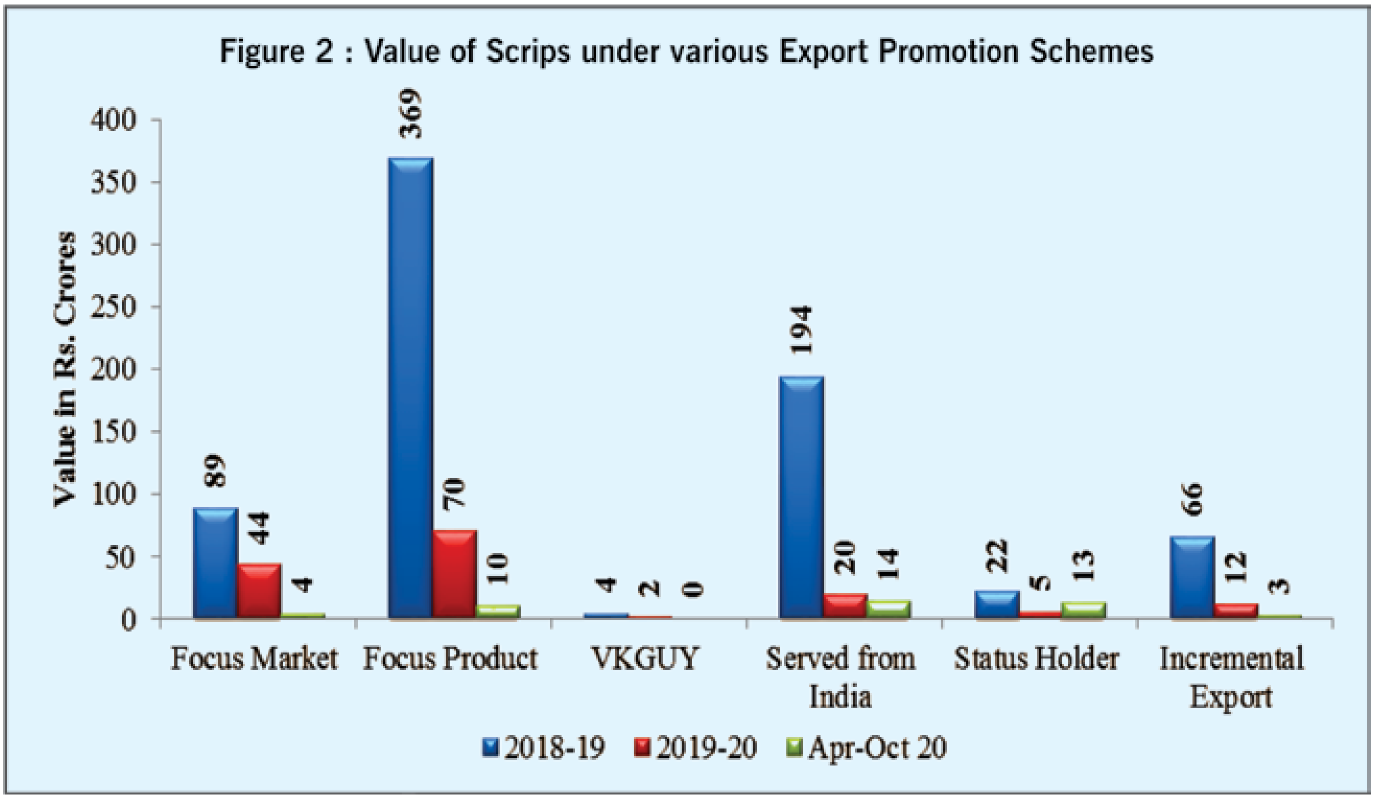

चित्र 3 : 2017–18, 2018–19 तथा अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात का एफओबी मूल्य

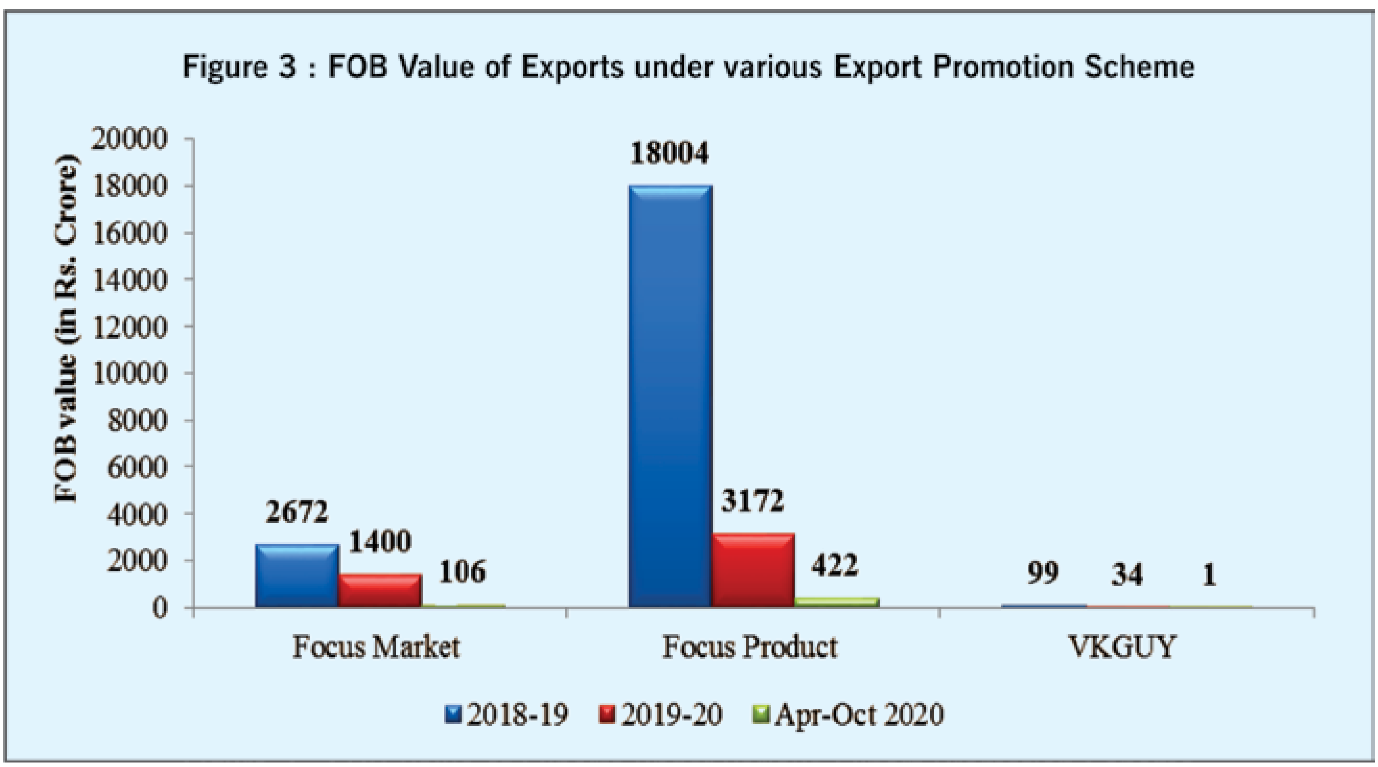

(घ) शुल्क माफी की स्कीमों

शुल्क निष्प्रभावन/ माफी की स्कीमें सरकार के इस सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं कि ''सामानों और सेवाओं का निर्यात किया जाना है न कि करों और उगाहियों का''। इसका प्रयोजन यह है कि इनपुट्स के शुल्क–मुक्त आयात/प्रापण की अनुमति दी जाए अथवा या तो प्रयुक्त इनपुट्स के लिए या प्रयुक्त इनपुट्स पर शुल्क संघटक के लिए पुनःपूर्ति की अनुमति दी जाए। इन योजनाओं का संक्षिप्त नीचे दिया गया हैः

(i) अग्रिम प्राधिकार (एए) स्कीम

अग्रिम प्राधिकार (एए) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के तहत डब्ल्यूटीओ अनुपालक ड्यूटी छूट स्कीम है। एए स्कीम इनपुट के ड्यूटी फ्री आयात को अनुमत करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो निर्यात उत्पाद के निर्माण में भौतिक रूप से शामिल या प्रयुक्त किए जाते हैं। एए योजना के तहत इनपुट पर सभी आयात शुल्क जैसे कि बुनियादी सीमा शुल्क, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), उपकर, पाटनरोधी शुल्क आदि से सीधी छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, एए स्कीम के तहत सीधे आयात के स्थान पर इनपुट की स्थानीय स्तर पर खरीद अनुमत है जिसमें इनपुट की आपूर्ति के लिए आईजीएसटी वापस की जाती है। इनपुट की अपेक्षित मात्रा की गणना मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) के आधार पर की जाती है। एए योजना का प्रयोग वहां किया जाता है जहां आवेदक सामान्यतया पहले आयात करता है और फिर निर्यात के लिए आयातित इनपुट का प्रयोग करता है। प्राधिकार धारक पुनः प्राप्ति के आधार पर भी इनपुट का आयात कर सकते हैं।

एए स्कीम व्यापार हितैषी है क्योंकि यह निर्यातक को इनपुट के आयात के समय सीमा शुल्क तथा आईजीएसटी के भुगतान से अग्रिम छूट प्रदान करती है। इस प्रकार यह कार्यकारी पूंजी के अवरुद्ध न होने का सुनिश्चय करती है।

(क) पात्रता एवं शर्तें

सहायक विनिर्माताओं के साथ अनुबंधित सभी विनिर्माता निर्यातक और मर्चेंट निर्यातक एए योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। एए की वैधता के अंदर इनपुट का आयात करना होता है, जो सामान्यतया एए के निर्गम की तारीख से 12 माह है। निर्यात सामान्यतया एए के निर्गम की तारीख से 18 माह के अंदर पूरा करना होता है। इस योजना के तहत 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन (जीएंडजे क्षेत्र के लिए कम) को बनाए रखना होता है।

डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को एए के मोचन के लिए निर्यात के पूरा होने के बाद विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान के प्रमाण के साथ निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) निर्यात प्रतिबद्धता निर्वहन प्रमाण पत्र (ईओडीसी) जारी करता है।

(ख) आवेदन प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी का प्रयोग

एए के लिए आवेदन आनलाइन किया जाता है। अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान भी आनलाइन किया जाता है। प्राधिकार के लिए आवेदन दायर करने पर किसी प्राधिकार की प्रतीक्षा किए बगैर आवेदक सीधे निर्यात शुरू कर सकता है। सामान्यतया पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से तीन कार्य दिवस के अंदर एए जारी किया जाता है। दस्तावेजों में कमी होने की स्थिति में अपेक्षित समय अधिक हो सकता है।

इसके अलावा अप्रैल 2019 में सभी एए पेपरलेस मोड में आनलाइन जारी किए जाते हैं तथा निर्यातक डीजीएफटी के कार्यालय में भौतिक रूप से गए बगैर अपने स्वयं के डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रिंट ले सकते हैं।

(ii) ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार (डीएफआईए)

1 मई, 2006 से ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार योजना के तहत ऐसे उत्पादों के लिए निर्यात पश्चात आधार पर ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार जारी किए जाते हैं जिनके लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अधिसूचित किए गए हैं, जब निर्यात पूरा हो जाता है। ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निर्यात के पूरा हो जाने के बाद एसआईओएन के अनुसार प्राधिकार या आयातित इनपुट्स के अंतरण को सुगम बनाना है। डीएफआईए योजना के उपबंध एए योजना के सदृश हैं। इस योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि अपेक्षित है। जिन मदों के लिए परिशिष्ट में अग्रिम प्राधिकार के तहत अधिक मूल्य वृद्धि निर्धारित की गई है, उनके लिए भी वही मूल्य वृद्धि लागू है जो ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार के लिए लागू है। विदेश व्यापार नीति 2015–20 में निर्यात पूर्व ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार को बंद कर दिया गया है।

(iii) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए स्कीमें

हमारे कुल वस्तु निर्यात में रत्न एवं आभूषण के निर्यात का हिस्सा बहुत बड़ा है। यह एक रोजगार उन्मुख क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से इस क्षेत्र से होने वाले निर्यातों में काफी गिरावट आई है।

नामित एजेंसियों से या तो अग्रिम में या पुनःपूर्ति के रूप में बहुमूल्य धातु (सोना / चांदी / प्लेटिनम) के ड्यूटी मुक्त आयात/प्रापण की अनुमति दी गई है। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार योजना रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए लागू योजनाएं इस प्रकार हैं :

- नामित एजेंसियों से बहुमूल्य धातुओं का अग्रिम प्रापण भराई
- रत्नों के लिए भराई प्राधिकार
- उपभोज्य वस्तुओं के लिए भराई प्राधिकार
- बहुमूल्य धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार

उद्योग द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए पोस्ट, पुश बैक, लॉक जैसे निष्कर्षों जो 3 कैरट तथा अधिक परंतु अधिकतम 22 कैरट के गोल्ड वाले आभूषण के नगों को एकसाथ मिलाने में मदद करते हैं, को भी ड्यूटी मुक्त योजना के तहत अनुमत किया गया है। इसके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से गोल्ड मिडेलियन एवं क्वॉयन के निर्यात के लिए बहुमूल्य धातुओं के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार को बंद कर दिया गया है।

(iv) शुल्क माफी की स्कीमों के तहत प्राधिकार जारी किया जाना

विभिन्न योजनाओं अर्थात अग्रिम प्राधिकार, ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार (डीएफआईए) तथा पुनर्पूर्ति लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण) के तहत प्राधिकार जारी किए जाते हैं। 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या, आयातों के सीआईएफ मूल्य तथा निर्यातों के एफओबी मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रुपए में)

शुल्क माफी की स्कीमें		2018–19	2019–20	अप्रैल–अक्तूबर 2020
अग्रिम प्राधिकार	प्राधिकारों की संख्या	23,042	22,113	11,413
	आयात का सीआईएफ मूल्य	2,05,060	1,67,567	1,04,057
	निर्यात का एफओबी मूल्य	3,78,808	3,19,346	1,97,227
ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार (डीएफआईए)	प्राधिकारों की संख्या	1,321	1,718	846
	आयात का सीआईएफ मूल्य	3,253	3,071	1,603
	निर्यात का एफओबी मूल्य	5,183	5,158	2,332
पुनःपूर्ति लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण)	प्राधिकारों की संख्या	103	120	11
	आयात का सीआईएफ मूल्य	77	117	12
	निर्यात का एफओबी मूल्य	1,001	930	233

चित्र 4 : 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या

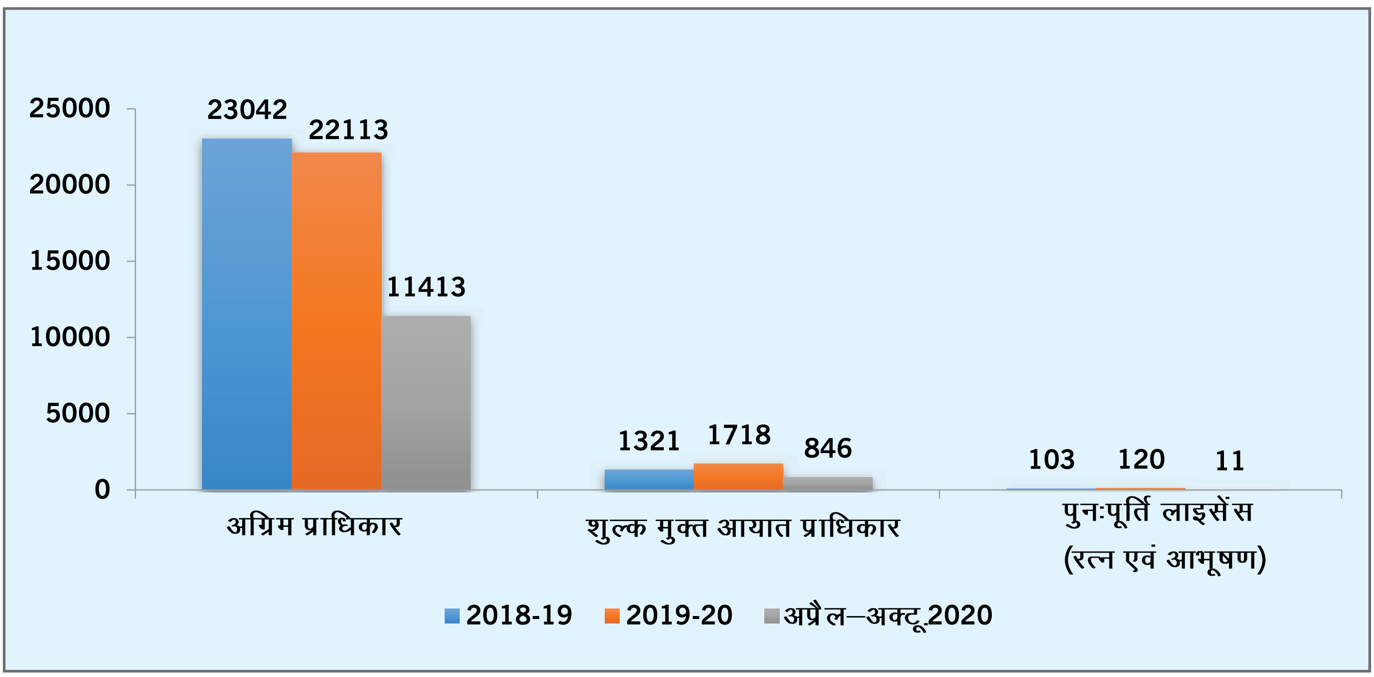

चित्र 5 : 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात का सीआईएफ मूल्य 2020

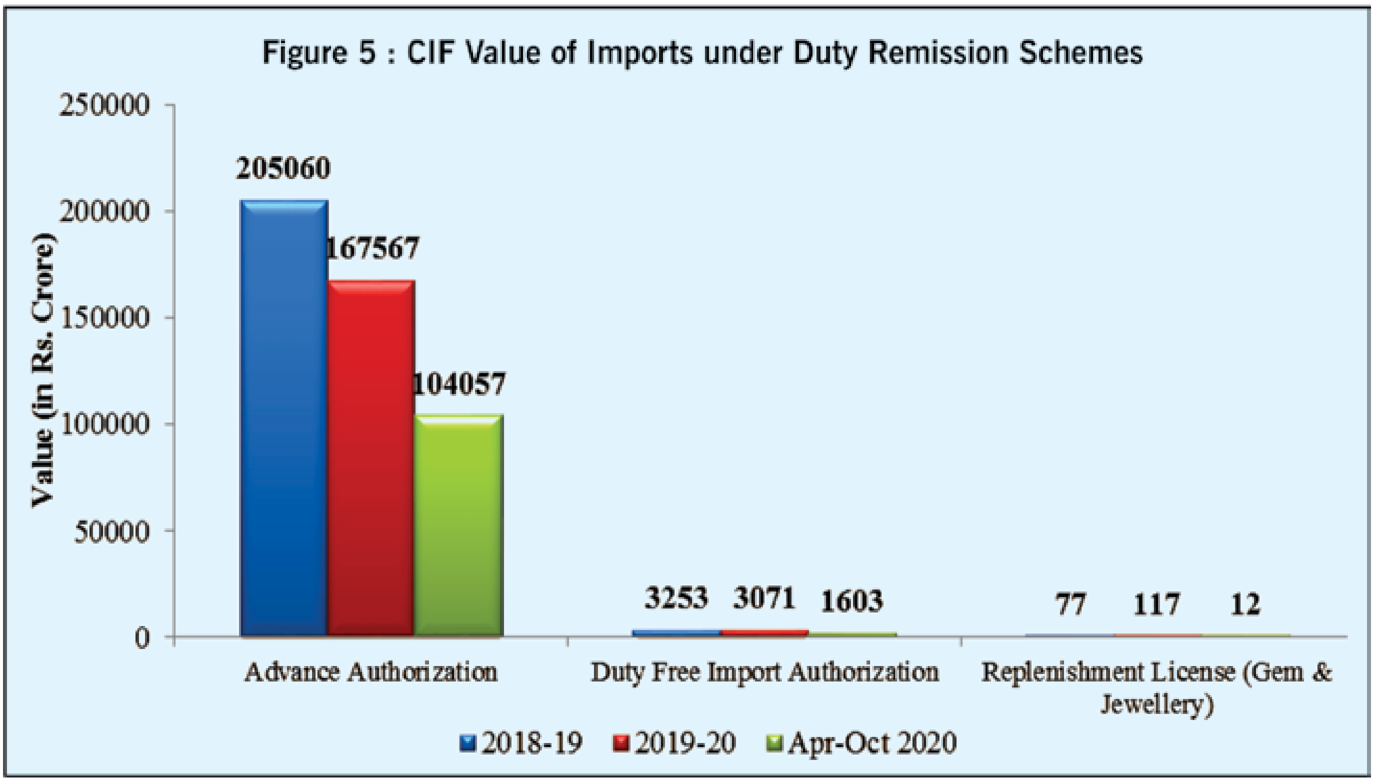

चित्र 6 : 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात का एफओबी मूल्य

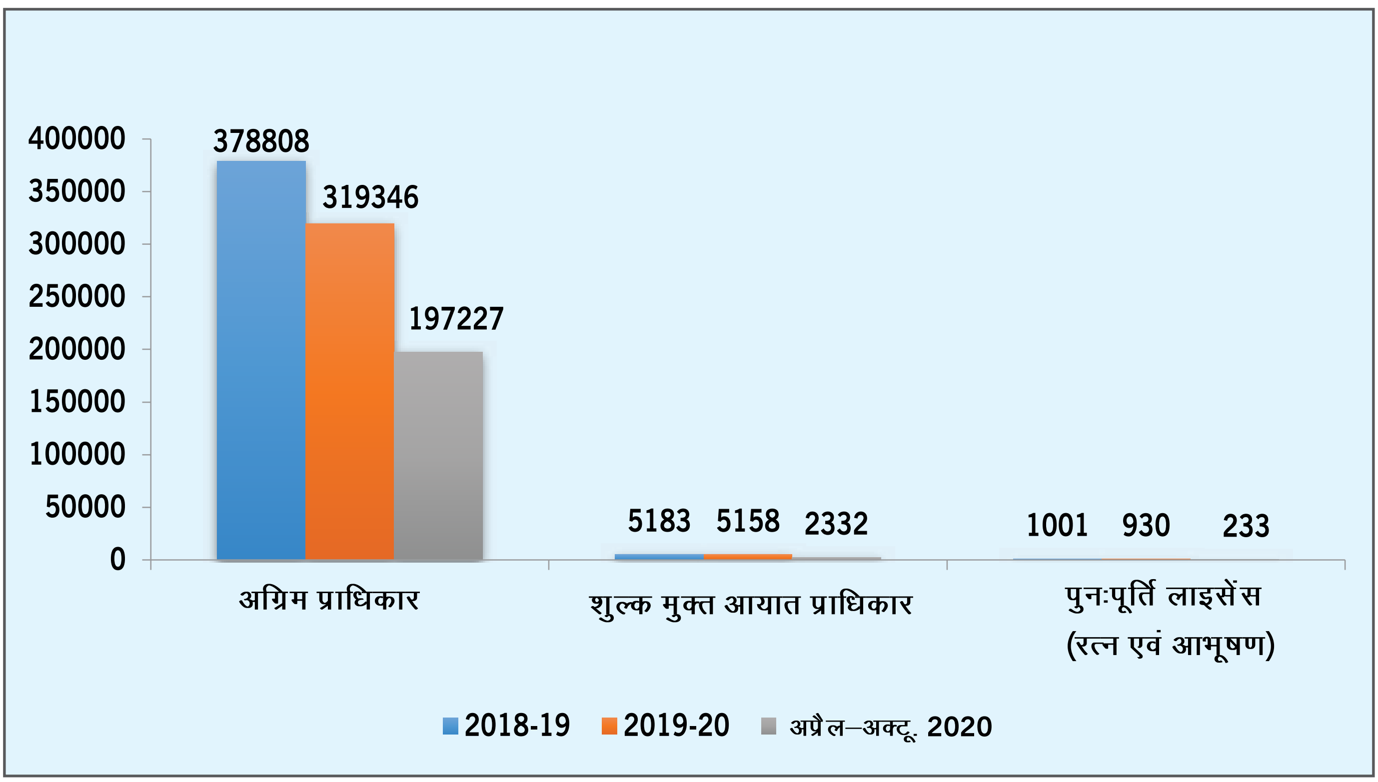

चित्र 7 : अप्रैल – अक्टूबर 2020 के दौरान जारी किए गए स्क्रिप की कुल संख्या में विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के शेयर का प्रतिशत। अप्रैल – अक्टूबर 2020 के दौरान एमईआईएस के तहत 64.95 प्रतिशत स्क्रिप का उच्चतर शेयर जारी किया गया जिसके बाद आरओएससीटीएल स्कीम (21.20 प्रतिशत) का स्थान है।

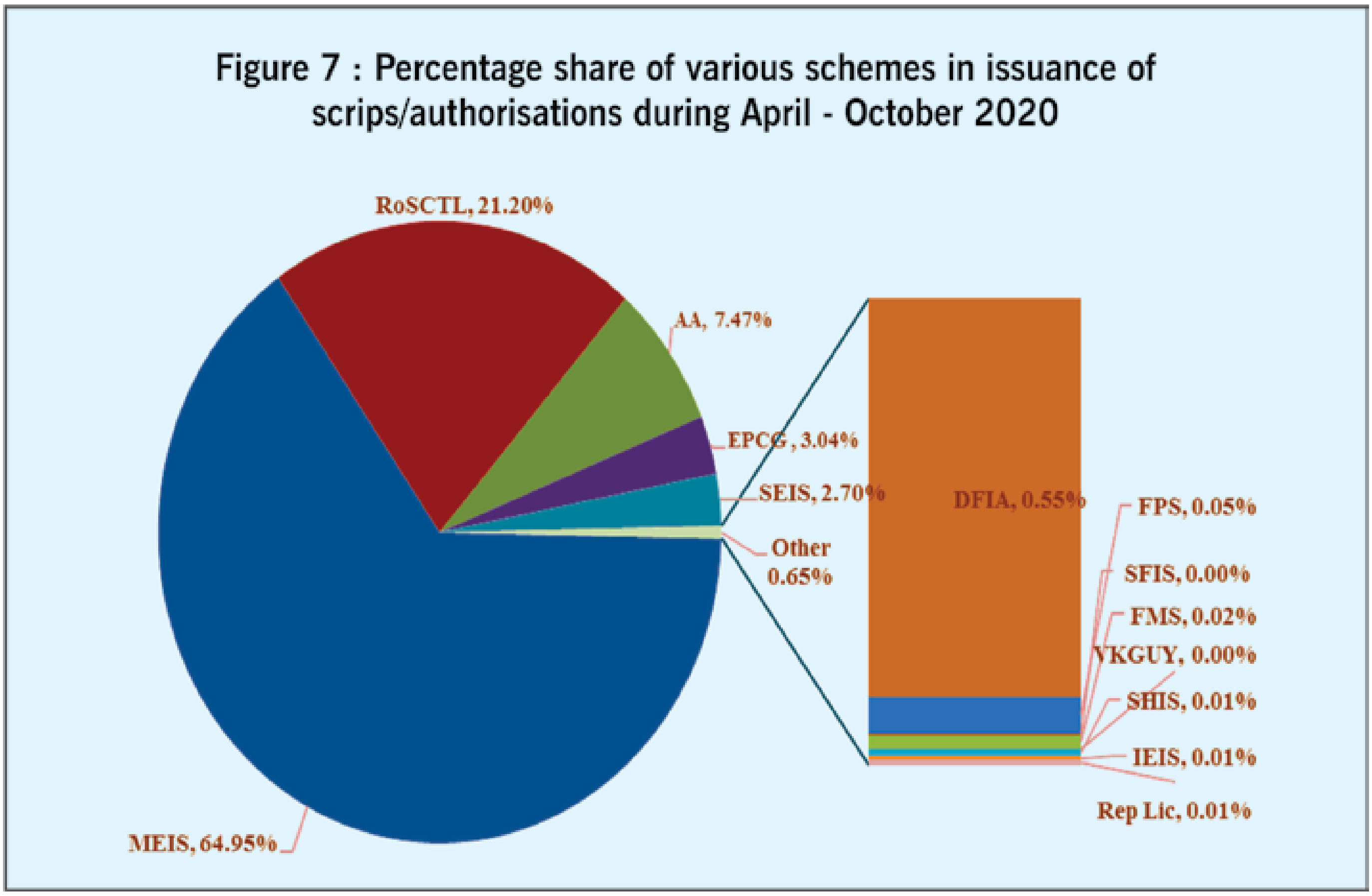

(ङ.) पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) स्कीम

पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) स्कीम का उद्देश्य भारत की निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए कोटिपरक माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजी माल के आयात को सुगम बनाना है। पूंजी माल निर्यात संवर्धन योजना कुछ वस्तुओं को छोड़कर शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए पूंजी माल के आयात को अनुमति प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग या निर्यात उत्कृष्टता के किसी कस्बे में राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ या बगैर किसी विनिर्माता निर्यातक, सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ अनुबंधित मर्चेंट निर्यातकों तथा नामित / प्रमाणित सामान्य सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) को ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया जाता है।

पूंजीगत माल के आयात पर शुल्कों, करों और उपकर की बचत के 6 गुना के समतुल्य ईओ के अधीन ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया जाता है, जिसे प्राधिकार जारी करने की तारीख से 6 वर्ष में पूरा करना होता है। इस योजना में कतिपय विनिर्दिष्ट सेक्टरों/उत्पादों के सिवाय समग्र निर्यात बाध्यता अवधि, जिसमें विस्तारित अवधि भी शामिल है, के भीतर उसी और सदृश उत्पादों के लिए पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातक द्वारा हासिल किए गए निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखना भी अपेक्षित है। ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में विनिर्दिष्ट ईओ सामान्य ईओ का 75 प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित इकाईयों के लिए विनिर्दिष्ट ईओ, ईओ का 25 प्रतिशत होगा। प्राधिकार जारी होने की तारीख से 24 माह की अवधि के लिए प्राधिकार वैध है और पूंजी माल का आयात ईओ के पूर्ण होने तक वास्तविक प्रयोग की शर्त के अधीन है। ई पी सी जी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) ऐसे निर्यातकों के लिए उपलब्ध होगी जो लागू ड्यूटियों के पूर्ण भुगतान पर पूंजी माल के आयात का इरादा रखते हैं और इस योजना के विकल्प का वरण करते हैं। पूंजी माल पर प्रदत्त बुनियादी सीमा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप से माफ हो जाता है और विशिष्ट ईओ ईपीसीजी स्कीम के तहत लागू विशिष्ट ईओ का 85 प्रतिशत है।

ईपीसीजी प्राधिकारों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रुपए में)

पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत जारी किए गए प्राधिकार			
वर्ष	**2018–19**	**2019–20**	**अप्रैल–अक्तूबर 2020**
प्राधिकारों की संख्या	13,175	11,535	4,646
ड्यूटी के रूप में बचाई गई राशि	15,902	14,329	5,380
निर्यात का एफओबी मूल्य	96,257	84,357	30,012

निम्नलिखित सारणी में 2018–19, 2019–20 तथा अप्रैल – अक्टूबर 2020 के दौरान बचाए गए कर की राशि और निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकार की संख्या दी गई है :

Figure 8 : Issuance of Authorisation under Export promotion Capital Goods Schemes

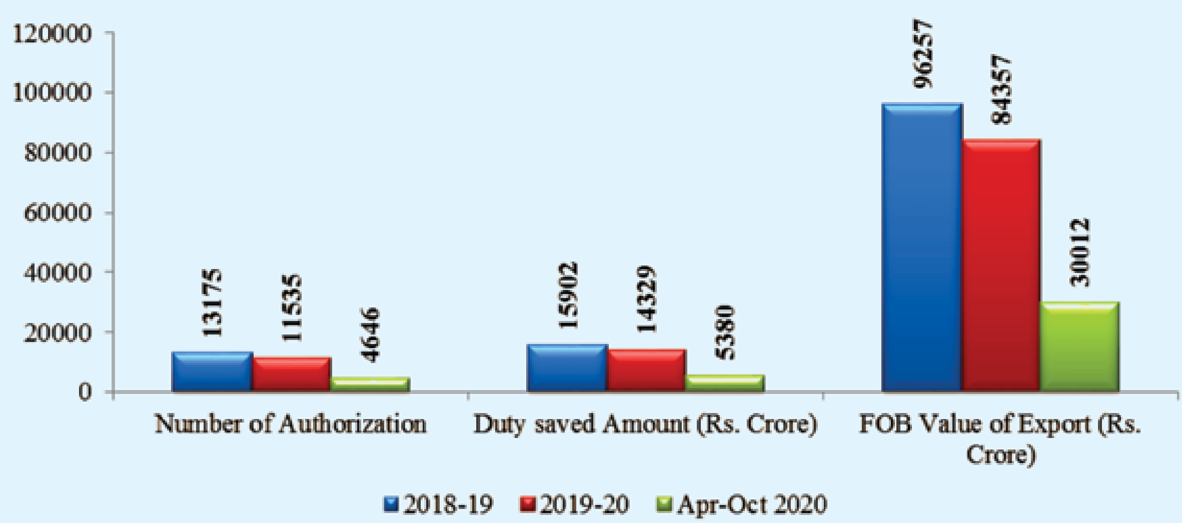

(च) लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम (आईईएस)

लदान पूर्व एवं रुपए निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समकरण स्कीम (आईईएस) आरबीआई के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई और 5 साल की अवधि के लिए थी। इस योजना के तहत चिह्नित 416 चार डिजिट टैरिफ लाइन में निर्यातों के लिए पात्र निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज समानीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विनिर्माता निर्यातक तथा उनके सभी वस्तु निर्यात में सभी एमएसएमई निर्यातक शामिल हैं। इस प्रकार बैंक लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट के रूप में पात्र निर्यातकों को ऋण प्रदान करते हैं तथा ब्याज समकरण स्कीम के तहत शामिल निर्यातकों के संबंध में ब्याज की दर में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती की गई है।

एमएसएमई से घटिया निर्यात निष्पादन तथा एमएसएमई पैकेज के अंग के रूप में प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्राप्त करने में उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई निर्यातकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और इसके लिए ब्याज समकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाएगी। तद्नुसार 12 नवंबर 2018 से लदान पूर्व एवं लदान पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर चल रही ब्याज समकरण स्कीम (आईईएस) के तहत एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात के लिए ब्याज समकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई है।

इसके अलावा, मर्चेंट निर्यातकों को शामिल करने के लिए निर्यातक समुदाय की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए 2 जनवरी 2019 से मर्चेंट निर्यातकों को भी शामिल किया गया है तथा उनको योजना के तहत चिह्नित 416 टैरिफ लाइनों के अंतर्गत शामिल उत्पादों के निर्यात के लिए ऐसे क्रेडिट पर 3 प्रतिशत की ब्याज समानीकरण दर अनुमत की गई है।

यह स्कीम निर्यातकों में लोकप्रिय हो गई है। पिछले साल आईआईएम

काशीपुर द्वारा इस स्कीम का प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार टिप्पणी की है :

''इस अध्ययन ने पाया है कि ब्याज समकरण योजना ने भारत के निर्यात निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस स्कीम तहत लाभ पाने के लिए पात्र अधिकांश क्षेत्रों ने अपने औसत निर्यात राजस्व में वृद्धि का अनुभव किया है। अतिरिक्त विश्लेषण इस योजना के लाभप्रद पहलुओं के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है। बैंक के अधिकारियों एवं निर्यातकों के साथ निजी साक्षात्कारों ने भी इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। इस स्कीम ने लाभान्वित क्षेत्रों से निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम कीमतें प्रभावित करने तथा प्रतिस्पर्धी बने रहने में समर्थ बनाया है।''

समान कार्यक्षेत्र एवं कवरेज के साथ स्कीम की अवधि एक साल के लिए 1 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई।

(छ) निर्यातोन्मुख इकाईयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और जैव–प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)

इन स्कीमों का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करना और निर्यात उत्पादन एवं रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करना है। स्कीमों के तहत माल एवं सेवा के अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करने वाली यूनिटें (डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) स्थापित की जा सकती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत ट्रेडिंग इकाईयां नहीं कवर की गई हैं। इस स्कीम के तहत निर्यात उन्मुख यूनिटों आदि को कस्टम टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के तहत प्रावधान के अनुसार सीमा शुल्क तथा धारा 3 (1), 3 (3) और 3 (5) के तहत लगाई जाने वाली किसी अतिरिक्त ड्यूटी, यदि कोई हो, के भुगतान के बगैर तथा राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 (7) और 3 (9) के तहत लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर, समेकित कर एवं जीएसटी के भुगतान के बगैर डीटीए या डीटीए में बांडेड वेयरहाउस से या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से 31 मार्च 2021 तक आयात और/या प्रापण करने की अनुमति है। इसके अलावा डीटीए से जीएसटी माल का प्रापण लागू जीएसटी तथा क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर होगा। निर्यात उन्मुख यूनिटें लागू उत्पाद शुल्क के भुगतान के बगैर डीटीए से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की चौथी अनुसूची में शामिल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का भी प्रापण कर सकते हैं। डीटीए से निर्यात उन्मुख यूनिटें को आपूर्ति के लिए जीएसटी कर का रिफंड आपूर्तिकर्ता को जीएसटी नियमावली तथा इसके तहत जारी की गई अधिसूचनाओं के तहत प्रावधान के अनुसार उपलब्ध होगा। निर्यात के लिए विनिर्माण में प्रयोग हेतु डीटीए से ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों को आपूर्तियां 'विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत लाभ' के लिए पात्र हैं। डीटीए आपूर्तिकर्ता पर निर्यात बाध्यता, यदि कोई हो, के निर्वहन के अलावा आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत संगत हकदारियों के लिए पात्र हैं। ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटें निम्नलिखित के लिए हकदार हैं :

- भारत में निर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति; सीएसटी के रिफंड में भुगतान पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा यदि पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मामले का निस्तारण नहीं किया जाता है; और
- भारत में निर्मित ऐसे माल पर डीटीए से प्रापण होने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आने वाले माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।
- योजना के तहत सीएसटी / डीबीके के रिफंड के लिए एसईजेड / ईओयू के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अब तक एसईजेड / ईओयू द्वारा 34.86 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(ज) मानद निर्यात

विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 7.02 में विनिर्दिष्ट कुछ श्रेणी के माल की आपूर्ति को मानद निर्यात माना जाता है, यदि माल का निर्माण भारत में होता है। मानद निर्यात स्कीम के तहत, विदेश व्यापार नीति में प्रावधान के अनुसार विनिर्मित तथा मानद निर्यात की निर्दिष्ट श्रेणियों को आपूरित माल पर ड्यूटी से छूट / रिफंड का प्रावधान किया गया है ताकि घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके। योजना के तहत लाभों में शामिल हैं :

- **ड्यूटी से छूट :** विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए ड्यूटी के बगैर इनपुट का प्रावधान
- **टीईडी रिफंड :** टर्मिनल उत्पाद शुल्क का रिफंड
- **ड्यूटी ड्राबैक का रिफंड :** माल के निर्माण एवं आपूर्ति में प्रयुक्त इनपुट पर वहन की गई ड्यूटी का डीम्ड एक्सपोर्ट की निर्दिष्ट श्रेणियों को रिफंड जीएसटी व्यवस्था के तहत ड्यूटी ड्राबैक आपूर्ति की मदों के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर वहन की गई बुनियादी कस्टम ड्यूटी से छूट / रिफंड तक सीमित है; अग्रिम प्राधिकार भी केवल बीसीडी से छूट तक सीमित है। टीईडी रिफंड केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की अनुसूची 4 के तहत शामिल पात्र मदों तक सीमित है, यदि कोई छूट नहीं है।

आपूर्ति किए जाने के बाद डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों को

प्रस्तुत किए गए दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। स्कीम के तहत ड्यूटी ड्राबैक तथा टर्मिनल उत्पाद शुल्क के रिफंड में विलंब पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय है, यदि आरए द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दावे का निस्तारण नहीं किया जाता है।

स्कीम के तहत टीईडी / डीबीके की प्रतिपूर्ति / रिफंड के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए डीजीएफटी को 450 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।डीजीएफटी के तहत काम करने वाले आरए द्व ारा 359ण्97 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(झ) निर्दिष्ट कृषि उत्पाद स्कीम के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता स्कीम (टीएमए) :

अधिसूचना संख्या 17/3/2018–ईपी (एग्री 4) दिनांक 27 फरवरी 2019 के माध्यम से वाणिज्य विभाग ने निर्दिष्ट कृषि, समुद्री एवं बागान उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में धन के सीधे अंतरण के माध्यम से हवाई या समुद्री मार्ग से निर्यात के लिए नियत दर पर परिवहन सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 58/2015–20 दिनांक 29 मार्च 2019 के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 (ए) में शामिल की गई है। सार्वजनिक नोटिस संख्या 82/2015–20 दिनांक 29 मार्च 2019 के माध्यम से इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए प्रक्रियाएं अधिसूचित की गई हैं। यह स्कीम 1 मार्च 2019 से 31 मार्च 2021 तक लागू है।

निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए योजना के तहत 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।अब तक 76 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए और धन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ञ) निर्यात बंधु स्कीम

डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) द्वारा विभिन्न स्थानों पर नए उद्यमियों, उद्योग संघों, विश्वविद्यालयों / प्रबंध संस्थानों के साथ निर्यात बंधु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2021–21 में डीजीएफटी के आरए द्वारा आयोजित किए जा रहे 57 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा डीजीएफटी ने निर्यातकों एवं आयातकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक आनलाइन सामग्री के सृजन के रूप में प्रशिक्षण के आनलाइन मोड पर अधिक बल दिया है। इस संबंध में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के समन्वय में डीजीएफटी वित्त वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन कर रहा है :

- निर्यात बंधु व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) कार्यक्रम के तहत 10 आनलाइन प्रशिक्षण वीडियो
- 2–2 घंटे के 24 लाइव लेक्चर / वेबीनार
- पूर्व में सृजित प्रशिक्षण सामग्री को हिंदी में प्रदान करना

(ट) निर्यात से संबंधित मामले

(i) निर्यात प्राधिकार

निर्यात प्रकोष्ठ मुक्त / प्रतिबंधित या निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत निर्यात एवं आयात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के तहत विभिन्न मदों की निर्यात नीति से संबंधित काम देखता है। वाणिज्य विभाग के संबंधित वस्तु प्रभागों तथा संबंधित मंत्रालय / विभाग के परामर्श से विभिन्न मदों की निर्यात नीति की समय समय पर समीक्षा की जाती है तथा अधिसूचित की जाती है। निर्यात प्रकोष्ठ मदों की निर्यात नीति पर स्पष्टीकरण / व्याख्या प्रदान करता है, जब भी संबंधित व्यक्तियों / फर्मों / कंपनियों या मंत्रालय / विभाग / संगठन द्वारा इसकी मांग की जाती है। निर्यात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत मदों का निर्यात लाइसेंस के अधीन है।

प्रतिबंधित मदों (स्कोमेट की मदों से भिन्न) उदाहरण के लिए मांट्रियल प्रोटोकाल आदि के तहत प्याज के बीज, जिंदा पशु, सीवीड, गैर बासमती चावल, धान (भूसी) सीड क्वालिटी से भिन्न, चारा सामग्री, रसायन के लिए निर्यात प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदनों को निर्यात प्रकोष्ठ में प्रोसेस किया जाता है तथा प्रभारी अपर विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से प्रतिनिधित्व के साथ गठित एग्जिम सुगमता समिति (ईएफसी) द्वारा उन पर विचार किया जाता है। ईएफसी की बैठक सामान्यतया माह में एक बार होती है तथा वाणिज्य विभाग के प्रश्नगत वस्तु प्रभाग एवं संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र / टिप्पणियों के आधार पर मामलों का निर्णय किया जाता है और निर्यात प्राधिकार / लाइसेंस जारी करने के लिए डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों को अनुमति जारी की जाती है।

(ii) निर्यात लाइसेंस निर्गमन (गैर स्कोमेट)

- वर्ष 2019–20 के दौरान 203 आवेदनों के लिए निर्यात अनुमति प्रदान की गई, 34 मामलों को खारिज कर दिया गया / छोड़ दिया गया तथा संबंधित मंत्रालय / विभाग से एनओसी / इनपुट के अभाव में 27 मामलों को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान (26 नवंबर 2020 तक) 333 आवेदन अनुमोदित किए गए और निर्यात अनुमति प्रदान की गई।

(iii) विशेष रसायन, जीवधारी, सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकी (स्कोमेट)

'विशेष केमिकल्स, जीव, सामग्रियां, उपस्कर और प्रौद्योगिकियां (स्कोमेट)' वस्तुएं दोहरे–उपयोग की वस्तुएं हैं जिनमें नागरिक और डब्ल्यूएमडी (जन संहार के अस्त्र) दोनों अनुप्रयोगों की संभावना होती है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात या तो सीमित है, उनके निर्यात के लिए प्राधिकार अपेक्षित है, या प्रतिबंधित है।

स्कोमेट सूची का परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) की सूचियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया जिसकी वजह से जून 2016 में भारत एमटीसीआर का सदस्य बनने में समर्थ हुआ। वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) तथा आस्ट्रेलिया समूह (एजी) की नियंत्रण सूचियों तथा अधिसूचना संख्या 05/2015–20 दिनांक 24 अप्रैल 2017 के जरिए अधिसूचित (1 मई 2017 से प्रभावी) के माध्यम से अधिसूचित व्यापक सूची के साथ निर्यात नियंत्रण सूची का सामंजस्य स्थापित किया गया है। स्कोमेट सूची समय समय पर अपडेट की जाती है और पिछले अपडेट जून 2020 में किए गए (अधिसूचना संख्या 10 दिनांक 11 जून 2020), जो 10 जुलाई 2020 से लागू हुई। इस अधिसूचना के माध्यम से एससीओएमईटी मदों की अद्यतन निर्यात नियंत्रण सूची को अनुसूची 2 के विद्यमान परिशिष्ट 3 से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा स्कोमेट की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

स्कोमेट वस्तुओं से संबंधित निर्यात नीति विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 2.09 में दी गई है तथा नीति को लागू करने की प्रक्रिया प्रोसीजर हैंडबुक के पैरा 2.73 से 2.82 में विहित की गई है। ऐसी वस्तुओं की सूची आईटीसी (एचएस) निर्यात एवं आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में दी गई है। ऐसी वस्तुओं की आठ श्रेणियां हैं।

स्कोमेट की वस्तुओं के निर्यात के सभी आवेदनों के साथ–साथ ऑनसाइट सत्यापन के आवेदनों पर प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 2०74 में निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार डीजीएफटी में विदेश व्यापार के अपर महानिदेशक की अध्यक्षता वाले अंतर्मंत्रालयी कार्यबल (आईएमडब्ल्यूजी) द्वारा उनके गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाता है। इसके सदस्यों में अन्यों के अलावा विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, डीआरडीओ, इसरो, आर्थिक कार्य विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग शामिल हैं।

व्यापार तथा 'व्यवसाय करने की सरलता' बढ़ाने के उद्देश्य से डीजीएफटी ने उद्योग के साथ परामर्श करके प्रक्रिया को और सरल बनाया है तथा आयातित माल के रिपीट आर्डर, मरम्मत / प्रतिस्थापन / रिटर्न, दोहरे प्रयोग की वस्तुओं के डेमो / प्रदर्शनी / मरम्मत आदि के लिए अस्थायी निर्यात के लिए नीति निर्धारित की है तथा रिपोटिंग पश्चात आधार पर स्टाक एवं बिक्री के तहत माल के थोक निर्यात को उदार बनाया है। डीजीएफटी ने भारतीय सहायक कंपनी और उसकी मूल विदेशी कंपनी और/या विदेशी मूल कंपनी की सहायक कंपनियों के बीच स्कोमेट की मदों / सॉफ्टवेयर / प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए वैश्विक प्राधिकार (जीएआईसीटी) के लिए नीति / प्रक्रिया भी निर्धारित की है। उद्योग की सहायता के लिए स्कोमेट प्राधिकार को पुनर्वैध करने की शक्तियां अब डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रदान की गई हैं। डीजीएफटी (मुख्यालय) स्कोमेट नीति एवं प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए फोकल बिंदु है।

डीजीएफटी (मुख्यालय) में सभी स्तरों पर उद्योग के साथ नियमित चर्चा के अलावा, विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं उद्योग संघों के सहयोग से पूरे वर्ष क्षेत्र विशिष्ट उद्योग आउटरीच / जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान (31 मार्च 2019 तक) निर्यात की अनुमति के लिए प्राप्त किए गए 604 आवेदनों (जिसमें पिछले वर्ष से अग्रनीत किए गए 53 आस्थगित मामले शामिल हैं) में से 525 आवेदकों को प्राधिकार प्रदान किए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान (30 नवंबर 2020 तक) कुल 433 आवेदनों (इसमें पिछले वर्ष के 53 आस्थगित मामले शामिल हैं) में से 240 आवेदकों को निर्यात प्राधिकार प्रदान किया गया तथा शेष आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। स्कोमेट वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राधिकारों का कुल मूल्य 2019–20 के दौरान 344.5 मिलियन अमरीकी डॉलर और 2020–21 के दौरान (30 नवंबर 2020 तक) 328.6 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ठ) निर्यात के लिए कोविड–19 से संबंधित नीतिगत उपाय

कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियां अभूतपूर्व थीं तथा सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी। डीजीएफटी द्वारा निर्यात में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम शुरू किए गए। इस महामारी से लड़ने के लिए भारत में आवश्यक मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात नीति में नियमित रूप से संशोधन किए गए।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद डीजीएफटी ने कोविड–19 से लड़ने के लिए भारत में इन मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चिकित्सा मदों जैसे कि कवराल सहित निजी संरक्षी उपकरण (पीपीई), सभी प्रकार के मास्क, गोगल्स, ग्लब्स, सभी प्रकार

के वेंटीलेटर, 14 ड्रग एपीआई एवं उनके फार्मुलेशन, डायग्नोस्टिक किट / लैबोरेटरी रीजेंट, सैनिटाइजर, मास्क एवं कवराल के निर्माण के लिए टेक्सटाइल कच्चे माल के निर्यात को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर दिया। इन मदों के उत्पादन में भारी वृद्धि और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध होने के कारण हाल के महीनों में इसमें से अधिकांश प्रतिबंधों / प्रतिषेधों में ढील दी गई है। तथापि, देश में सीमित स्टॉक एवं निरंतर बढ़ती मांग के कारण जिस समय इन मदों पर प्रतिबंध / निषेध लगाया गया, उसके दौरान डीजीएफटी ने विभिन्न देशों की मदद करने के लिए विभिन्न छूटें जारी कीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड–19 से लड़ने के लिए उनको इन चिकित्सा आपूर्तियों को भी उपलब्ध कराया जा सके। भारत सरकार ने इस अवधि दौरान पूरे विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एवं पैरासीटामोल, एन95 मास्क, 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, पीपीई कवराल, पीपीई किट, डायग्नोस्टिक किट / लैबोरेटरी रीगेंट, पीपीई, वेंटीलेटर सहित विभिन्न दवाओं की आपूर्ति की। कोविड–19 से लड़ने में भारत की सहायता के अंग के रूप में इन देशों को इन चिकित्सा मदों की आपूर्ति के लिए निषेधों से विशेष छूट प्रदान की गई।

डीजीएफटी ने कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए लगभग 114 देशों को महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्तियों जैसे कि पीपीई, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटीलेटर, एपीआई एवं ड्रग्स आदि के निर्यात के लिए 250 से अधिक छूटें जारी की। स्वयं संकट के दौर से गुजरने के दौरान भारत द्वारा की गई इन आपूर्तियों से पूरे विश्व के उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।

यह देखा गया कि कोविड–19 महामारी तथा लॉकडाउन लगाए जाने के कारण 2020–21 के दौरान पूरे विश्व में कारोबार की गतिविधि धीमी पड़ गई है। सार्वजनिक सूचना संख्या 67/2015–2020 कदिनांक 31 मार्च 2020 के माध्यम से निर्यातकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एचबीपी 2015–2020 में निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा गया है :

'(ड.) तथापि, पैरा 5.17 (क), (ख) और (ग) के तहत शामिल प्राधिकारों के लिए, यदि निर्यात बाध्यता अवधि 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान समाप्त होती है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी अवधि समाप्त होने की तिथि से अगले 6 माह तक ऐसी अवधि अपने आप आगे बढ़ा दी गई है।'

डीजीएफटी ने सार्वजनिक नोटिस संख्या 01/2015–20 दिनांक 7 अप्रैल 2020 के माध्यम से भी निम्नलिखित नोटिस संख्या के संबंध में 31 मार्च 2031 तक अनुरोध प्राप्त करने की अवधि बढ़ा दी है :

- सार्वजनिक नोटिस संख्या 35/2015–20 दिनांक 25 अक्टूबर 2017 – ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात बाध्यता अवधि में ब्लाकवार विस्तार प्राप्त करने के संबंध में अवधि की एकबारगी माफी
- सार्वजनिक नोटिस संख्या 36/2015–20 दिनांक 25 अक्टूबर 2017 – ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात बाध्यता अवधि में विस्तार प्राप्त करने के संबंध में अवधि की एकबारगी माफी
- सार्वजनिक नोटिस संख्या 37/2015–20 दिनांक 25 अक्टूबर 2017 – ईपीसीजी योजना के तहत इंस्टालेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब की माफी के लिए एकबारगी छूट
- सार्वजनिक नोटिस संख्या 30/2015–20 दिनांक 14 अगस्त 2018 – आरए को किसी जुर्माने के भुगतान के बगैर 31 मार्च 2015 तक जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार के लिए इंस्टालेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में 31 मार्च 2019 तक के विलंब को माफ करने एवं एकबारगी छूट प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है।

व्यापार पर कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से डीजीएफटी द्वारा एए / डीएफआईए योजना के तहत समय पर कदम उठाए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

- एए / ईपीसीजी, ईओयू योजना के अंतर्गत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से 31 मार्च 2021 तक छूट प्रदान की गई है
- अग्रिम प्राधिकार, ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार के लिए वैधता अवधि तथा निर्यात बाध्यता अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाई गई है
- निर्यात बाध्यता पूरी करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है
- समान कार्यक्षेत्र एवं कवरेज के साथ ब्याज समानीकरण योजना की अवधि एक साल के लिए 1 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई।
- अपने सेवा केन्द्रों / वितरकों / डीलरों आदि के माध्यम से स्टील विनिर्माताओं द्वारा स्टील की आपूर्ति पर ड्यूटी ड्राबैक योजना लागू की गई है।

कोविड–19 से संबंधित सामाजिक दूरी के उपायों के कारण क्षेत्रीय प्राधिकरण गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में व्यक्तिगत रूप में नियमित सत्रों के स्थान पर वित्त वर्ष 2020–21 में आनलाइन मोड के माध्यम से निर्यात बंधु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए विवश हो गए।

(ड) आयात से संबंधित मामले

डीजीएफटी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से परामर्श

करके मदों की आयात नीति तैयार करता है तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) को नियमित रूप से अपडेट करता है जो आयात की जाने वाली मदों की आयात नीति तथा नीतिगत शर्तें प्रदान करता है। यह मदों के आयात और निर्यात को सुगम बनाने के लिए प्रावधान भी तैयार करता है तथा उनको अपडेट करता है।

डीजीएफटी का आयात नीति प्रभाग ईयू – जीएसपी योजना के तहत निर्यात के लिए पंजीकृत निर्यातक (आरईएक्स) सिस्टम के तहत निर्यातकों के पंजीकरण के अलावा निर्यातक एवं आयातक कोड, पंजीकरण सह विनिर्माता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी), मुक्त बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित नीतिगत मामले तथा प्रक्रियागत मुद्दे निपटाता है। आयात नीति प्रभाग द्वारा उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए एजेंसियों की सूची तैयार करने तथा मेटलिक अपशिष्ट एवं स्क्रैप के आयात के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लदान पूर्व निरीक्षण एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है।

आयात नीति प्रभाग द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न गैर टैरिफ व्यापार उपाय किए गए हैं। व्यापार में सहायता प्रदान करने के लिए आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची 1 (आयात नीति) के विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत आने वाली मदों की आयात नीति में परिवर्तन किए गए। जिंक ड्रॉस, लाइट नाफ्था, हैवी नाफ्था और एविएशन गैसोलीन की आयात नीति को ''प्रतिबंधित'' से बदलकर ''मुक्त'' किया गया तथा इन मदों के आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त की गई। इसके अलावा, पाम ऑयल, पावर टिलर, न्यूमेटिक टायर तथा कलर टेलीवीजन सेट की आयात नीति को श्मुक्तश से संशोधित करके श्प्रतिबंधितश किया गया। कोटेड पेपर तथा रेफ्रिजरेंट के साथ एयर कंडिशनर के स्टाक लॉट का आयात निषिद्ध किया गया।

खोपरे के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य लगाया गया और कट फ्लावर के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा निम्न स्तर की मदों का आयात कम करने के उद्देश्य से एलईडी उत्पादों का आयात बीआईएस मानक के अधीन है।

आयात नीति प्रभाग तरजीही टैरिफ दर कोटा तथा सबसे मनपसंद राष्ट्र टैरिफ दर कोटा के तहत कोटा आवंटित करने के अलावा श्प्रतिबंधितश मदों के लिए आयात प्राधिकार के लिए अनुमोदन भी प्रदान करता है।

आयात प्राधिकार

- **प्रतिबंधित मद:** आयात प्रकोष्ठ ऐसी वस्तुओं के आयात के आवेदनों पर विचार करता है जो आयात किए जाने के लिए प्रतिबंधित हैं। ऐसी प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए आयात प्राधिकार जारी करने के आवेदन पर विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों से प्रतिनिधित्व वाली निर्यात–आयात सुगमता समिति (ईएफसी) द्वारा विचार किया जाता है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों के तकनीकी इनपुट्स / टिप्पणियों के प्राप्त होने पर मामलों पर निर्णय लिया जाता है। 2020 – 21 के दौरान (नवंबर, 2020 तक) प्राप्त किए गए कुल 887 आवेदनों में से 498 मामलों में आयात की अनुमति प्रदान की गई।
- **तरजीही टैरिफ दर कोटा :** परिशिष्ट 2ए (I) के अनुसार भारत – श्रीलंका मुक्त व्यापार करार / नेपाल के तहत काली मिर्च, वनस्पति / बेकरी शार्टेनिंग एवं मार्गरीन तथा खोपरे का आयात अनुमत है। भारत – श्रीलंका करार के तहत 2020–21 के दौरान काली मिर्च के लिए 128 आवेदकों, वनस्पति / बेकरी शार्टेनिंग एवं मार्गरीन के लिए 15 और खोपरे के लिए 18 आवेदकों को अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, भारत – मर्कोसुर तरजीही व्यापार करार के तहत पराग्वे से 30000 मीट्रिक टन क्रूड सोया ऑयल के आयात के लिए टीआरक्यू के तहत 8 आवेदकों को क्रूड सोया ऑयल के आयात के लिए अनुमति प्रदान की गई।
- **सर्वाधिक मित्र राष्ट्र टैरिफ दर कोटा:** डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धता के अंग के रूप में प्रक्रिया हैंडबुक 2015–20 के पैरा 2.60 के अनुसार चार मदों पर निश्चित मात्रा तक तथा सीमा शुल्क की रियायती दरों पर टैरिफ कोटा योजना अनुमत है अर्थात (क) स्किम्ड तथा साबुत मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए मिल्क फूड आदि तथा सफेद बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फैट (ख) मक्का (ग) क्रूड सनफ्लावर सीड या सनफ्लावर ऑयल तथा उसके अंश और (घ) रिफाइंड रेप, कोल्जा या मस्टर्ड ऑयल। तथापि, वर्ष के दौरान कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है।

(ढ) निर्यात केन्द्र के रूप में जिले का विकास करना

2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण के दौरान उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिले को निर्यात हब में परिवर्तित करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को लागू करने के लिए भारत सरकार जिला स्तर पर सृजित किए जा रहे एक संस्थानिक तंत्र के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ काम कर रही है। डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से वाणिज्य विभाग जिलों में इस पहल को आगे बढ़ाने तथा चरणबद्ध ढंग से इसके कार्यान्वयन को संभव बनाने के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ काम कर रहा है ताकि देश का प्रत्येक जिला निर्यात हब बनने की अपनी क्षमता को साकार कर सके।

इस पहल के अंग के रूप में जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी)

के रूप में प्रत्येक जिले में एक संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष डीएम / कलेक्टर / डीसी / जिला विकास अधिकारी हो सकते हैं तथा डीजीएफटी के नामित आरए इसके उपाध्यक्ष हो सकते हैं और विभिन्न अन्य हितधारक इसके सदस्य हो सकते हैं। डीईपीसी का प्राथमिक कार्य केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर से सभी प्रासंगिक हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएं तैयार करना और उन पर काम करना होगा।

निर्यात हब पहल के रूप में जिले के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- एमएसएमई, किसानों तथा छोटे उद्योगों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाना।
- आत्मनिर्भता एवं स्व–पर्याप्तता के लिए जिले के नेतृत्व में निर्यात विकास पर बल देना
- विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिले में निवेश आकर्षित करना
- जिला स्तर पर नवाचार / प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना ताकि वे निर्यात प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- निर्यात चक्र के विभिन्न चरणों पर निर्यातकों के लिए लेनदेन की लागत को कम करना
- दरवाजे पर सामयिक एवं प्रासंगिक सूचना प्रदान करके निर्यातकों के लिए हैंड होल्डिंग एवं सहायता
- जिले में रोजगार का सृजन करना
- ई–कामर्स एवं डिजिटल विपणन के माध्यम से जिले के उत्पादों एवं सेवाओं की व्यापक एवं वैश्विक पहुंच के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना।
- शिल्पियों, किसानों, हथकरघा, हस्तशिल्प, पर्यटन एवं अन्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना

निर्यात हब के रूप में जिले में परिकल्पित पहलें इस प्रकार हैं :

- सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राज्य निर्यात रणनीति / नीति तैयार किया जाना
- प्रत्येक जिले में उत्पादों / सेवाओं की पहचान करना
- जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन करना
- डीजीएफटी के आरए द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार किया जाना
- डीईपीसी द्वारा डीईएपी का अंगीकरण और डीईएपी के कार्यान्वयन की निगरानी
- जिलों में कृषि / खिलौना क्लस्टरों की पहचान करना
- प्रत्येक जिले में जीआई उत्पाद का मानचित्रण
- निर्यात विकास केन्द्र (जिलों में ई–कामर्स)

29 दिसंबर 2020 तक हुई प्रगति इस प्रकार है :

- देश के 725 जिलों में निर्यात की क्षमता वाले उत्पादों की पहचान की गई है (इसमें इन जिलों में कृषि एवं खिलौना क्लस्टर तथा जीआई उत्पाद शामिल हैं)
- 25 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात नीति तैयार की गई है
- पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) तथा सभी राज्यों / जिलों में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियों का गठन किया गया है
- 32 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं
- 510 जिलों में डीईपीसी की बैठकें आयोजित की गई हैं
- 451 जिलों के लिए डीजीईएफटी के आरए द्वारा मसौदा जिला कार्य योजना तैयार की गई है
- इन जिलों से निर्यात के साथ ई–कामर्स को एकीकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के 15 जिलों में प्रायोगिक आधार पर निर्यात विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है
- 12 जिलों में खिलौनों का निर्माण करने वाले क्लस्टरों की पहचान की गई है
- 15 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य विशिष्ट कृषि निर्यात योजनाएं तैयार की गई हैं
- निर्यात उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति (एईपी) के तहत 47 उत्पाद – जिला क्लस्टरों की पहचान की गई है
- पंजाब, उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन करने वाले क्लस्टर जिलों (2 अलग अलग जिले), राजस्थान में इसबगोल, महाराष्ट्र में संतरा, अनार, अंगूर, केला (3 जिले), तमिलनाडु में केला, उत्तर प्रदेश में आम, गुजरात, उत्तर प्रदेश में डेयरी उत्पाद, कर्नाटक में गुलाबी प्याज, उत्तर प्रदेश में ताजी सब्जियों, छिंदवाड़ा, एमपी में संतरा, केरल में केला और गुजरात में आलू (दो जिले) में 20 क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है
- हर जिले में निर्यात की संभावना वाले उत्पादों से संबंधित सभी सूचना अपलोड करने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए डीजीएफटी ने एक पोर्टल का विकास किया है जिसे डीजीएफटी की वेबसाइट पर अक्सेस किया जाएगा। यह

पोर्टल सभी जिलों में जिला निर्यात कार्य योजना की प्रगति की निगरानी करने में भी मदद करेगा

- 5 फरवरी 2020 को सीबीआईसी ने परिपत्र संख्या 09/2020 के माध्यम से निर्यातित वस्तुओं के मूल जिले एवं राज्य के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए 15 फरवरी 2020 से लदान बिल में अतिरिक्त फीचर शामिल करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। आइसगेट ने सितंबर 2020 से जिलावार निर्यात डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है। यह डेटा जिलों के निर्यात निष्पादन का आकलन करने के लिए बेसलाइन संकेतक के रूप में काम करेगा।

(ण) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 'व्यवसाय करने की सरलता' के लिए की गई पहलें

डीजीएफटी द्वारा कारोबार करने की सरलता (ईओडीबी) के लिए अनेक प्रौद्योगिकी चालित समाधान शुरू किए गए हैं जो भारतीय उद्यमों तथा समग्र ''आत्मनिर्भर भारत'' अभियान की विदेश व्यापार से संबंधित गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। ये इस प्रकार हैं :

- डीजीएफटी का नया पुनर्निर्मित प्लेटफार्म अन्य बातों के साथ एपीआई आधारित इंटरफेस, कृत्रिम आसूचना, डेटा विश्लेषण आदि जैसे नवीनतम आईटी उपकरणों का प्रयोग करता है जिससे आईईसी, अग्रिम प्राधिकार, ईपीसीजी तथा अन्य छूटों जैसे व्यापार संबद्ध आवेदनों की पेपरलेस, स्वचालित एवं अविछिन्न ढंग से रियल टाइम प्रोसेसिंग सुनिश्चित होगी। नए प्लेटफार्म से निम्नलिखित की अपेक्षा है :
    - डीजीएफटी के दस्तावेजों को जारी करने में लगने वाले समय में काफी कटौती करना।
    - व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के सहयोगी विभागों के साथ रियल टाइम डेटा इंटरचेंज का सुनिश्चय करना।
    - आवेदनों की पेपरलेस प्रोसेसिंग का सुनिश्चय करना।
    - अन्य बातों के साथ निर्यातकों / आवेदकों आदि द्वारा आवेदन की रियल टाइम निगरानी का सुनिश्चय करना।
- नए प्लेटफार्म पर डिजिटल व्यापार नीति, आईटीसी एचएस कोड तथा अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता से सूचना विसंगति से संबंधित मुद्दों को कम करने में व्यापार हितधारकों को मदद मिलेगी। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ निर्यातक / आयातक के प्रयोग के माध्यम से प्रोफाइल डेटा, अधिसूचना, आवेदन की स्थिति से संबंधित सामयिक सूचना एसएमएस तथा ईमेल संप्रेषण के माध्यम से सूचित की जाएगी।
- हाल ही में निम्नलिखित विशिष्ट कार्यान्वयन पूरे किए गए हैं :
    - ई–आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) का चौबीसों घंटे आटो निर्गम। आवेदन से निर्गम तक कुल समय 30 मिनट से कम है
    - डीजीएफटी के सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से 'उत्पत्ति प्रमाण पत्र' का इलेक्ट्रानिक निर्गम एफटीए / पीटीए पर हस्ताक्षर करने वाले साझेदारों के लिए अप्रैल 2020 से शुरू किया गया है। नए प्लेटफार्म पर अब तक 240000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आनलाइन शुरू होने के बाद से 'उत्पत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के लिए औसत समय निरंतर घट रहा है
    - एए/ईपीसीजी जैसी ड्यूटी छूट योजनाओं को पेपरलेस किया गया है। कोई पेपर जारी किए बगैर डीजीएफटी, कस्टम, एसईजेड के बीच डेटा का आदान प्रदान होता है। निर्यातक के लिए अधिक पारदर्शिता
    - निर्यातकों एवं आयातकों के लिए हेल्प डेस्क सेवाएं। संचार के चैनल – फोन, ईमेल, टिकट प्रणाली, सोशल मीडिया। सभी सुझावों, फीडबैक, शिकायतों की निगरानी की जाती है तथा समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाता है।
    - स्टील के आयात की अग्रिम सूचना के लिए इस्पात आयात निगरानी समिति (एसआईएमएस)। कोयला आयात निगरानी प्रणाली का भी शुभारंभ किया जाना है।
    - दोतरफा दिवसीय ऑनलाइन संचार, पेपरलेस प्रोसेसिंग, डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता का ई–वेरीफिकेशन। आईईसी सत्यापन के लिए नई नियम आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली।

ये प्रौद्योगिकी चालित उपाय व्यापार हितधारकों के लिए कारोबार करने की सरलता में काफी वृद्धि करेंगे। डीजीएफटी ने व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल एजेंसियों के साथ कुछ एपीआई आधारित एकीकरण पूरे कर लिए हैं। विस्तृत उद्देश्य डिजिटल मोड में ई–प्लेटफार्म के माध्यम से निर्यातकों / आयातकों को एकल खिड़की, पेपरलेस, संपर्क रहित समाधान प्रदान करना है।

(त) निर्यात संवर्धन स्कीमों तथा डेटा विश्लेषण पर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस)

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की कारगर निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए विदेश डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा 2017 से निर्यात संवर्धन योजनाओं पर एक व्यापक वार्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अगस्त 2017 से मासिक आधार पर एमआईएस रिपोर्टों का संकलन भी किया जा रहा है।

दिसंबर 2017 में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा के बाद डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग में डाटा विश्लेषण यूनिट (डीएयू) के गठन के बाद विदेश व्यापार सांख्यिकी की एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित की जा रही है जो त्वरित अनुमान, अनंतिम अनुमान तथा अंतिम 8 डिजिट स्तरीय अनुमान पर प्रमुख वस्तुओं एवं प्रमुख देशों के संबंध में भारत के निर्यात और आयात डाटा पर एक रेडी रेफ्रेंस और विश्लेषण प्रदान करती है। यह राज्यवार निर्यात डेटा भी प्रदान करती है। ये सांख्यिकी रिपोर्टें डीजीएफटी की वेबसाइट पर https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=kbulletin-foreign-trade-statisics लिंक पर उपलब्ध हैं।

(थ) निगरानी डैशबोर्ड

जुलाई 2019 में मंत्रिमंडल सचिव ने प्रत्येक मंत्रालय / विभाग को निगरानी डैशबोर्ड का विकास एवं मेजबानी करने का निर्देश दिया जिसके बाद वाणिज्य सचिव ने यह कार्य डीजीएफटी को सौंपा। डीजीएफटी के सांख्यिकी के प्रभाग के डीएयू ने डेटा विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईडीए), एनआईसी के सहयोग से डीओसी के लिए निम्नलिखित निगरानी डैशबोर्ड का विकास एवं अनुरक्षण किया है :

- निगरानी डैशबोर्ड (वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर)
- आंतरिक निगरानी डैशबोर्ड (इंट्राकामर्स पोर्टल पर)

पावर बीआई में डैशबोर्ड का विकास किया गया है तथा एसक्यूएल सर्वर पर डेटाबेस स्टोर किया गया है। ओपन वेब सोर्स पर http://dashboard.commerce.gov.in/ लिंक पर निगरानी डैशबोर्ड अक्सेस किया जा सकता है। http://10.21.77.7 पर उपलब्ध आंतरिक निगरानी डैशबोर्ड को उद्योग भवन में स्थित विभागों / मंत्रालयों द्वारा अक्सेस किया जा सकता है।

डैशबोर्ड भारत के विदेश व्यापार, निर्यात संवर्धन योजनाओं तथा विदेश व्यापार के अन्य पहलुओं का जायजा लेने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह पण एवं सेवा व्यापार के निर्यात – आयात तथा व्यापार संतुलन का ग्राफिकल डिस्प्ले प्रदान करता है। यह प्रधान जिंस समूह के स्तर पर क्षेत्र / देशवार जिंसों का व्यापार विश्लेषण दर्शाता है। हाल ही में, डैशबोर्ड पर निर्यात का राज्य एवं जिलावार डेटा भी उपलब्ध कराया गया है। गुणात्मक रूप से रुझानों का विश्लेषण करने के लिए 8 डिजिट के आईटीसी – एचएस स्तर पर निर्यात / आयात की लगभग 11900 मदों को चार उत्पाद श्रेणियों अर्थात कच्चा माल, पूंजी माल, उपभोक्ता माल, मध्यवर्ती माल में वर्गीकृत किया गया है। यह विभिन्न विजुअल के रूप में व्यापार डेटा की मासिक एवं वार्षिक तुलना प्रदान करता है। प्रयोक्ता पिछले कुछ वर्षों के डेटा की आरेखीय प्रस्तुति देख सकते हैं तथा माहवार डेटा को एक क्लिक में अमरीकी डालर एवं भारतीय रुपए दोनों में मूल्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह निर्दिष्ट पैरामीटरों के आधार पर रिपोर्ट में प्रदर्शित किए जा रहे डेटा को सीमित करने के लिए फिल्टर करने की क्षमता प्रदान करता है। सभी विजुलाइजेशन में डेटा को डाउनलोड करने के फीचर हैं। आंतरिक डैशबोर्ड व्यापार अलर्ट के आधार पर आयात एवं निर्यात निष्पादन की निगरानी करने के लिए वाणिज्य विभाग के क्षेत्रीय एवं उत्पाद प्रभागों तथा डीजीएफटी के अधिकारियों के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में काम करता है। इसके अलावा, डीजीसीआईएंडएस के एग्जिम विश्लेषण डैशबोर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए निगरानी डैशबोर्ड पर लिंक प्रदान किया गया है, जो बीजाकार स्तरीय निर्यात / आयात डेटा विश्लेषण भी प्रदान करता है।

4. अन्य स्कीमें

(क) निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)

भारत सरकार ने राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017–18 से निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) नामक एक योजना शुरू की। यह स्कीम बार्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, निर्यात के लिए गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रमाणन लैब, व्यापार संवर्धन केन्द्र आदि जैसे निर्यात लिंकेज के साथ अवसंरचना परियोजनाएं स्थापित करने एवं स्तरोन्नत करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार की सहायता परियोजना की कुल लागत में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लगाई जा रही मैचिंग इक्विटी तक सहायता अनुदान के रूप में होगी (यह पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयन राज्यों से भिन्न राज्यों के लिए कुल इक्विटी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों में स्थित परियोजनाओं के लिए कुल इक्विटी के 80 प्रतिशत तक होगी)। सहायता अनुदान सामान्यतया प्रत्येक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की सीलिंग के अधीन होगा। इस योजना के तहत निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, सेज प्राधिकरणों, भारत सरकार की एग्जिम नीति के तहत मान्यता प्राप्त शीर्ष व्यापार निकायों तथा राज्य सरकार के उपक्रमों सहित केन्द्र सरकार की एजेंसियां वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान (अक्टूबर 2020 तक) टीआईईएस पर अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक 7 जुलाई 2020 को हुई है।

टीआईईएस के अंतर्गत दिसंबर 2020 के अंत तक कुल 40 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं तथा ये परियाजनाएं असम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल,

मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पंजाब एवं हरियाणा में स्थित हैं।

राज्य सरकारों तथा निर्यातकों के साथ बैठकें

इस पहल के अंतर्गत वाणिज्य सचिव सहित डीओसी, डीजीएफटी के वरिष्ठ अधिकारी तथा एफआईईओ, अपेडा के प्रतिनिधि उनके सरोकारों को दूर करने तथा निर्यात में दक्षता लाने के लिए मुख्य सचिव, राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्यातकों तथा अन्य हितधारकों के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में संयुक्त बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इन बैठकों में राज्य से निर्यात से संबंधित विशिष्ट मुद्दों, स्थानीय कराधान / लेवी से संबंधित मुद्दों, विद्युत की उपलब्धता, सड़क / रेल संपर्क, निर्यात संबद्ध अवसंरचना, निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही अन्य अड़चनों आदि पर विचार विमर्श होता है। ये बैठकें केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न विनियामक एजेंसियों के साथ अपनी वर्तमान समस्याओं को व्यक्त करने के लिए निर्यातकों को संवादात्मक प्लेटफार्म प्रदान करती हैं। राज्य के निर्यात बास्केट पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा होती है ताकि राज्य उद्योग के विकास की योजना बना सकें।

इन संवादों को अधिक बारंबारता के साथ संस्थानी त करने के उद्देश्य से अब वाणिज्य विभाग व्यापार से संबंधित मुद्दों के शीघ्र एवं समय से समाधान का सुनिश्चय करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान 3 जुलाई 2020 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	तारीख	राज्यों / संघ क्षेत्रों का नाम जिनके साथ डीवीसी का आयोजन किया गया	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या
1	13.01.2020	हरियाणा, महाराष्ट्र एवं ओडिशा	03
2	14.01.2020	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा	05
3	20.01.2020	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	07
4	18.02.2020	गोवा, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, पुड्डुचेरी, तेलंगाना एवं तमिलनाडु	07
5	03.07.2020	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड।	08

(ख) बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना एक निर्यात संवर्धन स्कीम है जिसे स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। एमएआई स्कीम के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- विश्व स्तरीय माल एवं सेवाओं के प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना एवं प्रोत्साहित करना।
- भारत को स्रोतन के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना।
- भारत के लिए एक मजबूत ब्रांड इमेज सृजित करना।
- भारतीय माल एवं सेवाओं का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभिचिह्नित बाजारों में विदेशों में प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्यातकों / उद्योग निकायों को सुगमता प्रदान करना।
- नए / संभावित बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा वैश्विक व्यापार पर सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में निर्यातकों को सुगमता प्रदान करना।

इस स्कीम के तहत शामिल निर्यात संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा शीर्ष व्यापार संगठनों को एमएआई योजना के तहत सहायता मंजूर की जाती है। प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया में यरेजना के तहत अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्रस्तावों की जांच शामिल है।

कोविड–19 के प्रकोप के कारण पूरे विश्व में यात्रा पर विभिन्न प्रतिबंध के कारण अप्रैल से नवंबर 2020 तक की अवधि के दौरान भौतिक परिवेश में निर्यात संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन नहीं हो सका। तथापि, एमएआई स्कीम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन के वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा वर्चुअल मोड में आयोजित स्थापित सिग्नेचर / प्रमुख वैश्विक कार्य समूह में भाग लेने के लिए भी एमएआई योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। डिजिटल प्लेटफार्म का

प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं में अपने उत्पादों का प्रचार करने तथा उन्हें बेचने में भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को समर्थ बनाने के लिए डिजिटल बदलाव की परिकल्पना की गई है।

पिछले 5 वर्षों के लिए एमएआई आवंटन / निर्मुक्ति का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
2015-16	224.99	224.99
2016-17	220.51	200.51
2017-18	213.25	213.25
2018-19	269.99	269.99
2019-20	325.00	325.00
2020-21	300.00	122.42 (29.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार)

(ग) चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम (सीएसएसएस)

- सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी एफडीआई अंतःप्रवाह निर्यात और नौकरी सृजन में काफी योगदान करता है। सेवा विकास से विशेष रूप से पिछले दो दशकों में भारत की समग्र विकास दर में वृद्धि हो रही है। सेवा व्यापार का सरप्लस भारत के वस्तु व्यापार के लगभग 50 प्रतिशत घाटे का वित्त पोषण कर रहा है।
- 2020–21 के दौरान नोडल विभागों / मंत्रालयों ने सीएसएसएस के तहत अनुमोदित प्रस्तावों का कार्यान्वयन जारी रखा। इसके अलावा, स्क्रीनिंग समिति ने 'लॉजिस्टिक्स योजना एवं निष्पादन निगरानी उपकरण' (3 साल के लिए 18.5 करोड़ रुपए) के लिए प्रस्तावों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सेक्टोरल स्कीम की सिफारिश की जिसमें विदेशी राष्ट्रों के साथ आडियो – विजुअल सह निर्माण, भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग, स्क्रीन / थिएटर घनत्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में जागरूकता पैदा करने तथा वैश्विक मनोरंजन बैठक का आयोजन करने के लिए (3 साल के लिए 451 करोड़ रुपए) प्रोत्साहन प्रदान करने के घटक शामिल हैं।
- वाणिज्य विभाग नोडल मंत्रालयों / विभागों के साथ काम कर रहा है तथा सीएसएसएस के तहत सुधार के एजेंडे का अनुशील कर रहा है। सीएसएसएस अधिक संभावना वाले सेवा क्षेत्रों में विस्तृत आधार पर विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे भारत को वैश्विक सेवा केन्द्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।

निर्यात संवर्धन तंत्र

1. निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

वर्तमान में, वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जिनका उल्लेख निम्नानुसार है। निर्यात संवर्धन परिषदें, कंपनी अधिनियम/सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ–अर्जित न करने वाले संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाओं एवं कार्यों का मार्गदर्शन विदेश व्यापार नीति 2015–20 द्वारा होता है जो उनके निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती हैं।

(क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, ने इस वर्ष अपने गठन के 54 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नवंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या लगभग 6107 है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र भारत के अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले क्षेत्रों में से एक है। वित्त वर्ष 2020–21 (सिम्तबर, 2020 तक) के दौरान, भारत से रत्न और आभूषण के निर्यात में 8690.32 मिलियन यूएस डॉलर का निष्पादन दर्ज किया है, जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान के 19266.74 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 54.89% की कमी दर्ज की गई। कोविड–19 की वजह से व्यवसाय, कारखानों, दुकानों, व्यक्तियों के संचलन, सामाजिक जनसमूह जैसे विवाह, लॉकडाउन के कारण समारोह/प्रदर्शनियों के स्थगित या रद्द हो जाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग में कमी के कारण अन्य क्षेत्रों की भांति रत्न और आभूषण क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। तथापि, जीजेईपीसी इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहा है और वर्चुअल समाधान लेकर आया है। जीजेईपीसी अपने विभिन्न प्रदर्शनों और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवसाय में बी2बी लेन–देन के पुनरूद्धार के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, जीजेईपीसी ने निम्नलिखित प्रदर्शनों का आयोजन किया:

- एक प्रयोक्ता–अनुकूल, आसानी से पहुंच योग्य प्लेटफार्म, जहां प्रदर्शक और खरीददार एक सुरक्षित परिवेश में व्यापार कर सकते हैं, बनाने के लिए 12 – 16 अक्टूबर तक आईआईजेएस वर्चुअल, 2020।
- रत्न और आभूषण निर्यात के जीर्णोद्धार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के साथ भारतीय रत्न और आभूषण विनिर्माताओं को जोड़ने के लिए तीन आभासी विक्रेता–क्रेता बैठक (वर्चुअल बॉयर–सेलर मीट, वीबीएसएम):
  - लूज डायमंड वीबीएसएम
  - प्लेन गोल्ड ज्वैलरी वीबीएसएम
  - पन्ना (एमरॉल्ड) के लिए जेमस्टोन वीबीएसएम
- मौजूदा व्यापार परिदृश्य को समझने और व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए दोनों देशों के विनिर्माताओं, निर्यातकों एवं आयातकों के बीच चर्चाओं के लिए यूनाइटेड किंगडम और कोलम्बिया के साथ इंडिया ग्लोबल कनेक्ट मीट।
- विनिर्माण, विपणन, खुदरा के विभिन्न विषयों पर अनेक वेबिनारों का आयोजन किया गया जैसे:
  - निर्यात के लिए स्वर्ण/चांदी की आपूर्ति
  - कोविड–19 के प्रकोप का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय उपाय
  - व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली
  - कोविड–19 लॉकडाउन के बाद खुदरा वार्ता–आभूषण व्यवसाय
  - कोविड–19 के बाद आभूषण उद्योग की ओर एक कदम
  - कोविड–19 के बाद उद्योग के लिए भावी कार्यनीति
  - एक वैश्विक संकट के बीच अपनी डिजीटल मार्केटिंग कार्यनीति कैसे अपनाएं
  - लॉकडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार परिदृश्य और भावी कार्यनीति
  - कोविड–19 के बाद प्रभावी विपणन कार्यनीतियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ाना
  - ई–संचित का कार्यान्वयन
  - कोविड–19 लॉकडाउन के बाद विनिर्माता वार्ता आभूषण व्यवसाय
  - धरोहर भविष्य है: हैंडक्रॉफ्ट आभूषण का सफर
  - भारतीय हीरा उद्योग – रिकवरी विकल्प
  - कोविड–19 के बाद सीमापार ई–कॉमर्स किस प्रकार एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है–सरकार और व्यापार तथा अन्य के साथ परामर्श
- उत्सव मौसम के दौरान आभूषण मांग में वृद्धि क लिए हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम और गुजराती जैसी विभिन्न भाषाओं में 10 संक्षिप्त प्रचार फिल्में (स्वर्ण और हीरा आभूषणों प्रत्येक पर 5) प्रसारित की गई।
- रत्न और आभूषण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए, निर्यात / आयात प्रक्रियाएं, जीजेईपीसी की सदस्यता लाभ, जीजेईपीसी की पहलें जैसे परिचय कार्ड और

स्वास्थ्य रत्न, हॉलमार्किंग, एमएसएमई लाभ और स्कीमें, एसएफआरयूटीआई स्कीमें आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने के लिए विभिन्न वेबिनार, कार्यशालाओ, बैठकों और विभिन्न विषयों पर प्रेरक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

(i) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)

जीजेईपीसी, छोटे और मध्यम निर्माताओं को सस्ते प्रयोक्ता शुल्क आधार पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी / उपकरण का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए रत्न और आभूषण विनिर्माण क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना के लिए वाणिज्य विभाग की स्कीमों को लागू कर रही है। सीएफसी की स्थापना से छोटे विनिर्माताओं को तकनीकी प्रगति का लाभ हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी तथा उनकी गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार होगा। अब तक गुजरात के विसनगर, पालनपुर, अमरेली और जूनागढ़ में चार सीएफसी का संचालन किया जा चुका है। इसके अलावा, कोयंबटूर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद और राजकोट में छह अन्य सीएफसी की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

(ii) अपरिष्कृत हीरे के खेप आयात के लिए विशिष्ट अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड)

यह एसएनजेड के संचालन का 5वां वर्ष है और पिछले 4 वर्षों में संचालन बहुत सफल रहा है। विश्व की सभी प्रमुख खनन कंपनियां नियमित रूप से अपने प्रदर्शनों का संचालन कर रही हैं। इसे भारतीय हीरा उद्योग से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और यह एमएसएमई के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिसमें प्रत्येक प्रदर्शन में दर्शकों की औसतन संख्या 204 और प्रत्येक प्रदर्शन में भाग लेने वाली कंपनियों की औसत संख्या 102 रही। पूरे भारत की कुल 809 विशिष्ट कंपनियों ने एसएनजेड का दौरा किया और प्रदर्शन में भाग लिया।

स्थापना के बाद से, भारत डायमंड ट्रेडिंग सेंटर (आईटीडीसी)—एसएनजेड में 2 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के कुल मूल्य के अपरिष्कृत हीरे के 11 मिलियन कैरेट का प्रदर्शन किया गया है। प्रमुख विदेशी खनन कंपनियां नामतः एएलआरओएसए – रूस, डी बीयर्स – यूनाइटेड किंगडम, रियो टिंटो – ऑस्ट्रेलिया, डोमिनियन डायमंड्स कॉर्प – कनाडा और ओकावांगो डायमंड कंपनी (ओडीसी) – बोत्सवाना, जो पूरे विश्व में अपरिष्कृत हीरे के कुल उत्पादन के 85% का उत्पादन करती हैं, नियमित रूप से अपने प्रदर्शन के लिए एसएनजेड में आती हैं। देखने के लिए हीरे। वर्ष 2020 के लिए आईडीटीसी—एसएनजेड को पहले ही प्रमुख खनन कंपनियों द्वारा 195 दिनों के लिए बुक कर लिया गया है।

(iii) जीजेईपीसी की अन्य पहलें

(क) अखिल भारतीय आधार पर रत्न और आभूषण क्षेत्र का क्लस्टर मैपिंग सर्वेक्षण

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) को रत्न और आभूषण क्षेत्र की क्लस्टर मैपिंग पर एक परियोजना सौंपी गई है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न रत्न और आभूषण समूहों का अभिनिर्धारण करना, अभिनिर्धारित क्लस्टरों के कौशल और प्रौद्योगिकी की मैपिंग करना तथा अवसंरचना, कौशल विकास, उत्पादन प्रणाली और लॉजिस्टिक आदि के संबंध में खामी विश्लेषण करना है। परियोजना हितधारकों को आवश्यक संसाधन प्रदान करके उन्हें विभिन्न अभिनिर्धारित क्लस्टर की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाएगी और अंततः रोजगार सृजन करने और निर्यात को बढ़ावा देने, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार और उद्योग के प्रमुख उद्देश्य हैं, के लिए उन्हें पर्याप्त क्षमता के साथ निर्यात योग्य क्लस्टर बनाएगी। । इस संबंध में, अखिल भारतीय स्तर पर 19 राज्यों, 117 शहरों और 400 गांवों में 6000 से अधिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया और एनसीएईआर द्वारा सितंबर 2020 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

(ख) स्वास्थ्य रत्न स्वास्थ्य बीमा स्कीम

रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने रत्न और आभूषण उद्योग के कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को रियायती दरों पर स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करने के लिए एक समूह मेडिक्लेम स्कीम शुरू की है।

इस स्कीम की शुरूआत का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाप्रदाताओं के अभिनिर्धारित नेटवर्क के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने सहित रोगों के उपचार के लिए पसंदीदा गुणवत्तायुक्त चिकित्सा देखभाल तक अभिनिर्धारित कामगारों और उनके परिवारों की पहुंच में सुधार करना है। इस परियोजना के माध्यम से, अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को कवर किया गया है और 150 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का संवितरण किया गया है।

(ग) परिचय कार्ड

सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों तथा रत्न और आभूषण उद्योग के कामगारों के लाभ के लिए समुचित अधिप्रमाणन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जीचेईपीसी ने दिनांक 1 मार्च 2019 को परिचय कार्ड पहल की शुरूआत की। इसका प्राथमिक उद्देश्य रत्न और आभूषण कामगारों का एक सत्यापित और सुनिर्मित डाटाबेस तैयार करना है। कामगारों का नामांकन पंजीकृत रत्न और आभूषण संघों के माध्यम से होगा। यह कार्ड न केवल कामगारों को उनके रोजगार या पहचान का एक वैध प्रमाण देता है, बल्कि भविष्य में उन्हें जीजेईपीसी और सरकार की विभिन्न पहलों के लिए पात्र भी बना देगा।

पूरे भारत के 60 रत्न और आभूषण संघों ने पहले ही नामांकन कर लिया है और 4.5 लाख कार्डों का निर्गमन पहले से ही प्रक्रियाधीन है। जीजेईपीसी का लक्ष्य मार्च, 2021 तक 1 मिलियन कार्ड जारी करने का है और अगले 3 वर्षों में रत्न और आभूषण में सभी कामगारों को कवर करने के लिए कुल 5 मिलियन कार्ड जारी करने की योजना बनाई है। जीजेईपीसी परिचय कार्ड की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना बना रही है।

(घ) स्वास्थ्य कोष

जीजेईपीसी सभी परिचय कार्ड धारकों को विशेष रूप से डिजाइन की गई और अत्यधिक रियायती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रदान करता है। कार्ड धारकों को केवल 25% प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और शेष 75% प्रीमियम का भुगतान जीजेईपीसी द्वारा बनाए गए कोष से किया जाएगा जिसे 'स्वास्थ कोष' का नाम दिया गया है। कोष से एकत्र किए गए धन का उपयोग परिचय कार्ड धारकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जो मुख्य रूप से रत्न और आभूषण उद्योग के अनुबंधित कामगार हैं। अभी भी अनासक्त कामगारों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जिनका प्रतिनिधित्व किसी भी संगठन द्वारा नहीं किया जाता हैं। स्वास्थ्य कोष के माध्यम से, जीजेईपीसी उन लोगों से जुड़ सकेगा, जिन्हें अब तक किसी भी उद्योग द्वारा कवर नहीं किया गया है।

(ख) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

चमड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो लगभग 4.42 मिलियन ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार प्रदान करता है। चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में लगभग 40% हिस्सेदारी के साथ महिला रोजगार प्रमुख है। चमड़ा उद्योग में कच्चे माल की भरमार है, क्योंकि भारत में पशु और भैंस की वैश्विक आबादी 20% तथा बकरी और भेड़ की वैश्विक आबादी का 11% है। देश में चमड़ा उद्योग की शक्ति कुशल जनशक्ति, नवीन प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के प्रति उद्योग के वृद्धिशील अनुपालन तथा संबद्ध उद्योगों के विशिष्ट समर्थन में निहित है। भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़ा गारमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक तथा सैडलरी और हार्नेस का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और विश्व में चमड़े के सामान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।

(i) निर्यात निष्पादन

(क) वर्ष 2019—20 के दौरान निर्यात निष्पादन

चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात अप्रैल—मार्च 2018—19 की अवधि के लिए 5691.09 मिलियन डॉलर की तुलना में अप्रैल—मार्च 2019—20 की अवधि के लिए 5070.55 मिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें 10.90: की गिरावट दर्ज की गई थी।

(ख) वर्ष 2020—21 के दौरान निर्यात निष्पादन

कोविड—19 महामारी के प्रभाव के कारण मार्च 2020 से चमड़ा, चमड़ा उत्पादों और फुटवियर उद्योग के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की समरूप अवधि (अर्थात् अप्रैल से नवंबर 2019) की तुलना में निर्यात में 36.50: (यूएस डॉलर में) की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल—नवंबर 2020 के लिए निर्यात का सार निम्नानुसार है:

(मूल्य, मिलियन यूएस डॉलर में)

वस्तु	अप्रैल—नवंबर, 2019	अप्रैल—नवंबर, 2020	% परिवर्तन
परिष्कृत चमड़ा	371.98	222.73	-40.12
चमड़े की वस्तुएं और सामान	1,402.99	880.49	-37.24
चमड़े के वस्त्र	178.35	126.27	-29.20
चमड़े के फुटवियर	300.42	199.51	-33.59
फुटवियर के संघटक	945.57	576.76	-39.00
सैडलरी और हार्नेस	103.87	108.41	4.37
चमड़ा—रहित फुटवियर	204.40	113.25	-44.59
कुल	**3,507.59**	**2,227.43**	**-36.50**

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

(ii) नीति और सहायता उपाय

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा को संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चमड़ा, चमड़ा उत्पादों और फुटवियर के क्षेत्र में लगभग 98% इकाइयां एमएसएमई के अधीन हैं, जो पहले 92% थी।
- डीजीएफटी की लोक सूचना 15–2015 / 20 दिनांक 4 सितंबर, 2020 के माध्यम से संशोधित परिष्कृत चमड़े के मानदंडों को अधिसूचित किया गया था। इससे देश से नए प्रकार के चमड़े, जिसकी वैश्विक बाजार में भारी मांग हैं, के निर्यात की सुविधा मिलेगी और परिष्कृत चमड़े के निर्यात में वृद्धि होगी।
- चमड़ा क्षेत्र में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विनिर्माण को सुकर बनाने के लिए वर्ष 2019–20 के लिए शुल्क–रहित निर्यात स्कीम (डीएफआईएस) (फुटवियर और अन्य चमड़ा उत्पादों के लिए विगत वर्ष में निर्यात के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के 5% तथा चमड़े के वस्त्रों के लिए 3% की सीमा में अधिसूचित इनपुट्स के लिए सीमाशुल्क में छूट की अनुमति) की वैधता को 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया गया।
- उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा मार्च 2021 तक एफ़टीपी के विस्तार, 31 मार्च 2021 तक रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज के समकरण को जारी रखना, एमएसएमई के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इत्यादि जैसे उपायों की घोषणा इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने की सुविधा भी प्रदान करेगी।

(iii) निर्यात अवसंरचना एवं संबद्ध गतिविधियों (एएसआईडीई) [एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज (एसाइड)]/निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) [ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट्स स्कीम (टीआईईएस)] के विकास के लिए राज्यों को सहायता के तहत निर्यात समूहों में अवसंरचना परियोजनाएं

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई), भूतपूर्व एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज (एएसआईडीई) स्कीम के तहत और वर्तमान में ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट्स स्कीम (टीआईईएस) के साथ–साथ राज्य सरकार (सरकारों) के वित्तपोषण समर्थन के तहत वित्तीय सहायता के साथ देश भर में चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट्स स्कीम (टीआईईएस) के तहत सीएलई द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित दो परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि, लाख रुपए में)

क्रम सं.	परियोजना	कुल परियोजना लागत	एएसआईडीई/ टीआईईएस के तहत अनुमोदित अनुदान (50%)	एसपीवी अंशदान (50%)
1	मेलविशारम, जिला रानीपेट, तमिनलाडु में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना	2,468.07	1,234.00	1,234.07
2.	वीआईएसएचटीईसी सीईटीपी, मेलविशारम, जिला रानीपेट, तमिनलाडु में जेडएलडी प्रणाली की अतिरिक्त 750 केएलडी क्षमता की स्थापना	1,864.00	932.00	932.00
	कुल	**4,332.07**	**2,166.00**	**2,166.07**

उपरोक्त परियोजनाएं वर्तमान में निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और संबंधित परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) नामतः सामान्य सुविधा केंद्र परियोजना के लिए भारतीय चमड़ा उद्योग संघ (आईएलआईएफओ), और विशाराम टेनर्स एनवायरो कंट्रोल्स (वीआईएसएचटीईसी) सामान्य बहिःस्रावी उपचार संयंत्र (सीईटीपी) परियोजना के लिए तमिलनाडु वाटर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (टीडब्ल्यूआईसी) परियोजनाओं के निष्पादन में चमड़ा निर्यात परिषद की सहायता कर रही हैं।

चालू वर्ष 2020–21 के दौरान टीआईईएस के तहत समर्थित निम्नलिखित दो परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया:

(राशि, लाख रुपए में)

क्रम सं.	परियोजना	कुल परियोजना लागत	एएसआईडीई/ टीआईईएस के तहत अनुमोदित अनुदान (50%)	एसपीवी अंशदान (50%)
1	माधवरम सीईटीपी, चेन्नई में अतिरिक्त 596 किलो लीटर प्रति दिन (केएलडी) क्षमता की प्रणाली की स्थापना	1,032.29	516.00	516.29
2	रानीपेट टैनर्स एनवायरो कंट्रोल्स (आरएएनआईटीईसी) सीई. टीपी, रानीपेट में शून्य तरल प्रवाह (जेडएलडी) की अतिरिक्त 1 एमएलडी क्षमता की स्थापना	1,773.15	886.00	887.15
	कुल	**2,805.44**	**1,402.00**	**1,403.44**

सीएलई ने पीएमसी–भारतीय चमड़ा उद्योग फाउंडेशन (आईएलआईएफओ) द्वारा अक्टूबर, 2020 के दौरान तैयार किए गए माधवराम सीईटीपी प्रोजेक्ट के संबंध में वाणिज्य विभाग, भारत सरकार को परियोजना समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पीएमसी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) – केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) आरएएनआईटीईसी सीईटीपी परियोजना के लिए परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार करने के अंतिम चरण में है।

उपरोक्त केंद्रीय परियोजनाओं के अलावा, सीएलई वर्तमान में निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित राज्य एएसआईडीई योजना के तहत 1582.66 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आगरा में परीक्षण प्रयोगशाला और डिज़ाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का शुभारम्भ दिनांक 07.08.2020 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। हालांकि, परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और प्रयोगशाला के संचालन के लिए एक पेशेवर एजेंसी को सुविधा दी गई है, सीएलई और परियोजना के प्रवर्तक अर्थात् आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैंबर (एएफएमईसी) परियोजना के डिज़ाइन स्टूडियो घटक की निष्पादन संबंधी गतिविधियों का बारीकी से समन्वय कर रहे हैं।

(ग) मूलभूत रसायन, कॉस्मेटिक एंड डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

केमेक्सिल का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1963 में किया गया था। परिषद का प्रधान कार्यालय मुम्बई में स्थित है तथा नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में इसके चार क्षेत्र कार्यालय स्थित हैं। 30.12.2020 के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 2668 है। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के संबंध में निर्यात संवर्धन गतिविधियां सौंपी गई हैं।

- डाई एवं डाई इंटरमीडिएट्स
- जैविक, अजैविक और कृषि रसायन
- कॉस्मेटिक्स, साबुन, शौचालय सामग्री और आवश्यक तेल
- अरंडी का तेल

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, केमेक्सिल के अपने सदस्य निर्यातकों के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है और लेगी, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं;

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

- दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2020 के दौरान आयोजित इंडियन डाईज वर्चुअल ट्रेड फेयर, बांग्लादेश
- दिनांक 24 से 25 नवंबर, 2020 के दौरान भारतीय रसायन और कॉस्मेटिक्स प्रदर्शनी; वर्चुअल प्रदर्शनी, वियतनाम
- दिनांक 9 से 12 फरवरी, 2021 के दौरान, अफ्रीका–केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया के लिए वर्चुअल प्रदर्शनी
- दिनांक 10 से 11 फरवरी, 2021 के दौरान वर्चुअल –विक्रेता क्रेता बैठक–जापान
- 17 से 19 मार्च, 2021 के दौरान, वर्चुअल–विक्रेता क्रेता बैठक–मैक्सिको, ब्राजील, कोलम्बिया, चिली एवं अर्जेंटीना

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन

(मूल्य, मिलियन यूएस डॉलर में)

ईपीसी	2017–18	2018–19	2019–20
केमेक्सिल	15,926.66	19,142.37	18,417.51

(घ) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकोंसिल)

भारत से प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा

देने के उद्देश्य से, कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्ष 1955 में प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है तथा कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिनांक 30.12.2020 को परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 2596 है। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों के संबंध में निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां सौंपी गई हैं:

- प्लास्टिक का कच्चा माल
- माउल्डेड एवं एक्स्ट्रुडेड गुड्स
- प्लास्टिक की शीटें, फिल्म, प्लेटें आदि
- पैकेजिंग सामग्री
- प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं
- मानव बाल और उनसे बने उत्पाद
- सभी प्रकार की ऑप्टिकल वस्तुएं
- स्टेशनरी/कार्यालय और स्कूल संबंधी वस्तुएं

प्लेक्सकोंसिल, भारतीय प्लास्टिक उद्योग, जो प्लास्टिक के कच्चे माल/पॉलीमोर से लेकर प्लास्टिक प्रसंस्करण क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र (व्हाइट गुड्स, ऑटोमोटिव, कृषि आदि) जैसे विभिन्न प्रयोक्ता क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अर्द्धनिर्मित/निर्मित वस्तुओं तक प्लास्टिक की व्यापक वस्तुओं का विनिर्माण/व्यापार करता है, में भी निर्यातक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, प्लेक्सोकोंसिल ने अपने निर्यातों को सुचारू बनाने और निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित गतिवधियां कीं:

- अपने सदस्यों के लिए अपनी सेवाओं को और बढ़ाने के प्रयास में प्लेक्सोकोंसिल मोबाइल एप्प नामक अपना अत्याधुनिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो गूगल प्ले और एप्प स्टोर पर उपलब्ध है।
- डिजिटल पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) और मूल प्रमाणपत्र जारी करने की ओर पारगमन
- प्लास्टिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए युवा पीढ़ी की प्रतिभा का लाभ उठाने के उद्देश्य से परिषद की यूथ विंग का सृजन।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

- 24 सितंबर 2020 को वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के समर्थन से संयुक्त राज्य अमेरिका के विक्रेताओं के साथ वर्चुअल बी2बी बैठक।
- 28 सितंबर 2020 को मिस्र, सूडान और नाइजीरिया के भारतीय दूतावास के समर्थन से संबंधित देशों के खरीदारों के साथ वर्चुअल बी2बी बैठक।
- प्लेक्सकोंसिल ने प्लास्टिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 31.03.2021 तक विभिन्न क्षेत्रों में आठ वर्चुअल बी2बी बैठकों की योजना बनाई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन

(मूल्य, मिलियन यूएस डॉलर में)

ईपीसी	2017–18	2018–19	2019–20
प्लेक्सकोंसिल	8,884.74	11,019.9	10,011.11

(ङ) रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (केपेक्सिल)

केपेक्सिल, जो कि प्रथम निर्यात संवर्धन परिषद है, का गठन रसायन आधारित संबद्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 1958 में किया गया था और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत है। परिषद का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। दिनांक 30.12.2020 तक, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 4192 है। परिषद को निम्नलिखित उत्पादों की निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां सौंपी गयी हैं:

- बल्क खनिज और अयस्क,
- प्रसंस्कृत खनिज
- प्राकृतिक रत्न और उत्पाद
- मृत्तिका शिल्प और संबद्ध उत्पाद
- रबड़ के उत्पाद
- ऑटो टायर और ट्यूब
- सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर्स और एस्बेस्टॉस सीमेंट उत्पाद
- पेपर बोर्ड और उत्पाद
- ग्लास और ग्लासवेयर
- पेंट्स, प्रिंटिंग इंक और संबद्ध उत्पाद
- प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद
- ग्रेफाइट और विस्फोटक
- प्रकाशन और प्रिंटिंग
- विविध उत्पाद

- पशु उपोत्पाद
- ओसीन और जिलेटीन

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, केपेक्सिल ने वर्चुअल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया और लेगी , जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

- दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पेपर, पेपर बोर्ड एवं पेपर उत्पादन एवं स्टेशनरी मेला
- दिनांक 04.02.2021 से 12.02.2021 तक नेशनल स्टेशनरी शो
- दिनांक 30.10.2020 से 31.10.2020 तक दिल्ली बुक फेयर 2020
- दिनांक 15.02.2021 से 20.02.2021 तक प्रिंट फ्रॉम इंडिया फेयर
- दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक इंडिया इंटरनेशनल सेरामिक एंड बिल्डिंग मेटेरियल वर्चुअल एग्जीविशन (एशियन एवं दक्षिण एशिया)
- दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक इंडिया इंटरनेशनल सेरामिक एंड बिल्डिंग मेटेरियल फेयर, एलएसी
- दिनांक 31.11.2020 से 02.12.2020 तक इंडिया मिडल ईस्ट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्चुअल एग्जीविशन
- दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक मल्टी–प्रोडक्ट्स वर्चुअल एग्जीविशन

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन

(मूल्य, मिलियन यूएस डॉलर में)

ईपीसी	2017–18	2018–19	2019–20
केपेक्सिल	19,005.82	22,245.62	22,041.31

(च) शेलक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शेलक निर्यात संवर्धन परिषद की गठन जून, 1957 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था, जिसे दिनांक 08.02.2007 को लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के नाम से पुनर्गठित किया गया। परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। दिनांक 30.12.2020 को परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 577 है। शेफेक्सिल गैर–काष्ठीय वन उत्पादों के साथ–साथ उत्तर–पूर्व क्षेत्र के उत्पादों के लिए नामोदिष्ट नोडल ईपीसी है। परिषद को वर्तमान में निम्नलिखित उत्पादों के संबंध में निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां सौंपी गई हैं:

- शेलक और शेलक आधारित उत्पाद
- वनस्पतियों के अर्क और जड़ी–बूटियों के सत
- ग्वार–गम
- पौधे और उनके भाग (जड़ी बूटियां)
- नियत वनस्पति, खली और अन्य
- अन्य वनस्पतीय खनिज
- उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के उत्पाद

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, शेफेक्सिल दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने और एमएसएमई निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मौजूदा परिदृश्य, उनमें मौजूद अवसरों, लेन–देन की लागत को कम करने, नवीन तकनीकों की प्रासंगिकता आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन करने की योजना बनाई है, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम:

- दिनांक 15.11.2020 से 31.03.2021 के बीच आयोजित वर्चुअल प्रदर्शनी + बी2बी बैठक

विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात निष्पादन

(मूल्य, मिलियन यूएस डॉलर में)

ईपीसी	2017–18	2018–19	2019–20
शेफेक्सिल	1,918.35	2,156.49	2,142.03

(छ) खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी)

खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद भारत से खेल सामग्री और खिलौनों के निर्यात में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। यह परिषद भारतीय खेल सामग्री और खिलौने उद्योग के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के लिए जानकारी का एकल बिंदु स्रोत भी है।

वर्ष 2019–20 में प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता और वर्ष 2019–20 की अंतिम तिमाही में, नये कोरोनावायरस के भय, जिसके कारण देश में लॉकडाउन हुआ, से व्यवसायिक परिवेश चुनौतीपूर्ण रहा। कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण, वर्ष 2020–21 में खेल सामग्री और खिलौनों का निर्यात और अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2020–21 (अप्रैल– नवंबर) के दौरान खेल सामग्री और खिलौनों का कुल निर्यात 181.29 मिलियन यूएस डॉलर रहा जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल–नवंबर, 2019–20) के दौरान के निर्यात (203.35 मिलियन यूएस डॉलर) की तुलना में 10.85% की गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष 2020–21 में 142 देशों को भारतीय खेल सामग्री और खिलौने निर्यात किए गए हैं। सबसे अधिक निर्यात ब्रिटेन को, इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और कनाडा को किया गया। शीर्ष दस की सूची में नीदरलैंड पहली बार शामिल हुआ है। वर्ष 2020–21 में भारत से नीदरलैंड को निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 48: की वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा को छोड़कर, शीर्ष दस गंतव्यों में बाकी सभी सात देशों को निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा।

खेल सामग्री और खिलौनों के लिए एक सर्वोपरि उद्योग फोरम होने के नाते, एसजीईपीसी पूरे देश के अपने सदस्यों को, समान हितों के साथ, सरकार को उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों पर बल देते हुए, एक साझा मंच प्रदान करती है और इसके सदस्यों को बाजार आसूचना, मानकों और विनिर्देशों, तथा गुणवत्ता और डिजाइन पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

(i) खेल सामग्री और खिलौनों के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र

हमारे माननीय प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" के मिशन और भारतीय खिलौना उद्योग के सुदृढ़ीकरण की पहल, मिशन को पूरा करने और बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए, उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। एसजीईपीसी ने खिलौने और खेल सामग्री उद्योग के लिए नए क्षेत्र विकसित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों अभिचिह्नित किए हैं और काफी संख्या में भूखंड आबंटन पहले ही पूरा हो चुका हैं तथा राजस्थान के खुशखेड़ा (भिवाड़ी) में और अधिक का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(ii) परम्परागत भारतीय खिलौनों के निर्यात का संवर्धन

जिला स्तर पर एक संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्रत्येक जिले को निर्यात हब में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन के कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य विभाग डीजीएफटी के माध्यम से, राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

उपरोक्त पहल के तहत, खिलौने क्षेत्र में फोकस क्लस्टरों का भी अभिनिर्धारण किया जा रहा है। खिलौना क्षेत्र में विनिर्माण के सुदृढ़ीकरण के लिए डीपीआईआईटी के नेतृत्व में किए गए प्रयास में, वाणिज्य विभाग खिलौना उद्योग में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने, लेन–देन लागतों कम करने, खिलौनों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने अधि के लिए खिलौना क्षेत्र (जिला स्तर पर) में एमएसएमई और छोटे उद्योगों को सक्षम करने के लिए गहनता से कार्य कर रहा है।

खिलौनों के क्षेत्र में निर्यात की संभावना के लिए अभिनिर्धारित जिलों में कृष्णा (कोंडापल्ली के खिलौनों के लिए), विशाखापत्तनम (इटिकोप्पका के खिलौनों के लिए), धुबरी (टेराकोटा के खिलौनों के लिए), कोप्पल (किन्हाल के खिलौनों के लिए), रामनगर (लैक्कर के खिलौनों, चन्नपट्टना के खिलौनों और गुड़िया के लिए), चित्रकूट (लकड़ी के खिलौनों के लिए), वाराणसी (लकड़ी के लैकरवेयर और खिलौनों के लिए) आदि कुछेक नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ खिलौनों पर पहले से ही भौगोलिक अभिज्ञान (जीआई) टैग लगाया जाता है और ये बहुत–से देशों में लोकप्रिय हैं।

(iii) वर्ष 2020–21 के लिए संवर्धन गतिविधियां

वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में जीवन शैली और कार्य परिवेश को बदल दिया है, जिससे प्रदर्शनी / मेलों और बीएसएम के भौतिक आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग के सहयोग से, "न्यू नॉर्मल" को अपनाने से एसजीईपीसी ने अपने सदस्यों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने में मदद की है। निर्यातकों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से निर्यात, वह भी उनके अपने ब्रांड नाम से, करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हितों के विभिन्न विषयों पर वेबिनारों का आयोजन भी किया गया है।

(iv) सहायता उपाय

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीति समर्थन उपाय जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में संशोधन, 30 सितंबर, 2020 तक शुल्क रहित आयात योजना (डीएफआईएस) की वैधता में 30 सितम्बर, 2020 तक विस्तार, मार्च 2021 तक एफ़टीपी का विस्तार, 31 मार्च 2021 तक रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज के समकरण को जारी रखना, एमएसएमई के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना आदि से विभिन्न क्षेत्रों (खेल सामग्री और खिलौने सहित) में निर्यात को बढ़ावा देने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

(ज) दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी)

भारत से दूरसंचार उपकरण और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) की स्थापना की गई है। यह परिषद दूरसंचार हार्डवेयर विनिर्माता, दूरसंचार सेवाप्रदाता, दूरसंचार सॉफ्टवेयर विक्रता, और कंसल्टेंट्स सहित सम्पूर्ण दूरसंचार पारितंत्र के क्षेत्र में सेवा प्रदार करती है और भारत से दूरसंचार निर्यात को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अपनी सदस्य कंपनियों को निर्यात की सुकर सुविधा में सहायता प्रदान करती है।

टीईपीसी का विजन

- टीईपीसी भारत से दूरसंचार निर्यात को बढ़ावा देना जारी रखेगा
- भारत से दूरसंचार निर्यात को बढ़ावा देना और अधिक सुस्पष्ट करना।
- भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक सुकर परिवेश का सृजन करना
- भारत में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत विदेशी, दोनों निवेशों को प्रोत्साहित करना।
- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतिक गठबंधन, समझौता ज्ञापन और तकनीकी / वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- भारत में डिजाइन के लिए स्थानीय आईपीआर और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का सहायता देना और विश्व स्तरीय दूरसंचार उत्पाद बनाना।

(ii) कार्यक्रमों में टीईपीसी की भागीदारी

टीईपीसी, भारतीय दूरसंचार निर्यात की क्षमता पर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न संरचित प्रचार कार्यक्रम आयोजित करती है। नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रचार गतिविधियां – चयनित देशों को प्रतिनिधि भेजना, विशिष्ट भारतीय टीईपीसी प्रदर्शनी, विशिष्ट व्यापार मेलों में देश की भागीदारी, कैटलॉग शो, क्रेता–विक्रेता बैठक, उत्पाद विशिष्ट सेमिनार और सम्मेलन – भारत और विदेश दोनों स्थानों पर – उत्पाद और सेवा विशिष्ट होती हैं।

कोविड–19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भौतिक रूप से मेलों / प्रदर्शनियों और क्रेता–विक्रेता की बैठकों में भाग लेना / आयोजन करना संभव नहीं था। इसके परिणास्वरूप, न केवल मौजूदा बाजारों को बनाए रखने की जरूरत है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों और सेवाओं को एक संभावित विकल्प के रूप में पेश किए जाने की भी आवश्यकता है। इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय और प्रतिबंधों के दौरान, टीईपीसी ने अन्य संगठनों की भांति विदेशी खरीददारों के साथ जुड़ने और दीर्घकालिक व्यापार कार्यों के निर्माण के लिए भौतिक प्रदर्शनियों के आयोजन की बजाय वर्चुअल प्रदर्शनियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

(iii) वर्ष 2020–21 के कार्यक्रमों का कलैंडर

क्रम सं.	कार्यक्रम	समय–सारणी	
		से	तक
1.	कनेक्टेकएशिया सिंगापुर	29 सितम्बर, 2020	1 अक्टूबर, 2020

दिनांक 29 सितम्बर, 2020 से 1 अक्टूबर, 2020 तक कनेक्टेकएशिया 2020, सिंगापुर (वर्चुअल एक्सपो); भारतीय दूरसंचार पणधारी वर्चुअल रूप से विभिन्न देशों में दूरसंचार बाजार का विस्तार कर रहे हैं तथा सिंगापुर, एशियाई बाजारों में भारतीय कंपनियों की पहुंच के लिए प्रमुख बाजारों में से एक है। ब्राडकास्टएशिया, कम्युनिकएशिया, सेटेलाइटएशिया को शामिल कर और टेकएक्सएलआर8 एशिया के साथ सहअवस्थित कनेक्टेकएशिया, 2020 एक तीन दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम था जिसे बाद में एक 24/7, 365 दिवसीय संवाद बाजारस्थाल में बदल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान अत्यधिक लक्षित विषय–वस्तु पर 220 से अधिक सत्र उपलब्ध थे और बाद में मांग के आधार पर, जो कंपनियों को नई प्रौद्योगिकियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे, इसमें 200 से अधिक प्रदर्शक और एक विशिष्ट कैलेंडराइजेशन और उनके वर्चुअल बूथ की गतिविधियों का संवर्धन जो प्रतिभागी कंपनियों को नए खरीददारों से मिलने में मदद करेंगे। इसमें एआई आधारित व्यवसाय मैचिंग का उपयोग किया गया था जिससे भारत की प्रतिभागी कंपनियों को विभिन्न कंपनियों के साथ बैठकें निर्धारित करने में सहायता मिली।

दूरसंचार विभाग की चैंपियन सेक्टर योजना के तहत कम्यूनिकएशिया 2020 में भारतीय मंडप में 10 कंपनियों ने भाग लिया।

(झ) भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

पीईपीसी, जो सरकार द्वारा स्थापित एक निर्यात संवर्धन परिषद है, निम्नलिखित में से किसी भी मॉड्यूल में अनुबंधित विदेशी परियोजनाओं वाले परियोजना निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शीर्ष सह–समन्वय एजेंसी है:

- सिविल निर्माण परियोजनाएं
- टर्नकी परियोजनाएं
- अभियांत्रिकी, अधिप्रापण और निर्माण (संकल्पना से प्रारम्भण तक) और अनिवार्य से रूप शामिल सिविल कार्य/निर्माण तथा टर्नकी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट सभी आपूर्तियों सहित
- प्रक्रिया एवं अभियांत्रिकी परामर्शी सेवाएं और
- परियोजना निर्माण सामग्री (स्टील और सीमेंट को छोड़कर)

(i) विकास के क्षेत्र

पीईपीसी आर्थिक और औद्योगिक विकास के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे बांधों, पनबिजली और तापीय विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक संयंत्रों, यूटिलिटी भवनों, बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और परिसरों, मोटरमार्ग, सुरंग और पुल, बंदरगाह और हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाएं, ऊंचे

और प्रतिष्ठा भवन, होटल और पर्यटक रिसॉर्ट के निर्माण आदि के परियोजना निर्यात के विकास और संवर्धन में सक्रिय रूप से संलग्न हुई है।

(ii) गतिविधियां

- सीआईआई के सहयोग से पीईपीसी ने दिनांक 30 जुलाई 2020 को अफ्रीका के साथ व्यापार करने के लिए नूतन वित्तपोषण तंत्र संबंधी ऑनलाइन वेबिनार में अपनी सदस्य कंपनियों को भागीदारी की सुविधा प्रदान की।
- सीआईआई के सहयोग से पीईपीसी ने 18 अगस्त, 2020 को युगांडा के साथ व्यापार करने पर डिजिटल सत्र में अपनी सदस्य कंपनियों को भागीदारी की सुविधा प्रदान की।
- पीईपीसी ने सेनेगल के भारतीय दूतावास द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2020 को आयोजित, दि गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, काबो वर्डे, भारत और सेनेगल के बीच अभियांत्रिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों पर वेबिनार में अपनी सदस्य कंपनियों को भागीदारी की सुविधा प्रदान की, की गई।

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) ने निर्यात संवर्धन प्रयोजन के लिए वाणिज्य विभाग की एमएआई स्कीम के तहत निम्नानुसार सहायता अनुदान प्राप्त किया:

वित्त वर्ष	स्वीकृत एमएआई सहायता/वाणिज्य विभाग द्वारा रिलीज किए गए सहायता अनुदान का विवरण (रुपये में)	प्रयोजन
2019-20	11,00,000/-	जुलाई, 2019 के दौरान भूटान कंस्ट्रक्शन फेयर, भूटान में प्रतिभागिता के लिए एमएआई स्कीम के तहत पहली किस्त
2020-21 (आज की तारीख तक)	6,36,735/-	जुलाई, 2019 के दौरान भूटान कंस्ट्रक्शन फेयर, भूटान में प्रतिभागिता के लिए एमएआई स्कीम के तहत अंतिम किस्त

(ञ) इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी)

इलेक्ट्रानिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) को भारत के इलेक्टॉनिक्स, दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सक्षम सेवाओं के निर्यात के संवर्धन का अधिदेश दिया गया है। ईएससी, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों को अनेक सेवाओं की पेशकश करती है।

ईएससी की कुछेक सेवाएं निम्नानुसार हैं:

- निर्यात को विकसित करने और बढ़ाने में अपने सदस्यों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी जानकारी और सहायता प्रदान करता है।
- ग्लोबल ट्रेड शो / एक्सपोजिशन और सम्मेलनों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।
- विदेशी बाजारों में बाजार अनुसंधान / अध्ययन और प्रचार अभियान संचालित करता है।
- ईएससी विक्रेता–क्रेता बैठकों के माध्यम से भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच व्यवसाय इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों के लिए नये व्यवसाय भागीदारों का पता लगाता है।
- सरकार और सदस्य निर्यातकों के बीच लिंक के रूप में, ईएससी नीतिगत मुद्दों पर संवाद के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- देश के निर्यातों और आयातों पर सांख्यिकी बेस का निर्माण करना और डाटा प्रदान करने के साथ–साथ अन्य संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डाटा प्रदान करना।
- ईएससी निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सदस्यों की भागीदारी का आयोजन करता है:
  - दिनांक 28 मई, 2020 को भारत और अर्जेंटीना के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
  - दिनांक 1 जून, 2020 को (भारतीय आईटी क्षेत्र; आपूर्ति पारितंत्र परिदृश्य) और दिनांक 5 जून, 2020 को (भारतीय माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और परिशुद्ध घटक क्षेत्र और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अवसर) भारत और स्विटजरलैंड के बीच वर्चुअल टेक वार्ता
  - दिनांक 10 जून, 2020 को भारत और रवांडा के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
  - दिनांक 15 जून, 2020 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक

- दिनांक 17 जून, 2020 को भारत और ओमान के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 10 जुलाई, 2020 को भारत और त्यूनिशिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भारत और स्वीडन के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 21 जुलाई, 2020 को भारत और मोजाम्बिक के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 29 जुलाई, 2020 को सुश्री एंकी वर्गीज यूएस एमिग्रेशन एटॉर्नी के साथ संवाद सत्र
- दिनांक 12 अगस्त, 2020 को भारत और चिली के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को भारत और कोलम्बिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को भारत और यूएई के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 17–18 सितम्बर, 2020 को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आईसीटी क्षेत्रों में वर्चुअल प्रदर्शनी और बी2बी बैठक
- दिनांक 24–25 सितम्बर, 2020 को भारत और जापान के बीच आईसीटी क्षेत्रों में वर्चुअल प्रदर्शनी और बी2बी बैठक
- दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को भारत और पेरू के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरीका के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को भारत और इंडोनेशिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को भारत और जाम्बिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 10 नवंबर, 2020 को भारत और कजाकिस्तान के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 20 नवंबर, 2020 को भारत और घाना के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 24 नवंबर, 2020 को भारत और पनामा के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 24 नवंबर, 2020 को ग्वाटेमाला की आईसीटी कंपनियों के लिए भारत में इंडियासॉफ्ट और आईएसटी अवसरों पर प्रस्तुतीकरण
- दिनांक 26 नवंबर, 2020 को भारत और मिश्र के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- दिनांक 1 दिसम्बर, 2021 को फेयरफेक्स काउंटी ईडीए, यूएसए और ईएससी ने कोविड–19 के बाद भारत और यूएसए में विभिन्न कंपनियों के उपलब्ध अवसरों पर एक वर्चुअल पैनल चर्चा का आयोजन किया।
- दिनांक 7 दिसम्बर, 2020 को भारत और रोमानिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्यवेयर क्षेत्रों में वर्चुअल बी2बी बैठक
- नाइजीरिया के साथ वर्चुअल बिजनेस समिट और व्यवसाय बैठकः नाइजीरियन कॉरिडोर का उपयोग करके अफ्रीका में आईसीटी अवसर। कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को किया गया था।

♦ घरेलू गतिविधियां

- अप्रैल और मई, 2020 के दौरान, ईएससी ने इसके सदस्यों को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने में सहायता प्रदान की।
- वर्क फ्रॉम होम के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्यों को सहायता करने के लिए, ईएससी ने दिनांक 2 मई, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार को श्री अमित दुबे, उप सीटीओ, टेक महिद्रा द्वारा सम्बोधित किया गया था।
- ईएससी ने दिनांक 14 जुलाई, 2020 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल के साथ सदस्यों के संवाद सत्र का आयोजन किया।

- ईएससी ने दिनांक 14 जुलाई, 2020 को डीजीएफटी, श्री अमित यादव के साथ सदस्यों के संवाद सत्र का आयोजन किया।
- ईएससी ने दिनांक 3 सितम्बर, 2020 को सीमाशुल्क आयुक्त के साथ सदस्यों के संवाद सत्र का आयोजन किया।
- ईएसी ने दिनांक 11 सितम्बर, 2020 श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सदस्यों के संवाद सत्र का आयोजन किया।

(ट) ईईपीसी भारत

भारतीय अभियांत्रिकी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) का गठन किया गया है। यह निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय अभियांत्रिकी क्षेत्र की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी (लाभ–निरपेक्ष कंपनी) है। ईईपीसी भारत, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में अभियांत्रिकी निर्यात के लिए पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है तथा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय तथा अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में इसके उप–क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अभियांत्रिकी उत्पादों के निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। अभियांत्रिकी विनिर्माताओं और निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और बेहतर पहुंच के उद्देश्य से, ईईपीसी भारत ने 12 टीयर–II और टीयर–III शहरों में अपने खंड भी खोले हैं।

एक सलाहकार निकाय के रूप में, यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रिय रूप से योगदान देता है तथा अभियांत्रिकी उद्योग और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1955 में स्थापित, ईईपीसी भारत के सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में 13,000 हैं, जिनमें से 60: एसएमई हैं। ईईपीसी भारत, भारत से सोर्सिंग की सुविधा प्रदान करता है और एसएमई को उनके मानकों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह एसएमई को अपने व्यापार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। 'इंजीनियरिंग द फ्यूचर' के नीतिवाक्य के साथ, ईईपीसी भारत एक प्रमुख अभियांत्रिकी निर्यात केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने की दिशा में अपने प्रयासों में भारतीय अभियांत्रिकी उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

(i) अभियांत्रिकी निर्यात परिदृश्य

भारत के कुल माल निर्यात का लगभग एक चौथाई और जीडीपी का लगभग 3% हिस्से का श्रेय अभियांत्रिकी निर्यात को जाता है। अभियांत्रिकी निर्यात ने वर्ष 2010–11 से 2019–20 की अवधि में 5.1% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त की। पिछले वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना में 6.32% की वृद्धि के साथ वर्ष 2018–19 में 81.02 बिलियन यूएस डॉलर के रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद, वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण पर अनिश्चितताओं के बाद अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, प्रमुख वैश्विक देशों द्वारा संरक्षणवाद, भारतीय आयात के लिए यूएस जीएसपी का संबंद्ध–विच्छेद और कुछेक क्षेत्रों में भू–राजनीतिक संकट के परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 में भारतीय अभियांत्रिकी निर्यात कम होकर 76.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक रह गया, जिसमें वर्ष 2018–19 की तुलना में 5.8% की कमी दर्ज की गई।

नोवल कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों में वृद्धि हुई है। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों को बंद करने से आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर गहरा असर पड़ा है।

उपरोक्त परिदृश्य में, अप्रैल–नवंबर 2020 के दौरान अभियांत्रिकी निर्यात 43.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल–नवंबर 2019 के दौरान 50.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 13.24% की कमी दर्ज की गई। कुल मिलाकर, अप्रैल – नवंबर 2020 के दौरान, 33 में से 29 पैनलों ने निर्यात में वर्ष–दर–वर्ष कमी का प्रदर्शन किया, जबकि शेष चार पैनलों ने सकारात्मक विकास का प्रदर्शन किया।

क्षेत्र–वार, अप्रैल–नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान, भारत के कुल अभियांत्रिक निर्यात में, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ क्रमशः 18.32% और 17.19% की हिस्सेदारी के साथ भारत से अभियांत्रिकी निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य बने रहे, तथा एशियन और उत्तर पूर्वी एशिया क्रमशः 16.47% और 14.06% की हिस्सेदारी के साथ भारत से कुल अभियांत्रिकी निर्यात के संबंध में तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।

(ii) ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

''मेड इन इंडिया'' अभियांत्रिकी गुणवत्ता और भारतीय अभियांत्रिकी उत्पादों और सेवाओं की क्षमताओं की ब्रांड छवि को बढ़ाकर निर्यात में तेजी लाने के लिए, ईईपीसी भारत, 2014 से ब्रांड ''इंडिया इंजीनियरिंग'' अभियान चला रही है। यह पहल भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो वाणिज्य विभाग के अधीन एक ट्रस्ट है, के समर्थन से कार्यान्वित की गई है। पहल के तहत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता वाले भारतीय आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में सेवा करने के लिए

ई—कैटलॉग का निर्माण किया गया है। ईईपीसी ने पहले से ही चार क्षेत्रों जैसे पंप्स एंड वाल्व, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, चिकित्सीय उपकरण और टेक्सटाइल मशीनरी में ई—कैटलॉग का आरम्भ किया है। हाल ही में, इस पहल का विस्तार किया गया है तथा चार अन्य क्षेत्रों, नामतः मशीन यंत्र, कृषि मशीनरी, निर्माण और अर्थमूविंग मशीनरी तथा हैंड टूल्स के संबंध में ई—कैटलॉग की तैयार की जा रही है।

(iii) अभियांत्रिकी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी स्तरोन्नय हेतु पहल

ईईपीसी भारत के साथ साझेदारी में वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल, अभियांत्रिकी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के स्तरोन्नयन को सक्षम करना है। अत्याधुनिक निर्यात उन्मुख प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग के बीच अंतर को पाटने के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, अनुसंधान और विकास सहायता के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं के अभिनिर्धारण के लिए विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी की बैठकें / उद्योग—अकादमिक संवाद आयोजित किए जाते हैं। पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में उद्योग को सुग्राही बनाना है, और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उद्योग की आवश्यकताओं के परामर्श से प्रौद्योगिकी विकास की पहल का कार्यान्वयन करना है। वाणिज्य विभाग इस प्रयास में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और ईईपीसी भारत के साथ काम कर रहा है।

प्रौद्योगिकी पहल के तहत, ईईपीसी भारत ने पहले ही क्षमता निर्माण के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट (आईआईडब्ल्यूएम) के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एआईडी), सीएसआईआर – सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर—सीएमईआरआई), सीएसआईआर – नेशनल मैटलर्जिकल लैबोरेट्री (सीएसआईआर—एनएमएल) और सीएसआईआर— एडवांस मैटेरियल्स एंड प्रॉसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर—एएमपीआरआई) के साथ सहयोग किया है, जिनमें शीर्ष वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी निर्माताओं को उनकी प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करने में मदद करेंगे और उनके वैश्विक समकक्षों के समतुल्य बनने में मदद करेंगे।

कोविड—19 महामारी के मौजूदा परिदृश्य में, ईईपीसी भारत प्रौद्योगिकी केंद्र ने अनेक वर्चुअल सेमिनार / वेबिनार आयोजित किए हैं और तकनीकी जागरूकता के स्तरोन्नयन तथा स्थिति में सुधार होने पर उत्पादकता और उत्कृष्टता बढ़ाने में सहायता के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग पर फोकस कर रहा है।

(iv) निर्यात संवर्धन गतिविधियां

वाणिज्य विभाग, ईईपीसी भारत के माध्यम से विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियों का आयोजन करता है। इन गतिविधियों में भारतीय अभियांत्रिकी उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करने और विदेशी खरीदारों को ब्रांड "इंडिया इंजीनियरिंग" द्वारा यथाप्रचारित सही मूल्य प्रदान करने के लिए भारत में विक्रेता—क्रेता बैठक के साथ—साथ इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस) का आयोजन करना और भारत में उत्पाद—विशिष्ट सेमिनार / सम्मेलन, निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आदि, भारत के बाहर विशिष्ट भारतीय अभियांत्रिकी प्रदर्शनियों (आईएनडीईई) का आयोजन करना, चुनिंदा देशों के लिए उत्पाद—विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का संगठन करना, विभिन्न उत्पाद—विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी शामिल है।

पिछले 8 संस्करणों में, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (IESS), अभियांत्रिकी वस्तुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्सिंग हब के रूप में सिद्ध हुआ है। इस आयोजन का 9वां संस्करण 4 – 6 मार्च, 2020 को कोयंबटूर, तमिलनाडु में 350 और 50 से अधिक देशों के लगभग 500 विदेशी खरीदारों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था।

कोविड—19 महामारी के कारण, देश की सरकार द्वारा बड़ी सभाओं के प्रतिबंधों के कारण विश्व भर के अधिकांश व्यापार मेलों को रद्द या स्थगित कर दिया गया। निर्यातकों सहित भारत के अभियांत्रिकी समुदाय पर इसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिए, ईईपीसी भारत ने निर्यात समुदाय को वैश्विक खरीददारों के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक वर्चुअल प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

ईईपीसी भारत द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रदर्शनियों में – चिकित्सा उपकरणों, लैब और वैज्ञानिक उपकरण, तेल और गैस, बहु—अभियांत्रिकी उत्पादों, सबकांट्रेक्टिंग और औद्योगिकी मशीनारी जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करते हुए ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ईरान पर फोकस के साथ – **एक्सेस मिडिल ईस्ट वर्चुअल बीएसएम;** भारतीय कृषि मशीनरी और पंप उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, एशियाई और सार्क पर फोकस के साथ – **फार्ममेक 2020;** धातु कार्य और धातु प्रसंस्करण; मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल; हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स; मोशन और ड्राइव; धातु परिष्करण और ताप उपचार; इलेक्ट्रिकल्स / इलेक्ट्रॉनिक्स; डाईज, यंत्र, गेज और परीक्षण; आदि जैसे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करते हुए यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बाजार पर फोकस के साथ – **इंडिया सब—कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपो 2020;** तथा प्लास्टिक, पैकेजिंग, प्रिंटिंग और कंवर्टिंग, खाद्य प्रसंस्करण,

इंजीनियरिंग और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए तंजानिया, युगांडा, केन्या, रवांडा और बुरुंडी को शामिल करते हुए पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र पर फोकस के साथ – **आईस्मार्ट एक्सपो–ईस्ट अफ्रीका** में ईईपीसी भारत का वर्चुअल भारतीय मंडप शामिल हैं।

(v) ईईपीसी भारत डिजीटल इंटरफेस

ईईपीसी भारत वेब उपस्थिति और मोबाइल ऐप सहित अत्याधुनिक डिजिटल इंटरफ़ेस बनाए रखता है और सेवाओं की प्रदायगी में सुधार करने के लिए पहले से ही अधिकांश गतिविधियों को डिजिटल रूप दे चुका है। ईईपीसी भारत की उल्लेखनीय डिजिटल पहलों में से कुछेक ऑनलाइन पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी), मूल प्रमाण पत्र (दोनों अधिमान्य और गैर–अधिमान्य), सदस्य निर्यात विवरणि., ई–स्टोर और डिजिटल कैटलॉग, डीजीएफटी और ई–संचित के साथ एकीकरण आदि हैं।

(vi) वेबिनार

ईईपीसी भारत ने कोविड–19 महामारी के दौरान सदस्यों को व्यवसाय की गति को जारी रखने की सुविधा देने के अपने प्रयास में, अप्रैल, 2020 से ई–सत्र या वेबिनार आयोजित करना शुरू कर दिया है। ईईपीसी ने अब तक लगभग 155 वेबिनार आयोजित किए हैं तथा जनवरी– फरवरी, 2021 के दौरान 8 और वेबिनार आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा, ईईपीसी ने विदेशों में भारतीय मिशनों; जर्मनी, ओमान, दक्षिण कोरिया, रूस, पेरू, सेनेगल, मोजाम्बिक, वियतनाम, बोत्सवाना, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका और यूएई के साथ मिलकर 14 वेबिनार आयोजित किए हैं। उपरोक्त सत्रों में भारतीय विनिर्माताओं और उनके वैश्विक समकक्षों के बीच बी2बी बैठकें भी शामिल थीं।

अपनी नियमित कार्यसूची का विस्तार करते हुए, ईईपीसी भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय रुझानों और अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए अनेक रिपोर्ट / अध्ययन प्रकाशित किए।

(vii) निर्यात समता कीमत पर इस्पात

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में, अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) और भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) ने मिलकर 'निर्यात समता मूल्य पर इस्पात' पर एक नीति बनाई है। इस स्कीम के तहत, घरेलू इस्पात उत्पादक, निर्यात उद्योग को निर्यात समता मूल्य पर इस्पात प्रदान करेंगे। इस बिक्री को डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा तथा इस्पात विनिर्माता अपने परिसर, सेवा केंद्रों, वितरकों, डीलरों या स्टॉकयार्ड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाली इस्पात पर शुल्क में छूट का लाभ उठा सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना संख्या 35/2015–20 तथा दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को लोक सूचना संख्या 23/2015–20 जारी की है।

(ठ) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

एसईपीसी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित एक निर्यात संवर्धन परिषद है। एक सलाहकार निकाय के रूप में, यह भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देता है और सेवा उद्योग और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

एसईपीसी, भारतीय सेवा निर्यात व्यवसाय को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि निर्मित करने में सहायक रहा है। यह भारत और विदेश दोनों में बड़ी संख्या में प्रचार गतिविधियों जैसे कि क्रेता और विक्रेता बैठक (बीएसएम), व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों, और भारतीय सेवा उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए चयनित प्रदर्शनियों में भारतीय मंडप / सूचना बूथों का आयोजन करता है।

परिषद सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुझानों और अवसरों के साथ–साथ तालमेल बनाए रखता है और अपने निर्यात का विस्तार और विविधता लाने के लिए ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में सदस्यों की सहायता करती है। एसईपीसी के सदस्य भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) तथा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अन्य स्कीमों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(i) एसईपीसी का विजन

भारतीय सेवाओं के प्रत्येक क्षेत्र का प्रभावी संवर्धन और प्रतिनिधित्व करते हुए और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय सेवा निर्यात का मुख्य केंद्र बनाना।

(ii) एसईपीसी का मिशन

व्यापार में वृद्धि के लिए उपाय और विनिमय के माध्यम से अपनी प्रोफ़ाइल को बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पर भारतीय सेवा क्षेत्र का एक प्रभावी माध्यम बनना। सरकार और अन्य हितधारकों और सेवा क्षेत्र के बीच एक लिंक के रूप में सेवा करना। ज्ञान का प्रसार करनौ और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठनों की तलाश में उनकी उपलब्धियों की पहचान करना।

(iii) एसईपीसी की भूमिका और प्रकार्य

एसईपीसी सरकार में सेवा क्षेत्र उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच बातचीत के एक मंच के रूप में कार्य करती है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित प्रकार्य करता है:

- सेवा निर्यात के संवर्धन के लिए एक निर्यात संवर्धन कार्यनीति का कार्यान्वयन
- विदेशी सेवा पूछताछ की सुविधा प्रदान करना
- संचार और प्रचार का माध्यम बनना

एसईपीसी को निम्नलिखित सेवा क्षेत्रों का संवर्धन करने का अधिदेश दिया गया है:

- नर्सों, फिजियोथेरेपिस्ट और पराचिकित्सीय कार्मिक सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
- शैक्षणिक सेवाएं
- दृश्य–श्रव्य सेवाओं सहित मनोरंजन सेवाए
- परामर्शी सेवाएं
- वास्तुकलात्मक सेवाएं और संबंधित सेवाएं
- वितरण सेवाएं
- लेखांकन/लेखापरीक्षा और बही–अनुरक्षण सेवाएं
- पर्यावरणीय सेवाएं
- समुद्रतटीय परिवहन सेवाएं
- विज्ञापन सेवाएं
- विपणन अनुसंधान और लोक मत पोलिंग सेवाएं/प्रबंधन सेवाएं
- मुद्रण और प्रकाशन सेवाएं
- विधिक सेवाएं
- होटल और पर्यटन संबंधी सेवाएं
- अन्य

एसईपीसी द्वारा प्रमुख प्रचार गतिविधियां (2020–21)

क्रम सं.	गतिविधि	सेवा क्षेत्र	गतिविधि का प्रकार	स्थान	तारीख
1	एसईपीसी के सहयोग से आईसीएआई द्वारा आयोजित ''विदेश में पेशेवर अवसरों का उपयोग करना''	लेखांकन सेवाएं	वेबिनार	ऑनलाइन	05.04.2020
2	स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में निर्यात बाजार के अवसर	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	वेबिनार	ऑनलाइन	11.04.2020
3	आईएसीसी और एसआईएलएफ के सहयोग से ''कोविड–19 के दौरान नियोक्ता–कर्मचारी संबंध पर विधिक दृष्टिकोण''	विधिक सेवाएं	वेबिनार	ऑनलाइन	22.04.2020
4	पुनःप्रारम्भ और पुनःनवीकरणः कोविड–19 के पश्चात् यात्रा और पर्यटन व्यवसाय निरंतरता	होटल एवं पर्यटन सेवाएं	वेबिनार	ऑनलाइन	06.05.2020
5	इंडिया हील्सः स्वास्थ्य देखभाल सेवा निर्यातों का जीवंत करना	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	वेबिनार	ऑनलाइन	16.05.2020
6	एआईयू के सहयोग से आयोजित वैश्विक परिपाटियों और अवसरों के साथ भारतीय शिक्षा क्षेत्र का संरेखण	शिक्षा सेवाएं	ननन	ऑनलाइन	25.08.2020
7	एवीजीसी क्षेत्र–एनीमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग : आगे का रास्ता	मनोरंजन सेवाएं	वेबिनार	ऑनलाइन	19.09.2020
8	दक्षिण अफ्रीका यात्रा और पर्यन विनिमय (एसएटीटीई) जेनएक्स–2020 में एसईपीसी का वर्चुअल मंडप	होटल एवं पर्यटन सेवाएं	वर्चुअल प्रदर्शनी	ऑनलाइन	05.10.2020 to 06.10.2020
9	मार्चे इंटरनेशनल डेस प्रोग्रामेस डे कम्यूनिकेशन–(एमआईपीसीओएम) ऑनलाइन में एसईपीसी भारत का वर्चुअल मंडप	मनोरंजन सेवाएं	वर्चुअल प्रदर्शनी	ऑनलाइन	05.10.2020 to 17.11.2020

क्रम सं.	गतिविधि	सेवा क्षेत्र	गतिविधि का प्रकार	स्थान	तारीख
10	वैश्विक बाजार में भारत की मनोरंजन सेवाएं	मनोरंजन सेवाएं	वेबिनार	ऑनलाइन	31.10.2020
11	शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में भारत और पेरू के बीच तालमेल	शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल	वेबिनार	ऑनलाइन	05.11.2020

(iv) एसईपीसी द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आईसीएआई और एसईपीसी ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लेखांकन और संबद्ध सेवा क्षेत्र के लाभ के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता की पहचान की। दोनों संगठनों ने औपचारिक रूप से 30 जून, 2020 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठनों ने, लेखांकन और वित्त सेवाओं के लिए और ऐसी सेवाओं के निर्यात संवर्धन के लिए चैंपियन क्षेत्र के लिए कार्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों में संयुक्त रूप से एक समन्वय समूह की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की।

(v) अन्य पहलें

एसईपीसी ने प्रत्येक मुद्दे में एक चैंपियन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना मासिक समाचार पत्र "इंडिया सर्व्स" शुरू किया है और भारतीय दूतावासों से विदेशी बाजार अपडेट सहित इस क्षेत्र के सभी अपडेट को भी कवर किया है।

(ड) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई)

भारत से काजू की गिरी, काजू के छिलके के द्रव और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 17 अगस्त, 1955 को भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) को मान्यता दी। स्थापना के बाद से, यह परिषद इन उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान कर रही है।

परिषद काजू की गिरी के निर्यातक सदस्यों के साथ विदेशी आयातकों को एक साथ लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है। विदेशी आयातकों की ओर से जानकारी प्राप्त करने संबंधी सूचना को परिषद सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाता है।

परिषद विस्तृत अध्ययन करती है और काजू की बाजार क्षमता से संबंधित व्यापार / बाजार की जानकारी और अन्य विवरण संग्रहित करती है तथा इन विवरणों को निर्यातकों को उपलब्ध कराती है। यह विभिन्न पक्षों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के माध्यम से की गई व्यापार संबंधी पूछताछ का प्रबंधन करती है और इन्हें अपने सदस्यों को प्रसारित करती है। काजू और काजू उत्पादों के लिए परिवर्तनशील वैश्विक व्यापार सूचना को निरंतर आधार पर अद्यतन किया जाता है।

परिषद के कार्यों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन / प्रायोजन करते हुए, बाजार अध्ययन, ब्रांड संवर्धन कार्यक्रम, क्रेता विक्रेता बैठक, विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लेना और निर्यात बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में काजू निर्यातकों को अन्य सभी सहायता प्रदान करना शामिल है। यह परिषद अपरिष्कृत काजू के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर काजू और कोको विकास निदेशालय के साथ लगातार संपर्क कर रही है। यह परिषद नए उत्पादों के विकास, निर्यातकों को प्रक्रिया उन्नयन / आधुनिकीकरण, आदि के लिए सहायता प्रदान करने आदि संबंधी परियोजनाओं में शामिल है।

यह परिषद विभिन्न विदेशी बाजार के तत्स्थलीय (ऑन–द–स्पॉट) अध्ययन के लिए समय–समय पर व्यापार प्रतिनिधि मंडल और अध्ययन दलों को प्रायोजित करती है। इन दलों / प्रतिनिधिमंडलों द्वारा एकत्रित बाजार संबंधी जानकारी व्यापार / उद्योग को प्रसारित की जाती है।

यह परिषद प्रत्यक्ष रूप से स्वयं के साथ–साथ भारत के व्यापार संवर्धन संगठनों के माध्यम से विदेशों में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों एवं प्रदर्शनियों और सामान्य मेलों में भाग लेती है। क्योंकि यह परिषद सम्पूर्ण उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह सदस्यों से प्राप्त उत्पादों के प्रदर्शन की व्यवस्था करती है।

परिषद अपनी पत्रिका, मासिक काजू बुलेटिन भी प्रकाशित करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में उपयोग के लिए विभिन्न भाषाओं पर विवरणिका और फोल्डरों के साथ–साथ प्रत्येक बर्ष भारतीय काजू निर्यातकों की निर्देशिका का प्रकाशन करती है। यह परिषद निर्यातकों को प्रक्रिया उन्नयन / आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करते हुए नए उत्पादों के विकास के लिए विभिन्न खाद्य अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करती है।

कोल्लम में परिषद की एक प्रयोगशाला और अनुसंधान संस्थान है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर की है तथा एनएबीएल से मान्यता प्राप्त

है। यह प्रयोगशाला आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। यह भारतीय काजू उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है और देश में उत्पादित और संसाधित किए जाने वाले काजू की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए सहायता करता है। इस प्रयोगशाला की सेवाएं न केवल भारत में काजू उद्योग के लिए उपलब्ध हैं, बल्कि भारत और विदेशों में संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उपलब्ध हैं। प्रयोगशाला को पैकबंद पेयजल के विश्लेषण के लिए बीआईएस द्वारा और साथ ही संदूषकों के लिए केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता दी गई है।

यह उद्योग काजू क्षेत्र के लगभग 15 लाख कामगारों, मुख्य रूप से भारत के 20 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों की महिलाएं, को रोजगार प्रदान करता है ।

(ढ) भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) तिलहन, तेल और तेल की खली के विकास और निर्यात संवर्धन से संबंधित है। इसका गठन दिनांक 23 जून 1956 को किया गया था। आईओपीईपीसी, जिसे पहले आईओपीईए के नाम से जाना जाता था, छह दशकों से अधिक समय से निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, परिषद भारत में तिलहन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों, शेलरों, प्रोसेसरों, सर्वेक्षकों और निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी कार्य करती है।

आईएपीईए का गठन, वास्तव में, एक प्रतिनिधि निकाय के माध्यम से सामूहिक और ठोस तरीके से तिलहन, वनस्पति तेलों और तेल की खली जैसी वस्तुओं में भारत के निर्यात व्यापार के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का पहला संगठित प्रयास था।

(i) यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात के लिए प्रक्रिया का कार्यान्वयन

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने इस परिषद को तिल के विकास और संवर्धन का कार्य सौंपा है। तदनुसार, आईओपीईपीसी ऐसे गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता प्रदान करता है, जो यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात में संलग्न हैं। यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात के लिए परिषद ने प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी जारी किये हैं।

(ii) कृषकों और प्रोसेसरों को बीच जागरूकता का सृजन

यह परिषद भारतीय कृषकों के बीच अच्छी कृषि परिपाटियों (जीएपी) को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करती है तथा एचएसीसीपी और अच्छी कृषि परिपाटियों (जीएमपी) को अपनाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। परिषद ने जीएमपी के विभिन्न पहलुओं पर एक शिक्षाप्रद फिल्म विकसित की है, जिसका उद्देश्य आयातक देशों के गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने वाली मूंगफली का निर्यात करना है। परिषद ने जीएपी पर एक फिल्म भी विकसित की है, ताकि मूंगफली की उपज और गुणवत्ता में सुधार हो।

(iii) खेत स्तर पर एफ्लाटॉक्सिन और कीटनाशकों से संबंधित मुद्दे का समाधान करना

आयातक देश सदैव अन्य देशों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कृषि उत्पादों में एफलाटॉक्सिन (मूंगफली के मामले में), कीटनाशकों के अवशेषों तथा अन्य रासायनिक और माइक्रोबॉयोलॉजिकल संदूषण के बारे में चिंतित रहते हैं। एफ्लाटॉक्सिन को नियंत्रित करने तथा सुरक्षित और अनुमेय कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, परिषद विभिन्न गतिविधियों (जैसे कार्यशालाओं, पर्चे का वितरण) का आयोजन करती है ताकि समस्या को खेत स्तर पर ही न्यूनतम हो।

(iv) आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण

आपूर्ति–श्रृंखला को सुदढ़ीकरण तथा निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों, ब्रोकरों और तिलहन और तेल क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं जैसे हितधारकों के बीच गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

परिषद के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारयों की रूपरेखा निम्नानुसार है:

(ए) मेले और प्रदर्शनियां

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना जिनमें से अधिकांश वाणिज्य मंत्रालय, भारत की बाजार सहायता पहल (एमएआई) स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित हैं।
- विभिन्न बाजारों में निर्यात क्षमता के संबंध में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए घरेलू मेलों में भागीदारी।
- भारत में और साथ ही विदेशी बाजारों में विशिष्ट क्रेता–विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन करके भावी खरीददारों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- विदेशी बाजार में अवसरों का पता लगाने के लिए विदेश में अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के दौरों का आयोजन करना।

(बी) सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय

- यह परिषद विभिन्न देशों में निर्यातकों द्वारा सामना किए गए मुद्दों के समाधान के लिए नियमित रूप से विभिन्न देशों के भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों और संघों के साथ पत्राचार करती है। भारत से सुचारू निर्यातों को सुनिश्चित करने के लिए यह परिषद सीमा शुल्क, बैंक, डीजीएफटी, कृषि और किसान कल्याण, पादप और संगरोध प्राधिकरण जैसे भारतीय प्राधिकरणों के समक्ष उठाता है।
- यह परिषद निर्यातकों द्वारा सामना किए गए मुद्दों के समाधान के लिए नियमित रूप से विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों और संघों के साथ पत्राचार करती है।

(सी) व्यापार बैठकें, सर्वेक्षणों और अध्ययनों का आयोजन

- यथासमय आपूर्ति–मांग स्थिति का आकलन करने के लिए फसल सर्वेक्षण का आयोजन करती है ताकि प्रभावी निर्यात कार्यनीति तैयार की जा सके।
- बाजार सर्वेक्षण का आयोजन करती है और विभिन्न क्लस्टर अध्ययनों, शोध रिपोर्टों और पत्रिकाओं के माध्यम से बाजार आसूचना जानकारी प्रदान करती है।
- तिलहन और तेल क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान में सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(डी) प्रशिक्षण और उत्पादकता

- क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों के तकनीकी कौशल को उन्नत करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यह परिषद पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।
- कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना और गुणवत्ता का उन्नयन।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, मानकों और विनिर्देशों जैसे जोखिम विश्लेषण एवं संवेदनशील नियंत्रण बिंदु, एचएसीसीपी जैसे प्रमाणन के क्षेत्रों में सदस्यों को पेशेवर सलाह और सेवाएं प्रदान करना

(ई) सूचना का प्रसार

- सरकारी अधिसूचना / सार्वजनिक सूचना / आदेश, सांख्यिकी, वैश्विक कार्यक्रमों, सरकारी स्कीमों, व्यापार पूछताछ और तिलहन और तेल क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण लेखों का ईमेल और साथ ही मासिक समाचार बुलेटिन के माध्यम से प्रसार करना।
- यह परिषद एक वार्षिक स्मारिका भी जारी करती है जो संक्षिप्त व्यापार सूचना और सदस्यों के संपर्क विवरण प्रदान करती है।

(एफ) तिलहन और तेल के संबंध में भारत के विदेश व्यापार का रूझान

- तिलहन निर्यात क्षेत्र का आकार (परिषद के क्षेत्राधिकार के अधीन तिलहन) वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 9497.18 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष में यह 8214.29 करोड़ रुपये था।
- निर्यात के दृष्टिकोण से, मूंगफली और तिल भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तिलहन हैं। जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान तिलहन के कुल निर्यात में 61.41% की प्रमुख हिस्सेदारी का श्रेय मूंगफली को जाता है, जबकि मात्रात्मक संदर्भ में तिल के बीज कुल तिलहन निर्यात में हिस्सेदारी 26.08% थी।
- वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2019 – मार्च, 2020 के दौरान, भारत से मूंगफली निर्यात पिछले वर्ष के 4,89,187 टन की तुलना में 35.83% बढ़कर 664,443 टन हो गया। मूल्य के संदर्भ में भी मूंगफली का निर्यात 54.56% बढ़कर 5,096.38 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान यह 3,297.32 करोड़ रुपये था।
- वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान, भारत से तिल का निर्यात पिछले वर्ष के 3,12,003 टन से 9.55% को होकर 2,82,210 टन के स्तर पर आ गया। मूल्य के संदर्भ में, तिल के बीज का निर्यात वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान पिछले वर्ष के 3,761.62 करोड़ रुपये की तुलना में 1.02% घटकर 3,723.12 करोड़ रुपये रह गया।

(जी) वनस्पति तेल का निर्यात

वनस्पति तेलों के निर्यात में अरंडी के तेल का प्रभुत्व रहा और वर्ष 2019–20 के दौरान 681657.71 टन का निर्यात मूल्य 7425.67 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 7,75,808.22 टन था, जिसका मूल्य 6839.23 करोड़ रूपये था।

(ण) वस्त्र

अद्वितीय कच्चे माल का आधार है और सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण क्षमता के साथ, भारतीय वस्त्र उद्योग, विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में एक है। वस्त्र उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योग के उत्पादन का 7%, भारत के जीडीपी का 2% और देश की निर्यात आय का 15% योगदान देता है। हाल के वर्षों में भारत का वर्षवार वस्त्र निर्यात प्रदर्शन निम्नानुसार है:

(मूल्य, मिलियन यूएस डॉलर में)

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (अप्रैल–सितम्बर)
वस्त्र निर्यात	36,727.51	36,477.48	36,747.95	37,497.77	34,219.97	11,932.09

स्रोत:डीजीसीआईएंडएस

50% से अधिक वस्त्र निर्यात में कपास उत्पाद शामिल हैं। अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान निर्यात की गई शीर्ष 5 कपड़ा–वस्तु की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

अप्रैल–सितम्बर, 2020 में निर्यात की गई शीर्ष 5 कपड़ा–वस्तु का हिस्सा

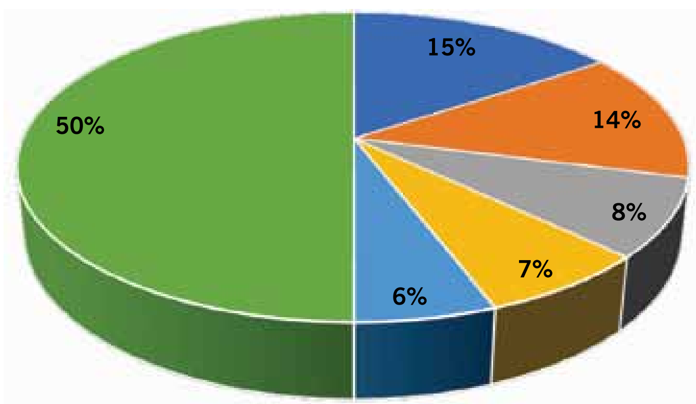

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान आयात की गई शीर्ष 5 कपड़ा–वस्तु का हिस्सा%

अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान आयात की गई शीर्ष 5 कपड़ा–वस्तु का हिस्सा:

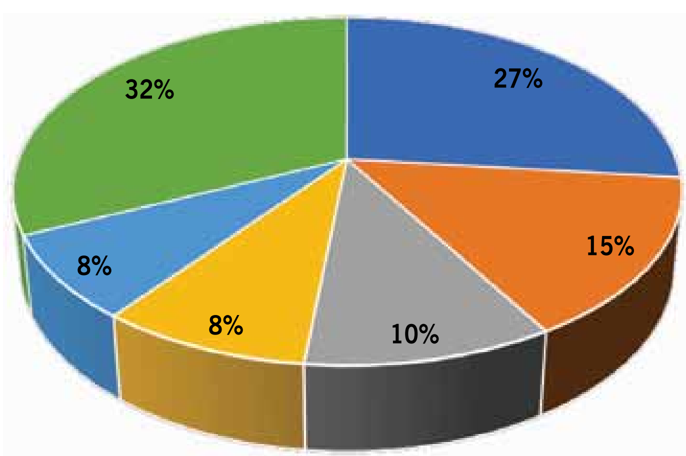

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

(i) भारत के वस्त्रों का निर्यातः प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल

हथकरघा और हस्तशिल्प सहित भारतीय वस्त्र और कपड़ा उत्पाद का निर्यात सौ से अधिक देशों में किया जाता है। भारतीय वस्त्र निर्यात के प्रमुख निर्यात गंतव्यस्थलों में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ आदि शामिल हैं। भारतीय वस्त्र के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य और उनके संबंधित प्रतिशत नीचे दिए गए हैं:

अप्रैल–सितम्बर, 2020 के लिए भारत के वस्त्र निर्यातों के प्रमुख गंतव्य–स्थल

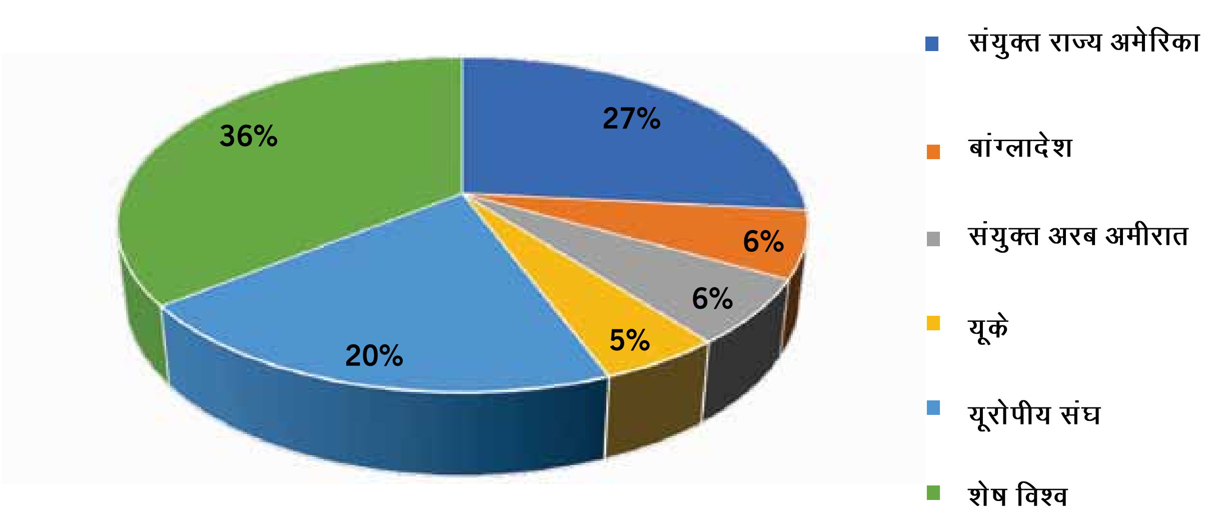

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

(ii) भारत का वस्त्र आयातः आयात के मुख्य स्रोत

भारत का लगभग 50% वस्त्र आयात फाइबर्स और यार्न का है, जिसकी उपयोग मूल्यवर्धन के लिए किया जाता है। भारत बड़ी मात्रा में तकनीकी वस्त्रों का आयात करता है, जिनका घरेलू स्तर पर पर्याप्त रूप से उत्पादन नहीं होता है। भारत के लिए शीर्ष 5 वस्त्र और परिधान आयात स्रोत नीचे दिए गए हैं:

अप्रैल–सितम्बर, 2020 के लिए भारत के वस्त्र आयात के प्रमुख स्रोत

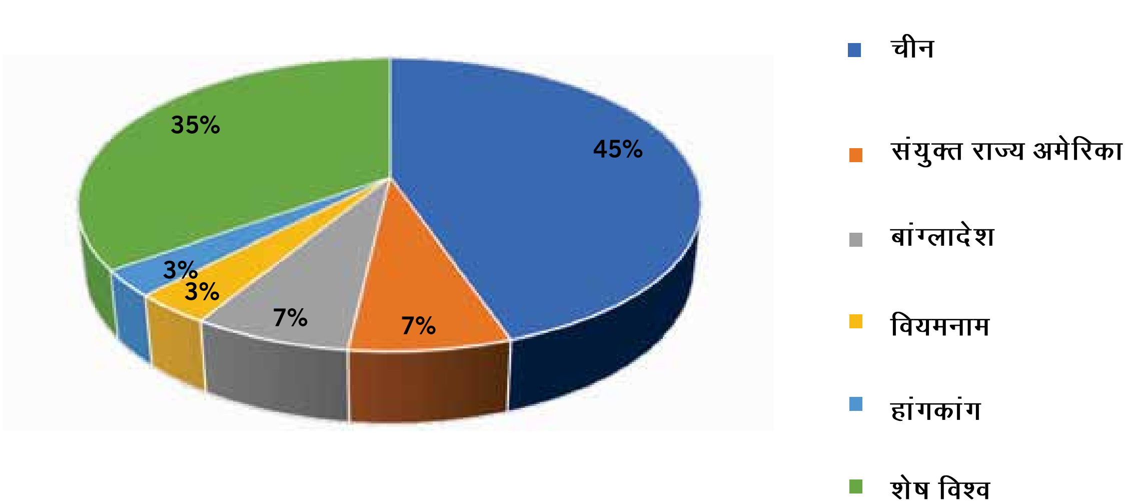

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

(iii) वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में पहले/उपलब्धियां

वस्त्र निर्यात पर कोविड–19 के प्रभाव से निपटने के लिए, ईपी–टेक्सटाइल समन्वय प्रभाग ने निर्यातकों की संचलन पास, निर्माण इकाइयों का संचालन, कार्गो संचलन की सुगम सुविधा, वित्त, बीमा आदि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), राज्य प्राधिकरणों, आरबीआई जैसी नियामक एजेंसियों आदि के साथ मिलकर कार्य किया।

पीपीई बॉडी कवराल्स और एन –95 मास्क की बढ़ती वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए, इनके निर्यात के लिए वस्त्र मंत्रालय और डीजीएफटी के साथ समन्वय स्थापित किया गया था।

वाराणसी से 10 हस्तशिल्प जीआई सहित वाराणसी क्षेत्र के हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीति तैयार करने के लिए डीसी–हैंडलूम, डीसी–हस्तशिल्प और हस्तशिल्प ईपीसी के साथ बैठक आयोजित की गई।

समग्र वस्त्र और परिधान आयातों में 20 देशों की आयात आवश्यकताओं और भारत की निर्यात क्षमता के विश्लेषण के आधार पर वस्त्र और परिधान निर्यात के लिए 20 लक्षित देशों का अभिनिर्धारण करने के लिए एक व्यापक अभ्यास किया गया।

कोविड–19 के प्रकोप के कारण पूरे विश्व में यात्रा पर प्रतिबंध को देखते हुए, वर्चुअल निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन / में भाग लेने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों / व्यापार निकायों के सात दर्जन से अधिक प्रस्तावों की जांच की गई तथा वाणिज्य विभाग की बाजार सहायता पहल स्कीम के तहत सहायता के लिए अनुशंसा की गई।

एमएमएफ फाइबर और धागे के विनिर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चे माल, पीटीए (शोधित टेरिफैलिक एसिड) पर एंटी–डंपिंग शुल्क को हटाने के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय किया।

(त) फॉर्मास्यूटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फॉर्मेक्सिल)

(i) फॉर्मा व्यापार में रूझान

भारतीय फॉर्मा, जो एक उच्च–ज्ञान आधारित उद्योग है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, भारतीय फॉर्मा निर्यात 20.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसने विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 7.6% की वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान वर्ष में अप्रैल–अक्टूबर 2020 के दौरान फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात असाधारण रूप से अच्छा रहा है जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल–अक्टूबर 2019 में 11.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 13.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 12.8% वृद्धि हुई। भारतीय फॉर्मा उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

भारतीय फॉर्मास्युटिकल उद्योग, सुदृढ़ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से और सस्ती कीमत पर औषधियां प्रदान करने में सुग्राही होने के नाते, "फार्मेसी ऑफ़ द वर्ल्ड" के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है, जो विश्व भर में मानक, सुरक्षित और प्रभावकारी दवाओं का प्रदाता है।

भारत की फॉर्मास्यूटिकल्स विनिर्माण ने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने के लिए सरकार की विभिन्न औषध नीतियों के परिणामस्वरूप वर्ष 1970 से गति पकड़ी। देश शीघ्र ही न केवल आत्मनिर्भर बन गया, बल्कि फॉर्मा उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी बन गया। भारत विश्व के लगभग सभी देशों को सक्रिय फॉर्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), मध्यवर्ती, फॉर्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन, जैव–फॉर्मास्यूटिकल्स, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल, हर्बल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आयुर्वेद, होमो, यूनानी उत्पाद, पशु चिकित्सा औषधियां आदि का निर्यात करता है।

भारत ने बड़ी संख्या में एब्रेबिएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन (एएनडीए) अनुमोदनों, ड्रग मास्टर फाइल्स (डीएमएफ) फिलिंग्स, यूएसएफडीए/यूके एमएचआरए द्वारा अनुमोदित विनिर्माण सुविधाओं / जैव समता केंद्रों आदि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक क्षमताओं को साबित किया है, जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय फार्मा क्षेत्र की क्षमताओं को मापने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में माना जाता है। यूएस एफडीए (4500 डीएमएफ और 5029 एंडएएस) के साथ भरी गई ड्रग मास्टर फाइलों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 37: है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी भी देश में सबसे अधिक है। भारत को लगभग 1744 उपयुक्तता प्रमाणपत्र (सीईपी), 1300 से अधिक टीजीए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं तथा यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित 664 साइटों को अनुमोदित किया गया है।

(ii) निर्यात रूझानों की प्रमुख विशेषताएं

- भारत डीपीटी और बीसीजी के लिए डब्ल्यूएचओ की 65% मांग और 90% मीज़ल्स टीके का उत्पादन करता है।
- शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत से हैं।
- भारत का 55% से अधिक निर्यात उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे अत्यधिक विनियमित बाजारों में होता है।
- यूएसए भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अफ्रीका के 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जेनेरिक बाजार में भारत का योगदान 50% है।

- एलएसी, अफ्रीका और एशिया के संभावित किंतु उपयोग न किए गए बाजारो में भारतीय विनिर्माताओं के लिए विशाल बाजार का अवसर उभर रहा है। इसके अलावा, कौशल, लागत और वितरण लाभ के कारण भारत के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (सीआरएएमएस), नैदानिक अनुसंधान, बायोटेक्नोलॉजी, बायो–इंफॉर्मेटिक्स इत्यादि के लिए आउटसोर्सिंग के रूप में काफी विकास की संभावनाएं हैं।

(iii) फॉर्मा निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन तंत्र/ वाणिज्यिक विभाग/फॉर्मेक्सिल द्वारा की गई पहलें

(क) ब्रांड इंडिया फॉर्मा परियोजना

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फॉर्मा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 से ब्रांड इंडिया फॉर्मा परियोजना शुरू की गई है तथा इस क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने और गुणवत्ता एवं सामर्थ्य के कारण भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए "मेड इन इंडिया" लोगो पर जोर दिया जा रहा है।

(ख) एपीआई के आयात पर निर्भरता का कम करना

भारत, घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं के साथ–साथ निर्यात के लिए तैयार किए गए फॉर्मुलेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एपीआई / महत्वपूर्ण प्रारम्भण सामग्री (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। वाणिज्य विभाग के वित्तीय समर्थन के साथ फॉर्मेक्सिल ने एपीआई, केएसएम और इंटरमीडियरी पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (टीपीआर) तैयार करने के लिए प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एक अध्ययन किया है। अध्ययन रिपोर्ट में आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और योजनाओं का अभिनिर्धारण किया गया है और सरकार द्वारा कार्यनीतियों, नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं और प्रोत्साहनों की एक सुसंगत संरचना विकसित करने के सुझाव दिए गए हैं, जो उद्दश्यों को पूरा करने के लिए एपीआई / केएसएमएस और ड्रग इंटरमीडिएट के स्वदेशी निर्माण के संवर्धन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। उचित कार्रवाई के लिए जनवरी, 2020 में अध्ययन रिपोर्ट को फार्मास्यूटिकल्स विभाग के साथ साझा किया गया।

भारत में महत्वपूर्ण प्रारम्भण सामग्रियों (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) / सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 20.03.2020 को आयोजित अपनी बैठक में 6,957.50 करोड़ रूपये की कुल लागत के साथ उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अनुमोदित की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण केएसएम / ड्रग इण्टरमीडिएट और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है ताकि क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके इनकी सतत घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और जिससे भारत की आयात निर्भरता कम हो।

(ग) फॉर्मा निर्यात के लिए अधिप्रमाणन प्रणाली

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत से नकली / अवमानक / घटिया दवाईयों का निर्यात न हो, दिनांक 10.01.2011 से चरणबद्ध रूप से भारत से फॉर्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन के निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस की व्यवस्था शुरू की गई है। यह उद्योग, पैकेजिंग के माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर और स्वैच्छिक आधार पर प्राथमिक स्तर पर भी बारकोडिंग की प्रणाली अपनाने में सक्षम रहा है। उद्योगों से प्रतिनिधित्व और छोटे पैमाने के निर्यातकों की चिंताओं के कारण, सभी विनिर्माताओं (एसएसआई और गैर–एसएसआई विनिर्माता) को पैकेजिंग में अभिभावक–बाल संबंधों के अनुरक्षण और केंद्रीय पोर्टल पर इसके अपलोड करने से आवधिक छूट दी गई है। छूट की तारीख को अंतिम रूप से एसएसआई और गैर–एसएसआई दोनों निर्माताओं के लिए 01.04.2021 तक बढ़ा दिया गया है। फॉर्मेक्सिल भारत से निर्यात होने वाली दवाओं के प्रमाणीकरण के लिए सी–डैक के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी तटस्थ और प्रयोक्ता–अनुकूल वेब पोर्टल 'आई–वीईडीए' (औषधि के निर्यात का एकीकृत सत्यापन और इसका प्रमाणीकरण) भी विकसित कर रहा है। आई–वीईडीए पोर्टल का बीटा संस्करण 24 जून 2020 को आरम्भ किया गया है और यह www.iveda-india.in पर उपलब्ध है।

(घ) गैर–टैरिफ व्यापार बाधाएं

वाणिज्य विभाग / फॉर्मेक्सिल, सदस्यों द्वारा उनके संज्ञान में लाई गई गैर–टैरिफ व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए, द्विपक्षीय वार्ताओं सहित निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

(ङ) ऊभरते बाजारों में प्रवेश

वाणिज्य विभाग, उद्योग को नए और संभावित बाजारों में और अधिक उत्पाद पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये तक के उत्पाद पंजीकरण की प्रतिपूर्ति की अपनी योजना के माध्यम से फार्मा उद्योग का समर्थन करता है।

विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक तथा विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों की व्यवस्था के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, कोरिया, जापान, रूस और एशियाई जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में बाजार पहुंच को सुगम बनाना।

चीन और भारत में, दोनों देशों की कंपनियों को अपने व्यापारिक उपक्रमों के लिए आदर्श साझेदार खोजने में मदद करने के लिए, हेल्पडेस्क की स्थापना की गई।

प्रमुख पहलों में विभिन्न विभागों के साथ लंबित मुद्दों – जैसे कि अनुसंधान और विकास सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी की छूट, फार्मास्युटिकल उत्पादों के प्रमाण पत्र की वैधता (सीओपीपी) का विस्तार और निर्यात के लिए एनओसी की छूट, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के साथ घनिष्ठ संपर्क सीडीएससीओ), एपीआई और केएसएम के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए एक अध्ययन का आरम्भ और चीन, रूस/सीआईएस, वियतनाम आदि जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में बाजार की पहुंच को सुविधाजनक बनाना – को उजागर करना और इनका समाधान करना शामिल है।

फॉर्मेक्सिल ने गैर–अधिमान्य देशों के लिए मूल का प्रमाण पत्र और पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना शुरू कर दिया। परिषद की इस पहल की सदस्यों द्वारा काफी सराहना की गई है।

फॉर्मेक्सिल ने उन देशों की बाजार और विनियामक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो हमारे शीर्ष 30 निर्यात गंतव्य–स्थल हैं और इसे सदस्यों के बीच वैश्विक विनियामक मानकों और विनियमों के पालन के लिए परिचालित किया गया है।

फॉर्मेक्सिल ने दिनांक 15 अगस्त, 2019 से शून्य निर्यात करने वाले सदस्यों के लिए अपने वार्षिक सदस्यता शुल्क को 11,800/– रुपये से घटाकर 1,000/– रुपये कर दिया है, जिससे लघु उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है।

(च) फॉर्मा क्षेत्र में 10/12–अंकीय एसएचएन कोड के कार्यान्वयन का व्यवहार्यता विश्लेषण

वर्तमान वर्गीकरण प्रणाली उच्च मूल्य वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों के नए वर्ग को रखने के लिए लचीलापन प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार फॉर्मेक्सिल ने फार्मा क्षेत्र में 10/12 अंकीय एचएसएन कोड के कार्यान्वयन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के मूल्यांकन के लिए एक अध्ययन किया। रिपोर्ट को एचएस कोड को संरेखित और संशोधित करने के लिए, हितधारकों के परामर्श से जांच के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ साझा किया गया है।

(छ) भारतीय फॉर्मेकोपिया को मान्यता के लिए प्रयास

भारतीय फार्माकोपिया को औपचारिक रूप से अफगानिस्तान द्वारा वाणिज्य विभाग की पहल – किसी भी देश द्वारा पहली बार – मान्यता प्राप्त की गई है। यह मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया गया है ताकि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और एलएसी क्षेत्रों जैसे देशों से आरम्भ करते हुए अन्य देशों में भारतीय फॉर्मेकोपिया को मान्यता दी जा सके।

(ज) परस्पर मान्यता समझौता

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से हमारे केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और संभावित बाजारों में इसके समकक्ष औषध विनियामक प्राधिकरणों के बीच आपसी मान्यता समझौते (एमआरए) के निष्पादन की संभावनाओं का पता लगाने का भी अनुरोध किया गया है।

(iv) कोविड–19 के दौरान फॉर्मा उद्योग के हित में की गई पहलें

कोविड–19 महामारी के कारण बाधाओँ और व्यवधान – विशेष रूप से लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान – से निपटने के लिए फॉर्मा निर्यातकों को सहायता प्रदान करना और संबंधित प्रमुख मंत्रालयों / विभागों के समक्ष मुद्दों को उठाना।

कोविड –19 के परिप्रेक्ष्य में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन (एचसीक्यू) और पेरासिटामोल की खरीद के लिए विभिन्न देशों, जिनमें निर्यात प्रतिबंधित थे, से अनुरोध प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग की अनुशंसाओं के आधार पर, डीजीएफटी द्वारा 150 से अधिक देशों को एचसीक्यू और पेरासिटामोल निर्यात करने की छूट दी गई थी।

फॉर्मा निर्यातकों के शिपमेंट–पूर्व और शिपमेंट–पश्चात् क्रेडिट पर निर्यातकों के लिए ब्याज समाकरण योजना के तहत दर समता की सुविधा का प्रदान करने का अनुरोध संबंधी अभ्यावेदनों को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है। डीजीएफटी ने एफटीपी (2015–20) के एक घटक के रूप में योजना की वैधता को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया। आरबीआई ने भी बैंकों को उचित दिशा–निर्देश देते हुए दिनांक 13 मई, 2020 को परिपत्र जारी किया।

डब्ल्यूएचओ–जीएमपी / सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट (सीओपीपी) की वैधता, जो मार्च–अगस्त 2020 के बीच समाप्त हो रही था, के विस्तार के लिए फार्मा निर्यातकों के अभ्यावेदनों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ विधिवत रूप उठाया गया था। सीडीएससीओ ने बाद में 1 मई, 2020 को पत्र जारी किया और डब्ल्यूएचओ–जीएमपी/सीओपीपी की वैधता में अगले छह माह के लिए विस्तार कर दिया।

(v) कार्यक्रमों का आयोजन और कार्यक्रमों में भागीदारी

फॉर्मेक्सिल, नियमित रूप से क्रायक्रमों (मेलों, सम्मेलनों, बीएसएम, आदि) का आयोजन और उनमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। कोविड–19 महामारी के कारण, कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष भागीदारी संभव नहीं थी। हालांकि, फॉर्मेक्सिल ने वर्चुअल मोड में वेबिनार और अन्य

संवाद/कार्यक्रमों का आयोजन करके फार्मा समुदाय का समर्थन करना जारी रखा। वित्त वर्ष 2020–21 में आयोजित इन वर्चुअल कार्यक्रमों में से कुछ का विवरण इस प्रकार है:

- **इंडिया–थाईलैंड व्यवसाय बैठक 2020**

सीआईआई के साथ संस्थागत भागीदार के रूप में फॉर्मेक्सिल ने 11 जून, 2020 को "भारत–थाईलैंड व्यवसाय बैठक 2020" का आयोजन किया। फोरम ने भारत और थाईलैंड के बीच फार्मास्यूटिकल्स में व्यापार के अवसरों और वर्तमान संदर्भ में व्याप्त चुनौतियों पर चर्चा की।

- **फॉर्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में इंडोनेशिया–भारत सहयोग**

फॉर्मेक्सिल ने दिनांक 15 जून, 2020 को " फ़ार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में इंडोनेशिया–भारत सहयोग" में वेबिनार के आयोजन में फिक्की का सहयोग किया, ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

- **फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारतः कोलंबो और मैक्सिको सहयोग**

दिनांक 18 अगस्त, 2020 को "कोलंबिया इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री" और "इंडिया मेक्सिको बिजनेस चैंबर" के सहयोग से "फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारतः कोलंबिया और मेक्सिको सहयोग" का आयोजन इन राष्ट्रों के बीच फॉर्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में व्यवसाय अवसरों और सहयोग की संभावनाओं की पहचान करने के लिए किया गया। कोलंबिया और मैक्सिको में वेबिनार के आयोजन में भारत के दूतावासों द्वारा सहायता प्रदान की गई थाम और इसमें 165 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

- **कोविड–19 के दौर के बाद एडवांटेज फॉर्मा : भारत–कोरिया गणराज्य के बीच तालमेल बनाना**

सियोल के भारतीय दूतावास ने फॉर्मेक्सिल और कोरिया फार्मास्युटिकल एंड बायो – फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (केपीबीएमए) की साझेदारी में दिनांक 20 अगस्त, 2020 को कोविड–19 के दौर के बाद "एडवांटेज फॉर्माः कोरिया गणराज्य के बीच तालमेल बनानाः नामक एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का आयोजन भारत और कोरिया गणराज्य के प्रतिभागियों के बीच बी2बी बैठकों के बाद किया गया था। वेबिनार का उद्देश्य भारतीय फॉर्मा की सफलता की कहानी के बारे में जागरूकता पैदा करना और भारतीय फॉर्मा उद्योग की विश्वसनीयता में सुधार करना तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था। वेबिनार में लगभग 130 सदस्यों ने भाग लिया और भारत के 47 प्रदर्शकों ने और कोरिया के 15 सदस्यों ने बी2बी बैठकों में भाग लिया।

- **फॉर्मा और स्वास्थ्य देखभाल वेबिनार में भारत–यूएई तालमेल**

अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास के समर्थन से दिनांक 28 सितंबर, 2020 फार्मा और स्वास्थ्य देखभाल वेबिनार में भारत–यूएई–तालमेल और भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच बी2बी बैठकों का आयोजन किया गया था। 34 भारतीय कंपनियों ने प्रदर्शन किया और आयोजन में कुल 157 सदस्यों ने भाग लिया।

- **फॉर्मा, आयुर्वेद और संबद्ध क्षेत्रों में भारत–लाओ पीडीआर व्यापार संवर्धन**

फॉर्मेक्सिल द्वारा लाओ पीडीआर स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से फॉर्मा, आयुर्वेद और संबद्ध क्षेत्रों में भारत–लाओ पीडीआर व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। लगभग 13 लाओ कंपनियों और 29 भारतीय कंपनियों ने व्यावसायिक बैठकें की और कार्यक्रम में कुल 175 सदस्यों ने भाग लिया।

- **फॉर्मास्यूटिकल्स में भारत–केएसए और ओमान की भागीदारी**

दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को फॉर्मेक्सिल द्वारा रियाद और मस्कट स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से "फॉर्मास्यूटिकल्स में भारत–केएसए और ओमान की भागादारी'' वेबिनार और व्यवसाय नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया गया। रियाद के लिए भारतीय राजदूत और मस्कट के लिए भारतीय राजदूत, विनियामक एजेंसियों (एसएफडीए एवं एमओएच–ओमान) तथा सऊदी इंडिया बिजनेस नेटवर्क एवं ओमान बिजनेस चैम्बर के अधिकारियों ने वेबिनार में भाग लिया। सऊदी अरब से 31 और ओमान से 28 सदस्य सहित कार्यक्रम में लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया।

- **फॉर्मास्यूटिकल और वैकल्पिक औषधि में अवसरों में वृद्धि करने के लिए भारत और बेहरीन साम्राज्य के बीच वेबिनार**

फॉर्मेक्सिल द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को भारत और बहरीन साम्राज्य के बीच औषधियों और वैकल्पिक औषधि में अवसरों को बढ़ाने पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। एनएचआरए (नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ बेहरीन) एवं बीसीसीआई (बेहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इडस्ट्री) के सहयोग से फार्मेक्सिल और बेहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने दोनों देशों के उद्योगों के बीच वेबिनार और बिजनेस नेटवर्किंग बैठकें आयोजित कीं। बहरीन में भारत के राजदूत और एनएचआरए एवं बीसीसीआई के अधिकारियों ने वेबिनार में भाग लिया। बहरीन से 24 सदस्यों सहित कार्यक्रम में लगभग 130 सदस्यों ने भाग लिया।

- **फॉर्मास्यूटिकल में भारत–ब्राजील तालमेल**

फॉर्मेक्सिल ने ब्राज़ील स्थिति भारतीय दूतावास के सहयोग से एएनवीआईएसए अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस / संवाद सत्र का आयोजन किया, जिसके बाद 26 नवंबर, 2020 को ब्राज़ीलियाई उद्योगों के साथ एक बिजनेस नेटवर्किंग सत्र और 27 नवंबर, 2020 को ब्राज़ीलियाई कंपनियों के साथ व्यवसाय बैठक आयोजित की गई। फोरम ने फॉर्मास्यूटिकल क्षेत्र तथा भारत और ब्राजील के बीच संयुक्त सहयोग संभावनाओं के अवसरों पर विचार–विमर्श किया। विनियामक परिप्रेक्ष्य पर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई, और सदस्य कंपनियों को कार्यक्रम से लाभ हुआ।

(vi) कोविड–19 के दौर के बाद भारतीय–जर्मन फॉर्मा के लिए चुनौतियां और अवसर

दिनांक 27 नवंबर, 2020 को फ्रैंकफर्ट स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास और चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएचके) फ्रैंकफर्ट के सहयोग से फॉर्मेक्सिल ने "कोविड के दौर के बाद भारतीय और जर्मन फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए चुनौतियां और अवसर" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में जर्मन और भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों पर कोविड के प्रभाव पर अनुभवों का आदान–प्रदान किया गया और इस पर चर्चा की गई कि कॉर्पोरेट सेक्टर और सरकारें इन चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे कोविड–19 संकट का सामना करती हैं। फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य राजदूत ने वेबिनार में 80 से अधिक प्रतिभागी कंपनियों को संबोधित किया।

2. अन्य संगठन

(क) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ)

भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ) की स्थापना वर्ष 1965 में निर्यात संवर्धन संगठन के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 21) के तहत पंजीकृत है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संघ को विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट 2टी के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। देश भर में कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, रांची और इंदौर जैसे सभी महानगरों और शहरों को कवर करते हुए इसके 17 कार्यालय स्थित हैं। यह एक आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित संगठन है।

एफआईईओ निर्यातकों और नीति निर्माताओं के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और निर्यात संवर्धन का साधन है। यह 32,000 से अधिक सदस्यों को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक सर्विसिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। निर्यात संवर्धन परिषद, कमोडिटी बोर्ड, निर्यात विकास प्राधिकरण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, कंसल्टेंसी, संगठनों और व्यापार संगठनों आदि जैसे संगठन एफआईईओ के सदस्य हैं। एफआईईओ दर्जाप्राप्त निर्यात फर्मों और बहु–उत्पादों में कार्य करने वाले अन्य निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण है। यह निर्यातकों को पंजीकरण–सह–सदस्यता–प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करता है। यह मूल का प्रमाणपत्र (गैर–अधिमान्य) भी जारी करता है जिसकी आवश्यकता कई देशों को माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में होती है।

यह संघ सेमिनार, आम स्थल बैठक, संवाद सत्र, जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में भागीदारी की व्यवस्था करता है। एफआईईओ, खरीददारों / विक्रेताओं को सदस्यों और गैर–सदस्यों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से ई–प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और भारत के प्रदर्शन, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, विशेष रूप से ऐसे देशों में जिनमें पहले न किया गया हो, का आयोजन भी करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के करीबी भागीदार के रूप में कार्य करता है। संघ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा व्यापार संघों के साथ लगभग 110 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं। यह एंटरप्राइज़ यूरोप नेटवर्क का भारतीय भागीदार है और एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करता है।

एफआईईओ, निर्यात के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान कार्य भी करता है और राज्यों को निर्यात के संभावित उत्पादों की पहचान करने और ऐसे उत्पादों के निर्यात की सुविधा के लिए कार्यनीति तैयार करने में मदद करता है। इसने विभिन्न राज्यों की निर्यात कार्यनीति का मसौदा तैयार किया है और कुछ को अपनी स्वयं की निर्यात नीति तैयार करने में मदद की है। डीजीएफटी के "डिस्ट्रिक्ट एज़ एक्सपोर्ट हब' के तहत, एफआईईओ ने पाँच ज़िलों, इम्फाल (मणिपुर), जम्मू (जेएंडके), रामनगर (कर्नाटक), सोलापुर (महाराष्ट्र) और भुवनेश्वर (उड़ीसा) की निर्यात कार्यनीति को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

बाजार पहुंच में मानकों की भूमिका के महत्व को समझते हुए, एफआईईओ ने सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका आदि को निर्यात के लिए अनुरूपता मूल्यांकन आवश्यकताओं के संबंध में विभिन्न सत्रों की शुरूआत की और साथ ही, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, एफआईईओ सक्रिय रूप से शामिल है और लॉजिस्टिक्स प्रभाग द्वारा लॉजिस्टिक डैशबोर्ड के निर्माण के साथ–साथ भारत में सभी बंदरगाहों का समय विश्लेषण के लिए सौंपी गई दो परियोजनाओं का निष्पादन का कार्य भी कर रहा है।

एफआईईओ ने भारतीय व्यापार पोर्टल– www.indiantradeportal.in का विकास किया है और अनुरक्षण कर रहा है। यह व्यापार पोर्टल, मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन), 87 देशों के प्रशुल्क / अधिमान्य प्रशुल्क, प्रीपेड टैरिफ, स्वच्छता और पादप स्वच्छता

उपायों (एसपीएस) का लाभ उठाने के लिए उत्पत्ति के नियम तथा 87 देशों के प्रशुल्क लाइन पर मैप किए गए व्यापार के तकनीकी अवरोध (टीबीटी), 87 देशों के सांख्यिकीय आंकड़ों, और उनके आयात में भारत का हिस्सा, भारत सरकार की वस्तु–वार निर्यात और आयात नीति, शुल्क छूट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस), ब्याज समता दर, माल और सेवा कर (जीएसटी) और अन्य अधिशुल्क के बारे में मुख्य जानकारी प्रदान करता है।

एफआईईओ, एक मासिक बुलेटिन 'एफआईईओ न्यूज' और एक साप्ताहिक ई–बुलेटिन ''इनट्रेड'' प्रकाशित करता है, जो निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ–साथ देश के विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी को प्रभावित करने वाले वैश्विक विकासों के बारे में अवगत रखता है। इसने अगस्त, 2018 में अपना मोबाइल ऐप–निर्यात मत्र – आरम्भ किया था। यह ऐप (क) नीति, एसपीएस / टीबीटी उपायों, एमएफएन / अधिमान्य प्रशुल्क, एफआईईओ के कार्यक्रमों आदि पर दैनिक अपडेट; (ख) एफआईईओ के ईवेंट कैलेंडर तक पहुंच और एफआईईओ के कार्यक्रमों में ऑनलाइन पंजीकरण करने का विकल्प; (ग) सदस्यों के लिए एफआईईओ वेबसाइट पर उत्पाद चित्र, कंपनी का लोगो और कंपनी प्रोफाइल अपलोड करने का विकल्प; (घ) एफआईईओ के मासिक और साप्ताहिक प्रकाशनों, रिपोर्ट, लेख, प्रेस विज्ञप्ति आदि तक पहुंच; और (ङ) कोविड–19 पर अपेडट – सेवाएं प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण वैश्विक व्यापार में अभूतपूर्व व्यवधान देखा गया। महामारी के कारण विभिन्न यात्रा प्रतिबंधों के कारण, वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान भौतिक रूप में निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ आयोजित नहीं की जा सकीं, और शेष अवधि के लिए भी अनिश्चितता बनी हुई है। डिजिटल परिवर्तन पर स्विच करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, एफआईईओ, कोविड–19 के दौर में नवाचार और विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्यातकों की सहायता कर रहा है। यह व्यापार की रिकवरी और पुनरूद्धार के लिए सभी हितधारकों के साथ पुनःउत्साह के साथ गहनता से कार्य कर रहा है।

(ख) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। आईबीईएफ का मुख्य उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना और सृजन करना तथा भारतीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ज्ञान का प्रसार करना है। इस उद्देश्य के लिए, आईबीईएफ सरकार और उद्योग में सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है।

आईबीईएफ ने वर्ष 2020–21 में महत्वपूर्ण पहलों और क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए कई ब्रांडिंग गतिविधियों का संचालन किया। कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

(i) भौगोलिक संकेतक अभियान

आईबीईएफ ने भौगोलिक संकेतक (जीआइ) उत्पादों के विस्तृत विवरण को सूचीबद्ध करते हुए एक विस्तृत ई–ब्रोशर तैयार किया। यह प्रयास आईबीईएप के जीआइ प्रचार अभियान का एक हिस्सा है। विवरणिका (ब्रोशर) में जीआइ उत्पादों का विवरण, वास्तविक उत्पादकों और विक्रेताओं के जीवंत–चित्र के साथ–साथ संपर्क विवरण शामिल हैं। यह जीआइ उत्पादों, उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति और शिल्प के पीछे हमारे जीआइ समुदाय के प्रयास की अनूठी और मुख्य विशेषताएं भी दर्शाता है। ई–ब्रोशर को आईबीईएफ की वेबसाइट पर डाला गया है।

आईबीईएफ ने भारत के जीआइ के प्रचार के लिए अनेक सोशल मीडिया अभियान चलाए हैं। हैशटैग रु टवबंस4ळप्और रुळप्वप्दिकपं वाले सोशल मीडिया अभियान ने अनेक जीआइ की विशिष्ट विशेषताओं को उजागर किया और आईबीईएफ के सोशल मीडिया चैनलों पर अत्यधिक लोगों को आकर्षित किया।

(ii) मेड इन इंडिया लोगो

मेड इन इंडिया के लिए लोगो विकसित करने के लिए आईबीईएफ ने माईगॉव (डलळवअ) पर एक सार्वजनिक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता को नागरिकों से अत्यधिक प्रतिक्रिया मिली। आईबीईएफ ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के परामर्श से शीर्ष तीन प्रविष्टियों को सूचीबद्ध किया। मेड इन इंडिया के प्रचार के लिए मेगा अभियान योजना के भाग के रूप में आगे के उपयोग के लिए शीर्ष तीन लोगो को डीपीआईआईटी को सौंप दिया गया है। देश में बनने वाले उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर लोगो का उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

(iii) वस्त्र

आईबीईएफ ने दिनांक 7 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 'बन रहा भारत नया' शीर्षक के साथ एक गान (एंथेम) तैयार की है। इस गान को यू–ट्यूब पर लगभग 50,000 बार देखा गया है। आईबीईएफ ने त्यौहार की अवधि के दौरान स्थानीय उत्पादों के प्रचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया अभियान भी संचालित किए।

(iv) आईबीईएफ वेबसाइट

आईबीईएफ ने अपनी वेबसाइट – ूूूण्पइमण्वितह के माध्यम से भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी का प्रसार करके अपने लक्षित दर्शकों को संलग्न करना जारी रखा। दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक वेबसाइट को 8.14 मिलियन पेज–व्यूज के साथ 3.80 मिलियन हिट प्राप्त हुए हैं। आईबीईएफ वेबसाइट को भारत की शीर्ष 2,000 वेबसाइटों में स्थान प्राप्त है।

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

1. पूर्वी एशिया के साथ व्यापार

आसियान क्षेत्र

प्रस्तावना

भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध कायम करने की दृष्टि से वर्ष 1991 में अपनी 'पूर्व की ओर देखो नीति' की घोषणा की थी। वर्ष 2014 में, इस नीति को उन्नत कर 'एक्ट ईस्ट नीति' बनायी गयी थी, जिसके अंतर्गत एशिया – प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है। 'एक्ट ईस्ट नीति' के आर्थिक सहयोग पहलू की ओर ध्यान रखते हुए आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन) देशों नामतः ब्रुनेई, दारूस्सेलम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी डी आर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ निरंतर वार्ताएं की जाती हैं। 'एक्ट ईस्ट नीति' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिखर बैठक स्तरीय कार्यक्रमों, मंत्री स्तरीय बैठकों तथा अधिकारियों के स्तर पर चर्चाओं का आयोजन किया जाता है।

व्यापार रूपरेखा

(i) आसियान के साथ करार

भारत और आसियान ने 13 अगस्त 2009 को भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) की विस्तृत :परेखा के तहत माल व्यापार के लिए करार (एआईटीआईजीए) पर हस्ताक्षर किये हैं। यह करार मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के मामले में 1 जनवरी 2010 को और आसियान के अन्य देशों के मामले में वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में विभिन्न तिथियों को प्रभावी हुआ जब उन्होंने अपनी आंतरिक अपेक्षाएं पूरी की। भारत एआईटीआईजीए की समीक्षा हेतु आसियान देशों से वार्ता कर रहा है। 10 सितंबर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित 16 वें आसियान भारत आर्थिक मंत्री (एईएम) परामर्श में, आसियान ने आरसीईपी वार्ताओं के पूरा होने के बाद एआईटीआईजीए की समीक्षा शुरू करने पर सहमत हुए। 29 अगस्त 2020 को आयोजित 17 वीं एईएम–भारत परामर्श के दौरान, भारत और आसियान के मंत्रियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को एआईटीआईजीए समीक्षा के दायरे को निर्धारित करने के प्रयोजन से विचार–विमर्श शुरू करने के निर्देश दिए।

भारत और आसियान के सदस्य देशों ने सेवाओं में व्यापार संबंधी करार और निवेश संबंधी करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये करार 1 जुलाई 2015 से प्रवृत्त हुए हैं।

(ii) भारत – सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)

सिंगापुर के साथ प्रथम व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 अगस्त, 2005 से क्रियाशील हुआ था। भारत – सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार की प्रथम समीक्षा 1 अक्तूबर, 2007 को पूरी हुई थी। भारत – सिंगापुर सीईसीए की दूसरी समीक्षा के निष्कर्ष की घोषणा 1 जून 2018 को की गई तथा दूसरी समीक्षा के आधार पर सीईसीए को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल के प्रावधान 14 सितंबर 2018 को प्रभावी हुए। भारत – सिंगापुर सीईसीए की तीसरी समीक्षा 01 सितंबर, 2018 को शुरू की गई।

(iii) भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार

मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर 18 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 जुलाई 2011 से क्रियाशील हुआ था। व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत भारत और मलेशिया ने वस्तु व्यापार के संबंध में आसियान–भारत करार के अंतर्गत उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अलावा भी प्रतिबद्धताओं की पेशकश की है।

(iv) भारत – थाईलैंड मुक्त व्यापार करार

भारत और थाईलैंड ने भारत – थाईलैंड मुक्त व्यापार करार स्थापित करने के लिए 9 अक्तूबर 2003 को एक रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए। इस रूपरेखा करार के तहत एक अर्लि हार्वेस्ट योजना है जिसमें आपसी हित की 84 मदें शामिल हैं जिसके लिए दोनों पक्ष चरणबद्ध ढंग से 01 सितंबर, 2006 तक 100 प्रतिशत प्रशुल्क (टैरिफ) रियायत प्रदान करने के लिए राजी हुए हैं।

(v) सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम) क्षेत्र के लिए परियोजना विकास निधि

सीएलएमवी क्षेत्र में भारतीय निवेश को सुगम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए के कारपस के साथ परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का गठन किया गया है। पीडीएफ का प्रचालन एग्जिम बैंक के माध्यम से किया जाना है। ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने के लिए पीडीएफ का प्रयोग किया जाएगा जो क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) का समर्थन करती हैं और आरवीसी में भारतीय कंपनियों के एकीकरण में मदद करती हैं। इस पहल के अंतर्गत चिह्नित परियोजनाओं को सीएलएमवी देशों में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से समाविष्ट किया जाएगा। एक अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा पीडीएफ की निगरानी एवं प्रबंधन किया जा रहा है। एग्जिम बैंक द्वारा किए गए पूर्व संभाव्यता अध्ययन के अनुसार, अप्रैल 2017 में आईएमसी द्वारा मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल / मेडिकल कॉलेज / शैक्षिक संस्थान / फर्मास्युटिकल निर्माण यूनिट की स्थापना के लिए सीएलएमवी क्षेत्र में 4 परियोजनाएं अनुमोदित की गई। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयीं हैं

और इन रिपोर्टों को सीएलएमवी देशों के समर्थन प्राप्त करने हेतु उनके साथ साझा किया गया है।

व्यापार से संबंधित हाल की गतिविधियां

(i) तीसरा भारत–इंडोनेशिया द्विवार्षिक व्यापार मंत्रियों का मंच

तीसरा भारत–इंडोनेशिया द्विवार्षिक व्यापार मंत्री मंच (बीटीएमएफ) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 29 जून 2020 को आयोजित किया गया था। बैठक की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की गई थी और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री श्री अगस सुपार्मेंटो और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा इस बैठक की सह–अध्यक्षता की गई थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों के व्यापार और बाजार पहुंच मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय पक्ष की ओर से मांस, चीनी, चावल, डेयरी उत्पाद आदि सहित कृषि उत्पादों के लिए निर्यात सुगमता को अन्य मुद्दों के साथ उठाया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में निजी क्षेत्र के लिए एक सत्र भी शामिल था जिसमें दोनों पक्षों के उद्योगों ने दोनों मंत्रियों के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार, आगे की संभावना और मौजूदा व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए के बारे में उनके अवलोकनों को साझा किया।

(ii) वार्षिक आसियान–भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों और आर्थिक मंत्रियों की बैठकें

आसियान सचिवालय द्वारा आयोजित, 32वां सियोम (एसईओएम) – भारत (आसियान–भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों की बैठक) परामर्श, 25 जुलाई, 2020 को अप्रत्यक्षतः आयोजित किए गए थे। इसके बाद 17वां एईएम–इंडिया (आसियान – भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक) परामर्श भी आयोजित किए गए, जिसे आसियान सचिवालय द्वारा 29 अगस्त, 2020 को अप्रत्यक्षतः (वर्चुअल) आयोजित किया गया था। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया था। इन बैठकों में भारतीय पक्ष का मुख्य एजेंडा आसियान – भारत माल व्यापार करार (एआईटीआईजीए) की समीक्षा की शुरुआत करना था। एईएम–भारत परामर्श के दौरान मंत्रियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द से जल्द समीक्षा के दायरे को निर्धारित करने के लिए चर्चा शुरू करने के निर्देश दिए।

(iii) व्यापार और निवेश संबंधी भारत–फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह की 13वीं बैठक

व्यापार और निवेश पर 13वीं भारत–फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 सितंबर 2020 को आयोजित की गयी थी। बैठक के दौरान संभावित कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, ऑटो सेक्टर से संबंधित मुद्दे, फार्मा मुद्दे आदि सहित कृषि वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच जैसे व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की गई। फार्मा क्षेत्र, व्यापार संवर्धन, निवेश, वस्त्र, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की गई।

(iv) भारत–म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक

भारत–म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक 24 नवंबर 2020 को आयोजित की गयी। बैठक की सह–अध्यक्षता डॉ. थान

मायिंट, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, म्यांमार और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बैंकिंग, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने कोविड –19 से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी तैयारियों और पारंपरिक दवाओं सहित फार्मा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। मंत्री स्तर की जेटीसी बैठक 16 अक्तूबर, 2020 को संयुक्त सचिव स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से पहले की गई थी।

(v) 6ठी भारत–सीएलएमवी व्यापार संगोष्ठी

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से वाणिज्य विभाग ने सीआईआई के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 3 और 4 दिसंबर 2020 के दौरान 6ठी भारत – सीएलएमवी व्यापार संगोष्ठी (बिजनेस कॉन्क्लेव) का आयोजन किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में क्षेत्रवार सत्र और देश फोकस सत्र आयोजित किए गए थे और इसमें भारत और सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम) क्षेत्र से सरकार और उद्योग की भागीदारी देखी गई थी।

(vi) भारत – थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 12वीं बैठक

भारत – थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 12वीं बैठक 4 दिसंबर, 2009 को आयोजित की गयी थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों और माध्यमों पर चर्चा की। भारतीय पक्ष ने अन्य मुद्दों में थाईलैंड के बाजार में मांस, पोल्ट्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद, फल और सब्जियां आदि सहित कृषि वस्तुओं की बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दे उठाए।

कोविड–19 का प्रत्युत्तर

(i) कोविड–19 के कारण आए अवरोधों के बाद, 7 अप्रैल, 2020 से, वाणिज्य विभाग ने आसियान–भारत माल व्यापार करार (एआईटीआईजीए) के तहत आसियान देशों को तरजीही निर्यात के लिए मूल देश प्रमाण पत्र निर्गम को डिजिटल कर दिया। आसियान प्रभाग ने प्रत्येक आसियान देशों और आसियान सचिवालय के साथ समन्वय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ई–सीओओ के आधार पर खेपों को अनंतिम रूप से संपन्न करने के लिए प्रत्येक देश के लिए स्वीकार्य देश विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किए। इस प्रभाग ने विभिन्न हितधारकों जैसे निर्यातकों, उद्योग हितधारकों, आसियान देशों में अवस्थित भारतीय मिशनों, विदेश मंत्रालय और डीजीएफटी कार्यालय जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय किया, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रमुख आसियान व्यापार भागीदारों द्वारा तरजीही निर्यात को समय पर मंजूरी मिली और ई–सीओओ को स्वीकृति मिली।

(ii) कोविड के कारण पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार और थाईलैंड जैसे कई व्यापारिक भागीदारों ने आवश्यक कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं की मांग सूची पेश करते हुए वाणिज्य विभाग से संपर्क किया, जिनकी उन्हें तत्काल आवश्यकता थी। इस पर तुरंत ही उद्योग और संबंधित सरकारी एजेंसियों से कार्रवाई करने के लिए कहा गया जिसके परिणामस्वरूप क्रेताओं और विक्रेताओं का समय पर संपर्क सुनिश्चित हुआ।

आसियान व्यापार

आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2019–20 के दौरान 86.92 बिलियन अमरीकी डालर का था और वर्ष 2020–21 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान यह 39.22 बिलियन अमरीकी डालर था। इस क्षेत्र में भारत के प्रमुख निर्यात और आयात गंतव्यों में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड शामिल हैं। आसियान देशों के साथ निर्यात एवं आयात की प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, गोजातीय मांस, एल्युमिनियम और इसके सामान, कार्बनिक रसायन और लोहा और इस्पात शामिल हैं। आयात की प्रमुख वस्तुओं में कोयला, पाम तेल, पेट्रोलियम तेल, दूरसंचार उपकरण, प्लास्टिक और इसके सामान और कार्बनिक रसायन शामिल हैं।

आसियान क्षेत्र के देशवार व्यापार आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	देश	2019–20			2020–2021 (अप्रैल–अक्टूबर (अनंतिम)		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	ब्रुनेई	57.62	586.28	643.9	32.3	137.09	169.39
2	कंबोडिया	188.12	46.69	234.81	78.46	22.14	100.6
3	इंडोनेशिया	4,129.33	15,061.87	19,191.20	2,347.20	6,127.75	8,474.95
4	लाओ पीडी आरपी	25.08	3.09	28.17	18.07	0.51	18.58
5	मलेशिया	6,364.66	9,782.28	16,146.94	3,513.10	3,738.01	7,251.11
6	म्यांमार	973.89	547.25	1,521.14	469.14	278.91	748.05
7	फिलीपींस	1,526.03	523.83	2,049.86	783.26	281.7	1,064.96
8	सिंगापुर	8,922.66	14,746.78	23,669.44	5,020.73	6,041.29	11,062.02
9	थाईलैंड	4,299.30	6,788.38	11,087.68	1,958.94	2,631.25	4,590.19
10	वियतनाम समा. गणराज्य	5,059.90	7,283.42	12,343.32	2,615.06	3,129.38	5,744.44
कुल		**31,546.58**	**55,369.87**	**86,916.45**	**16,836.24**	**22,388.02**	**39,224.26**
भारत का कुल व्यापार		**3,13,361.04**	**4,74,709.28**	**7,88,070.31**	**1,50,421.18**	**1,83,139.69**	**3,33,560.87**
प्रतिशत हिस्सेदारी		**10.07**	**11.66**	**11.03**	**11.19**	**12.22**	**11.76**

उत्तर पूर्व एशिया

उत्तर–पूर्वी एशिया के साथ व्यापार

एशिया (इसमें इसके बाद एनईए) क्षेत्र के देशों, जिनमें चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), जापान, ताईवान, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (उत्तरी कोरिया), मंगोलिया तथा मकाऊ शामिल हैं, के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2019–20 के दौरान 153 बिलियन अमरीकी डालर था जो विगत वर्ष की तुलना में 6.94 प्रतिशत कम है। वर्ष 2019–20 के दौरान एन ई ए क्षेत्र के देशों को किए गए निर्यात का मूल्य 38.65 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.93 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस क्षेत्र से आयात में 6.5 प्रतिशत की गिरावट आयी जो कम होकर 114.35 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया। वर्ष 2019–20 के दौरान एनईए देशों के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2018–19 के 80.45 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 75.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2019–20 तक की अवधि के दौरान उत्तर पूर्व एशियाई देशों के साथ हुए व्यापार को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है :

एनईए देशों के साथ व्यापार का स्वरूप

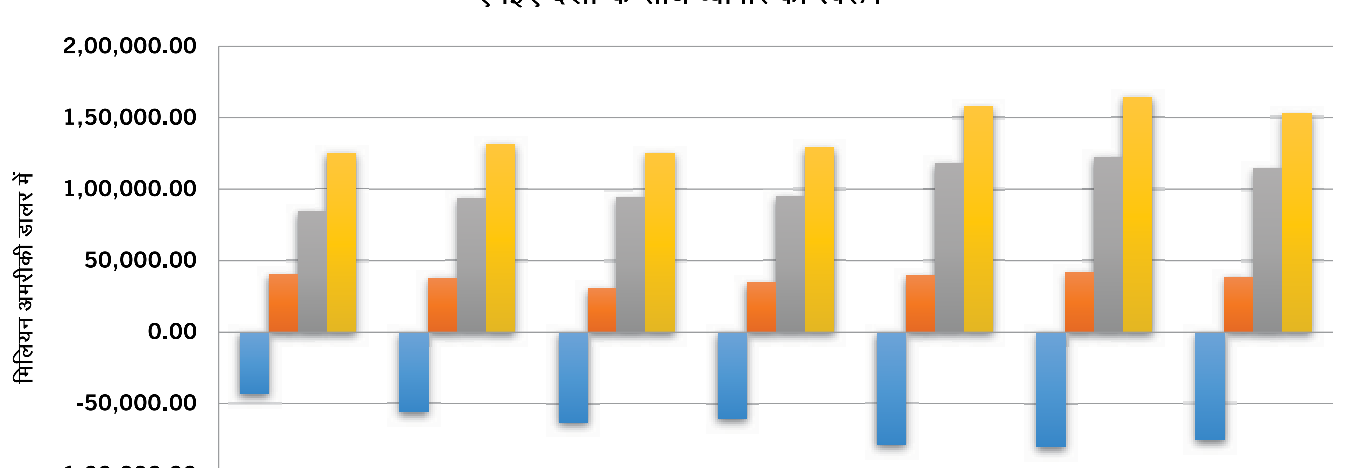

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
व्यापार संतुलन	-43,600.27	-56,024.58	-63,274.44	-60,522.54	-78,885.55	-80,446.79	-75,695.20
निर्यात	40,772.66	37,788.22	30,837.12	34,546.05	39,467.59	41,979.05	38,651.32
आयात	84,372.93	93,812.80	94,111.56	95,068.59	1,18,353.14	1,22,425.84	1,14,346.52
कुल व्यापार	1,25,145.59	1,31,601.02	1,24,948.68	1,29,614.64	1,57,820.73	1,64,404.89	1,52,997.84

वर्ष 2019–20 के दौरान एनईए देशों के साथ व्यापार के आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्र. सं.	देश	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 में वृद्धि (% में)	आयात		पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 में वृद्धि (% में)	कुल व्यापार		पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 में वृद्धि (% में)	व्यापार संतुलन	
		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019
1	ताइवान	2,607.21	1,674.52	-35.77	4,577.25	4,046.23	-11.6	7,184.46	5,720.75	-20.37	-1970.04	-2,371.71
2	चीन जनवादी गण.	1,6752.2	16,612.75	-0.83	70,319.6	65,260.75	-7.19	87,071.8	81,873.50	-5.97	-53,567.4	-48,648.00
3	हॉंगकॉंग	13,002	10,967.12	-15.65	17,987	16,935.32	-5.85	30,989	27,902.44	-9.96	-4,985.02	-5,968.20
4	जापान	4,861.73	4,520.25	-7.02	12,772.7	12,434.67	-2.65	17,634.4	16,954.92	-3.85	-7,910.97	-7,914.42
5	कोरिया लोक. जन.गणराज्य	26.99	8.97	-66.75	3.01	3.47	15.11	30	12.44	-58.53	23.98	5.5
6	कोरिया गणराज्य	4,705.07	4,845.15	2.98	16,759	15,659.70	-6.56	21,464	20,504.85	-4.47	-12,053.9	-10,814.55
7	मकाउ	1.06	6.28	495.19	6.09	5.09	-19.14	7.15	11.37	54.69	-5.03	1.19
8	मंगोलिया	22.81	16.27	-28.67	1.01	1.3	28.29	23.82	17.57	-26.24	21.8	14.97
कुल		**41,979.1**	**38,651.32**	**-7.93**	**1,22,426**	**1,14,346.52**	**-6.6**	**1,64,405**	**1,52,997.84**	**-6.94**	**-80,446.8**	**-75,695.20**
भारत का कुल		**3,30,078**	**3,13,361.04**	**-5.06**	**5,14,078**	**4,74,709.27**	**-7.66**	**8,44,157**	**7,88,070.31**	**-6.64**	**-1,84,000**	**-1,61,348.23**
% हिस्सा		**12.72**	**12.33**		**23.81**	**24.09**		**19.48**	**19.41**		**43.72**	**46.91**

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रमुख एनईए देशों के साथ व्यापार

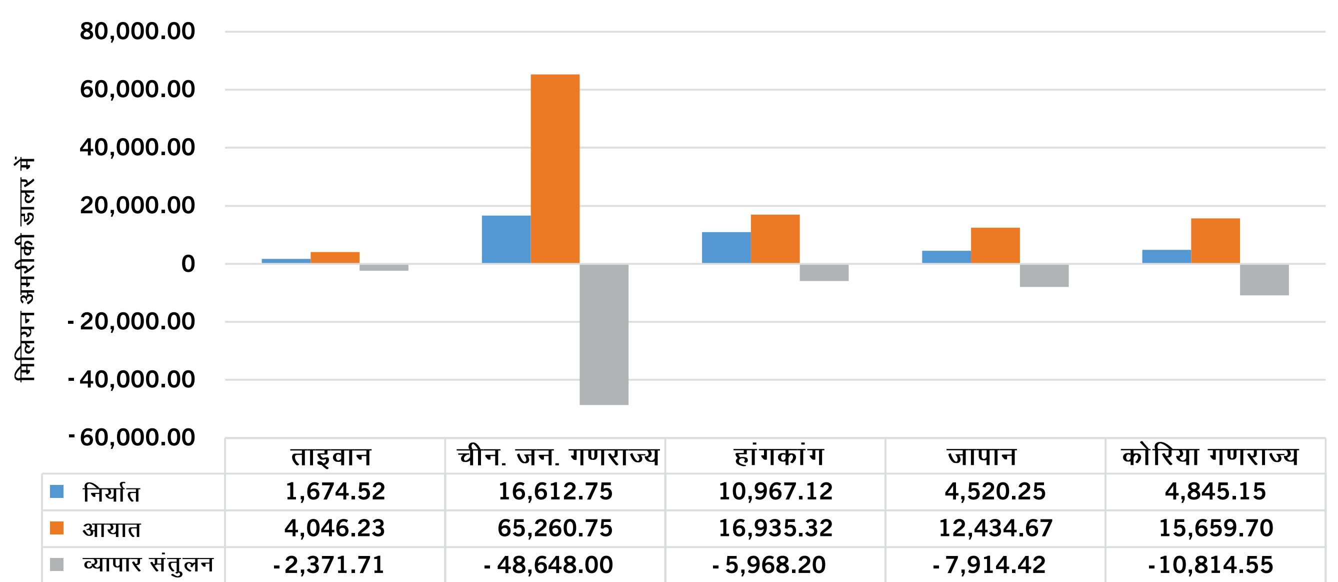

एनईए क्षेत्र के साथ व्यापार का वस्तु संघटक

एनईए क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार के वस्तु संघटकों में कई परिवर्तन हुए हैं तथा यह व्यापार नीति, अंतर्राष्टीय कीमतों में परिवर्तन तथा घरेलू मांग में बदलते स्वरूप से प्रभावित हुए हैं। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क, जैविक रसायन, सोना और अन्य बहुमूल्य धातु आभूषण शामिल हैं।

इस क्षेत्र से आयात की प्रमुख वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे, दूरसंचार

उपकरण, डेयरी उत्पादों के लिए औद्योगिक मशीनरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, संबद्ध उपकरणों, कार्बनिक रसायन शामिल हैं।

व्यापार करार

(i) भारत कोरिया सीईपीए :

7 अगस्त 2009 को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। दोनों पक्षों ने वर्ष 2016 में व्यापार आर्थिक साझेदारी करार को स्तरोन्नत करने के लिए वार्ता शुरू की। वार्ता का 8वां दौर 17–18 जून, 2019 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। दोनों पक्ष प्रत्येक देश की घरेलू अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन माल में अर्ली हार्वेस्ट पैकेज (ईएचपी), मूल देश नियमों एवं सेवाओं पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं।

(ii) भारत जापान सीईपीए :

16 फरवरी 2011 को भारत और जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई पी ए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अगस्त 2011 से प्रभावी हुआ। सीईपीए के सांस्थानिक तंत्र के अंतर्गत संयुक्त समिति की 5वीं बैठक दिसंबर, 2018 में नई दिल्ली में हुई। भारत–जापान सीईपीए के प्रावधानों के तहत, भारत ने जापान से अनुरोध किया है कि वह दोनों देशों के आपसी लाभ का पता लगाने के लिए समझौते की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करे।

व्यापार से संबंधित हाल की गतिविधियां

(i) चीन

- हमारा असंतुलित द्विपक्षीय व्यापार हमारे दोनों नेताओं के बीच शीर्षस्थ स्तर की बैठकों में भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, जब वे वुहान, किंगदाओ और चेन्नई में अनौपचारिक शिखर बैठक में मिले थे।
- बाजार उपलब्धता मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के मंत्री और अधिकारी स्तर के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा भी दौरा किया गया है। इन यात्राओं से पिछले दो वर्षों में भारतीय चावल, तंबाकू, मछली खाद्य / मछली तेल और खाद्य मिर्च के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय सोयाबीन खाद्य, सोयाबीन, अनार, और ओकरा के चीन को निर्यात के संबंध में प्रोटोकॉल पर बातचीत चल रही है।
- 18 नवंबर 2020 को समुद्री उत्पादों पर एक अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) बीएसएम का आयोजन किया गया, जिसमें एमपीईडीए के अधिकारीगण, 15 भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक और चीन की आयातक कंपनियों के 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- अमेरिका – चीन व्यापार गतिरोध से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए किए गए प्रयास : वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने चीन को अमेरिकी निर्यात का गहन लाइन वार विश्लेषण किया और चीन के प्रतिशोधी शुल्कों के परिणामस्वरूप खाली किए गये या विस्थापित बाजार स्थान में भारत के संभावित प्रवेश की संभावना का विश्लेषण किया है। डीओसी ने इन लाइनों का लाभ उठाने के लिए भारत के लिए इन संभावित व्यापार क्षमता लाइनों की पहचान की है ताकि इस प्रशुल्क अंतरपणन का लाभ उठाया जा सके। उन विशिष्ट लाइनों पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिनमें अमेरिकी उत्पादों को चीन में उच्चतर प्रशुल्कों का सामना करना पड़ रहा है और जहाँ भारत एक मजबूत निर्यातक है, विभाग ने निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापारिक संस्थाओं, भारतीय निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें की। उन्हें इन अभिज्ञात लाइनों पर समय–समय पर संवेदीकृत भी किया गया। हमारे उत्पादन को बढ़ाने में हमारी सीमाओं के कारण, और दीर्घकालिक अमेरिकी–चीन गतिरोध की अनिश्चितता के कारण, सीमित लाभ का दोहन किया जा सकता है। बीजिंग स्थित हमारे दूतावास के साथ समन्वय में, चीन को हमारा निर्यात बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास जारी है।
- कोविड –19 का प्रभावः चीन में जनवरी, 2000 के अंत में और फरवरी, 2020 की शुरूआत में कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने भारतीय उद्योगों को काफी प्रभावित किया, जो चीन से पुर्जों, अर्द्ध–निर्मित उत्पाद और कच्चे माल का आयात करते हैं, विशेष रूप से दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के लिए। वाणिज्य विभाग ने विभिन्न उत्पाद लाइनों का विस्तृत विश्लेषण किया और 1054 लाइनों (168 महत्वपूर्ण लाइन) की पहचान की, जिसके तहत हम चीन से आयात करते हैं। विश्व में इन उत्पादों की आपूर्ति करने वाले अन्य देशों को भी भारत के लिए वैकल्पिक स्रोतों के रूप में पहचान की गयी थी। वाणिज्य विभाग ने हमारे विदेशी मिशनों / पोस्टों के साथ इस विश्लेषण को साझा किया था और मिशनों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने–अपने देशों में सोर्सिंग और निर्यात के अवसरों का पता लगाएं, और हमारे ईपीसी / निर्यातकों / आयातकों को उनके संबंधित देशों में संभावित आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के संपर्क में रखें और उनके लिए बी 2 बी बैठकों की सुविधा सुगम करें। हमारे मिशनों द्वारा कई डिजिटल सेमिनारों, बैठकों आदि की सुविधा प्रदान की गई है, और ईपीसी को सामग्री / उत्पादों के लिए अपने संबंधित समकक्षों के साथ संपर्क बनाने और उन्हें इन उत्पादों की आपूर्ति के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है।
- पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप चीन से आयात में कमी आई है। चीन से हमारा आयात वर्ष 2017–18 के 76.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से

घटकर वर्ष 2018–19 में 70.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2019–20 में 65.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले दो वर्षों में, अर्थात वर्ष 2017–18 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्शाता है। हमारा निर्यात वर्ष 2017–18 के 13.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2018–19 में बढ़कर 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह वृद्धि जारी रही और वर्ष 2019–20 में यह बढ़कर 48.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। व्यापार घाटा जो वर्ष 2017–18 में 63 बिलियन अमरीकी डालर पहुँच गया था, वर्ष 2019–20 में घटकर 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, वर्ष 2019–20 में और घटकर 48.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

(ii) कोरिया

- भारत और दक्षिण कोरिया सरकार ने 9 जुलाई 2018 को फ्यूचर स्ट्रेटजी ग्रुप संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय पक्ष से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत–कोरिया भावी रणनीति समूह की स्थापना के लिए एमओयू का प्रयोजन भावी प्रौद्योगिकियों का संयुक्त रूप से उपयोग करना तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग के फोकस क्षेत्र के तहत दो परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं और अन्य पाँच परियोजनाओं को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फ़्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, फ़्यूचर यूटिलिटीज़ और हेल्थकेयर के क्षेत्रों पर फ़ोकस क्षेत्र के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत और कोरिया ने माल प्रशुल्क तथा मूल देश नियमों को सरल एवं कारगर बनाने की संभावना का पता लगाने तथा सेवा, व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के उन्नयन के लिए वार्ता आरंभ की है। दोनों देशों के मंत्रियों की जुलाई, 2018 में बैठक हुई थी तथा वे दोनों देश की अलग अलग घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया के अध्यधीन अर्ली हार्वेस्ट पैकेज पर राजी हुए थे। अब तक आठ दौर की वार्ताएं आयोजित की जा चुकी हैं।
- कोरिया के साथ अनुरोध / प्रस्ताव सूची के आदान–प्रदान पर आगे बढने से पहले व्यापार घाटे, गैर –प्रशुल्क बाधाओं (एनटीबी) और भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईकेसीईपीए) के दायरे के अंदर ही बाजार उपलब्धता से संबंधित मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोरियाई पक्ष ने मुख्य वार्ताकार के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने और उप–समूह बनाकर उन्हें हल करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने पर सहमत दी है।
- दोनों देशों ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भौतिक प्रतियों के एवज में मूल देश ई–प्रमाण पत्र को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।
- कोरिया ने आम मौसम, 2020 से दक्षिण कोरियाई निरीक्षकों द्वारा आम की पूर्व मंजूरी को बंद करने और कोरिया आरपी को आम के निर्यात के लिए भारतीय एनपीपीओ को जिम्मेदारी सौंपने की हमारी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया है।
- कोरिया ने गेहूं अनाज, सोयाबीन अनाज और मक्का के लिए बाजार प्रवेश उपलब्ध किया है।
- कोरिया को हमारा निर्यात वर्ष 2018–19 के 4.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019–20 में 4.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात में वर्ष 2018–19 के 16.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2019–20 में मामूली गिरावट के साथ 15.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(iii) जापान

- भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईजेसीईपीए) के संस्थागत तंत्र के तहत उप–समिति की बैठकें हुईं, जिसमें उद्योग के हितधारक परामर्श के दौरान उठाए गए कई मुद्दों को जापानी पक्ष के साथ उठाया गया।
- भारत ने 4 अगस्त 2017 को टोकियो में और 21 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त समिति की क्रमशः 4थी एवं 5वीं बैठक के दौरान भारत जापान सीईपीए की समीक्षा करने की अपनी इच्छा जाहिर की है।
- जापान ने भारत के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) को जापान के निरीक्षकों द्वारा पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय आमों के निर्यात का कार्य सौंपा है।
- जापान ने सामान्य आयात संगरोध आवश्यकता के अधीन कच्चे केले, प्याज, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, सरसों और जौ को बाजार प्रवेश प्रदान किया है।
- दोनों देशों ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भौतिक प्रतियों के बदले मूल देश ई–प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।
- जापान ने ब्लैक टाइगर झींगा के निर्यात के लिए जापानी निरीक्षकों द्वारा 100% अनिवार्य निरीक्षण बंद करने की हमारी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया है। अब, जापान ने भारतीय संवर्धित ब्लैक टाइगर को पिछले निरीक्षणों के अभिलेखों के आधार पर नियमित निगरानी प्रणाली से गुजारने का निर्णय लिया है।

- वर्ष 2019–20 के दौरान जापान को हमारा निर्यात घटकर 4.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया जबकि वर्ष 2018–19 में यह 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि जापान से हमारा आयात भी वर्ष 2018–19 के 12.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2019–20 में 12.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(iv) ताइवान

- दिसंबर, 2019 में नई दिल्ली में ताइवान के साथ आयोजित व्यापार संबंधी कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीटी) की 5वीं बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने कार्यक्रमों का एक संयुक्त कैलेंडर तैयार करने और निर्धारित कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने, निर्यात के लिए विशिष्ट उत्पादों की पहचान करने और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की संख्या (ट्रेड बास्केट) बढ़ाने के लिए नए उत्पादों को शामिल करने, और निर्यातकों की सूचना और कार्यक्रमों को एक–दूसरे की वेबसाइट पर प्रचार करने का निर्णय लिया था। डब्ल्यूजीटी बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के भाग के :प में, सेवाओं में व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, दोनों पक्षों ने अपने अवधारणा पत्रों का आदान–प्रदान किया है, जिनमें पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में आईटी / आईटीईएस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत और ताइवान वर्ष 2009 से जैविक प्रमाणीकरण की पारस्परिक मान्यता को अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। दोनों पक्षों ने आदान–प्रदान किए जाने वाले पत्रों के अंतिम पाठ और तकनीकी शर्तों के साथ परिशिष्टों की पुष्टि की है, और शीघ्र ही दोनों पक्षों जैविक संतुलन पर पत्रों का आदान–प्रदान करेंगे। हमारे एनपीओ को मान्यता प्रदान करने वाला एशिया का पहला देश ताइवान होने की संभावना है, जो हमारे निर्यातकों को मदद पहुँचाएगा।

2. दक्षिण एशिया और ईरान के साथ व्यापार

दक्षिण एशिया

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। दक्षिण एशिया के साथ भारत के व्यापार का मूल्य वर्ष 2019–20 में 25.78 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि वर्ष 2018–19 में यह 29.71 बिलियन अमरीकी डालर था। इस प्रकार यह 13.22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर भारत के कुल निर्यात का मूल्य 21.94 बिलियन अमरीकी डालर था तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से भारत के कुल आयात का मूल्य 3.84 बिलियन अमरीकी डालर था। नेपाल और भूटान के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जबकि भारत के लिए दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जिसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव का स्थान आता है। दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में काफी झुका है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा इंजीनियरिंग उत्पादों का था, जिसका मूल्य 7.24 बिलियन अमरीकी डालर था तथा जिसने दक्षिण एशिया को कुल निर्यात में लगभग 35.04 प्रतिशत का योगदान किया। इस निर्यात में मुख्यतः आधार धातु और वस्तु (निर्यात का 11.53 प्रतिशत), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (निर्यात का 10.82 प्रतिशत) और परिवहन उपकरण – वाहन, एयरक्राफ्ट आदि (निर्यात का 9.90 प्रतिशत) ने योगदान किया है। आधार धातु में अधिकांशतः लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात के उत्पाद तथा एल्युमिनियम एवं उससे बनी वस्तुएं शामिल थीं। निर्यात की दूसरी प्रमुख श्रेणी खनिज उत्पाद (ज्यादातर पेट्रोलियम उत्पाद) थे जिसका मूल्य 4.00 बिलियन अमरीकी डालर था और जिसने कुल निर्यात में 18.24 प्रतिशत का योगदान किया। वस्त्र और वस्त्र निर्मित चीजों का निर्यात, जिसका मूल्य 3.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (कुल निर्यात का 16.74 प्रतिशत) रहा, करीब करीब संपूर्णतः कपास, सूती / संश्लिष्ट धागे और रेशे के रूप में कच्चे माल / अर्द्ध निर्मित सामग्री, निर्मित उत्पाद इत्यादि थे, जो मुख्यतः बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों के वस्त्र निर्माण क्षेत्र को निर्यात किए गए थे। निर्यात के अन्य प्रमुख वर्गों में रसायन और संबद्ध उत्पाद –जिनमें मुख्यतः कार्बनिक रसायन और भेषज उत्पाद थे – जो कुल निर्यात का 11.28 प्रतिशत थे। कुल निर्यात में कृषि उत्पाद जैसे कि वनस्पति उत्पाद, पशु उत्पाद तथा पशु एवं वनस्पति वसा तथा निर्मित खाद्य सामग्री का मूल्य 2.70 बिलियन अमरीकी डालर अर्थात 12.35 प्रतिशत था तथा निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में चीनी, मसाले, गैर बासमती चावल, ताजी सब्जियां और ताजे फल शामिल थे।

वर्ष 2019–20 में दक्षिण एशिया से आयात में बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र का था, जिसका योगदान 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कूल आयात में 38.94 प्रतिशत था। सबसे बड़ा हिस्सा वनस्पति उत्पादों (कुल आयात का 19.98%) और पशु या वनस्पति वसा और तेल (11.52%) का था। आयात की मुख्य वस्तुएं मसाले, वनस्पति तेल और ताजे फल थे। कपड़ा क्षेत्र, जिसका आयात 998.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, आयात में 26.02% की हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता घटक था। कपड़ा क्षेत्र के तहत आयात किए जाने वाले प्रमुख सामानों में कपास के रेडीमेड कपड़े शामिल थे, जिनमें सामान, सूती कपड़े, मेकअप आदि शामिल थे, मानव निर्मित फाइबर और अन्य जूट के रेडीमेड वस्त्र थे। आयात की अन्य प्रमुख श्रेणियां इंजीनियरिंग उत्पाद (637.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर;

आयात का 16.61%) थीं। निर्यात से भिन्न, वस्त्र के निर्यात की प्रकृति विविधतापूर्ण थी जिसमें कच्चा माल और निर्मित उत्पाद दोनों शामिल थे और मुख्य रूप से इसमें सूती के रेडीमेड गारमेंट, ऊनी धागे, मानव निर्मित फाइबर, कच्ची कपास, कच्चा जूट और जूट उत्पाद शामिल थे। आयात में योगदान करने वाले अन्य प्रमुख उत्पादों में प्लास्टिक एवं रबर के उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, वुड पल्प के उत्पाद, कच्च खाल एवं चर्म आदि शामिल थे।

(i) अफगानिस्तान

अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी करार के तहत वाणिज्य सचिव के स्तर पर दोनों देशों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) काम कर रहा है। जेडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक अक्तूबर 2018 में काबुल में हुई जहां द्विपक्षीय व्यापार तथा संपर्क से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में चर्चा के फलस्वरूप अफगानिस्तान भारतीय फर्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने के लिए राजी हो गया है जिससे अफगानिस्तान को भारतीय भेषज उत्पादों का निर्यात सुगम होने की उम्मीद है।

(ii) बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार का प्रावधान हैं परंतु यह एक देश से दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए कोई तरजीही प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है। शराब और तंबाकू से संबंधित 25 प्रशुल्क लाइनों को छोड़कर सभी प्रशुल्क लाइनों के लिए भारत ने साफ्टा के सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) सदस्यों को कर रहित पहुंच प्रदान की है। एक एलडीसी देश होने के कारण बांग्लादेश को साफ्टा के तहत भारतीय बाजारों में तरजीही पहुंच का लाभ प्राप्त है।

दोनों देश एक प्रस्तावित संयुक्त अध्ययन के माध्यम से माल, सेवाओं और निवेश को कवर करने वाली एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) में प्रवेश करने की संभावनाओं की खोज करके, एक भारत – बांग्लादेश सीईओ मंच के गठन के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ा कर और सुविधा प्रदान कर, दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने आदि, के माध्यम से व्यापार संबंधों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। संयुक्त अध्ययन के उद्देश्य के लिए, भारत ने अपनी तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त थिंक–टैंक, क्षेत्रीय व्यापार केंद्र (सीआरटी) की पहचान की है और बांग्लादेश ने संयुक्त अध्ययन के लिए बांग्लादेश विदेश व्यापार संस्थान (बीएफटीआई) की पहचान की है। संयुक्त अध्ययन के संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सीआरटी और बीएफटीआई के बीच बैठकें शुरू हो गई हैं।

ऐसे निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करके और उनका समाधान करके बांग्लादेश को निर्यात में सुगमता प्रदान की जा रही है। संपर्कता तथा सीमा व्यापार अवसंरचना में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश को अनेक भूमि सीमा क्रासिंग बिंदु पर पोर्ट प्रतिबंधों में छूट प्रदान करने के लिए मनाया गया है। सभी स्थानों से सभी पोर्ट प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अवसंरचना संबंधी उप समूह ने भारत और बांग्लादेश के बीच विशिष्ट प्राथमिक भूमि सीमा शुल्क केन्द्रों पर मौजूद अवसंरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक अड़चनों की पहचान की है ताकि उनका समाधान किया जा सके। अक्तूबर, 2019 से भारत से माल ले जाने और भारत में माल लाने के लिए चटगांव और मंगला पोर्ट के प्रयोग पर करार के कार्यान्वयन से भी बांग्लादेश के माध्यम से विश्व के अन्य भागों के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के व्यापार संबंधों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के विपणन की परंपरागत प्रणाली स्थापित करके दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश ने बार्डर हाट स्थापित किए हैं। चार स्थानों पर मौजूदा बार्डर हाट के अलावा मेघालय में तीन स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इन स्थानों पर शीघ्र ही बार्डर हाट के क्रियाशील हो जाने की उम्मीद है। बॉर्डर हाट की स्थापना की प्रक्रिया असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य में चल रही है।

(iii) भूटान

भारत और भूटान के बीच व्यापार, व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन संबंधी करार द्वारा विनियमित किया जाता है जिसमें दोनों देशों के बीच निःशुल्क व्यापार विहित किया गया है। भूटान से किसी उत्पाद के आयात या भूटान को निर्यात पर कोई बुनियादी सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा व्यापार भारतीय रुपए तथा भूटानी मुद्रा (नगुलट्रम्स) में होता है। तीसरे देशों के साथ इसके व्यापार तथा भूटान के एक भाग से दूसरे भाग में भारतीय सीमा के माध्यम से माल की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए करार में भूआबद्ध भूटान के

लिए पारगमन की सुविधाओं का भी प्रावधान है।

इसके अलावा भूटान के अनुरोध पर प्रासंगिक घरेलू विनियमों के अधीन 4 नए स्थानों अर्थात जयगांव, चमुर्ची, हाथीसर और दारंग को शामिल करके भूटान से खाद्य वस्तुओं तथा पादप एवं पादप उत्पादों का निर्यात सुगम बनाया गया है। फरवरी, 2020 में माननीय सीआईएम, भूटान की यात्रा के दौरान सामने आए कार्रवाई बिन्दु के नियमित अनुवर्तन के संबंध में भूटानी पक्ष डीवीसी द्वारा नियमित संपर्क में है। अब तक, भूटानी पक्ष के साथ तीन डीवीसी का आयोजन किया गया है। भूटान के साथ आखिरी डीवीसी दिनांक 9.10.2020 को आयोजित किया गया था।

(iv) नेपाल

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत – नेपाल व्यापार संधि द्वारा विनियमित होता है जिसे पिछली बार 27 अक्तूबर 2016 को 7 साल की अगली अवधि के लिए नवीकृत किया गया। संधि के तहत भारत ने तंबाकू, परिमल (पर्फ्यूम) तथा प्रसाधन सामग्री एवं अल्कोहल से संबंधित कुछ उत्पादों को छोड़कर नेपाल से आयात किए जाने वाले लगभग सभी उत्पादों को ड्यूटी फ्री कर मुक्त प्रवेश प्रदान किया है। नेपाल से चार उत्पादों अर्थात वानस्पतिक वसा, एक्रिलिक यार्न, तांबे के उत्पादों तथा जिंक आक्साइड के आयात पर कुछ प्रशुल्क रेट कोटा लागू है। दोनों देश व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। समीक्षा के लिए तीसरी बैठक सितंबर, 2019 में हुई जहां संधि के पाठ्य में अपेक्षित मुद्दों तथा समवर्ती संशोधनों की पहचान की गई।

भारत अपने भूभाग से नेपाल को भेजे जाने वाले तीसरे देश के माल तथा तीसरे देश को नेपाली माल के निर्यात के पारगमन की भी अनुमति प्रदान करता है, जो भारत – नेपाल पारगमन संधि द्वारा विनियमित होता है। इस संधि के तहत एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निर्धारित मार्गों के माध्यम से माल का पारगमन होता है। जनवरी, 2020 में पारगमन संधि का नवीकरण आसन्न होने को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने मौजूदा संधि के प्रावधानों पर चर्चा की, समीक्षा किया और बल्क कार्गो की आवाजाही के लिए अतिरिक्त स्थानों को शामिल करने तथा परिवहन के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में अंतर्देशीय जलमार्ग को शामिल करने के संबंध में पहले सहमत परिवर्तनों से संबंधित संशोधनों को शामिल करने के बाद नवीकृत संधि के पाठ्य को अंतिम रूप दिया गया परंतु पाठ्य में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

द्विपक्षीय व्यापार, पारगमन से संबंधित मुद्दों तथा अनधिकृत व्यापार से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में दोनों देशों के बीच वाणिज्य सचिवों के स्तर पर एक अंतर्सरकारी समिति (आईजीसी) काम करती है। अंतर्सरकारी समिति के अलावा संयुक्त सचिव के स्तर पर एक एक अंतर्सरकारी उप समिति (आईजीएससी) भी काम करती है। पिछली बैठकों में चिह्नित कार्यबिंदुओं पर अनुवर्तन किया गया और सब्जियों, ताजे फलों आदि के भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों को समाधान के लिए नेपाल के साथ उठाया गया।

दोनों पक्ष व्यापार अवसंरचना एवं संपर्क में सुधार के लिए अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जिसमें भारत – नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का विकास शामिल है। रक्सौल और जोगबनी में आईसीपी क्रियाशील हो चुके हैं तथा व्यापार की मात्रा सहित अनेक कारकों के आधार पर ऐसे विकास के लिए अन्य स्थानों की पहचान की गई है।

(v) श्रीलंका

भारत – श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) 1 मार्च, 2000 से प्रचालन में है। इस करार के तहत दोनों देश एक दूसरे की नकारात्मक सूची में शामिल मदों को छोड़कर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर एक दूसरे के लिए व्यापार प्रशुल्कों को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए सहमत हैं। भारत ने कुछ प्रशुल्क लाइनों जिन पर 25 प्रतिशत ड्यूटी रियायत प्रदान की जाती है, को छोड़कर लगभग सभी प्रशुल्क लाइनों के लिए कर मुक्त प्रवेश प्रदान किया है तथा लगभग 429 उत्पाद ऐसे हैं जिन पर कोई रियायत नहीं दी जाती है। श्रीलंका से परिधान, चाय, काली मिर्च, नारियल बूरा तथा वनस्पति, बेकरी शार्टेनिंग एवं मार्जरीन के आयात पर भारत द्वारा प्रशुल्क रेट कोटा निर्धारित किया गया है। आईएसएलएफटीए के तहत श्रीलंका ने 1180 उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए कर मुक्त प्रवेश प्रदान किया है, जिन पर आईएसएलएफटीए के तहत कोई प्रशुल्क रियायत प्रदान नहीं की गई है।

दोनों देश प्रस्तावित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए) के माध्यम से विस्तृत आर्थिक भागीदारी पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग करार में माल में व्यापार के अलावा सेवाओं में व्यापार, निवेश तथा आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल होंगे।

(vi) पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय करार नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के तहत होता है। पिछले कुछ समय में व्यापार से संबंधित मुद्दों पर कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। फरवरी, 2019 में सरकार द्वारा पाकिस्तान से जनित या पाकिस्तान से आयातित सभी उत्पादों पर 200 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया है।

भारत से पाकिस्तान द्वारा उत्पादों के आयात पर कतिपय उत्पादों के निषेध के रूप में प्रतिबंध तथा पोर्ट प्रतिबंध पहले से ही मौजूद थे। अगस्त, 2019 में पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2019 में, भारत के साथ कुछ फर्मास्युटिकल उत्पादों और अन्य अनिवार्य जिंस उत्पादों में व्यापार के लिए आंशिक छूट प्रदान की गई है।

(vi) मालदीव

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देशों के बीच व्यापार करार के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है। इस करार में दूसरे देश में उत्पादों के आयात के लिए किसी तरजीही प्रशुल्क का प्रावधान नहीं है और यह द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए केवल सुगमता तंत्र है।

इस करार के प्रावधानों के तहत भारत मालदीव को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजनार्थ संगत अधिसूचनाएं अगस्त, 2020 में संसाधित की गईं और जारी की गईं।

ईरान के साथ व्यापार

इस समय ईरान के साथ कोई द्विपक्षीय व्यापार करार नहीं है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ईरान के उद्योग, खान एवं व्यापार मंत्रालय के बीच एक संयुक्त कार्य समूह काम कर रहा है। संयुक्त कार्य समूह की पिछली बैठक में दोनों पक्ष तरजीही व्यापार करार (पीटीए) के लिए पाठ्य आधारित वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए। प्रस्तावित पीटीए के लिए पाठ्य आधारित वार्ता चल रही है। वार्ता का पॉंचवां दौर 12 से 13 फरवरी, 2020 के दौरान ईरान में आयोजित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के फलस्वरूप भारत –ईरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली नई चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

3. अफ्रीका के साथ व्यापार

उप सहारा अफ्रिका क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार वर्ष 2015–16 के 49.22 बिलियन अमरीकी डॉलर से अब बढ़कर वर्ष 2019–2020 में 55.70 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया जो 13.16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2020–21 (अप्रैल –अक्तूबर) (अनंतिम) के दौरान, हमारा द्विपक्षीय व्यापार 22.07 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 33.02 बिलियन अमरीकी डालर था।

भारत – मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करार (सीईसीपीए)

भारत और इजरायल मुक्त व्यापार करार पर वार्ता कर रहे हैं जो माल में व्यापार तथा सेवाओं में व्यापार के क्षेत्र में परस्पर लाभ के लिए है। अब तक भारत – मारीशस सीईसीपीए वार्ता के 7 दौरों का आयोजन हो चुका है। 7वें चक्र का आयोजन 19 से 23 नवंबर 2018 के दौरान मारीशस में हुआ था। इन दौरों के दौरान माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, मूल देश नियम, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाओं तथा सेनेट्री एवं फाइटो सेनेट्री (एसपीएस) उपाय और व्यापार की तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), व्यापार निदान तथा विवाद समाधान आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। माल में व्यापार तथा सेवाओं में व्यापार के लिए भारत – मारीशस सीईसीपीए वार्ता पूरी हो गई है। करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारत और एसएसीयू (दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ) तरजीही व्यापार करार (पीटीए)

वर्ष 1910 में स्थापित दक्षिणी अफ्रीकी कस्टम यूनियन (साकू) विश्व में सबसे पुराना कस्टम यूनियन है, जो 5 देशों, नामतः बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, स्वाजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। अब तक वर्ष 2007–10 के दौरान वार्ता के पॉंच दौर पूरे हो चुके हैं। 15 जुलाई 2020 को एक आभासी वरिष्ठ आधिकारी स्तरीय बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने भारत और साकू के बीच पीटीए पर वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष व्यापार और प्रशुल्क डेटा के आदान–प्रदान, और पीटीए वार्ताओं के लिए संशोधित तौर–तरीकों को प्रस्तुत करने के लिए भी सहमत थे।

कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम (सी–टीएपी) चरण–II

7 अक्तूबर, 2019 को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन द्वारा आयोजित विश्व कपास दिवस के अवसर पर, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 11 अफ्रीकी देशों में सीटीएपी के चरण–II के शुभारंभ की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कपास के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना है, भाग लेने वाले देशों में कटाई के बाद और पौध सह–उत्पाद उद्योग में सुधार के साथ–साथ कपास आधारित कपड़ा क्षेत्र की क्षमता का निर्माण करना है। फरवरी, 2020 में आयोजित सी–टीएपी के चरण–II की पहली संचालन समिति की बैठक ने कार्य योजना तैयार की है जिसे तदनुसार क्रियान्वित किया जाना है। इन 11 अफ्रीकी देशों में कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम (सी–टीएपी) चरण–II के सुचारू कार्यान्वयन के लिए इन देशों में होने वाली गतिविधियों से संबंधित मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए अगस्त, 2020 में हितधारकों के साथ अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) बैठकें आयोजित की गई। विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कपास उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, कौशल विकास और क्षमता निर्माण, उद्यमिता विकास, जागरूकता सृजन कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों सहित सी–टीएपी (चरण–II) के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया है।

सीआईआई – एग्जिम बैंक संगोष्ठी

15वीं सीआईआई–एग्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप दिनांक 22 से 24 सितंबर 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी के फोकस क्षेत्रों में अन्यों के अलावा कृषि, बिजली और ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, शिक्षा और कौशल विकास शामिल थे। अफ्रीका के 43 देशों सहित 65 देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने इस तीन दिवसीय आयोजन में भाग लिया। 17 अफ्रीकी देशों के 24 माननीय मंत्रियों और 3 भारतीय मंत्रियों (वाणिज्य और उद्योग मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री) ने विचार–विमर्श में भाग लिया। यह सम्मेलन अफ्रीका और भारत के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के बिजनेस लीडर्स की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष सभाओं (वर्चुअल) में से एक था, जिसे क्षेत्रों के बीच आर्थिक जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने हेतु आयोजित किया गया था। इस संगोष्ठी में क्षेत्र विशिष्ट सत्र भी आयोजित किए गए, जहां पर विस्तृत चर्चा हुई। इस संगोष्ठी के मौके पर, कई बी 2 बी बैठकें भी आयोजित की गयी थीं।

भारतीय मिशनों के साथ बैठक

भारत और अफ्रीकी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस वर्ष के दौरान अफ्रीका में मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के साथ अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) बैठकें आयोजित की गईं। मिशनों ने सूचित किया है कि उन संभावित क्षेत्रों में जिनमें भारत अपने निर्यात में वृद्धि कर सकता है, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, मशीनरी, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण के क्षेत्र शामिल हैं। कई अफ्रीकी राष्ट्रों में भारत में चिकित्सा पर्यटन और अध्ययन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मिशनों ने अफ्रीका में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई–प्रदर्शनियों, ई–बी 2 बी बैठकों, और वेबिनारों के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों और भारतीय व्यापार और उद्योग संघों को सभी समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की है।

4. पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका (वाना) के साथ व्यापार

भारत–ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) का 9 वां सत्र

भारत–ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) का 9वां सत्र 19 अक्तूबर, 2020 को माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी और महामहिम श्री क्वैस बिन मोहम्मद अल यूसेफ, ओमान सल्तनत के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री की सह–अध्यक्षता में आभासी मंच के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश संबंधों में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार और वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों में अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने के लिए एक दूसरे के देश में निवेश करने के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। दोनों पक्ष, अन्य बातों के अलावा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, मानक और मौसम विज्ञान, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, एमएसएमई, अंतरिक्ष, नागरिक उड्डयन, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, खनन और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्ष भारत–ओमान दोहरा कराधान करार और भारत–ओमान द्विपक्षीय निवेश संधि के निष्कर्ष में संशोधन करते वाले प्रोटोकॉल के शीघ्र समापन में शीघ्रता करने पर भी सहमत हुए।

भारत – इजरायल अधिमानी व्यापार करार (पीटीए)

भारत और इजरायल मुक्त व्यापार करार पर वार्ता कर रहे हैं जो माल में व्यापार तथा सेवाओं में व्यापार के क्षेत्र में परस्पर लाभ के लिए किया जा रहा है। अब तक वार्ता के नौ दौर आयोजित किए जा चुके हैं। अंतिम दौर की वार्ता का आयोजन 19 – 20 फरवरी, 2018 को इजरायल में किया गया था। प्रस्तावित पीटीए के तौर–तरीकों को अंतिम :प देने हेतु मई, 2020 में भारत और इज़राइल के मुख्य वार्ताकारों के बीच एक पुनर्बहाली दौर की वार्ता आयोजित की गयी थी।

भारत – जीसीसी मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

प्रस्तावित भारत – जीसीसी मुक्त व्यापार करार का लक्ष्य माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग, मूल देश नियम तथा सीमा शुल्क सहयोग के क्षेत्र में परस्पर लाभ है।

वाना (डब्ल्यूएएनए) देशों में भारतीय मिशनों के साथ बैठक

वाना क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशनों के साथ तीन बैठकें (जून, 2020, सितंबर, 2020 और जनवरी, 2021 में) आयोजित की गयीं थीं, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, वाना क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही गैर–प्रशुल्क बाधाओं (एनटीबी) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी और व्यापार क्षमता को बढ़ाने के लिए वाना क्षेत्र में व्यापार संवर्धन गतिविधियों को शुरू करने की कार्य योजना भी तैयार की गई थी।

व्यापार और निवेश पर भारत ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक

व्यापार और निवेश पर भारत–ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक दिनांक 15.12.2020 को आभासी मंच के माध्यम से संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएएनए) की सह–अध्यक्षता में आयोजित की

गयी थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ–साथ ट्यूनीशिया को निर्यात करने की क्षमता की पहचान, ट्यूनीशिया में भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता, द्विपक्षीय निवेश संधि, संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) की स्थापना, व्यापारियों के लिए बहु–प्रवेश वीजा की सुविधा और वर्ष 2021 के दौरान दो देशों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

5. लैटिन अमरीकी एवं कैरेबियन देशों के साथ व्यापार

लैटिन अमरीकी एवं कैरेबियन देशों के साथ संबंध

हालांकि भारत और लैटिन अमरीकी तथा कैरीबियन (एलएसी) क्षेत्र ग्लोब के विपरीत छोरों पर स्थित हैं, फिर भी हमारे संबंध सदैव घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण एवं गर्मजोशीपूर्ण रहे हैं। इस क्षेत्र के तहत 43 देश आते हैं जहां पेट्रोलियम खनिज तेल, ताजा पानी, खनिज तथा कृषि योग्य भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में उपलब्ध हैं। उपनिवेशवाद तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दृष्टि से भारत और इस क्षेत्र के इतिहास में समानता है। कुछ कैरिबियाई देशों के साथ, भारत के विशेष संबंध भी हैं, क्योंकि यहॉं भारतीय मूल की अच्छी खासी आबादी है जो दोनों क्षेत्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखते हैं।

तेजी से बढ़ता हुआ वाणिज्यिक संबंध इस बात का प्रमाण है कि भारत – एलएसी संबंध में भौगोलिक दूरी कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लैटिन अमरीका के साथ भारत के संबंधों का विस्तार व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में सहयोग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है जैसे कि ऊर्जा, खनन, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान साझेदारी तथा बहुपक्षीय मंच जैसे कि जी–20, ब्रिक्स, डब्ल्यूटीओ और इब्सा (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका)।

लैटिन अमरीकी एवं कैरेबियन देशों के साथ व्यापार एवं निवेश

एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के संबंध मजबूत व्यापार एवं निवेश के संबंधों पर टिके हैं जिससे अल्प अवधि में संबंध सुदृढ़ और गहन हुए हैं। दोनों क्षेत्रों ने परस्पर लाभप्रद द्विपक्षीय साझेदारियों जो दक्षिण – दक्षिण सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, का निर्माण करने के लिए भौगोलिक दूरी से उत्पन्न बाधाओं को कड़ी मेहनत से दूर किया है। भविष्य में व्यापार के परिमाण में वृद्धि की प्रचुर गुंजाइश है क्योंकि दोनों ही क्षेत्र उर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों, फार्मास्युटिकल, अभियांत्रिकी, ओटो तथा सेवा क्षेत्रों में बहुत अधिक संपूरक हैं। व्यापार में विविधता तथा नए बाजारों तक पहुंच भी भारत और एलएसी देशों दोनों की प्राथमिकता है।

मैक्सिको (क्योंकि मैक्सिको को नाफ्टा के भाग के :प में लिया जाता है) को छोड़कर इस क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापारिक माल व्यापार जो वर्ष 2000–01 में 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर का था अब बढ़कर वर्ष 2019–20 में 27.13 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। एलएसी के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2012–13 में अपने शीर्ष पर पहुंच गया, जब कुल व्यापार 41.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

निम्नलिखित आंकड़ा पिछले 20 वर्षों के दौरान एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार को दर्शाता है:

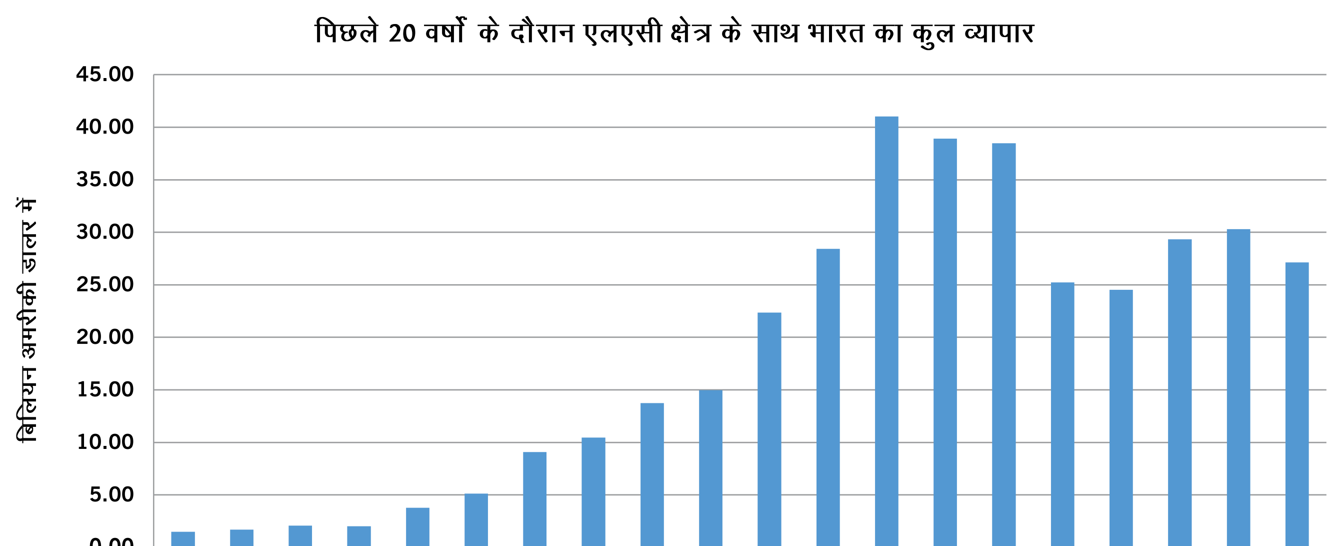

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यापार	1.49	1.70	2.07	2.01	3.76	5.12	9.07	10.45	13.75	14.97	22.37	28.42	41.02	38.92	38.48	25.22	24.52	29.34	30.29	27.13

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

अप्रैल–मार्च, 2019–20 के दौरान एलएसी के साथ भारत का व्यापार

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 27,133.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें निर्यात 10,058.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था और आयात 17,074.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

वैश्विक मंदी और कोविड–19 के कारण, एलएसी के साथ भारत के व्यापार ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (–) 10.41% की गिरावट दर्ज की।

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 अवधि की तुलना में अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान एलएसी को भारत के निर्यात में 3.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, जबकि इस अवधि में पूरी दुनिया में भारत के समग्र निर्यात में गिरावट आयी है, एलएसी को निर्यात में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि में एलएसी से भारत के आयात मूल्य (–) 16.90% की कमी आयी है। उल्लेखनीय :प से, एलएसी से भारत के आयात में, विश्व भर से भारत के आयात की तुलना में, अधिक दर से गिरावट आ रही है। परिणामस्वरूप, व्यापार घाटा अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान 10,806.39 मिलियन अमरीकी डालर से (–) 35.08 प्रतिशत घटकर अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान 7,015.94 मिलियन अमरीकी डालर रह गया है।

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान एलएसी के साथ भारत का व्यापार

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	2018–2019				2019–2020				वृद्धि (प्रतिशत में)	
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात
लैटिन अमरीका	9,740.72	20,547.11	30,287.83	-10,806.39	10,058.96	17,074.90	27,133.86	-7,015.94	3.27%	-16.90%
कुल	3,30,078.09	5,14,078.42	8,44,156.51	-1,84,000.33	3,13,361.04	4,74709.27	7,88,070.31	-1,61,348.23	-5.06%	-7.66%

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

वर्ष 2019–2020 के दौरान एलएसी क्षेत्र के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 3.44 प्रतिशत था, जिसमें निर्यात और आयात क्रमशः 3.21 प्रतिशत और 3.60 प्रतिशत था। एलएसी के परिप्रेक्ष्य से भारत के साथ व्यापार का अंश, आईटीसी ट्रेड मैप के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान एलएसी क्षेत्र के वैश्विक व्यापार का केवल 2.18 प्रतिशत है।

एलएसी देशों में ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, कोलंबिया, बोलीविया, एक्वाडोर, डोमिनिकन गणराज्य, पनामा गणराज्य हमारे प्रमुख व्यापार साझेदार हैं। भारत के शीर्ष निर्यात और आयात भागीदार, निर्यात / आयात के शीर्ष दस जिंस (पिछले 2 वर्षों के लिए) और 2019–2020 की मासिक प्रवृत्ति नीचे दी गई है।

मासिक व्यापार के आंकड़े

वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान, व्यापार घाटा कम हो रहा है क्योंकि आयात कम हो रहे थे और निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर थे। लेकिन वित्त वर्ष 2019–2020 की अंतिम दो तिमाहियों के दौरान आयात में बदलाव के कारण व्यापार घाटे में उतार–चढ़ाव रहा है। नवंबर, 2019 में निर्यात बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन कोविड–19 ने मार्च, 2020 में हमारे निर्यात को प्रभावित किया है। निम्नलिखित आंकड़े अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक के मासिक निर्यात, आयात और व्यापार घाटे / अधिशेष को दर्शाते हैं।

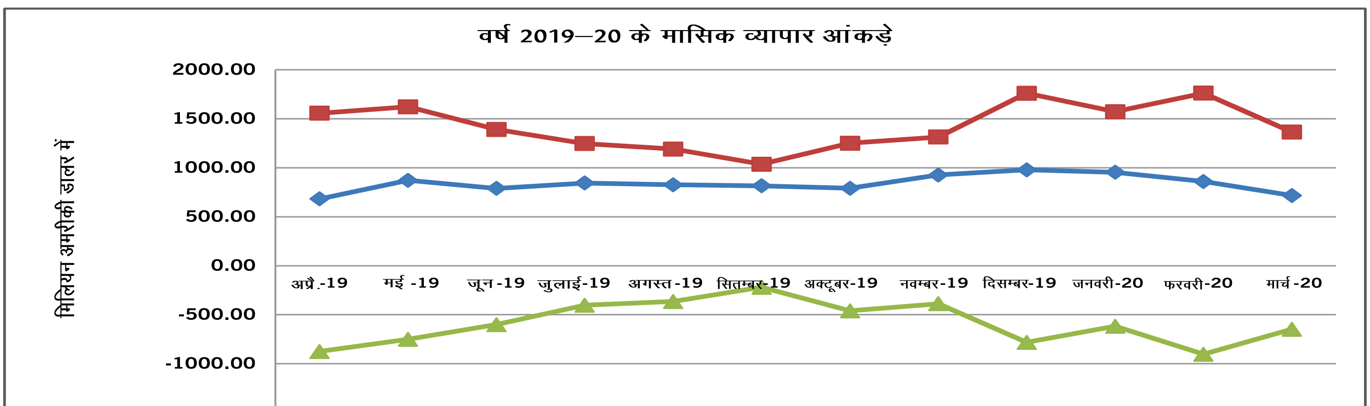

	अप्रै. -19	मई -19	जून -19	जुलाई-19	अगस्त-19	सितम्बर-19	अक्टूबर-19	नवम्बर-19	दिसम्बर-19	जनवरी-20	फरवरी-20	मार्च-20
निर्यात	682.18	872.30	790.28	844.26	826.56	816.43	791.27	926.26	978.71	954.44	859.51	716.52
आयात	1,557.23	1,622.88	1,391.62	1,247.11	1,191.94	1,036.63	1,251.17	1,314.24	1,761.26	1,572.64	1,762.61	1,365.58
व्यापार घाटा/अधिशेष	-875.04	-750.58	-601.34	-402.85	-365.38	-220.20	-459.90	-387.97	-782.55	-618.20	-903.10	-649.06

स्रोत रूडीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

एलएसी क्षेत्र के शीर्षस्थ व्यापार भागीदार

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के दौरान, ब्राज़ील (25.95 प्रतिशत), वेनेजुएला (23.57 प्रतिशत), अर्जेंटीना (11.39 प्रतिशत), पेरू (8.62 प्रतिशत), चिली (7.26 प्रतिशत), कोलम्बिया (6.83 प्रतिशत), बोलीविया (3.54 प्रतिशत), इक्वाडोर (2.27 प्रतिशत), डोमिनिक गणराज्य (2.12 प्रतिशत) और पनामा गणराज्य (1.16 प्रतिशत) प्रमुख व्यापारिक साझेदार थे। इन दस साझेदारों के साथ भारत का व्यापार पूरे एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार का 92.71 प्रतिशत था। ब्राजील और वेनेजुएला दोनों के साथ भारत का व्यापार एलएसी क्षेत्र से भारत के कुल व्यापार का 49.53 प्रतिशत गठित करता हैं।

अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वाडोर और पनाम गणराज्य के साथ भारत का कुल व्यापार पिछले वर्ष उनके साथ किए गए व्यापार बढ़ गए, जबकि, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरु, चिली, कोलंबिया और डोमिनिक गणराज्य के साथ भारत का कुल व्यापार पिछले वर्ष उनके साथ किए गए कुल व्यापार की तुलना में कम हुआ है। निम्नलिखित सारणी एलएसी क्षेत्र में भारत के प्रमुख दस व्यापार साझीदार को दर्शाती है।

एलएसी क्षेत्र में शीर्ष दस व्यापार साझीदारों के साथ भारत का कुल व्यापार

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	अध्याय	2018–19	2019–20	% वृद्धि	% हिस्सा
1	ब्राजील	8,206.93	7,042.36	-14.19	25.95
2	वेनेजुएला	7,423.72	6,396.72	-13.83	23.57
3	अर्जेंटीना	2,517.93	3,090.5	22.74	11.39
4	पेरू	3,126.46	2,339.09	-25.18	8.62
5	चिली	2,227.38	1,969.1	-11.60	7.26
6	कोलंबिया	2,171.83	1,854.36	-14.62	6.83
7	बोलिविया	956.92	959.34	0.25	3.54
8	इक्वाडोर	517.22	614.6	18.83	2.27
9	डोमिनिक गणराज्य	782.38	574.43	-26.58	2.12
10	पनामा गणराज्य	266.13	314.34	18.12	1.16
	शीर्ष 10 के साथ कुल	**28,196.9**	**25,154.84**	**-10.79**	**92.71**
	सकल योग	**30,287.93**	**27,133.86**	**-10.41**	**100.00**

स्रोत : डीजीसीआईएस एंड एस, कोलकाता

वर्ष 2019–20 में पनामा गणराज्य ने ग्वाटमाला का स्थान लेकर एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष साझीदार में शामिल हो गया है।

निम्नलिखित ग्राफ एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के 10 शीर्षस्थ व्यापार साझीदार को वर्ष 2019–20 में उनके निर्यात, आयात और कुल व्यापार को दर्शाते हैं।

एलएसी क्षेत्र में शीर्ष दस व्यापार साझीदारों के साथ भारत का कुल व्यापार

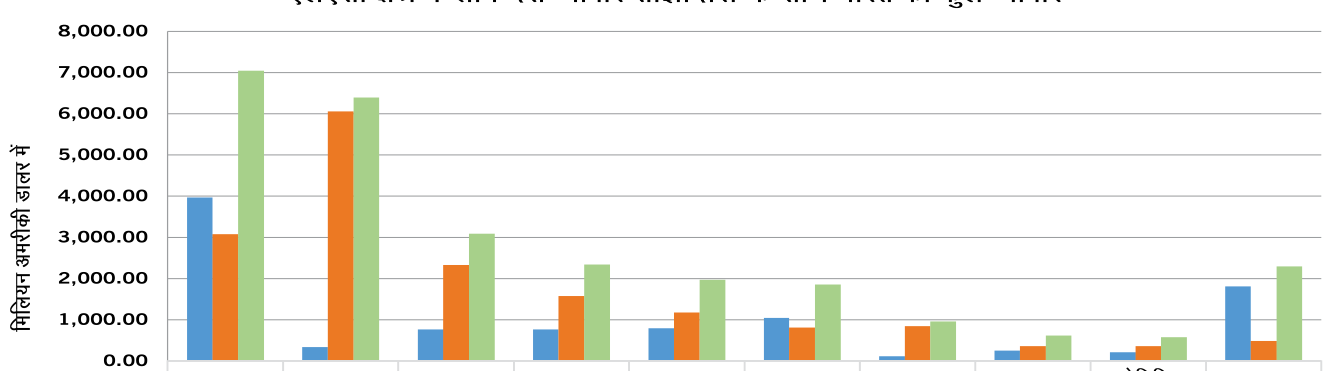

	ब्राजील	वेनेजुएला	अर्जेंटिना	पेरू	चीली	कोलंबिया	बोलिविया	इक्वाडोर	डोमिनिक गणराज्य	अन्य
निर्यात	3,967.39	339.71	763.24	764	793.43	1,043.41	113.46	253	213.32	1,808.01
आयात	3,074.97	6,057.01	2,327.26	1,575.09	1,175.67	810.95	845.88	361.6	361.11	485.38
कुल व्यापार	7,042.36	6,396.72	3,090.50	2,339.09	1,969.10	1,854.36	959.34	614.60	574.43	2,293.39

स्रोत : डीजीसीआईएस एंड एस, कोलकाता

एलएसी क्षेत्र में शीर्ष दस निर्यात गंतव्य

जहाँ तक एलएसी देशों को भारत के निर्यात का संबंध है, ब्राजील (39.44 प्रतिशत), कोलंबिया (10.37 प्रतिशत), चिली (7.89 प्रतिशत), पेरू (7.60 प्रतिशत), अर्जेंटीना (7.59 प्रतिशत), वेनेजुएला (3.38 प्रतिशत), ग्वाटेमाला (2.90 प्रतिशत), इक्वाडोर (2.52 प्रतिशत), पनामा गणराज्य (2.37 प्रतिशत) और डोमिनिक गणराज्य (2.12 प्रतिशत), अप्रैल–मार्च, 2019–20 में भारतीय माल के सबसे बड़े आयातक रहे हैं। इस अवधि में एलएसी क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 86.17 प्रतिशत इन शीर्ष दस देशों में निर्यात किया गया है। निम्नलिखित आंकड़े में भारत के शीर्ष 10 निर्यातक भागीदारों की हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।

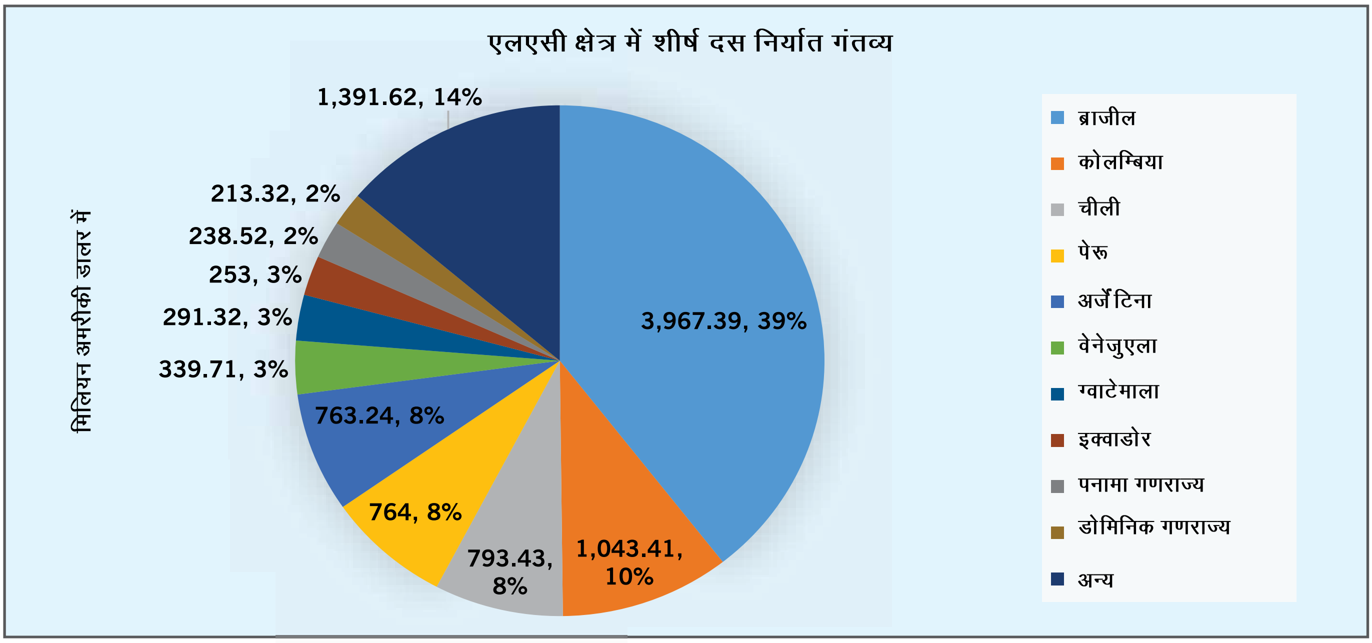

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पनामा गणराज्य को भारत के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। हालांकि, कोलंबिया, चिली, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर और डोमिनिक गणराज्य को भारत के निर्यात ने एक ऋणात्मक रुझान दिखाया था। नीचे दी गई सारणी एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष दस निर्यातक भागीदार दर्शाती है।

एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष दस निर्यातक भागीदार

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2018–2019	2019–2020	% वृद्धि
1	ब्राजील	3,800.49	3,967.39	4.39
2	कोलंबिया	1,116.85	1,043.41	-6.58
3	चिली	989.8	793.43	-19.84
4	पेरू	721.03	764	5.96
5	अर्जेंटीना	562.93	763.24	35.58
6	वेनेजुएला	164.77	339.71	106.17
7	ग्वाटेमाला	305.37	291.32	-4.6
8	इक्वाडोर	297.96	253	-15.09
9	पनामा गणराज्य	227.26	238.52	4.96
10	डोमिनिक गणराज्य	215.81	213.32	-1.15
	शीर्ष 10 निर्यात साझीदार के साथ कुल	8,402.27	8,667.34	3.15
	एलएसी का कुल	**9,740.72**	**10,058.96**	**3.27**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष दस आयातक (आपूर्तिकर्ता) भागीदार

एलएसी से भारत का आयात गिने–चुने अर्थव्यवस्थाओं के हाथों में संकेद्रित है। एलएसी क्षेत्र से भारत के शीर्ष आयातक साझेदारों में वेनेजुएला (35.48 प्रतिशत), ब्राज़ील (18 प्रतिशत), अर्जेंटीना (13.63 प्रतिशत), पेरू (9.23 प्रतिशत), चिली (6.89 प्रतिशत), बोलीविया (4.95 प्रतिशत), कोलम्बिया (4.75 प्रतिशत), इक्वाडोर (2.12 प्रतिशत), डोमिनिक गणराज्य (2.12 प्रतिशत) और त्रिनिदाद (0.49 प्रतिशत) शामिल हैं। अप्रैल–मार्च, 2019–20 में, एलएससी से भारत के कुल आयात का 97.65 प्रतिशत इन शीर्ष दस देशों से हुआ है। वेनेजुएला और ब्राजील ने एलएसी से भारत के कुल आयात के 53.48 प्रतिशत का योगदान किया है। निम्नलिखित आंकड़ा एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष 10 आयात करने वाले भागीदारों को दर्शाता है।

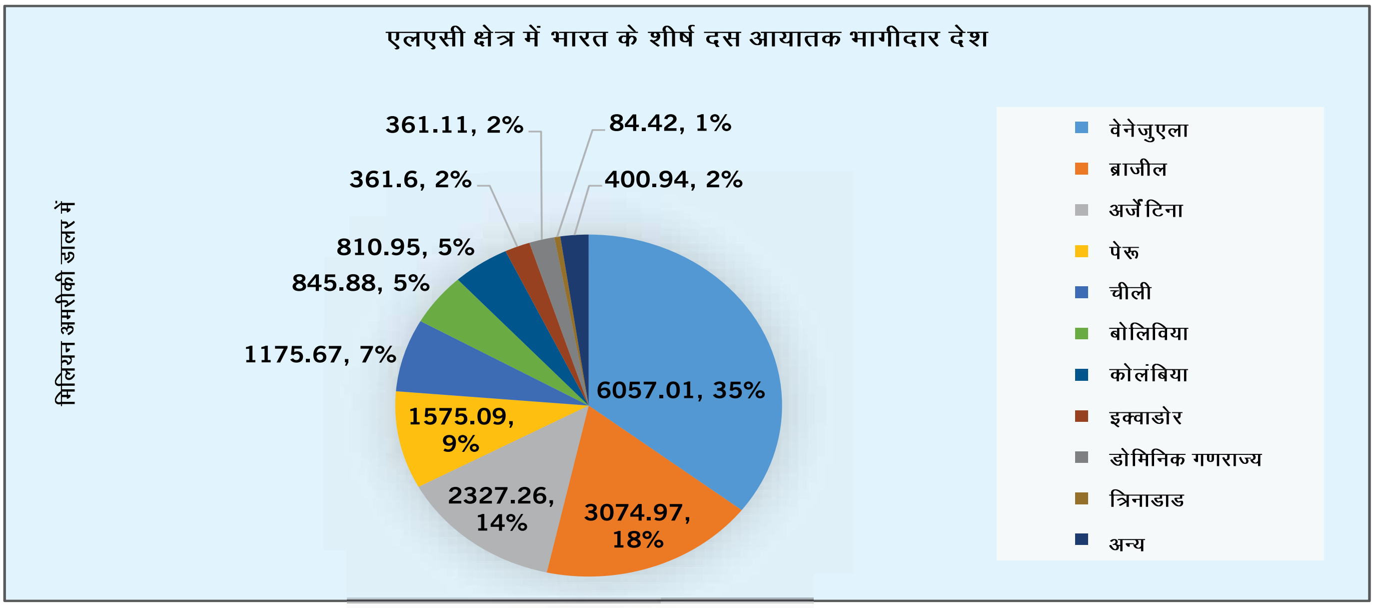

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

इन देशों, नामतः वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, चिली, बोलिविया, कोलंबिया, डोमिनिक गणराज्य और ट्रिनिडाड से भारत के आयात में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी है जबकि अर्जेंटीना और इक्वाडोर से भारत के आयात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़े हैं। नीचे दी गयी सारणी एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष 10 आयातक साझीदार देशों को दर्शाती है।

एलएसी क्षेत्र में भारत के शीर्ष 10 आयातक साझीदारों से आयात में वृद्धि

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2018–2019	2019–2020	: वृद्धि
1	वेनेजुएला	7,258.95	6,057.01	-16.56
2	ब्राजील	4,406.43	3,074.97	-30.22
3	अर्जेंटीना	1,954.99	2,327.26	19.04
4	पेरू	2,405.40	1,575.09	-34.52
5	चिली	1,237.55	1,175.67	-5
6	बोलीविया	852.21	845.88	-0.74
7	कोलंबिया	1,054.98	810.95	-23.13
8	इक्वाडोर	219.25	361.6	64.92
9	डोमिनिक गणराज्य	566.57	361.11	-36.26
10	ट्रिनिडाड	195.37	84.42	-56.79
	शीर्ष 10 आयात साझीदारों के साथ कुल	**20,151.70**	**16,673.96**	**-17.26**
	कुल	**20,547.11**	**17,074.90**	**-16.9**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

एलएसी क्षेत्र के देशों को भारत के निर्यात में शामिल शीर्ष 10 वस्तुएं

एलएसी क्षेत्र के देशों को भारत का निर्यात कई उत्पादों में विविधीकृत है और इस सूची में पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि रसायन, औषध सम्मिश्रण, जैविक उपकरण, मोटर वाहन / कार, कृत्रिम धागे, फेब्रिक्स, मेड अप, ओटो पुर्जे, दोपहिया और तिपहिया यान, बल्क औषध, अर्द्धनिर्मित औषध, लौह और इस्पात उत्पाद की प्रधानता है। वर्ष 2019–20 के दौरान एलएसी क्षेत्र के देशों को भारत के निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा 10.32 प्रतिशत पर सर्वाधिक था, जिसका मूल्य 1037.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। एलएसी को निर्यात की गयी शीर्ष 10 वस्तुओं का हिस्सा एलएसी को भारत के कुल निर्यात का 55.98 प्रतिशत बैठता है। निम्नलिखित सारणी प्रमुख 10 निर्यात वस्तुओं को दर्शाती है।

शीर्ष 10 वस्तुएं जिनका भारत एलएसी क्षेत्र के देशों को निर्यात करता है

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	मुख्य वस्तु	अप्रैल–मार्च 2019	अप्रैल–मार्च 2020	% वृद्धि	% हिस्सा
1	पेट्रोलियम उत्पाद	416.66	1,037.75	149.06	10.32
2	कृषि रसायन	820.46	895.42	9.14	8.90
3	औषध सम्मिश्रण, जैविक उपकरण	868.23	892.15	2.75	8.87
4	मोटर वाहन / कार	731.48	660.62	-9.69	6.57
5	कृत्रिम धागे, फेब्रिक्स, मेड अप	564.2	453.19	-19.68	4.51
6	ओटो पुर्जे	482.55	436.06	-9.63	4.34
7	दोपहिया और तिपहिया यान	416.6	419.39	0.67	4.17
8	बल्क औषध, अर्द्धनिर्मित औषध	284.68	286.39	0.6	2.85
9	लौह और इस्पात उत्पाद	328.76	283.84	-13.66	2.82
10	डाईज	247.27	266.33	7.71	2.65
	शीर्ष 10 वस्तुओं का कुल	**5,160.89**	**5,631.14**	**3.38**	**55.98**
	कुल	**9,740.65**	**10,058.89**	**3.27**	**100.00**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

एलएसी देशों से भारत के आयात में शामिल शीर्ष वस्तुएं

एलएसी क्षेत्र के देशों से भारत मुख्यतया उन वस्तुओं का आयात करता है जो हमारे उद्योगों के लिए इनपुट और कच्ची सामग्री होती है और इसमें पेट्रोलियम, सोना, वनस्पति तेल और बल्क खनिज और अयस्क शामिल हैं, पेट्रोलियम : खनिज तेल का हिस्सा सर्वाधिक है जो वर्ष 2019–20 में एलएसी क्षेत्र से भारत के आयात का 43.50 प्रतिशत पर अधिकतम था, जिसका मूल्य 7,428.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तथापि, अप्रैल–मार्च, 2018–19 की तुलना में अप्रैल –मार्च, 2019–20 में एलएसी देशों से पेट्रोलियम उत्पादों के भारत के आयात में (–)20.94 प्रतिशत कमी आयी है। एलएसी से भारत के कुल आयात में एलएसी देशों से आयात में शामिल शीर्ष 10 वस्तुओं का हिस्सा 91.07 प्रतिशत था। निम्नलिखित सारणी वर्ष 2019–20 में एलएसी देशों से आयात की गयी शीर्ष 10 वस्तुओं को दर्शाती है।

एलएसी से भारत द्वारा आयात की जाने वाली शीर्ष दस वस्तुएं

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	मुख्य वस्तु	अप्रैल–मार्च 2019	अप्रैल–मार्च 2020	% वृद्धि	% हिस्सा
1	पेट्रोलियम उत्पाद : खनिज तेल	9,395.31	7,428.12	-20.94	43.50
2	सोना	4,534.80	3,628.82	-19.98	21.25
3	वनस्पति तेल	2,182.04	2,183.19	0.05	12.79
4	बल्क खनिज और अयस्क	1,215.55	1,045.99	-13.95	6.13
5	अन्य काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	311.43	310.51	-0.29	1.82
6	चीनी	436.35	298.38	-31.62	1.75
7	कोयला, कोक और ब्रिकेट इत्यादि	208.7	239.76	14.88	1.40
8	लौह और इस्पात	175.68	178.5	1.6	1.05
9	पेट्रोलियम उत्पाद	206.18	119.03	-42.27	0.70
10	अजैविक रसायन	87.02	117.29	34.79	0.69
	शीर्ष 10 वस्तुओं का कुल	18,753.06	15,549.59	-17.08	91.07
	कुल	**20,547.06**	**17,074.85**	**-16.9**	**100.00**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

निवेश

आरबीआई के अनुसार, एलएसी क्षेत्र में भारत का बहिप्रवाही एफडीआई वर्ष 2019–2020 के दौरान 315.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के कुल बहिप्रवाही एफडीआई का 1.5% है। एलएसी देशों में भारतीय निवेश कृषि और खनन; निर्माण; वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएँ; विनिर्माण; बिजली, गैस और पानी; परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं; सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएँ; और थोक, खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल क्षेत्र में केंद्रित हैं। एलएसी क्षेत्र में भारतीय निवेश के प्रमुख गंतव्य ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह, केमैन द्वीपसमूह, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा, त्रिनिदाद और टोबैगो, कोस्टा रिका, चिली, उरुग्वे, सेंट लूसिया, पेरू, इक्वाडोर, पैराग्वे, गुयाना और डोमिनिकन गणराज्य थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एलएसी क्षेत्र में भारत के निवेश में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, परंतु भारत में एलएसी क्षेत्र से निवेश अभी भी कम है। जैसा कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए उपलब्ध अवसरों का भरपूर उपयोग करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

फोकस एलएसी कार्यक्रम

एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहन करने के उद्देश्य से शुरू में 5 साल की अवधि के लिए नवंबर, 1997 में एक एकीकृत कार्यक्रम 'फोकस एलएसी'' शुरु किया गया था। समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई गई है। इस कार्यक्रम को दिनांक 31.03.2020 तक समय विस्तार प्रदान किया गया था और आगे फिर इसे दिनांक 31.03.2021 तक एफटीपी के तर्ज पर समय विस्तार प्रदान किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार संवर्धन के प्रयासों में लगे संगठनों अर्थात निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग चैंबरों, आयात निर्यात बैंक, ई सी जी सी आदि को संवेदनशील बनाना, भारतीय निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना तथा इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापार साझेदारों पर अधिक बल के साथ लैटिन अमरीकी क्षेत्र पर बल देते हुए, लैटिन अमरीकी क्षेत्र में भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रमुख उत्पाद समूहों जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, कारपेट तथा हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग उत्पाद एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर, औषधियों एवं भेषज पदार्थों सहित रासायनिक उत्पाद शामिल हैं, पर बल देते हुए निर्यात संवर्धन के उपायों को शुरू करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2015–2020 की विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) हमारे व्यापार बास्केट में विविधता लाने की हमारी दीर्घावधिक रणनीति के अंग के रूप में एलएसी क्षेत्र पर विशेष बल दे रही है।

भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक कर्मचारी

एलएसी क्षेत्र में 13 पूर्ण विकसित भारतीय मिशन (मैक्सिको को छोड़कर) हैं और साओ पाउलो, ब्राजील में एक वाणिज्य दूतावास है। वाणिज्य विभाग ने केवल व्यापार संबंधी मामलों की देखभाल करने के लिए और इस क्षेत्र से हितबद्ध भारतीय निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, ट्रिनीडाड और टोबैगो, पनामा और कोस्टा रिका में वाणिज्यिक पद स्वीकृत किए हैं। ये पद एलएसी क्षेत्र में विपणन सहायक के मौजूदा 9 पदों से अलावा हैं।

एलएसी क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावास, व्यापारिक संस्थाओं, ईपीसी के साथ अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) बैठकें आयोजित की गयीं हैं।

एलएसी क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावास, व्यापारिक संस्थाओं – फिक्की, पीएचडीसीसी, एफआईईओ, सीआईआई, एसोचैम, इंचैम, ईपीसी के साथ कई अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) बैठकें आयोजित की गयीं हैं।

एलएसी क्षेत्र के साथ भागीदारी

(i) संस्थागत तंत्र

(ए) भारत – ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टी एम एम) : भारत और ब्राजील के बीच यह तंत्र व्यापार एवं निवेश से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान करने के लिए एक मंच के :प में काम करता है। भारत – ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) की पांचवी बैठक 20 जनवरी, 2020 को ब्राजीलिया में आयोजित की गयी थी। बैठक में अन्य बातों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों से जुड़े व्यापार एवं निवेश से संबंधित बकाया मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जो दोनों देशों के बीच व्यापार में रुकावट बन रहे हैं।

(बी) भारत – अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) : भारत और अर्जेंटीना के बीच जुलाई, 1981 में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते के तहत जेटीसी का गठन किया गया था। भारत – अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की तीसरी बैठक 29 वर्षों के अंतराल के बाद दिनांक 20.10.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गयी थी। इस बैठक के दौरान, निवेश, खनन, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, आयुष और योग, कृषि में सहयोग, प्रतिपाटन, आईटी सेवा, पर्यटन व्यवसाय वीजा, करार, डब्ल्यूटीओ मामलों और मर्कोसुर के मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आगे बढ़ने और व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए।

(सी) भारत – एक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको): 19 अप्रैल 2013 को क्योतो में भारत और एक्वाडोर के बीच आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित

:परेखा के अंदर भारत और एक्वाडोर ने परस्पर लाभ के आधार पर व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 अक्तूबर 2015 को संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) की स्थापना की है। जेटको की पहली बैठक 17 मई 2017 को ग्वयाकिल, एक्वाडोर में आयोजित की गयी थी। दोनों पक्षों ने व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा वे एक तरजीही व्यापार करार करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी सहमत हुए। व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों की एजेंसियों ने संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है तथा 23 अक्तूबर 2019 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

(डी) भारत कोलंबिया संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति (जेसीबीडीसी) : भारत और कोलंबिया ने 30 अप्रैल 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसने भारत की और से वाणिज्य सचिव और कोलंबिया की और से उद्यमिता विकास उप मंत्री के नेतृत्व में संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति (जेसीबीडीसी) का गठन किया। बैठकें दो वर्ष में एक बार बारी–बारी से भारत और कोलंबिया में आयोजित की जाती हैं। अब तक जेसीबीडीसी की तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। तीसरी बैठक 19 मई, 2017 को बगोटा, कोलंबिया में आयोजित की गयीं थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के मुद्दों तथा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों पक्ष केवल माल को शामिल करते हुए आंशिक कार्यक्षेत्र व्यापार करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी राजी हुए हैं। व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए संयुक्त अध्ययन के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अध्ययन चल रहा है। जेसीबीडीसी की अगली बैठक नई दिल्ली में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) मौजूदा पीटीए का विस्तार

(ए) भारत – मर्कोसोर पीटीए तथा इसका विस्तार

भारत ने 25 जनवरी 2004 को 4 मूल सदस्यों (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे) के साथ एक तरजीही व्यापार करार (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 5 अनुलग्नक हैं, और जो 1 जून 2009 से प्रभावी हुआ। विद्यमान तरजीही व्यापार करार में भारत ने 450 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस (एम ओ पी) की पेशकश की है तथा मर्कोसुर ने 452 टैरिफ लाइनों पर एम ओ पी की पेशकश की है। संपूरकताओं का पता लगाने तथा द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि से लाभ उठाने के लिए भारत और मर्कोसुर के लिए मौजूद प्रचुर संभावना के रूप में विद्यमान भारत – मर्कोसुर तरजीही व्यापार करार का विस्तार किया जा रहा है।

(बी) भारत – चिली पीटीए तथा इसका दूसरा विस्तार

भारत–चिली पीटीए पर 8 मार्च 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसे दिनांक 16.05.2017 को प्रथम किया गया था। दोनों पक्ष भारत चिली पीटीए के दूसरे विस्तार पर सहमत हो गए हैं। चिली के साथ वार्ता के पहले दौर का आयोजन 10 से 11 दिसम्बर, 2019 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था। दूसरे दौर की बैठक 26–27 मार्च, 2020 को प्रस्तावित था, तथापि, महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, अब दूसरे दौर की बैठक चिली के साथ परामर्श कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने की योजना बनायी जा रही है।

(iii) पेसिफिल एलायंस के साथ भागीदारी :

वर्ष 2013 में गठित पेसिफिल एलायंस एक महत्वपूर्ण एवं उभरता व्यापार ब्लाक है जिसमें मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिली शामिल हैं। पेसिफिल एलायंस ने फरवरी, 2014 में भारत को 'प्रेक्षक का दर्जा' प्रदान किया। पेसिफिल एलायंस के एक प्रेक्षक सदस्य के रूप में भारत ने प्रशांत गठबंधन के प्रेक्षक देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेता है।

2019–20 में 6.22 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात और 7.89 बिलियन अमरीकी डालर के आयात के साथ प्रशांत गठबंधन क्षेत्र के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14.08 बिलियन अमरीकी डालर था।

(iv) चल रही पहलें

(ए) **भारत – पेरू व्यापार करार :** भारत माल व्यापार, सेवा एवं निवेश को शामिल करते हुए पेरू के साथ व्यापार करार पर वार्ता कर रहा है। अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है तथा पिछले दौर की वार्ता नई दिल्ली में 20–22 अगस्त 2019 के दौरान आयोजित की गयी थी। पेरू के साथ 6ठी दौर की वार्ता शीघ्र ही आयोजित की जाएगी।

(बी) **भारत – कोलंबिया व्यापार करार :** 19 मई 2017 को बगोटा, कोलंबिया में आयोजित भारत – कोलंबिया संयुक्त व्यवसाय विकास सहयोग समिति की तीसरी बैठक के दौरान दोनों पक्ष व्यापार करार के लिए अपनाई जाने वाली संभावित :परेखा का पता लगाने के लिए सहमत हुए। 8 नवंबर 2017 को कोलंबिया के वाणिज्य, उद्योग एवं पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तथा माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने तरजीही व्यापार करार की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया है। आंशिक व्यापार करार के लिए संयुक्त अध्ययन के लिए विचारार्थ विषयों को 11 जुलाई 2019 को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है।

(सी) भारत – एक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) : व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों की एजेंसियों ने संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है तथा 23 अक्तूबर 2019 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कोविड–19 के दौरान चिकित्सीय सहायता

हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन (एचसीक्यू) के निर्यात, जिसका निर्यात कोविड–19 के कारण प्रतिबंधित किया गया है, का इन देशों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर और विदेश मंत्रालयों की सिफारिशों पर तथा अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से, 31 एलएसी देशों को प्रदान की है। 23 देशों के मामले में, एचसीक्यू की आपूर्ति चिकित्सा सहायता के रूप में की गयी थी।

ऋण व्यवस्था

एग्जिम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों तथा अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण सहायता (एलओसी) प्रदान करता है ताकि उन देशों के क्रेता ऋण की आस्थगित शर्तों पर भारत से माल एवं सेवाओं का आयात कर सकें। वित्त पोषण का यह तंत्र भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एसएमई को गैर अवलंब वित्त पोषण का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है और बाजार में प्रवेश करने के एक कारगर साधन के रूप में काम करता है। ऋण सहायता के ब्यौरे एग्जिम बैंक की वेबसाइटः https://www.EXIMbankindia.in/lines-of-credit-GOILOC.aspx पर उपलब्ध हैं।

एग्जिम बैंक के अनुसार, एग्जिम बैंक द्वारा वर्ष 2019–20 तक एलएसी देशों के बैंकों / सरकारों के लिए प्रदान की गई क्रियाशील तीस ऋण व्यवस्थाएं हैं।

ईसीजीसी सुरक्षा कवर

भारत निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) जोखिम के लिए अंक प्रदान करने की विधि के आधार पर इन देशों की ग्रेडिंग की आवधिक आधार पर व्यापक समीक्षा करता है। एलएसी क्षेत्र पर ईसीजीसी की देश जोखिम और बीमा नीति (जिसकी 01.10.2020 की स्थिति के अनुसार समीक्षा की गई है) के अनुसार लैतिन अमेरिका के 19 देशों को ए1 और ए2 की कम जोखिम श्रेणी में रखा गया है, 21 देशों को बी1 और बी2 की साधारण जोखिम श्रेणी और एक देश को सी1 की अधिक जोखिम श्रेणी में रखा गया है। केवल वेनेजुएला को बहुत अधिक जोखिम वाली श्रेणी (घ) में रखा गया है। ई सी जी सी कवर का ब्यौरा ई सी जी सी की वेबसाइट (https://www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

https://www.ecgc.in@
https://EXIMmitra.in/en/information-data-on-exports/country.rating.

6. स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सी आई एस) के साथ व्यापार

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में रुसी परिसंघ, अर्मेनिया गणराज्य, अजरबैजान गणराज्य, बेलारुस गणराज्य, जार्जिया, मालडोवा, यूक्रेन गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गीस्तान गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान गणराज्य और उजबेकिस्तान गणराज्य शामिल हैं। इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को नीचे ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है :

सी आई एस क्षेत्र साथ द्विपक्षीय व्यापार

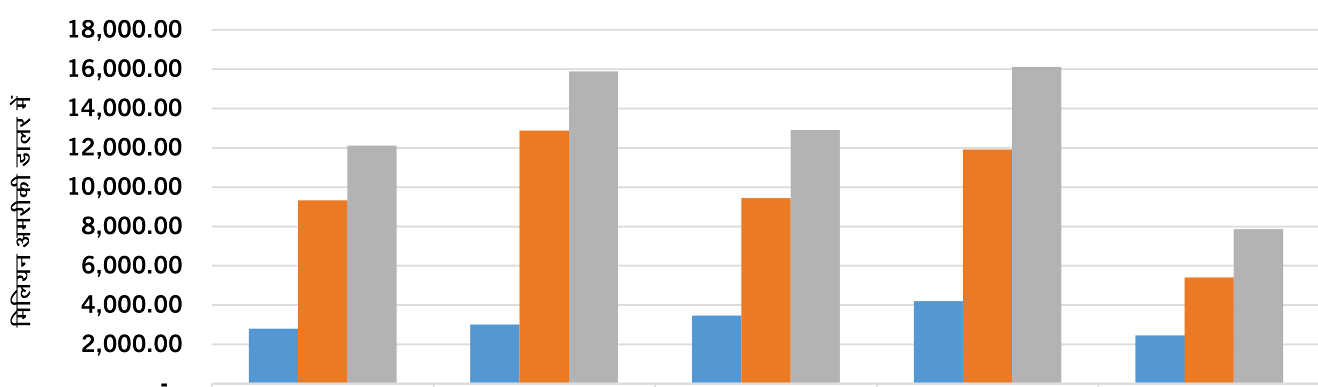

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	अप्रैल–नवंबर 2020-21 (पी)
निर्यात	2,793.95	3,007.37	3,467.04	4,191.84	2,459.72
आयात	9,322.76	12,875.60	9,442.97	11,916.50	5,398.92
कुल व्यापार	12,116.70	15,883.00	12,910.00	16,108.40	7,858.64

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

सी आई एस के साथ व्यापार

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	कुल व्यापार में प्रतिशत वृद्धि	व्यापार संतुलन
2016-2017	2,793.95	9,322.76	12,116.7	27.95	(-)6,528.83
2017-2018	3,007.37	12,875.6	15,883	31.08	(-)9,868.24
2018-2019	3,467.04	9,442.97	12,910	-18.72	(-)5,975.93
2019-2020	4,191.84	11,916.5	16,108.4	24.77	(-)7,724.67
April-November 2020-21(Provisional)	2,459.72	5,398.92	7,858.64	-	(-)2,939.20

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

वर्ष 2020–21 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान भारत के कुल निर्यात में सीआईएस क्षेत्र को किए गए निर्यात हिस्सा 1.41 प्रतिशत और इसके कुल आयात में इस क्षेत्र का हिस्सा 2.49 प्रतिशत था।

सीआईएस क्षेत्र को निर्यात के प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्युटिकल उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, कार्बनिक रसायन, कॉफी, चाय और मसाले, लोहा और इस्पात, रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, रासायनिक उत्पाद, मछली और परुषकवची (क्रसटेशियन) और मांस शामिल हैं। सीआईएस क्षेत्र से भारत में आयात की महत्वपूर्ण वस्तुओं में खनिज ईंधन और तेल, पशु या वनस्पति वसा और तेल, प्राकृतिक या प्रसंस्कृत मोती, कीमती या अर्ध–कीमती पत्थर, उर्वरक, कागज और पेपरबोर्ड, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात, अकार्बनिक रसायन, नमक, अयस्क और लावा (स्लैग) एवं राख (एश) शामिल है।

रुसी परिसंघः

रूसी परिसंघ, जिसमें पूर्व यूएसएसआर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार साझीदार बना हुआ है तथा वर्ष 2020–21 (अप्रैल–नवंबर) (अनंतिम) में सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा 61.16 प्रतिशत के आसपास था। भारत और रूसी परिसंघ के बीच अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए विदेश मंत्रालय नोडल एजेंसी है। भारत और रूसी परिसंघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह तथा व्यापार, आर्थिक एवं निवेश के क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करने पर एक उप कार्य समूह भी है, जिसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग करता है।

मध्य एशियाई गणराज्य

मध्य एशियाई गणराज्य में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उजबेकिस्तान मध्य एशियाई गणराज्य शामिल हैं। वाणिज्य विभाग (डीओसी) कर्गिस्तान, उजबेकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ क्रमशः अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी) और संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय तुर्कमेनिस्तान के साथ आईजीसी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कजाकिस्तान के साथ आईजीसी की देखभाल करता है।

अन्य सीआईएस देश

आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, मोलडोवा और उक्रैन इस समूह में शामिल हैं। रूस के बाद उक्रैन सीआईएस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है जिस समूह ने वर्ष 2020–21 (अप्रैल – नवंबर) के दौरान सीआईएस के साथ भारत के कुल व्यापार का 19.90 प्रतिशत गठित करता है।

वाणिज्य विभाग अजरबैजान के साथ अंतर सरकारी आयोग (आई जी सी) के लिए नोडल विभाग है। औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भारत – बेलारूस अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। अर्मेनिया, जार्जिया और यूक्रेन के साथ अंतर्सरकारी आयोग (आईजीसी) के मामलों की देखरेख के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। मोलडोवा के साथ एक नये आईजीसी गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।

सी आई एस क्षेत्र में प्रमुख पहलें

यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) के साथ व्यापार करार के लिए वार्ता शुरू करना : ईएईयू में 5 देश अर्थात रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। 13 अक्तूबर, 2020 को दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों के बीच एक बैठक भारत और ईएईयू के बीच माल व्यापार समझौते के लिए अगले दौर के नकारात्मक समझौते के दृष्टिकोण और एजेंडे पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में, दोनों पक्ष सामानों की विस्तृत सूची का आदान–प्रदान करने पर सहमत हुए, जिसके बाद दूसरे दौर की बैठक होगी।

(i) अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) : आईएनएसटीसी भारत, रूस और ईरान द्वारा परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने और मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस मार्ग से माल भेजने के दौरान परिवहन लागत में 30% और दूरी में 40% की कमी होगी। आईएनएसटीसी समन्वय परिषद की 7वीं बैठक 4–5 मार्च, 2019 को तेहरान में आयोजित की गई, जिसमें सीमा शुल्क, पोत–परिवहन, सड़क परिवहन, बैंकिंग और बीमा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों के बीच टीआईआर और ई–टीआईआर तंत्र का उपयोग करने, गलियारे के साथ एक नया परीक्षण चलाने और कार्गो की विघ्न मुक्त आवाजाही प्रदान करने के लिए एक मल्टी मोडल संयुक्त कॉर्पोरेट स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया। सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, बाकू में होने वाली अगली आईएनएसटीसी बैठक के एजेंडा में इस मुद्दे को शामिल करने के लिए चाबहार पोर्ट को आईएनएसटीसी परियोजना में शामिल करने और सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

(ii) जार्जिया के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) शुरू करना : भारत और जार्जिया के बीच मुक्त व्यापार करार की संभावना पर संयुक्त संभाव्यता अध्ययन (जेएफएस) रिपोर्ट अगस्त, 2018 में पूरी हो गई है। जेएफएस रिपोर्ट के निष्कर्षों को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा 11 जनवरी 2019 को मुक्त व्यापार करार के लिए वार्ता शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए। वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

(iii) उजबेकिस्तान के साथ पीटीए के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन (जेएफएस) : भारत और उजबेकिस्तान गणराज्य के बीच एक पीटीए की संभाव्यता का पता लगाने के लिए संयुक्त संभाव्यता अध्ययन (जेएफएस) शुरू करने हेतु दिनांक 25 सितंबर, 2019 को ताशकंद में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे। जेएफएस के संपन्न होने के उपरांत दोनों पक्षों के सरकारों के अनुमोदन से पीटीए के लिए वार्ताएं शुरू की जाएंगी।

केंद्रीय रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 04 मार्च 2020 को नई दिल्ली में बेलारूस के उद्योग मंत्री श्री पवेल यूटिपिन से मिलते हुए।

7. उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) के देशों के साथ व्यापार

वर्ष 1994 में, उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) प्रभावी हुआ जिससे विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का सृजन हुआ जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए), कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं। अब 1 जुलाई 2020 से इसका नामकरण यूएसएमसीए के रूप में किया गया है। नाफ्टा के देशों के साथ भारत की मजबूत सामरिक साझेदारी है तथा द्विपक्षीय संबंध हमेशा घनिष्ठ, गर्मजोशीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इन देशों के साथ नियमित रूप से उच्च स्तरीय दौरे किए जा रहें हैं और दोनों पक्षों के नेता व्यापार रिश्ते को विस्तारित करने और गहन बनाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में माल एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में होने के परिणामस्वरूप भारत के पास नाफ्टा देशों के साथ माल

में समग्र व्यापार अधिशेष है, कनाडा और मेक्सिको के साथ इसका व्यापार घाटा है। भारत का नाफ्टा देशों के साथ सेवाओं में भी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान नाफ्टा देशों के साथ माल में भारत के द्वि पक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) से संबंधित आंकड़े इस प्रकार है :

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	व्यापार संकेतक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कनाडा	निर्यात	2,019	2,004	2,506	2,851	2,852
	आयात	4,234	4,132	4,729	3,515	3,880
	कुल व्यापार	**6,253**	**6,136**	**7,235**	**6,367**	**6,732**
मेक्सिको	निर्यात	2,865	3,461	3,783	3,842	3,624
	आयात	2,283	2,944	3,930	5,577	4,297
	कुल व्यापार	**5,148**	**6,405**	**7,713**	**9,419**	**7,921**
यूएसए	निर्यात	40,340	42,217	47,882	52,406	53,089
	आयात	21,781	22,307	26,611	35,549	35,820
	कुल व्यापार	**62,121**	**64,524**	**74,493**	**87,956**	**88,909**
नाफ्टा के देशों के साथ कुल व्यापार	निर्यात	45,224	47,682	54,171	59,099	59,564
	आयात	28,298	29,383	35,270	44,642	43,997
	कुल व्यापार	**73,522**	**77,065**	**89,441**	**103,741**	**103,561**
नाफ्टा देशों के साथ भारत का व्यापार का हिस्सा (%)		**11.43**	**11.67**	**11.63**	**12.29**	**13.14**
नाफ्टा देशों के साथ भारत के निर्यात का हिस्सा (%)		**17.24**	**17.29**	**17.85**	**17.9**	**19.01**

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020–21 के आठ माह (अप्रैल से नवंबर) के दौरान नाफ्टा देशों के साथ माल में भारत के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित आंकड़े इस प्रकार है :

नाफ्टा व्यापारिक माल व्यापार (अप्रैल–नवंबर)								
देश				2020–2 (अनंतिम) (अप्रैल–नवंबर)			वृद्धि प्रतिशत में	
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात
कनाडा	1,857.57	2,845.92	4,703.49	1,798.15	1,908.57	3,706.72	-3%	-33%
मैक्सिको	2,477.84	2,957.09	5,434.94	1,912.52	1,585.99	3,498.50	-23%	-46%
सं. रा. अमे.	35,588.19	25,126.82	60,715.01	31,343.39	16,305.32	47,648.71	-12%	-35%

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(क) यूएसए

माल एवं सेवाओं में कुल द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में बढ़ रहे हैं, जो वर्ष 2014 के 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कैलेंडर वर्ष 2019 में बढ़कर 146 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है (माल और सेवाओं में संयुक्त रूप से)। वित्त वर्ष 2019–20 में, अमेरिका को भारत का माल निर्यात वर्ष 2018–19 के 52.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 53.09 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि दर दर्ज करता है, जहाँ यूएस से आयात वर्ष 2018 के 35.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 35.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है। सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्षों में बढ़ा है, जो वर्ष 2014 के 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में, पिछले 8 माह (अप्रैल –नवंबर) के दौरान, माल का निर्यात 35.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल–नवंबर, 2019) से घटकर 31.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल–नवम्बर, 2020) हो गया, इस प्रकार यह –12 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण महामारी है; जबकि यूएस से आयात में काफी कमी आयी है, जो 25.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल –नवंबर, 2019) से 16.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल –नवंबर, 2020) हो गया है, जो –36 प्रतिशत का ऋणात्मक वृद्धि दर दर्शाता है।

भारत–यूएसए द्विपक्षीय वस्तु व्यापार

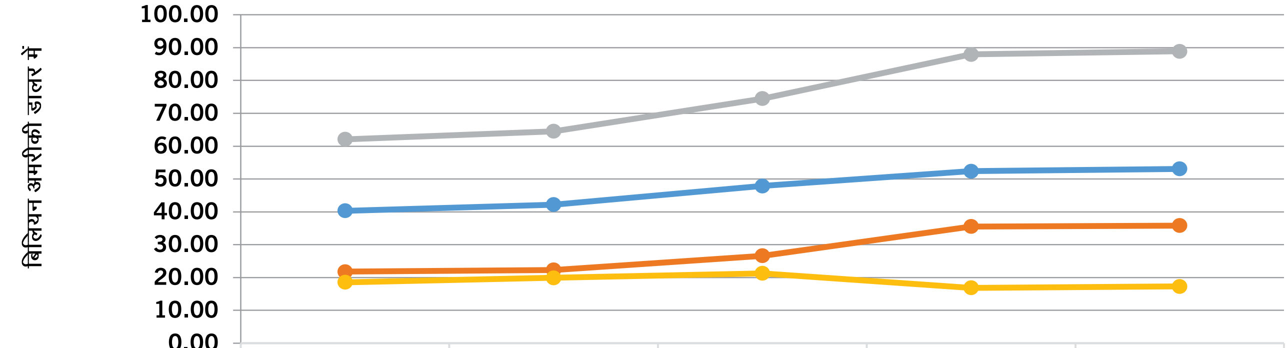

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
निर्यात	40.34	42.22	47.88	52.41	53.09
आयात	21.78	22.31	26.61	35.55	35.82
कुल व्यापार	62.12	64.52	74.49	87.96	88.91
व्यापार में संतुलन	18.56	19.91	21.27	16.86	17.27

सेवाओं में यूएसए के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2019 में 54.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यह देखा जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में अमेरिका को सेवाओं का निर्यात वर्ष 2015 के 24.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 29.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि सेवाओं का आयात वर्ष 2015 के 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 24.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2020 की पहली तीन तिमाहियों (जनवरी – सितंबर) में, यूएस को सेवा निर्यात घटकर वर्ष 2020 (जनवरी – सितंबर) में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो वर्ष 2019 (जनवरी – सितंबर) में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अमेरिका से आयात में भी वर्ष 2020 की पहली तीन तिमाही में तीव्र गिरावट आयी है और यह वर्ष 2019 (जनवरी –सितंबर) के 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020 की प्रथम तीन तिमाही में गिर कर 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

भारत–यूएसए द्विपक्षीय सेवा व्यापार

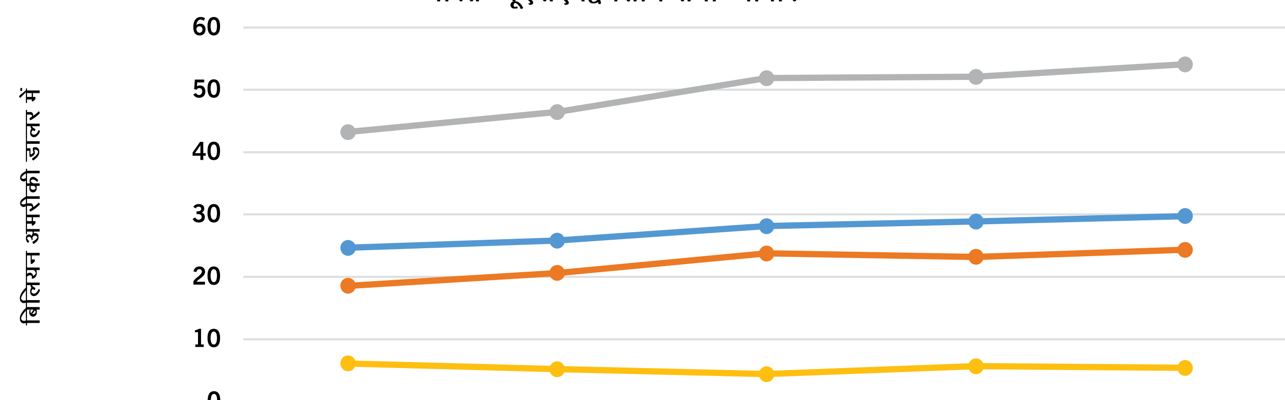

	2015	2016	2017	2018	2019
निर्यात	24.66	25.82	28.14	28.87	29.74
आयात	18.55	20.62	23.75	23.21	24.33
कुल व्यापार	43.21	46.43	51.88	52.08	54.07
व्यापार में संतुलन	6.11	5.20	4.39	5.66	5.41

स्रोत : यूएस सेंसस ट्रेड ब्यूरो

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से दो संस्थागत तंत्र हैं, नामतः वाणिज्यिक संवाद और व्यापार नीति मंच, जो समय समय पर द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों के निराकरण में मदद करते हैं।

भारत – अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता और सीईओ मंच : सीईओ फॉरम के साथ चौथी भारत – यूएस वाणिज्यिक वार्ता 2019 का आयोजन 14 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने की। इस बैठक के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने अमेरिका से टेलिकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। मानक सहयोग, पर्यटन सहयोग तथा व्यवसाय परिवेश एवं निवेश में प्रगति के अनेक क्षेत्रों पर रोशनी डालते हुए दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका के व्यवसायों के लिए व्यापार एवं निवेश के अवसरों को खोलने हेतु सार्थक प्रगति करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्यिक संवाद पर भारत और अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्यिक संवाद के आयोजन पर संतुष्टि व्यक्त की गयी थी। जबकि 5वां सीईओ मंच जून, 2020 में अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) रूप से आयोजित किया गया था, वाणिज्यिक संवाद, 2020 के आयोजन में काफी देर हो चुकी है। सितंबर, 2020 में मानक सहयोग की अंतर–सत्र द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गयी थी, और दोनों पक्ष समीचीन समय में वाणिज्यिक संवाद आयोजित करने पर काम कर रहें हैं।

भारत – अमेरिका व्यापार नीति मंच : जुलाई 2005 में घोषित भारत – यूएस व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों का विस्तार करना है। यह मंच दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यापार से जुड़े अनेक मुद्दों के समाधान के लिए एक संस्थानिक तंत्र के सृजन में सहायक रहा है। इसने एक दूसरे की वस्तुओं को बाजार पहुंच प्रदान करने पर वार्ता करने, प्रक्रिया से जुड़ी अड़चनों को दूर करने, निवेश के अवसरों पर चर्चा करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया है। व्यापार एवं बाजार पहुंच तथा बौद्धिक संपदा पर इसके कार्यकारी समूहों के साथ टीपीएफ की 11वीं बैठक अक्तूबर 2017 में वाशिंगटन डी सी में हुई थी। टीपीएफ की 12वीं बैठक काफी विलंबित है, तथापि, दोनों पक्ष वर्तमान में बकाये मुद्दों का समाधान निकालने के लिए चालू व्यापार चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत–अमेरिका व्यापार चर्चा – बकाया व्यापार मुद्दों का समाधान निकालने के लिए और पारस्परिक लाभ के आधार पर एक साझा समझ बनाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक वर्ष से अधिक समय से लगातार व्यापार चर्चाएं की जा रहीं हैं। वर्ष 2019–20 में श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सितंबर और नवंबर, 2019 में अमेरिका का दौरा करने वाले एक व्यापार शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और अपने समकक्ष राजदूत रोबर्ट लायथाइजर, यूएसटीआर (संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि) के साथ लंबित मुद्दों पर चर्चा की। यूएसटीआर के आधिकारिक शिष्टमंडल ने भी तीन बार नई दिल्ली का दौरा किया, जुलाई, 2019 में, नवंबर, 2019 में और जनवरी, 2020 में। दोनों पक्ष बकाया व्यापारिक मुद्दों का समाधान करने और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए एक व्यापार संधि करने के बारे में आशावान हैं।

(ख) कनाडा

6–7 बिलियन डालर के परस्पर द्विपक्षीय व्यापार के साथ कनाडा नाफ्टा क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है जो दो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बीच क्षमता से काफी कम है। कनाडा के साथ भारत के कुल द्विपक्षीय व्यापार में वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। माल व्यापार में कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2019–20 में 6.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर (निर्यात 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 3.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था जबकि वर्ष 2018–19 में यह 6.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर (निर्यात 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 3.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। जबकि कनाडा को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2019–20 में स्थिर बना रहा है, कनाडा से भारत के आयात में वित्त वर्ष 2019–20 में 10.4% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

वित्त वर्ष 2020–21 में, पिछले 8 महीनों (अप्रैल – नवंबर, 2020) के दौरान, कनाडा को माल निर्यात 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल – नवंबर 2019) से मामूली रूप से घटकर 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल –नवंबर, 2020) हो गया, जो –3.2% की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण महामारी थी; जबकि कनाडा से आयात 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल–नवंबर, 2019) से घटकर 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल–नवंबर, 2020) हो गया, जो –32.4% की काफी बड़ी नकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

भारत–कनाडा द्विपक्षीय वस्तु व्यापार

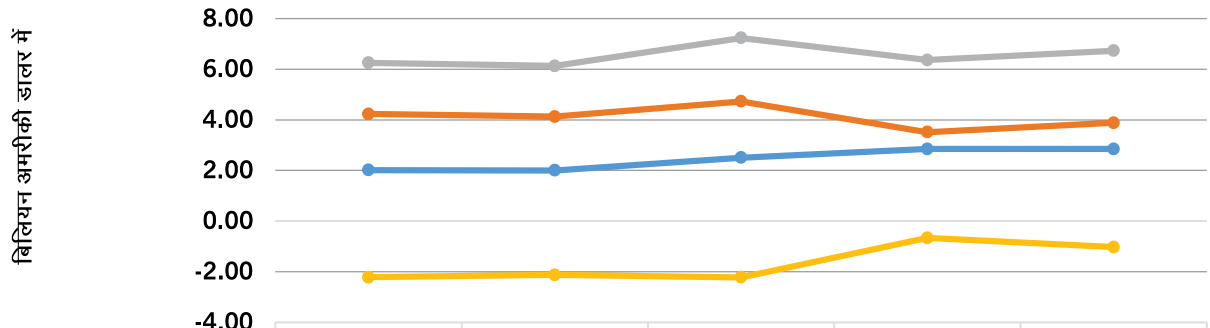

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
निर्यात	2.02	2.00	2.51	2.85	2.85
आयात	4.23	4.13	4.73	3.52	3.88
कुल व्यापार	6.25	6.14	7.23	6.37	6.73
व्यापार में संतुलन	-2.22	-2.13	-2.22	-0.66	-1.03

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

सेवाओं के मोर्चे पर, वर्ष 2019 में कनाडा को भारत का सेवा निर्यात 3.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जबकि कनाडा से भारत को सेवाओं का आयात 1.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र में भारत और कनाडा के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार के रुझान को दर्शाया गया है। इस चित्र में देखा जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच सेवा व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में तेजी देखी गई है और यह व्यापार वर्ष 2015 के 2.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 4.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2020–21 में कनाडा को सेवाओं के निर्यात में गिरावट आयी है जो 2.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जनवरी –सितंबर, 2019) से घटकर 1.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जनवरी –सितंबर, 2020) रह गया है और कनाडा से आयात इसी अवधि के दौरान वर्ष 2020 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

भारत–कनाडा द्विपक्षीय सेवा व्यापार

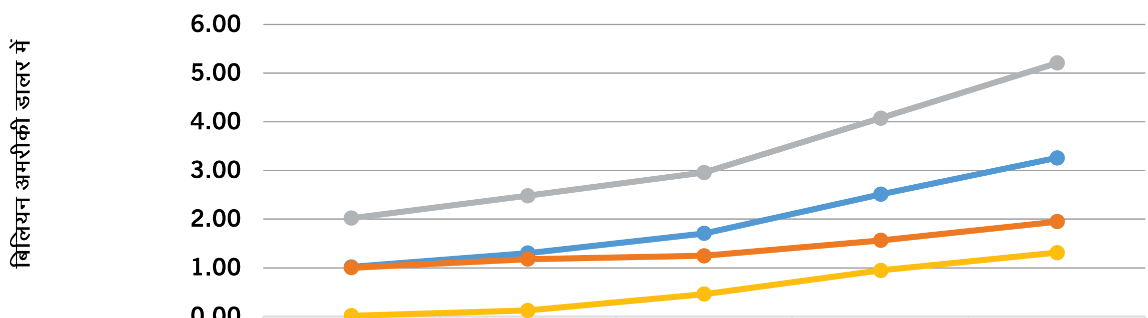

	2015	2016	2017	2018	2019
निर्यात	1.02	1.30	1.71	2.51	3.26
आयात	1.00	1.18	1.25	1.56	1.95
कुल	2.02	2.48	2.96	4.07	5.21
सेवा व्यापार	0.02	0.12	0.46	0.95	1.31

स्रोत : 150 स्टेटकेन.जीसी.सीए

भारत – कनाडा वार्षिक मंत्री स्तरीय संवाद : कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री तथा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच व्यापार एवं निवेश पर प्रथम वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता (ए एम डी) सितंबर, 2010 में ओटावा में आयोजित की गयी थी। चौथी भारत –कनाडा एएमडी 13 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली आयोजित की गयी थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किया, जबकि कनाडा की ओर से उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने भाग लिया था। अगला एएमडी काफी विलंबित है और दोनों पक्ष इस बैठक की कार्यसूची और इसके आयोजन हेतु उपयुक्त समय पर कार्य कर रहें हैं।

वर्ष 2020 में, श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उनके समकक्ष सुश्री मैरी एनजी, कनाडाई मंत्री, के बीच मंत्री

स्तर पर कई टेली–वार्तालाप हुए, नवीनतम वार्तालाप 28 जुलाई 2020 को हुई, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा बकाया द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में बकाया व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दे शामिल किए गए और अन्य बातों के अलावा, इस चर्चा में द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार और कनाडा द्वारा सीईओ मंच के गठन से अधिक बी 2 बी अंतर फलक होने, वार्षिक मंत्रिस्तरीय संवाद का आयोजन और व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) और विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (एफआईपीए) वार्ता पर तेजी से काम करने को शामिल किया गया।

भारत – कनाडा व्यापक आर्थिक नीति करार (सीईपीए) : सितंबर, 2010 में भारत – कनाडा संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट के विमोचन के बाद नवंबर 2010 में नई दिल्ली में भारत – कनाडा सीईपीए वार्ता की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। इस करार के तहत वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, मूल देश नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाएं तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। अब तक वार्ता के दस दौरों का आयोजन किया जा चुका है, वार्ता का अंतिम दौर अगस्त, 2017 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके बाद फरवरी, 2018 में अंतर–सत्र बैठक आयोजित की गयी थी।

इन वार्ताओं पर तेजी से काम करने के लिए, अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेने हेतु दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों के बीच सीईपीए और एफआईपीए की अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) द्विपक्षीय बैठक 22 जुलाई 2020 को आयोजित की गयी थी और सीईपीए वार्ताओं की प्रगति और आगे के मार्ग पर चर्चा हुई। बाद में, 27 अक्तूबर, 2020 को, एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गयी थी और दोनों पक्षों ने सीईपीए अर्लि हार्वेस्ट / अंतरिम करार के विकल्प की संभावना का पता लगाया जिसमें सीईपीए के प्रथम चरण के रूप में प्राथमिकता प्राप्त और पारस्परिक लाभ के क्षेत्र शामिल हैं। भारत ने नवंबर, 2020 में सीईपीए अर्लि हार्वेस्ट पर कनाडा के साथ स्कोपिंग दस्तावेज साझा किया है।

(ग) मेक्सिको

मेक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, जिसके साथ वित्त वर्ष 2019–20 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग आठ बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो दोनों देशों के बीच व्यापार की क्षमता से कम है। वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में मैक्सिको के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार 16% घटा है। वर्ष 2018–19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 9.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (निर्यात 3.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर) जो वर्ष 2019–20 में घट कर 7.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर (निर्यात 3.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 4.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रह गया।

चालू वित्त वर्ष 2020–21 में, पिछले 8 महीनों (अप्रैल – नवंबर) के दौरान, मेक्सिको को वस्तुओं का निर्यात, 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल– नवंबर, 2019) से घटकर 1.91 बिलियन डॉलर (अप्रैल – नवंबर 2020) रह गया, जिसने –23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। इस गिरावट का मुख्य कारण महामारी थी। मेक्सिको से आयात में भी काफी कमी आयी और यह 2.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल– नवंबर, 2019) से घटकर 1.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल–नवंबर, 2020) रह गया जो –46.3: की गिरावट दर्शाता है।

भारत–मैक्सिको द्विपक्षीय वस्तु व्यापार

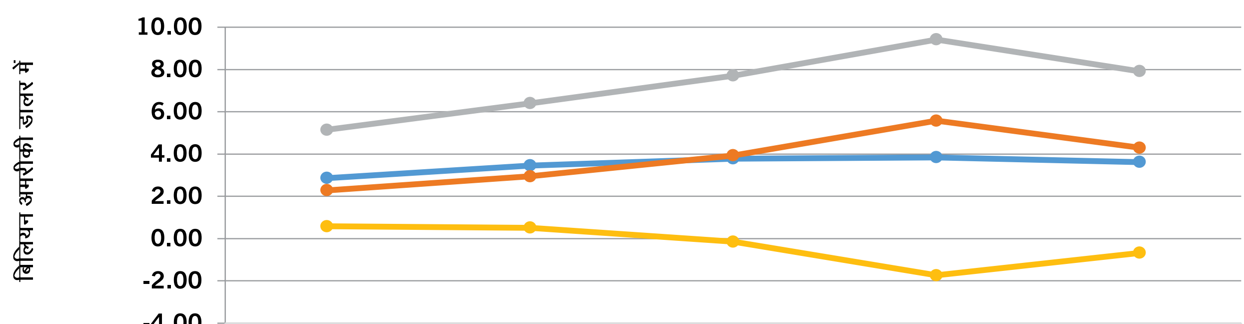

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
निर्यात	2.87	3.46	3.78	3.84	3.62
आयात	2.28	2.94	3.93	5.58	4.30
कुल व्यापार	5.15	6.41	7.71	9.42	7.92
व्यापार संतुलन	0.58	0.52	-0.15	-1.74	-0.67

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

जून 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मैक्सिको दौरा के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में उछाल आया है, जब दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया।

भारत – मैक्सिको बीएचएलजी : व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग संबंधी द्विपक्षीय उच्च–स्तरीय समूह (बीएचएलजी) में मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्र में संपर्क बनाए रखना तथा सूचना का आदान–प्रदान करना शामिल है। भारत – मेक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की चौथी बैठक वर्ष 2016 में मैक्सिको में आयोजित की गयी थी। द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह ने दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने में साझेदारियों की संभावनाओं तथा व्यापार से जुड़े अनेक मुद्दों पर मैक्सिको के साथ वार्ता करने में मदद की।

व्यापार, निवेश और सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह बैठक (बीएचएलजी) अप्रत्यक्षतः (वर्चुअल) 9 अक्तूबर, 2020 को आयोजित की गई थी। डॉ. अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव और सुश्री लूज मारिया डे ला मोरा, मेक्सिको सरकार के विदेश व्यापार के उप–मंत्री ने इस बैठक की सह–अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने ऑडियो–विजुअल को–प्रोडक्शन से लेकर, द्विपक्षीय निवेश संधि, कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच, सेनेटरी और फाइटोसैनिट्री (एसपीएस) पर एक सहयोग रूपरेखा और दोनों देशों के बीच व्यापार की तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के उपायों, बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग, और भारत और मेक्सिको के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों का पता लगाने तक कई द्विपक्षीय वर्तमान और लंबित मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक के बाद व्यापार संबंध बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।

संबंधित डोमेन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी–कंपनी के बीच दो एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बीएचएलजी बैठक में भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार संबंधों के विकास का संवर्धन करने के लिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात परिषद (ईएससी) और मेक्सिकन चैंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्यूनिकेशन एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजिज (सीएएनआईईटीआई) के बीच एक एमओयू और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और मेक्सिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ फोरेन ट्रेड, इंवेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी (सीओएमसीई) के बीच दूसरा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।

8. ओसियाना क्षेत्र के साथ व्यापार

एफटी (ओसियाना) प्रभाग आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा 12 प्रशांत लघु द्वीपसमूह विकासशील देशों (पी एस आई डी एस) जैसे कि फिजी, पपुआ न्यू गीनिया, किरबाती, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नौरू, पलाऊ, समोया, सोलोमोन द्वीप, टोंगा, तुवालू और वनुआतू के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का काम देखता है।

आस्ट्रेलिया

भारत – आस्ट्रेलिया सीईसीए वार्ता

भारत माल, सेवा, निवेश व्यापार तथा संबद्ध मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता कर रहा है। अब तक वार्ता के नौ दौर आयोजित किए जा चुके हैं। पहली बैठक जुलाई, 2011 में हुई थी तथा आखिरी बैठक अर्थात 9वीं बैठक 21 से 23 सितंबर 2015 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।

वर्तमान में दोनों पक्ष पारस्परिक सहमत तरीके से सीईसीए पर पुनः काम करने पर चर्चा कर रहें हैं।

भारतीय–आस्ट्रेलियाई नेताओं का अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) शिखर सम्मेलन

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री माननीय स्कॉट मॉरिसन ने संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को भारत–ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के प्रत्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एक लंबी अवधि के लिए भारत–ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने वर्ष 2009 में संपन्न एक द्विपक्षीय रणनीतिक साझीदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) में स्तरोन्नयन की प्रतिबद्धता दर्शायी। दोनों पक्ष दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के लिए विस्तारित व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर, दोनों पक्षों ने पूर्व के द्विपक्षीय चर्चाओं पर उपयुक्त रूप से विचारन करते हुए, जहाँ एक पारस्परिक रूप से सहमत आगे के रास्ते ढूँढे जा सकते हैं, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर फिर से जुड़ने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने भारत–ऑस्ट्रेलिया दोहरे कराधान से बचाव करार (डीटीएए) के उपयोग के माध्यम से भारतीय फर्मों की विदेश में हुई आय पर कराधान के मुद्दे पर चर्चा की और मुद्दे के शीघ्र समाधान चाहा।

भारत – आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग (जे एम सी) की बैठक

भारत – आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग (जे एम सी) की 16वीं बैठक 24 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। इस सत्र की सह–अध्यक्षता माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और माननीय सिनेटर साइमन बर्मिंघम, व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री,

आस्ट्रेलिया सरकार ने की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंध को बढ़ाने के प्रयास का स्वागत किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक करार (सीईसीए) पर वार्ताओं को फिर से शुरू करने पर विचार करने पर अपनी सहमति दी। इसके साथ–साथ वे दोनों पक्षों के हित के मानक और नियामक बाधाओं को सुसंगत बनाने के मुद्दे को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

न्यूजीलैंड

भारत – न्यूजीलैंड सी ई सी ए वार्ता : भारत माल, सेवा, निवेश में व्यापार तथा संबद्ध मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर वार्ता कर रहा है। अभी तक वार्ताओं के दस दौर आयोजित किए जा चुके हैं। प्रथम दौर की वार्ता अप्रैल, 2010 में और नवीनतम वार्ता दौर, अर्थात 10वीं दौर की वार्ता 17–18 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।

भारत – न्यूजीलैंड संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग (जे एम सी) की बैठक : जेएमसी बैठकफरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। यह बैठक श्री पीयूष गोयल, माननीय रेलवे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और श्री डेविड पार्कर, माननीय व्यापार और निर्यात संवृद्धि मंत्री, न्यूजीलैंड की सह–अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। इस बैठक में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में बाजार पहुँच और निवेश का संवर्धन शामिल थे।

9. यूरोप के साथ व्यापार

एफटी–यूरोप प्रभाग यूरोप के निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार संबंधों का काम देखता है:

क्र. सं.	क्षेत्र और देशों की संख्या	देशों का नाम
1	यूरोप संघ (ईयू) (28)	आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम (दिनांक 01.01.2021 से यूके ईयू का भाग नहीं रहा)
2	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (4)	आइसलैंड, लेचिस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड
3	अन्य यूरोपीय देश (6)	अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, सर्बिया संघ तथा मोंटेनेग्रो एवं तुर्की

वर्ष 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान, यूरोप के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 64.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 28.55 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) में यूरोप को किए गए 40.59 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में वर्ष 2020–21 (अप्रैल –नवंबर) में यूरोप को निर्यात का मूल्य 32.9 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.07 प्रतिशत कम है। वहीं यूरोप से आयात में 34.63 प्रतिशत की कमी आयी है, जो 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के 49.96 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) में 32.66 बिलियन अमरीकी डालर का रह गया था। (स्रोत : डीजीसीआईएस)

यूरोपीय संघ (ईयू)

28 देशों (दिनांक 01.01.2021 से 27 देश) के गुट के रूप में यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार है। वर्ष 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान, ईयू के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 54.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 23.98 प्रतिशत कम है। ईयू को निर्यात में 20.74 प्रतिशत की कमी आयी है, जो वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के 35.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) में 28.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। ईयू से आयात भी कम हुआ है जो वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के 35.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 27.29 प्रतिशत घटकर वर्ष 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) में 25.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। (स्रोत :डीजीसीआई एंड एस)

यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी मानकए तकनीकी बाधाएं, कोटा/ टैरिफ की जटिल प्रणालीए भारतीय उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी / सब्सिडी रोधी उपायों आदि महत्वपूर्ण मुद्दे आड़े आते हैं। इन मुद्दों का यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात के लिए बाजार उपलब्धता से संबंध है। इन मुद्दों को नियमित रुप से संयुक्त कार्यों समूहों एवं व्यापार संबंधी उप आयोग में उठाया जाता है। यूरोप के अलग अलग देशों के साथ व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संयुक्त आयोग के माध्यम से द्विपक्षीय मंचों पर भी उठाया जाता है।

15वां भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जिसमें माननीय प्रधान मंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, आभासी रूप से (वर्चुअली) दिनांक 15.7.2020 को आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन मेंए अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों मेंए दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ

के बीच सहयोग को मार्गदर्शित करने के लिए "भारत–यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप" को अंगीकृत किया। दोनो नेताओं ने अपने व्यापारिक और निवेश संबंध और बढ़ाने पर सहमत दी ताकि इस संबंध की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके, विशेष रूप से कोविड–19 पश्चात आर्थिक सुधार के मद्देनजर, और दोनों पक्षों में संधारणीय संवृद्धि और रोजगार को बल प्रदान किया जा सके। वे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मार्गदर्शन प्रदान करने और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए मंत्री स्तर पर एक नियमित उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करने पर भी सहमत हुए। यह उच्च स्तरीय संवाद भारत–यूरोपीय संघ के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के लिए सर्वोच्च संस्थागत तंत्र होगा और इसे भारत–यूरोपीय संघ संयुक्त आयोगए व्यापार संबंधी उप–आयोग, विभिन्न जेडब्लयूजी और टीडब्ल्यूजी द्वारा पोषित किया जाएगा। उच्च स्तरीय संवाद का पहला सत्र का आयोजन 22 जनवरी 2021 को निर्धारित है।

भारत–यूरोपीय संघ के उप–व्यापार आयोग की अंतिम बैठक 19.11.2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गईए जिसकी सह–अध्यक्षता संयुक्त सचिव (एफटी यूरोप) ने की और सभी द्विपक्षीय बाजार पहुंच सरोकारों पर चर्चा की गई।

भारत–यूरोपीय संघ बीटीआईए वार्ता

(i) पृष्ठभूमि

नई दिल्ली में सितंबर, 2005 में आयोजित छठी भारत–यूरोपीय संघ शिखर बैठक ने आर्थिक संबंध को व्यापक एवं विस्तृत करने के तरीको का पता लगाने तथा व्यापार एवं निवेश करार अर्थात विस्तृत द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए) की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय व्यापार समूह (एचएलटीजी) का गठन करने का निर्णय लिया था। करार के लिए वार्ता करने हेतु एचएलटीजी की सिफारिशों के अनुसरण में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच 16 दौरों की वार्ता हो चुकी है। तथापिए वार्ता निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है।

दोनों पक्षों की संवेदनशीलताओं पर चर्चा करने तथा वार्ता पुनः शुरू करने के लिए रचनात्मक रूप से भागीदारी करने के लिए वर्ष 2016 से प्रयास किए जा रहे हैं तथा तब से मुख्य वार्ताकार के स्तर पर 8 समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

इसके अलावाए 15 नवंबर 2018 को ब्रुसेल्स में वाणिज्य सचिव तथा यूरोपीय संघ के महानिदेशक (व्यापार) के बीच बैठक हुई थी तथा भारत–यूरोपीय संघ बीटीआईए के लिए भावी कदम पर चर्चा हुई। बैठक ने दोनों पक्षों की अधूरी महत्वाकांक्षाओं का जायजा लेने तथा संवेदनशीलताओं जो मौजूद हैं, को संतुलित करने की आवश्यकता को उजागर किया। इसके बादए भारत–यूरोपीय संघ संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में 5 जुलाई 2019 को ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के लिए मुख्य वार्ताकारों की बैठक हुई और सभी वैकल्पिक ट्रैक पर डीवीसी रूट के माध्यम से काम करने पर सहमति हुई। माल एवं सेवा में व्यापार पर डीवीसी का आयोजन जूनए 2019 में हुआ, जिसके बाद नवंबर और दिसंबर, 2020 में क्रमशः सरकारी प्रापण और जीआई पर डीवीसी का आयोजन हुआ।

(ii) वर्तमान स्थिति

भारत और यूरोपियन संघ एक अंतरिम अर्लि हार्वेस्ट करार पर कार्य कर रहें हैं जिसमें व्यापक बीटीआईए की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में कुछेक प्राथमिकता प्राप्त माल लाइनों पर प्रशुल्क रियायत और चयनित सेवाओं पर बाजार पहुँच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी।

यूरोपीय मुक्त व्यापार करार (ईएफटीए)

ईएफटीए व्यापार ब्लाक में स्विटजरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिचेस्टीन शामिल हैं। वर्ष 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान, ईएफटीए के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 7.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 49.27 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, जब 14.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। ईएफटीए को निर्यात में 3.05 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जो वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के 1.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) में 1.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। ईएफटीए से आयात में भी गिरावट आयी है जो 53.24 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) में ईएफटीए से हुए 13.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात की तुलना में वर्ष 2020–21 (अप्रैल से नवंबर) में यह मात्र 6.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है।

भारत – ईएफटीए टीईपीए वार्ताएं

भारत और इएफटीए ने अक्तूबर, 2008 में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी करार (टीईपीए) पर वार्ता शुरू की थी। माल व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, स्वच्छता और फाइटो–सेनेटरी उपाय, व्यापार की तकनीकी बाधाएं, सरकारी खरीद, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्द्धा, व्यापार सुविधा, निवेश, संधारणीय विकास, कानूनी और क्षैतिज प्रावधान और व्यापार उपाय जैसे 14 ट्रैकों / अध्यायों पर वार्ताएं आयोजित की गयीं है, जिन्हें दोनों पक्ष समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक 17 दौर की वार्ताएं की जा चुकी है। पिछले दौर की वार्ता 18 से 21 सितंबर, 2017 के दौरान आयोजित की गयी थी। इसके बाद मुख्य वार्ताकार के स्तर पर चर्चा तथा ट्रैक के विभिन्न बकाया मुद्दों पर संबंधित ट्रैक अर्थात उत्पति के नियम, माल व्यापार, वस्तु व्यापार,

सेवा व्यापार, आईपीआर और एसबीएस / टीबीटी आदि पर चर्चा का आयोजन डिजिटल वीडियो कन्फ्रेंस के माध्यम से अक्तूबर –दिसंबर, 2018 और अक्तूबर–नवंबर 2019 एवं मार्च, 2020 के दौरान हुई। भारत ईएफटीए के साथ संतुलित एवं परस्पर लाभप्रद करार के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत – यूनाईटेड किंगडम

भारत यूके के साथ भी एक व्यापार साझीदारी पर काम कर रहा है, क्योंकि ब्रेक्सिट से बाहर निकलने के बाद यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को फिर से संभालेगा।

अन्य यूरोपीय देश

वर्ष 2020–21 (अप्रैल –नवंबर) के दौरान, यूरोपीय देशों के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 3.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि के द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में 33.93 प्रतिशत कम है। अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात में 30.24 प्रतिशत की कमी आयी है, जो वर्ष 2019–20 (अप्रैल–नवंबर) के 3.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर वर्ष 2020–21 (अप्रैल –नवंबर) में 2.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। इसी प्रकार, आयात में 42.22 प्रतिशत की गिरावट आयी है जो वर्ष 2019–20 (अप्रैल –नवंबर) के 1.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर वर्ष 2020–21 (अप्रैल–नवंबर) में 0.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। (स्रोतः डीजीसीआईएस)

संस्थागत तंत्र

भारत ने अनेक यूरोपीय देशों नामतः यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम–लग्जमबर्ग, स्विटजरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, साइप्रस, फिनलैंड, यूनान, रोमानिया, तुर्की और साथ ही साथ यूरोपीय संघ के साथ संस्थानिक तंत्र स्थापित किए हैं।

वर्ष 2020–21 में (नवंबर, 2020 तक), निम्नलिखित संयुक्त आयोगों/ उप–आयोगों की बैठकें आयोजित की गयीं हैः

क्र. सं.	संयुक्त आयोग	सह अध्यक्ष	स्थान और तिथि
1	भारत–यूके संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की 14वीं बैठक	श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और माननीय एलिजाबेथ ट्रस, संसद सदस्य, सेकेट्री औफ स्टेट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।	24 जुलाई 2020 वर्चुअल रूप में
2	व्यापार संबंधी भारत–यूरोपीय संघ उप–आयोग	सुश्री निधि मणि त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और सुश्री इवा सिनोविक, निदेशक, डीजी व्यापारए यूरोपीय संघ	19 नवंबर 2020 वर्चुअल रूप में
3	भारत –फ्रांस संयुक्त समिति	श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और श्री फ्रैंक रियस्टर, मंत्री, यूरोप और विदेश मंत्रालय, वाह्य व्यापार और एट्रैक्टिविटी प्रभारी	27 नवंबर 2020 वर्चुअल रूप में

संवर्धित व्यापार भागीदारी पर चर्चा करने के लिए भारत एवं यूके के बीच दिनांक 09.11.2020 को आयोजित मंत्रीस्तरीय बैठक

अन्य द्विपक्षीय कार्यकलाप (मंत्रालय स्तर पर)

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठकें की:

- 17 अप्रैल, 2020 को यूके के विदेश व्यापार सचिव एलिजाबेथ ट्रस के साथ टेलिकॉन्फ्रेंस और 9 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल बैठक।
- जर्मन चांसलर के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रो. लार्स हेंड्रिक रोलर के साथ, 3 अप्रैल 2020, 9 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 को टेलिकॉन्फ्रेंस।
- 11 मई, 2020 को नीदरलैंड के विदेश व्यापार और विकास सहयोग मंत्री सुश्री सिग्रीड काग के साथ टेलिकॉन्फ्रेंस
- 26 मई, 2020 को स्वीडेन के विदेश व्यापार मंत्री सुश्री एना हॉलबर्ग के साथ टेलिकॉन्फ्रेंस।
- 2 नवंबर, 2020 को इटली के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री लुइगी डि माओ के साथ वर्चुअल बैठक।
- 7 दिसंबर, 2020 को फिनलैंड के विकास और विदेश व्यापार मंत्री श्री विले स्किनरी के साथ वर्चुअल बैठक।
- 8 दिसंबर, 2020 को स्विस फेडरल काउंसिल के उपाध्यक्ष और आर्थिक कार्य, शिक्षा, और अनुसंधान के संघीय विभाग के प्रधान श्री गाय परमेलिन के साथ वर्चुअल बैठक।
- 11 दिसंबर, 2020 को स्वीडेन के विदेश व्यापार मंत्री सुश्री एना हॉलबर्ग के साथ वर्चुअल बैठक।
- 14 दिसंबर, 2020 को बिजनेस फोरम के सदस्यों के साथ यूके की विदेश मंत्री सुश्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ वर्चुअल बैठक।

माननीय राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) श्री हरदीप पुरी ने 9 जून, 2020, 15 जुलाई, 2020, 2 सितंबर, 2020 और 21 अक्तूबर 2020 को यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री रनिल जयवर्द्धने के साथ वर्चुअल बैठकें की।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, नामतः व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी पर चर्चा करने के लिए युरोपीय देशों के भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक स्कंधों / आर्थिक स्कंधों के साथ आभासी (वर्चुअल) बैठकें :

क्र. सं.	जो देश शामिल थे	अध्यक्षता / तिथि
1	जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और पोलैंड	संयुक्त सचिव (एफटी–यूरोप) 14 मई, 2020
2	यूके, स्विटजरलैंड, फ्रांस, तुर्की और स्पेन	संयुक्त सचिव (एफटी–यूरोप) 15 मई, 2020
3	ईओआईए बेल्जियम में ईयू मिशन (ब्रसेल्स)	संयुक्त सचिव (एफटी–यूरोप) 4 अगस्त, 2020
4	अल्बानिया, बोसनिया एवं हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक गणराजय, इस्तो–निया, हंगरी, लैतविया, लियुआतिया उत्तरी मसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेकिया और स्लोवेनिया।	संयुक्त सचिव (एफटी.यूरोप) 15 सितंबर, 2020

10. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और संबंधित मुद्दे

भारत डब्लयूटीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और नियम आधारित, समावेशी, मुक्त, उचित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, जो सर्वसम्मत निर्णयन के सिद्धांतों पर कार्य करती है, का दृढ समर्थक है। डब्ल्यूटीओ में विमर्श किए जा रहे प्रमुख मुद्दों पर भारत का रूख इस प्रकार है:

(i) डब्ल्यूटीओ सुधार

पिछले कई वर्षों से डब्ल्यूटीओ को मजबूत करने और इसका आधुनिकीकरण करने के लिए किए जाने वाले सुधारों के संबंध में विभिन्न मंचों पर चर्चाएं हो रहीं है। डब्ल्यूटीओ सुधारों का एजेंडा विकसित देशों द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से त्रिपक्षीय पहल (ईयू, अमेरिका और जापान) और कनाडाई पहल (13 देशों ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, चिली, केन्या, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जापान और कोरिया का समूह) शामिल है। इन पहलों में प्रस्तावित सुधारों में से कुछ प्रमुख क्षेत्रों में वर्द्धित पारदर्शिता, विभेदीकरण, कमियों का हल निकालने के लिए नियम–निर्माण, वार्ताओं में लचीलापन और विवाद निपटान संस्था से संबंधित मुद्दों का हल शामिल है।

कई अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर भारत ने विश्व व्यापार संगठन में एक सुधार पत्र प्रस्तुत कियाए जिसमें विकासशील देशों के हितों और सरोकारों को उजागर किया गया है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य विकास के महत्व की पुनः पुष्टि करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर डब्ल्यूटीओ सुधारों पर चल रही चर्चाओं में संतुलन लाना है। प्रस्ताव के मोटे तत्व इस प्रकार हैं: (i) बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मुख्य मूल्यों का संरक्षण; (ii) विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध का समाधान करना; (iii) विकास संबंधी सरोकारों के लिए

सुरक्षोपाय; और (iv) पारदर्शिता तथा अधिसूचनाएँ।

(ii) कृषि

कृषि क्षेत्र में, भारत कई अन्य विकासशील देशों के साथ, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकाधारण के मुद्दे पर एक स्थायी समाधान की मांग कर रहा है। वर्तमान महामारी के दौर में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार को जनता की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों के तहत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न वितरित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, भारत, जी–33 (डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों का एक समूह) के साथ अचानक आयात वृद्धि और मूल्य में गिरावट के विरुद्ध विकासशील देशों के किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष सुरक्षा तंत्र की मांग कर रहा है।

भारत कृषि संबंधी मौजूदा समझौते में असंतुलन और विषमता और विकासशील देशों के लिए उनके निहितार्थ का मुद्दा भी उठा रहा है हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत के विभिन्न प्रस्तुतियों में अन्य बातों के साथए इन विषमताओं को उजागर किया गया है और विकासशील देशों के लिए एक समान अवसर हेतु समाधान की मांग की गयी है।

(iii) विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधान

विकसित सदस्यों के सापेक्ष विकासशील सदस्यों के आर्थिक संकेतकों में व्यापक अंतराल के कारण तीव्र वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त नीतिगत छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधान विभिन्न डब्ल्यूटीओ नियमों के कार्यान्वयन में लचीलेपन की अनुमति देकर विकासशील देशों को यह नीतिगत छूट प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट प्रस्तावों के माध्यम से विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों को विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधानों के कवरेज से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डब्ल्यूटीओ के नियमों में अंतर्निहित हैं।

डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों के क्रमागत के लिए विकसित देशों द्वारा की गई मांग यह मानने में विफल रही है कि विकासशील देशों ने कठिन वार्ताओं और विकसित देशों को उनके हितों के क्षेत्रों में रियायत देकर संधि में अंतर्निहित अधिकार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, ऐसे क्रमागत को तब ही औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है जब सदस्यों के लिए समान अवसर मौजूद हों, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है। भारत विश्व व्यापार संगठन में विभिन्न प्रस्तुतियाँ के माध्यम से इन प्रावधानों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है और एकतरफा तर्क का मुकाबला कर रहा है। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं और परिणामों में समान स्तर/अवसर हासिल करना है।

(iv) अपीलीय निकाय का संकट

विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय एक स्थायी निकाय है जिसका उद्देश्य कानून के मुद्दों पर अपील से निपटने हेतु डीएसयू (विवाद निपटान समझ) का कार्य करना है। अपीलीय निकाय में सधारणतया सात सदस्य होते हैं, जिनके चार वर्ष के कार्यकाल होते है और उन्हें एक बार फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

जुलाई, 2017 से, संयुक्त राज्य अमेरिका इस बहाने अपीलीय निकाय की नियुक्तियों को रोक रहा है कि यह डीएसयू के अनुसार काम नहीं कर रहा है। नियुक्तियों की रोक को 'अपीलीय निकाय संकट' करार दिया गया है, क्योंकि किसी भी अपील की सुनवाई करने के लिए तीन से कम सदस्य वाला अपीलीय निकाय डीएसयू के तहत यथा अधिदेशित कार्य नहीं कर पाएगा।

अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय निकाय (एबी) में तीन सदस्यों का कोरमए 10 दिसंबर 2019 से उपलब्ध नहीं है। एबी ने उन नौ लंबित अपीलों पर काम निलंबित कर रखा है जो 10 दिसंबर 2019 से पहले दायर किए गए थे। 10 दिसंबर 2019 के बाद दायर की गई अपील पर भी सुनवाई नहीं हो सकी है। निलंबित अपील में भारत के दो विवाद शामिल हैं–डीएस 541 (संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दायर भारत के निर्यात सब्सिडी को चुनौती देने वाला विवाद) और डीएस 518 (जापान द्वारा दायर भारत के सुरक्षा उपायों को चुनौती देने वाला विवाद) जहां भारत प्रतिवादी है; और एक विवाद–डीएस 510 (अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध भारत का विवाद) जहां भारत शिकायतकर्ता है।

भारत ने अनौपचारिक प्रक्रिया के दौरान अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए दो प्रस्ताव सह–प्रायोजित किए हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए सामान्य परिषद के उपवृत्ति में आयोजित किया गया था। भारत डब्ल्यूटीओ के लिए दो चरण विवाद निपटान प्रणाली को पुनजीर्वित करने की आवश्यकता की वकालत कर रहा है।

(v) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई–कामर्स, ई–कॉमर्स के कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत अन्वेषणात्मक एवं गैर अपरक्राम्य अधिदेश के साथ वर्ष 1998 में डब्ल्यूटीओ के संवाद में शामिल हुआ। दिसंबर, 2017 में डब्लयूटीओ के ग्यारहवीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन (एमसी 11) में विभिन्न देशों के प्रयासों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ ई–कॉमर्स के कार्य कार्यक्रम के अन्वेषणात्मक और अपरक्राम्य अधिदेश को जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

जनवरी, 2019 में, ई–कामर्स में नियम बनाने के लिए बहु–पक्षीय अधिदेश प्राप्त करने में विफलता के प्रत्युत्तर में ई.कामर्स पर नियम

बनाने के समर्थन में यूएस सहित डब्ल्यूटीओ के लगभग 70 देशों की ओर से एक संयुक्त मंत्री स्तरीय वक्तव्य जारी किया गया। भारत उक्त बहु–पक्षीय पहल में शामिल नहीं हुआ है।

जुलाई 2020 में सेवा व्यापार परिषद की बैठक में, भारत ने दिसंबर, 2019 में लिए गए सामान्य परिषद के निर्णय का स्वागत किया, जिसमें डब्ल्यूटीओ में ई–कॉमर्स संबंधी 1998 कार्य कार्यक्रम के अन्वेषणात्मक और अपरक्राम्य अधिदेश के तहत डब्ल्यूटीओ सदस्यों की सहलग्नता को फिर से क्रियाशील करने के लिए कहा गया है और संयुक्त पहल के अंतर्गत ई–कॉमर्स पर समानांतर चर्चाओं पर अपनी गंभीर चिंताओं को फिर से दोहराया गया है।

इस समय, भारत का कहना है कि सदस्यों को सबसे पहले ई–कॉमर्स से संबंधित मुद्दों पर एक व्यापक समझ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें इसका दायरा और परिभाषा भी शामिल है और डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए और डिजिटलाइजेशन के साझा लाभों को सक्षम करने के लिए घरेलू भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार लानेए सहायक नीति और नियामक ढांचे बनाने और डिजिटल क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

(vi) इलेक्ट्रानिक प्रेषण पर सीमा शुल्क के भुगतान का स्थगन

मार्च, 2020 में, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ई–कॉमर्स संबंधी कार्य कार्यक्रम के तहत एक संयुक्त प्रस्तुतिकरण दिया, जिसका शीर्षक है, ई–कॉमर्स मोरेटोरियमः स्कोप एंड इट्स इम्पैक्ट, जो किए अन्य बातों के साथ, यह दर्शाता है कि विकासशील देशों के लिए डिजिटल उन्नयन हेतु नीतिगत छूट संरक्षित रखने के लिए स्थगन पर पुनर्विचार महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने भी जुलाई, 2018 और जून 2019, में ई–कॉमर्स स्थगन के कार्यान्वयन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ दी थीं।

भारत का कहना है कि ई–कॉमर्स स्थगन से जुड़े प्रमुख मुद्दों की व्यापक समझ डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को एमसी 12 में इस विषय पर एक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देगा और यह समझ केवल ई–कॉमर्स संबंधी 1998 कार्य कार्यक्रमए जिसे सभी सदस्यों द्वारा नियमित रूप से पुष्टि की गयी हैए के तहत सहलग्नता/वार्ता को फिर से शुरू करने पर ही आएगी।

(vii) डब्ल्यूटीओ में घरेलू विनियमों (डीआर) पर चर्चा

सेवा व्यापार में आसानी, पारदर्शिता और पुर्वानुमेयता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू विनियमों संबंधी नियमबद्धता महत्वपूर्ण है। भारत डब्ल्यूटीओ में घरेलू विनियम संबंधी कार्यकारी पार्टी (डब्ल्यूपीडीआर) में घरेलू विनियमों पर नियमबद्धता संबंधी चर्चाओं को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास करता रहा है।

भारत सेवा प्रदाताओं की आवाजाही और योग्यता अपेक्षाओं और प्रकियाविधियों संबंधी नियमबद्धता की आवश्यकता के संबंध में डब्ल्यूटीओ सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी प्रगति में कमी सभी पद्धतियों से सेवा व्यापार की पूरी क्षमता के प्रापण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। भारत ने इन मुद्दों पर जोर देने के लिए दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 में डब्ल्यूपीडीआर में दो प्रस्ताव पेश किए हैं।

(viii) एलडीसी सेवा छूट तथा भारत द्वारा अधिसूचित तरजीहों का कार्यान्वयन

भारत ने सितंबर, 2015 में अल्प विकसित देश (एलडीसी) की सेवाओं तथा सेवा आपूर्तिकर्ताओं को अपना तरजीही व्यवहार अधिसूचित किया।

भारत डब्ल्यूटीओ का एक मात्र ऐसा देश है जिसने छूट की पूरी अवधि के दौरान भारतीय व्यवसाय एवं रोजगार बीमा के लिए आवेदन करने वाले सभी एलडीसी आवेदकों के लिए एलडीसी सेवा छूट के अंतर्गत वीजा शुल्क से छूट प्रदान करने की प्रतिबद्धता की है।

तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के संदर्भ में, सभी तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण अवसरों का कम से कम 25 प्रतिशत एलडीसी सेवा छूट के अंतर्गत एलडीसी के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सुरक्षित किया गया है।

इसके अलावा, एलडीसी को विभिन्न क्षेत्रों और उप–क्षेत्रों में बाजार सुलभता प्रतिबद्धताएं और मोड 4 पेशेवरों की कई श्रेणियों के लिए सुलभता उपलब्ध करवाया गया है।

(ix) व्यापार सुगमता करार (टीएफए) का क्रियान्वयन

टीएफए (टीएफए के अनुच्छेद 23.2 के अंतर्गत) के तहत भारत की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, घरेलू समन्वयन और प्रावधानों के क्रियान्वयन, दोनों के लिए, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) गठित की गयी थी।

एनसीटीएफ एक तीन–स्तरीय निकाय है – एनसीटीएफ शीर्ष निकाय के रूप में, मध्य स्तर पर सचिव, राजस्व और सचिव, वाणिज्य की सह–अध्यक्षता में गठित संचालन समिति और निचले स्तर पर टाइम रिलिज अध्ययन, अवसंरचना उन्नयन, विधान संबंधी मुद्दे, आउटरिच कार्यक्रम और प्रतिभागी सरकारी एजेंसियों (पीजीए) से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिए 5 तदर्थ कार्यकारी समूह।

भारत एनसीटीएफ के समग्र मार्गदर्शन में टीएफए कार्यान्वयन में सक्रिय प्रगति कर रहा है। जबकि भारत की टीएफए प्रतिबद्धताओं

का अलग अलग विवरण श्रेणी 'क' के लिए 72.3% और श्रेणी 'ख' के लिए 27.7% है, कई श्रेणी 'ख' प्रतिबद्धताएं जो अन्यथा वर्ष 2022 तक पूरी की जानी हैं, पहले ही पूरी की जा चुकी हैं, जैसे सिंगल विंडों की स्थापना (अनुच्छेद 10.4), माल की निकासी के लिए जोखिम प्रबंधन (अनुच्छेद 7.4), जोखिम प्रबंधन में निकासी पश्चात लेखापरीक्षा का उपयोग (अनुच्छेद 7.5.4), आदि। यह पारदर्शिता और खुलापन पर जोर के साथ व्यापार की सुविधा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्यापार सुगमता के लाभों को इष्टतम करने के उद्देश्य से वर्ष 2017–2020 के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना (एनटीएफएपी) तैयार की गई है जिसमें व्यापार से जुड़ी अड़चनों को और शिथिल करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों का उल्लेख है। कार्य योजना के कार्य बिंदुओं को डब्ल्यूटीओ के व्यापार सुगमता करार (टीएफए) के अनुच्छेदों से मानचित्रित किया गया है तथा व्यवसाय करने की सरलता में सुधार से संबंधित हमारे नीतिगत उद्देश्यों से संरेखित किया है गया। इसमें निश्चित समय सीमा के साथ कार्यान्वयन के लिए व्यापार सुगमता की 90 से अधिक गतिविधियां शामिल हैं। प्रत्येक गतिविधि को सख्त समय सीमा की संक्षिप्त अवधि (6 माह तक), मध्यम अवधि (6 से 18 माह) और दीर्घ अवधि (18.36 माह) में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार किसी प्रधान एजेंसी के साथ जोड़ा गया है। अधिकांश गतिविधियां टीएफए प्लस हैं।

वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक की अवधि के लिएए व्यापार सुगमता प्रयासों के लिए अतिरिक्त सुधार करने और कुशल, पारदर्शी, जोखिम–आधारित, समन्वित, डिजिटल, निर्विघ्न और प्रौद्योगिकी चालित प्रक्रियाओं के माध्यम से सीमा पार निकासी पारि–प्रणाली को रूपांतरित करने की दृष्टि से एक नया एनटीएफएपी तैयार की जा रही है। ये अत्याधुनिक बंदरगाहों, हवाईअड्डों, भूमि सीमा आर–पार, रेल, सड़क और अन्य लॉजिस्टिक अवसंरचना से समर्थित होंगे।

भारत का डब्ल्यूटीओ विवाद स्थिति

इस समय भारत के 15 डब्ल्यूटीओ विवाद हैं जो निस्तारण के विभिन्न चरणों पर लंबित हैं (संयुक्त राज्य के साथ 8, जापान के साथ 2 और यूरोपीय संघ, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला और ताइवान में से प्रत्येक के साथ एक एक)।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विवाद जहां भारत शिकायतकर्ता पक्षकार है (4 मामले)

(i) डीएस–436 (भारत के इस्पात उत्पादों पर संयुक्त राज्य द्वारा प्रतिकारी शुल्क)

वर्ष 2012 में भारत ने भारत से निर्यातित कुछ इस्पात उत्पादों पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिकारी शुल्क को चुनौती दी थी। जुलाई, 2014 में पैनल चरण पर और दिसंबर 2014 में अपीलीय चरण पर विवाद समाधान निकाय ने भारत के पक्ष में प्रमुख सिफारिशें की जिसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने सब्सिडी रोधी कानून में उपयुक्त ढंग से संशोधन करना था। अमेरिका को अनुपालन हेतु 18 अप्रैल 2016 तक समय दिया गया था। तथापि, अमेरिका ने अब तक अपने घरेलू कानून में संशोधन नहीं किया है तथा केवल इस बात के लिए सहमत हुआ है कि वे डीएसबी की सिफारिशों के अनुसार अग्रेतर जांच करेंगे। भारत ने यह साबित करने के लिए अनुपालन पैनल की कार्यवाही शुरू की है कि यूएस का अनुपालन डीएसबी की सिफारिशों की तुलना में कम है। अनुपालना समिति ने 15 नवंबर 2019 को डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को परिचालित अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ यह फैसला किया है कि घरेलू कानून में संशोधन करने में यूएस की विफलता डीएसबी की सिफारिशों के असंगत है। भारत को नुकसान के दावे पर भी जीत हासिल हुई है। तथापिए यूएस ने डीएसबी को पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील दाखिल करने के अपने निर्णय की सूचना दी है। भारत और अमेरिका ने डीएसबी को 14 जनवरी 2020 का एक संयुक्त पत्र सौंपा हैए जहॉं उन्होंने अपील दायर करने या पैनल और अपीलीय निकाय रिपोर्ट का अंगीकरण करने के अपने–अपने अधिकार सुरक्षित रखें हैं।

(ii) डीएस–503 (गैर अप्रवासी वीजा के संबंध में यूएस द्वारा किए गए उपाय)

भारत ने मार्च, 2016 में यूएस के कुछ उपायों को चुनौती दी थी, अर्थात् (क) गैर अप्रवासी वीजा की श्रेणी एल 1 और एच 1बी के लिए कुछ आवेदकों पर शुल्क में वृद्धि और (ख) एच 1बी वीजा के लिए संख्यात्मक प्रतिबद्धता। इन उपायों के अंतर्गत गैर अप्रवासी वीजा के आवेदकों से कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिक फाइलिंग शुल्क तथा फ्राड निवारण एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा है। भारत ने दावा किया कि ये उपाय जीएटीएस तथा सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों के मूवमेंट पर अनुलग्नक के प्रावधानों से संगत नहीं हैं। वर्ष 2016 में यूएस के साथ परामर्श का आयोजन किया गया परंतु इनके माध्यम से विवाद का समाधान नहीं हो सका। भारत ने उद्योग जगत की सलाह पर इस विवाद में आगे की कार्यवाही नहीं की।

(iii) डीएस–510 (यूएस के उप संघीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम)

भारत ने सितंबर, 2016 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यूएस की उप संघीय स्तर की 11 योजनाओं को चुनौती दी थी जिनमें घरेलू सामग्री के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने दावा किया कि ये उपाय गैट 1994 के अनुच्छेद–III (राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत),

सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार (एएससीएम) और व्यापार संबद्ध निवेश उपाय (ट्रिम) के उल्लंघन में हैं। जहां तक अनुच्छेद–III, गैट का संबंध है, 27 जून 2019 को जारी की गई पैनल रिपोर्ट ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। तथापि, यूएस ने पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध 15 अगस्त, 2019 को अपील की है। भारत ने 20 दिसंबर, 2019 को फ्रांस अपील दाखिल की। अपीलीय निकाय के कार्य नहीं करने के कारण अपीलीय कार्यवाही लंबित है।

(iv) डीएस–547 (स्टील और अल्मूनियम उत्पादों पर यूएस द्वारा किए गए कतिपय उपाय)

भारत ने मई 2018 में संयुक्त राज्य व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के अंतर्गत संयुक्त राज्य द्वारा इस्पात पर 25 प्रतिशत और एल्युमिनियम के उत्पादों पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने के एकतरफा कार्रवाई को चुनौती दी है। संयुक्त राज्य ने दावा किया कि ये शुल्क 'सुरक्षा अपवाद' के अंतर्गत लगाए गए हैं परंतु भारत यह मानता है कि ये शुल्क सुरक्षोपायों पर करार के अंतर्गत शामिल सुरक्षोपाय संरक्षणवादी उपाय हैं। विवाद निपटान पैनल के गठन के उपरांत पैनल के साथ पक्षकारों की प्रथम संपूर्ण बैठक 31 अक्तूबर से 1 नवंबर 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित किए गए थे, परंतु कोविड–19 संकट के कारण द्वितीय बैठक अब तक आयोजित नहीं की जा सकी है। पैनल ने वर्ष 2020 के समाप्त होने के बाद इस बैठक के हो जाने की स्थिति में पक्षकारों से उनके मत मांगे हैं।

यूएस के साथ विवाद जहां भारत प्रतिवादी पक्ष है (4 मामले)

(v) डीएस 430: (कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद के आयात पर भारत का प्रतिबंध)

संयुक्त राज्य ने एवियन इनफ्लुएंजा वायरस से संबंधित चिंताओं के कारण कुछ कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा लगाए गए निषेध को वर्ष 2012 में चुनौती दी थी। वर्ष 2014 में पैनल चरण पर और 2015 में अपीलीय चरण पर विवाद समाधान निकाय (डीएसबी) ने भारत के खिलाफ यह कहते हुए आदेश जारी किया था कि भारत द्वारा आयात पर लगाया गया निषेध डब्ल्यूटीओ के मानदंडों के संगत नहीं है। यूएस ने डीएसबी की सिफारिशों के अनुपालन में विलंब का आरोप लगाया और भारत के विरुद्ध प्रतिकार के लिए विवाद समाधान समझौता (डीएसयू) के अनुच्छेद 22.6 के अंतर्गत मध्यस्थ से संपर्क किया। भारत ने अपनी ओर से यह साबित करने के लिए डीएसयू के अनुच्छेद 21.5 के अंतर्गत अप्रैल, 2017 में अनुपालन पैनल की कार्यवाही का आह्वान किया कि उन्होंने डीएसबी की सिफारिशों का पूरी तरह पालन किया है। मध्यस्थ तथा अनुपालन पैनल की रिपोर्ट विमोचन के लिए तैयार है परंतु दोनों पक्ष संबंधित रिपोर्टों का विमोचन आस्थगित करने के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं ताकि मामले का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जा सके। दोनों पक्षों के बीच सहमत हालिया समय सीमा के अनुसार मध्यस्थ की रिपोर्ट का विमोचन 15 जनवरी, 2021 को और अनुपालन पैनल की रिपोर्ट का विमोचन 5 फरवरी 2021 को होने की उम्मीद है।

(vi) डीएस–456 (राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत सोलर सेल और सोलर माड्यूल से संबंधित भारत के उपायों से संबंधित विवाद)

संयुक्त राज्य ने वर्ष 2013 में सोलर सेल और माड्यूल के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में भारत की घरेलू सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर) को चुनौती दी थी। विवाद समाधान निकाय ने फरवरीए 2016 में पैनल चरण पर और सितंबर 2016 में अपीलीय चरण पर संयुक्त राज्य के पक्ष में निर्णय दिया था। भारत ने अनुपालन के लिए 14 माह (अर्थात 14 दिसंबर 2017 तक) की तर्कसंगत अवधि प्राप्त की थी। 14 दिसंबर, 2017 को भारत ने डीएसबी को सूचित किया कि भारत ने उसकी सिफारिशों का अनुपालन किया है। 19 दिसंबरए 2017 को यूएस ने यह कहते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की कि भारत ने डीएसबी की सिफारिशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। जनवरी 2018 में भारत ने यह साबित करने के लिए अनुपालन की कार्यवाही शुरू की कि उसने पूरी तरह पालन किया है। दोनों पक्षों ने एक–दूसरे के विरुद्ध आगे की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।

(vii) डीएस–541 (भारत की निर्यात संवर्धन योजना)

मार्च, 2018 में संयुक्त राज्य ने भारत की कुछ निर्यात संवर्धन योजनाओं यथा भारत से व्यापार माल निर्यात योजना, निर्यात उन्मुख यूनिट योजना और इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित सेक्टर विशिष्ट योजनाए पूंजी माल निर्यात संवर्धन योजना और निर्यातकों के लिए कर मुक्त आयात कार्यक्रम को चुनौती दी थी। संयुक्त राज्य ने आरोप लगाया कि ये निर्यात सब्सिडी योजनाएं दूसरे प्रतिद्वंदियों के लिए असमान अवसर का निर्माण करती हैं, ये सब्सिडी तथा प्रतिकारी उपायों पर करार (एएससीएम) के उल्लंघन में हैं। पैनल ने 31 अक्तूबर को डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को परिचालित अपनी रिपोर्ट यह कहा है कि भारती की सब्सिडी योजना डब्लयूटीओ मानदंडों के असंगत है। भारत ने 19 नवंबर, 2019 को पैनल रिपोर्ट पर अपील दाखिल किया है। तथापि, अपीलीय निकाय के कार्य नहीं करने के कारण अपील कार्यवाही निलंबन में है।

(viii) डीएस–585 (यूएस से आने वाले कुछेक उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क)

3 जुलाई 2019 को संयुक्त राज्य ने यूएस में निकलने या यूएस से निर्यातित 28 उत्पादों पर भारत द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने

के विरुद्ध विवाद दाखिल किया है। भारत से निर्यातित इस्पात एवं एल्युमिनियम के कुछ उत्पादों पर यूएस द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क के जवाब में भारत ने 16 जून 2019 से प्रतिकारी शुल्क लगाया है जिससे 217 मिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। यूएस ने दावा किया कि भारत का प्रतिकारी शुल्क गैट 1994 के अनुच्छेद 1 में निहित एमएफएन के सिद्धांत और बाउंड टैरिफ की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है। यूएस ने यूएस पर प्रतिकारी टैरिफ लगाने के लिए चीनए यूरोपीय संघ, तुर्की और रूस के विरुद्ध भी समान विवाद दाखिल किया है। 7 जनवरी 2020 को एक विवाद निपटान पैनल गठन किया है। भारत ने 30 अप्रैल 2020 को अपना लिखित प्रस्तुति दाखिल किया है और पैनल द्वारा प्राथमिक निर्णय हेतु भी अनुरोध किया है। पैनल ने कोविड–19 स्थिति में सुधार होने तक 12 मई 2020 को निर्धारित प्रथम संपूर्ण बैठक आस्थगित करने का निर्णय लिया है।

अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ विवाद

(ix) डीएस –518 (भारत–लोहा एवं इस्पात के उत्पादों के आयात पर भारत के सुरक्षा उपायद्ध शिकायतकर्ता जापान

यहां इस विवाद में जापान ने लोहा और इस्पात के कतिपय उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा लगाए गए कतिपय सुरक्षोपाय (सुरक्षोपाय शुल्क) को चुनौती दी है। 6 नवंबर 2018 को अधिकांश मुद्दों पर जापान के पक्ष में पैनल की रिपोर्ट परिचालित की गई। चूंकि 13 मार्च 2018 के बाद भारत द्वारा लगाए गए सुरक्षा के उपाय अस्तित्व में नहीं थेए इसलिए पैनल की रिपोर्ट को अंगीकार न करने के लिए भारत के सुझाव पर जापान सहमत नहीं हुआ। विभिन्न व्यवस्थागत एवं विधिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुएए जो भारत द्वारा भावी सुरक्षोपाय जांच को प्रभावित कर सकते हैं, पैनल की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील दाखिल करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, भारत ने 14 दिसंबर, 2018 को अपील दाखिल की। अपीलीय निकाय के कार्य नहीं करने के कारण अपीलीय कार्यवाही निलंबित है।

(x-xii) डीएस–579, डीएस–580 और डीएस–581 (भारत–चीनी और गन्ना से संबंधित उपाय)– शिकायतकर्ता क्रमशः ब्राजील, आस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला हैं

घरेलू सहायता के लिए भारत के उपायों तथा भारत के गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को प्रदान की गई कथित निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध ब्राजील, आस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला द्वारा अलग अलग डब्ल्यूटीओ विवाद दाखिल किए गए हैं। 15 से 17 अप्रैल, 2019 के दौरान ब्राजील और आस्ट्रेलिया के साथ और 22 एवं 23 मई 2019 को ग्वाटेमाला के साथ डब्ल्यूटीओ जिनेवा में परामर्श किए गए थे, परंतु ये परामर्श विवादों का समाधान करने में विफल रहे। इन विवादों में तीन अलग अलग विवाद निपटान पैनल गठित किए गए हैं और शिकायतकर्ताओं ने अपनी–अपनी लिखित प्रस्तुतियां दाखिल की हैं। भारत ने भी अपनी प्रथम लिखित प्रस्तुति दाखिल की है। पैनल और तृतीय पक्षकारों के साथ पक्षकारों की प्रथम संपूर्ण बैठक दिसंबर, 2020 में आयोजित की गयी थी।

(xiii-xv) डीएस–582 और डीएस–584, डीएस–588 (भारत–सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कतिपय माल पर टैरिफ व्यवहार)–शिकायतकर्ता क्रमशः यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान हैं

यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कुछ उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए शुल्क के विरुद्ध अलग अलग विवाद दाखिल किया है। यह आरोप लगाया गया है कि भारत द्वारा लगाए गए शुल्क सूचना प्रौद्योगिकी करार 1 के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन में हैं। यूरोपीय संघ तथा जापान के साथ परामर्श का आयोजन हो चुका है परंतु विवाद का समाधान नहीं हो पाया है। इन विवादों में तीन अलग अलग विवाद गठित किए गए हैं। आगे की कार्यवाही के लिए समय सारणी और कार्य प्रक्रियाविधि के संबंध में पैनल द्वारा निर्णय लिया जाना है।

मत्स्य पालन सब्सिडी संबंधी वार्ता

दिसंबर, 2017 के ब्यूनर्स आयर्स मंत्री स्तरीय निर्णय (एमसी 11) के अनुसार, डब्ल्यूटीओ सदस्य वर्ष 2020 में अगले मंत्री स्तरीय सम्मेलन तक मत्स्य पालन सब्सिडी पर नियमबद्धता के सूत्रीकरण हेतु रचनात्मक कार्य जारी रखने पर सहमत हुए हैं। ये वार्ताएं इन व्यापक और कारगर नियमबद्धता पर लक्षित हैं कि : (i) मछली पालन सब्सिडी के कुछ रूपों का निषेध जो अधिक क्षमता एवं ओवर फिशिंग में योगदान करते हैं और (ii) ऐसी सब्सिडी समाप्त करना जो गैर कानूनीए गैर सूचित और गैर विनियमित (आईयूयू) फिशिंग में योगदान करती है। यह भी स्वीकार किया गया कि विकासशील देशों तथा सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी विशेष एवं विभेदक व्यवहार (एसएंडडीटी) इन वार्ताओं के अभिन्न अंग होने चाहिए।

वार्ता चल रही है तथा डब्ल्यूटीओए जेनेवा में नियमों संबंधी वार्ता समूह (एनजीआर) के अंतर्गत मासिक क्लस्टर बैठक के :प में संचालित की जा रही है। भारत एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिए एसएंडडीटी के लिए अपनी मांग को मजबूती के साथ रखता आ रहा है और मार्च, 2020 की क्लस्टर बैठक में एसएंडडीटी पर एक प्रस्ताव रखा है। कोविड–19 स्थिति के कारण कारित समय अंतराल

के उपरांत सितंबर, 2020 से क्लस्टर बैठकें फिर से शुरू हो गयीं हैं। एनजीआर अध्यक्ष ने नियमबद्धता पर एक मसौदा पाठ्य तैयार किया हैए जिसके आधार पर पाठ्य आधारित वार्ताएं शुरू हो गयी हैं। भारत के अधिकांश प्रस्तावों को अध्यक्ष के पाठ्य में शामिल किया गया है। सितंबर और अक्तूबर, 2020 क्लस्टर बैठकों मेंए भारत ने अध्यक्ष के पाठ्य में शामिल किए गए एस एंड डीटी पर सदस्यों और समूहों का समर्थन हासिल करने के लिए द्विपक्षीय परामर्श आयोजित किए।

भारत का कहना है कि विकासशील देशों के लिए मजबूत एस एंड डी शिथिलताओं के साथ मजबूत नियमबद्धता संतुलित मत्स्य पालन सब्सिडी के लिए आगे की राह होनी चाहिए। हमारे जीवन निर्वाह स्तर पर कार्य करने वाले मछुआरों के लिए उनके मत्स्य पकड़ नौकाओं का आधुनिकीकरण कर और उनकी मत्स्य पकड़ क्षमता को बढ़ाकर उन्हें एक सम्मानीय स्तर का जीवन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत छूट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपीए एफडीआई अंतरूप्रवाह, निर्यात और रोजगार सृजन में काफी योगदान करता है।

बहुपक्षीय वार्ताएं / मंच

(i) आरसीईपी वार्ताएं

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) 16 देशों अर्थात आसियान के 10 देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) तथा उनके 6 एफटीए साझेदारों (जिनको एफपी या आसियान एफटीए साझेदार के नाम से भी जाना जाता है) अर्थात आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) है।

वर्ष 2012 में आरसीईपी वार्ताओं को शुरू करने के बाद से भारत घरेलू संवेदनशीलताओं का ख्याल रखते हुए भारतीय निर्यातकों के लिए वृहतर बाजार पहुँच हासिल करने पर लक्षित संतुलित परिणाम हासिल करने को ध्यान में रखते हुए एक रचनात्मक तरीके से उनमें प्रतिभागिता कर रहा है।

तथापिए भारत की विभिन्न चिंताओं और महत्वपूर्ण बकाये मुद्दे जिनका पर्याप्त रूप से हल नहीं निकाला जा रहा है, और वर्तमान रूप में संरचित आरसीईपी करार, जो आरसीईपी मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, के आलोक में भारत ने 4 नवंबर 2019 को आयोजित तीसरे आरसीईपी शिखर सम्मेलन में इसके वर्तमान स्वरूप में आरसीईपी में शामिल नहीं होने को सुविचारित निर्णय लिया है। इन लंबित सरोकारों के मुद्दों को इन वार्ताओं में भारत द्वारा सक्रियता से अनुशीलन किया जा रहा है, परंतु कोई सफलता नहीं मिली है।

इस स्थिति के आलोक में, भारत आरसीईपी के वर्तमान स्वरूप में इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तथापि, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता, और जापान, दक्षिण कोरिया आसियान देशों के साथ मौजूदा एफटीए की समीक्षा की जा रही है।

15 नवंबर, 2020 को 15 देशों (भारत को छोड़कर) द्वारा आरसीईपी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) एशिया – प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए)

एशिया – प्रशांत व्यापार करार एशिया – प्रशांत क्षेत्र के विकासशील सदस्य देशों के बीच साधारण आधार पर टैरिफ रियायतों के आदान प्रदान के माध्यम से व्यापार के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) के तहत एक पहल है। इस समय सात देश अर्थात बंग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका तथा नया शामिल किया गया मंगोलिया आप्टा के सदस्य हैं।

01 जुलाई, 2018 से आप्टा के अंतर्गत रियायतों के चौथे चक्र के लागू हो जाने के बाद, 5वें चक्र की वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता में पहली बार माल के अलावा सेवा, निवेश तथा व्यापार सुगमता भी शामिल होंगे। आप्टा की स्थायी समिति की 54वीं बैठक तथा व्यापार सुगमता, सेवा, निवेश और उत्पत्ति के नियमों पर कार्य समूह की तीसरी बैठक 15 से 18 जनवरी 2019 के दौरान बैंकाक में हुई। व्यापार सुगमता समूह में भारत ने डब्ल्यूटीओ के टीएफए करार के अंतर्गत ली गई बाध्यताओं के अंदर काम करने का दृष्टिकोण अपनाया है। माल में, भारत ने 40 प्रतिशत तक टैरिफ लाइनों को शामिल करने का विरोध किया। आप्टा की स्थायी समिति की पिछली बैठक (56वीं बैठक) 29 और 30 अक्टूबर 2019 को और निवेश, सेवा तथा उत्पत्ति के नियमों पर कार्य समूह की 5वीं बैठक 28 और 29 अक्टूबर 2019 को यूएनसीसी, बैंकाक, थाईलैंड में हुई। व्यापार सुगमता पर कार्य समूह की 5वीं बैठक 19 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई थी।

29 सितंबर 2020 को ईएससीएपी के पास सदस्यता लिखत जमा करके मंगोलिया ने एशिया – प्रशांत व्यापार करार (आप्टा) को स्वीकार किया। मंगोलिया के साथ टैरिफ में रियायतों का कार्यान्वयन ऐसे प्रतिभागी राज्यों के लिए 1 जनवरी 2021 को शुरू होगा जो उस तारीख को सहमत हुए। कोविड–19 महामारी के कारण 2020 में प्रतिभागी राज्य स्थायी समिति या कार्य समूहों में मिल नहीं सके। आप्टा सचिवालय ने वार्ता को जारी रखने के लिए प्रतिभागी राज्यों के परामर्श से वर्चुअल विकल्पों की तलाश करना जारी रखने के लिए सूचित किया है। इसी तरह, आप्टा की मंत्री स्तरीय परिषद इस नए मील पत्थर को चिह्नित करने तथा आप्टा के तहत सहयोग एवं

एकीकरण की प्रक्रिया में फिर से जान फूंकने के लिए 2021 में बैठक के लिए उपयुक्त समय की तलाश करना जारी रखेगी। उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया है तथा हम आप्टा के तहत मंगोलिया के साथ रियायतों का आदान प्रदान करने के लिए अधिदेश लेने की प्रक्रिया में हैं।

(iii) यूनाइटेड नेशन्स कान्फेरेन्स आन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (अंकटाड)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) का उद्देश्य विकासशील देशों को एक विश्व अर्थव्यवस्था में समेकित करना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) व्यापार एवं विकास तथा इनसे संबंधित मुद्दों जिनमें वित्त, प्रौद्योगिकी, निवेश और सतत विकास के क्षेत्र आते हैं, के समेकित उपचार हेतु संयुक्त राष्ट्र के एक केन्द्र बिन्दु के रुप में काम करता है। अंकटाड के मौजूदा अधिदेश के तीन स्तंभ हैं : (क) स्वतंत्र नीति विश्लेषण (ख) आम सहमति का निर्माण और (ग) तकनीकी सहायता।

मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसकी बैठक हर चौथे वर्ष होती है, अंकटाड का सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है तथा संगठन के लिए प्राथमिकता और दिशा निर्देश तय करती है तथा प्रमुख आर्थिक और विकास के मुद्दों पर विचार–विमर्श का अवसर प्रदान करता है तथा विकास की नीति पर सहमति बनाता है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 17 से 22 जुलाई 2016 के दौरान नैरोबी, कीनिया में हुआ। 15वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 3 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित किया जाएगा।

(iv) वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (जीएसटीपी)

दक्षिण – दक्षिण व्यापार प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों में व्यापार वरीयता के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा के रूप में जीएसटीपी की स्थापना की गई। अंकटाड सचिवालय जीएसटीपी करार के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।

जीएसटीपी की स्थापना करने वाले करार पर अप्रैल 1988 में बेलग्रेड में 47 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 41 देशों ने करार की पुष्टि की तथा वार्ता के पहले चक्र के फलस्वरूप व्यापार रियायतों का आदान प्रदान किया। भारत में दूसरे देशों से रियायतें प्राप्त करते हुए 30 उत्पाद लाइनों (एचएस4–6 स्तर पर) पर वरीयताएं प्रदान की। भारत द्वारा जिन उत्पादों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की गईं उनमें से कुछ हैं : खोपना (15 प्रतिशत एमओपी), शीरा (30 प्रतिशत एमओपी), पोर्टलैंड सीमेंट (25 प्रतिशत एमओपी), काफ लेदर (30 प्रतिशत एमओपी), एल्युमिनियम ट्यूब एवं पाइप (15 प्रतिशत एमओपी) आदि। उत्पत्ति के नियमों में न्यूनतम 50 प्रतिशत मूल्यवर्धन निर्धारित किया।

जीएसटीपी वार्ता का दूसरा दौर नवंबर 1991 में शुरू किया गया परंतु कुछ प्रतिभागियों द्वारा पुष्टि में विलंब के कारण कार्यान्वित नहीं हो सका।

जीएसटीपी वार्ता का वर्तमान या तीसरा दौर जून 2004 में शुरू किया गया और 2010 में समाप्त हुआ। प्रतिभागी देश इस समूह के देशों के अंदर से आयातित माल की कम से कम 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर 20 प्रतिशत टैरिफ कटौती (एलडीसी प्रतिभागियों के लिए 25 प्रतिशत एमओपी और 80 प्रतिशत टैरिफ लाइनों) की पेशकश करने के लिए राजी हुए। 8 प्रतिभागियों (मर्कोसुर के 4 सदस्य राष्टों को शामिल करते हुए 11) ने टैरिफ रियायतों का आदान प्रदान किया है। ये इस प्रकार हैं : अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एवं उरुग्वे (मर्कोसुर का निर्माण करने वाले), कोरिया गणराज्य, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, मोरक्को एवं क्यूबा। तथापि, अब तक इनमें से तीन (भारत, मलेशिया और क्यूबा) ने अपनी अनुसूचियों की पुष्टि की है।

अगस्त 2012 में आयोजित अपनी बैठक में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने वार्ता के तीसरे चक्र के तहत भारत की रियायत अनुसूची के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया था। जीएसटीपी के सहमत तौर–तरीकों के अनुसार, भारत 20 प्रतिशत तरजीह मार्जिन (एमओपी) के साथ 70 प्रतिशत शुल्क योग्य टैरिफ लाइनों का प्रस्ताव करेगा। इसके अलावा भारत ने सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) को 25 प्रतिशत एम ओ पी पर 77 प्रतिशत शुल्क योग्य लाइनों की एकपक्षीय पेशकश की है।

वार्ता के तीसरे दौर के तहत रियायतों की अनुसूचियों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। कम से कम 4 प्रतिभागियों द्वारा अपनी अनुसूचियों की पुष्टि तथा जीएसटीपी सचिवालय को सूचना देने के 30 दिन बाद उनको कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे 4 प्रतिभागियों के बीच टैरिफ रियायतों को कार्यान्वित किया जाएगा तथा अन्य प्रतिभागी रियायत का लाभ तभी उठाएंगे जब वे अपनी अनुसूचियों की पुष्टि कर देंगे।

(v) बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके सदस्यों की संख्या 7 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं : बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड जो 6 जून 1997 को इसका सदस्य बना। इस पहल का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के चारों ओर समूहबद्ध दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के संस्पर्शी देशों को शामिल करते हुए उप क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयेाग को आगे बढ़ाना है।

बिम्स्टेक ने सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले 14 क्षेत्रों की पहचान की

है जहां कोई भी सदस्य देश अगुवाई कर सकता है। भारत आतंकवाद तथा राष्ट्रपारीय अपराध की खिलाफत, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यटन एवं परिवहन तथा संचार के लिए लीड कंट्री है।

बिम्सटेक के सदस्य 2004 में माल में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, निवेश तथा सीमा शुल्क सहयोग को शामिल करते हुए बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र करार स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। अब तक, व्यापार वार्ता समिति (एनटीसी) की 21 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। बिम्सटेक टीएनसी की 21वीं बैठक तथा उत्पत्ति के नियम, सेवा, निवेश, सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमता तथा विधिक विशेषज्ञ पर कार्य समूहों की बैठकों का आयोजन 18 और 19 नवंबर 2018 को ढाका में हुआ। निर्णय लिया गया कि बिम्स्टेक करार के तेजी से कार्यान्वयन के लिए अंतर्सत्रीय बैठकों / वीडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाना चाहिए। आरओओ अध्याय तथा ओसीपी पाठ से संबंधित बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्पत्ति के नियमों (आरओओ) पर बिम्सटेक के कार्य समूह की 19वीं बैठक 21 और 22 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई।

उत्पत्ति के नियमों पर बिम्सटेक के कार्य समूह की 20वीं बैठक (वर्चुअल) को 8 जून 2020 को आयोजित करने का प्रस्ताव था परंतु स्थगित कर दिया गया। इस सिलसिले में बिम्सटेक सचिवालय ने सदस्य देशों की टिप्पणी के लिए ''बिम्सटेक एफटीए पर करार के लिए माल की उत्पत्ति के निर्धारण के लिए नियम'' और ''बिम्सटेक एफटीए के लिए उत्पत्ति के नियमों के लिए प्रचालनात्मक प्रमाणन प्रक्रिया'' का मसौदा परिचालित किया था। भारत ने संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद कुछ उत्पादों के लिए उत्पत्ति के नियमों के मानदंडों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है और प्रचालनात्मक प्रमाणन प्रक्रिया में भी परिवर्तनों का सुझाव दिया है।

बिम्सटेक सचिवालय ने जनवरी 2021 में बिम्सटेक की अगली शिखर बैठक तथा मंत्री स्तरीय बैठक का वर्चुअल रूप में आयोजन करने का प्रस्ताव किया है। इस सिलसिले में बिम्सटेक सचिवालय ने सदस्य देशों की टिप्पणी के लिए विदेश मंत्रियों की 17वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक की रिपोर्ट का मसौदा तथा बिम्सटेक शिखर बैठक की घोषणा का मसौदा परिचालित किया।

सितंबर 2020 में बिम्सटेक सचिवालय ने सदस्य देशों को ''बिम्सटेक व्यापार सुगमता रणनीतिक :परेखा 2030'' नामक मसौदा अंतरिम रिपोर्ट अग्रेषित की है तथा उस पर उनकी टिप्पणियां मांगी है, जिसे निरीक्षण रिपोर्ट पर सदस्य देशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एशियाई विकास बैंक द्वारा तैयार किया गया है।

(vi) हिंद महासागर परिधि संघ (आईओआरए)

आईओआरए, जो 22 सदस्यों का संगठन है, हिंद महासागर क्षेत्र तथा इसके सदस्य देशों के स्थायी विकास एवं संतुलित प्रगति को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक साझी भूमि का निर्माण करने के प्राथमिक उद्देश्य से मार्च 1997 में मारीशस में स्थापित किया गया। आईओआरए, जिसका नाम पहले हिंद महासागर परिधि – क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर–एआरसी) था, शीर्ष अखिल हिंद महासागर बहुपक्षीय मंच है तथा आईओआर के सभी संप्रभु देश इसके सदस्य बन सकते हैं जो इसके चार्टर के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का पालन करते हैं। भारत आईओआर–एआरसी के संस्थापक एवं प्रमुख सदस्यों में से एक है।

वाणिज्य विभाग आईओआरए के व्यापार ट्रैक के साथ संव्यवहार करता है। व्यापार एवं निवेश पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीटीआई) में बैठकें मंत्री परिषद (सीओएम) के स्तर पर और मुख्य वार्ताकार / विशेषज्ञ के स्तर पर होती हैं। फरवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार सीओएम की 19 बैठकें हो चुकी हैं तथा पिछले सीओएम का आयोजन 7 नवंबर 2019 को आबूधाबी में हुआ था। डब्ल्यूजीटीआई की 17 बैठकें हो चुकी हैं तथा पिछली बैठक 15 अक्टूबर 2017 को डर्बन में हुई थी। डब्ल्यूजीटीआई पर एक विशेषज्ञ स्तरीय बैठक 30 और 31 जनवरी 2020 को मारीशस में हुई थी।

सितंबर 2020 में आईओआरए सचिवालय ने टिप्पणियों के लिए आईओआरए के सदस्य देशों की सरकारों की व्यापार एवं निवेश संवर्धन एजेंसियों के बीच मसौदा एमओयू परिचालित किया है। इस एमओयू का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच मजबूत संबंधों का विकास करने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा स्थापित करना तथा परस्पर सहयोग के माध्यम से संस्थानिक संबंधों को सुदृढ़ करते हुए एवं क्षमता निर्माण करते हुए उनके बीच निवेश एवं व्यापार संबंध के विस्तार के लिए सहयोग की प्रक्रियाएं निर्धारित करना है।

(vii) ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पूर्व मूलतः पहले 4 देश "ब्रिक" के रूप में समूहबद्ध थे। सदस्य देश वार्षिक आधार पर बारी–बारी से ब्रिक्स के अध्यक्ष बनते हैं। ब्रिक्स देशों ने 2018 में वैश्विक जीडीपी में 25 प्रतिशत, विश्व की आबादी में लगभग 50 प्रतिशत और वैश्विक पण व्यापार में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान किया। रूस ने वर्ष 2020 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है।

वाणिज्य विभाग ब्रिक्स के तहत आर्थिक एवं व्यापार के मुद्दों को संभालता है जिन पर संस्थानिक तंत्र के तहत चर्चा होती है जिसे व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर संपर्क समूह (सीजीईटीआई) के नाम से जाना जाता है। रूस की अध्यक्षता में, सीजीईटीआई की तीन बैठकों (23वीं, 24वीं और 25वीं) का आयोजन फरवरीए अप्रैल, जुलाई, 2020

में किया गया। 23वीं बैठक 26 से 28 फरवरी 2020 तक मास्को में भौतिक रूप से हुई थी जबकि 24वीं और 25वीं बैठक कोविड–19 महामारी के कारण वर्चुअल रूप में हुई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 23 जुलाई 2020 को वर्चुअल रूप में आयोजित ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 10वीं बैठक (टीएमएम) के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ब्रिक्स सीजीईटीआई के तहत चर्चा के प्रमुख क्षेत्र थे :

- 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्री बैठक की संयुक्त विज्ञप्ति,
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (एमटीएस) और डब्ल्यूटीओ सुधार पर ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त वक्तव्य,
- ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी 2025 के लिए रणनीति,
- दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं एकीकरण पर ब्रिक्स रूपरेखा
- पारदर्शिता बढ़ाने पर ब्रिक्स दृष्टिकोण पेपर
- व्यापार एवं कृषि पर ब्रिक्स रूपरेखा
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमएसएमई की प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश
- निवेश सुगमता पर ब्रिक्स रूपरेखा
- ब्रिक्स 2020 प्रकाशन ''क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में ब्रिक्स के सदस्य देशों की भागीदारी : मौजूदा बाधाएं तथा उनको दूर करने के संभावित तरीके'' के विचारार्थ विषय

ब्रिक्स के 10वें टीएमएम में मंत्री स्तरीय संयुक्त विज्ञप्ति के अलावा निम्नलिखित दस्तावेज अपनाए गए:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमएसएमई की प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश
- निवेश सुगमता पर ब्रिक्स समझौता
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (एमटीएस) और डब्ल्यूटीओ सुधार पर ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त वक्तव्य

(viii) शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा शंघाई, चीन में 2001 में एससीओ की स्थापना की गई। संगठन का औपचारिक रूप से गठन करने वाले एससीओ चार्टर पर जून 2002 में हस्ताक्षर किए गए तथा यह 19 सितंबर, 2003 को लागू हुआ। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को अस्टाना, कजाकिस्तान में आयोजित शिखर बैठक में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। एससीओ वैश्विक जीडीपी में 6वें भाग से अधिक, वैश्विक वस्तु व्यापर में 7वें भाग से अधिक और वाणिज्यिक सेवाओं के विश्व व्यापार में लगभग 8वें भाग का योगदान करता है।

वाणिज्य विभाग एससीओ की दो बैठकों में भाग लेता है अर्थात :

(i) विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार एससीओ के सदस्य देशों के मंत्रालयों एवं एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के आयोग की बैठक (एससीओ वरिष्ठ अधिकारी बैठक) और; (ii) विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठक।

वर्ष 2020 के दौरान भारत शासनाध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है। कोविड–19 महामारी के कारण भारत ने सितंबर और अक्टूबर 2020 के दौरान एससीओ के सदस्य देशों की विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक वर्चुअल रूप में आयोजित की; और एससीओ के सदस्य देशों की विदेश आर्थिक एवं विदेश व्यापार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की बैठक 28 अक्टूबर 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में वर्चुअल रूप में आयोजित की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निम्नलिखित दस्तावेजों पर वार्ता हुई :

(ए) बौद्धिक संपदा पर सहयोग

(बी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग को प्रेरित करने के लिए एमओयू के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना

(सी) बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली

(डी) कोविड–19 महामारी पर रिस्पांस

(ई) बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना

(एफ) डिजिटल युग में दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अवधारणा

28 अक्टूबर 2020 को व्यापार मंत्रियों की बैठक में उपर्युक्त क्रमांक (क) से (घ) में सूचीबद्ध दस्तावेज अपनाए गए हैं।

(ए) मंत्रियों ने एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तुत करने के लिए एससीओ सचिवालय को निर्देश के साथ एमटीईसी के कार्यान्वयन पर कार्य योजना को भी मंजूरी प्रदान की।

(बी) एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की अगली बैठक (10 नवंबर 2020) में अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तुत करने के लिए एससीओ सचिवालय को अनुदेश के साथ दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संकल्पना।

(ix) जी20

एशियाई वित्तीय संकट के आलोक में 19 राष्ट्रों (अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य) तथा यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों तथा केन्द्रीय बैंक के गवर्नर के फोरम के रूप में 1999 में स्थापित किया गया। तथापि, 2008 में जी20 की अहमियत उस समय बढ़ गई जब इसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री एवं केन्द्रीय बैंक गवर्नर के मंच से ऊपर उठाकर राष्ट्राध्यक्षों / शासनाध्यक्षों का मंच बनाया गया। जी20 ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में 2009 में जी8 को प्रतिस्थापित किया। जी20 के सदस्य लगभग 85 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, 75 प्रतिशत से अधिक वैश्विक व्यापार तथा विश्व की दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2020 में सऊदी अरब जी20 का अध्यक्ष था। कोविड–19 महामारी के कारण 2020 में व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की अधिकांश बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल रूप में हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 22 सितंबर 2020 को आयोजित जी20 के व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में चर्चा के विषय थे :

- डब्ल्यूटीओ के भविष्य पर रियाद पहल
- एमएसएमई की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना
- आर्थिक विविधता को बढ़ावा देना
- अंतर्राष्ट्रीय निवेश को सुदृढ़ करना

मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति तथा रियाद पहल में भारत के परिप्रेक्ष्य से प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे :

- डब्ल्यूटीओ के मौलिक सिद्धांत के रूप में विशेष एवं विभेदक व्यवहार (रियाद पहल)
- मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति से विश्वास के साथ डेटा फ्री प्रवाह (डीएफएफटी) का हटाया जाना
- डब्ल्यूटीओ में सहमति के आधार पर निर्णय लेने की प्रथा का स्वीकार किया जाना
- ईयू द्वारा मौलिक सिद्धांत के रूप में संधारणीयता को शामिल करने के प्रयासों पर सहमति नहीं बनी
- बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए विशिष्ट मुद्दों में औद्योगिक माल के लिए बाजार पहुंच जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया।

(x) पूर्ति श्रृंखला लोच पहल (एससीआरआई)

आस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच पूर्ति श्रृंखला लोच पहल

(एससीआरआई) हिंद – प्रशांत क्षेत्र में पूर्ति श्रृंखला में लोच बढ़ाना और पूर्ति के भरोसेमंद स्रोतों का विकास करना तथा निवेश आकर्षित करना चाहती है। यह आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर हाल के परिवर्तनों सहित कोविड–19 संकट की वर्तमान परिस्थितियों के दौरान और भी महत्वपूर्ण है।

मूल रूप से जापान द्वारा लाई गई और द्विपक्षीय चर्चाओं पर आधारित पहल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- पूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण और क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना सहित हिंद – प्रशांत क्षेत्र में पूर्ति श्रृंखला की लोच में वृद्धि करना।
- क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करना और प्रतिभागियों में परस्पर पूरक संबंध को सुदृढ़ करना।
- यद्यपि विस्तृत उद्देश्य व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना, उसका विस्तार एवं विविधीकरण करना है, विशिष्ट कार्य योजनाओं में व्यापार प्रलेखन का डिजिटीकरण, व्यापार एवं निवेश के संवर्धन के लिए गतिविधियां, सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान, दूसरे देशों का पता लगाना जो इस पहल में शामिल हो सकते हैं, क्षमता निर्माण, घरेलू विनिर्माण का संवर्धन शामिल है।
- आसियान – भारत आर्थिक लोच कार्य योजना तथा भारत – जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी साझेदारी जैसी मौजूदा द्विपक्षीय रूपरेखाओं का उपयोग करना।

(xi) एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी)

भारत संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय विकास प्रकोष्ठ ईएससीएपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के लिए मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास केन्द्र के रूप में काम करता है। 53 सदस्य देशों तथा 9 सहयोगी सदस्यों से निर्मित तथा पश्चिम में तुर्की से लेकर पूरब में किरबाती के प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र और उत्तर में :सी परिसंघ से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक भौगोलिक विस्तार के साथ ईएससीएपी संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से सबसे व्यापक आयोग है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा निकाय भी है।

1947 में स्थापित इस आयोग का मुख्यालय बैंकाक, थाईलैंड में है तथा यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ का समाधान करने का प्रयास करता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है :

- आईसीटी तथा आपदा जोखिम कटौती
- पर्यावरण एवं विकास
- सामाजिक विकास
- सांख्यिकी
- स्थूल आर्थिक नीति तथा विकास के लिए वित्त पोषण
- व्यापार, निवेश और नवाचार
- परिवहन
- ऊर्जा

ईएससीएपी ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है जिनका क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे कारगर ढंग से समाधान होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऐसे मुद्दे जिनसे क्षेत्र के सभी देश या देशों का एक समूह जूझ रहा है, जिसके लिए एक दूसरे से सबक लेना आवश्यक है;
- ऐसे मुद्दे जिनमें क्षेत्रीय या बहुदेशीय भागीदारी से लाभ होगा;
- ऐसे मुद्दे जो सीमापारीय स्वरूप के हैं अथवा जिनमें सहयोगात्मक अंतर्देशीय दृष्टिकोणों से लाभ होगा;
- ऐसे मुद्दे जो संवेदनशील या नए स्वरूप के हैं तथा और हिमायत एवं वार्ता की जरूरत है।

(क) ईएससीएपी का वार्षिक सत्र

इस क्षेत्र के समावेशी एवं संपोषणीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने, अपने सहायक निकायों तथा कार्यपालक सचिव की सिफारिशों पर निर्णय लेने, कार्य की प्रस्तावित रूपरेखा एवं कार्यक्रम की समीक्षा करने और पृष्ठांकित करने तथा अपने विचारार्थ विषयों के अनुरूप कोई अन्य अपेक्षित निर्णय लेने के लिए मंत्री स्तर पर आयोग की हर साल बैठक होती है।

21 मई 2020 को बैंकाक, थाईलैंड में ईएससीएपी की 76वीं बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुआ। सत्र की थीम ''सतत विकास के लिए महासागरों पर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देना'' थी।

(ख) ईएससीएपी में भारत का अंशदान

ईएससीएपी के कार्यक्रमों को क्षेत्रीय संस्थान और उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपना समर्थन दिया जाता है। भारत ने वर्ष के दौरान ईएससीएपी के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम किया है। भारत ने ईएससीएपी की निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी रखने की भी प्रतिबद्धता की है :

- भारत द्वारा नई दिल्ली में एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फार ट्रांसफर आफ टेक्नालाजी (एपीसीटीटी) स्थापित किया गया है
- संपोषणीय कृषि यंत्रीकरण केन्द्र (सीएसएएम), बीजिंग, चीन

- एशिया एवं प्रशांत सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी), चीबा, जापान

(ग) भारत में उप क्षेत्रीय कार्यालय

यूएन–ईएससीएपी के साथ साझेदारी सुदृढ़ करते हुए भारत की वित्तीय सहायता से नई दिल्ली में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) स्थापित किया गया। एसआरओ के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- उप क्षेत्र तथा आयोग के मुख्यालय के बीच कड़ी के रूप में काम करके उप क्षेत्रीय स्तर पर आयोग के एजेंडा को लागू करना;
- उप क्षेत्र के अंदर सदस्य देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उप क्षेत्र विशिष्ट प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना एवं सहायता प्रदान करना;
- ज्ञान प्रबंधन एवं नेटवर्किंग के लिए उप क्षेत्रीय नोड के रूप में प्रचालन करना;
- तकनीकी सहायता सेवाओं की प्रदायगी का नेतृत्व करना और उप क्षेत्र में आयोग के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के :प में काम करना;
- उप क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ घनिष्ठ कार्यसाधक संबंध स्थापित करना और उप क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों में समन्वय को प्रोत्साहित करना।
- अन्य उप क्षेत्रीय अंतर सरकारी निकायों सहित उप क्षेत्र में अन्य संगत कर्ताओं के साथ मजबूत साझेदारी एवं नेटवर्क स्थापित करना, क्षेत्रीय :परेखा के साथ उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(xii) किंबर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना

किंबर्ले प्रक्रिया (केपी) कंफ्लिक्ट डायमंड (वैध सरकारों के विरुद्ध युद्ध के वित्त पोषण के लिए विद्रोही गुटों द्वारा प्रयुक्त रफ डायमंड) के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए उद्योग एवं सभ्य समाज से प्रेक्षकों के साथ प्रतिभागी सरकारों की एक संयुक्त पहल है। किंबर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (केपीसीएस) एक यूएन अधिदेशित (यूएनजीए संकल्प संख्या 2000 की 55/56 का तथा यूएनएससी संकल्प संख्या 2003 की 1459) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना है। इसके तहत अपेक्षित है कि प्रत्येक प्रतिभागी रफ डायमंड के उत्पादन एवं व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाएं। किसी गैर प्रतिभागी के साथ रफ डायमंड में व्यापार की अनुमति नहीं है। रफ डायमंड के सभी निर्यात के साथ एक वैध केपी प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि डायमंड संघर्ष मुक्त हैं।

भारत केपीसीएस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस समय केपीसीएस के 55 सदस्य हैं जिसमें यूरोपीय समुदाय भी शामिल है जो 82 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हीरा का उत्पादन, व्यापार और पॉलिश करने वाले सभी प्रमुख केंद्र केपी के सदस्य हैं। सिविल सोसाइटी और उद्योग समूह भी केपी में सक्रियता से भाग लेते हैं। केपी का अध्यक्ष पद वार्षिक आधार पर बदलता रहता है। उपाध्यक्ष का चयन वार्षिक पूर्ण बैठक में होता है तथा अगले साल वह अपने आप अध्यक्ष बन जाता है। केपीसीएस अध्यक्ष केपीसीएस के कार्यान्वयन, कार्य समूहों एवं समितियों के प्रचालनों तथा सामान्य प्रशासन पर नजर रखते हैं।

वर्ष 2019 के लिए भारत किंबर्ले प्रोसेस का अध्यक्ष था। किंबर्ले प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 17 से 21 जून 2019 तक मुंबई में किंबर्ले प्रोसेस की अंतर्सत्रीय बैठक और 18 से 22 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। केपी के निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत वर्ष 2020 के लिए किंबर्ले प्रोसेस की प्रतिभागिता एवं अध्यक्षता समिति (सीपीसी) का अध्यक्ष बन गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2020 के लिए रूसी परिसंघ और बोत्सवाना ने केपी की क्रमशः अध्यक्षता एवं उपाध्यक्षता ग्रहण की थी। तथापि, वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण, जिसने 2020 में किंबर्ले प्रोसेस (केपी) की अंतरसत्रीय एवं पूर्ण बैठकों के आयोजन को असंभव बना दिया, केपी प्रतिभागियों ने एक साल तक अर्थात क्रमशः 2021 और 2022 में रूसी परिसंघ एवं बोत्सवाना की केपी अध्यक्षता को स्थगित करने का निर्णय लिया। रूसी परिसंघ ने 2020 में केयर टेकर के रूप में काम किया तथा 2020 के दौरान उसकी भूमिका कार्य समूहों की गतिविधियों का समन्वय करने तक सीमित थी तथा कोई नीतिगत निर्णय लेने या पहल करने से बचने की थी। प्रतिभागिता एवं अध्यक्षता समिति (सीपीसी) के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 21 अगस्त 2020 को लिखित प्रक्रिया के माध्यम से केपी प्रतिभागियों द्वारा इस संबंध में चर्चा तथा प्रशासनिक निर्णय को अपनाने में सहायता प्रदान की। 2021 के लिए केपी के सीपीसी अध्यक्ष के रूप में भारत 2021 के लिए भी अध्यक्षता करना जारी रखेगा क्योंकि 2020 में केपी का कोई निवर्तमान अध्यक्ष नहीं होगा।

11. सेवा व्यापार

(i) द्विपक्षीय सेवा व्यापार करार

भारत यूरोपीय संघ, ईएफटीए, इजराइल, मारीशस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पेरू, थाईलैंड आदि के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफटीए वार्ता में शामिल है। भारत – जापान सीईपीए के कार्यान्वयन तथा भारत – कोरिया सीईपीए के उन्नयन से संबंधित मुद्दों पर व्यापार साझेदारों की संयुक्त समिति के तहत गठित संबंधित उप समूहों में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, भारत सेवाओं पर भारत – चीन कार्य समूह के तहत चीन के साथ और संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) की बैठकों के तहत यूके के साथ

द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भी शामिल है। जहां तक मौजूदा एफटीए के कार्यान्वयन का संबंध है, व्यावसायिक निकायों में परस्पर मान्यता करारों को प्रोत्साहित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा सामना किए जा रहे आवागमन के मुद्दों का समाधान करने तथा निर्यातकों एवं अन्य हितधारकों द्वारा महसूस की जा रही बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) 2020–21 में सेवाओं में द्विपक्षीय भागीदारी

वर्ष 2020–21 में सेवाओं से जुड़े मुद्दों के संबंध में मौजूदा संस्थानिक तंत्रों के तहत प्रगति हुई। जिन देशों के साथ इन बैठकों का आयोजन किया गया उनमें शामिल हैं – सिंगापुर (सीईसीए की तीसरी समीक्षा), फिलीपींस (जेडब्ल्यूजीटीआई की 13वीं बैठक), अर्जेंटीना (जेटीसी की तीसरी बैठक), चिली (जेएसी की दूसरी बैठक), थाईलैंड (मिशन स्तरीय जुड़ाव), मैक्सिको (बीएचएलजी की 5वीं बैठक), पेरू (मुख्य वार्ताकार स्तरीय बैठक) और कनाडा (मुख्य वार्ताकार स्तरीय बैठक)। कुछ हाईलाइट्स इस प्रकार हैं :

(क) भारत – सिंगापुर : 2005 में भारत – सिंगापुर सीईसीए पर हस्ताक्षर किए गए। अब तक सीईसीए की दो समीक्षाएं पूरी हो गई हैं। भारत – सिंगापुर सीईसीए की तीसरी समीक्षा 1 सितंबर 2018 को शुरू हुई तथा सेवाओं में व्यापार सुधार चैप्टर पर इसके तहत कार्यवाई की जा रही है। दोनों पक्ष तीसरी समीक्षा के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं तथा वर्तमान वर्ष में इस संबंध में विचारों का आदान प्रदान किया गया।

(ख) भारत – फिलीपींस : व्यापार और निवेश पर भारत – फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की 13वीं बैठक 17 सितंबर 2020 को आयोजित हुई थी। भारत ने हमारे सेवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही वीजा समस्याओं तथा आईटी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाया।

(ग) भारत – अर्जेंटीना : भारत – अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की तीसरी बैठक 20 अक्टूबर 2020 को हुई। भारत ने आईटी उद्योग से संबंधित मुद्दों तथा आडियो विजुअल सह निर्माण करारों तथा व्यावसायिक सेवाओं में एमआरए के लिए वार्ता शुरू करने के प्रस्ताव का जिक्र किया।

(घ) भारत – चिली : 2019 में, भारत – चिली संयुक्त प्रशासनिक समिति (जेएसी) की दूसरी बैठक हुई। भारत – चिली पीटीए के विस्तार पर चर्चा के तहत निर्णय लिया गया कि भारत – चिली पीटीए को गहन करने के अंग के रूप में, यदि दोनों देश सहमत हैं, एक स्वतंत्र ट्रैक के रूप में सेवा वार्ता शुरू की जा सकती है। जेएसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में स्वतंत्र ट्रैक पर चिली के साथ सेवा वार्ता शुरू करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है।

(ड.) भारत – मैक्सिको : 9 अक्टूबर 2020 को भारत और मैक्सिको के द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह (बीएचएलजी) की 5वीं बैठक हुई जिसमें आडियो विजुअल सह निर्माण करार तथा पर्यटन पर एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर सहमति हुई।

(iii) उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ाव

आईटी / आईटीईएस, आडियो विजुअल सेवाओं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, पर्यटन, उच्च शिक्षा तथा लेखांकन सेवाओं के क्षेत्रों में उद्योग हितधारकों के साथ संकेन्द्रित जुड़ावों का आयोजन किया गया। चर्चा से उभरने वाले महत्वपूर्ण व्यावहारिक बिंदुओं एवं सुधार के सुझावों पर संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(iv) सेवा व्यापार सांख्यिकी

सेवा प्रभाग ने अन्य विभागों के परामर्श से सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सांख्यिकी के संग्रहण एवं संकलन के लिए रूपरेखा के विकास पर वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के साथ समन्वय किया। आरबीआई ने सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी में साझेदार देश डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया शुरू की।

(v) सेवा क्षेत्रों के संबंध में डीओसी का कोविड रिस्पांस

लॉकडाउन के दौरान आईटी सेक्टर द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को प्रासंगिक मंत्रालयों / विभागों के साथ उठाया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी आईटी कंपनियां मददगारी छूटों एवं समर्थकारी विनियमों के माध्यम से अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखें। पर्यटन, प्रदर्शनी क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को उपयुक्त समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ उठाया गया। डीओसी ने कोविड अनलॉक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बी2बी प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू)

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) 1965 में कांडला में स्थापित किया गया, जिसके बाद देश में 7 और ईपीजेड स्थापित किए गए। इसके बाद, अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति घोषित की गई जिसमें विभिन्न नई विशेषताएं शामिल की गईं। इस नीति का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रयोक्ता हितैषी विनियामक रूपरेखा के साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आकर्षक राजकोषीय पैकेज के साथ कोटिपरक अवसंरचना के माध्यम से आर्थिक विकास का इंजन बनाना था। कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज, मुंबई (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में पहले से मौजूद सभी 8 ईपीजेड को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया।

संसद द्वारा मई 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया और 23 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। एसईजेड अधिनियम 2005 जिसकी सहायता के लिए एसईजेड नियमावली बनाई गई, 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन;
- माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन;
- घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश संवर्धन;
- रोजगार के अवसरों का सृजन;
- अवसंरचना सुविधाओं का विकास।

एसईजेड अधिनियम 2005 की शर्तों के अनुसार माल के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए मुक्त व्यापार भांडागार क्षेत्र के रूप में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अकेले एसईजेड की स्थापना की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत ऐसे प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश चालित हैं।

(क) एसईजेड का वर्तमान निष्पादन

फरवरी 2006 में एसईजेड नियम की अधिसूचना के बाद वाणिज्य विभाग ने एसईजेड स्थापित करने के लिए 426 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए हैं जिनमें से 358 अधिसूचित किए गए हैं। फरवरी, 2006 के बाद एसईजेड में कुल 22,33,918 व्यक्तियों को प्रदान किए गए रोजगार में से कुल मिलाकर 20,99,214 सृजित वृद्धि संबंधी रोजगार है। यह अवसंरचना की गतिविधियों के लिए विकासकों द्वारा सृजित किए गए लाखों मानव दिवसों के अलावा है। एसईजेड से वास्तविक निर्यात 2018–19 में 7,01,179 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019–20 में 7,96,669 करोड़ रुपए हो गया है जो 13.62 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 15 वर्षों (2005–06 से 2019–20) में निर्यात में 3,388 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई है। 30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार एसईजेड से कुल भौतिक निर्यात 3,49,363 करोड़ रुपए के आसपास है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में निर्यात की तुलना में –8.52 प्रतिशत कम है। 30 सितंबर, 2020 तक एसईजेड में कुल निवेश 5,95,119.27 करोड़ रुपए है जिसमें एसईजेड अधिनियम, 2005 के बाद स्थापित नए अधिसूचित एसईजेड में 5,59,810.67 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। आटोमेटिक रूट के माध्यम से एसईजेड में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

पिछले 14 वर्षों के दौरान क्रियाशील एसईजेड से निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (रुपए में) (प्रतिशत)
	(करोड़ रुपए)	(बिलियन अमरीकी डॉलर)	
2005-2006	22,840	5.08	-
2006-2007	34,615	7.69	52
2007-2008	66,638	14.81	93
2008-2009	99,689	21.71	50
2009-2010	2,20,711	46.54	121.40
2010-2011	3,15,868	69.30	43.11
2011-2012	3,64,478	76.01	15.39
2012-2013	4,76,159	87.45	31
2013-2014	4,94,077	81.67	4

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (रुपए में) (प्रतिशत)
	(करोड़ रुपए)	(बिलियन अमरीकी डॉलर)	
2014-2015	4,63,770	75.84	-6.13
2015-2016	4,67,337	71.38	0.77
2016-2017	5,23,637	78.07	12.05
2017-2018	5,81,033	90.15	11
2018-2019	7,01,179	100.28	21
2019-2020	7,96,669	112.37	13.62
2020-2021 (up to 30.09.2020)	3,49,363	46.50	-8.52#

 # वित्त वर्ष 2019–20 की समान अवधि में निर्यात में वृद्धि

इस समय कुल 262 विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात कर रहे हैं। इसमें से 161 आईटी / आईटीईएस, 25 बहु उत्पाद और 76 अन्य सेक्टर विशिष्ट एसईजेड हैं। कुल मिलाकर, अब तक एसईजेड में 5537 यूनिटें स्थापित की गई हैं।

(ख) योजना का प्रभाव

एसईजेड योजना ने भारत एवं विदेश दोनों में निवेशकों ने प्रचुर रिस्पांस सृजित किया है जो देश में निवेश के प्रवाह तथा अतिरिक्त रोजगार के सृजन से स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा का अर्जन करने और अवसंरचना का विकास करने के अलावा एसईजेड ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव, उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, सामाजिक जीवन में परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानीय प्रभाव उत्पन्न किया है।

(ग) एसईजेड के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

(i) एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण

17 दिसंबर 2019 को एसईजेड नियम 2006 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल से भिन्न) सेवा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र से भिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार वेयरहाउऋसग क्षेत्र की स्थापना के लिए न्यूनतम अपेक्षित भूमि 50 हेक्टेयर या अधिक की संस्पर्शी भूमि है। यदि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा या किसी संघ राज्य क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तो न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर या अधिक है।

सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल से भिन्न) सेवा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की कोई आवश्यकता नहीं है। शहरों की श्रेणी के आधार पर निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है :

क्र. सं.	शहरों की श्रेणियां	अपेक्षित न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)
1	श्रेणी क	50,000
2	श्रेणी ख	25,000
3	श्रेणी ग	15,000

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया

एसईजेड स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के बाद भूमि के न्यूनतम क्षेत्रफल संबंधी आवश्यकताओं तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अन्य शर्तों एवं निबंधनों के अधीन अनुमोदन बोर्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित करता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पहली प्राथमिकता बंजर एवं परती भूमि के अधिग्रहण पर होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एकल फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। यदि विशेष रूप से बहुउत्पाद वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रफल संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के किसी भाग का अधिग्रहण करना पड़े तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कुल अधिग्रहीत भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए किसी भूमि का आवंटन नहीं करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत होते हैं। इसके अलावा 5 अप्रैल 2007 को आयोजित बैठक में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के निर्णय के अनुसरण में राज्य

सरकारों को 15 जून 2007 को सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी एसईजेड को मंजूरी प्रदान नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल 2007 के बाद ऐसे एसईजेड के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किया है या करने का प्रस्ताव किया है।

(iii) एसईजेड के तहत भूमि का विवरण (31 अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार)

1	केन्द्र सरकार के 7+ राज्य सरकार / निजी क्षेत्र के 12 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	2,172.75 हेक्टेयर
2	358 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	39,910.72 हेक्टेयर
3	औपचारिक रूप से अनुमोदित 68 एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	5,501.03 हेक्टेयर
4	औपचारिक रूप से अनुमोदित तथा अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि (1+2+3)	47,584.50 हेक्टेयर
5	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित 33 एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	20,360 हेक्टेयर
6	भारत के कुल क्षेत्रफल (328 मिलियन हेक्टेयर) के अनुपात में अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल का प्रतिशत	0.013 प्रतिशत
7	भारत की कुल कृषि भूमि (142 मिलियन हेक्टेयर) के अनुपात में अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल का प्रतिशत	0.026 प्रतिशत

(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकों एवं यूनिटों के लिए प्रस्तावित राजकोषीय लाभ एवं ड्यूटी रियायत

एसईजेड में विदेशी निवेश सहित निवेश आकर्षित करने के लिए एसईजेड में यूनिटों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं की पेशकश की गई है रू

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए माल का ड्यूटी फ्री आयात/ घरेलू प्रापण
- आय कर अधिनियम की धारा 10 ए, के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों के लिए निर्यात आय पर आय कर से पहले पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट, इसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत छूट और अगले पांच वर्षों के लिए प्लाउड बैक निर्यात लाभ पर 50 प्रतिशत की छूट। (यूनिटों के लिए सनसेट क्लॉज 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा)
- केंद्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट तथा राज्य बिक्री कर से छूट। अब इनका वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में विलय हो गया है तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम 2017 के तहत एसईजेड के लिए आपूर्तियों पर दर शून्य है।
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क।
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए एकल खिड़की क्लीयरेंस

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकों को उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं में शामिल हैं :

- बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क से छूट।
- आय कर अधिनियम की धारा 80–आईएबी के तहत 15 वर्षों में 10 वर्षों के ब्लॉक में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आय कर से छूट। (विकासकों के लिए सनसेट क्लॉज 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा)
- केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट
- सेवा कर से छूट

(घ) एसईजेड नीति तथा सुधार की पहलें

क्षेत्र के निष्पादन का एक व्यापक विश्लेषणात्मक आकलन किया गया तथा हितधारकों – एसईजेड विकासकों, यूनिटों, व्यापार संघों, राज्य सरकारों, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग, शहरी विकास विभाग आदि सहित केन्द्र सरकार के विभागों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव – एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा सुधार पहलश तैयार किया गया है और तद्नुसार तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 18 अप्रैल 2013 को एसईजेड में निवेशकों की रुचि बहाल करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की थी जिन्हें 12 अगस्त 2013 को जारी किए गए जीएसआर नंबर 540 (ई) के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 को संशोधित करके अधिसूचित किया गया।

- जहां तक भूमि के खाली होने से संबंधित मुद्दों का संबंध है, मौजूदा नीति पहले से मौजूद संरचनाओं जो वाणिज्यिक प्रयोग में नहीं हैं, वाले भूखंड को एसईजेड अधिसूचित करने के प्रयोजनार्थ खाली भूमि के रूप में माने जाने की अनुमति प्रदान की, यह निर्णय लिया गया कि अधिसूचना के बाद संचालित की जा रही गतिविधियों तथा पहले से मौजूद ऐसी संरचनाओं

में वृद्धि एसईजेड में किसी अन्य गतिविधि के समान ड्यूटी लाभ के लिए पात्र होगी।

- निकास नीति रूएसईजेड रूपरेखा में यूनिटों के लिए कोई निकास नीति नहीं थी तथा फीडबैक यह था कि इसे भारी नुकसान के रूप में लिया जाता है। एसईजेड नियमावली (संशोधन) 2013 (गजट अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2013) के माध्यम से कतिपय निर्धारित शर्तों के साथ बिक्री सहित एसईजेड यूनिटों का स्वामित्व अंतरित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा एसईजेड में इच्छुक निवेशकों की बहाली के लिए 17 दिसंबर 2019 को जारी किए गए जीएसआर 940 (ई) के माध्यम से एसईजेड नियम 2006 में संशोधन करके अनेक उपाय अधिसूचित किए गए। उपायों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल से भिन्न) सेवा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की कोई आवश्यकता नहीं है तथा केवल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रों के लिए, 50 हेक्टेयर या अधिक संस्पर्शी भूमि होगी। तथापि, यदि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा या किसी संघ राज्य क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तो क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर या अधिक होगा।
- सभी मौजूद अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र को बहुक्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र समझा जाएगा।
- 7 बड़े शहरों अर्थात मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे और कोलकाता के लिए लागू की जाने वाली 50000 वर्गमीटर की आवश्यकता के साथ न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता में भी काफी ढील दी गई है। मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे और कोलकाता। श्रेणी ख के शहरों के लिए 25,000 वर्गमीटर तथा शेष शहरों के लिए केवल 15,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का मानदंड लागू किया गया है।

(ड.) एसईजेड में व्यवसाय करने की सरलता सुनिश्चित करने के लिए हाल की पहलें

- अनुदेश संख्या 101 दिनांक 1 नवंबर 2019 के माध्यम से वाणिज्य विभाग ने उसी क्षेत्र के अंदर एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिटों को स्थानांतरित करने की शक्ति क्षेत्रीय विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की है।
- एसईजेड के विद्युत संयंत्रो के संबंध में समय समय पर विद्युत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से सभी पिछले दिशानिर्देशों को समेकित करते हुए 16 फरवरी 2016 को नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- 01 नवंबर 2014 से सभी एसईजेड में एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का डिजिटीकरण एवं आनलाइन प्रसंस्करण शुरू किया गया है। डिजिटीकरण का दूसरा चरण 01 जुलाई, 2015 से सभी एसईजेड में शुरू किया गया है।
- गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (एनपीए) में अवसंरचना का दोहरा प्रयोग रू एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से अधिसूचना जीएसआर 5 (ई) दिनांक 2 जनवरी 2015 के माध्यम से सरकार ने एसईजेड तथा गैर एसईजेड संस्थाओं दोनों द्वारा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं के दोहरे प्रयोग को अनुमत किया है।
- एसईजेड में विकासकों एवं यूनिटों से संबंधित गतिविधियों के मानचित्रण को चिह्नित किया गया तथा उक्त गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमाएं निर्धारित एवं कार्यान्वित की गईं। इसे सभी एसईजेड में 14 अगस्त 2014 को शुरू किया गया।
- केन्द्र सरकार ने का.आ. 968 (अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की यूनिटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा आईआरडीए द्वारा निर्मित प्रचालन के नियमों को अधिसूचित किया है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक आयात और निर्यात के लिए माल के मूवमेंट हेतु कागज रहित लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से एसईजेड आनलाइन प्रणाली को सीमा शुल्क की आइसगेट प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 19 जनवरी, 2015 को मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। अब यह सभी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शुरू की गई है तथा परियोजना संतोषप्रद ढंग से चल रही है।

(च) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन

आईएफएससी में यूनिट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यासों एवं किसी अन्य संस्था को समर्थ बनाने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से धारा 2(अ) में व्यक्तियों की परिभाषा को संशोधित किया गया है। इस विधेयक को 06 जुलाई, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

(छ) विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में हाल के संशोधन

(i) 19 सितंबर, 2018 को किए गए संशोधन: जीएसटी अधिनियम 2017 के आलोक में एसईजेड नियमावली 2006 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करने तथा हितधारकों से समय समय पर सुझाव प्राप्त करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वाणिज्य विभाग ने एसईजेड नियमावली 2006 को जीएसटी अनुपालक बनाते हुए 19 सितंबर 2018 को एसईजेड नियमावली 2006 में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए थे।

(ii) 9 नवंबर, 2018 और 31 जनवरी, 2019 को किए गए संशोधन: नियम 41(1) (क) तथा नियम 42 के उप नियम (1) को संशोधित किया गया ताकि रत्न एवं आभूषण यूनिट के मामले में स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी, अग्रेतर प्रोसेसिंग की आवश्यकता वाले निर्मित माल या अर्ध निर्मित माल जो यूनिट द्वारा उप संविदा के लिए एसईजेड के बाहर ले जाया जाता है, 45 दिन के अंदर यूनिट में वापस लाया जाएगा।

(iii) 7 मार्च, 2019 को किए गए संशोधन : 19 सितंबर, 2018 को किए गए संशोधन की पृष्ठभूमि में हितधारकों से एसईजेड नियमावली में और संशोधन करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए और तद्नुसार एसईजेड में यूनिटों के लिए निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) की गणना की विधि से संबंधित नियम 53 में संशोधन सहित संशोधन किए गए।

(iv) 17 दिसंबर, 2019 को किए गए संशोधन : एसईजेड में रिक्त स्थानों के उपयोग, क्षेत्र विशिष्ट तथा बहुक्षेत्र आवश्यकता के बीच अंतर को दूर करने के लिए अधिसूचना जीएसआर 940 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2019 के माध्यम से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है।

(v) 31 दिसंबर 2019 को किए गए संशोधन: इसकी विशेष प्रकृति के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र में किसी यूनिट के लिए निवल विदेशी मुद्रा की गणना को सुगम बनाने के लिए नियम 53ए अंतस्थापित किया गया है।

(ज) कोविड–19 महामारी के दौरान वाणिज्य विभाग द्वारा की गई पहलें

एसईजेड विकासकों/सह विकासकों/यूनिटों की सहायता के लिए कोविड–19 महामारी के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए :

- विभिन्न अनुपालनों, उदाहरण के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), सॉफटेक्स फार्म तथा वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) को दायर करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 की गई।
- विकास आयुक्तों (डीसी) को इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से समयबद्ध ढंग से कोविड–19 महामारी के दौरान एक्सपायर होने वाले मंजूरी पत्रों (एलओए) तथा अन्य अनुपालनों की अवधि बढ़ाने में सहायता करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, विकास आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि यदि इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से विस्तार प्रदान करना संभव न हो तो वे यह सुनिश्चित करें कि विकासक / सह विकासक / यूनिटों को व्यवधान की इस अवधि के दौरान वैधता की ऐसी समाप्ति के कारण कोई कठिनाई न हो तथा 30 जून 2020 तक पूर्वाग्रह के बगैर तदर्थ अंतरिम विस्तार / कालातीतन तिथि का स्थगन अनुमत किया गया।
- एसईजेड में आईटी / आईटीई यूनिटों के साथ गैर आईटी / आईटीईटी यूनिटों को भी घर से काम करने के लिए एसईजेड से बाहर डेस्कटॉप / लैपटॉप ले जाने की अनुमति दी गई। इससे विशेष रूप से आईटी / आईटीईएस में निर्यात ने लॉकडाउन के बावजूद सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- अनुमोदन समिति द्वारा कार्योत्तर पुष्टि के अधीन मास्क, सैनिटाइजर, गाउन तथा अन्य संरक्षी / निवारक उत्पादों / औजारों जैसी आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण के मामले में ब्राडबैंऋडग के लिए विकास आयुक्तों को शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी।
- यह निर्देश जारी किया गया कि वित्त वर्ष 2020–21 के लिए केन्द्र सरकार के एसईजेड में यूनिटों के लिए लीज रेंट में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
- केन्द्र सरकार के एसईजेड में सभी यूनिटों के लिए 31 जुलाई 2020 तक पहली तिमाही के लीज रेंट का भुगतान स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा, विकास आयुक्तों से 1 अक्टूबर 2020 से शुरू करते हुए 6 समान किश्तों में लीज रेंट की दो तिमाही किश्तों का भुगतान करने के लिए यूनिटों को अनुमति प्रदान करने के लिए भी कहा गया।
- विकास आयुक्तों से यह भी कहा गया कि वे राज्य सरकार / निजी एसईजेड के विकासकों को अपने अपने क्षेत्र में समान राहत उपायों पर विचार करने की सलाह दें।
- सभी विकास आयुक्तों को इलेक्ट्रानिक कार्य संस्कृति अपनाने तथा ड्रग, आवश्यक वस्तुओं आदि के निर्माण में शामिल यूनिटों सहित सभी यूनिटों को आवश्यक सहायता प्रदान करने और कोविड–19 के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाया गया।

अनुमोदित एसईजेड का राज्यवार वितरण (31 अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार)				
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	कुल कार्यशील एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पूर्व एसईजेड अधिनियम के तहत) (30 सितंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	32	4	27	24
चंडीगढ़	2	0	2	2
छत्तीसगढ़	2	1	1	1
दिल्ली	2	0	0	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	26	4	22	21
हरियाणा	25	3	20	7
झारखंड	2	0	2	0
कर्नाटक	63	0	52	34
केरल	29	0	25	20
मध्य प्रदेश	12	0	7	5
महाराष्ट्र	51	12	45	37
मणिपुर	1	0	1	0
नागालैंड	2	0	2	0
ओडिशा	7	0	5	5
पुदुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	5	0	3	3
राजस्थान	5	1	4	3
सिक्किम	0	1	0	0
तमिलनाडु	57	3	54	46
तेलंगाना	63	0	56	34
त्रिपुरा	1	0	1	0
उत्तर प्रदेश	24	1	21	13
पश्चिम बंगाल	7	2	5	7
कुल योग	**426**	**33**	**358**	**262**

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर फैक्ट शीट

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या (31 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार)	426
अधिसूचित एसईजेड की संख्या (31 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार)	358 + (7 केन्द्र सरकार 12 राज्य सरकार / निजी क्षेत्र एसईजेड जो एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व स्थापित किए गए)

सैद्धांतिक अनुमोदनों की संख्या (31 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार)	**33**				
क्रियाशील एसईजेड (30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	**262** (ब्यौरा : 25 बहु उत्पाद एसईजेड हैं, शेष क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हैं)				
एसईजेड में अनुमोदित यूनिटें (30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	**5,537**				
एसईजेड के लिए भूमि (31 अक्टूबर 2020 की स्थिति के अनुसार)	7 केन्द्र सरकार 12 राज्य सरकार/ निजी एसईजेड जो एसईजेड अधिनियम 2015 से पहले अधिसूचित किए गए।	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र (1+2)	औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड (423–357)	कुल क्षेत्रफल (3+4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2172.75 हैक्टेयर	39910.72 हैक्टेयर	42083.47 हैक्टेयर	5501.03 हैक्टेयर	47584.50 हैक्टेयर
	भूमि राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकारों की नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार एसईजेड के लिए भूमि का प्रापण किया जाता है।				

निवेश	**निवेश (फरवरी, 2006 तक की स्थिति के अनुसार)**	**वृद्धिमूलक निवेश**	**कुल निवेश (30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)**
			(मूल्य करोड़ रुपए में)
केन्द्र सरकार के एसईजेड	2,279.20	18,592.81	20,872.01
2006 से पूर्व स्थापित राज्य / निजी एसईजेड	1,756.31	12,680.28	14,436.59
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	-	5,59,810.67	5,59,810.67
कुल	**4,035.51**	**5,91,083.76**	**5,95,119.27**

रोजगार	**रोजगार (फरवरी, 2006 तक की स्थिति के अनुसार)**	**वृद्धिमूलक रोजगार**	**कुल रोजगार (30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)**
केन्द्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 व्यक्ति	58,249 व्यक्ति	1,80,485 व्यक्ति
2006 से पूर्व स्थापित राज्य ६ निजी एसईजेड	12,468 व्यक्ति	84,450 व्यक्ति	96,918 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	0 व्यक्ति	19,56,515 व्यक्ति	19,56,515 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**20,99,214 व्यक्ति**	**22,33,918 व्यक्ति**

2018–19 में निर्यात डीटीए बिक्री (मानद निर्यात) डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	7,01,179 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2017–18 की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि) 19,908 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत) 1,01,866 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 12 प्रतिशत)
2019–20 में निर्यात डीटीए बिक्री (मानद निर्यात) डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	7,96,669 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में 13.62 प्रतिशत की वृद्धि) 19,662 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत) 1,14,445 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 12 प्रतिशत)
2020–21 में निर्यात (30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार) डीटीए बिक्री मानद निर्यात) डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	3,49,363 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2019–20 की समतुल्य अवधि के निर्यात की तुलना में –8.52 प्रतिशत की कमी) 8,550 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत) 38,455 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत)

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का सेक्टर–वार वितरण

(30 सितंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार क्रियाशील विशेष आर्थिक क्षेत्रों (262) की संख्या एवं प्रतिशत)

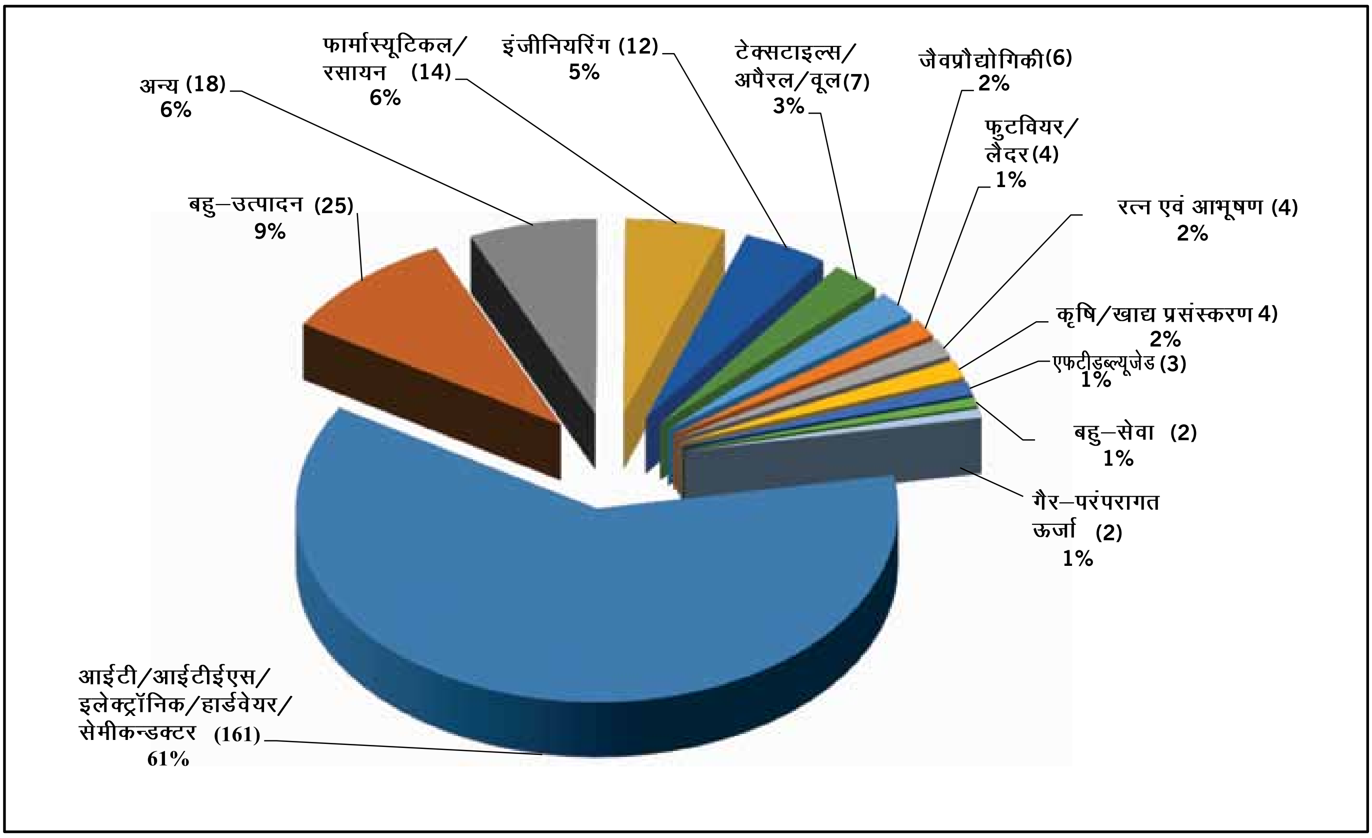

2. निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू)

मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन करके निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) स्कीम 1981 के पूर्वार्ध में शुरू की गई। यह 1960 के दशक में शुरू की गई मुक्त व्यापार क्षेत्र / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जेड) स्कीम की पूरक स्कीम के रूप में शुरू की गई। यह एसईजेड (तत्कालीन ई पी

जेड) जैसी उत्पादन व्यवस्था अपनाता है परंतु लोकेशन की दृष्टि से व्यापक विकल्प प्रदान करता है।

ऐसी यूनिटों को निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) कहा जाता है जो निर्यात–आयात नीति के अनुसार डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर अपने माल एवं सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन के निर्यात का वचन देती हैं। निर्यात उन्मुख यूनिटें संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंधित विकास आयुक्त अर्थात वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं।

निर्यात उन्मुख यूनिटें विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय–6 के प्रावधानों एवं इसकी प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होते हैं, जिनका उल्लेख प्रक्रिया हैंडबुक में किया गया है।

30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार ईओयू स्कीम के तहत 1607 यूनिटें प्रचालन में हैं, जबकि 30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 1700 ईओयू यूनिटें प्रचालन में थीं।

निर्यात उन्मुख यूनिटों का राज्यवार वितरण

एसईजेड	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	30 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटें
एनएसईजेड	चंडीगढ़	02
	दिल्ली	07
	हरियाणा	52
	हिमाचल प्रदेश	04
	जम्मू एवं कश्मीर	01
	पंजाब	07
	राजस्थान	52
	उत्तर प्रदेश	48
	उत्तराखंड	01
सीएसईजेड	कर्नाटक	342
	केरल	72
आईएसईजेड	मध्य प्रदेश	8
वीएसईजेड	आंध्र प्रदेश	71
	तेलंगाना	122
एफएसईजेड	पश्चिम बंगाल	30
	झारखंड	02
	ओडिशा	01
	मेघालय	01
एमईपीजेड	तमिलनाडु	327
	पांडिचेरी	11
केएएसईजेड	गुजरात	183
एसईईपीजेड	महाराष्ट्र	215
	दादरा एवं नागर हवेली	15
	दमन एवं दीव	07
	गोवा	26
कुल		**1607**

निर्यात उन्मुख यूनिट द्वारा निर्यात निष्पादन

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	ईओयू निर्यात
2016-17	1,03,277.94
2017-18	86,083.06
2018-19	87,371.74
2019-20	1,02,492.92
2020-21 (Prov.)	41,570.98*

**अनंतिम क्योंकि कुछ यूनिटों से एपीआर और क्यूपीआर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।*

निर्यात उन्मुख यूनिटें मुख्य रूप से वस्त्र एवं यार्न, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं आभूषण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रानिक्स, रसायन, प्लास्टिक, ग्रेनाइट एवं खनिज / अयस्क के क्षेत्रों में हैं।

विशिष्ट एजेंसियां

1. बागान (चाय, कॉफी, रबर और मसाले)

बागान क्षेत्र के तहत चाय, कॉफी, रबर और मसाला क्षेत्र शामिल हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि यह क्षेत्र बागान उद्योग तथा इससे जुड़ी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित लोगों की बड़ी संख्या की जीविका संबंधी समस्याओं से संबंधित है। यह बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वाला क्षेत्र भी है। बागान क्षेत्र भारत के सबसे पुराने संगठित उद्योगों में से एक है और बहुत से राज्यों की कृषि–अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बागानी फसलों की विशिष्टता इसके विशाल विकास क्षमता एवं परम्परागत कौशल विकास और सतत पद्धति के माध्यम से बेहतर जीवन, प्रवास के बिना, की गुंजाइश में निहित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में बागानों का संवर्धन विदेशी मुद्रा के अत्यधिक अभाव से निजात पाने के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वाले एक साधन के रूप में किया गया था। इस भूमिका के मद्देनजर, राज्य का काफी ध्यान इस क्षेत्र की ओर गया। यह स्पष्ट है क्योंकि प्रत्येक फसल के लिए वस्तु बोर्ड की स्थापना की गई और इन बोर्डों को बागान विकास के लिए आवश्यक विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए कानून बनाए गए। इसके अलावा, कृषि, राज्य का विषय होने के बावजूद भी, वस्तु बोर्डों को निर्यात अर्जन में उनकी भूमिका के कारण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन रखा गया।

प्रत्येक क्षेत्र का ब्यौरा संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

(क) चाय क्षेत्र

(i) चाय बोर्ड: चाय बोर्ड, भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए अधिनियम में परिकल्पित विभिन्न कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए चाय अधिनियम, 1953 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड में अध्यक्ष सहित 31 सदस्य होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 11.02.2019 से 10.02.2022 तक है। उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिसे गुवाहाटी, असम (पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए) और कुन्नूर, तमिलनाडु (पूरे दक्षिण भारत क्षेत्र के लिए) में क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात दो कार्यकारी निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड का कार्य चाय बागानों में दक्षता और नवाचार, अच्छी गुणवत्ता की चाय के उत्पादन के लिए नूतन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, निर्यात के लिए उच्च मूल्य की चाय को बढ़ावा देने, चाय उद्योग में सभी स्तरों पर मानव संसाधनों के क्षमता निर्माण, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और विनिर्माण तकनीकों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास के सुदृढ़ीकरण तथा स्थिरता के लिए एसएचजी, एफपीओ और एफपीसी में छोटे चाय उत्पादकों का समूहीकरण करने और उन्हें मूल्य श्रृंखला में शामिल करने के लिए प्रभावी प्रबंधन कार्यनीतिया विकसित करना है।

(ii) भारत में चाय : भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत विश्व चाय उत्पादन में 23% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है और 13% की हिस्सेदारी के साथ चौथा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। कुल उत्पादन का औसतन 18% निर्यात किया जाता है और शेष 82% घरेलू खपत के लिए उपलब्ध है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा के अर्जन के अलावा, चाय उद्योग चाय उगाने वाले राज्यों के लिए भी राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। 1.16 मिलियन श्रमिकों, जिनमें से 58% महिलाएं हैं, को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की क्षमता इस उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अतिरिक्त, 6 मिलियन से अधिक लोग उद्योग से जुड़ी सहायक गतिविधियों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।

(iii) चाय उत्पादक क्षेत्र: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। ये कुल उत्पादन के 97% भाग का उत्पादन करते हैं। अन्य पारंपरिक राज्यों, जहां चाय सीमित रूप से उगाई जाती है, में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक शामिल हैं। हाल के वर्षों में गैर–पारंपरिक राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ने भी भारत के चाय क्षेत्र में प्रवेश किया है। भारत में चाय की अनेक किस्मों का उत्पादन किया जाता है जिनमें – दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि, कांगड़ा, डुआर्स तेरई, सिक्किम, त्रिपुरा, और अन्य अनेक की अपनी विशिष्ट किस्में हैं। दार्जिलिंग, असम ऑर्थोडॉक्स, नीलगिरि ऑर्थोडॉक्स और कांगड़ा चाय भौगोलिक संकेतक हैं।

(iv) उत्पादन: वर्ष 2019–20 के दौरान, भारतीय चाय का उत्पादन 1360.81 मिलियन किलोग्राम था, जबकि वर्ष 2018–19 में 1350.04 मिलियन किलोग्राम था जिसमें 10.77 मिलियन किलोग्राम (0.80%) की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत में प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में कोविड–19 के कारण प्रतिबंधों और उसके बाद बाढ़ के मद्देनजर, चाय उत्पादन में 10 –12% की कमी का अनुमान है। उत्पादन के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2020–21 (अप्रैल–सितंबर) के दौरान संचयी चाय उत्पादन 782.56 मिलियन किलोग्राम रहा जिसमें 2018–19 की इसी अवधि की तुलना में 121.05 मिलियन किलोग्राम (13.40%) की कमी हुई। यह अनुमान है कि वर्ष 2020–21 के लिए चाय का उत्पादन लगभग 1240–1250 मिलियन किलोग्राम होगा।

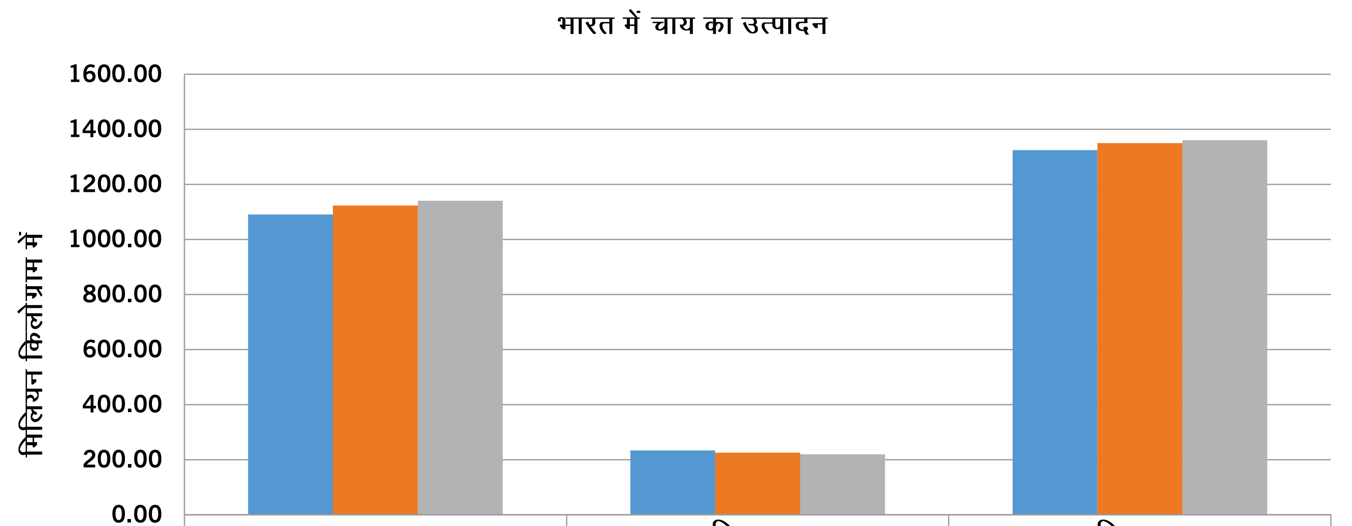

	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2017-18	1,091.40	233.65	1,325.05
2018-19	1,124.03	226.01	1,350.04
2019-20	1,140.69	220.12	1,360.81

(v) निर्यात: वर्ष 2019–20 के दौरान चाय का निर्यात 5457.10 करोड़ रूपये के मूल्य प्राप्ति के साथ 241.34 मिलियन किलोग्राम था जिसमें वर्ष 2018–19 की तुलना में मात्रा में 5.17% और मूल्य वसूली में 0.90% की मामूली कमी आई। अवधि के दौरान अर्जित कुल अनुमानित विदेशी मुद्रा 768.93 मिलियन यूएस डॉलर थी, जिसमें वर्ष 2018–19 की तुलना में 2.36% की कमी आई। वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान यूनिट मूल्य प्राप्ति में रूपये प्रति किलोग्राम में 4.50% की वृद्धि हुई तथा डॉलर प्रति किलोग्राम में 3.24% की वृद्धि हुई।

चालू वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल–अगस्त) के दौरान, चाय का अनंतिम निर्यात 1892.16 करोड़ के एफओबी मूल्य के साथ 79.65 मिलियन किलोग्राम रहा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 2340.58 करोड़ के एफओबी मूल्य के साथ 100.15 मिलियन किलोग्राम था जिसमें मात्रा में 15.18 मिलियन किलोग्राम (19.56%) और मूल्य में 383.03 करोड़ रूपये (21.23%) की कमी हुई। चाय उत्पादन में कमी और कोविड–19 महामारी के कारण लॉजिस्टिक चुनौतियों के परिणामस्वरूप चाय निर्यात प्रभावित होने की संभावना है। यह अनुमान है कि वर्ष 2020–21 के लिए चाय का निर्यात लगभग 210–215 मिलियन किलोग्राम होगा।

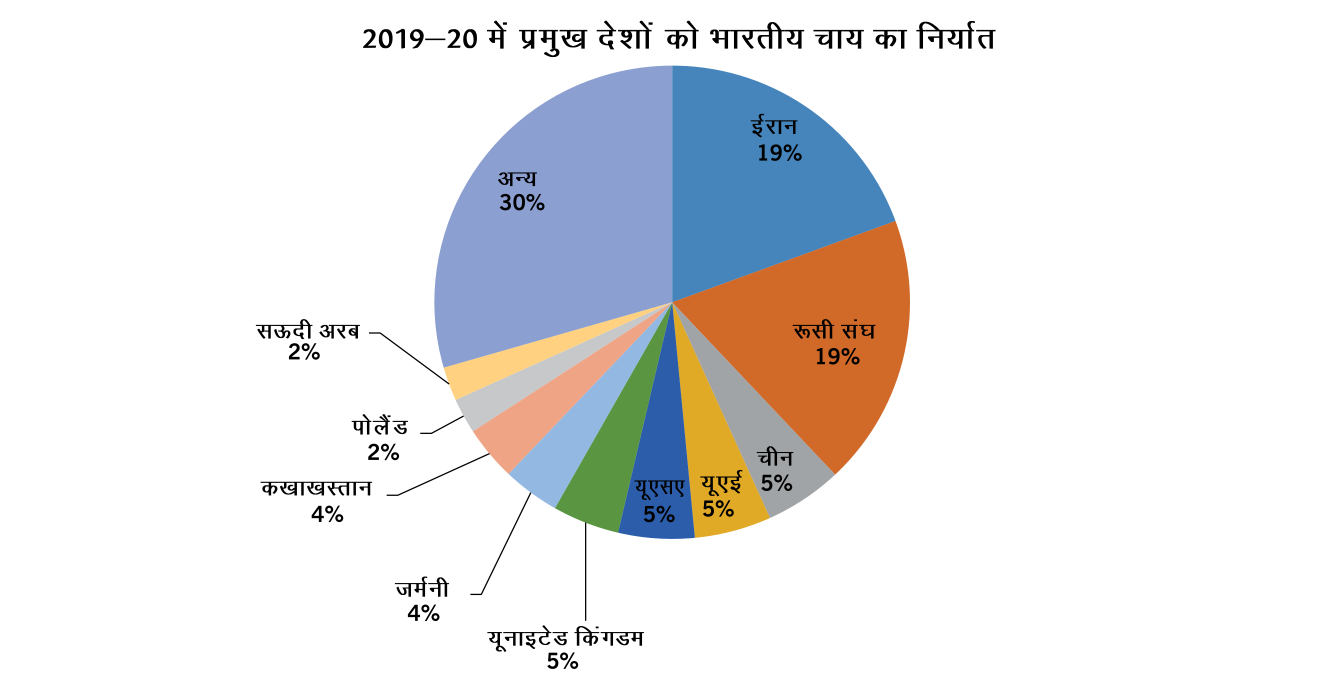

(vi) मूल्यः यद्यपि, वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान, चाय की नीलामी के औसत मूल्य में 2.61 रूपये प्रति किलोग्राम की कमी आई, वर्ष 2020–21 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान, सार्वजनिक नीलामियों में कीमतों में वर्ष 2020–21 की इसी अवधि के दौरान प्राप्त की गई कीमत की तुलना में, 74.05 रूपये प्रति किलोग्राम (50.29%) की वृद्धि हुई।

(vii) चाय विकासःचाय अधिनियम के तहत चाय बोर्ड को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक चाय उत्पादन और बागान की उत्पादकता में वृद्धि, चाय प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्यवर्धन सुविधाओं का आधुनिकीकरण और एसएचजी / एफपीओ / एफपीसी के गठन और चाय बागान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय के माध्यम से छोटे चाय उत्पादकों के बीच सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित विकास योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है। पुराने चाय बागानों को निर्मूल करने और चाय के पुनःरोपन/ पुनःउत्पादन, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, कृषि मशीनीकरण, स्वयं सहायता समूहों / निर्माता समूहों के माध्यम से छोटे उत्पादकों के समूहीकरण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन दौरों, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता प्रमाणन, परम्परागत और ग्रीन टी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और श्रमिकों के कल्याणकारी उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(viii) उपलब्धियांः वित्त वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार हैः

घटक	गतिविधि	वास्तविक उपलब्धि–2020–21 (दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) बड़े उत्पादक	पुनःरोपण और बागान का प्रतिस्थापन (हेक्टेयर)	685.08
	पुनः उत्पादन छंटाई (हेक्टेयर)	160.99
	सिंचाई (हेक्टेयर)	291.99
	कृषि मशीनीकरण (संख्या)	74
सार्वजनिक वितरण प्रणआली (पीडीएस) छोटे उत्पादक	पुनःरोप.ा और बागान का प्रतिस्थापन (हेक्टेयर)	35.86
	पुनः उत्पादन छंटाई (हेक्टेयर)	93.51
	सिंचाई सुविधाओं का सृजन (हेक्टेयर)	11.00
	कृषि मशीनीकरण (संख्या)	83
गुणवत्ता स्तरोन्नयन और उत्पादन विविधीकरण (क्यूयूपीडी)	परम्परागत उत्पादन सब्सिडी (मिलियन किलोग्राम)	28.12
मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	शैक्षणिक छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म/पुस्तक अनुदान आदि/ नेहरू पुरस्कार (संख्या)	450
अनुसूचित जति उप योजना (एससीएसपी)	लाभाथियों की संख्या (संख्या)	1521
जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएएसपी)	लाभार्थियों की संख्या (संख्या)	344

His Excellency Shri D.B. Venkatesh Varma, Ambassador of India to the Russian Federation addressing the Virtual Meet

Shri P.K. Sahoo, Deputy Chairman, Tea Board India (top middle) at the Virtual Meet

Virtual B2B Meet organized by Tea Board India in collaboration with Embassy of India, Moscow, 12/10/2020

(ix) चाय अनुसंधान: चाय बोर्ड देश में मुख्य रूप से तीन चाय अनुसंधान संस्थानों (पूर्वोत्तर भारत के लिए टीआरए, दक्षिण भारत के लिए यूपीएएसआई और दार्जिलिंग चाय उद्योग के लिए डीटीआर एवं डीसी) के माध्यम से देश में चाय अनुसंधान का समन्वय करता है। अनुसंधान और उद्योग की सहायक गतिविधियों के संबंध में प्राप्त कुछ प्रमुख परिणाम नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

- आणविक गतिशीलता और सिमुलेशन अध्ययन के लिए सार्स–कोव–2 रिसेप्टर्स आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पोलीमरेज़ (आरडीआरपी) और स्पाइक (एस) ग्लाइकोप्रोटीन के लिए चाय के 70 बायोएक्टिव अणुओं का वर्चुअल अनुवीक्षण किया गया था।
- स्वदेशी रूप से सिद्ध बायोफर्टिलाइज़र / पीजीपीआर स्ट्रनों (स्यूडोमोनस पुतिदा, पी. फ्लोरोसेंस, बेसिलस एमाइलोलिफ़ैसिफ़ेंस, बुर्कोपेरिसिपम और एक्टिनोमिकम) और एक्टिनोमिकम एसपीपी (टी. विराइड, टी. एट्रोविराइड और टी. हर्ज़ियानम) द्वारा मृदा स्वास्थ्य के सुधार के लिए दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर जैव ऊर्वरक और ट्राइकोडर्मा के उत्पादन का प्रदर्शन किया गया था। प्रयोगशाला से खेत (लैब टू लैंड) कार्यक्रम के तहत, लगभग 144 किलोग्राम मदर कल्चर तैयार किया गया तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन और आगे के खेत अनुप्रयोगों के लिए उनके खेतों को प्रेषित किया गया।
- पादप नमूनों, जैविक खाद, मृदा नमूनों और उर्वरक में नाइट्रोजन के आकलन के लिए एक त्वरित और लागत–प्रभावी विधि का मानकीकरण किया गया।
- जैव–रासायनिक मानदंडों के लिए 157 परीक्षण, भारी धातुओं के लिए 149 परीक्षण और कीटनाशक अवशेषों के लिए 160 परीक्षणों सहित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सिलीगुड़ी में, एफएसएसएआई मानदंडों, सुगंधित चाय, पीपीसी अनुपालन और भारी धातु विश्लेषण के लिए 172 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

(x) अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक अन्य प्रमुख उपलब्धियां

- जोरहाट नीलामी प्लेटफॉर्म: असम चाय क्लस्टर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ एक नूतन नीलामी मॉडल को लागू करने के उद्देश्य से, चाय बोर्ड ने एक ई–नीलामी मंच अर्थात् "जोरहाट प्लेटफॉर्म" की स्थापना की है। यह प्लेटफ़ॉर्म केंद्रीय वेयरहाउसिंग, खरीददार के लिए लॉजिस्टिक आदि जैसी संबंधित सेवाओं सहित अद्यतन नीलामी पद्धति उपलब्ध कराते हुए उद्योग को सेवा प्रदान करेगा। इस प्लेटफॉर्म से सम्पूर्ण प्रक्रिया के प्रतिवर्तन काल और लागत–प्रभावशीलता के कम होने की संभावना है तथा यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक खरीददारों के बीच पारदर्शिता के आधार पर निष्पक्ष और बाजार–संचालित मूल्य की खोज में सहायता करेगा। जोरहाट नीलामी 1 जून, 2020 से चालू हो गई है।
- क्लाउड परिवेश: नीलामी प्रणाली की अवसंरचना के मोर्चे पर, बोर्ड ने मई 2020 से नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक क्लाउड परिवेश में स्थानांतरित कर दिया है।

(ख) कॉफी क्षेत्र

(i) कॉफी बोर्ड: कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत गठित कॉफी बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है। बोर्ड में सचिव सहित 33 सदस्य शामिल हैं, जिसमें सचिव, जिन्हें भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया हैं, शामिल है तथा एक गैर–कार्यकारी अध्यक्ष और 31 सदस्यों में संसद सदस्य, कॉफी उत्पादक राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक सदस्य और कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाह्य और आंतरिक संवर्धन तथा श्रमिक कल्याण उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को केंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु स्थित अपने प्रधान कार्यालय के साथ कार्य करता है। बालेहोन्नुरू, जिला चिकमगलुरू, कर्नाटक में केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) अनुसंधान विभाग का मुख्यालय है जिसका चेट्टल्ली (कर्नाटक) में एक उप–केंद्र भी स्थित है तथा चुंडले (केरल), थांडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) और दीफू (असम) में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। विस्तार नेटवर्क, पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर–पारंपरिक क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैला हुआ है।

(ii) कॉफी क्षेत्र: पारंपरिक क्षेत्रों में लगभग 4.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को कवर करते हुए, जो कुल उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, कॉफी की खेती की जाती है।

आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर–पारंपरिक क्षेत्रों में और कुछ सीमा तक उत्तर–पूर्वी राज्यों नामतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में आदिवासी विकास और वनीकरण पर बल देते हुए कॉफी की खेती की जाती है। देश में कॉफी लगभग 3.80 लाख जोत–भूमि हैं, जिनमें से लगभग 3.77 लाख जोतभूमि (99%) में छोटे उत्पादकों की श्रेणी (10 हेक्टेयर तक) के तहत आता है और कुल भूमिक्षेत्र का शेष 1%, 10 हेक्टेयर से अधिक

आकार वाले बड़े उत्पादकों की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

(iii) कॉफी उत्पादन:वर्ष 2019–20 के लिए कॉफी उत्पादन का अंतिम अनुमान 2,98,000 मीट्रिक टन है जिसमें 87,000 मीट्रिक टन अरबिका और 2,11,000 मीट्रिक टन रोबस्टा शामिल है। वर्ष 2020–21 के लिए कॉफी उत्पादन का मानसून–पूर्व अनुमान 3,50,000 मीट्रिक टन माना गया है।

भारत में कॉफी का उत्पादन

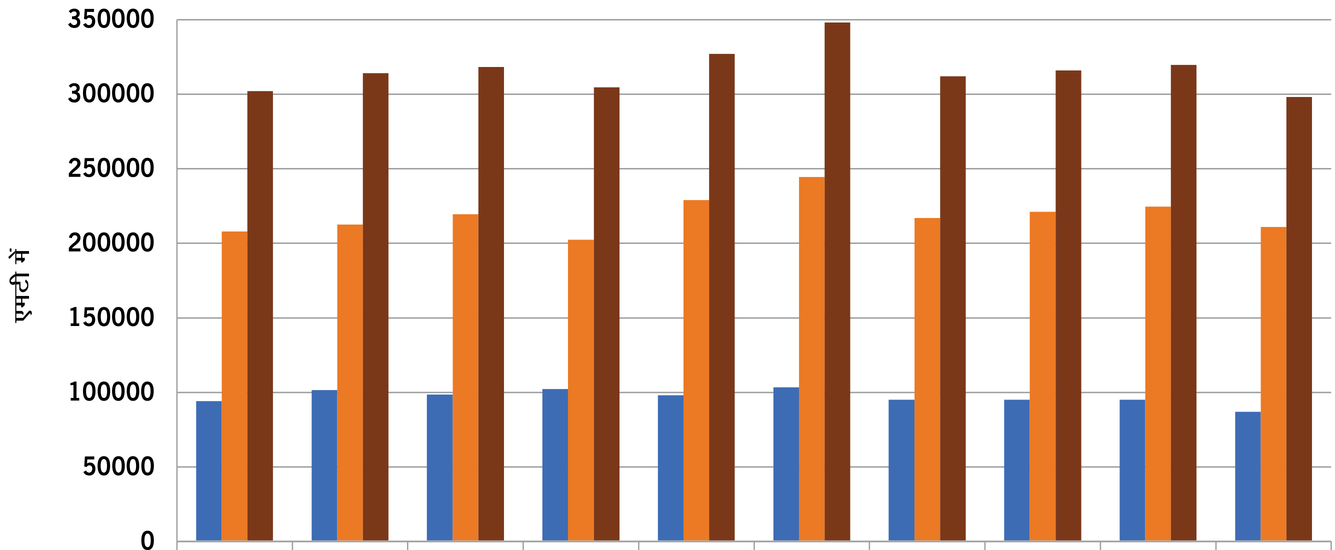

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
अरेबिका	94,140	1,01,500	9,86,00	1,02,200	98,000	1,03,500	95,000	95,000	95,000	87,000
रोबस्टा	2,07,860	2,12,500	2,19,600	2,02,300	2,29,000	2,44,500	2,17,000	2,21,000	2,24,500	2,11,000
कुल	3,02,000	3,14,000	3,18,200	3,04,500	3,27,000	3,48,000	3,12,000	3,16,000	3,19,500	2,98,000

(iv) उत्पादन: वर्ष 2019–20 के दौरान कॉफी की कुल उत्पादकता 713 किलोग्राम / हेक्टेयर है। अरेबिका की उत्पादकता 427 किलोग्राम / हेक्टेयर है और रोबस्टा की उत्पादकता 983 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अरेबिका के मामले में 577 किलोग्राम / हेक्टेयर और रोबस्टा में 986 किलोग्राम / हेक्टेयर के साथ, पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में, उत्पादकता 830 किलोग्राम / हेक्टेयर के समग्र औसत के साथ अधिक है।

(v) कॉफी का निर्यात: कॉफी मुख्य रूप से एक निर्यात उन्मुख वस्तु है और वर्तमान में देश के 75% उत्पादन का निर्यात किया जाता है जबकि शेष का घरेलू बाजार में उपभोग किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत ने 3,27,413 मीट्रिक टन कॉफी (पुन: निर्यात सहित) का निर्यात किया जिसका मूल्य 5,214.65 करोड़ रूपये (741.45 मिलियन यूएस डॉलर) था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 3,53,853 मीट्रिक टन कॉफी का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 5,905.59 रूपये (848.86 मिलियन यूएस डॉलर) था। चालू वर्ष (अप्रैल –अक्टूबर 2020) के दौरान, कॉफी का निर्यात 1,84,505 मीट्रिक टन था, जिसका मूल्य 2899.74 करोड़ रूपये (385.92 मिलियन यूएस डॉलर) था।

(vi) मूल्यवर्धित कॉफी का निर्यात: मूल्यवर्धित कॉफी के निर्यात में वर्ष 2003–04 की अवधि के दौरान 44,764 मीट्रिक टन के स्तर से महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और कुल कॉफी निर्यात में लगभग 19% की हिस्सेदारी के साथ वर्ष 2019–20 में कॉफी का निर्यात 1,17,245.50 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है जो कि कुल कॉफी निर्यात का लगभग 36% है। वर्ष 2019–20 (अप्रैल से अक्टूबर 2020) की अवधि के दौरान मूल्य वर्धित कॉफी का निर्यात इसी अवधि के दौरान कुल कॉफी निर्यात के लगभग 30% हिस्से के साथ 56,076 मीट्रिक टन था।

(vii) कॉफी अनुसंधान: अक्टूबर, 2020 तक अनुसंधान और उद्योग की सहायक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त कुछ प्रमुख परिणाम नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

- वर्ष 2020–21 मौसम के दौरान, 95 लाभार्थियों को 28,320 उत्कृष्ट क्लोनी सैपलिंग की आपूर्ति की गई है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान, कॉफी उत्पादकों को 13,854 किलोग्राम अरबिका और 3,168 किलोग्राम रोबस्टा सहित कुल 17,022 किलोग्राम उन्नत बीज की आपूर्ति की गई। चालू वर्ष (2020–21) के दौरान, बीज तैयारी गतिविधि अभी शुरू हुई है

और मार्च, 2021 तक 12 मीट्रिक टन का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

- वर्ष 2019–20 के दौरान, मृदा, पत्ती और कृषि–रसायन विश्लेषण के माध्यम से उत्पादकों को सलाहकार सेवा समर्थन के तहत कुल 6135 नमूनों का विश्लेषण किया गया और उत्पादकों को परामर्श पत्र जारी किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान, 414 उत्पादकों से प्राप्त कुल 1,292 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया और अक्टूबर, 2020 के अंत तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उर्वरक की अनुशंसाएं जारी की गईं।
- मृदा विश्लेषण आधारित उर्वरक अनुशंसाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में छह जागरूकता अभियान चलाए गए। चूंकि फसल की कटाई (दिसंबर–मार्च) के बाद का समय मृदा नमूने लेने का मुख्य मौसम होता है, मार्च, 2021 के अंत तक कुल 75 ऑन–स्पॉट मोबाइल परीक्षण अभियान संचालित किए जाने का लक्ष्य है।
- कॉफी सफेद स्टेम बोरर के प्रबंधन के लिए उपाय को लोकप्रिय बनाने के लिए, स्टेम को नॉन–वूबेन फैब्रिक सामग्री के साथ स्टेम रैपिंग को महत्व देते हुए तीन ऑन–फार्म (खेत स्थल पर) प्रदर्शन किए गए थे। साथ ही, 100 कॉफी उत्पादकों को कवर करते हुए चिकमगलूरु जिले में विशालकाय अफ्रीकी घोंघा के प्रबंधन पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- चार्जिंग प्रणाली के तहत, कॉफी बोर्ड के अनुसंधान विभाग ने निम्नलिखित प्रोपराइटरी फॉर्मूलेशन के मूल्यांकन के लिए चालू वर्ष के दौरान नए परीक्षण किए हैं।
    - रोबस्टा कॉफी पर पेप्टो की जैव–प्रभावकारिता (वर्ष 2019–20 से वर्ष 2020–21 तक 2 वर्ष की अवधि); परियोजना लागत – 2.5 लाख रुपये।
    - अरबिया और रोबस्टा कॉफ़ी (2019–20 से 2020–21) की उपज और गुणवत्ता पर महालाबाह (पोटेशियम स्कोनाइट) का मूल्यांकन; परियोजना लागत – 4.0 लाख रूपये।
    - एचवाईटीबी का मूल्यांकन (रोबस्टा कॉफी की उपज और गुणवत्ता पर एमीनो–एसिड–आधारित पदार्थ (2020–21 और 2021–22); परियोजना लागत –4.0 लाख रूपये।

(viii) विस्तार और विकास सहायता

- हितधारकों के लिए, मौसमी आवश्यकता के अनुसार कॉफी की खेती के चुनिंदा विषयों पर कुल छह वेबिनार आयोजित किए गए हैं और कुल 440 उत्पादकों को लाभ हुआ है। दिनांक 31 मार्च 2021 तक आठ और वेबिनार निर्धारित हैं।
- विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों अर्थात् प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्रों (टीईसी), ग्राम–स्तरीय कार्यशालाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कॉफी की खेती पर प्रशिक्षण के अंतर्गत लगभग 2,251 कॉफी उत्पादकों को कवर किया गया है।
- विस्तार क्षेत्र के अधिकारियों ने कॉफी के किसानों को एसएमएस के माध्यम से 2,800 परामर्श प्रदान किए, 1,900 प्रदर्शनों, 80 ग्राम–स्तरीय कार्यशालाओं, 5 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया, 1,500 फसल अनुमान दौरे किए, 3,200 सब्सिडी निरीक्षण, फसल क्षति सर्वेक्षण और कॉफ़ी कनेक्ट ऐप का उपयोग करते हुए कॉफी संपदा से संबंधित अन्य दौरों का आयोजन किया।
- चालू वर्ष के दौरान, एकीकृत कॉफी विकास योजना (आईसीडीपी) के तहत, अक्टूबर 2020 तक कॉफी हितधारकों को निम्नलिखित विकास सहायता प्रदान की गई:
- 2,061.94 हेक्टेयर क्षेत्र को पुनःरोपण / नए रोपण के तहत लाया गया है।
    - जल सुधार के तहत 778 इकाइयों और गुणवत्ता सुधार के तहत 50 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।
    - इको–सर्टिफिकेशन के तहत 5 कॉफी उत्पादकों को सहायता दी गई।
    - 2,430 जनजातीय उत्पादकों को कवर करते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के साथ कॉफी बोर्ड, कर्नाटक के चामराजनगर, कोडागु और चिक्कमगलुरु जिलों में आदिवासियों द्वारा उत्पादित ''कॉफी और काली मिर्च के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम'' परियोजना को लागू कर रहा है।

(ix) निर्यात संवर्धन

- दिनांक 10 से 14 अगस्त 2020 के दौरान फिक्की द्वारा आयोजित "प्रथम भारत वर्चुअल एफएमसीजी आपूर्ति श्रृंखला एक्सपो 2020" में भाग लिया।
- 22 जुलाई से 21 अक्टूबर 2020 तक सीआईआई द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी (फूडप्रो एंड फूड एंड बेव टेक की एक पहल) आई–एफपीटी एक्सपो 2020 में भाग लिया।
- संबंधित भारतीय दूतावास के सहयोग से एपीडा, नई दिल्ली द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को जीआई उत्पादों के लिए आयोजित यूएई और यूएसए के साथ वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक में भाग लिया गया।

(x) बाजार विकास

कोविड–19 से संबंधित प्रतिबंध के कारण 'कापी शास्त्र' जो एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है इस वर्ष नवंबर तक आयोजित नहीं किया जा सका था। कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला सत्र दिसंबर 2020 में निर्धारित किया गया और इसके बाद जनवरी से मार्च 2021 तक दो और सत्र आयोजित किए जाएंगे।

(xi) कॉफी बोर्ड की अभिनव पहलें

- **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत कॉफी की गुणवत्ता और निर्यात प्रमाणन के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना की स्थापना**

कॉफी बोर्ड ने निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत कॉफी की गुणवत्ता और निर्यात प्रमाणन के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना की स्थापना की। उक्त प्रयोगशाला अवसंरचना की स्थापना कॉफी प्रसंस्करण और विनिर्माण में शामिल घरेलू कंपनियों के प्रमाणन और आयातक देशों के मानकों को पूरा करने के लिए निर्यात खेपों के प्रमाणन के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला को जून 2020 से पूरी तरह कार्यशील बना दिया गया है।

- **भारत की कॉफी के जीआई पंजीकरण का संवर्धन, प्रवर्धन और विपणनयोग्यता**

कॉफी बोर्ड ने सफलतापूर्वक पांच अद्वितीय क्षेत्रीय कॉफ़ी नामतः बाबाबुदंगिरिस अरेबिका, चिक्कमगलुरु अरेबिका, कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी, अरकू वैली अरेबिका और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के लिए सफलतापूर्वक भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्राप्त किया है।

(ग) प्राकृतिक रबर (एनआर) क्षेत्र

(i) रबर बोर्डः रबर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन रबर अधिनियम, 1947 की धारा 4 के तहत किया गया है तथा यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। बोर्ड का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष करता है और इसमें 29 सदस्य होते हैं जो प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों जैसे कि रबर का बढ़ता क्षेत्र, रबर निर्माण उद्योग, श्रमिक हितों आदि हितों को दर्शाते हैं, इसमें प्रमुख रबर उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि और कार्यकारी निदेशक सहित संसद सदस्य (दो) (लोक सभा और राज्य सभा से) शामिल होते हैं। बोर्ड की कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां कार्यकारी निदेशक के पास निहित हैं। बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक और विनियामक कार्यों को बोर्ड द्वारा प्राकृतिक रबर (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों की सहायता और प्रोत्साहन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबर के आंकड़ों को बनाए रखना, रबर के विपणन को बढ़ावा देना और श्रम कल्याण गतिविधियों का आयोजन करना शामिल है। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई), जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, कोट्टायम, केरल में स्थित है और देश के विभिन्न रबर उत्पादक राज्यों इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस) में स्थित हैं। आरआरआईआई ने देश में प्राकृतिक रबर के जैविक और तकनीकी सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियां आयोजित की हैं। बोर्ड का एक प्रशिक्षण विभाग अर्थात रबर प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) भी है जो कोट्टायम में स्थित है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बीच लिंक के रूप में कार्य करता है। रबड़ बोर्ड को उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण, विपणन और उपभोग क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्राकृतिक रबर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास का अधिदेश मिला है और यह रबर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ii) प्राकृतिक रबर का उत्पादनः वर्ष 2019 – 20 के दौरान, 7.12 लाख टन प्राकृतिक रबर के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें एक वर्ष पहले उत्पादित 6.51 लाख टन की तुलना में 9.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन में वृद्धि का श्रेय अनेक कारकों जैसे उपयोग किए गए क्षेत्र में 40,000 हेक्टेयर की वृद्धि, वर्षासिंचित क्षेत्र में वृद्धि, उपयोग न किए गए लगभग 4000 हेक्टेयर में उपज, पिछले वर्ष की तुलना में अनुकूल जलवायु, रबर की अपेक्षाकृत उच्च कीमतें और केरल सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान 150 रूपये प्रति किलोग्राम का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ की गई रबर उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम (आरपीआई) की निरंतरता आदि को दिया जाता है।

अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान अनंतिम रूप से 256,000 टन प्राकृतिक रबर के उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में उत्पादित 308,000 टन की तुलना में 16.9% की कमी को दर्शाता है।

(iii) उत्पादकताः उपयोग किए गए क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन के संदर्भ में मापी गई औसत उपज, वर्ष 2019–20 के दौरान 1,459 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही जबकि वर्ष 2018–19 के दौरान यह 1,453 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। उपयोग किए जाने योग्य उपलब्ध क्षेत्र में उपयोग न किए गए क्षेत्र का भाग वर्ष 2018–19 के 29.8% से कम होकर वर्ष 2019–20 के दौरान 26.4% हो गया। उपयोग किए गए क्षेत्र की सीमा वर्ष 2018–19 के 448,000 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 488,000 हेक्टेयर हो गई।

(iv) प्राकृतिक रबर की खपतः देश में वर्ष 2019 20 में 11,34,120 टन प्राकतिक रबर की खपत हुई जो जो 2018–19 के दौरान 12,11,940 टन की खपत से 6.4% कम है। ऑटो टायर क्षेत्र में वर्ष 2019–20 के दौरान 12.5% की कमी दर्ज की गई, जबकि 2018–19 के दौरान इसमें 11.9% की उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी दौरान, वर्ष 2019–20 के दौरान सामान्य रबर सामग्री क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें वर्ष 2018–19 के दौरान 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2019–20 के दौरान देश में प्राकृतिक रबर की खपत की कुल मात्रा का 66.7 प्रतिशत ऑटो–टायर विनिर्माण क्षेत्र में किया गया।

अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान प्राकृतिक रबर की खपत 434,460 टन है, जो अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान 567,120 टन की खपत की तुलना में 23.4% की कम है।

(v) प्राकृतिक रबर का आयातः वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष आयात किए गए 582,351 टन की तुलना में देश में वर्ष 2019–20 के दौरान 457,223 टन प्राकृतिक रबर का आयात किया गया। वर्ष 2019 20 के दौरान प्राकृतिक रबर का आयात 696. 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर (4,926.60 करोड़ रुपये) है। अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान प्राकृतिक रबर का आयात 183,805 टन था, जबकि अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान यह 257,943 टन था।

(vi) प्राकृतिक रबर का निर्यातः एनआर का निर्यात वर्ष 2019–20 के दौरान प्राकृतिक रबर का निर्यात एक वर्ष पहले के 4,551 की तुलना में 12,872 टन हो गया। मूल्य के संदर्भ में, देश ने प्राकृतिक रबर के निर्यात से वर्ष 2019–20 के दौरान 21.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर (154.40 करोड़ रूपये) का अर्जन किया। प्राकृतिक रबर का निर्यात मुख्य रूप से ब्लॉक रबर (91%) के रूप में था और इसके लिए प्रमुख गंतव्य देश ईरान था। अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान प्राकृतिक रबर का निर्यात 1,895 टन (अनंतिम) था जबकि अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान 3,766 टन निर्यात हुआ था।

(vii) स्कीमः सरकार द्वारा 721.98 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ मध्यावधि ढांचा (2017–18 से 2019–20) के लिए प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास को अनुमोदित किया गया था। इस स्कीम को वर्ष 2020–21 के दौरान भी जारी रखा जा रहा है।

(viii) वर्ष 2020–21 के दौरान (अक्टूबर, 2020 तक) प्रमुख गतिविधियां

- रबर के नए रोपण और पुनःरोपण के लगभग 6,500 हेक्टेयर क्षेत्र को आरपीडीईटीएनटी स्कीम के तहत लाया गया और जनजातीय विकास के तहत 916.38 हेक्टेयर रबर बागानों के रखरखाव को जारी रखा।
- रबड़ बोर्ड की नर्सरी ने उत्पादकों को लगभग 1.92 लाख गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री वितरित की और अच्छी कृषि परिपाटियों को अपनाने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25,000 हेक्टेयर को लक्षित करते हुए वर्षा–सिंचित सब्सिडी योजना लागू की।
- उपयोग न किए गए क्षेत्र को उपयोग के तहत लाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा संवर्धित कंपनियों और आरपीएस के माध्यम से 10,600 हेक्टेयर में रबर बागान को अपनाने को बढ़ावा देना।
- किसान शिक्षा और कौशल विकास के हिस्से के रूप में, बोर्ड ने 11,095 उत्पादकों / प्रयोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, सेमिनार, प्रदर्शन कार्यक्रम आदि आयोजित किए। इसके अलावा, बोर्ड ने स्व–उपयोग को बढ़ावा दिया और रबर क्षेत्र की स्थिरता के लिए 16,477 उत्पादकों / प्रयोक्ताओं को लाभान्वित करने वाले जन संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- रबर बोर्ड ने एमजीएनआरईजीएस संसाधनों का उपयोग करके रबर बागान और अन्य सांस्कृतिक प्रचालनों को विकसित करने के लिए रबर उत्पादकों को सहायता प्रदान की और 11,426 उत्पादकों को लाभान्वित किया।
- उत्पादकों और प्रयोक्ता को सशक्त बनाने के भाग के रूप में, बोर्ड ने 15 रबर उत्पादक समितियों, स्व–सहायता समूहों और टैपर्स बैंक को बढ़ावा दिया तथा 3,000 आरपीएस और 382 समूह प्रसंस्करण केंद्रों की गतिविधियों का नियमित रूप से निगरानी/समर्थन किया।
- रबर बोर्ड ने 150 रूपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (आरपीआईएस) के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार को तकनीकी और मानव संसाधन सहायता प्रदान की तथा अक्टूबर, 2020 तक मूल्य प्रोत्साहन के रूप में रबर उत्पादकों को 207.86 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए बिक्री बिलों की पुष्टि की।

(ix) वर्ष 2020–21 के दौरान (अक्टूबर, 2020 तक) प्रशिक्षण

- योजनागत स्कीम के तहत, रबर उद्योग मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों से 4,000 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,238 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 75 बैचों और दस वेबिनारों का आयोजन किया गया।
- प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार, प्रदर्शन में सुधार के

लिए वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, उत्पादकता बढ़ाने, शीट रबर प्रसंस्करण और ग्रेडिंग, सहायक आय सृजन गतिविधियों पर फोकस के साथ स्थान विशिष्ट विषयों पर 1,552 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए पारंपरिक, गैर–पारंपरिक और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 20 ऑनलाइन आउटस्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- शिक्षा विकास कार्यक्रमों के तहत, आरटीआई ने व्यावसायिक शिक्षा स्नातक छात्रों को रबर प्रोद्योगिकी में मूल्यांकन सहित पाठ्यचर्या संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया तथा साथ ही, मैसर्स विमल ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नूर के बी. टेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के छात्रों और संकाय के लिए, केंद्रीय सरकार के उन्नत भारत अभियान (यूबीए) स्कीम के तहत ''रबर ग्लव्स मैन्यूफैक्चरिंग'' पर उनकी परियोजना के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन भी किया। इसके अलावा, रबर बोर्ड ने व्यावसायिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए एमजी यूनिवर्सिटी के अधीन मैसर्स सेंट डोमिनिक कॉलेज, कंजीरापल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- रबड़ प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) ने कोविड–19 महामारी की अवधि के दौरान क्षेत्र को जीवंत बनाए रखने और उत्पादकों को प्रेरित करने के लिए प्रौद्योगिकी पहल की और हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया।
- केरल में एनआरआई के लिए रबर क्षेत्र में 50 प्रतिभागयों को लाभान्वित करते हुए एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन किया तथा मैसर्स केआईईडी और जिला सूचना केंद्र, केरल के सहयोग से 100 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए एक अन्य ईडीपी का आयोजन किया गया।
- मैसर्स रबर इंजीनियर, त्रिशूर को "चिकित्सा क्षेत्र के लिए लेटेक्स डिप्ड उत्पाद" के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- "शुष्क रबर सामग्री (डीआरसी) का परीक्षण" पर प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद रबड़ बोर्ड द्वारा संवर्धित कंपनियों से बारह परीक्षण कर्मियों और बोर्ड के सात कर्मचारियों को प्रमाणित किया। इसके अलावा, आरटीआई ने एनई और एनटी क्षेत्रों में बोर्ड के विस्तार अधिकारियों को कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवगत कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया ताकि रबर क्षेत्र के हितधारकों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के 291 एससी लाभार्थियों और 594 एसटी लाभार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- रबर की खेती करने वाले समुदाय के लाभ के लिए सहायक आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी–पालन में एक वर्ष के प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए 17 क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत 17 आरपीएस के लक्ष्य के सापेक्ष 9 आरपीएस (115 उम्मीदवारों) से सहमति प्राप्त की।

(x) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

- "प्राकृतिक रबर के दस्तानों का विनिर्माण: संभावनाएं और समस्याएं" पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें मैसर्स भारतीय रबर संस्थान (आईआरआई) के सहयोग से लेटेक्स के दस्ताने के विनिर्माण के सभी पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें 37 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 137 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।
- थाटून, म्यांमार में मैसर्स इंडो – म्यांमार के म्यांमार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर (आईएमआईटीसी) की स्थापना के संबंध में मैसर्स एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड और मेसर्स सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के साथ सहयोगात्मक परियोजना आरम्भ की गई और साथ ही, आईएमआईटीसी में उपकरण और मशीनरी संस्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

(xi) वर्ष 2020–21 के दौरान (अक्टूबर, 2020 तक) अनुसंधान उपलब्धियां

- त्रिपुरा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब ने दिनांक 12 फरवरी, 2020 को अगरतला में आयोजित अनुसंधान एवं विकास समिति की बैठक के अवसर पर विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकसित वाणिज्यिक खेती के लिए आधिकारिक तौर पर एक उच्च उपज और शीत सहिष्णु क्लोन आरआरआईआई 429 जारी किया।
- त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए भू–संदर्भित डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्र और ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा तैयार करने के लिए मृदा नमूनों का संग्रह और विश्लेषण करना। त्रिपुरा राज्य के लिए 13 उर्वरता मानकों के लिए मृदा उर्वरता मानचित्र पूरे हो चुके हैं।
- रबर उत्पाद उद्वन केंद्र (आरपीआईसी): बोर्ड ने भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) में आरपीआईसी की स्थापना करते हुए आगामी उद्यमियों के नवविचारों को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद, मैसर्स केएसआईडीसी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और तदनुसार, बोर्ड ने आरआरआईआई में दिनांक 10.06.2020 पर रबर उद्योग मूल्य श्रृंखला में उद्यमियों के नवाचारों और विचारों के इन्क्यूवेशन और विकसित करने के लिए आरपीआईसी

चालू किया गया। नव–स्थापित रबर उत्पाद उद्वन केंद्र में आठ उद्यमियों ने पंजीकरण किया।

- केरल के आठ जिलों के रबर बागानों के लैंडस्लाइड ज़ोनेशन मानचित्र तैयार किए गए और उच्च जोखिम वाली श्रेणी की पंचायतों का निरूपण किया जा रहा है।
- ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसा तैयार करने के लिए आईआईआईटीएमके को मेघालय के मृदा उर्वरता मानचित्र संप्रेषित किए गए। पूर्वोत्तर में विभिन्न राज्यों में उर्वरता की कमी भिन्न–भिन्न है। त्रिपुरा की मृदा में माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक की कमी थी, जबकि मेघालय की मृदा में बोरोन की कमी थी, जो साइट–विशिष्ट उर्वरक अनुप्रयोग की आवश्यकता पर बल देता है।
- वर्ष 2019 के दौरान मलेशिया से तीन आयातित क्लोन (पीबी 280, पीबी 314 और पीबी 255) को पारंपरिक रबर उत्पादक क्षेत्रों में वाणिज्यिक रिलीज के लिए श्रेणी I में अपग्रेड किया गया था। वर्ष 2019 के दौरान कोटे डी'आइवर (आईआरसीए 130 और आईआरसीए 111) से आयातित अन्य दो क्लोनों को श्रेणी II (वाणिज्यिक रिलीज से पहले चरण) में अपग्रेड किया गया था।
- सेटेलाइट डेटा का उपयोग करते हुए, आरआरआईआई ने असम (2018), कर्नाटक (2019), तमिलनाडु (2019) और केरल के छह जिलों (2019) में रबर बागान के तहत क्षेत्रफल के आकलन को अद्यतन किया। इसके अलावा, त्रिपुरा, कर्नाटक और असम में रबर की खेती में स्थानिक–लौकिक परिवर्तनों की निगरानी की गई है जहाँ जलवायु, आर्थिक और मानवजनित कारणों से हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर क्षेत्र का विस्तार हुआ है।
- मत्स्यपालन, बकरी पालन, विभिन्न उष्णकटिबंधीय फलों आदि को एकीकृत करते हुए त्रिपुरा और केरल में रबर आधारित होम्स्टेड कृषि मॉडल स्थापित किए गए।
- टायर और गैर–टायर क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए सिलिका मास्टर–बैच तैयार करने के लिए एक संभावित ऊर्जा–बचत विधि का मानकीकरण किया गया और साथ ही, कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता की शीट बनाने के लिए प्रसंस्करण और परिपक्वता समय को कम करने के लिए एक नए स्कंदक का अभिनिर्धारण किया गया।
- अमोनिया संरक्षित लेटेक्स से अच्छी गुणवत्ता की शीट रबर का उत्पादन करने के लिए एक विधि विकसित की है जो कि छोटे पणधारियों के लिए उपयोगी है तथा लेटेक्स में शुष्क रबड़ सामग्री का आकलन करने के लिए एक त्वरित और सटीक विधि है और क्षारीय पीएच में लेटेक्स के स्कंदन के लिए एक नई तकनीक है।
- एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 24 रबर उत्पादों के लिए फॉर्मूलेशन विकसित किए गए। उत्पादों के विनिर्माण के लिए पांच एमएसएमई ग्राहकों को प्रशिक्षण दिया गया और एमएसएमई क्षेत्र के 1296 क्लाइंटों को परामर्श सेवाएं प्रदान की गई।

(xii) वर्ष 2020–21 के दौरान (अक्टूबर, 2020 तक) किए गए निर्यात संवर्धन उपाय

- **व्यापार सूचना पोर्टल** : बोर्ड द्वारा होस्ट किया गया व्यापार सूचना पोर्टल www.indiannaturalrubber.com अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रबर के निर्यातकों को वेब सक्षम सहायता प्रदान करता है। इस वेबसाइट में "वर्चुअल ट्रेड फेयर" लिंक भारत में प्राकृतिक रबर के सभी निर्यातकों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय खरीददार इस वेबसाइट में प्राकृतिक रबर के निर्यातकों के संपर्क विवरण तक पहुंच सकते हैं और यह "भारतीय प्राकृतिक रबर" ब्रांड के तहत निर्यात किए गए रबर की ट्रैकिंग प्रणाली भी प्रदान करता है।
- **प्राकृतिक रबर की ब्रांडिंग का संवर्धन करना**: विदेश व्यापार नीति के अनुरूप, रबर बोर्ड "भारतीय प्राकृतिक रबड़" ब्रांड के तहत प्राकृतिक रबर के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। रबर की ब्रांडिंग भारतीय बाजार में भारतीय प्राकृतिक रबर को इसकी प्रभेदित गुणवत्ता विशेषताओं के साथ विभेदित के उद्देश्य से की गई है। क्योंकि भारतीय निर्यातकों को मूल्य में कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है, ब्रांडिंग, 'गुणवत्ता की अनुरूपता' के विशिष्ट बिक्री कथन के साथ, प्रमुख खरीद बाजारों में इनकी उपस्थिति को बनाए रखने में मदद करती है।
- **भारतीय प्राकृतिक रबर के निर्यात के लिए प्रोत्साहन स्कीम**: पण्य वस्तु निर्यात प्रोत्साहन स्कीम में आईटीसीएचसी कोड 40012100 एवं 40012200 शामिल किए गए हैं। बोर्ड 0.20 रूपये प्रति किलोग्राम शुष्क रबर सामग्री (डीआरसी) की दर पर आईटीसीएचसी कोड 40012100 एवं 40012200 के साथ 'भारतीय प्राकृतिक रबर' ब्रांडेड संकेंद्रित लेटेक्स के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम का संचालन कर रहा है।

(xiii) वर्ष 2020–21 के दौरान (अक्टूबर, 2020 तक) बोर्ड द्वारा की गई अन्य प्रमुख पहलें

- **मध्यावधि व्यय ढांचा (एमटीईएफ) स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन**: रबर बोर्ड की एमटीईएफ स्कीम के मूल्यांकन के लिए भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव, श्री के. चंद्रशेखर, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 12 विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया था। यह रिपोर्ट दिसंबर, 2019

में वाणिज्य विभाग को सौंपी गई। बोर्ड ने मूल्यांकन रिपोर्ट में टिप्पणियों और अनुशंसाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 3,160 उत्पादकों को कवर करते हुए एक क्षेत्र सर्वेक्षण भी किया।

- **एएनआरपीसी की वार्षिक बैठकें:** दिनांक 7 से 11 अक्टूबर, 2019 के दौरान याग्याकार्टा, इंडोनेशिया में वर्ष 2019 के लिए एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज (एएनआरपीसी) की वार्षिक बैठकें आयोजित की गईं और भारत का एक प्रतिनिधिमंडल बैठकों में शामिल हुआ। वर्ष 2020 के लिए एएनआरपीसी की वार्षिक बैठकें नवंबर, 2020 के दौरान वर्चुअल तौर पर आयोजित की गईं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठकों में भाग लिया।

- **भारतीय रबर बैठक (आईआरएम)–2020:** रबर बोर्ड ने रबर क्षेत्रों में सभी हितधारक संघों के साथ साझेदारी में, दिनांक 28 और 29 फरवरी, 2020 को चेन्नई के महाबलीपुरम में भारतीय रबर बैठक, जो कि एक द्विवार्षिक बैठक है, के पांचवा संस्करण का आयोजन किया। इस बैठक का विषय "नवाचार के माध्यम से रबर पुनरुत्थान" और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा भाषण, पैनल चर्चा और हितधारकों द्वारा अनुभव का आदान–प्रदान शामिल थे। भारत रबर बैठक फोरम को चैरिटेबल सोसायटी अधिनियम के तहत सितंबर, 2019 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- **वस्तु बोर्डों की गुणवत्ता और उत्पादकता पर अध्ययन:** मैसर्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस), त्रिवेंद्रम द्वारा रबर बोर्ड की गुणवत्ता और उत्पादकता पर एक अध्ययन तैयार किया गया।

- **रबर उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम (आरपीआईएस):** इस स्कीम को केरल सरकार द्वारा आरपीएस के माध्यम से रबर बोर्ड के सहयोग से वर्ष 2015–16 में शुरू किया गया था जो अब परिचालन के पांचवें चरण में है। बोर्ड लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है और धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत लगभग 5 लाख रबर उत्पादकों का पंजीकरण किया गया है और अब तक लगभग 1,600 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(xiv) संचालित की गई ई–गवर्नेंस गतिविधियां

- पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में धनराशि का अंतरण।
- प्राकृतिक रबर के आयात के लिए अनापत्ति–प्रमाणपत्र (एनओसी) की प्रोसेसिंग और रिलीज।
- प्राकृतकि रबर के निर्यातकों के लिए पंजीकरण–सह–सदस्यता–प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करना।
- रबर उत्पाद विनिर्माताओं / डीलरों / प्रोसेसरों को लाइसेंस जारी करना।
- व्यापार सूचना पोर्टल, प्राकृतिक रबर से संबंधित व्यापार की सभी जानकारी प्रदान करता है।
- रबर उत्पाद विनिर्माताओं, डीलरों, प्रोसेसर और सम्पदा के सांख्यिकीय विवरणी की ई–फाइलिंग।
- आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अंग्रेजी और मातृभाषाओं में हितधारकों को सूचना का प्रसार।

- ऑनलाइन रबर क्लिनिक वेबसाइट जो रबर बागानों में कीटों और बीमारियों के लिए वन स्टॉप सर्विस डिलीवरी स्थल प्रदान करती है जहां उत्पादक सहायक मोड या स्व–निदान मोड में रोग के चित्रों को अपलोड कर सकते हैं।
- रबड़ अनुसंधान के क्षेत्र में "rubberscience.in" पोर्टल का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रकाशन।
- वेब आधारित रबर मृदा सूचना प्रणाली (आरयूबीएसआईएस) जो मृदा उर्वरता की जीआईएस आधारित स्थिति और उर्वरक अनुशंसा प्रणाली का अनुरक्षण करती है।
- अभियान 2020 के लिए वेब आधारित एप्लीकेशनः क्षेत्र कार्यालय स्तर से व्यापक डाटा प्राप्त करना और फील्ड / क्षेत्रीय कार्यालय की जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार तथा अभियान के माध्यम से उत्पादकों के बीच स्वतः और कम आवृत्ति प्रयोग को बढ़ावा देना।
- हितधारकों के लिए मोबाइल ऐप।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रबर की दैनिक कीमतों को जानने के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए मासिक आधार पर पालन की जाने वाली कृषि परिपाटियों, बोर्ड द्वारा जारी समाचारों और अलर्टों के साथ–साथ अवस्थिति सहित कार्यालयों के संपर्क विवरण के लिए रबर किसान मोबाइल ऐप विकसित की गई है।
- आरयूबीएसआईएस मोबाइल ऐपः यह जीआईएस किसी उत्पादक की जोतभूमि के लिए अपेक्षित रासायनिक उर्वरकों के इष्टतम मिश्रण और मात्रा का पता लगाने के लिए स्वतः खेत से मृदा मिट्टी में 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मृदा उर्वरता स्थिति के सूचक को सक्षम करता है।

(घ) मसाला क्षेत्र

(i) मसाला क्षेत्रः मसाला बोर्ड का गठन दिनांक 26 फरवरी, 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। मसाला बोर्ड में 31 सदस्य होते हैं और बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष (गैर–सरकारी) द्वारा किया जाता है और सचिव इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है, इस बोर्ड का प्रधान कार्यालय केरल में कोच्चि में स्थित है। मसाला बोर्ड इलायची उद्योग के समग्र विकास और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित 52 मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के कार्यों में अनुसंधान और विकास, छोटी और बड़ी इलायची का घरेलू विपणन, मसालों के निर्यात का संवर्धन, विकास, विनियमन तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण, कटाई की गुणवत्ता में सुधार और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में जैविक मसालों का विकास शामिल हैं। बोर्ड, मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करने और इलायची के डीलरों और नीलामीकर्ताओं के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकारप्राप्त है। बोर्ड ने मूल्य वर्धन के लिए मसालों में अत्याधुनिक प्रसंस्करण के लिए अवसंरचनात्मक सहायता, मसाले के औषधीय गुणों पर अध्ययनों और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, नए उत्पादों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मेलों में भागीदारी, पैकेजिंग, प्रमुख मसाला उत्पादक केंद्रों में मसाला पार्क स्थापित करना तथा किसानों और निर्यातकों के बीच सीधे बाजार संबंध स्थापित करने के लिए क्रेता–विक्रेता बैठकों की व्यवस्था जैसे कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरूआत की है। अनुज्ञप्तिधारी/पंजीकृत इलायची नीलामीकर्ता और डीलर, बोर्ड द्वारा स्थापित ई–नीलामी केंद्रों पर इलायची ई–नीलामी के माध्यम से घरेलू विपणन की सुविधा प्रदान करते हैं।

(ii) भारतीय मसालों की वैश्विक स्थितिः भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है। भारत में वार्षिक रूप से लगभग 100 मिलियन टन मसालों का उत्पादन होता है। भारत से मसालों के कुल उत्पादन के 12% का निर्यात किया जाता है। मसालों के वैश्विक व्यापार में, भारत का हिस्सा मूल्य में 43% और मात्रा में 47% है। भारत, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, सौंफ जैसे प्रमुख मसालों तथा मसाला तेल, ओलियोरेजिन और करी पाउडर जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन और निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी है।

(iii) वर्ष 2020–21 के दौरान (अप्रैल–अगस्त) निर्यात निष्पादनः कोविड–19 महामारी के प्रकोप और वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिणामी मंदी के बावजूद, वर्ष 2020–21 के दौरान भी भारत से मसालों का उत्तरोत्तर निर्यात जारी रहा है। अप्रैल–अगस्त, 2020 के दौरान, देश से कुल 1,0001.61 करोड़ रूपये (1326.03 मिलियन यूएस डॉलर) के मूल्य के 5,70,000 टन मसाले और मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया जबकि अप्रैल–अगस्त, 2019 के दौरान, कुल 8858.07 करोड़ (1270.77 मिलियन यूएस डॉलर) के 4,94,120 टन मसालों का निर्यात किया गया था, जिसमें मात्रा के संदर्भ में 15%, रुपये के मूल्य के संदर्भ में 13% और डॉलर के संदर्भ में 4% की वृद्धि हुई। देश से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं मिर्च, हल्दी, अदरक, जीरा और पुदीना उत्पाद आदि हैं। वर्ष 2020–21 (अप्रैल–अगस्त) के दौरान भारतीय मसालों के निर्यात के प्रमुख गंतव्य स्थल यूएसए, चीन, थाईलैंड, यूएई, मलेशिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, जर्मनी, श्रीलंका, नीदरलैंड, जापान, सिंगापुर, बांग्लादेश और फ्रांस हैं।

(iv) इलायची (छोटी और बड़ी) का उत्पादनः वर्ष 2020–21 के दौरान भारत में इलायची (छोटी) के उत्पादन का आरम्भिक अनुमान 319.43 किलोग्राम / हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के साथ 14,820 टन है जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.90% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष

2020–21 के दौरान इलायची (बड़ी) का उत्पादन 278.75 किग्रा / हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के साथ 8725 टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.30: की वृद्धि दर्शाता है।

(v) आयात: भारत वार्षिक रूप से औसतन 2,15,000 टन मसालों का आयात कर रहा है। आयात किए जाने वाले प्रमुख मसाले कैसिया, लौंग, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, खसखस, दगद फूल आदि हैं। आयात मुख्य रूप से सरकार के विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों के तहत मूल्यवर्धन और पुनः निर्यात के लिए होता है। कैसिया, लौंग, खसखस और दगद फूल जैसे मसाले घरेलू खपत के लिए आयात किए जाते हैं, क्योंकि भारत में इन मसालों का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(vi) वर्ष 2020–21 के दौरान (अप्रैल–अक्टूबर) प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां

- वर्ष 2020–21 के दौरान स्कीम अर्थात् मध्यम अवधि ढांचा (एमटीएफ) योजना (2017–18 से 2019–20) के तहत अनुमोदित "मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार तथा इलायची के अनुसंधान एवं विकास के लिए एकीकृत स्कीम" जारी रखी जा रही है।
- कोविड –19 की परिस्थिति ने भौतिक कार्यक्रमों से ऑनलाइन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी और तदनुसार, बोर्ड ने किसानों और उद्योग के अन्य हितधारकों के लिए ऑनलाइन क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएम), प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित किए हैं।
- चालू वर्ष के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़ी इलायची, जायफल, अदरक, काली मिर्च, हल्दी के लिए अब तक छह बीएसएम आयोजित की जा चुकी हैं ताकि प्रत्यक्ष संबंध बनाने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा सके। जम्मू और कश्मीर के राज्य कृषि विभाग के सहयोग से दिनांक 25 नवंबर, 2020 को केसर के लिए एक अन्य बीएसएम का आयोजन किया गया। वर्तमान वर्ष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5 बीएसएम सहित कुल 17 बीएसएम निर्धारित हैं।
- छोटी इलायची के पुनरोपण/पुनउत्पत्ति के लिए 406 हेक्टेयर क्षेत्र और बड़ी इलायची के पुनरोपण के लिए 530 हेक्टेयर को कवर करने के लिए आवेदन संग्रहित किए जा रहे हैं और किसानों को सब्सिडी के भुगतान के लिए प्रोसेस किये जा रहे हैं।
- गुणवत्ता में सुधार के लिए कटाई–उपरांत के कार्यों के मशीनीकरण में किसानों की सहायता के लिए, बोर्ड द्वारा 339 उपकरणों नामतः हल्दी पॉलिशर, हल्दी बॉयलर, काली मिर्च थ्रेशर, बीज मसाला थ्रेशर, पुदीना आसवन इकाइयाँ आदि के लिए सब्सिडी के भुगतान हेतु आवेदन संग्रहित किये हैं।
- मसाला बोर्ड ने सामान्य उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करते हुए मसाला उद्योग, विशेष रूप से कृषक समुदाय के हितधारकों, को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख उत्पादन / बाजार केंद्रों में 8 फसल विशिष्ट मसाला पार्कों की स्थापना और रखरखाव किया है। बोर्ड ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और गुना; केरल के पुट्टडी; राजस्थान के जोधपुर और कोटा; आंध्र प्रदेश के गुंटूर; तमिलनाडु के शिवगंगा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मसाला पार्क स्थापित किए हैं।
- कोचीन, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुंटूर, तूतीकोरिन और कांडला में स्थित बोर्ड की सात गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने वर्ष के दौरान चुनिंदा मसालों की निर्यात खेप के लिए विश्लेषण ात्मक सेवाए और अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करना जारी रखा। कोलकाता में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना पूरी हो गई है। अप्रैल–अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने मसाला नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंगों, कीटनाशक अवशेषों, साल्मोनेला आदि सहित 32,400 मापदंडों का विश्लेषण किया।
- चालू वित्त वर्ष (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान, मसाले के निर्यातक के रूप में कुल 1122 प्रमाणपत्र पंजीकरण और 33 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए गए।
- अप्रैल–अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने निर्यातकों को 1362 स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और 8312 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी की हैं।

(vii) नई पहलें: बोर्ड ने निम्नलिखित सहयोगी परियोजनाओं का शुभारंभ / साझेदारी की है मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए ट्रेसेबिलिटी, स्थिरता, जैव–विविधता और प्रमाणन :

- उद्योग के साथ संयुक्त रूप से आरम्भ और साझेदारी के साथ राष्ट्रीय सतत मसाला कार्यक्रम
- 4 प्रमुख मसालों को कवर करते हुए एसपीएस मुद्दों को संबोधित करने और मसाला मूल्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण के लिए एफएओ के सहयोग से मसालों के लिए मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित एक परियोजना शुरू की गई।
- 5 मसालों को कवर करते हुए क्यूसीआई के सहयोग से 'एईपी के अनुरूप मसालों का निर्यात दोगुना करना और आईएनडीजीएपी प्रमाणन द्वारा किसानों की आय बढ़ाना; शीर्षक से एक परियोजना प्रायोजित और आरम्भ की।
- भारतीय मिर्च उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और मिर्च के निर्यात उन्मुख उत्पादन

के लिए किसानों का समर्थन करने के लिए, मसाला बोर्ड ने सितंबर, 2020 में श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, माननीय सांसद और सदस्य, मसाला बोर्ड की अध्यक्षता में एक 'चिली टास्क फोर्स समिति' का गठन किया है। समिति मिर्च क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक मुद्दों की जांच करेगी तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मिर्च की पूर्ण वाणिज्यिक संभावनाओं के प्रभावी ढंग से उपयोग के लिए अनुशंसाएं देगी।

2. तम्बाकू

तम्बाकू भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। उत्पादन को विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढ़ावा देने तथा आपूर्ति और मांग में असंतुलन के आवर्ती मामलों को नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की गई थी। तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है तथा अध्यक्ष इसके प्रमुख होते हैं।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 देश में तम्बाकू उद्योग के नियोजित विकास पर लक्षित है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में उल्लिखित बोर्ड की विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- भारत और विदेशों में मांग के संबंध में वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन और संसाधन को विनियमित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों (पैककर्ताओं सहित) और तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं और अन्य संबंधित के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना।
- उत्पादकों के स्तर पर तम्बाकू ग्रेडिंग को बढ़ावा देना।
- पंजीकृत उत्पादकों द्वारा वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफार्मों की स्थापना और नीलामी प्लेटफार्मों पर नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करना।
- मौजूदा बाजारों का अनुरक्षण और सुधार तथा भारत के बाहर नए बाजारों का विकास।
- भारत और विदेशों दोनों में वर्जीनिया तंबाकू बाजार की निरंतर निगरानी और उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
- उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए, आवश्यक या समीचीन समझे जाने पर, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ उत्पादकों से वर्जीनिया तंबाकू खरीदना।

(क) विपणन और निर्यात

(i) व्यापारियों का पंजीकरण

तंबाकू बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11–क, 11–ख(i) और 12 के अनुसार कैलेंडर वर्ष के आधार पर व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों का पंजीकरण करता है। तंबाकू बोर्ड अलग–अलग श्रेणियों अर्थात् वर्जीनिया तम्बाकू के प्रोसेसर, वर्जीनिया तम्बाकू के विनिर्माता, तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू के डीलर, तम्बाकू के पैककर्ता और वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडर के तहत पंजीकरण / पंजीकरण का नवीनीकरण करता है।

भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" संबंधी पहल के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापार को एक पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण / पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदनों की ई–फाइलिंग हेतु ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। सभी श्रेणियों के व्यापारियों द्वारा पंजीकरण / पंजीकरण के नवीनीकरण प्राप्त किए जाने के लिए ्.जवइंबबवइवंतक.पद पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ई–फाईलिंग अनिवार्य कर दी गई है। पंजीकरण वर्ष 2020 के लिए दिनांक 15.10.2020 तक, विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 1011 व्यापारियों का पंजीकरण किया गया/पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया।

(ii) वर्ष 2020–21 (अप्रैल–अगस्त, 2020) में निर्यात की प्रगति

अप्रैल 2020– अगस्त 2020 की अवधि के दौरान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात 2,193.33 करोड़ रूपये (291.03 मिलियन यूएस डॉलर) के मूल्य के साथ 73,679 मीट्रिक टन रहा जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के की तुलना में मात्रा, रूपये में मूल्य और डॉलर में मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 14%, 8% और 15% की कमी हुई है। निर्यात में कमी मुख्य रूप से अप्रैल और मई, 2020 के दौरान कोविड–19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण हुई है। निर्यात मई, 2020 से धीरे–धीरे बढ़ रहा है और संकुचन की दर जो अप्रैल 2020 के दौरान –70% थी अप्रैल–अगस्त 2020 तक कम होकर –15% हो गई है।

(iii) निर्यात सुविधा और संवर्धन

- व्यापार को सुकर बनाने के भाग के रूप में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए, तंबाकू बोर्ड आरसीएमसी को ऑनलाइन जारी कर रहा है और इसे डीजीएफटी के सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 15/10/2020 तक, निर्यातकों को कुल 19 आरसीएमसी जारी किए गए।
- तंबाकू बोर्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अपरिष्कृत तम्बाकू के निर्यात के लिए प्रमाणिकता प्रमाण पत्र भी जारी कर रहा है और चुनिंदा देशों को फॉर्म 'क' (जीएसपी) में उत्पत्ति का प्रमाणपत्र भी प्रदान कर रहा है।
- तम्बाकू बोर्ड, जीएसपी स्कीम के तहत यूरोपीय संघ को

निर्यात किए जा रहे माल के स्व–प्रमाणन के लिए यूरोपीय संघ आरईएक्स प्रणाली के तहत निर्यातकों के पंजीकरण के लिए अधिकृत स्थानीय प्राधिकरणों में से एक है। दिनांक 15.10.2020 तक की स्थिति के अनुसार, तंबाकू बोर्ड के माध्यम से 36 निर्यातकों को यूरोपीय संघ आरईएक्स प्रणाली के तहत पंजीकृत किया गया है।

- तम्बाकू बोर्ड ने लॉक डाउन अवधि के दौरान उत्पत्ति का प्रमाणपत्र का त्वरित निर्गमन भी सुनिश्चित किया था।

(ख) भारत में फ्ल्यू उपचारित वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू का उत्पादन

पिछले 10 वर्षों में एफसीवी तंबाकू उत्पादन में वर्ष–दर–वर्ष उतार–चढ़ाव रहा है। ये उतार–चढ़ाव मुख्य रूप से उपज पर मौसम के प्रभाव के साथ–साथ आपूर्ति की कीमत लोच और तंबाकू बोर्ड द्वारा किए गए फसल विनियमन के कारण हैं। एफसीवी तंबाकू उत्पादन में वर्ष 2010–11 से 2019–20 की अवधि के दौरान –2.53% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है।

(ग) एफसीवी तम्बाकू उत्पादन विनियमन

तम्बाकू की भारतीय मांग को पूरा करने के लिए वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित करना तम्बाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक वर्ष फसल के परिमाण को निर्धारित करते हुए और वाणिज्यिक नर्सरीमैन, तंबाकू उत्पादकों और खलिहान संचालकों को पंजीकृत करते हुए इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। बोर्ड, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति की स्थिति, विभिन्न प्रकार के एफसीवी तंबाकू की विपणन योग्यता, कैरीओवर स्टॉक, सिगरेट उत्पादन और खपत में रुझान जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए एफसीवी तम्बाकू के फसल परिमाण का निर्धारण करता है।

(घ) एफसीवी फसल उत्पादन नीति

वर्ष 2020–21 के लिए, तम्बाकू बोर्ड ने भारत में एफसीवी तंबाकू की खेती के लिए फसल का परिमाण 203 मिलियन किलोग्राम निर्धारित किया था। तंबाकू बोर्ड ने फसल मौसम 2020–21 के लिए कर्नाटक में फसल का परिमाण 88 मिलियन किलोग्राम और आंध्र प्रदेश में 115 मिलियन किलोग्राम निर्धारित किया है।

(ङ) विस्तार और विकास गतिविधियां

तम्बाकू बोर्ड, भारतीय एफसीवी तम्बाकू को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न विस्तार और विकासात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। तम्बाकू बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को अनुदान देता है ताकि उत्पादकों को नए और बेहतर परिपाटियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तम्बाकू बोर्ड केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) तथा तम्बाकू कंपनियों के अनुसंधान और विकास विंग के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित क्षेत्र कर्मचारियों के एक विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करके उत्पादकों को अनेक प्रकार की सहायता और विस्तार सेवाएं प्रदान करता है।

- सीडीडीआई, राजमुंदरी और आईटीसी अनुसंधान प्रभाग, राजमुंदरी के माध्यम से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को वर्ष 2020–21 के फसल मौसम के दौरान 2,209.25 किलोग्राम बीज की आपूर्ति की गई।
- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2020–21 के फसल मौसम के दौरान, बोर्ड के हस्तक्षेप के बिना, किसानों की समिति के माध्यम से उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया लागू की गई है। कर्नाटक के उत्पादकों को 25568.55 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किया गया। आंध्र प्रदेश में उर्वरकों का वितरण जारी है।
- आंध्र प्रदेश में, मृदा स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए 7585.66 हेक्टेयर क्षेत्र में हरी खाद की फसल को उगाया गया, जो उत्पादकों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और उगाए गए एफसीवी तंबाकू की गुणवत्ता में सुधार करने में सुविधा प्रदान करेगा।
- स्वस्थ और प्रबल अंकुर पौधों के उत्पादन के लिए उत्पादकों को सब्सिडी के आधार पर कर्नाटक में 7.98 लाख ट्रे और आंध्र प्रदेश में 6.82 लाख ट्रे की आपूर्ति की गई। ट्रे में अंकुर पौधों का उत्पादन, खेत में बेहतर स्थापना सुनिश्चित करेगा जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यारोपण जोखिम के बिना तथा कीटों और बीमारी के कम मामलों के साथ एकसमान फसल वृद्धि में सहायता मिलेगी।
- बोर्ड उत्पादकों को जैविक तंबाकू के उत्पादन के लिए प्राकृतिक कृषि परिपाटियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष 2020–21 के फसल मौसम के दौरान, कर्नाटक के 110 उत्पादकों ने 114 एकड़ में प्राकृतिक खेती पद्धति में एफसीवी तम्बाकू की खेती की और आंध्र प्रदेश में 70 उत्पादक 213.50 एकड़ में प्राकृतिक खेती का परीक्षण करने के लिए आगे आए। प्राकृतिक खेती पद्धति में एफसीवी तंबाकू की खेती में करने के लिए जैविक खेती के अनुप्रयोग, जैव कीटनाशकों का उपयोग के लिए खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक उत्पादक को 5000 रूपये प्रति भूखंड और नकद प्रोत्साहन के रूप में 10,000/– रूपये की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- बोर्ड, पर्यावरण–अनुकूल उपायों के एक भाग के रूप में तंबाकू

के उपचार के लिए ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों को तेजी से बढ़ने वाले अंकुर–पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस पहल के एक भाग के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने तंबाकू उत्पादकों को उत्पादकों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 10 तेजी से बढ़ने वाले अंकुर–पौधे लगाने का अधिदेश दिया है और बोर्ड स्थानीय विभागों के समन्वय से पौधे की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है।

- एफसीवी तंबाकू के उपचार में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार के सहयोग से बोर्ड ने सब्सिडी का प्रदान करके खलिहान के इन्सुलेशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2020–21 फसल मौसम के दौरान, कर्नाटक में 2000 खलिहानों और आंध्र प्रदेश में 555 खलिहानों का इंसुलेशन प्रस्तावित हैं।

(च) तम्बाकू नीलामी

एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए कर्नाटक में 1984 में नीलामी प्रणाली शुरू की गई थी और इसके बाद वर्ष 1985 में आंध्र प्रदेश में यह प्रणाली शुरू की गई थी।

(छ) वर्ष 2020–21 के दौरान की गई प्रगति

- आंध्र प्रदेश में, फसल मौसम 2019–20 के लिए 01/04/2020 से 13/10/2020 तक (नीलामी की बिक्री 17/02/2020 को शुरू की गई और जारी है) औसतन 123.66 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से एफसीवी तम्बाकू फसल की कुल 122.64 मिलियन किलोग्राम मात्रा का विपणन किया गया ।
- कर्नाटक में, फसल मौसम 2019–20 के लिए 01/04/2020 से 13/10/2020 तक (नीलामी की बिक्री 16/06/2016 को शुरू की गई और 09/06/2020 को समाप्त हुई) औसतन 87.79 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से एफसीवी तम्बाकू फसल की कुल 4.07 मिलियन किलोग्राम मात्रा का विपणन किया गया।

(ज) उत्पादक कल्याण निधि पहलें

तम्बाकू बोर्ड वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से वर्ष 2009–10 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों में लगभग 89000 तम्बाकू उत्पादकों और उनके परिवारों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ''तम्बाकू बोर्ड उत्पादक कल्याण स्कीमों'' की स्थापना करते हुए ने विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए हैं।

कल्याण स्कीम के तहत मृत्यु अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण, लड़की के विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा, सर्जरी की आवश्यकता वाली बड़ी बीमारी / दुर्घटनाओं के लिए उपचार तथा प्राकृतिक आपदाओं (अग्नि दुर्घटनाओं) के कारण क्षतिग्रस्त हुए खलिहान की मरम्मत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम की शुरुआत के बाद से, तंबाकू बोर्ड ने अनुदान और ऋण के संदर्भ में 16373 उत्पादकों को 55.42 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की है। 2,071 लाभार्थियों को 44.80 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया और 4,302 उत्पादकों को 10.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।

3. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना की गई थी। एपीडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एपीडा का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात का विकास और संवर्धन करना है:

(क) एपीडा अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद

- फल, सब्जियां और उनके उत्पाद
- मांस और मांस उत्पाद
- कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद
- दुग्ध उत्पाद
- मिष्ठान, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
- शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद
- कोको और इसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
- मादक और गैर–मादक पेय
- अनाज और अनाज उत्पाद
- मूंगफली, पीनट और अखरोट
- अचार, चटनी और पापड़
- ग्वार गम
- पुष्पोत्पादन और पुष्पोत्पादन के उत्पाद
- जड़ी–बूटी और औषधीय पौधे

(ख) एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद

एपीडा द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध विशेष उत्पादों के संबंध में

बौद्धिक संपदा अधिकारों (भारत या भारत के बाहर) के पंजीकरण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, दूसरी अनुसूची में केवल चावल शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, एपीडा चीनी के आयात की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

एपीडा भी जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। उत्पादों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्यात के लिए 'जैविक उत्पाद' के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

एपीडा ''कृषि निर्यात संवर्धन योजना'' शीर्षक से अपनी योजनागत स्कीम के तहत कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अवसंरचना निर्माण / उन्नयन के लिए तीन उप–घटकों (बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास) के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) कृषि निर्यात नीति (एईपी)

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात नीति को दोगुना करके 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति (एईपी) की घोषणा की। इस नीति को स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्यात के अवसर प्रदान करते हुए किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिकोण के साथ समामेलित किया गया है। इस नीति का लक्ष्य राज्य सरकारों की अधिक से अधिक भागीदारी के साथ निर्यात उन्मुख उत्पादन की क्षमता रखने वाले समूहों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके उद्देश्य को प्राप्त करना है।

एईपी के कार्यान्वयन के लिए, एपीडा ने वर्ष 2020–2021 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां कीं:

- सोलह राज्य नामतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने राज्य विशिष्ट कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दिया है।
- 20 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) का गठन किया गया है। 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने एईपी के कार्यान्वयन के लिए संबंधित नोडल एजेंसियों को नामित किया है।
- एईपी के तहत 47 क्लस्टरों को अधिसूचित किया गया है और 23 क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
- कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए वियतनाम, अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान और अर्जेंटीना के भारतीय दूतावासों में 13 कृषि–प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। वास्तविक समय के आधार पर इनपुट प्रदान करने के लिए इन प्रकोष्ठों के साथ नियमित बातचीत हो रही है।
- भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार में विद्यमान एसपीएस / टीबीटी मुद्दों की आवश्यकताओं के समाधान के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया। ''भारत के कृषि निर्यातों के प्रशुल्क दोष'' शीर्षक वाली रिपोर्ट कृषि निर्यात नीति के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अभिनिर्धारित (10+20) संभावित निर्यात उत्पादों पर आधारित है। 2 उत्पादों (मोरिंगा और मखाना) के लिए एचएस कोड उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें 28 उत्पादों का विश्लेषण शामिल है। रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:
    - आयातक देशों में भारतीय कृषि निर्यात उत्पादों पर लागू प्रशुल्क दर।
    - आयातक देशों में कृषि निर्यातों के लिए भारत के प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रशुल्क।
    - कृषि निर्यात में भारत के लिए संभावित बाजार में प्रशुल्क दोष।
- उत्पादों के अभिनिर्धारण, इनकी क्षमता और आगे की कार्यनीति के पश्चात् तेरह देशों नामतः मलेशिया, बेल्जियम, इंडोनेशिया, वियतनाम, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, चीन, जापान, नेपाल, अर्जेंटीना और ब्राजील की देश विशिष्ट रिपोर्ट तैयार की गई।
- कृषि सहकारिता और किसान कल्या मंत्रालय के सहयोग से कृषि व्यापार के संबंध में समग्र दृष्टिकोण पर कार्यनीति तैयार की गई है।
- एईपी के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु एनसीयूआई और एएफसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- कोविड–19 महामारी के बावजूद, मल्टीमॉडल पद्धति के जरिए ताजा बागवानी उपज का निर्यात किया गया तथा खेप को वायु और समुद्र द्वारा दुबई, लंदन में तथा वाराणसी, लखनऊ, थेनी, नागपुर और अनंतपुर क्लस्टर क्षेत्रों से अन्य गंतव्य स्थलों को भेजा गया।
- एपीडा ने बाजार आसूचना प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है। अब तक, 27 ई–बाजार आसूचना रिपोर्टों का प्रसार किया गया है।

दिनांक 6 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में कृषि निर्यात नीति के संबंध में राज्य नोडल एजेंसियों के साथ एपीडा द्वारा आयोजित एईपी के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति एवं क्लस्टर विकास के लिए कार्यनीति पर दूसरी कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य सचिव, डॉ. अनूप वधावन

(घ) कृषि निर्यात संवर्धन स्कीम

बजट आबंटन विवरण –2020–2021 (अप्रैल, 2020–अक्टूबर, 2020)		
क्रम सं.	**योजनागत स्कीम**	**(मूल्य, करोड़ रूपये में)**
1	सहायता अनुदान	16.50
2	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	12.00
3	सामान्य सहायता अनुदान	4.00
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)	0.50
	कुल	**33.00**

ङ. ई–गवर्नेंस पहलें

ई–गवर्नेंस प्रणाली के प्रवर्धन के लिए, एपीडा ने निम्नलिखित पहलें कीं:

- ट्रेसनेट आईएसओटी एप्लीकेशन का विकास ताकि जैविक वस्त्र और उसके उत्पादों की अखंडता का आश्वासन दिया जाए और उत्पादन के किसी भी चरण में ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए।
- व्यापार क्षमता बढ़ाने के लिए वीबीएसएम के आयोजन और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के वर्चुअल प्रदर्शन में निर्यातकों की सहायता के लिए वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) एप्लीकेशन विकसित किया गया।
- हितधारकों द्वारा संसूचित मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए ट्रेसेनेट हेल्पडेस्क शिकायत प्रणाली का स्वचालन
- ऑनलाइन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन
- एपीडा की सभी ऑनलाइन एप्लीकेशनों का क्लाउड सर्वर पर प्रवासन
- फार्मर कनेक्ट एप्लीकेशन का कार्यान्वयन किया गया जो एफपीओ/एफपीसी/सहकारिताओं और निर्यातकों को संवाद के लिए एक मंच प्रदान करती है।
- उत्पत्ति प्रमाण पत्र के सृजन की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है
- उपयोगकर्ता को सटीक भुगतान स्थिति प्रदर्शित करने के लिए, सभी ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए भुगतान मिलान सुविधा का कार्यान्वयन किया गया है
- लॉक डाउन अवधि के दौरान, मूंगफली, मांस की पंजीकृत इकाइयों, प्रयोगशाला, पैक हाउस और निर्यातकों आदि के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए ट्रेड फीडबैक मॉड्यूल लागू किया गया है।
- शिकायतों के समग्र टीएटी (प्रतिवर्तन काल) को कम करने के लिए शिकायतों को बंद करने हेतु ऑनलाइन हेल्प डेस्क सहायता मॉड्यूल का विकास।
- जैविक प्रमाणन के अनुप्रयोग के लिए नए, नवीनीकरण, निगरानी और संशोधन जैसी सभी गतिविधियों के लिए प्रमाणन निकाय (सीबी) मॉड्यूल की ऑनलाइन मान्यता का विकास।
- बासमती चावल के लिए आरसीएसी, सऊदी अरब के लिए एचएसीसीपी के लिए आयातक देशों की अनिवार्य आवश्यकताएं और यूरोपीय संघ के देशों के लिए ईआईसी प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट के ऑनलाइन निर्गमन का एकीकरण।

- 32000 से अधिक प्राप्तकर्ताओं को दैनिक ई–समाचारपत्र परिचालित किया गया।
- बाजार आसूचना ई–बुलेटिन में प्रमुख बाजारों और वस्तुओं को कवर करना शुरू कर दिया गया है।

(च) वर्ष 2020–21 के दौरान निर्यातकों का पंजीकरण

- 4740 पंजीकरण और सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी किए गए।
- बासमती चावल के निर्यात के लिए 2.67 मिलियन मीट्रिक टन के लिए 19866 पंजीकरण और आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी किए गए।
- 2.56 मिलियन मीट्रिक टन मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए 13182 प्रमाण पत्र जारी किये गये।

(छ) कृषि उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन फोरमों की स्थापना

ताजे फल, सब्जियों और फूलों के निर्यात के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अंगूर, प्याज, आम, केला, अनार, चावल, पोषक–अनाज, दुग्ध उत्पाद और पुष्पोत्पादन के लिए निर्यात संवर्धन फोरम (एफपीएफ) का गठन किया गया। इन फोरमों का उद्देश्य हितधारकों द्वारा सामना किए गए मुद्दों के लिए उनके बीच विचार–विमर्श करना और निर्यात बढ़ाने के लिए भावी कार्यनीति तैयार करना है।

(ज) निर्यात संवर्धन कार्यक्रम और बी2बी बैठकें

- कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अबू धाबी, कुवैत, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, रूस, जीसीसी देशों, स्वीडन और लातविया बेल्जियम और ईरान स्थित भारत के दूतावासों (ईओआई) के साथ वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया गया।
- अनुसूचित में दिए गए सभई उत्पादों के संवर्धन के लिए यूएई, कुवैत, इंडोनेशिया और ईरान के साथ वीबीएसएम का आयोजन किया गया।
- जीआई उत्पादों के संवर्धन के लिए यूएई और यूएसए के साथ वीबीएसएम आयोजित किया गया।
- ताजे फलों और सब्जियों के संवर्धन के लिए स्विटजरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी के साथ वीबीएसएम का आयोजन किया गया।
- निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों के समाधान के लिए दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यातकों के साथ वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया गया।
- लॉकडाउन के दौरान निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मांस उत्पादों, कुक्कुट उत्पादों और शहद के निर्यातकों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई।

(झ) प्रक्रिया का सरलीकरण

- एपीडा ने मूंगफली प्रसंस्करण इकाइयों के पंजीकरण / नवीनीकरण के लिए वर्चुअल निरीक्षण तथा एपीडा की वित्तीय सहायता के साथ संस्थापित सुविधाओं / उपकरणों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अवसंरचना विकास योजना के तहत एसओपी विकसित की है।
- मांस इकाईयों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए उनके वर्चुअल निरीक्षण हेतु एसओपी विकसित की गई।

(ञ) ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए पहलें

(i) बाजार पहुंच

- ऑस्ट्रेलिया को निर्यात के लिए अनार और अरिल हेतु बाजार पहुंच प्रदान की गई।
- भूटान को निर्यात के लिए प्याज, भिंडी और टमाटर हेतु बाजार पहुंच प्रदान की गई।
- स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए यूरोपीय संघ की नई आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ को हरी मिर्च के निर्यात की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया और यूरोपीय आयोग को प्रस्तुत की गई।

(ii) निर्यात के लिए पैकहाउस की सुविधा

- कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान, बागवानी के पैकेहाउसों की मान्यता की वैधता, जो नवीकरण के अधीन थी, को दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया।
- कोविड–19 के कारण, पैकहाउस मान्यता का वर्चुअल निरीक्षण किया गया।

(ट) प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात के लिए पहलें

(i) मूंगफली प्रसंस्करण यूनिटों की निगरानी

एपीडा मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की निगरानी कर रहा है। मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए गोदामों सहित 157 मूंगफली शेलिंग ग्रेडिंग और प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता दी गई है। चालू वर्ष में 9 नई मूंगफली इकाइयां पंजीकृत की गई और 73 इकाइयों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया।

(ii) निर्यात को सुविधा देना

मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की सुविधा के लिए, एपीडा ने गैर–यूरोपीय संघ देशों के लिए इकाई पंजीकरण अवधि की वैधता को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया।

(iii) निर्यात संवर्धन गतिविधियां

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा जैसे आयातक देशों के सहयोग से एपीडा ने इन देशों में आयात नियमों, नई आवश्यकताओं और आयात प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए निर्यातकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों / कार्यशालाओं का आयोजन किया। मूल्य वर्धित उत्पादों की उत्पादकता, दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्तरोन्नयन के लिए और खामियों के निराकरण के लिए, निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ठ) पशुधन उत्पादों के निर्यात के लिए पहलें

- इंडोनेशिया में भैंस के फ्रोजन मांस के निर्यात के लिए इंडोनेशिया ने चालू वर्ष के लिए कोटा बढ़ाकर 170,000 मीट्रिक टन कर दिया।
- कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए, एपीडा ने आईसीएआर–एनआरसीएम, हैदराबाद के सहयोग से प्रसंस्करण व्यापारियों और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल अन्य हितधारकों के लिए "कोविड–19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के लिए मांस, मुर्गी और अंडे के उत्पादन के हैंडलिंग दिशानिर्देश" शीर्षक से दिशानिर्देश तैयार किए।

(ड) अनाजों और अनाज उत्पादों के निर्यात के लिए पहलें

- अच्छी गुणवत्ता और कीटनाशकों के अवशेषों के संबंध में आयात करने वाले देशों के मानकों को पूरा करने वाले बासमती चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, एपीडा बासमती चावल के उत्पादकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जीआई क्षेत्र में 7 राज्यों की सहायता कर रहा है। किसानों को अच्छी कृषि परिपाटियों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सुग्राही बनाने के लिए एपीडा द्वारा बासमती निर्यात विकास संघ (बीईडीएफ) के सहयोग से 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- एपीडा ने सभी संबंधित संस्थानों जैसे राज्यों, निर्यातकों आदि की पहुंच में सुधार के लिए किसानों के पंजीकरण के लिए एक वेब–सक्षम प्रणाली Basmati.Net शुरू की। अब तक, पंजाब राज्य में 21376 किसान पंजीकृत किए गए हैं। एपीडा अन्य राज्यों में Basmati.Net प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है।
- ठेउंजप.छमज ट्रैसेबिलिटी प्रणाली के तहत किसान पंजीकरण के बारे में सुग्राही बनाने हेतु राज्य के कृषि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ढ) जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए पहलें

एपीडा, जैविक प्रणाली की पारस्परिक मान्यता के लिए ताइवान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संपर्क में है।

(ण) प्रत्यायन गतिविधियां

- जैविक फाइबर्स एवं उत्पादों और जैविक कॉस्मेटिक्स एवं पर्सनल केयर उत्पादों के लिए संरक्षण श्रृंखला के मानकों को अधिसूचित किया गया है।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा 2 नए प्रमाणन निकायों को प्रत्यायित किया गया है जिससे प्रमाणन निकाय की कुल संख्या 31 हो गई है।
- मध्य पूर्व, एनडब्ल्यू एशिया और पड़ोसी देशों में विदेशी प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन प्रदान किया गया।
- एनपीओपी के तहत पशु आहार के प्रमाणन के लिए 3 प्रमाणन निकायों को प्रत्यायित किया गया है।
- प्रमाणन गतिविधियों और जैविक उत्पादों के व्यापार में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कोविड–19 के प्रकोप के कारण प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
- प्रत्यायित प्रमाणन निकायों और आवेदक संगठनों हेतु प्रमाणन गतिविधियों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है।
- जाली प्रमाणपत्र बनाकर संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ट्रेसनेट में सुरक्षा फीचर ई–ट्रेस पेश किया गया है।

(त) ट्रेसनेट ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से एनपीओपी प्रक्रियाओं की निगरानी

एपीडा, प्रमाणित जैविक उत्पादों के घरेलू अखंडता सत्यापन के प्रयोजनों के लिए एफएसएसएआई को वेब–आधारित ट्रेसबिलिटी सिस्टम, ट्रेसनेट से जैविक सक्रिय संचालकों (व्यापारी और प्रोसेसर) का डाटा प्रदान कर रहा है।

(थ) अवसंरचना विकास

विभिन्न राज्यों में सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई है:

- चुहरवाली, जालंधर में पंजाब मार्कफेड द्वारा शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।
- गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन द्वारा नरोदा, अहमदाबाद में मौजूदा एकीकृत पैक हाउस का आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन।
- असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करीमगंज, असम में ताजे फल और सब्जियों के लिए पैक हाउस की स्थापना।
- परवानू में एचपीएमसी द्वारा टेट्रा पैक मशीन, सेब के रस और कंसंट्रेट इकाई की स्थापना।

(द) गुणवत्ता विकास

(i) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

- एपीडा द्वारा अपने अधिसूचित उत्पादों का नमूना लेने और विश्लेषण करने के लिए 208 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया गया था।
- गुणवत्ता विकास स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए निर्यात प्रमाणीकरण के लिए खाद्य उत्पादों के नमूने और विश्लेषण के लिए निर्यातकों की विनिर्माण इकाइयों द्वारा स्थापित पंद्रह अंतःपरिसर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और एपीडा द्वारा अधिकृत पांच प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन किया गया।

(ii) एचएसीसीपी कार्यान्वयन और प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता

विनिर्माण इकाइयों को परामर्श और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 कार्यान्वयन और 5 प्रमाणन एजेंसियों को एचएसीसीपी, आईएसओ–22000, आईएसओ–9001, बीआरसी और जीएपी के लिए मान्यता प्रदान की गई।

(iii) कीटनाशकों और एफ्लाटॉक्सिन की ऑनलाइन निगरानी

आयातक देश की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्यात प्रक्रियाओं का स्तरोन्नयन किया गया:

- अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया–एग्रोकैमिकल के अवशेषों के नियंत्रण के लिए ताजा टेबल अंगूर के निर्यात के लिए Grape.net
- मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए प्रक्रिया एफ्लाटोक्सिन के नियंत्रण के लिए च्मंदनज.छमज
- यूरोपीय संघ को ताजी हरी मिर्चों के निर्यात के लिए प्रक्रिया एग्रोकैमिकल के अवशेषों की निगरानी

(iv) निर्यात मानक और सामंजस्य

- कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन के 43वें सत्र में भाग लिया जिसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। एपीडा द्वारा 'वेयर पोटेटो' और 'मैंगो चटनी' के लिए शुरू किए गए मानकों को सीएसी43 द्वारा अपनाया गया।
- भारत के गुलाबी प्याज (शैलोट्स) का एक प्रमुख निर्यातक होने के नाते, एपीडा, ईरान द्वारा शुरू किए गए प्याज और शैलोट मानक के विकास पर इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रुप की सह–अध्यक्षता कर रहा है।
- खाद्य आयात एवं निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीएफआईसीएस) द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया।

(v) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

- परीक्षण और प्रमाणन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एनआरएल के माध्यम से नमूना चयन, विश्लेषण और ग्रेडिंग संबंधी हालिया तरीकों पर अधिकृत प्रयोगशालाओं के क्षेत्र सैम्पलरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- यह सुनिश्चित करने कि प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय दक्षता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, कीटनाशकों और एफ्लाटॉक्सिन के अवशेषों के लिए, एनआरएल के माध्यम से अधिकृत प्रयोगशालाओं में प्रवीणता परीक्षण प्रदान किया गया।

4. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो वाणिज्य और उद्योग विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय है, को एमपीईडीए अधिनियम, 1972 के तहत देश में समुद्री उत्पादों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और भारत से इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

(क) निर्यात निष्पादन

चालू वित्त वर्ष (अप्रैल–अक्टूबर 2020) में, भारत ने 3.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5,81,168 मीट्रिक टन) का निर्यात किया है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मात्रा के मामले में 25.87: वृद्धि और अमेरिकी डॉलर अर्जन के मामले में 21.93: वृद्धि को दर्शाता है। फ्रोजन झींगा प्रमुख निर्यात वस्तु बनी रही जिसके बाद फ्रोजन

मछली का सर्वाधिक निर्यात किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, भारतीय समुद्री खाद्य के शीर्ष निर्यात बाजार बने रहे। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल – अक्टूबर) में भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात के अनंतिम आंकड़ों का विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष 2020–21 (अप्रैल–अक्टूबर) के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात निष्पादन

अप्रैल–अक्टूबर 2020–21				
		2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (अनंतिम)	वृद्धि (%)
मात्रा, टन में	क्यू:	7,84,002	5,81,168	-25.87
मूल्य, करोड़ रूपये में	वी:	28,628.17	23,354.33	-18.42
मिलियन यूएस डॉलर में	+:	4,126.96	3,222.07	-21.93

(ख) निर्यात सुविधा और संवर्धन

- **क्रेता विक्रेता वर्चुअल बैठक:** वर्ष 2020–21 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान, एम्पीडा ने भारतीय मिशन की मदद से सिंगापुर और स्पेन के आयातकों के साथ वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक की एक श्रृंखला का आयोजन किया। एम्पीडा ने वेबिनार की एक श्रृंखला भी आयोजित की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, स्पेन और वियतनाम जैसे प्रमुख / भावी बाजारों की मार्केट अपडेट और तत्काल बाजार आवश्यकताओ की जानकारी प्रदान की गई। वेबिनार में भारत के समुद्री खाद्य निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा भाग लिया गया था।
- एम्पीडा ने संपूर्ण समुद्री खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक्वाकल्चर नवाचार केंद्र (एआईसी) के तकनीकी सहयोग से "लाइव झींगा निर्यात" पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया।
- भारत से सुरक्षित और स्वच्छ समुद्री भोजन के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए एमपीईडीए द्वारा सम्पूर्ण समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए **कोविड–19 दिशानिर्देश** प्रकाशित और प्रसारित किये गये। एम्पीडा ने 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम' के एक भाग के रूप में क्षेत्र अधिकारियों को समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में पालन किए जाने वाले कोविड–19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में प्रशिक्षित किया है। एम्पीडा के क्षेत्र कार्यालय भी समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा कोविड–19 दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहे हैं।
- एम्पीडा ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए कोविड–19 दिशानिर्देशों पर भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग की तैयारियों पर एक वीडियो प्रकाशित किया है। घरेलू क्षेत्र पर एक और एनीमेशन फिल्म तैयार की जा रही है।
- **इकाईयों का पंजीकरण:** इस अवधि के दौरान, 9 प्रसंस्करण संयंत्र, 65 निर्यातक, 18 भंडारण परिसर, 8 शुष्क मत्स्य हैंडलिंग केंद्र, 2 शीत मत्स्य हैंडलिंग केंद्र, 8 पीलिंग शेड, 8 कन्वेअन्स एमपीईडीए के साथ पंजीकृत किए गए।
- **कोचीन फिशिंग हॉर्बर का स्तरोन्नयन:** कोचीन बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए, दिनांक 28.09.2020 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और एमपीईडीए द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना को पीएमएमएसवाई से धन जुटाकर और केंद्र सरकार की स्कीमों से अभिसरण करते हुए एक विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल पर्पज व्हीकल) (एसपीवी) की स्थापना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- **प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन प्रमाणीकरण:**हमारी ई–गवर्नेंस पहलों के एक भाग के रूप में, एमपीईडीए निर्यातकों के लिए 6 अप्रैल, 2020 से ऑनलाइन माध्यम से डीएस 2031 प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। अप्रैल से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान, 3409 कैच प्रमाणपत्र, 9961 डीएस 2031 प्रमाणपत्र, 89 आईसीसीएटी प्रमाणपत्र, 99 नॉन–रेडियो एक्टिव प्रमाणपत्र, कानूनी मूल के 5 प्रमाणपत्र जारी किए गए। प्रमाणपत्र के लिए सभी शुल्क का संग्रह डिजिटल रूप से किया गया हैं।
- **समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्यवर्धित निर्यात को प्रोत्साहित करने** के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान, विभिन्न स्कीमों के तहत समुद्री उत्पादों के निर्यात उद्योग में अवसंरचना विकास के लिए एमपीईडीए द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

निर्यात स्कीमों के लिए शीर्ष/नूतन मूल्य वर्धन के लिए सहायता		
स्कीम	उपलब्धि 1 अप्रैल 31 अक्टूबर, 2020	
	भौतिक	वित्तीय (मूल्य, करोड़ रुपये में)
टीआईयूएसएमप–प्रक्रिया स्वचालन और पैकेजिंग के लिए सहायता	1	0.053
सीसीडी–बड़े शीत भंडारगृहों के लिए सहायता	2	0.205
विशिष्ट मूल्यवर्धन उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास	1	0.575
टीयूएसएमपी –समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन स्कीम	1	1.000
कुल	**5**	**1.833**

कैप्चर फिशरीज स्कीमें		
स्कीम	उपलब्धि 1 अप्रैल 31 अक्टूबर, 2020	
	भौतिक	वित्तीय (मूल्य, करोड़ रुपये में)
फिशरीज एवं चेन ऑफ कस्टडी के प्रमाणन के लिए सहायता	37	0.51
सेटेलाइट आधारित पोत निगरानी प्रणाली (वीएमएस) की संस्थापना के लिए सहायता	238	1.18
कुल	**275**	**1.69**

(ग) एक्वाकल्चर विकास

- एमपीईडीए सभी समुद्र–तटीय राज्यों में मत्स्यपालन करने वाले किसानों के बीच अनेक कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक अवशेषों, बेहतर प्रबंधन परिपाटियों (बीएमपी) को अपनाना और निर्यात उन्मुख प्रजातियों के लिए विविधीकरण सहित प्रमुख मुद्दों के बारे में किसानों को सुग्राही बनाना है। इस संबंध में, मत्स्यपालन में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के विरूद्ध 122 जागरूकता अभियान और प्रजाति विविधीकरण के प्रचार के लिए 21 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, एमपीईडीए की स्कीमों बारे में जागरूकता सृजन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और कृषक की तीन बैठकों का आयोजन किया गया।
- पूरे देश के मत्स्यपालन करने वाले किसानों और निर्यातकों के लाभ के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2020 को सॉफ्ट–शैल क्रेब के कल्चर पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन को किया गया तथा सिंगापुर इंडिया पार्टनरशिप ऑफिस (एसआईपीओ) के सहयोग से दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को लाइव झींगा निर्यात पर एक अन्य वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया
- **प्रजाति विविधीकरण:** एमपीईडीए ने तिलापिया, सीबास, स्कम्पी, मड क्रेब आदि जैसी फिन मछलियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस्मों के विविधीकरण हेतु तकनीक विकसित की है। इस संबंध में, विविधीकृत प्रजातियों के लोकप्रियकरण के लिए वर्ष के दौरान निर्यात योग्य प्रजातियों के लिए 4 प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किए गए। ये कार्यक्रम ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जीआईएफटी कृषि, कर्नाटक में सीबास और आंध्र प्रदेश में मड क्रेब कृषि के प्रदर्शन के लिए हैं।
- **फार्मों और हैचरी का नामांकन:** एक्वाकल्चर उत्पादन की ट्रेसेबलिटी के लिए, फार्म और हैचरी के नामांकन को जारी रखा जा रहा है। इस अवधि के दौरान, एमपीईडीए द्वारा 4828 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के 1408 फार्मों और 450 मिलियन क्षमता वाली 6 हैचरी का नामांकन किया गया।
- **एक्वाकल्चर का प्रमाणन (एसएचएपीएचएआरआई) (शफारी) :** मई, 2020 से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्थित 13 झींगा हैचरी में प्रायोगिक आधार पर हैचरी के लिए प्रमाणन योजना कार्यान्वयनाधीन है। सभी 13 हैचरी में प्रारंभिक लेखापरीक्षा पूरे हो चुकी है। समिति की लेखापरीक्षा और निगरानी लेखापरीक्षा जारी हैं। फार्मों के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं तैयार करने हेतु मई, 2020 में सीएए, सीआईबीए, सीआईएफटी, एमपीईडीए, एसईएआई, पीएफएफआई और एआईएसएचए के सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) गुणवत्ता आश्वासन

- एमपीईडीए ने पोरबंदर, गुजरात में अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का आरम्भ किया है और 15 अब्रग अअगस्त ब बअ अगस्त,2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुवनेश्वर स्थित अपनी पुनर्निर्मित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को पुनःआरम्भ किया है।
- एमपीईडीए,कोच्चि, भीमावरम, नेल्लोर, भुवनेश्वर और पोरबंदर में स्थित पांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (क्यूसीएल) का संचालन करता है। कोच्चि, नेल्लोर और भीमावरम प्रयोगशालाओं में स्थित पहली तीन प्रयोगशालाएँ एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा ईआईसी द्वारा अनुमोदित हैं। भुवनेश्वर और पोरबंदर स्थित प्रयोगशाला एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त करने और ईआईसी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। एमपीईडीए की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी), जो यूरोपीय संघ को एक्वाकल्चर उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक है, के तहत नमूनों के परीक्षण में कार्यरत हैं। ये प्रयोगशालाएँ निर्यात उद्देश्य के लिए वाणिज्यिक नमूनों का परीक्षण भी करती हैं। एनआरसीपी के तहत अप्रैल – अक्टूबर 2020–21 की अवधि के दौरान 4803 नमूनों का परीक्षण किया गया।
- वर्ष के दौरान, कोच्चि स्थित एमपीईडीए की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने यूरोपीय संघ द्वारा अपेक्षित एनआरसीपी के तहत परीक्षण के लिए 5 नए मापदंडों के संबंध में कार्यपद्धति विकसित और प्रमाणित की है।
- इसके अलावा, एमपीईडीए प्री–हार्वेस्ट टेस्ट सर्टिफिकेट (पीएचटी) जारी करने के लिए 12 एलिसा प्रयोगशालाएं भी संचालित करता है, जो यह आश्वास्त करती हैं कि उत्पाद एंटीबायोटिक्स से मुक्त है। अप्रैल – अक्टूबर 2020 के दौरान, सभी एलिसा प्रयोगशालाओं से 7301 पीएचटी जारी किये गये।

(ङ) क्यूए और जैवसुरक्षा पर बाजार विशिष्ट कार्रवाई

- **यूरोपीय संघ:** तीन वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद, भारत में लिए गए एक निर्णय के परिणामस्वरूप – 09.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूरोपीय संघ जेडब्ल्यूजी परामर्श बैठक हुई, नवंबर 2020 से यूरोपीय आयोग द्वारा केवल "समुद्र में पकड़े गए उत्पादों" के संबंध में काम करने वाले तेईस नए मत्स्य प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध किया गया।
- **जापान:** जापानी प्राधिकरणों से दीर्घावधि वार्ता के बाद, जापान ने भारत से ब्लैक टाइगर श्रिम्प कंसाइनमेंट पर निर्यात निरीक्षण छूट को 100% से कम करके 30% कर दिया।
- **चीन:** पहली बार, किसी विदेशी निरीक्षण एजेंसी द्वारा देश में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निरीक्षण वर्चुअल पद्धति के माध्यम से किया गया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम्स चाइना (जीएसीसी) ने क्रमशः 23.10.2020 और 30.10.2020 को दो चयनित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कोविड–19 और गुणवत्ता प्रोटोकॉल का वर्चुअल निरीक्षण किया। यह निरीक्षण बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास और भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद के समन्वय से किया गया।

(च) प्रौद्योगिकी विस्तार और सहायता

एनएसीएसए : एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी है, जो एक्वाकल्चर करने वाले किसानों के बीच क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रही है और इस अवधि के दौरान अप्रैल–अक्टूबर 2020 तक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में लगभग 29 कृषि क्लस्टर सोसायटियों का गठन किया गया। एनएसीएसए ने मिट्टी और पानी की गुणवत्ता के मापदंडों के परीक्षण और रोग निदान के लिए आंध्र प्रदेश (03), ओडिशा (03), पश्चिम बंगाल (03) और कर्नाटक (01) राज्यों में 10 एक्वा वन सेंटर की स्थापना की। सोसायटियों के झींगा किसानों को बिचौलियों से बचकर उनके उत्पाद को निर्यातकों को बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसीएसए एक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ई–सांता) पर काम कर रही है।

नेटफिश : एमपीडीईए के तहत एक सोसायटी है, जिसने मछली के गुणवत्ता प्रबंधन और समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण में क्षमता निर्माण पर सभी समुद्रतटीय राज्यों में चयनित हार्बरों और लैंडिंग केंद्रों में और उनके आसपास 19 विस्तार कार्यक्रम संचालित किए। यह मछुआरा सोसायटियों, संघों और अन्य गैर–सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग करके जमीनी स्तर पर काम करता है और अप्रैल से अक्टूबर 2020 की अवधि में लगभग 570 मत्स्यपालन हितधारक लाभान्वित हुए हैं।

(छ) अनुसंधान और विकास

- राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए), जो एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी है, ने विविधीकृत जलकृषि के संवर्धन के लिए अपनी 11 परियोजनाओं को संचालित करना जारी रखा। इसने विविधीकृत प्रजातियों के लिए हैचरी स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने हेतु एनएफडीबी के साथ संयुक्त प्रस्ताव की शुरुआत की है। विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया जिसने 11 उद्यमियों को सूचीबद्ध किया है। एनएफडीबी हैचरी निर्माण के लिए उद्यमियों को शीघ्र ही आदेश जारी करेगा।
- एमपीईडीए का बहुप्रजाति जलकृषि परिसर (एमएसी) वल्लारपदम, केरल में लगातार ब्लैक टाइगर झींगा के रोग

मुक्त सीड उपलब्ध करा रही है। यह परिसर जीआईएफटी, सीबेस और पोम्पानो के उच्च स्वास्थ्य सीडों की आपूर्ति भी करता है। इस अवधि के दौरान, एमएसी ने दक्षिणी राज्यों, केरल और तमिलनाडु में लगभग 1500 जलीय कृषि किसानों को इनकी आपूर्ति की।

- **अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान बीज की आपूर्तिः** निर्यात उन्मुख जलकृषि के विविधीकरण के लिए आरजीसीए द्वारा सीड आपूर्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैः

	प्रजाति	मात्रा	जिसे आपूर्ति की गई
बीज की आपूर्ति के ब्यौरे (प्रजाति वार)	सीब्रस फ्राई	18.31 लाख	कृषक/एमएसी/आरजीसीए
	क्रैबिन्स्टर	2.66 लाख	कृषक/सीआईबीए
	क्राब्लेट्स	शून्य	..
	आर्टेमिया बायोमास	273 किलोग्राम	एफसीआरई, तूतीकोरीन/ आरजीसीए/एनबीएफजीआर
	आर्टेमिया सिस्ट	126०6 टिन	आरजीसीए/कृषक
	एल वन्नामेई ब्रूडस्टॉक	6350	सीएए द्वारा अनुमोदित हैचरी
	एक्यूएफ (ब्रूडस्टॉक)	1.08 लाख	सीएए द्वारा अनुमोदित हैचरी
	तिलापिया सीड	14.37 लाख	एक्वाकल्चर कॉलेज, रत्नागिरी / कृषक/एमएसी
	तिलापिया ब्रूडस्टॉक	5100	तमिलनाडु सरकार/ हेचरी
	कोबिया सीड	..	..
	पोम्पानो फ्राई	1500 लाख	कृषक/सीएमएफआरआई/ एमपीईडीए/एडीएके
आरजीसीए–एमएसी (वल्लारपदम)	तिलापिया फ्राई / फिंगरलिंग्स	12.7 लाख	कृषक
	सीबासफ्राई / फिंगरलिंग्स	65243 लाख	कृषक/एफएफडीए
	पोम्पानो फ्राई फिंगरलिंग्स	2415	कृषक / एडीएके/सीएमएफआरई
	पी मोनोडन पोस्ट लार्वा	7.34 लाख	कृषक
	इट्रोप्लु	7380	कृषक

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आरजीसीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षणों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	एशियाई सीबास एक्वाकल्चर के लिए सर्वोत्तम पालन परिपाटियां	6	213
2	मड क्रेब एक्वाकल्चर	5	185
3	जीआईएफटी का प्रजनन, सीड उत्पादन और विकास कृषि	5	88
4	पीसीआर और एक्वाकल्चर पैथोलॉजी में इसका अनुप्रयोग	8	127
5	पीसीआर और एक्वाकल्चर अनुवांशिकी अनुसंधान में इसका अनुप्रयोग	6	142
6	समुद्री फिन फिशेज का केज कल्चर	1	20
7	आर्टेमिया एक्वाकल्चर	2	112
		33	887

5. व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय

व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (जिसे पहले पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के नाम से जाना जाता था) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी, को सभी व्यापार प्रतिकार प्रकार्यों अर्थात् पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) , प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), सुरक्षोपाय शुल्क (एसजीडी), सुरक्षा उपाय (क्यूआर) को एकल बिंदु ढांचे (सिंगल विंडो फ्रेमवर्क) के तहत शामिल करते हुए डीजीएडी को डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित और पुनः डिजाइन करते हुए मई, 2018 में डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस प्रकार डीजीटीआर का गठन डीजीएडी, वाणिज्य विभाग; सुरक्षोपाय महानिदेशालय, राजस्व विभाग और डीजीएफटी के सुरक्षोपाय (क्यूआर) प्रकार्यों को इसके अधीन विलय करके किया गया है। डीजीटीआर, विभिन्न सेवाओं और विशेषज्ञता से लिए गए अधिकारियों से निर्गत बहु–स्पेक्ट्रम कौशल सेट वाला पेशेवर रूप से एकीकृत एक संगठन है।

यह पाटनरोधी, प्रतिकारी शुल्कों और सुरक्षोपायों सहित सभी व्यापार प्रतिकार उपायों को संचालित करने के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर, एक पारदर्शी और समयबद्ध पद्धति में, विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम और नियमों तथा अन्य संगत कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रासंगिक ढांचे के तहत व्यापार प्रतिकार पद्धतियों का उपयोग करके किसी भी निर्यातक देश से पाटन और कार्रवाईयोग्य सब्सिडियों जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिकूल प्रभाव के विरूद्ध घरेलू उद्योग को एक उचित व्यापार परिवेश प्रदान करता है। यह हमारे घरेलू उद्योग और निर्यातकों को उनके विरूद्ध अन्य देशों द्वारा शुरू की गई व्यापार प्रतिकार जांच की घटनाओं से निपटने के लिए व्यापार रक्षा सहायता प्रदान करता है।

भारत, वस्तुओं के पाटन/सब्सिडी, घरेलू उद्योग को क्षति के प्रथमदृष्यटा साक्ष्यों तथा घरेलू उद्योग पाटन/सब्सिडी एवं घरेलू उद्योग को क्षति के बीच आकस्मिक लिंक के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनों के आधार पर पाटररोधी और सब्सिडीरोधी जांच करता है। इन जांचों में शामिल प्रमुख देशों में अन्यों के साथ–साथ चीन पीआर, कोरिया आरपी, चीनी ताइपे, यूरोपीय संघ, यूएसए, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील और जापान शामिल हैं।

परिवर्धित आयात, घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति तथा परिवर्धित आयात और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच आकस्मिक लिंक के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदनों के आधार पर सुरक्षोपाय जांच की जाती है।

01.04.2020 से 30.10.2020 तक की अवधि के दौरान, व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने 43 पाटनरोधी जांच, 4 प्रतिकारी शुल्क जांच और 1 सुरक्षोपाय जांच आरम्भ की। इस अवधि के दौरान 23 पाटनरोधी जांचों और 4 सुरक्षोपाय जांचों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए तथा 11 जांचों में प्राथमिक निष्कर्ष जारी किए गए।

घरेलू उद्योग के लिए पारदर्शिता, दक्षता और शीघ्र राहत को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में, डीजीटीआर ने पाटनरोधी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क और प्रतिकारी शुल्क जैसे विभिन्न व्यापार उपायों के लिए ऑनलाइन याचिका प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की है। इस पोर्टल का नाम एआरटीआईएस (भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार प्रतिकार के लिए आवेदन) है।

व्यापार प्रतिकार उपाय के बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने के लिए डीजीटीआर द्वारा अखिल भारतीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। व्यापार प्रतिकार उपायों के अधिरोपण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में घरेलू उद्योग, विशेषकर एमएसएमई, को सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। डीजीटीआर की व्यापार रक्षा विंग (टीडीडब्ल्यू) भारत से निर्यात के विरूद्ध अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा शुरू की गई व्यापार प्रतिकार जांचों की निगरानी करती है और निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करती है।

6. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), भारत के व्यापार आंकड़ों और वाणिज्यिक सूचनाओं के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है। इस निदेशालय का कार्यालय कोलकाता में स्थित है जिसके प्रमुख महानिदेशक, जो भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं, होते हैं। इसे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों और साथ ही विदेशी खरीददारों द्वारा अपेक्षित व्यापारिक आंकड़ों को संग्रहित करने, संकलन और प्रकाशित / प्रसारित करने और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। यह भारत के विदेशी व्यापार आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाणन 9001: 2015 के साथ देश में निर्यात और आयात डाटा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यशील बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग करने वाला पहला संगठन है।

(क) डीजीसीआईएंडएस में आंकड़ों की प्राप्ति

डीजीसीआईएंडएस, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मर्केंडाइज व्यापार के होने की स्थिति में उत्पन्न प्रशासनिक डाटा के भाग के रूप में विभिन्न सीमाशुल्क कार्यालयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से

डीटीआर (दैनिक व्यापार विवरणी) के रूप में वस्तु के निर्यात और आयात, दोनों के लिए बुनियादी डाटा प्राप्त करता है। सीमाशुल्क प्राधिकरण इन डीटीआर को तीन अलग–अलग मोडों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई), गैर–ईडीआई और मैनुअल में प्रसारित करता है। ईडीआई डाटा को भारतीय सीमाशुल्क ईटीआई गेटवे (आईसीईजीएटीई) के माध्यम से प्रतिदिन ऑन–लाइन प्रसारित किया जाता है। शेष बंदरगाहों से ई–मेल या सीडी के माध्यम से या मैनुअल रूप से टाइप / हाथ से लिखे गए कागजी अनुसूची के माध्यम से मासिक माल व्यापार डाटा प्रेषित किया जाता है। एसईजेड से भी एक दिन के अंतराल के बाद एनएसडीएल के माध्यम से दैनिक डीटीआर प्राप्त किए जाते हैं।

(ख) डाटा परिमाण

डीजीसीआईएंडएस में संसाधित किए जा रहे अभिलेखों की संख्या में वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2000–01 में संसाधित 39.00 लाख रिकॉर्ड की तुलना में वर्ष 2019–20 में इनकी संख्या बढ़कर 258.31 लाख हो गई। वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2020 तक) के साथ–साथ पिछले 4 वर्षों के दौरान संसाधित किए गए अभिलेखों की संख्या, लेनदेन के प्रकारों और मूल्यों के रूप में अभिलेखों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक (दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार) संसाधित अभिलेखों की संख्या

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2016-17	104,82,529	81,90,495	186,73,024
2017-18	112,88,464	91,98,264	204,86,728
2018-19	133,60,422	121,88,592	255,49,014
2019-20	137,43,809	120,87,439	258,31,248
2020-21 (31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार)	63,52,012	50,03,294	113,55,306

अभिलेखों के प्रकार के अनुसार संसाधित अभिलेख का प्रतिशत

वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ईडीआई	गैर–ईडीआई*	मैनुअल	ईडीआई	गैर–ईडीआई*	मैनुअल	ईडीआई	गैर–ईडीआई	मैनुअल
2016-17	90.31	9.13	0.56	94.08	5.88	0.04	91.96	7.70	0.33
2017-18	91.85	8.02	0.13	94.62	5.36	0.01	93.09	6.83	0.08
2018-19	93.30	6.70	0.00**	95.21	4.78	0.01	94.21	5.78	0.00**
2019-20	92.93	7.07	0.00**	94.93	5.07	0.00**	93.86	6.13	0.00**
2020-21 (31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार)	92.99	7.01	0.00**	94.68	5.31	0.00**	93.74	6.26	0.00**

**गैर–ईडीआई में एसईजेड भी शामिल है, **मैनुअल बंदरगाहों से प्राप्त डाटा बहुत कम है।*

व्यापार के मूल्य में लेन–देन के विभिन्न प्रकारों का प्रतिशत योगदान

वर्ष	निर्यात			आयात			कुल		
	ईडीआई	गैर–ईडीआई*	मैनुअल	ईडीआई	गैर–ईडीआई*	मैनुअल	ईडीआई	गैर–ईडीआई	मैनुअल
2016-17	79.79	20.11	0.11	80.53	19.30	0.17	80.22	19.64	0.14
2017-18	83.57	16.33	0.10	87.40	12.55	0.05	85.89	14.04	0.07
2018-19	84.84	15.16	0.00**	89.05	10.94	0.01	87.40	12.59	0.01
2019-20	84.48	15.52	0.00**	88.19	11.81	0.00**	86.71	13.28	0.00**
2020-21 (31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार)	88.43	11.57	0.00**	90.39	9.61	0.00**	89.51	10.49	0.00**

**गैर–ईडीआई में एसईजेड भी शामिल है, **मैनुअल बंदरगाहों से प्राप्त डाटा बहुत कम है।*

विदेश व्यापार आंकड़ों को जारी करना

क्रम सं.	संवितरण स्तर	रिलीज का कैलेंडर
1	वाणिज्य विभाग द्वारा त्वरित अनुमानों के रूप में व्यापार डाटा की मासिक प्रेस रिलीज	अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक
2	मुख्य वस्तु स्तर का व्यापार डाटा	अनुवर्ती माह के तीसरे सप्ताह तक
3	8–अंकीय वस्तु (एचएस कोड) स्तर का व्यापार डाटा	माह की समाप्ति के 45 दिनों की अवधि के भीतर

उपरोक्त सभी का प्रसार वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है।

(ग) नई पहलों के क्षेत्र

- वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से डीजीसीआईएंडएस ने डाटा विश्लेषण कार्य शुरू किया है। इस संबंध में, डीजीसीआईएंडएस में डाटा वेयरहाउस स्थापित करने के लिए ओरेकल बिजनेस इंटेलीजेंस (ओबीआई) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदा गया है। डाटा वेयरहाउस में आरम्भ में पिछले 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड में सभी देशों के लिए उपलब्ध सभी संचयी डाटा शामिल होंगे। डाटा विश्लेषण का कार्य आरम्भ में व्यापार के विभिन्न विलक्षणों को मापने के लिए 10 अनुकूलित आर्थिक संकेतक विकसित करके शुरू किया गया है। संकेतकों का उपयोग करते हुए, अनेक रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। अतिरिक्त संकेतकों पर विचार किया जा रहा है और निकट भविष्य में इनकी गणना की जाएगी।
- डीजीसीआईएंडएस के लिए ऑनलाइन डाटा प्रसार पोर्टल को व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के साथ–साथ भुगतान के आधार पर अधिकृत (डीजीटीआर द्व ारा) निजी पक्षकारों के लिए पाटनरोधी मामलों से संबंधित ऑनलाइन डाटा प्रेषण को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया है।
- एसटीपीआई के लिए संस्थागत तंत्र के माध्यम से सेवाओं में व्यापार डाटा के नियमित संग्रह और संकलन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एसईजेड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट रिपो टग फॉर्मेट (एसीआरएफ) के कार्यान्वयन के अधीन है।

7. गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम)

(क) गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गठित विशिष्ट प्रयोजन साधन (जीईएम–एसपीवी)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) को राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी।
- दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में निम्नलिखित प्रविष्टि की गई: –

  "32. राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल–गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस का विकास, संचालन और अनुरक्षण''
- जीएफआर, 2017 के नियम 149 के अनुसार, जीईएम पर उपलब्ध सामान और सेवाएं अनिवार्य रूप से जीईएम के माध्यम से ही खरीदी जानी चाहिए।
- एक खुले और पारदर्शी खरीद मंच के माध्यम से प्रापण में आसानी के संदर्भ में होने वाले अपार लाभों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (केरल और सिक्किम को छोड़कर) ने उनके द्वारा अपेक्षित माल और सेवाओं की निर्बाध अधिप्राप्ति के लिए जीईएम के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।
- स्थापना के बाद से, जीईएम ने 6.44 लाख से अधिक विक्रेताओं, 10,030 उत्पाद श्रेणियों, 170 सेवा श्रेणियों और लगभग 16.07 लाख उत्पादों के साथ एक बाज़ार का निर्माण किया है। 04.11.2020 तक की स्थिति के अनुसार 47,798 से अधिक सरकारी संगठनों ने 70,035 करोड़ रूपये के कुल मूल्य के 49. 58 लाख से अधिक लेनदेन किये हैं।
- कुल 6.44 लाख वेंडरों को ऑनबोर्ड किया गया है, जिनमें से 1.55 लाख एमएसएमई हैं, जो वेंडर बेस का लगभग 24.1% हैं और यह जीईएम पर संचयी सकल मर्चेंडाइज मूल्य के 50: से अधिक का योगदान देता है।
- जीईएम पर खरीददारों के लिए प्रतीक्षा समय और कीमतों में भारी कमी आई है और विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है। जीईएम ने जीएफआर में निर्धारित खरीद के विभिन्न तरीकों को सक्षम किया है और खरीद के दौरान संसूचित निर्णय लेने के लिए खरीददारों की सुविधा के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक साधन उपलब्ध कराए हैं। विश्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चलता है कि फरवरी, 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के लिए जीईएम पर औसत कीमत 9.75% की औसत बचत का संकेत देता है, जिसमें शीर्ष पांच

श्रेणियों में अधिकतम बचत 23.48% से लेकर 60.52% है। यह मुख्यतः बड़े पैमाने पर प्रति बोली की भागीदारी में वृद्धि और जीईएम पोर्टल पर प्रभावी मूल्य खोज के कारण संभव हुआ है।

- जीईएम ने एकल प्रयोक्ता अनुभव प्रदान करने के लिए रक्षा सार्वजनिक प्रापण पोर्टल, केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल और इसके उप–पोर्टलों की विशेषता को शामिल करते हुए सरकार के दृष्टिकोण को अनुरूप देश के लिए एकीकृत प्रापण प्रणाली का सृजन किया है। रेलवे के साथ एकीकरण प्रगति पर है। एकीकृत प्रापण प्रणाली जीईएम पर प्रकाशित पोर्टल्स पर प्रकीर्ण विक्रेता बेस को एकीकृत करेगा, जिससे बड़े पैमाने की किफायत, बेहतर मूल्य खोज और प्रापण में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार का लाभ मिलेगा।
- समावेश, एमएसएमई, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), आदिवासी कारीगरों, शिल्पकारों, स्टार्ट–अप्स, को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से जीईएम ने अपने स्टार्टअप रनवे, सरल कलेक्शन, ट्राइब्सइंडिया, ईस्टोर, कारीगरों और बुनकरों की ऑनबो डग आदि के माध्यम से अपनी ओनबो डग के लिए विभिन्न पहलें की हैं।
- जीईएम का संचालन प्रतिनियुक्त पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों के साथ–साथ बाजार संसाधनों के माध्यम से किया जाता है।

8. व्यापार सुविधा सेवा संस्थान (एफडीडीआई, आईडीआई, आईआईपी, आईआईएफटी)

(क) फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फुटवियर तथा संबद्ध उत्पाद उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए वर्ष 1986 में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) की स्थापना की गई थी।

एफडीडीआई, जो एफडीडीआई अधिनियम, 2017 के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का दर्जा रखने वाला एक अग्रणी संस्थान है, जो फुटवियर, चर्म (लेदर) एवं संबद्ध उद्योग में 'वन स्टॉप समाधान प्रदाता' के रूप में सेवा प्रदान कर रहा है।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान फुटवियर, चर्म (लेदर), फैशन, रिटेल एवं प्रबंधन के क्षेत्रों में कौशल–खामियों को दूर करते हुए भारतीय उद्योग–जगत को सुगमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान अपनी विशिष्ट पाठ्यचर्या, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, विश्व स्तरीय अवसंरचना तथा अनुभवी प्राध्यापकों के साथ कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अप्रयुक्त प्रतिभा एवं उद्योग–जगत तथा वैश्विक स्तर पर इसके समकक्ष संस्थानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है।

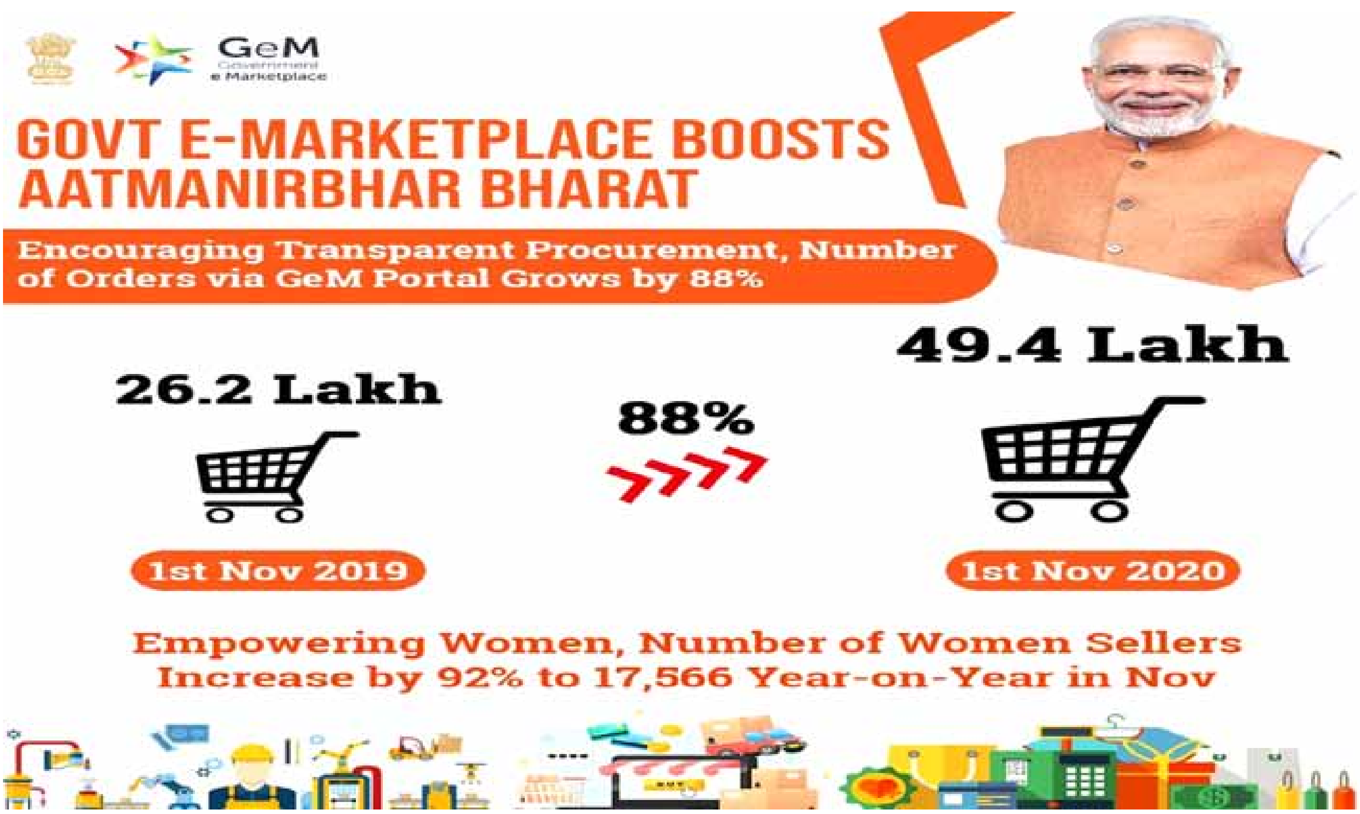

एफडीडीआई, नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, रोहतक, छिंदवाड़ा, गुना, जोधपुर, अंकलेश्वर, चंडीगढ़, पटना और हैदराबाद में स्थित अपने कैंपसों के माध्यम से दीर्घकालिक कार्यक्रमों (अवर स्नातक और स्नाकोत्तर) तथा अल्पकालिक (प्रमाणन) कार्यक्रमों का संचालन करके कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

क्र.स.	स्नातक डिग्री कार्यक्रम	स्नाकोत्तर डिग्री कार्यक्रम
1.	डिजाइन में स्नातक (फुटवियर डिजाइन एवं विनिर्माण) – 4 वर्षीय	डिजाइन में स्नाकोत्तर (फुटवियर डिजाइन एवं विनिर्माण) – 2 वर्षीय
2.	डिजाइन में स्नातक (चर्म वस्तुएं एवं एक्सेसरीज़ डिजाइन) 4 वर्षीय	एम.बी.ए. (रिटेलएवं फैशन मर्केडाइज)–2 वर्षीय
3.	डिजाइन में स्नातक (फैशन डिडिजाइन) – 4 वर्षीय	
4.	बी.बी.ए. (रिटेल एवं फैशन मर्केडाईज) 3 वर्षीय	

इसके अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (आईटीसी) को एसएटीआरए – यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रख्यात 17025 प्रमाणन एवं प्रत्यायन प्राप्त हैं। इसके अलावा, संस्थान ने समय समय पर शीर्ष प्रबंधन एवं फैशन डिजाइन संस्थानों जैसे कि एलडीटी नागोल्ड, जर्मनी; एआरएस सुतोरिया, इटली; थामस बाटा विश्वविद्यालय (टीबीयू), चेक गणराज्य; नार्थेम्पटन विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम के साथ शैक्षिक गठबंधन किया है, जो कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है तथा छात्र/संकाय एक्सचेंज कार्यक्रम की संभावना प्रदान करता है ताकि वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम हो सकें।

संस्थान को गतिशील कार्यस्थल परिवेश, विशिष्ट एवं नूतन सामग्री और डिलीवरी तंत्र के प्रति अपनी प्रासंगिकता के कारण प्रशिक्षण और कंसल्टेंसी के क्षेत्र में वैश्विक रूप से उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त है और विश्वव्यापी उद्योग–जगत/शैक्षणिक समुदाय में उच्च मान्यता प्राप्त है। इसने बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे एशियाई देशों तथा इथोपिया, बोत्सवाना, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अनेक अफ्रीकी देशों में प्रशिक्षण एवं कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपने लिए एक अलग स्थान बनाया है।

एफडीडीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने वाली 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में 85: से अधिक प्लेसमेंट की उपलब्धि प्राप्त की गई है। चर्म और फुटवियर के व्यापार में संलग्न शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ पदों पर एफडीडीआई के पूर्व छात्र से भरी हुई है।

वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्यकलाप / कार्यक्रम :

(i) कोविड–19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में एक गतिशील वर्चुअल अधिगम परिवेश का सृजन

कोविड–19 के कारण उत्पन्न वर्तमान परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में, एफडीडीआई अपने छात्रों के लिए वर्चुअल अधिगम परिवेश को सक्षम बनाते हुए उनके शैक्षणिक कैलेंडर के लिए प्रतिबद्ध है।

एफडीडीआई सफलतापूर्वक गूगल क्लासरूम प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित हो गया है और निरंतर कक्षाकक्ष शिक्षण और अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सभी अवर स्नातक और स्नाकोत्तर छात्रों के लिए सभी कक्षाएं वर्चुअल रूप से आयोजित की जा रही है।

इस नए परिवेश ने संकाय सदस्यों और छात्रों को एक–दूसरे के साथ बातचीत जारी रखने में सक्षम बनाया है और यह भी सुनिश्चित करता है कि छात्र इस कठिन समय के दौरान सक्रिय और सार्थक रूप से अध्ययन में संलग्न हैं।

इसके अलावा, अब तक (अर्थात् 22.10.2020 तक) चर्म, फैशन, फुटवियर और खुदरा उद्योग के निष्ठावान समर्थकों द्वारा 25 से अधिक वेबिनारों का आयोजन किया गया जिनमें कौशल को बढ़ावा देने पर बल दिया गया ताकि छात्र स्वयं को वंचित महसूस न करें। इस तरह की अंतर्दृष्टि प्राप्त करना न केवल उनके कौशल और ज्ञान के महत्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कैरियर की प्रगति को सुरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

(ii) एंड–टू–एंड ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

एफडीडीआई ने डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए 2020–21 सत्र के लिए सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पंजीकरण से लेकर पाठ्यक्रम आबंटन तक संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन समाधान जारी रहा, जिसमें छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं किया गया। प्रवेश प्रक्रिया अब बंद कर दी गई है और 21.09.2020 से वर्चुअल प्लेटफॉर्म (जी सूट) के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

(iii) अंत्यावधि परीक्षा

शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, एफडीडीआई के सभी परिसरों में सेमेस्टर से संबंधित सभी विषयों के पाठ्यक्रम को 22 मई 2020 तक पूरा कर लिया गया था।

एफडीडीआई के सभी परिसरों के लिए कैम्पस वार ऑनलाइन अंत्यावधि परीक्षा 1 जून, 2020 से 12 जून, 2020 तक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की गई। अध्यादेश में निर्दिष्ट मानदंडों

के अनुसार, विभिन्न असाइनमेंट के आधार पर और प्रयोगशाला कार्य में पाठ्यक्रम के अनुसार आंतरिक कार्य के लिए छात्रों का मूल्यांकन किया गया।

(iv) छात्रों का प्लेसमेंट

कोविड–19 महामारी के कारण इस वर्ष लॉकडाउन के पश्चात्, एफडीडीआई में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन एक छिटपुट तरीके से किया गया। अब तक, छात्रों ने बाटा इंडिया लिमिटेड, बायजू, कोंडोर फुटवियर, नोउवा शूज, अरविंद फुटवियर, इंडसइंड बैंक, सुपर हाउस, सैनफ्रिसको, वर्सटाइल ग्रुप, वुडलैंड आदि कंपनियों में नौकरी के अवसर प्राप्त किए हैं।

अब तक का सबसे बड़ा पैकेज बेंगलुरू के ट्रूडल फैशन प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए 6.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

अनलॉक 5 की शुरुआत के साथ, एफडीडीआई उम्मीद कर रहा है कि और अधिक कंपनियां भर्ती के लिए आगे आएंगी क्योंकि उद्योग धीरे–धीरे नियमित कार्य क्षमता में आने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में, डेकाथलॉन, रेवलॉन, अमेज़ॅन, मिंत्रा, रिलैक्सो फुटवियर, एडिडास, कैम्पस शूज़, लिबर्टी शूज़ आदि कंपनियां छात्रों को भर्ती करने की प्रक्रिया में हैं।

(v) 'मेक इन इंडिया–2.0' (एमआईआई) कार्यक्रम के तहत मानकों का स्तरोन्नयन और विकास

एफडीडीआई द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों के साथ निम्नलिखित मानकों को सफलतापूर्वक स्तरोन्नयन किया गया तथा इन मानकों को बीआईएस द्वारा भी प्रकाशित किया गया:

- पीयू–रबड़ के तल्लों सहित हाइ एंकल टैक्टिकल बूट मान (आईएस–17012:2018)
- अर्द्धसैनिक बलों (आरएएफ) के लिए पीयू–रबड़ के तल्लों सहित एंटी–रायट जूतेः अंतिम मानक (आईएस–17037:2018)
- पीयू–रबड़ के तल्लों सहित शूज़ डर्बी ब्लैक मानक (आईएस–17043:2018)
- अर्द्धसैनिक बलों के लिए ऑल रबर गम बूट एवं एंकल बूट (आईएस 5557 भाग 2:2018)

वर्तमान में, निम्नलिखित पांच (05) प्रकार के फुटवियर और चमड़े (लेदर) के उत्पादों की मसौदा गुणवत्ता अपेक्षाएं (क्यूआर) सीएचडी –19 (बीआईएस) के पैनल –1 द्वारा समीक्षाधीन हैः

- आईटीबीपी के लिए बर्मा शू (एंकल)।
- अर्द्धसैनिक बलों के लिए टेक्सटाइल अपर और पीयू तल्लों सहित जंगल बूट (एंकल)।
- आईटीबीपी के लिए लेदर बेल्ट ब्लैक।
- बीएसएफ के लिए उच्च तापमान प्रतिरोधी पैट्रोलिंग बूट।
- स्मंजीमत ठमसज ठसंबा वित प्ज्ठच

(vi) आय और व्यय

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए एफडीडीआई की कुल आय 69.50 करोड़ रुपये है और व्यय 64.50 करोड़ रुपये है (आंकड़े अनंतिम और गैर–लेखापरीक्षित हैं)।

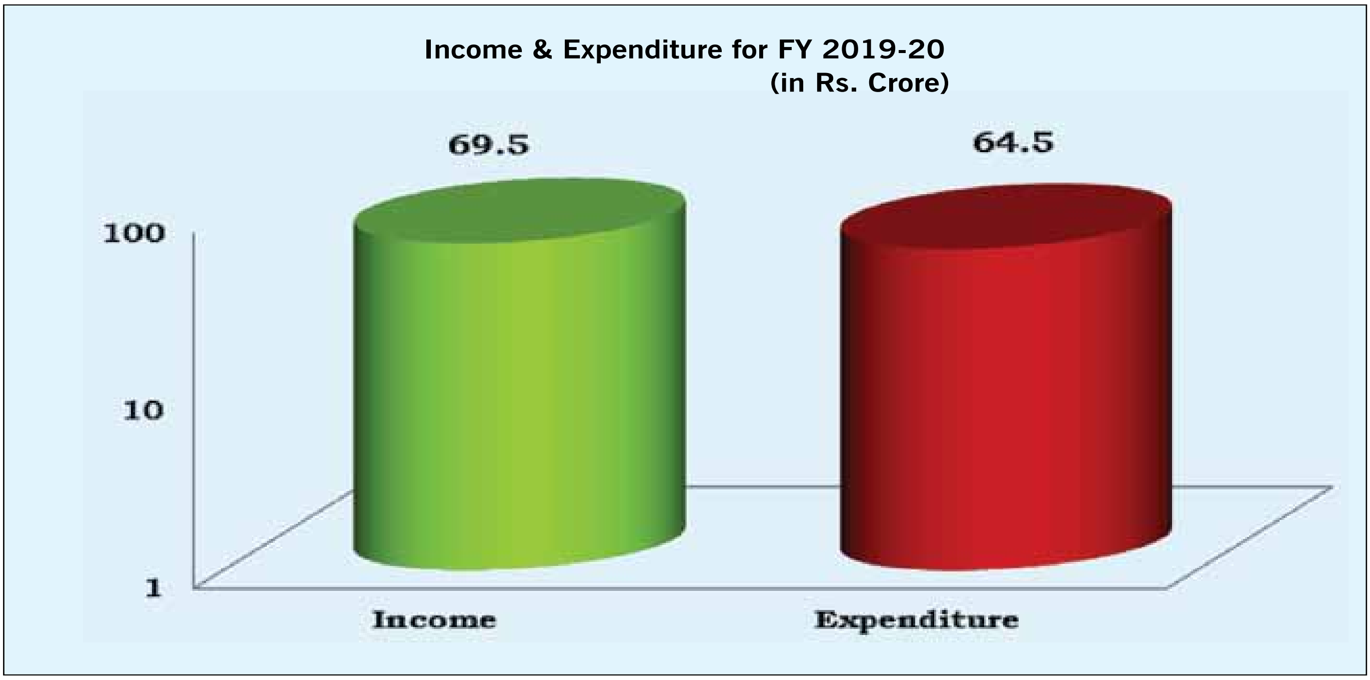

(vii) मानव संसाधन विकास उप–स्कीम का कार्यान्वयन

एफडीडीआई, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय फुटवियर, लेदर एवं एसेसरीज विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) की मानव संसाधन विकास उप–स्कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। एफडीडीआई ने 2020–21 के दौरान गौण कौशल स्तरोन्नय प्रशिक्षण के लिए 2803 प्रशिक्षणों का नामांकन किया है जिनमें 1853 पुरूष और 950 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं।

(viii) एकीकृत चर्म क्षेत्र विकास (आईडीएलएस) स्कीम का कार्यान्वयन

एफडीडीआई और सीएलआरआई, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के दो अंग है, जो क्रमशः टेनरियों और उत्पाद इकाइयों के लिए 3 वर्ष (2017–20) की अवधि के लिए एकीकृत चर्म क्षेत्र विकास (आईडीएलएस) योजना के लिए उत्पाद क्षेत्र हेतु परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आईडीएलएस स्कीम के तहत अब तक 905 आवेदक वेब पोर्टल पर पंजीकृत किए जा चुके हैं।

स्थिति	आवेदकों की संख्या
वेबपोर्टल पर पंजीकृत आवेदक	905
विभिन्न उत्पाद यूनिटों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन	549

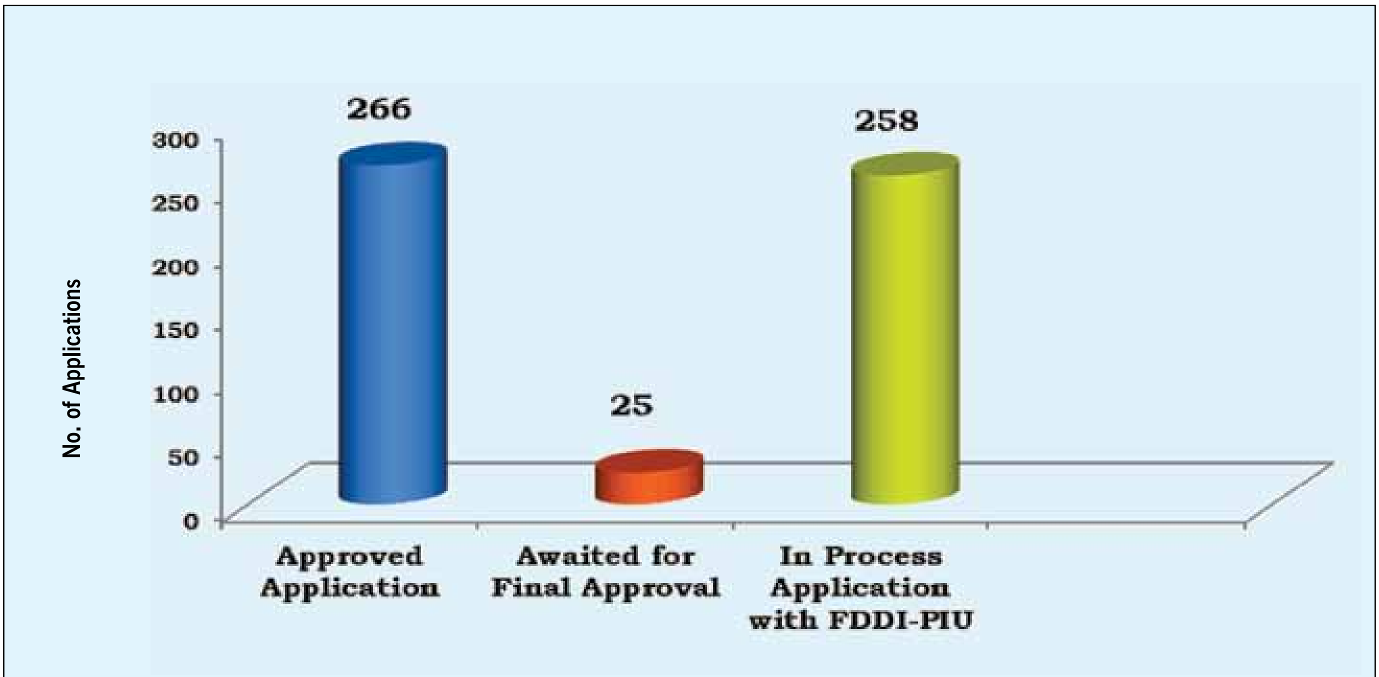

549 आवेदनों में से, 266 आवेदनों को संचालन समिति द्वारा 111.89 करोड़ रुपये के कुल अनुदान के लिए मंजूरी दी गई है और 25 आवेदन अनुमोदन के लिए डीपीआईआईटी को भेजे गए हैं। शेष 258 आवेदन मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। एफडीडीआई ने अब तक 106.92 करोड़ रुपये का संवितरण किया है।

क्रम सं.	एफडीडीआई में आवेदन स्थिति का ब्यौरा	आवेदकों की संख्या	आईडीएलएस सब्सिडी की राशि (मूल्य करोड़ रूपये में)
1	अनुमोदित आवेदन	266	111.89
2	जिन पर अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है	25	16.50
	जो आवेदन मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं	258	
एफडीडीआई–पीआईयू के पास कुल आवेदन		**549**	

(ix) एफडीडीआई के कुछेक परिसरों का उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन

एफडीडीआई के विभिन्न परिसरों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 129.62 करोड़ रुपये की मंजूरी के बाद, विभिन्न राज्य सरकार की एजेंसियों / अधिकारियों के साथ प्रारंभिक गतिविधियां, चर्चाओं / अनुवर्ती कार्रवाई पटना, रोहतक, जोधपुर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई में की गई।

लक्षित निर्माण गतिविधियां बहुत ही तीव्र गति से संचालित की गई हैं। तैयार हो जाने के बाद, ये केंद्र अत्यावश्यक अनुसंधान एवं विकास की सुविधा तथा उद्योग–जगत की उत्पाद विकास, तकनीकी सहायता जैसी समस्याओं का समाधान करेंगे और ऊद्वन एवं उद्यमिता विकास के लिए के लिए केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे।

(x) अंतर्राष्ट्रीय परामर्श

सीएलआरआई के साथ एफडीडीआई ने वर्ष 2020 में ट्विनिंग फेज–2 परियोजना को पूरा कर लिया है। इस विस्तार के तहत, लेदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एलआईडीआई), इथोपिया के 13 संकायों को मास्टर कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।

ट्विनिंग विस्तार परियोजना के तहत, एफडीडीआई ने इथोपिया के लिए गैर–लेदर फुटवियर और उत्पाद क्षेत्र के लिए भावी कार्यनीति भी विकसित की है। परियोजना के विस्तार चरण के तहत परियोजना में 5 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2020–2025 तक विस्तार किया गया है। विस्तार चरण में गैर–लेदर क्षेत्र, संयुक्त परामर्श में क्षमता विकास, लघु अवधि कार्यक्रम, परास्नातक कार्यक्रम और सामाजिक जवाबदेही, गैर–लेदर उत्पादों पर विशेष अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित टीवीईटी (तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र) की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

असाइनमेंट का संविदा मूल्य 1 मिलियन यूएस डॉलर है। एलआईडीआई ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में दीर्घावधि मास्टर कार्यक्रम के लिए 10 छात्रों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया है।

(xi) वर्चुअल फुटवियर एवं लेदर एक्सपो 2020

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से एफडीडीआई ने चमड़ा और फुटवियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 30 नवंबर, 2020 से 6 दिसंबर, 2020 तक 'वर्चुअल फुटवियर एवं लेदर एक्सपो 2020' के पहले संस्करण का आयोजन किया।

(xii) मधुबनी, बिहार में 'टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (हार्ड गुड्स) पर मधुबनी चित्रकला' के लिए प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया

गैर–कृषि आय के स्रोत के सृजन के लिए, एफडीडीआई ने बिहार के मधुबनी जिले के सिस्वार गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। यह केंद्र गमलों, महिलाओं के बैग, मोबाइल स्टैंड, पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम, कार्ड होल्डर, गृहसज्जा उत्पादों जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए चमड़े और अन्य सामग्री से बने होते हैं, आदि जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (हार्ड गुड्स) पर मधुबनी चित्रकला का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इस केंद्र का उद्घाटन दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को ग्राम पंचायत राज्य सिस्वार की मुखिया, श्रीमती अर्चना देवी द्वारा किया गया था।

प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए ग्राम पंचायत राज्य सिस्वार की मुखिया, श्रीमती अर्चना देवी

मिथिला चित्रकला या मधुबनी चित्रकला, उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक चित्रकला की एक शैली है। चित्रकला की यह शैली पारंपरिक रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा की गई है, हालांकि अब पुरुष भी इस अनूठी कला में शामिल हैं। ये चित्रकला अपने आदिवासी अनुकल्पों के कारण लोकप्रिय हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से इस सुंदर कला को कुटीर उद्योग के एक भाग के रूप में पुनर्जीवित करने, पुनःनिर्मित करने और विकसित करने और इस कला में लगे बेरोजगार युवाओं / प्रवासी श्रम कारीगरों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उत्पाद विकसित करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाते हैं।

इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, यह क्षेत्र शीघ्र ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक अलग मंच और श्रेणी तैयार करेगा तथा कारीगरों के लिए अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक लाभ अर्जित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य का विकास होगा।

(ख भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के साथ–साथ बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत वर्ष 1978 में भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) की स्थापना की गई थी। आईडीआई, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा यह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) की एक परियोजना है। आईडीआई, हीरा विनिर्माण, हीरा ग्रेडिंग, आभूषण डिजाइनिंग एवं आभूषण विनिर्माण, रत्नशास्त्र के क्षेत्रों में व्यावसायिक शैक्षणिक स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन करता है, इस प्रकार रत्न एवं आभूषण शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को एक ही परिसर में कवर कर रहा है। यह संस्थान स्वर्ण मूल्यांकन और हीरा ग्रेडिंग पहलुओं के संबंध में सीमाशुल्क अधिकारियों का कौशलवर्धन/कौशल प्रदान करता है। यह संस्थान उद्यमी विकास केंद्र (सीईडी), गुजरात सरकार की कौशलवर्धन स्कीम के तहत एमएसएमई रत्न एवं आभूषण इकाइयों मौजूदा कर्मचारियों के कौशल का स्तरोन्नयन भी करता है।

आईडीआई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एंकर संस्थान – रत्न एवं आभूषण के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। यह संस्थान हीरा उद्योग के लिए गुजरात में और आभूषण क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) को कार्यशील बनाने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में माध्यम बन गया है।

इस संस्थान की रत्न विज्ञान प्रयोगशाला, हीरा, रत्न एवं आभूषणों के परीक्षण एवं अभिनिर्धारण के कार्य में संलग्न है तथा यह हीरा ग्रेडिंग, रत्न अभिनिर्धारण एवं आभूषण गुणवत्ता रिपोर्ट भी जारी करता है। संस्थान की हीरा ग्रेडिंग प्रयोगशाला को विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 4 के अनुसार डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 0.10 कैरेट तथा इससे अधिक कैरेट के हीरे के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए अधिकृत किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान, छोटे/मध्यम हीरा विनिर्माताओं / हीरा व्यापारियों/ जौहरियों को सस्ती दरों पर हीरा परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने काटरगाम कैंपस में हीरा अनुवेदन एवं संसाधन केन्द्र (डीडीआरसी) का भी संचालन करता है। आईडीआई, हीरा और स्वर्ण बुलियन व्यापार के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए ''सिंथेटिक डायमंड की पहचान'' और आईएस:1418:2009 द्वारा ''स्वर्ण की परख'' पर विभिन्न कार्यशालाओं / सेमिनारों का आयोजन भी करता है।

(ग) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), जो कि एक स्वायत्त निकाय है, को प्रमुख पैकेजिंग और संबद्ध उद्योगों और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा मई, 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्थान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और कोलकाता (1976), चेन्नई (1971), दिल्ली (1986), हैदराबाद (2006) और अहमदाबाद (2017) में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। यह संस्थान पैकेजिंग सामग्री के परीक्षण और प्रमाणन तथा खतरनाक / जोखिमपूर्ण वस्तुओं के परिवहन के लिए पैकेजिंग के अनिवार्य संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन सहित घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग, पैकेजिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, परियोजनाए और अनुसंधान एवं विकास जैसी विभिन्न गतिविधियों में कार्यरत है।

(i) प्रशिक्षण और शिक्षण

वर्ष 2019–20 (बैच 2018–20) के दौरान, 180 छात्रों को पैकेजिंग में स्नाकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपी) से सम्मानित किया गया तथा 110 छात्रों ने आईआईपी द्वारा पैकेजिंग में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (डीईपी) उत्तीर्ण किया।

(ii) पैकेजिंग डिजाइन और विकास

- घरेलू पैकेजिंग मानकों का विकासः आईआईपी ने नौसेना के लिए ताजी सब्जियों और फलों की पैकेजिंग के लिए 46 मानक तैयार किए हैं। इसके अलावा, मसाला बोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, ट्राइफेड और आईआरसीटीसी आदि के लिए 11 पैकेजिंग मानक विकसित किए जा रहे हैं।
- निर्यात पैकेजिंग मानक तैयार करनाः एपीडा के लिए फलों और सब्जियों के लिए 21 निर्यात पैकेजिंग मानक विकसित किए गए।
- पैकेज डिजाइन का विकासः 4 सजातीय खाद्य पदार्थों जैसे कि कासुंदी, शहद और जयनगर मोआ आदि के लिए शेल्फ–लाइफ को बढ़ाने के लिए पैकेज डिजाइन विकसित किए।

(iii) परीक्षण और प्रमाणन

आईआईपी केंद्रों द्वारा जारी किए गए हानिकारण वस्तुओं के लिए निर्यात पैकेजों का संयुक्त राष्ट्र प्रमाणनः

जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तुओं (आईएमडीजी) की संख्या)	जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ))
7607	1765

वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

- समुचित समझौता ज्ञापन के निष्पादन के पश्चात् भारतीय महिला उद्यमी संघ (एएलईएपी), हैदराबाद के सहयोग से खाद्य पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- आईआईपी दिल्ली ने भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ), मुंबई के सहयोग से दिनांक 10 जुलाई, 2020 को "अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए पैकेजिंग" पर एक संयुक्त सहयोगी वेब सम्मेलन आयोजित किया।
- दिनांक 5 अगस्त, 2020 को पैकेजिंग में कोरूगेटेड फाइबर बोर्ड (सीएफबी) पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 53 प्रतिभागियों ने भुगतान आधार पर भाग लिया।
- **पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः** 10 –14 अगस्त, 2020 के बीच ''कोविड के दौर के बाद उत्पाद संवर्धन और पैकेजिंग'' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आईआईपी और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई–एमएसएमई) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- **दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः** पैकेजिंग सामग्री और पैकेजिंग के परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन पर दिनांक 17 से 18 सितंबर, 2020 के दौरान ऑनलाइन माध्यम से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- **सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत "मछली और समुद्री उत्पादों की पैकेजिंग" और "फलों और कृषि उत्पादों की पैकेजिंग" पर सात दिनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को आईआईपी, हैदराबाद और एमएसएमसी – विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन और पैकेजिंग आवश्यकताओं (उद्यमियों और पेशेवरों के लिए एक सहयोगी कार्यक्रम) पर वेबिनार का आयोजन किया गया।
- सितंबर और अक्टूबर, 2020 में खिलौनों (सॉफ्ट खिलौने सहित), खेल सामग्री, कालीन, परिधान के संवर्धन में पैकेजिंग की भूमिका पर चर्चा करने के लिए तीन वेबिनार आयोजित किए गए, जिनमें 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- लेह प्रशासन के सहयोग से लेह–लद्दाख के शिल्पों जैसे पट्टू, थांगका पेंटिंग, पश्मीना शॉल, कालीन, लद्दाखी ऊनी कपड़े, हैंड प्रेयर पहिया आदि की पैकेजिंग के लिए क्षेत्र के कारीगर / शिल्पकारों के लिए दिनांक 23 नवंबर, 2020 को लेह में एक कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- श्रीनगर में कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से कश्मीर के उत्पादों, जैसे पश्मीना, कालीन, सेब आदि की पैकेजिंग पर क्षेत्र कारीगरों, शिल्पकारों / व्यापारियों के लिए दिनांक 21 दिसंबर, 2020 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ङ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

(i) सिंहावलोकन

- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना दिनांक 2 मई, 1963 को विदेशी व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मई 2002 में संस्थान को उसकी सर्वांगीण उपलब्धियों के लिए "डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी" का दर्जा दिया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जून, 2018 में संस्थान को श्रेणी–I "डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी" के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने वर्ष 2015 में आईआईएफटी को 3.53 के समग्र सीजीपीए स्कोर के साथ उच्चतम ग्रेड 'ए' के साथ प्रत्यायित किया गया। आईआईएफटी एएसीएसबी प्रत्यायन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है और आईआईएफटी के आईएसईआर को आईएसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(ii) आईआईएफटी की रैंकिंग

- एनआईआरएफ रैंकिंग, 2020 में, कुल 630 बिजनेस स्कूलों ने प्रबंधन श्रेणी में भाग लिया। पिछले वर्ष की तुलना में आईआईएफटी को प्रबंधन श्रेणी में पांच स्थानों के उछाल के साथ 26 वाँ स्थान दिया गया।
- आईआईएफटी ने बिजनेस टुडे–एमडीआरए बी–स्कूल रैंकिंग सर्वे 2020 में भाग लिया और निम्नलिखित स्थान प्राप्त किए:
  - सरकारी बी–स्कूल श्रेणी में, आईआईएफटी को भारत में 7 वें सर्वश्रेष्ठ बी–स्कूल का स्थान दिया गया है।
  - समग्र रूप से शीर्ष बी–स्कूल के मापदंड प,र आईआईएफटी को भारत में 11वेँ सर्वश्रेष्ठ बी–स्कूल का स्थान दिया गया है।
- कैरियर–360 बी–स्कूल रैंकिंग में, आईआईएफटी ने भारत में सर्वश्रेष्ठ बी–स्कूल के रूप में 14 वीं रैंक हासिल की।

(iii) संगठनात्मक ढांचा और प्रकार्य

प्रबंधन बोर्ड संस्थान का प्रधान कार्यकारी निकाय है। प्रबंधन बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं और इसके प्रमुख संस्थान के निदेशक हैं। वाणिज्य विभाग के सचिव, संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान के निदेशक संस्थान के प्रधान कार्यकारी होते हैं और संस्थान के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं। प्रबंधन बोर्ड संस्थान का प्रधान कार्यकारी निकाय है। प्रबंधन बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं और इसके प्रमुख संस्थान के निदेशक हैं। वाणिज्य विभाग के सचिव, संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान के निदेशक संस्थान के प्रधान कार्यकारी होते हैं और संस्थान के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं।

(iv) आईआईएफटी का संस्थागत ढांचा

आईआईएफटी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग के संवर्धन और प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित विभाग हैं:

- **कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग**

कार्यकारी प्रबंधन परियोजना प्रभाग की परिकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और व्यापार नीतियों पर इसकी विवक्षाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापक समझ का विकास करने के लिए सरकारी अधिकारियों, राजनयिको, उद्यमियों, निर्यातकों, कोरपोरेट सेक्टर और सिविल सोसायटी के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई है। ईएमपीडी, अनेक समसामयिक व्यापार और आर्थिक मुद्दों के संबंध में विश्लेषणों, विचारों, दृष्टिकोण का सृजन करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों की शुरूआत करता है।

मुख्य विशेषताएं:

  - ईपीजीडीआईबी (ऑन–कैंपस एंड हाइब्रिड) 2019–2020 के 134 छात्रों के लिए दिनांक 2 से 7 फरवरी, 2020 तक बेल्जियम और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
  - ईपीजीडीआईबी (ऑन–कैंपस एंड हाइब्रिड) 2020–2021 कार्यक्रम दिनांक 8 अगस्त, 2020 को कुल 111 प्रतिभागियों के साथ शुरू किया गया था।

- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग**

इस संस्थान का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग, सरकारी/पीएसयू के अधिकारियों/कार्यपालकों, अंतराष्ट्रीय व्यापार, अंतराष्ट्रीय विपणन, वित्त, निर्यात–आयात प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कार्यनीतिक प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी, एसईजेड के लिए क्षमता निर्माम, डाटा विश्लेषण, व्यापार विश्लेषण आदि के क्षेत्र में कोरपोरेट और निजी सेक्टरों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करता है।

आईआईएफटी, भारतीय व्यापार सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारियों (प्रोबेशनरों) के लिए नौ–माह के रेजिडेंसियल फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए नोडल संस्थान है। आईआईएफटी, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के अंतर्गत, आईआईएफटी, देश भर के रोजगार

कार्यालय के अधिकारियों को नियमित रूप से विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

यह प्रभाग हाइब्रिड/ऑनलाइन/अंतःपरिसर (ऑन–कैम्पस) पद्धति के माध्यम से निम्नलिखित दीर्घावधि कार्यक्रमों का संचालन भी करता है:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और वित्त में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम
- निर्यात एवं आयात प्रबंधन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए कार्यनीति के संबंध में ईडीपी
- वैश्विक आपूर्ति श्रंखला प्रबंध के संबंध में ईडीपी
- सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रबंधन के संबंध में पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग संयुक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को संभव बनाने के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थाओं के साथ शैक्षिक संबंध स्थापित करके संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्र एवं संकायों का एक्सचेंज, इन संस्थाओं के साथ शैक्षिक सहयोग का एक अभिन्न अंग है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

वर्ष 2020–21 में हस्ताक्षरित नए समझौता–ज्ञापन

- संस्थान ने पांच वर्ष की अवधि के लिए छात्र / संकाय एक्सचेंज और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 31 मई, 2020 को **इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी,** ताशकेंट क्षेत्र, उजबेकिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- संस्थान ने **बांग्लादेश विदेश व्यापार संस्थान,** ढाका, बांग्लादेश के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

प्रबंधन स्नातक अध्ययन प्रभाग (जीएसएम)

इस संस्थान का प्रबंधन स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग पूर्णकालिक/दीर्घावधि कार्यक्रमों के लिए नोडल विभाग है। यह प्रभाग, प्रशासनिक और शैक्षणिक समर्थन प्रदान करने के अलावा, इन सभी कार्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करता है। प्रभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

- दो–वर्षीय पूर्णकालिक एम.बी.ए. (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय)
- दो–वर्षीय छमाही साप्ताहांत (वीकेंड) एम.बी.ए. (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय)
- निर्यात–आयात प्रबंधन प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीईआईएम)

आर्थिक प्रभाग

आईआईएफटी ने दिनांक 1 अगस्त, 2018 को दिल्ली और कोलकाता, दोनों परिसरों में व्यापार और वित्त में विशेषज्ञता के साथ अपने पहले एमए (अर्थशास्त्र) कार्यक्रम शुरू की। पीएचडी कार्यक्रम (अर्थशास्त्र) 2020 भी शुरू किया गया तथा पीएचडी कार्यक्रम (अर्थशास्त्र) 2020 में कुल 09 छात्र (दिल्ली–06 और कोलकाता–03) शामिल हुए।

अनुसंधान प्रभाग

अनुसंधान, किसी संस्थान के विकास में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह ज्ञान के सृजन और प्रशिक्षण के बीच एक सुदृढ़ इंटरफ़ेस प्रदान करता है। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य का विश्लेषण करने और समुचित कॉर्पोरेट कार्यनीतियों का विकास करने में पर्याप्त परामर्श क्षमता विकसित की है। संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक बोलियां लगाई है। अनुसंधान प्रभाग समय–समय पर समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है, जो बहुपक्षीय निकायों, सरकारी क्षेत्र और प्रख्यात शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिष्ठित ज्ञानी व्यक्तियों को एक साथ लाता है। संस्थान द्वारा चलाये जाने वाले पीएचडी कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की गई है।

व्यापार सुगमता एवं लॉजिस्टिक्स केन्द्र (सीटीएफएल)

आईआईएफटी ने आईआईएफटी में व्यापार सुविधा और लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता केंद्र (सीटीएफल) की स्थापना के लिए वाणिज्य विभाग (लॉजिस्टिक्स प्रभाग) के साथ दिनांक 30 जुलाई 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस केंद्र की परिकल्पना भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक में विशेषज्ञता के वन–स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्यनिष्पादन करने के लिए की गई है। सीटीएफएल नियमित रूप से लॉजिस्टिक्स डेटा एकत्र करके, उसका विश्लेषण और निगरानी करेगा और इसके लिए रिपॉजिटरी का निर्माण करेगा। सीटीएफएल, विभिन्न स्टेकहोल्डरों को नीति संबंधी इनपुट भी प्रदान करेगा।

- **पूर्व–छात्र मामले विभाग (डीएए)**

आईआईएफटी के पूर्व छात्र कोरपोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पेशों में शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं। पूर्व छात्र, ग्रीष्मकालीन और अंतिम प्लेसमेंट, अतिथि व्याख्यान सिरीज़, कोरपोरेट प्रतियोगिताओं, लाइव प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप और अन्य संस्थान–उद्योग इंटरफ़ेस गतिविधियों के आयोजन के लिए नियमित रूप से सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। *प्रचलित महामारी (कोविड–19) स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, पूर्व छात्र संबंध समिति हमारे सम्मानित पूर्व छात्रों के समर्थन से लगातार आनलाइन सत्र आयोजित कर रही है। प्रभाग द्वारा हाल ही में की गई कुछ पहलें – एस्पायर वेबिनार सीरीज़, इन–विज़न वेबिनार सीरीज़, एलुमनी ऑवर सेशंस, सारथी: एन इंडस्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम (कोलकाता कैंपस), रोड टू समर्स (कोलकाता कैंपस) आदि – हैं।*

- **कॉरपोरेट संबंध और प्लेसमेंट प्रभाग**

आईआईएफटी की प्लेसमेंट प्रक्रिया का संचालन, छात्रों के साथ अध्यक्ष, कोरपोरेट रिलेशन और प्लेसमेंट प्रभाग (सीआरपीडी) द्वारा किया जाता है। छात्र प्लेसमेंट समिति के सदस्यों का चुनाव छात्रों द्वारा किया जाता है। प्लेसमेंट समिति के सदस्य बेहतर कोरपोरेट आउटरीच और प्लेसमेंट प्रक्रिया में सुधार हेतु निदेशक की सलाह और अनुदेश प्राप्त करने के लिए निदेशक को संचालन समिति की बैठक के दौरान अपने कार्यकलापों और उपलब्धियों के बारे में तिमाही प्रस्तुतीकरण देते हैं।

सुदृढ़ कैरियर विकास समर्थन के साथ, आईआईएफटी ने निरंतर 100: प्लेसमेंट रिकॉर्ड दर्ज किया है और आईआईएफटी प्लेसमेंट्स की तुलना अत्यधिक प्रशंसात्मक ढंग से भारत के शीर्ष 10 बी–स्कूल के साथ की जाती है।

प्लेसमेंट:

आईआईएफटी ने वर्ष 2019–21 के एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय) बैच के लिए अपने ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 96 कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त आईआईएफटी का अब तक का सबसे बड़ा बैच था। इस वर्ष औसत स्टाइपेंड में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पेशकश किया गया सबसे अधिक वेतन 3,20,000 रुपये था।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने 75 लाख रुपये प्रतिवर्ष के उच्चतम प्रस्ताव के साथ सबसे बड़े बैच के लिए अपने अंतिम प्लेसमेंट का समापन किया, जिसमें 28 प्रतिशत उम्मीदवारों को प्री–प्लेसमेंट ऑफर मिले। प्लेसमेंट सत्र का औसत पैकेज 20.48 लाख रूपये प्रति वर्ष रहा और समग्र औसत बढ़कर 18.2 लाख रुपये प्रति वर्ष हो गया।

छात्रों की उपलब्धियां:

संस्थानों और कंपनियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं में आईआईएफटी के छात्रों द्वारा प्राप्त अनेक पुरस्कारों में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, दिल्ली की टीम ने वोडाफोन इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस (वीओआईएस) वेंटेज 2020 जीता जो वीओआईएस द्वारा प्रतिष्ठित बी–स्कूल कॉर्पोरेट प्रतियोगिताओं में से एक था। आईआईएफटी ने उन 1000+ टीमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जो पूरे भारत से और भारत के 16 शीर्ष बी–स्कूलों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी।

9. सार्वजनिक क्षेत्र के निगम (ईसीजीसी, एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड, आईटीपीओ, एसटीसी, एसटीसीएल लिमिटेड)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड

ईसीजीसी लिमिटेड, जो भारत सरकार की अग्रणी निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है, का गठन भारत से निर्यात को बढ़ावा देने एवं सहायता प्रदान करने के लिए ''न लाभ न हानि'' आधार पर निर्यातकों और बैंकों को अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि आधार पर निर्यात क्रेडिट बीमा सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1957 में मुंबई में किया गया था। यह वाणिज्यि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है। ईसीजीसी लिमिटेड का मिशन उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग करते हुए भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना है। ईसीजीसी की सेवाएँ, बैंक वित्त तक पहुंच, सूचना तक पहुंच तथा विदेशी क्रेताओं / देशों से बकाया ऋणों की वसूली में सहायता को सक्षम बनाती हैं।

अफ्रीका, सीआईएस तथा लैटिन अमेरिका के देशों में नए, उभरते एवं चुनौतीपूर्ण बाजारों का उपयोग करने के लिए भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए ईसीजीसी की पूंजी संबंधी आवश्यकता में वृद्धि के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 2000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। उक्त अवधि के दौरान ईसीजीसी को केवल 1,350 करोड़ रूपये रिलीज किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिनांक 30.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार ईसीजीसी को 390 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई।

वित्त वर्ष 2020–21 (दिनांक 29.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार) के लिए ईसीजीसी का कार्यनिष्पादन

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यनिष्पादन मापदंड	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020–21 (दिनांक 29.12.2020 तक)
1	बीमा कवर की कुल संख्या	29,171	24,610
2	कुल अधिकतम देयता	98,601	96,586
3	शामिल किया गया कुल व्यवसाय (जोखिम मल्य)	5,61,606	3,93,368
4	कुल प्रीमियम आय	1,075	691

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड

मुख्य रूप से खनिजों एवं अयस्कों के निर्यात तथा अलौह धातुओं के आयात का कार्य करने के लिए वर्ष 1963 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एमएमटीसी लिमिटेड का निगमन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा कंपनी के पोर्टफोलियो में प्रगतिशील रूप से शामिल की गई उर्वरक, बुलियन, कृषि आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के आयात, निर्यात और घरेलू व्यापार सहित कारोबार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए एम एम टी सी ने अपने व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार किया है। ।

लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क / कंसंट्रेट के लिए मध्यस्त एजेंसी के रूप में काम करने के अलावा एमएमटीसी अन्य वस्तुओं में व्यापार और संयुक्ति उद्यमों से संबंधित व्यापार में निवेश के अतिरिक्त सोना और चांदी और यूरिया के आयात के लिए नामित एजेंसी में से एक के रूप में काम करता है।

व्यापारिक आय के अलावा, एमएमटीसी को प्रो ूत आधार पर, इसके संयुक्त उद्यम – एनआईएनएल को दिए गए ऋणों पर ब्याज आय प्राप्त होती है, जिसमें उसका नियंत्रण हिस्सेदारी है। चूंकि एनआईएनएल से अर्जित आय पिछले वर्षों में वसूली नहीं गई है, इसलिए एमएमटीसी को एनआईएनएल के विनिवेश आय से हुए अपने घाटे की प्रतिपूर्ति करने की उम्मीद है।

(i) सहायक कंपनियां

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्णतः स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है तथा इसे अक्टूबर 1994 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की शेयर पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित किया गया। शुरूआत से, यह कंपनी वस्तुओं का व्यापार करती है और इसने सिंगापुर में अपने आपको विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित व्यापार कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

(ii) नई पहलें

(क) मेक इन इंडिया

भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल की तर्ज पर एम एम टी सी द्वारा निम्नीलिखित पहलें की गईं

- नवंबर 2015 में भारत के पहले संप्रभु स्वर्ण सिक्के (गोल्ड क्वॉइन) –भारतीय स्वर्ण के सिक्के (इंडिया गोल्ड क्वाइन) (आईजीसी) का शुभारंभ। एमएमटीसी ने आईजीसी का विपणन शुरू कर दिया है जिसका अनावरण भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। भारत सरकार के मुंबई और कोलकाता स्थित टकसालों में 5 ग्राम, 10 ग्राम के सिक्के तथा 20 ग्राम की बार ढाले जाते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 30 अक्टूबर, 2020 तक आईजीसी बिक्री का कुल टर्नओवर 6.53 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वर्ष 2019–20 के दौरान, आई जी सी बिक्री का कुल टर्नओवर 22.35 करोड़ रूपये था। पूरे भारत में सिक्कों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी ने बैंकों की 140 शाखाओं की साथ आईजीसी की बिक्री के लिए उनके साथ अनुबंध किया है।
- वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमएमटीसी – पैंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पैंप स्विटजरलैंड के सहयोग से स्वर्ण / चांदी रिफाइनिंग एवं मेडेलियन विनिर्माण इकाई के लिए संयुक्त उद्यम ने 34,513 करोड़ रुपए का टर्नओवर तथा 100.63 करोड़ रुपए का कर–उपरांत लाभ अर्जित किया। एमएमटीसी – पैंप स्वर्ण और चांदी के लिए भारत का पहला एलबीएमए प्रत्यायित रिफाइनर बना। चालू वित्त वर्ष 2020–21 (30 सितम्बर, 2020 तक) के लिए, एमपीआईपीएल ने संचालनों से 5,599 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया और (–) 30.24 करोड़ रूपये का कर–उपरांत लाभ अर्जित किया।

(ख) स्वच्छ भारत

वर्ष 2019–20 के दौरान, एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने स्वच्छ भारत अभियान के समर्थन के लिए सीएसआर की गतिविधियों के संचालन के लिए 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की। सीएसआर के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग स्वच्छ गंगा अभियान और स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) में अंशदान के लिए किया गया था। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, नवंबर तक, स्वच्छ भारत के तहत, एमएमटीसी ने एमएमटीसी कार्यालय / कॉलोनी में अनेक गतिविधियाँ की हैं जिनमें कार्यालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक की बोतलों /

कंटेनरों से बचने पर जागरूकता का प्रसार करने, कार्यालय परिसर में स्वच्छ्ता से संबंधित पोस्टर / स्लोगन / साइनेज / तस्वीरों के प्रदर्शन, एमएमटीसी कॉलोनी/अपनाए गए (एडॉप्टेड) स्कूलों में पेड़ / पौधे लगाना, एमएमटीसी कार्यालयों में कार्यालय अभिलेखों सहित समुचित देखभाल और स्वच्छता प्रचालनों को जारी रखना, अपनाए गए (एडॉप्टेड) स्कूलों के परिसरों की साफ–सफाई, स्वास्थ्यकर/स्वच्छता/साफ–सफाई स्वच्छता परिपाटियों पर वेबिनार, अपनाए गए (एडॉप्टेड) स्कूलों के शिक्षकों/छात्रों के लिए फेसमास्क/सैनिटाईजर जैसी स्वच्छता किट का वितरण शामिल हैं।

(ग) डिजिटल भारत

भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कार्यान्वंयन के भाग के रूप में, एमएमटीसी की ईआरपी प्रणाली का उन्नयन / विद्यमान ईआरपी प्रणाली (जिसे 2002 में लागू किया गया) की खामियों को दूर करने के लिए एक नए संस्करण में स्तरोन्नयन/माइग्रेशन को पहले ही उन्नत किया जा चुका है। इसके अलावा एमएमटीसी में ई–पेमेंट और भीम सहित 100 प्रतिशत ई–टेंडर का अनुसरण किया जा रहा है।

(घ) स्वच्छ ऊर्जा

एमएमटीसे ने वर्ष 2007–08 में कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में 15 मेगावाट क्षमता की एक पवन चक्की परियोजना की स्थापना की थी। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है तथा कर्नाटक राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के कुछ भाग को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दे रही है। एमएमटीसी पवन उत्पादन से भी आय सृजित करती है।

(ङ) व्यापार संबंधी अवसंरचना

दोतरफा व्यापार के संवर्धन को सुगम बनाने के लिए एमएमटीसी ने आईएल एण्ड एफएस और आईआईडीसी के साथ वर्ष 2004–05 में एक समझौता ज्ञापन किया था तथा ''फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड'' के नाम से एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की थी। आबंटित किए गए लैंड बैंक के प्रबंधन के लिए कांडला और हल्दिया में दो एसपीवी की स्थापना की गई थी। फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग के संवर्धन और व्यापार को सबलीज पर दी गई भूमि के लिए कांडला में अवसंरचना की स्थापना की गई थी। हल्दिया में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब की स्थापना करने की योजना थी किंतु स्थानीय किसानों द्वारा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण, गतिविधियां पूरी नहीं की जा सकीं। प्रोमोटरों ने कांडला और हल्दिया स्थित दोनों एसपीवी से बाहर निकलने का निर्णय लिया और तदनुसार भूमि को संबंधित परियोजना प्राधिकरणों को अभ्यर्पित कर दिया गया।

(iii) कीमत स्थिरीकरण

वर्ष 2019–20 के दौरान, प्याज की बढ़ती घरेलू कीमत को देखते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एमएमटीसी को आयात के माध्यम से प्याज की घरेलू आपूर्ति की पूर्ति के लिए कहा गया था। एमएमटीसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध स्रोतों से लगभग 35000 मीट्रिक टन प्याज का आयात किया तथा घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने में सहायता के लिए प्रतिस्पर्धी वैश्विक बोली प्रक्रिया के माध्यम से बहुत कम समय में कार्गो को अभिसरित किया। एमएमटीसी राज्य सरकारों को विभिन्न सरकारी स्कीमों के माध्यम से वितरण के लिए आरबीडी पॉमोलिन और दालों की आपूर्ति कर रहा है।

(iv) वित्तीय निष्पादन

एमएमटीसी को व्यापक रूप से भारत के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी के रूप में सम्मानित किए जाने वाली और देश में "अग्रणी व्यापार संस्थान (प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस)" पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनी है। यह घरेलू आवश्यकताओं के लिए निर्यात और सो सग सामग्री के लिए विदेशी बाजारों की खोज में सक्रिय रूप से शामिल है। 'बल्क' प्रचालनों पर फोकस के साथ, एमएमटीसी मुख्य रूप से छह प्रमुख वस्तु समूह नामतः खनिज, धातु, कीमती धातु, उर्वरक, कृषि वस्तु और कोयला में प्रचालन करती है।

एमएमटीसी ने 2018–19 के दौरान 28,293 करोड़ के टर्नओवर की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 24,056 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के लिए, एमएमटीसी ने प्रचालन से 7,614 करोड़ रुपये का राजस्व और (–) 114.61 करोड़ रुपये का पीबीटी प्राप्त किया है।

(v) अनुषंगी कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल), एमएमटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वर्ष 2019–20 के दौरान, इसने 334 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिक्री टर्नओवर प्राप्त किया है।

(vi) अवसंरचना विकास

(क) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

एमएमटीसी ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), जो ओडिशा सरकार तथा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह एवं इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन का एक कोक ओवन और कैप्टिव पावर प्लांट के साथ सह–उत्पाद यूनिट है, की स्थापना की। सरकार ने एनआईएनएल, जो कि एक संयुक्त

उद्यम कंपनी है, जिसमें चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः एमएमटीसी, एनएमडीसी, बीएचईएल और एमईसीओएन तथा ओडिसा सरकार की दो कंपनियां नामतः ओएमसी और आईपीआईसीओल पणधारी हैं, के विनिवेश के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। एनआईएनएल द्वारा किए गए लगातार घाटे, जिसका दिनांक 31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल मूल्य (–) 1,625.40 करोड़ (गैर–लेखापरीक्षित) है, के कारण सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भारी ऋण के निस्तारण के लिए एनआईएनएल को विनिवेश करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने पारदर्शी तरीके से एनआईएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया को शुरू में सितंबर, 2020 तक पूरा किए जाने की उम्मीद थी, किंतु कोविड–19 के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, सम्यक तत्परता का पालन करते हुए, अब वर्ष 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(ख) कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, निदेशक मंडल / सीएसआर समिति द्वारा बोर्ड स्तर पर कोई सीएसआर बजट अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी को पिछले वर्ष अर्थात् 2019–20 में नुकसान हुआ है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–198 के अनुसार गणना किया गया सीएसआर बजट, अर्थात् 3 वर्ष से पहले के शुद्ध लाभ के औसत का 2:, ऋणात्मक है। इस प्रकार, कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य आबंटन का व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है।

(ग) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड की स्थापना दिनांक 21 अप्रैल, 1971 को एसटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। दिनांक 27 मार्च, 1991 से पीईसी लिमिटेड, वाणिज्य विभाग के तहत एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। पीईसी लिमिटेड वर्षों से विभिन्न आवश्यक और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात और आयात में शामिल रहा है।

पीईसी का खाता एनपीए हो जाने के कारण कंपनी के प्रचालन बंद कर दिए गए हैं।

(i) निष्पादन

वर्ष 2016–17 से कंपनी का समग्र निष्पादन निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ रूपये में)

मद	2016–17	2017–18	2018–19 उपलब्धि (लेखापरीक्षित)	2019–20 उपलब्धि (गैर–लेखापरीक्षित)
प्रचालनों से राजस्व	4,271.51	4,470.91	627.87	8.32
कर–पूर्व लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(126.81)
कर–उपरांत लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(126.81)
लाभांश और कॉरपोरेट कर	--	-	-	-
इक्विटी	60.00	60.00	60.00	60.00
आरक्षित निधि	(1,139.97)	(1,193.91)	(1,693.10)	(1,759.91)
निवल मूल्य	(1,079.97)	(1,133.91)	(1,633.10)	(1,759.91)

(ii) बिक्री टर्नओवर

वर्ष 2016–17 से कंपनी का बिक्री टर्नओवर निम्नानुसार है:

(मूल्य, करोड़ रूपये में)

वर्ष	बिक्री टर्नओवर
2016-17	4,254.07
2017-18	4,451.92
2018-19 (लेखापरीक्षित)	617.87
2019-20 (गैर–लेखापरीक्षित)	8.03

(iii) निर्यात

वर्ष 2016–17 से निर्यात की मद–वार संरचना निम्नानुसार है:

(मूल्य, करोड़ रुपये में)

मद	2016–17	2017–18	2018–19 उपलब्धि (लेखापरीक्षित)	2019–20 उपलब्धि (गैर–लेखापरीक्षित)
कुल	63.27	327.61	51.97	7.79

(iv) आयात

वर्ष 2016–17 से आयात की मद–वार संरचना निम्नानुसार है:

(मूल्य, करोड़ रुपये में))

मद	2016–17	2017–18	2018–19 उपलब्धि (लेखापरीक्षित)	2019–20 उपलब्धि (गैर–लेखापरीक्षित)
कुल	3,980.11	3,849.10	523.24	0.00

(v) मानव संसाधन

वर्ष 2020 में पीईसी लिमिटेड में एक वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) शुरू की गई, जिसके तहत 13 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया। दिनांक 31.10.2020 तक, कंपनी में 45 कर्मचारी हैं।

(घ) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार एवं उद्योग जगत को अनेक तरह की सेवाएं प्रदान करता है तथा भारत के व्यापार में वृद्धि के लिए प्रेरक के रूप में काम करता है।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय और चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ; आईटीपीओ भारत और विदेशों में इसके कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

(i) प्रगति मैदान का पुनर्विकास

प्रगति मैदान का एक विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित लैंडमार्क अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) के रूप में पुनर्विकास की आईटीपीओ की मेगा परियोजना एक महत्वपूर्ण चरण में है और इसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। हॉल नंबर ए3 से ए5 कॉम्प्लेक्स, जो कि सभी पहलुओं से पूर्ण हो चुका है, शीघ्र ही वितरित किया जाएगा। शेष प्रदर्शनी हॉल और सम्मेलन केंद्र में कार्य प्रगति पर है और पूरी परियोजना, प्रदर्शनी हॉल नंबर 6 को छोड़कर जिसे जनवरी, 2022 तक पूरा किया जाएगा, को अब अक्टूबर 2021 तक पूरा किया जाना निर्धारित है, । कोविड–19 महामारी के कारण बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) उद्योग सबसे अधिक प्रभावित है। कोविड–19 और परिणामी लॉकडाउन के कारण आईईसीसी परियोजना की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। हालांकि आईईसीसी के निर्माण को फिर से शुरू किया गया है, सामाजिक दूरी दिशानिर्देशों को लागू करने और श्रम जुटाने के मुद्दों के कारण निर्माण कार्यों को गति पकड़ने में समय लगेगा।

सम्मेलन केंद्र सहित अवसंरचना को वर्ष 2023 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए एक अतिरिक्त सुविधा बनाने की योजना है। नया प्रदर्शनी हॉल और सम्मेलन केंद्र, एमआईसीई क्षेत्र की आवश्यकताओं में उल्लेखनीय कमियों दूर करेगा। आईईसीसी परियोजना में कुल 3,82,188 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र का विकास शामिल है, जिसमें 53,399 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला एक विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र और 4,800 ईसीयू के लिए बेसमेंट पा कग के साथ 1,51,687 वर्गमीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र तथा 8,857 वर्गमीटर क्षेत्रफल का प्रशासनिक भवन शामिल है।

सम्मेलन केंद्र विश्व की सर्वोत्तम अवसंरचनाओं के समकक्ष एक विशाल प्रतिष्ठित लैंडमार्क होगा। सम्मेलन केंद्र में एकल प्रारूप में 7000 लोगों के लिए बैठने की क्षमता होगी जो विज्ञान भवन के आकार से 5 गुना अधिक होगी तथा इसमें 3000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले एम्फीथिएटर के साथ जी 20 बैठक और प्रीमियम कमरों और बड़ी संख्या में विभिन्न आकारों के बैठक कक्ष होंगे।

प्रगति मैदान में पांच–सितारा होटल के लिए 3.70 एकड़ का क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जो आधुनिक परिसर का एक अभिन्न अंग होगा। हालांकि, बाजार से अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण होटल घटक के प्रचालन की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। क्योंकी होटल के लिए भूमि के मुद्रीकरण से प्रवाहित होने के लिए परिकल्पित निधियां तत्काल उपलब्ध नहीं है, आईईसीसी परियोजना को आईटीपीओ के रिजर्व और एसबीआई से संस्थागत ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना है।

इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान (आईटीसीडीपी), जो

आईईसीसी तक आसान पहुँच के लिए महत्वपूर्ण है, प्रगति मैदान में और इसके आसपास साथ–साथ प्रक्रियाधीन है। यह बेसमेंट पार्किंग तक पहुंच प्रदान करेगा और भैरों मार्ग, जिस पर इसकी क्षमता से अधिक यातायात हो रहा है, के लिए एक वैकल्पिक मार्ग होगा। इसके तैयार होते ही मथुरा रोड का पूरा स्ट्रेच सिग्नल फ्री हो जाएगा। यह प्रगति मैदान के आसपास के क्षेत्र में यातायात को कम करेगा और इस क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को भी कम करेगा। यह घटक भी आईईसीसी परियोजना का एक अभिन्न अंग है और मार्च, 2021 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

आईईसीसी परियोजना विश्व स्तरीय आधुनिक एमआईसीई अवसंरचना के संदर्भ में राष्ट्र की छवि को बेहतर बनाने में मदद करेगी। वैश्विक समुदाय उत्सुकता से सुविधाओं के आरम्भ होने के लिए तत्पर है और अनेक कार्यक्रम पूर्वी एशियाई और अन्य देशों की बजाय नई दिल्ली में आयोजित किए जा सकते हैं। संक्षेप में, यह नया स्थल न केवल भारत को व्यापार, निवेश और विनिर्माण गतिविधि के लिए विकास, सामर्थ्य और क्षमता के संदर्भ में विश्व स्तर पर स्थान दिलाने में मदद करेगा, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी प्रक्षेपित करेगा।

(ii) वित्तीय हाइलाइट्स

वर्ष 2019–20 के दौरान, आईटीपीओ ने 87.21 करोड़ रूपये का अधिशेष अर्जित किया है। वर्ष के दौरान प्रचालनों से हुई 204.86 करोड़ रूपये की आय के साथ कंपनी द्वारा अर्जित कुल आय 241.96 करोड़ है।

वैश्विक स्तर पर कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण, प्रदर्शनी और व्यापार प्रदर्शन उद्योग के व्यवसाय पर गहन प्रभाव पड़ा है। प्रगति मैदान में, दिसंबर, 2020 तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को या तो रद्द कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, पूरे विश्व में यात्रा प्रतिबंधों और महामारी के कारण, आईटीपीओ द्वारा किसी विदेशी मेले का आयोजन नहीं किया जा सका। इस प्रकार आईटीपीओ द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कोई भी प्रचालन आय अर्जित नहीं की जा सकी है।

(iii) भारत और विदेश में मेले

- पूरे विश्व में कोविड–19 महामारी और यात्रा प्रतिबंधों के कारण, दिसंबर, 2020 तक योजनाबद्ध सभी प्रदर्शनियों को या तो रद्द कर दिया गया या उनका पुनर्निर्धारण किया गया। इसलिए, आईटीपीओ द्वारा भारत और विदेशों में कोई प्रदर्शनी आयोजित नहीं की जा सकी।
- भारत सरकार ने 15 अक्टूबर, 2020 से कंटेनमेंट जोन के बाहर बी2बी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया गया है।
- कोविड–19 परिदृश्य के कारण, गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से भारत में बी2सी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एसओपी और विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये जा रहे हैं।

(iv) क्षेत्रीय व्यापार केंद्र

आईटीपीओ ने राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों या प्रमुख शहरों में निर्यात अवसंरचना के निर्माण के लिए क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केंद्र (आरटीपीसी) स्थापित करने में सहायता प्रदान की है।

- **चेन्नई में तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ):** टीएनटीपीओ के बोर्ड ने 289 करोड़ रूपये की स्वीकृत लागत पर 20,322 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक बहुउद्देशीय (प्रदर्शनी / सम्मेलन) हॉल के निर्माण की विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है। विस्तार के बाद, 34.61 एकड़ भूमि क्षेत्र में 39,952 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में प्रदर्शनियों के लिए कुल 2 सम्मेलन केंद्र और 5 हॉल होंगे। विस्तार परियोजना का कार्य दिनांक 21.08.2020 को मैसर्स एनसीसी लिमिटेड को सौंपा गया है जिसके समापन की निर्धारित तारीख 28.02.2022 है तथा कुल मूल्य 308.75 करोड़ रूपये हैं।
- **बेंगलुरू में कर्नाटक व्यापार संव्रधन संगठन (केटीपीओ):** बोर्ड ने केटीपीओ की विस्तार योजना के तहत 7633 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले एक बहुउद्देश्यीय (सम्मेलन / प्रदर्शनी) हॉल के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसके पूरा होने की संभावित तारीख 30.04.2021 है। विस्तार के बाद, सम्मेलनों के लिए और प्रदर्शनियों के लिए कुल 14,504 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 2 हॉल होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 67.59 करोड़ रूपये है।
- **पेम्पोर में जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ):** जेकेटीपीओ एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस कंपनी में जम्मू और कश्मीर सरकार के 51.25% इक्विटी शेयर, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के 40% इक्विटी शेयर, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के 4.55% इक्विट शेयर और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के 4.20% इक्विटी शेयर हैं।
- **केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए)** ने आईटीपीओ के साथ मिलकर कोच्चि के पास कक्कनाड में एक प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। परियोजना की अनुमानित बजट लागत 159.90 करोड़ रूपये है। संशोधित डीपीआर के अनुसार, आईटीपीओ और केआईएनएफआरए का इक्विटी

अंशदान 50:50 होगा। टीआईईएस अनुदान जारी करने और परियोजना की स्वीकृति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वाणिज्य विभाग के साथ विचाराधीन है।

(ङ) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग के प्रयासों में सहायता करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। एसटीसी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि इसने भारत में अधिकांश रूप से उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दालें, चीनी, खाद्य तेल आदि) और औद्योगिक अपरिष्कृत सामग्री के आयात की व्यवस्था की है।

एसटीसी के खाते को वर्तमान में व्यापारिक घाटे के कारण मार्च / जून 2018 से ऋणदाता बैंकों द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मौजूदा चलनिधि संकट को दूर करने के लिए, कंपनी लागत में कमी के संभावित क्षेत्रों की लगातार समीक्षा कर रही है और जहां भी संभव हो, परिहार्य व्ययों में कमी के लिए उचित कदम उठा रही है। इस दिशा में, एसटीसी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस 2020) को अधिसूचित किया है ताकि निश्चित स्थापना लागतों में कमी की जा सके। इसके अलावा, सभी शाखा कार्यालयों (आगरा शाखा को छोड़कर) को बंद करने लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई है। इसके साथ ही, कंपनी चूककर्ता सहयोगियों से बकाया की वसूली पर भी अधिक जोर दे रही है।

इसके अलावा, एसटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 10.11. 2020 को आयोजित अपनी बैठक में एसटीसी द्वारा किसी भी नई व्यावसायिक गतिविधि / संचालन को रोकने का फैसला किया है।

वर्ष 2018–19, 2019–20 और अप्रैल–सितंबर 2020 की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान एसटीसी का समग्र प्रदर्शन निम्नानुसार हैं:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मद	वास्तविक	वास्तविक	गैर–लेखापरीक्षित	
	2018-19	**2019-20**	**अप्रैल–सितम्बर, 2019**	**अप्रैल–सितम्बर, 2020**
निर्यात	11	11	3	शून्य
आयात	8,437	2,536	2,315	शून्य
घरेलू	445	383	94	232
कुल टर्नओवर	**8,893**	**2,930**	**2,413**	**232**
कर–पूर्व लाभ	(897.12)	(113.63)	(101.96)	(19.82)

(च) स्पाइसेज ट्रेडिंग कोरपोरेशन लिमिटेड (एसटीसीएल)

(i) पृष्ठभूमि

- अक्टूबर, 1982: कार्डमम ट्रेडिंग कोरपोरेशन लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी, के रूप में निगमित।
- अगस्त 1987 : ''स्पाइसेज ट्रेडिंग कोरपोरेशन लिमिटेड'' के नाम से पुनर्नामित किया गया।
- सितम्बर, 1999 : एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की के स्वामित्व वाली कंपनी बनाई गई।
- अगस्त, 2004 ''एसटीसीएल लिमिटेड'' के नाम से पुनर्नामित किया गया।

(ii) शेयर पूंजी

- अधिकृत शेयर पूंजी: 5 करोड़ रुपए
- प्रदत्तु शेयर पूंजी: 1.5 करोड़ रूपये (सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी की धारक एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड है)
- निवल मूल्यम: 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार (4565.08 करोड़ रुपए)

(iii) प्रकार्य

एसटीसीएल को बंद करने के संबंध में दिनांक 13.08.2013 को आयोजित की गई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के पश्चात्, कंपनी ने वर्ष 2014–15 से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया था। वर्तमान में कंपनी अपने व्यापार सहयोगियों से बकाया राशि की वसूली के लिए मध्यस्थता मामलों सहित विभिन्न कानूनी

मामलों का अनुसरण कर रही है और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

10. निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण ा) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) का गठन निर्यात नियंत्रण तथा प्रेषण पूर्व निरीक्षण तथा इससे संबंधित मामलों के माध्यक से भारत के निर्यात व्यापार का बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। निर्यात निरीक्षण परिषद केंद्रीय सरकार का एक सलाहकार निकाय है और इसने राष्ट्र की सेवा में 56 वर्ष पूरे कर लिए हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद ऐसे वस्तुओं, जो निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और / या निरीक्षण, ऐसी अधिसूचित वस्तुओं के लिए गुणवत्ताक मानक स्थापित करने और ऐसी वस्तुओं के मामले में लागू किए जाने वाले गुणवत्ताद नियंत्रण और / या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करने के अधीन होंगी, की अधिसूचना के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करती है।

अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित इसकी क्षेत्रीय एजेंसियों, निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए), द्वारा या तो खेप–वार निरीक्षण प्रणाली अथवा गुणवत्ता आश्वासन / खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के माध्यम से आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। पूरे भारत में 24 उप कार्यालयों, जिनमें एनएबीएल द्वारा आईएसओ 17025 के अनुसार प्रत्यायित अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थित हैं, के नेटवर्क सहित मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली में ईआईए के कार्यालय स्थित हैं। ईआईसी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाई है और आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

ईआईसी विभिन्न खाद्य पदार्थों, जैसे मछली और मछली उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, शहद, अंडा उत्पाद, ताजा कुक्कुट और कुक्कुट मांस उत्पाद, पशु केसिंग, क्रश्ड बोंस, ओस्सीन और जिलेटीन, फीड एडिटिव्स और प्रीमिक्सचर, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (यूरोपीय संघ और मलेशिया) और चावल के लिए अनिवार्य प्रमाणन प्रदान करता है। अधिनियम के तहत अधिसूचित न किए गए अन्य खाद्य उत्पादों का भी आवश्यकता पड़ने पर स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत प्रमाण ान किया जा रहा है। आयात करने वाले देश की अपेक्षाओं के अनुसार खाद्य वस्तुओं के निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन में पांच दशक से अधिक अनुभव के साथ ईआईसी के वैश्विक स्तर पर मान्यताप्राप्त है। वर्तमान में, ईआईसी प्रमाणन को भारत के विभिन्न व्यापारिक साझीदारों, जैसे यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरब, वियतनाम, चीन, साउथ अफ्रीका आदि द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(क) ईआईसी की प्रमुख गतिविधियां

- आयात करने वाले देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों का अनुमोदन;
- निर्दिष्ट विनिर्देशनों के अनुसार निर्यातित वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए खेप वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) पर आधारित प्री–शिपमेंट निरीक्षण और प्रमाणन;
- विभिन्न अधिमान्य प्रशुल्क स्कीमों के तहत निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए अधिमान्य उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;
- निर्यात प्रमाणन योजना के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र, अर्थात्, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, प्रामाणिकता प्रमाणपत्र, गैर–जीएमओ प्रमाणपत्र आदि जारी करना;
- निरीक्षण एजेंसियों और प्रयोगशालाओं को मान्यता;
- आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अवशेष निगरानी योजनाएं;
- गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में उद्योग और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;
- डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों द्वारा जारी टीबीटी अधिसूचना और भारत के व्यापार पर उनके प्रभाव की निगरानी।

(ख) विदेश व्यापार नीति और एग्जिम व्यापार

- ईआईसी, आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसकी गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, ईआईसी द्वारा प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / परस्पर मान्यता समझौते (एमआरए) / समतुल्यता समझौते / मान्यता / सहयोग समझौते किए जाते हैं। ये समझौते आयात करने वाले देशों के नियामक अधिकारियों द्वारा ईआईसी के प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती है और सीमा पर किए जाने वाले अनेक निरीक्षणों को परिहार्य बनाते हैं।
- प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ मौजूदा समतुल्यता समझौतों / मान्यताओं / सहयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

समतुल्यता समझौते/मान्यता/सहयोग समझौते

देश	शामिल उत्पाद	करार/ मान्यता का वर्ष
यूएसए; यूएसएफडीए	काली मिर्च गोपनीयता प्रतिबद्धता	1988 2016
यूरोपीय आयोग	मछली और मछली उत्पाद, बासमती चावल, पशु केन्सग, शहद, हश्ड बोंस, ऑसिन और जिलेटिन, अंडा उत्पाद, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद, फीड ,डिटिव्स और प्री–मिक्सचर, मसाले'कैप्सिकम)	1997 –2016 के आगे
कोरिया	फ्रोजन समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत मसाला वस्तुएं, प्रसंस्कृत नट्स, चाय, शहद, जैम, परिरक्षित वस्तुएं, सॉस, चाशनी, खाद्य तेल और चर्बी	2004
तुर्की	खाद्य वस्तुएं, खाद्य पैकेजिंग सामग्रियां और स्टेनलेस स्टील के बर्तन	2004
श्रीलंका	श्रीलंका की निर्यात निरीक्षण स्कीम के तहत 85 उत्पादों अर्थात दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, पैकेज्ड वाटर, परिरक्षित खाद्य, टॉयलेटिरीज़, बाइसकिल टायर एवं ट्यूब, स्टील सेक्शन और वायर, इलेक्ट्रानिक सामान तथा पी वी सी केबल्स और कोर्ड आदि।	2005
सिंगापुर	खाद्य एवं कृषि (अंडा उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पीने का पानी), इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और औषधि एवं फार्मास्यूटिकल	2005
जापान	कुक्कुट और समुद्री उत्पाद	2005
रूसी परिसंघ	मछली एवं मछली उत्पाद दुग्ध उत्पाद	2009 2016
सऊदी अरब	मछली एवं मछली उत्पाद	2009
चीन	मछली एवं मछली उत्पाद आहार एवं आहार के संघटक रेपसीड मिल फिश मील एवं फिश ऑयल चिली स्पेंट	2012 2013 2015 2018 2019
भूटान	खाद्य एवं कृषि उत्पाद	2013
नीदरलैंड्स	सामान्य खाद्य सुरक्षा	2019

(ग) कोविड–19 महामारी के दौरान ईआईसी/ईआईए द्वारा किए गए सुधार

- सेवाओं का डिजीटलीकरण:
  - निर्यातकों को प्रमाणपत्र के लिए अपना अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करने और ई–मेल के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह, जारी प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रतियां निर्यातकों को ई–मेल के माध्यम से प्रदान की गईं ताकि वे घर पर रह सकें और निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें।
- स्वास्थ्य प्रमाणपत्र:
  - अनुमोदित प्रतिष्ठानों के खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के पिछले प्रदर्शन के आधार पर, आयात करने वाले देश की आवश्यकता पर प्रभाव डाले बिना, अंतःपरिसर परीक्षण के आधार पर निर्यात की अनुमति दी गई थी।
- निरीक्षण और प्रमाणन:
  - दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई।
  - अंतर्राष्ट्रीय कूरियर सेवाओं के अभाव में, ईआईसी ने आयात करने वाले देशों से स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की

सॉफ्ट कॉपी स्वीकार करने और हार्ड कॉपी पर जोर न देने का अनुरोध किया।

- खेपों की ऑनलाइन मंजूरी की सुविधा के लिए ऑनलाइन उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।
- पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रतिष्ठानों के अनुमोदन के नवीकरण की अवधि को बढ़ाया गया।
- निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वेबिनार और वर्चुअल बैठकों में ईआईसी / ईआईए की सक्रिय भागीदारी से हितधारकों को संलग्न किया गया।
- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 23 मार्च से 9 जून, 2020 तक लगभग 38,000 उत्पत्ति प्रमाणपत्र और 12,000 स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किए गए और ईआईए द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं में विश्लेषित नमूनों के अतिरिक्त ईआईए प्रयोगशालाओं में 13,206 से अधिक नमूनों का विश्लेषण किया गया।

(घ) ईआईए, मुम्बई में न्यूकलर मैगनेटिक रिसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कॉपी (एनएमआरएस) सुविधा

ईआईसी ने ईआईए–मुंबई में न्यूकलर मैगनेटिक रिसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनएमआरएस) का उपयोग करके उत्पत्ति और प्रामाणिकता के विश्लेषण की सुविधा स्थापित की है।

(ङ) निर्यात को सुकर बनाने के लिए डिजीटल पहलें: उत्पत्ति प्रमाणपत्र के लिए (सीओओ) के लिए सामान्य डिजीटल प्लेटफॉर्म (सीडीपी)

व्यापार को सुकर बनाने के लिए, उत्पत्ति प्रमाणपत्र (सीओओ) को सामान्य डिजीटल प्लेटफॉर्म (सीडीपी), जो सीओओ जारी करने के लिए अधिकृत सभी नामित एजेंसियों तक पहुंच का एकल स्थल प्रदान करता है, के माध्यम से जारी किया जा रहा है। सीओओ की निम्नलिखित अधिमान्य स्कीमों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है और ईआईए केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं।

क्रम सं.	अधिमान्य स्कीम का नाम	वह तारीख जिससे स्कीम को सीडीपी पर आरम्भ किया गया
1	भारत चिली पीटीए	25 सितंबर, 2019
2	एसएएफटीए और एसएपीटीए (केवल नेपाल के लिए)	18 दिसंबर, 2019
3	भारत कोरिया सीईपीए	6 मार्च, 2020
4	एआईएफटीए	7 अप्रैल, 2020
5	एसएएफटीए और एसएपीटीए (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए)	7 अप्रैल, 2020
6	एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता	7 अप्रैल, 2020
7	भारत श्रीलंका एफ.टी.ए.	7 अप्रैल, 2020
8	जीएसपी, जीएसटीपी, भारत–मलेशिया सीईसीए, भारत–सिंगापुर सीईसीए	15 अक्टूबर, 2020

दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, ईआईए द्वारा सीडीपी के माध्यम से लगभग 1,29,000 उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(च) ईआईए चेन्नई के विशाखापत्तनम स्थित उप–कार्यालय का नया कार्यालय–सह–प्रयोगशाला परिसर

वाणिज्य विभाग की निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत ईआईए चेन्नई के विशाखापत्तनम स्थित उप–कार्यालय के कार्यालय–सह–प्रयोगशाला परिसर का निर्माण किया गया है। ईआईए चेन्नई का विशाखापत्तनम स्थित उप–कार्यालय दिनांक 21 अगस्त, 2020 को नवनिर्मित कार्यालय–सह–प्रयोगशाला परिसर में स्थानांतरित हो गया है।

11. लॉजिस्टिक क्षेत्र

लॉजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन कार्य व्यापार नियम में संशोधन करते हुए देश में लॉजिस्टिक क्षेत्र के समेकित विकास और लॉजिस्टिक लागत में कटौती के अधिदेश के साथ जुलाई 2017 में किया गया है। उक्त अधिदेश के लिए, यह प्रभाग, फ्रेट लॉजिस्टिक्स में विनियामक, अवसंरचनात्मक या सेवा संबंधी बाधाओं का पता लगाने तथा उद्योग–जगत को संबद्ध करके और अंतर–मंत्रालयीय समन्वय, कार्यनिष्पादन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और सेवाओं की दक्षता की निगरानी, अंतर–साधन के संवर्धन के लिए अवसंरचना और नीति/विनियामक हस्तक्षेपों की एक समेकित प्रणाली के सृजन और सभी पद्धतियों में कौशल अपेक्षाओं के अभिनिर्धारण के माध्यम से इन्हें सुकर बनाने का कार्य कर रहा है। यह प्रभाग लॉजिस्टिक्स मूल्य

श्रृंखला में डिजिटलीकरण को अपनाए जाने का संवर्धन कर रहा है और बढ़ावा भी दे रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां

- विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में जारी की जाने वाली लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई), देशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे व्यापक रूप से संदर्भित रिपोर्टों में से एक है। इस सूचकांक में, भारत को वर्ष 2018 में 160 देशों में से 44वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2014 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 54वां था। (अब तक किया गया सबसे हालिया अध्ययन वर्ष 2018 में किया गया था)।
- भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में अपनी रैंक में सुधार किया है जो कि वर्ष 2015 में 134 थी और वर्ष 2020 में 63 हो गई तथा सीमा पार व्यापार में भी रैंक में सुधार किया है जो वर्ष 2015 में 128 थी और वर्ष 2019 में 68 हो गई। (अब तक किया गया सबसे हालिया अध्ययन मई,2019 में किया गया था)।
- 34 योग्यता पैक विकसित किए गए और लॉजिस्टिक कौशल परिषद के सहयोग से इन्हें अंतिम रूप दिया गया है। यह पहली बार है जब इस तरह के योग्यता पैक विकसित किए गए हैं।
- सभी प्रमुख बंदरगाहों में पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस 1X) शुरू किया गया है। शिपिंग मंत्रालय के साथ समन्वय में लॉजिस्टिक्स प्रभाग द्वारा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का संचालन और व्यापक आधार प्रक्रियाधीन है। बड़ी संख्या में हितधारक पहले से ही शामिल थे। सिस्टम को आईसीईजीएटीई के साथ एकीकृत किए जाने के लिए तैयार किया गया है।
- पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में वाहन बुकिंग और गेट ऑटोमेशन मॉड्यूल विकसित किया गया है जिससे बंदरगाह पर प्रतीक्षा समय को कम करने में सहायता करने की संभावना है।
- निजी भागीदारी के माध्यम से खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कृषि जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता के लिए अनुकूल बनाई गई शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास के मुद्दे पर हितधारकों के साथ परामर्श किया गया।
- माल की आवाजाही के लिए तटीय शिपिंग, जो कि सड़क और रेल संचालन की तुलना में एक वातावरण–अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प है, के विकास के लिए, यह प्रभाग, शिपिंग मंत्रालय के साथ परामर्श कर रहा है।
- कनेक्टिविटी, परिवहन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए, कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक का आयोजन दोनों देशों के बीच तुर्कमेनिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से होते हुए माल परिवहन को बढ़ावा देने की संभावना का पता लगाने के लिए किया गया था।
- विशिष्ट उत्पाद, जो भारत और सिंगापुर द्वारा संयुक्त रूप से चुनकर (वस्त्र और परिधान क्षेत्र चुना गया है) निर्यात के लिए लक्षित किया गया हैं, के लिए एक प्रायोगिक परियोजना विकसित करते हुए लॉजिस्टकि क्षेत्र में डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के साथ लॉजिस्टिक्स पर भारत–सिंगापुर संयुक्त कार्य–समूह का गठन किया गया है, जो डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला समाधान के सह–विकास, ज्ञान–साझाकरण तथा विनियामक प्रक्रियाओं के स्तरोन्नय और व्यापार दस्तावेजों को डिजिटलीकरण सहित एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म पर समाधान प्रदान करता है।
- अनेक सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में छूट और सुधार किया गया है। घरेलू कंटेनरों को अब एक्जिम कार्गो के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है, इसी प्रकार विदेशी कंटेनरों को घरेलू सामान ले जाने की अनुमति दी गई है।
- साझेदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का विकास प्रक्रियाधीन है।
- वर्ष 2019 के लिए लॉजिस्टिक ईज़ एक्रॉस द स्टेट्स (लीड्स) रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, लीड्स अध्ययन के संचालन के लिए और बाद में वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए संविदा को समाप्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में एक उद्देश्य मानदंड के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए लॉजिस्टिक में सुधार करने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं की गई हैं।
- सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उस विशेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों के बीच सुव्यवस्थित और बेहतर समन्वय के लिए राज्य लॉजिस्टिक प्रकोष्ठ और राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिति का गठन करें। उनसे एक एकीकृत राज्य लॉजिस्टिक योजना विकसित करने का भी अनुरोध किया गया है।
- कस्टम क्लीयरेंस को आसान बनाने के लिए तुरंत (टीयूआरएएनटी) कस्टम्स शुरू किए गए हैं।
- सभी कंटेनरों पर अब आरएफआईडी टैग लगाया जा रहा है ताकि सभी एक्जिम कार्गो के लिए ट्रैक और ट्रेस सेवा उपलब्ध हो सके।

- वाहन की अवस्थिति की ट्रैकिंग में सहायता के साथ–साथ समय की हानि को कम करने के लिए टोल प्लाजा पर अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली (फास्टैग)।
- प्रमुख बंदरगाहों में स्कैनर की संस्थापना
- जीएसटी लागू होने से अंतर–राज्य बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए प्रतीक्षा समय कम हो गया है
- भारी वाहनों के लिए एक्सेल लोड मानदंड में संशोधन के परिण ामस्वरूप बेहतर वहन क्षमता प्राप्त हुई है।
- ई–संचित के माध्यम से पेपरलेस एग्जिम व्यापार प्रक्रिया का आरम्भ।

12. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) न्यास

भारत से परियोजना निर्यात, जो सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में एनईआईए न्यास का गठन किया। इस न्यास की स्थापना 66 करोड़ के शुरुआती कॉर्पस के साथ की गई थी। अधिक परियोजना निर्यात का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान 1,040 करोड़ रूपये की राशि के साथ अधिक बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एनईआईए न्यास को सहायता अनुदान के रूप में 1040 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई।

वित्त वर्ष 2019–20 में, एनईआईए न्यास ने 1,408.24 करोड़ रूपये के कवर मूल्य वाले 17 कवरों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के अलावा, 17 देशों में 4,90.55 करोड़ रूपये के परियोजना मूल्य के साथ 29 परियोजनाओं के लिए 3,245.32 करोड़ रूपये के कवर मूल्य वाले 41 कवर जारी किए हैं। दिनांक 29.12.2020 के अनुसार, 37 देशों में 26,389 करोड़ रूपये के कवर मूल्य वाले 205 कवरों के माध्यम से कवर के तहत 36,472 करोड़ रूपये के परियोजना मूल्य वाली 144 परियोजनाएं थीं।

परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से, एनईआईए, भारतीय प्रोजेक्ट निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने तथा सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में दृढ़ता से स्थापित होने में मदद करता है। सफल प्रोजेक्ट निर्यात, विदेश में प्रोजेक्ट के निष्पादन में भारत की क्षमता पर स्थायी प्रत्यक्ष प्रभाव को सक्षम बनाता है।

अध्याय 9

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए संचालित किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं वस्तु बोर्डों के साथ संपर्क स्थापित करता है।

वाणिज्य विभाग में दो अलग अलग संपर्क अधिकारी (एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विकलांग व्यक्तियों के लिए और द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस के लिए) काम कर रहे हैं। संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चत करते हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आरक्षित श्रेणियों को ग्राह्य विभिन्न लाभ विभाग के सहायक संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (खास) तथा इसके सहायक संगठनों में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों / ईडब्ल्यूएस की संख्या अनुबंध 'ख' में दी गई है। इस विभाग से संबंध विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का विवरण आने वाले पैराओं में दिया गया है।

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं ईडब्ल्यूएस का कल्याण

(क) पीईसी लिमिटेड

पीईसी में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। 2020–21 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड

31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी में कुल 744 कर्मचारी (बोर्ड स्तर के कार्यपालकों एवं एमआईसीए कर्मचारियों सहित) थे, जिसमें से 159 (21.36 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जाति, 74 (10.18 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जनजाति और 87 (11.69 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे। कुल जनशक्ति में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 19.89 प्रतिशत (148 कर्मचारी) है।

(i) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा संपर्क अधिकारी

कंपनी में एक अनुसूचित आरक्षण प्रकोष्ठ मौजूद है। आरक्षण तथा उनको ग्राह्य अन्य रियायतों से संबंधित सरकारी निर्देशों के आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गए हैं।

(ii) छूटें / रियायतें

- सीधी भर्ती में अजा / अजजा के उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट दी जाती है। जहां तक विभागीय पदोन्नति का संबंध है, निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :
- कर्मचारी संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट,
- कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए टंकण की परीक्षा में 5 शब्द प्रति मिनट तक की छूट।
- वरिष्ठता सह उपयुक्तता श्रेणी के तहत कर्मचारी संवर्ग के अंदर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक साल की छूट।

सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के लिए सभी चयन समिति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि को नामित किया जाता है।

(iii) प्रशिक्षण

उनके प्रकार्यात्मक एवं सॉफ्ट कौशलों को बढ़ाने के उद्देश्य से, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को समय – समय पर विभिन्न अंतर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी नामित किया गया।

(iv) क्वार्टर का आबंटन

क्वार्टर के आवंटन में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 'ख' श्रेणी के आवास के मामले में 10 प्रतिशत तक तथा 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के आवास के संबंध में 5 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(v) बैठकें

कंपनी ने "सुगठित बैठक स्कीम" लागू की है जिसमें सेवा मामलों तथा कल्याण के उपायों पर चर्चा करने एवं इनसे जुड़े मुद्दों का समाधान करने आवधिक आधार पर प्रबंधन कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों के साथ बैठक करता है। इस दर्शन की तर्ज पर कंपनी के

सभी कार्यालयों में मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा कल्याण संघों तथा मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा संघों के परिसंघ के साथ बैठक बुलाई जाती हैं।

(ग) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया है। मसाला बोर्ड ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी मनोनीत किया है।

(घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

एससी / एसटी तथा ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(ड.) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कुल 62 कर्मचारियों की तुलना में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 09, 05 और 15 है।

(च) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों / अनुदेशों का पालन करते हुए अजा, अजजा, अपिव और ईडब्ल्यूएस के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाता है।

(छ) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। अजा / अजजा / अपिव / ईडब्ल्यूएस के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के हितों की देखभाल करने के लिए विभागीय प्रदोन्नति / चयन समिति (डीपीसी / डीएससी) की प्रत्येक बैठक में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

(ज) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

प्राधिकरण द्वारा अजा / अजजा / अपिव / ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों के कल्याण एवं विकास की अच्छी तरह देख–रेख की जा रही है।

(झ) ईसीजीसी लिमिटेड

- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।
- सरकारी कंपनी में भर्ती एवं पदोन्नति के लिए आरक्षण पर प्रशिक्षण के लिए अजा / अजजा यूनियनों के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
- अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- उम्मीदवारों / कर्मचारियों की भर्ती / पदोन्नति के लिए गठित पैनलों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।
- ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।
- ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखने के लिए ओबीसी श्रेणी के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- भर्ती के पैनलों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भारत सरकार की नीति को ईसीजीसी में लागू किया गया है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में परिवीक्षा अधिकारियों की सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

(ञ) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों को अटेंड करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दाखिल करने के लिए सांविधिक रजिस्टर तैयार करता है। रबर बोर्ड ऐसी शिकायतों, यदि कोई हों, की आवधिक आधार पर निगरानी करता है और ऐसी शिकयतों का समय से निस्तारण करता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों द्वारा संपर्क अधिकारी की सेवाओं का कारगर ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जब भी उनकी कोई शिकायत / परिवाद होता है।

(ट) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

अजा / अजजा / अपिव कर्मचारियों के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ठ) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस अधिकारियों / कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन करता है।

(ड) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

आईआईएफटी उस समय लागू संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में दाखिला एवं भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भेद–भावरोधी समिति का गठन किया गया है।

2. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) अन्य बातों के साथ यह कहती है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापना में न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग स्ट्रेंथ में रिक्तियों की कुल संख्या का कम से कम 4 प्रतिशत नियुक्त करेगी जिसमें से प्रत्येक का 1 प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों और 1 प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात :

- दृष्टिहीनता या कम दिखना;
- मूक तथा कम सुनाई देना;
- सेरेबरल पाल्जी सहित लोकोमोटर अपंगता, रोगमुक्त लेप्रोसी, बौनापन, एसिड हमला पीडित, और मस्कुलर डिस्ट्राफी;
- ऑटिज्म, बौद्धिक अपंगता, विशिष्ट अधिगम अपंगता एवं मानसिक बीमारी;
- प्रत्येक विकलांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर – नेत्रहीन सहित खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से अनेक विकलांगताएं

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त कार्य स्थल को सुगम्य बनाया जा सके। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) की धारा 23(1) के अनुपालन में वाणिज्य विभाग में एक शिकायत निवारण अधिकारी का मनोनयन किया गया है। 31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 'ग' में दिया गया है।

(क) पीईसी लिमिटेड

पीईसी में विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद है। विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड

कार्यालय परिसर में आना और जाना सुगम बनाने के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। विकलांग कर्मचारियों की विकलांगता को ध्यान में रखकर उनकी तैनाती की जाती है ताकि वे अपना काम दक्षता के साथ पूरा कर सकें। कार्यालय भवनों में श्रव्य सिगनल हैं जो फ्लोर की घोषणा करते हैं। इनमें से कुछ में ब्रेल पद्धति में फ्लोर पहचान बटन लगे हैं।

(ग) मसाला बोर्ड

- विक्लांग व्यक्तियों की शिकायतों एवं आरक्षण के मामलों को देखने के लिए मसाला बोर्ड ने एक संपर्क अधिकारी नामित किया है।
- वर्ष 2019 के दौरान विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

(घ) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

इस कार्यालय में कोरिडोर, रिसेप्शन, शौचालय, हैंडरेल के साथ सीढ़ी आदि जैसी विशेषताएं पहले से ही हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य हैं। हाल ही में परिसर में ब्रेल लिपि में अनुदेश के साथ एक लिफ्ट लगाई गई है। इसके अलावा, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट व्यवस्था के साथ परिसर में 6 जन सुविधाओं का भी निर्मित कराया गया है।

(ड.) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों / अनुदेशों का पालन करते हुए विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए अक्सर कार्यक्रम चलाता है।

(च) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। पीडब्ल्यूडी के हितों की देखरेख करने के लिए संपर्क अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों / सेवाओं में आरक्षण के संबंध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों का भी पालन किया गया है।

(छ) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दर्ज करने के लिए सांविधिक रजिस्टर रखता है और बोर्ड समय समय पर ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, की निगरानी करता है तथा उनका समय से निस्तारण करता है। बोर्ड प्रख्यात विकलांग व्यक्तियों के भाषणों का आयोजन करके हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाता है तथा बोर्ड के ऐसे सभी कर्मचारियों को सम्मानित करता है जो विकलांग हैं। बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के अबाध आवागमन के लिए रैंप एवं लिफ्ट की व्यवस्था की है। दृष्टि विकलांग कर्मचारियों को ईपीएबीएक्स के प्रचालन के लिए रखा जाता है।

(ज) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

सरकार के मानदंडों के अनुसार, सभी ग्रेडों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कुल संख्या का 4 प्रतिशत है। वर्तमान में कर्मचारियों की कुल संख्या 84 है जिसमें से 2 कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से हैं। अपेडा ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा है। कार्यालय के अंदर आने और जाने के लिए अपेडा ने एक कर्मचारी को मोटर चालित ह्वील चेयर प्रदान किया है। इसके अलावा, उनको नियमों के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(झ) ईसीजीसी लिमिटेड

- विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को ऐसे पदों पर स्थानांतरित किया जाता है जो विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के उपयुक्त होते हैं।
- भर्ती एवं पदोन्नति की परीक्षाओं में उनके लिए लेखक की अनुमति है।
- पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की तैनाती विकलांगता हितैषी/सुगम्य कार्यालय स्थानों में की जाती है।
- विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।
- विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(ञ) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

- पीडब्ल्यूडी के कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- वीएसईजेड के प्रवेश भवन पर सुगम्य अप्रोच एवं रैंप उपलब्ध कराए गए हैं।
- पार्किंग प्लेस निर्धारित किए गए हैं।
- विकलांगता हितैषी भवन के लिए प्रावधान किया गया है।

(ट) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड विकलांगों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन करता है।

(ठ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

आईआईएफटी संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में दाखिला एवं भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करता है।

3. महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग में एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके कार्य मोटेतौर पर निम्नलिखित हैं :

- महिलाओं के कल्याण एवं आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े मामलों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- वाणिज्य विभाग की योजनागत स्कीमों तथा अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना की कार्यक्रमों / स्कीमों के माध्यम से महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का संवर्धन किया जाता है।

- जेंडर बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट / निष्पादन बजट में लैंगिक मुद्दों को शामिल करने से संबंधित सभी मामले।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं प्रतितोष। वाणिज्य विभाग, इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों आदि में शिकायत समिति का गठन, उनके निष्पादन की निगरानी करना और आवश्यक मदद व मार्गदर्शन प्रदान करना।
- महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ जागरूकता सप्ताह मनाना।
- इस विषय से संबंधित अन्य अनुषांगिक मामले।

(क) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड एक छोटा संगठन है जिसमें 31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार कुल 42 कर्मचारी हैं जिसमें से 06 महिलाएं हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण और प्रतितोष के लिए पीईसी में एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीईसी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए एक व्यापक नीति अपनाई गई है।

वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड

एमएमटीसी में महिला कल्याण से जुड़े कार्य राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति के विस्तृत दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यू आई पी एस) के उद्देश्यों से चुने जाते हैं। एमएमटीसी इस मंच में अपने महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एमएमटीसी के एक महाप्रबंधक, जो महिला अधिकारी है, डब्ल्यूआईपीएस अपेक्स के महासचिव हैं। अनेक अन्य महिलाएं डब्ल्यूआईपीएस की सदस्य हैं।

- अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के तहत महिला कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शामिल है। एमएमटीसी में पदोन्नति नीति के तहत हर स्तर से बोर्ड स्तर तक योग्य एवं मेधावी उम्मीदवारों के चयन के लिए समान अवसर दिया जाता है तथा इस संबंध में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी एक सक्रिय शिकायत समिति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला कर्मचारी शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। समय – समय पर महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की मासिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है।
- एमएमटीसी द्वारा कार्य एवं व्यवहार के संबंध में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के अच्छे प्रतिनिधित्व का सुनिश्चय किया जाता है।

(ग) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 379 है तथा 31 अक्टूबर 2020 के अनुसार 306 कर्मचारी हैं। इसमें से 83 महिला कर्मचारी हैं। कठिनाइयों / समस्याओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए या संभावित समाधानों के लिए सुझावों के साथ उनको उच्च प्राधिकारियों की जानकारी में लाने के लिए बोर्ड की एक महिला अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर भी समय से एवं समुचित ढंग से ध्यान दिया जाता है।

(घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(ड.) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

एपीडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

(च) ईसीजीसी लिमिटेड

- महिला दिवस के अवसर पर कैंसर जांच कैंप और कैंसर जागरुकता पर सेमिनार आदि सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- कंपनी नेतृत्व विकास के लिए कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं में महिला कर्मचारियों को नामित करती है।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई हैं।
- भर्ती एवं पदोन्नति के लिए गठित पैनलों में महिला सदस्यों को नियुक्त करने पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

- कंपनी में प्रमोशन पैनल / सरकारी प्रशिक्षण में भाग लेते समय दो साल से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार एक बच्चे और एक परिचर के लिए उनके द्वारा किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना है।
- ईसीजीसी लिमिटेड के महिला कर्मचारियों के लिए शिशु के दो साल की आयु का होने तक करों को छोड़कर 5000 रुपए की सीमा तक क्रेच व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए योजना शुरू की गई है।
- कंपनी में उनके बच्चों के दो साल के होने तक महिला कर्मचारियों को दो दिन का विशेष अवकाश प्रदान करने की एक योजना है।

(छ) रबर बोर्ड

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के कानून के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है जिसमें एक बाहरी सदस्य सहित चार सदस्य होते हैं, जो समाज कार्य में निपुण होता है (रबर बोर्ड की वेबसाइट पर ब्यौरे प्रकाशित किए गए हैं)। समिति की हर तिमाही में बैठक हो रही है तथा अभी तब कोई शिकायत संदर्भित नहीं की गई है।

(ज) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

(झ) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों / अनुदेशों का पालन करते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए अक्सर कार्यक्रम चलाता है।

(ञ) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड महिलाओं के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है।

(ट) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

संस्थान ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां

1. नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग व्यापार जगत एवं आम जनता के साथ अपने संव्यवहार में निष्ठा और विवेक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तथा शिष्टाचार एवं समझ से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को सभी सेवाएं एवं प्रतिबद्धताएं सबसे प्रभावी एवं कारगर ढंग से प्रदान की जाएंगी।

वाणिज्य विभाग सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए विदेश व्यापार नीति की प्रक्रियाएं विकसित करने का प्रयास करेगा तथा भूमंडलीकृत एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने ग्राहक समूहों से निरंतर परामर्श करेंगे और विभाग के लिए संगत कानून एवं प्रक्रियाओं में सभी परिवर्तनों का समय पर प्रचार करेंगे। प्रदान की गई सेवाओं के मानक :

क्र. सं.	सेवाएं / लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1.	बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन	ईएंडएमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 माह
2.	निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	3 माह* (*पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन)
3.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के लिए अनुमोदन	i. राज्य सरकार की सिफारिशें एवं पूर्ण दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अंदर अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामलों को रखना ii. सुरक्षा क्लीयरेंस के अधीन, अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन के अंदर मंजूरी पत्र जारी करना
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 i. सूचना प्रदान करना या आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना ii. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत की गई अपीलों का निस्तारण	i. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर ii. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर
	लोक शिकायत तंत्र	
5.	लोक शिकायतों का समाधान	60 दिन* (*पूर्ण ब्यौरों की प्राप्ति तथा शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रत्युत्तर प्राप्त होने के अधीन) (*यदि अधिक समय लगने की संभावना होती है, तो शिकायतकर्ता को 60 दिन के अंदर अंतरिम जवाब के माध्यम से सूचित किया जाता है)।
6.	विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि द्वारा पारित किए गए सांविधक आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों पर अपील समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए	3 माह के अंदर टिप्पणी : यह अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों से पूर्ण ब्यौरों / दस्तावेजों की प्राप्ति के अधीन है।

2. लोक शिकायत

लोक शिकायत प्रकोष्ठ त्वरित निवारण के लिए वाणिज्य विभाग और इसके अधीन कार्यालयों के संबंध में आम जनता से प्राप्त शिकायतों का काम देखता है। सीपीजीएएमएस के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान 4476 शिकायतों का निस्तारण किया गया (पीएमओ से प्राप्त जन शिकायतें भी शामिल) है। गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में सूचना एवं सुविधा काउंटर पर एक शिकायत पेटी रखी गई है।

3. सतर्कता प्रकोष्ठ

प्रभागीय प्रमुख के रूप में संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एवं सीवीओ) के साथ विभाग में सर्तकता अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है :

- आचरण नियमावली का कार्यान्वयन
- वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रोसेसिंग
- सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर सीवीसी को सीवीओ की

मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक समेकित तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए सतर्कता मामलों की तिमाही सांख्यिकी रिपोर्ट संकलित करना
- आचरण नियमावली के प्रावधान के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य।

सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित गतिविधियों को भी संभालता है :

- संवेदनशील कार्यालयों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना
- ऐसी प्रक्रियाओं की समीक्षा करना एवं उनको सरल एवं कारगर बनाना, जिनके बारे में लगता है कि उनसे भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश है और विभाग एवं इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रष्टाचार एवं कदाचारों को रोकने, उनका पता लगाने के लिए अन्य उपाय शुरू करना तथा भ्रष्ट आचरण के लिए दंड
- विभाग में अवांछनीय व्यक्तियों की आवाजाही / गतिविधियों पर नजर रखना
- ''संदिग्ध निष्ठा'' वाले अधिकारियों की सूची / सहमत सूची तैयार करना और गैर संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती करना।
- पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन के लिए सीबीआई को स्वीकृति तथा पीसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने के लिए अनुमति

वाणिज्य विभाग का सतर्कता अनुभाग भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों में काम करने वाले बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के अनुशासनिक मामलों को देखता है, जबकि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों के गैर बोर्ड स्तरीय कर्मचारियों के मामलों की देखरेख संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी / संगठन प्रमुखों द्वारा की जाती है।

संबंधित प्रशासनिक प्रभागों / संगठनों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपार्टों के आधार पर व्यक्तियों तथा सी बी आई / सी वी सी / पी एम ओ आदि जैसे अन्य संगठनों से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है। यदि आवश्यक होता है, तो शिकायत के गुण.दोष की जांच पड़ताल करने के लिए प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि शिकायत में कोई सच्चाई होती है, तो नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान 96 (लगभग) अन्वेषण / जांच की गई तथा जांच की इन कार्यवाहियों के आधार पर संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों एवं वाणिज्य विभाग में 13 (लगभग) मामलों में छोटे / बड़े दंड लगाए गए।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जागरूकता सृजित करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 की अवधि के दौरान कार्यशालाओं / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ ग्रहण, पंफलेट का निर्गम आदि के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्क भारत, समृद्ध भारत की थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

4. पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां . सूचना का अधिकार

वाणिज्य विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है तथा सभी आवश्यक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अपनी वेबसाइट पर डाला है।

जो नागरिक आरटीआई आवेदन / अपील जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आते हैं उनकी सहायता के लिए, आवेदन / अपील प्राप्त करने के लिए गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली पर सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। आरएंडआई अनुभाग द्वारा डाक से प्राप्त आरटीआई / अपीलों का संवितरण किया जाता है जिसे आरटीआई सेल द्वारा उपयुक्त सीपीआईओ / एफएए / लोक प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाता है। आजकल डीओपीटी द्वारा प्रबंधित आरटीआई आनलाइन पोर्टल का प्रयोग करके अधिकांश आरटीआई आनलाइन दायर की जाती हैं। भौतिक आरटीआई की तरह आरटीआई सेल वाणिज्य विभाग के नोडल खाते में आनलाइन प्राप्त आरटीआई / अपील को उपयुक्त सीपीआईओ / एफएए / लोक प्राधिकारी को आनलाइन हस्तांतरित करता है।

इस समय विभाग ने निदेशक / उप सचिव स्तर के 32 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा 13 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) हैं, जो अपर सचिव / संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रथम अपील (अपीलों) की सुनवाई करते हैं एवं निस्तारण करते हैं। श्री के वी अजीत, उप निदेशक वाणिज्य विभाग के नोडल सीपीआईओ हैं और डॉ. सुरेन्द्र कुमार अहिरवाल, संयुक्त सचिव को पारदर्शिता अधिकारी, वाणिज्य विभाग के रूप में नामित किया गया है।

वर्तमान में, वाणिज्य विभाग के क्षेत्राधिकार में 31 लोक प्राधिकारी (पीए) हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इनमें से प्रत्येक लोक प्राधिकारी के अपने स्वयं के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य विभाग स्वयं में लोक प्राधिकरण है। छोटे लोक प्राधिकरणों में अधिकांशतः नोडल सीपीआईओ ही विशिष्ट लोक प्राधिकारी के एक मात्र सीपीआईओ होते हैं, जबकि वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी आदि जैसे बड़े लोक प्राधिकरणों में नोडल सीपीआईओ उपयुक्त सीपीआई / एफएए को आरटीआई / अपील संवितरित करने के लिए केन्द्रीय बिंदु के रूप में काम करते हैं और वे पारदर्शिता लेखा परीक्षा का वार्षिक संचालन, आरटीआई को आनलाइन अक्सेस करने के लिए व्यक्तिगत सीपीआईओ को प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड जारी करना तथा सभी आरटीआई मामलों के लिए डीओपीटी तथा मुख्य सूचना अधिकारी के साथ इंटरफेस का निर्माण करना आदि सहित लोक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न सी पी आई ओ / अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा 567 आर टी आई अवेदनों का निस्तारण किया गया तथा अन्य लोक प्राधिकारियों को 318 आवेदन हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 47 अपीलों का भी निस्तारण किया गया।

जनवरी से दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान, विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 410 अवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 334 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 44 अपीलों का निस्तारण किया गया।

5. राजभाषा

राजभाषा प्रभाग हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की निगरानी करता है तथा विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित राजभाषा नीति को लागू करता है। 2020.21 के दौरान राजभाषा प्रभाग की गतिविधियां नीचे दी गई हैं :

(क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

विभाग के तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न संगठनों के सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा के लिए विभाग में एक हिंदी सलाहकार समिति है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। राजभाषा विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के बाद समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति

वर्ष 2020–21 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने वाणिज्य विभाग के अधीन संगठनों का निरीक्षण किया जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) और निदेशक (राजभाषा) शामिल हुए। इन बैठकों के दौरान जो आश्वासन दिए गए उन्हें जल्दी से पूरा करने के लिए संबंधित संगठनों को संप्रेषित किया गया।

(ग) राजभाषा प्रोत्साहन

(i) हिंदी पखवाड़ा

1 से 14 सितंबर, 2020 के दौरान विभाग में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 7 प्रतियोगिताओं अर्थात राजभाषा का ज्ञान और हिंदी अनुवाद, निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, टंकण, कविता पाठ, आशु लेखन तथा हिंदी में आशु भाषण का आयोजन किया गया। पुरस्कार राशि 5000 रुपए (प्रथम), 3000 रुपए (द्वितीय), 2000 रुपए (तृतीय) और 1000 रुपए (सांत्वना)

थी। विभाग के कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया तथा पुरस्कृत किए गए।

(ii) वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना

हिंदी में सरकारी कामकाज अभीष्ट मात्रा में करने के लिए विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ''वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना'' शुरू की गई है जिसके तहत 5000 रुपए (प्रथम), 4000 रुपए (द्वितीय) और 3000 रुपए (तृतीय) का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 60 पुरस्कार (हिंदी एवं अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020.21 के दौरान, इस योजना के तहत विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

(iii) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। 21 अक्टूबर 2020 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(iv) ओएलआईसी की बैठकों का आयोजन

वाणिज्य विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 23 जून 2020 और 21 अक्टूबर 2020 को हुई।

(v) संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना

यह प्रोत्साहन स्कीन कई वर्षों से विभाग में विभाग के संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत, राजभाषा के क्षेत्र में उनके निष्पादन के लिए कार्यालयों को शील्ड / ट्रॉफी प्रदान की जाती है। उनके द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप एवं संगत दस्तावेजों में प्रदान की गई सूचना के आधार पर एक समिति द्वारा कार्यालयों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) निरीक्षण

विभाग के अधीन संगठनों में हिंदी के प्रयोग के प्रचार–प्रसार में हुई प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के स्टेटस की समीक्षा करने के लिए हिंदी प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा वाणिज्य विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

इसके अलावा, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विभाग के विभिन्न अनुभागों / प्रभागों का भी निरीक्षण किया गया।

6. ई–गवर्नेंस

वाणिज्य विभाग के लिए एनआईसी द्वारा संचालित परियोजना गतिविधियां :

- **वाणिज्य विभाग की वेबसाइट** : सामग्री की प्रयोक्ता हितैषी प्रस्तुति तथा सुखद अनुभूति में वृद्धि के साथ एक नई अनुक्रियाशील, द्विभाषी वेबसाइट अभिकल्पित की गई है तथा डब्ल्यू3सी दिशानिर्देशों एवं भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुसार विकसित की गई है। वाणिज्य विभाग की शिकायत निगरानी प्रणाली को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। आवेदक अपनी शिकायत आनलाइन दर्ज करा सकते हैं और अपनी शिकायत का स्टेटस आनलाइन पता कर सकते हैं। विभाग द्वारा इन शिकायतों की प्रोसेसिंग के लिए एक मजबूत कार्य प्रवाह आधारित प्रोसेसिंग भी विकसित की गई है। एनआईसी क्लाउड पर वेबसाइट तथा शिकायत निगरानी प्रणाली को होस्ट किया गया है।

- **वाणिज्य विभाग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन (एंड्रायड एवं आईओएस)** : वाणिज्य विभाग की वेबसाइट तथा शिकायत प्रबंधन प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं तथा एंड्रायड एवं आईओएस दोनों प्लेटफार्म के लिए कार्यान्वित किए गए हैं।

- **डैशबोर्ड का प्रधानमंत्री (पीएम) डैशबोर्ड – प्रमुख प्रक्रिया संकेतक (केपीआई) का एकीकरण** : डैशबोर्ड के पीएम डैशबोर्ड प्रयास में वाणिज्य विभाग के लिए केपीआई का एकीकरण है : वाणिज्य विभाग के लिए केपीआई को डैशबोर्ड के पीएम डैशबोर्ड प्रयास के अंदर एकीकृत किया गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देखने के लिए इन केपीआई पर इंटीट्यूटिव विजुअलाइजेशन विकसित किया गया है। तीन केपीआई एकीकृत किए गए हैं और तीन और एकीकृत किए जाने वाले हैं।

- **वाणिज्य विभाग के लिए डैशबोर्ड** : वाणिज्य विभाग की विभिन्न व्यापार सांख्यिकी एवं अन्य गतिविधियों की निगरानी करने के लिए व्यवसाय आसूचना (बीआई) टूल्स का प्रयोग करके एक डैशबोर्ड सृजित किया गया है। आम जनता को देखने के लिए यह डैशबोर्ड विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है तथा आंतरिक मुद्दों वाला दूसरा संस्करण भी विभाग के अधिकारियों द्वारा देखने के लिए इंट्रानेट पोर्टल पर

उपलब्ध है। डैशबोर्ड को एनआईसी क्लाउड एनवायरनमेंट पर तैनात किया गया है। डैशबोर्ड के लिए यूआरएल https://dashboard.commerce.gov.in और https://intradashboard.commerce.gov.in **हैं।**

- **व्यापार विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड** : अधिक आकर्षक रूप में देश के व्यापार विवरण को प्रस्तुत करने एवं निगरानी करने के लिए एनआईसी के डेटा विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईडीए) की मदद से देश के पण व्यापार पर एक डैशबोर्ड का विकास किया जा रहा है। डीजीसीआईएंडएस का जिंसों एवं प्रधान जिंसों के 8 डिजिट के एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित मासिक व्यापार डेटा का प्रयोग देश के जिंसवार एवं देशवार व्यापार की रुझान का विश्लेषण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह डैशबोर्ड एनआईसी के क्लाउड एनवायरनमेंट में कार्यान्वित किया जाएगा।
- **विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए प्रणाली** : वस्तु, सेवाओं में व्यापार पर देश विशिष्ट मासिक, तिमाही एवं वार्षिक डेटा, मानक, विनियम / व्यापार रक्षा के उपायों, व्यापार संवर्धन के लिए संचालित गतिविधियों, निवेशों, लॉजिस्टिक्स आदि पर एलर्ट के संबंध में विदेश स्थित भारतीय वाणिज्यिक मिशनों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक वेब आधारित प्रणाली का विकास किया जा रहा है। विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) किया जा रहा है तथा शीघ्र विमोचन किया जाएगा। प्रणाली को एनआईसी क्लाउड एनवायरनमेंट पर तैनात किया गया है।
- **व्यापार संबद्ध डैशबोर्ड / प्रणालियों का रखरखाव** : देश के आयात एवं निर्यात पर व्यापार संबद्ध डैशबोर्ड का रखरखाव किया जा रहा है। इसमें जिंसों के 8 डिजिट के एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित आयात निर्यात डेटा बैंक (ईआईडीबी) और प्रधान जिंस वर्गीकरण पर आधारित प्रधान जिंसों एवं देशों का विदेश व्यापार (एफटीएसपीसीसी) शामिल हैं जो देश के देशवार एवं प्रधान जिंसवार निर्यात एवं आयात का डेटा प्रदान करती हैं। इन प्रणालियों को डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध नवीनतम डेटा के साथ अपडेट किया जा रहा है। ये प्रणालियां वाणिज्य विभाग की वेबसाइट से इंटरनेट पर सुगम्य हैं।
- **डीबीटी मिशन पोर्टल के साथ वाणिज्य विभाग की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं का एकीकरण:** वाणिज्य विभाग के अधीन बोर्ड अर्थात चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, मसाला बोर्ड, तंबाकू बोर्ड से डीबीटी मिशन को डीबीडी संबद्ध डेटा भेजने की अपेक्षा है। इसे इलेक्ट्रानिक रूप से सुगम बनाने के उद्देश्य से http://dbt.commerce.gov.in नामक पोर्टल इन एजेंसियों से डेटा प्राप्त करने और उसे वेब सेवाओं / एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से डीबीटी मिशन को भेजने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में एनआईसी वेब सेवाओं / एपीआई के माध्यम से डीबीटी मिशन को डीबीटी संबंध सूचना सीधे ट्रांसफर करने में इन सभी बोर्डों की मदद कर रहा है।
- **नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ वाणिज्य विभाग की योजनाओं का एकीकरण** : वाणिज्य विभाग ने एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए बाजार पहुंच पहल योजना की पहचान की है। एनजीओ दर्पण पोर्टल की आवश्यकता के अनुसार, नीति आयोग के एनजीओ डेटाबेस में सक्रिय संस्था के रूप में प्रयोक्ता के पंजीकृत होने पर वेब सेवा के माध्यम से नीति आयोग को एनजीओ के भुगतान का विवरण भेजने के लिए एक वेब सेवा का विकास किया गया है।
- **वाणिज्य विभाग का इंट्रानेट पोर्टल** : इंट्रानेट पोर्टल में विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न एप्लीकेशन हैं।
  - सम्मेलन कक्ष बुकिंग प्रणाली (सीआरबीएस) बैठकों के लिए सम्मेलन कक्ष तथा उपकरणों (लैपटॉप, एलसीडी प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर की आनलाइन बुकिंग करने तथा इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से कक्ष की उपलब्धता के बारे में पूछताछ करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - लेखन सामग्रियों के लिए इलेक्ट्रानिक मांग प्रणाली (ईआरएसएसआई) लेखन सामग्रियों के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में अपनी मांग प्रस्तुत करने तथा इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से उनके अनुरोधों के स्टेटस की जानकारी प्राप्त करने में विभाग के प्रयोक्ताओं की सहायता करती है।
  - वाणिज्य सचिव के कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त वीआईपी संदर्भ की समय से प्रोसेसिंग तथा उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी करने के लिए वीआईपी संदर्भ निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
  - वार्षिक कार्य के रूप में विभाग में विभिन्न वस्तु / क्षेत्रीय प्रभागों के माध्यम से विभिन्न संगठनों / एजेंसियों एवं व्यापार समुदायों से प्राप्त बजट पूर्व प्रस्तावों को समेकित करने, प्रोसेस करने और निगरानी करने के लिए बजट पूर्व प्रस्ताव प्रोसेसिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
  - विभाग में समय समय पर अनुभागों / प्रभागों द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों / कार्यालय आदेशों / नोटिसों / परिपत्रों के अनुरक्षण एवं प्रसार के लिए विभाग में ओएम / आदेश / नोटिस / परिपत्र के प्रसार की प्रणाली सृजित की गई है।
- विश्व व्यापार एटलस तक पहुंच : वाणिज्य विभाग ने

डीजीसीआईएंडएस से भारतीय व्यापार डेटा के बदले में 80 से अधिक देशों के विश्व व्यापार एटलस नामक व्यापार डेटाबेस की पहुंच प्रदान करने के लिए मैसर्स आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड, यूके के साथ करार किया है। केवल अधिकृत प्रयोक्ताओं को कनेक्ट पर वैश्विक व्यापार एटलस (जीटीए) के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित पहुंच नियंत्रण तंत्र तैयार किया गया है। जीटीए प्रणाली पर प्रयोक्ता सृजन तथा व्यापार डेटा के अंतरण से संबद्ध किसी मुद्दे / स्पष्टीकरण के लिए डीजीसीआईएंडएस और आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड के बीच समन्वय का कार्य एनआईसी द्वारा किया जा रहा है।

- निम्नलिखित के लिए एनआईसी क्लाउड इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए समन्वय
  - मसाला बोर्ड
  - रबर बोर्ड
  - कॉफी बोर्ड
  - भारतीय निर्यात परिषदें
  - विशेष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईजेड)
  - क्लाउड पर अन्य कामर्स एप्लीकेशन
- **डीओसी के अधीन विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं में ई–आफिस का कार्यान्वयन :** डीओसी के अधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों / संस्थाओं में ई.आफिस एप्लीकेशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक परामर्श / समन्वय का कार्य एनआईसी . डीओसी द्वारा किया जा रहा है।
- **उद्योग भवन में नेटवर्क उन्नयन :** उद्योग भवन में नेटवर्क उन्नयन के लिए प्रस्ताव करार किया गया है तथा पूरे उद्योग भवन हेतु डीपीआईआईटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **एफएमएस सेवाएं : एनआईसी के अधिकारियों की टीम निकनेट पर निम्नलिखित नेटवर्क सेवाएं प्रदान कर रही है :**
  - ईमेल सेवाएं
  - नेटवर्क मैनेजमेंट
  - वीसी सेवाएं
  - एंटी वायरस लगाना
  - ओएस पैच मैनेजमेंट
  - वीपीएन सेवाएं
  - ई.आफिस सपोर्ट
  - स्पैरो सपोर्ट
- **केन्द्रीय परियोजनाओं पर समर्थन : केन्द्रीय आईसीटी परियोजनाओं पर समर्थन, जैसे कि :**
  - पीएफएमएस
  - सीपीग्राम्स
  - आरटीआई.एमआईएस
  - प्रगति
  - भविष्य . आनलाइन पेंशन एवं भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली
  - एलआईएमबीएस
  - अनुभव
  - ई.विजिटर
  - एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली

वाणिज्य विभाग की हाल ही में लांच की गई वेबसाइट का होम पेज

7. विदेश स्थित भारतीय मिशनों / पोस्टों में वाणिज्यिक प्रकोष्ठ (टीए / टीसी अनुभाग)

वाणिज्यिक प्रकोष्ठ भारतीय व्यापार के संवर्धन एवं सुगमता के लिए विदेश स्थित 105 भारतीय मिशनों के अंग हैं। वे सरकार से समन्वय करने, प्रसार करने एवं कार्रवाई करने तथा मिशन देश में महत्वपूर्ण व्यापार एवं आर्थिक घटनाक्रमों पर रिपोर्ट करने के लिए वाणिज्य विभाग के विस्तार के रूप में काम करते हैं। वाणिज्यिक प्रकोष्ठों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के आर्थिक प्रचालकों के लिए मिशन में पहला संपर्क है। 105 वाणिज्यिक प्रकोष्ठों में से 2 मिशनों में विशेष वाणिज्यिक अभिमुखीकरण है। विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा में भारत का स्थायी मिशन और ब्रुसेल्स में विभाग का मिशन।

वाणिज्य प्रकोष्ठों के लिए बजट वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तथापि, इन पोस्टों पर प्रशासनिक नियंत्रण विदेश मंत्रालय के पास है। इनमें से अधिकांश पोस्टों को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सेवा बोर्ड प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाता है। इन वाणिज्यिक प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करने तथा उनकी गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए इन कार्यालयों के लिए बजटीय आवंटन को समय –समय पर बढ़ाया गया है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 176.12 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को बढ़ाकर 2020–21 के बजट अनुमान में 190.00 करोड़ रुपए किया गया है।

विदेश स्थित हमारे मिशनों के वाणिज्यिक प्रकोष्ठ संबंधित मेजबान देश के साथ भारत के व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्यों पर ध्यान देते हैं।इसके तहत निम्नलिखित शामिल हैं :

- व्यापार, आर्थिक एवं निवेश सूचना का संग्रहण एवं पारेषण।
- आर्थिक, वाणिज्यिक एवं व्यापार नीति के घटनाक्रमों की निगरानीय दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों की सरकार एवं कारोबारी समुदाय दोनों के स्तर पर निगरानी।
- चल रहे व्यापार का बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं समालोचनात्मक विश्लेषण।
- व्यापार एवं निवेश संवर्धन जिसमें व्यापार एवं निवेश से संबंधित पूछताछ के जवाब देना, माल एवं सेवा व्यापार का संवर्धन, निवेश एवं संयुक्त उद्यमों का सवंर्धन तथा व्यापार से संबंधित विवादों के समाधान में सहायता प्रदान करना शामिल है।
- भारत के व्यापार एवं निवेश पर बल देते हुए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संस्थाओं से संबंधित उभरती रुझानों का विश्लेषण आदि।

सभी भारतीय मिशनों ने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के कामकाज की हाल ही में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा माननीय विदेश मंत्री द्वारा 30 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी मिशनों को देश के व्यापार हितों से संबंधित मामलों पर काम करने के लिए विस्तृत अनुदेश दिए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

- पर्यटन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, गैर टैरिफ बाधाओं के समाधान से संबंधित मामले कैप्चर करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा की गई कार्रवाई पर नजर रखने तथा नियमित फीडबैक प्रदान करने के लिए मिशनों के साथ साझा किया गया है।
- पर्यटन मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी के तहत विभिन्न व्यवहार्य क्षेत्रों को हाइलाइट करते हुए मिशनों के लिए मार्गदर्शन नोट तैयार किए गए हैं जिन्हें वाणिज्यिक प्रतिनिधियों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- सभी मिशन बैठक के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उपयुक्त कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए अन्य पहलों में शामिल हैं :

- वेब आधारित रिपोर्टिंग : वाणिज्य विभाग संशोधित प्रोफार्मा (व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन के तीनों पहलुओं को कैप्चर करना) पर आनलाइन सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल को स्थिर करने की प्रक्रिया में है। टेस्ट पोर्टल कार्यशील हो गया है तथा मिशनों को इसे अक्सेस करने के विवरण के बारे में सूचित कर दिया गया है। आनलाइन डैशबोर्ड से वाणिज्यिक प्रकोष्ठों की रिपोर्टिंग, डेटा प्रबंधन तथा निष्पादन मूल्यांकन में काफी सुधार होने की उम्मीद है।
- रियल टाइम में व्यापार के अवसरों की रिपोर्टिंग : मिशनों को रियल टाइम आधार पर अपने अपने देशों में निर्यात के अवसरों के बारे में निर्यात संवर्धन परिषदों / निर्यातकों को अलर्ट करने में अपने प्रयासों को सक्रियता से फोकस करने की सलाह दी गई है। मिशनों से निर्यात के अवसरों, विशेष रूप से एफआईईओ द्वारा प्रबंधित भारतीय व्यापार पोर्टल पर सार्वजनिक निविदाओं पर आधारित अवसरों को पोस्ट करने के लिए कहा गया है। कुछ मिशनों ने नियमित रूप से प्रस्तुत करके इन उद्देश्यों में सराहनीय ढंग से सहयोग किया है।

अनुबंध क

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय / अधीनस्थ कार्यालय / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्रा उपक्रम / निर्यात संवर्धन परिषदें / अन्य संगठन

संबद्ध कार्यालय

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली . 110 107
2. व्यापार निदान महानिदेशालय, जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001 फोन नंबर : 011–23348653, 23348654

अधीनस्थ कार्यालय

1. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, 565, आनंदपुर, वार्ड संख्या 108, सेक्टर 1, प्लाट नंबर 22, ई सी ए डी पी कोलकाता–700107 फोन : 913324434055 (4 लाइनें) फैक्स : 913324434051
2. कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, कक्कानाड, कोच्चि–600 030, केरल
3. फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, द्वितीय एमएसओ बिल्डिंग, चौथा तल, कमरा नंबर 44, निजाम पैलेस काम्प्लेक्स, 234/4, एआईसी बोस रोड, कोलकाता–700 020, पश्चिम बंगाल
4. एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, प्रशासनिक कार्यालय भवन, टम्बारम, चेन्नई– 600 045, तमिलनाडु
5. कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, कच्छ–370230, गुजरात
6. एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई –400 096, महाराष्ट्र
7. विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, दुआडा, विशाखापत्तनम–530 046, आंध्र प्रदेश
8. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा डाबरी रोड, फेज–II, नोएडा–201 305, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
9. वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य), उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 107
10. वेतन एवं लेखा कार्यालय (पूर्ति प्रभाग), 16–ए, अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली–110 011

स्वायत्त निकाय

1. कॉफी बोर्ड, 1, डॉ. बी आर अंबेडकर विथी, बंगलौर –560001, कर्नाटक
2. रबर बोर्ड, उप जेल रोड, पीबी नंबर 1122, कोट्टायम–686002, केरल
3. चाय बोर्ड, 14 बीटीएम सारानी, ब्राबोर्न रोड, पीबी नंबर 2172, कोलकाता–700001, पश्चिम बंगाल
4. तंबाकू बोर्ड, पीबी नंबर 322, गुंटूर–522004, आंध्र प्रदेश
5. मसाला बोर्ड, सुगंधा भवन, एनएच बाईपास, पीबी – 2277, पालारिवट्टम पीओ कोच्चि–682025, केरल
6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा हाउस, पानमपल्ली एवेन्यू, कोच्चि–682 036, केरल
7. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एनसीयूआई बिल्डिंग, सिरी संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110 016
8. भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, तीसरा तल, एनडीवाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110 001
9. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी–21, संस्थानिक क्षेत्र, आईआईटी के दक्षिणी ओर, नई दिल्ली–110 016

10. भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बी–2, एमआईडीसी क्षेत्र, पोस्ट बाक्स नंबर 9432, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400 096, महाराष्ट्र

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली– 110001

एसटीसी की सहायक कंपनी

1. एसटीसीएल लिमिटेड, नंबर 7ए, 'एसटीसी व्यापार केंद्र', तीसरा तल, नंदिनी लेआउट, बंगलुरू–560096, कर्नाटक
2. एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप कॉम्लेक्स, 7, संस्थानिक क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
3. पीईसी लिमिटेड, 15, 'हंसालय', बाराखंबा रोड, नई दिल्ली –110 001
4. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वां तल, एक्सप्रेस टावर, पोस्ट बाक्स नंबर 373, नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021, महाराष्ट्र
5. भारत व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति मैदान, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110 001

विशेष प्रयोजन वाहन

1. गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एसपीवी (जेम एसपीवी), जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110 001

वाणिज्य विभाग के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1. केमेक्ससिल, झाँसी कैसल (चौथी मंजिल), 7, कूपरेज रोड, मुंबई– 400039, महाराष्ट्र (टेलीफोन नंबर : 022–22021288, 2021330; फैक्स : 022–2026684)
2. भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, काजू भवन, मुंडाक्कल, कोल्लम–691001, केरल टेलीफोन नंबर : 0474–2742704, फैक्स : 0484–2377973)
3. कैपेक्सिल, 'वाणिज्य भवन', अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता–700 016 पश्चिम बंगाल (टेलीफोन नंबर : 033.22890524/25; फैक्स : 033–22891724)
4. चमड़ा निर्यात परिषद, नंबर 1, सीएमडीए टावर 2, तीसरा तल, गांधी इर्विन रोड, एगमोर, चेन्नई–600 008, तमिलनाडु (टेलीफोन नंबर : 044–28594367; फैक्स : 044–28594363)
5. भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य भवन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, पहला तल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016, पश्चिम बंगाल (टेलीफोन नंबर : 033–22890651 / 52; फैक्स : 033–22890654)
6. ईओयू एवं एसईजेड यूनिटों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, 8–जी, हंसालय, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001 (टेलीफोन नंबर : 011–23329766–69; फैक्स : 011–23329770)
7. रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, कार्यालय नंबर एडब्ल्यू 1010, टावर ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, आईसीआईसीआई बैंक से आगे, बांद्रा–कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051, (टेलीफोन नंबर : 022–23821801 / 06, फैक्स : 022–23808752)
8. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, क्रिस्टल टावर, गुंडीवाली रोड नंबर 3, सर एमवी रोड के सामने, अंधेरी पूर्व, मुंबई–400069, महाराष्ट्र (टेलीफोन नंबर : 022–26833951; फैक्स : 022–26833953)
9. खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, 1–ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 (टेलीफोन नंबर : 011–23516183; फैक्स : 011–23632147)
10. लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल), 'वाणिज्य भवन', अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, प्रथम तल, 2/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता–700016, पश्चिम बंगाल (टेलीफोन नंबर : 033.22834417 / 697; फैक्स : 033–22834699)
11. फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल), 101, आदित्य व्यापार केंद्र, अमीरपेठ, हैदराबाद . 500 038, आंध्र प्रदेश (टेलीफोन नंबर : 23735462/66; फैक्स: 23735464)

12. सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, 6 ए/6, तीसरा तल, एनसीएचएफ बिल्डिंग, सिरी फोर्ट संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110 040, (टेलीफोन नंबर : 41046327–29 / 41734632)

13. परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, 411, सूर्य किरण बिल्डिंग (चौथी मंजिल), 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110 001 (टेलीफोन नंबर : 91–11–41514673, 41563287)

14. भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, 78–79 बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021, महाराष्ट्र (टेलीफोन नंबर : 022–22023225; फैक्स : 022–22029236)

अन्य संगठन

1. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग, आर्मी हास्पिटल (अनुसंधान एवं रेफरल) के सामने, नई दिल्ली–110 057

2. भारतीय हीरा संस्थान, कटरगाम, जीआईडीसी, सुमुल डेयरी रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 508, सूरत–395 008, गुजरात

3. फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान, ए–10 / ए, सेक्टर. 24, नोएडा–201301, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

4. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, एनसीटीआई कॉम्पलेक्स, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110 001

5. मूल्य स्थिरता न्यास निधि, कमरा नंबर 2003, 20वां तल, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110 001

6. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, 20वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110 001

अनुबंध ख

31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग तथा इसके सहयोगी संगठनों में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/ईडब्ल्यूएस की संख्या दर्शाने वाला विवरण

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
वाणिज्य विभाग (सम्यक)	समूह क	145	0	18	0	3	0	10	0	0	0	0	ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती, सीएसएसएसए सीएससीएसए सीएसएस कैडर के पद के लिए, डीओपीटी का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। एक्स कैडर (जेटीओ और एसटीओ) के लिए, राजभाषा विभाग द्वारा भर्ती की जाती है। विभाग संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा पदोन्नति/ तैनाती/ स्थानांतरण के लिए जारी किए गए आदेशों को लागू करता है। इसलिए, सूचना 'शून्य' है
	समूह ख	195	0	24	0	7	0	22	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	153	0	39	0	12	0	32	0	0	0	एमटीएस के लिए (एससी – 0, एसटी – 0, ओबीसी – 9, ईडब्ल्यूएस – 10)	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
पूर्ति प्रभाग	समूह क	81	0	12	0	8	0	6	0	0	0	0	
	समूह ख	67	0	16	0	5	0	9	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	38	0	16	0	2	0	3	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसू. चित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम)	समूह क	72	35	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	31 अक्टूबर 2020 तक कुल 72 कर्मचारियों में से, प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या 21 है, जिनमें से 17 ग्रुप ए और 4 ग्रुप बी हैं। शेष 55 कर्मचारी पीएमयू और एसपीवी मार्केट के हैं। जनवरी–अक्टूबर 2020 के दौरान भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 है और पीएमयू और एसपीवी मार्केट की संख्या 34 है।
	समूह ख	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
उप जोड़ (क)		**755**	**35**	**125**	**0**	**37**	**0**	**82**	**0**	**0**	**0**	**19**	
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय													
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)	समूह क	113	2	15	0	9	0	16	0	1	1	एससी –02, ओबीसी –04, एसटी –01, ईडब्ल्यूएस –01	डीजीएफटी में ग्रुप सी और डी के पदों की सीधी भर्ती पर सचिव समिति द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध अभी भी लागू है। इसलिए कोई भर्ती नहीं की गई है।

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	समूह ख (राजपत्रित)	80	0	22	8	0	0	0	0	0	0	0	डीजीएफटी में ग्रुप सी और डी के पदों की सीधी भर्ती पर सचिव समिति द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध अभी भी लागू है। इसलिए कोई भर्ती नहीं की गई है।
	समूह ख (एनजी)	157	0	25	0	11	0	5	0	0	0	अनुसूचित जाति –19, अनुसूचित जनजाति – 8	
	समूह ग	441	11	86	4	15	0	18	2	0	0	एससी –1, ओबीसी –1, एसटी –7, और ईडब्ल्यूएस –3	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	130	0	31	0	11	0	12	0	0	0	एस – 15 एसटी – 2	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	अनुसूचित जाति –4, अनुसूचित जनजाति – 1	
उप जोड़ (ख)		**924**	**13**	**182**	**12**	**46**	**0**	**51**	**2**	**1**	**1**	**230**	
वाणिज्य विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालय													
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता	समूह क	20	0	5	0	0	0	4	0	0	0	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित	
	समूह ख	146	0	37	0	15	0	4	0	0	0	भर्ती नियम के अनुसार अर्हक सेवा पूरी न करने के कारण अनुसूचित जाति के लिए 6 (छ) और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 (पांच) पद खाली पड़े	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसू. चित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	91	2	12	0	8	0	34	0	0	0	डाटा प्रोसे. सिंग सहायक (एससी–16, एसटी–4, ओबीसी–4, ईडब्ल्यूएस–12) के पद और अवर श्रेणी लिपिक के लिए एससी–1, एसटी–1, ओबीसी–7, और ईडब्ल्यूएस–3)	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
एमपीईजेड, चेन्नई	समूह क	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	73	10	11	0	0	0	2	1	0	0	0	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी को छोड़कर)	22	0	13	0	1	0	1	0	0	0	1*	(एससी श्रेणी में आशुलिपिक ग्रेड की III रिक्त को भरने के लिए उम्मीदवार के लिए मंत्रालय के माध्यम से एसएससी को अनुरोध भेजा गया है)
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला	समूह क	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	20	0	4	0	2	0	5	0	0	0	0	
	समूह ग	18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2 (एससी) 1 यूडीसी, 1 एलडीसी	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी को छोड़कर)	25	0	6	0	4	0	9	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
विशाखापत्तनम एसईजेड	समूह क	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*एनए	**ग्रुप बी 5 का कॉलम 4:** जनवरी–अक्टूबर 2020 के दौरान 5 उम्मी. दवारों ने वीएसईजेड में ज्वॉइन कर लिया है: 2 उम्मीदवार पदोन्नति के माध्यम से और 3 उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति के माध्यम से। *विकास आयुक्त,
	समूह ख	14	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*एनए	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी को छोड़कर)	12	0	4	0	1	0	5	0	0	0	*एनए	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह क	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	वीएसईजेड, विशाखापट्टनम के कार्यालय में प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या 14 से कम है। इस प्रकार, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012 I/2/96/. स्था. (आरईएस) दिनांक 02–07–1997 के माध्यम से निर्धारित एल–आकार के रोस्टर के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है।
	समूह ख	22	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी को छोड़कर)	8	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**कॉलम नंबर 4 और 6 (ग्रेड बी):** सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आध्‍ार पर होती है क्योंकि कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है।
	समूह ख	14	1	3	1	3	0	1	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*सभी पद प्रतिनियुक्ति के हैं
	समूह ख**	23	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	**20 सभी पद प्रतिनियुक्ति के
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी को छोड़कर)	34	0	8	0	3	0	14	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाइ कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसू. चित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	26	0	4	0	2	0	3	0	0	0	0	
	समूह ग	20	0	2	0	1	0	11	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाइ कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
एसईईपीजेड एसईजेड	समूह क	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	46	10	5	2	2	1	2	1	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	43	0	9	0	2	0	15	0	0	0	एससी –5, ओबीसी –3, एसटी –2, ईडब्ल्यूएस –1	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़ (ग)		**710**	**29**	**142**	**4**	**47**	**1**	**116**	**2**	**0**	**0**	**80**	
वाणिज्य विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय एवं वस्तु बोर्ड													
मसाला बोर्ड, कोचीन	समूह क	85	0	11	0	7	0	20	0	0	0	2 (एससी) एवं 1 (ओबीसी) जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ईडब्ल्यूएस*	*एमओसी से पत्र एफ सं. 5/2015–प्लान (समन्वय) दिनांक 22.02.2017 के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार एक को छोड़कर 22.02.2017 के बाद कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	समूह ख	106	0	15	0	16	0	27	0	0	0	5 (एससी) जिसे सीधी भर्ती/ प्रोंन्नति द्वारा भरा जाएगा 2 ओबीसी) जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ईडब्ल्यूएस*	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	115	0	17	0	10	0	45	0	0	0	6 (एससी) एवं 1 (एसटी) जिसे सीधी भर्ती/ प्रोंन्नति द्व रा भरा जाएगा ईडब्ल्यूएस*	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रबर बोर्ड, कोट्टायम	समूह क	155	0	21	0	12	0	23	0	0	0	*	मंत्रलय के पत्र एफ संख्या 5/1004/2015–प्लांट (समन्वय) दिनांक 22 फरवरीए 2.2017 के माध्यम से मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बगैर किसी रिक्ति (पदोन्नति या नियुक्ति) को न भरने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा मंत्रालय ने पत्र एफ संख्या
	समूह ख	516	0	69	0	38	0	82	0	0	0	*	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसू. चित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	524	0	73	0	51	0	172	0	0	0	*	6/9/2017–प्लांट–सी दिनांक 11 नवंबर 2019 के माध्यम से रबर बोर्ड के पुनर्गठन के अंग के रूप में कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या 1649 से घटाकर 905 कर दी थी। 31 अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार 905 की संस्वीकृत संख्या के विरुद्ध 1196 कर्मचारी थे। अतः, बोर्ड अब अतिरिक्त स्टाफ को घटाकर उनकी संख्या 905 करने की प्रक्रिया में है।
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
	समूह घ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	
चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह क	63	0	9	0	4	0	17	0	0	0	1	
	समूह ख (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	119	0	20	0	5	0	31	0	0	0	4	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	226	0	40	0	14	0	21	0	0	0	3	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसू. चित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली	समूह क	22	0	3	0	1	0	1	0	0	0	2	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन के अनुसार समूह ग के पद भरे नहीं जाएंगे तथा पुनर्गठन के लागू हो जाने पर समाप्त समझे जाएंगे।
	समूह ख	29	0	6	0	1	0	4	0	0	0	2	
	समूह ग	31	0	4	0	3	0	6	0	0	0	6	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), नई दिल्ली	समूह क	100	0	21	0	5	0	24	0	0	0	पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है	
	समूह ख	31	0	4	0	5	0	9	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	119	0	12	0	2	0	19	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कॉफी बोर्ड	समूह क	63	0	6	0	5	0	20	0	0	0	9	
	समूह ख	103	0	19	0	9	0	20	0	0	0	29	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	430	0	75	0	26	0	58	0	0	0	100	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)	समूह क	57	1	13	0	9	0	19	1	0	0	एम्पीडा की सभी संगठनात्मक भर्ती प्रक्रियाधीन है	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	समूह ख	69	0	12	0	9	0	25	0	0	0	और प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर ये पद भरे जाएंगे।	
	समूह ग	65	0	13	0	5	0	26	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	16	0	4	0	3	0	5	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
तंबाकू बोर्ड	समूह क	80	0	16	0	9	0	17	0	0	0	0	
	समूह ख	95	0	14	0	7	0	30	0	3	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	182	0	29	0	12	0	45	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	37	0	6	0	2	0	17	0	0	0	0	
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) (वाणिज्य विभाग के अधीन समवत विश्वविद्यालय)	समूह क	50	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	
	समूह घ	41	0	11	0	4	0	4	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	17	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
आईआईएफटी कोलकाता कैंपस	समूह क	18	4	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	समूह ख	9	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़ (ग)		**3574**	**5**	**551**	**1**	**274**	**0**	**802**	**2**	**3**	**0**	**173**	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
वाणिज्यक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम													
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), नई दिल्ली	समूह क	198	0	51	0	12	0	22	0	0	0	एसटीसी में, पिछले लगभग 3 वर्षों से समूह क में कोई भर्ती नहीं हुई है।	
	समूह ख	52	0	12	0	6	0	2	0	0	0	एसटीसी में, पिछले लगभग 24 वर्षों से समूह ख और ग में कोई भर्ती नहीं हुई है।	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	47	0	16	0	5	0	2	0	0	0		
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), नई दिल्ली	समूह क	110	13	23	2	3	1	15	2	0	0	*1(एसटी)	*समूह क में डीएम (वित्त) की एसटी रिक्ति भरी नहीं गई है
	समूह ख	43	0	12	0	3	0	1	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	361	3	70	0	8	0	30	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	31	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पी.ईसी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह क	39	0	11	0	3	0	8	0	0	0	4	**कॉलम 3 (समूह क):** बाहर से प्रतिनियुक्ति पर 03 को शामिल नहीं किया गया है

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 तक)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसू. चित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ओबीसी श्रेणी के उम्मी. दवारों की संख्या	ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों की संख्या	एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो 31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार भरी नहीं गई हैं	अभ्युक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	समूह ख	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) लिमिटेड, मुंबई	समूह क	243	0	42	0	17	0	49	0	0	0	एनए	
	समूह ख	283	0	52	0	24	0	71	0	0	0	समूह ख में 1 ओबीसी बैकलॉग रिक्ति	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	14	0	3	0	3	0	1	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
एमएमटीसी लिमिटेड	समूह क	344	0	66	0	25	0	35	0	0	0	एससी – 5, एसटी – 4, ओबीसी – 9*	*एमएमटीसी के बोर्ड ने प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों पर अपने पुनर्गठन /बंदी को/ ध्यान में रखते हुए सभी नई भर्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया है।
	समूह ख	233	0	49	0	36	0	6	0	0	0	0	
	समूह ग	72	0	15	0	4	0	18	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	95	0	29	0	9	0	28	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़ (ग)		**2168**	**16**	**481**	**2**	**158**	**1**	**289**	**2**	**0**	**0**	**24**	
कुल योग		**8131**	**98**	**1481**	**19**	**562**	**2**	**1340**	**8**	**4**	**1**	**526**	

एनजी = अराजपत्रित

अनुबंध ग

31 अक्टूबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (खास) तथा इसके सहयोगी संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ङ	क	ख	ग	घ	ङ		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
वाणिज्य विभाग (सम्यक)	समूह क	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती, सीएसएसएसए सीएससीएसए सीएसएस कैडर के पद के लिए डीओपीटी का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। एक्स कैडर (जेटीओ और एसटीओ) के लिए राजभाषा विभाग द्वारा भर्ती की जाती है। विभाग संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा पदोन्नति/तैनाती/स्थानांतरण के लिए जारी किए गए आदेशों को लागू करता है। इसलिए, सूचना 'शून्य' है
	समूह ख	195	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एमटीएस (पीडब्ल्यूडी – 4)	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
पूर्ति प्रभाग	समूह क	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	38	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जेम)	समूह क	72	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	31 अक्टूबर 2020 तक कुल 72 कर्मचारियों में से, प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या 21 है, जिनमें से 17 ग्रुप ए और 4 ग्रुप बी हैं। शेष 55 कर्मचारी पीएमयू और एसपीवी मार्केट के हैं। जनवरी–अक्टूबर 2020 के दौरान भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 है और पीएमयू और एसपीवी मार्केट की संख्या 34 है।
	समूह ख	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
उप जोड़ (क)		**755**	**34**	**2**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ड़	क	ख	ग	घ	ड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध कार्यालय															
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)	समूह क	113	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	डीजीएफटी में ग्रुप सी और डी के पदों की सीधी भर्ती पर सचिव समिति द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध अभी भी लागू है, इसलिए कोई भर्ती नहीं की गई है
	समूह ख (राजपत्रित)	80	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख (एनजी)	157	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग	441	11	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	130	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़ (ख)		**924**	**13**	**2**	**4**	**9**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
वाणिज्य विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालय															
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसी. आई एंड एस), कोलकाता	समूह क	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित	
	समूह ख	146	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	समूह 'ख' के सभी पद पदोन्नति के पद हैं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	91	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	डपीए पद के लिए 3 पीडब्ल्यूडी पद और एलडीसी के लिए 1 पद खाली पड़े हैं। 1 पीडब्ल्यूडी एमटीएस पद खाली पड़ा है।	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ङ	क	ख	ग	घ	ङ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
एमपीईजेड, चेन्नई	समूह क	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कांडला एसईजेड, कांडला	समूह क	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
विशाखा–पत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ख	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह क	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ड़	क	ख	ग	घ	ड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**कॉलम नंबर 4 ग्रुप बी:** सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होती है क्योंकि कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है।
	समूह ख	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	समूह क	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	26	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
एसईईपीजेड – एसईजेड	समूह क	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	46	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एचएच श्रेणी के लिए आरिक्षत एलडीसी का एक पद	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़ (ग)		**710**	**29**	**1**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ङ	क	ख	ग	घ	ङ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वाणिज्य विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय एवं वस्तु बोर्ड															
मसाला बोर्ड, कोच्चि	समूह क	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	106	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	115	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
रबर बोर्ड, कोट्टायम	समूह क	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	मंत्रालय के पत्र एफ संख्या 5/1004/2015–प्लांट (समन्वय) दिनांक 22 फरवरी, 2017 के माध्यम से मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बगैर किसी रिक्ति (पदोन्नति या नियुक्ति) को न भरने की हिदायत दी गई है।
	समूह ख	516	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	524	0	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह क	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	226	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0		0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ङ	क	ख	ग	घ	ङ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए), नई दिल्ली	समूह क	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन के अनुसार समूह ग के पद भरे नहीं जाएंगे तथा पुनर्गठन के लागू हो जाने पर समाप्त समझे जाएंगे।
	समूह ख	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	समूह ग	31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), नई दिल्ली	समूह क	100	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	31	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग	119	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)	समूह क	57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एम्पीडा की सभी संगठनात्मक भर्ती प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर ये पद भरे जाएंगे।	
	समूह ख	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग	65	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ड़	क	ख	ग	घ	ड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) (वाणिज्य विभाग के अधीन समवत विश्वविद्यालय)	समूह क	50	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
आईआईएफटी, कोलकाता कैंपस	समूह क	18	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ख	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कॉफी बोर्ड	समूह क	63	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	103	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	430	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	समूह क में 1 पद अर्थात पीडब्ल्यूडी एचएच के तहत सांख्यिकी अधिकारी के पद के संबंध में, उल्लेखनीय है कि पहली अधिसूचना के जवाब में 96 आवेदन प्राप्त हुए थे परंतु केवल एक आवेदक पात्र था। तथापि वह साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुआ।
तंबाकू बोर्ड	समूह क	80	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1**	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ङ	क	ख	ग	घ	ङ		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
	समूह ख	95	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	182	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	37	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़ (ग)		**3574**	**5**	**16**	**12**	**46**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	
वाणिज्यक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम															
भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), नई दिल्ली	समूह क	198	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	एसटीसी में, पिछले लगभग 3 वर्षों से समूह क में कोई भर्ती नहीं हुई है।	
	समूह ख	52	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	एसटीसी में, पिछले लगभग 24 वर्षों से समूह ख और ग में कोई भर्ती नहीं हुई है।	
	समूह ग	47	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में समूह 'घ' का कोई पद मौजूद नहीं है।	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ), नई दिल्ली	समूह क	110	13	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	समूह ख	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	361	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)					जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए विकलांग कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या					विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो नहीं भरी गई हैं (31 अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)	अभ्युक्तियां
				क	ख	ग	घ	ड़	क	ख	ग	घ	ड़		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पी ई सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह क	39	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**कॉलम 3 (समूह क):** बाहर से प्रतिनियुक्ति पर 03 को शामिल नहीं किया गया है
	समूह ख	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ईसीजीसी	समूह क	243	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ख	283	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	एनए	
एमएमटीसी	समूह क	344	0	1	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ख	233	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	समूह ग (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़ (ड़)		**2168**	**13**	**10**	**10**	**34**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	
कुल योग		**8131**	**94**	**31**	**28**	**103**	**2**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**15**	

<u>अनुबंध घ</u>

विभिन्न रिपोर्टों में दी गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर स्थिति/की गई कार्रवाई

क्र. सं.	कैग रिपोर्ट / पैरा नंबर एवं डीएपी नंबर	पैरा का सार	स्थिति
		सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे – डीजीएफटी	
1	2008 का 6 (अध्याय 4)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क	अंतिम समेकित पैरा में 40 से अधिक उप पैरा – 100 से अधिक एटीएन हैं। अंतिम एटीएन को अपलोड करने के लिए एटीएन के द्विभाषी संकलन का काम चल रहा है।
2	2009–10 का 15	अध्याय 71 के तहत माल का आयात	• पैरा 4.10 के संबंध में ब्यौरा जिसमें 8 मामले और 36 यूनिटें शामिल हैं। • 16 मार्च 2020 को कैग तथा 17 मार्च 2020 को एटीएन की जांच करने एवं प्रस्तुत करने के लिए उसे डीजीईपी को भेजा गया। डीजीईपी ने ईमेल दिनांक 27 जुलाई 2020 के माध्यम से सूचित किया कि ब्यौरे अधूरे हैं। इसलिए कैग ने 13 अगस्त 2020 को उक्त रिपोर्ट के पैरा के निस्तारण के लिए पूर्ण विवरण भेजने का पुनरू अनुरोध किया। अनुरोध को एपीएमएस पर भी अपलोड किया गया।
3	2013 का पीए 8 (अध्याय 1)	डीम्ड एक्सपोर्ट ड्राबैक स्कीम	कैग ने एफएसईजेड के संबंध में संशोधित एटीएन प्रदान करने की मांग की है। तद्नुसारए एफएसईजेड ने 21 नवंबर 2020 को संशोधित एटीएन प्रस्तुत किए हैं। विवरण की जांच की गई तथा इसे एपीएमएस पर अपलोड किया जा रहा है।
4	2014 का 12 पैरा 2.4 से 2.19	प्रचार के उपाय (फोकस उत्पाद स्कीम)	कैग ने अपने पत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2020 के माध्यम से मैसर्स अरबिंदो फार्मा के संबंध में लदान बिल की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया तथा आरए हैदराबाद द्वारा अग्रेषित बिल को 22 अक्टूबर 2020 को एपीएमएस पर अपलोड किया गया।
5	2015 का 8 पैरा 8.5.10 (डीएपी टीबीए)	डीजीएफटी के ईडीआई ऑडिट सिस्टम की लेखा परीक्षा	कैग ने टिप्पणी की कि आरए चेन्नई द्वारा की गई वसूली का मिलान करने की आवश्यकता है। आरए चेन्नई ने 21 अक्टूबर 2020 को मामले पर स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया। 06 अगस्त, 2020 को पिछला अनुस्मारक भेजा गया।
6	2017 का 1 पैरा 4.1.1 से 20.4.15 (डीएपी 105)	विभिन्न तिथियों वाले स्क्रिप (लाइसेंस) का पुनः पंजीकरण करके ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग	कैग को सूचित किया गया है कि यह पैरा कस्टम, राजस्व विभाग से संबंधित है। **राजस्व विभाग के डीबीके प्रभाग द्वारा अग्रेषित अन्वेषण के विवरण आवश्यक कार्रवाई के लिए कैग के साथ साझा किए जा रहे हैं।**
7	2019 का 17 5.1 से 5.2 डीएपी–95	विदेश व्यापार नीति की योजनाएं : निर्यात बाध्यता को पूरा न करने के संबंध में लगातार अनियमितता	कैग ने एपीएमएस पर अपलोड की गई अपनी टिप्पणियों दिनांक 12 नवंबर 2020 के माध्यम से विभिन्न मामलों का स्टेटस बताने के लिए कहा है। मामले को संबंधित आरए के साथ उठाया जा रहा है और इसका जवाब प्राप्त होने पर कैग को प्रस्तुत किया जाएगा।

क्र. सं.	कैग रिपोर्ट / पैरा नंबर एवं डीएपी नंबर	पैरा का सार	स्थिति
8	2019 का 17 5.4 (32 डीएपी में से)	अन्य निर्यात संवर्धन योजना के प्रावधानों का पालन न किया जाना (पोर्टल पर इसे उप पैरा की बजाय अलग पैरा के रूप में गिना गया है)	1 डीएपी एटीएन की प्रतीक्षा है – 57 7 डीएपी – कैग द्वारा डीएपी 4, 14, 15, 44, 71, 81, 84 के तहत बचाए गए कर एवं वसूली का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है। 1 डीएपी – कैग पैरा के निस्तारण के लिए **कैग को 7 एटीएन** भेजे गए। 1 डीएपी – 13 कैग द्वारा पुनरीक्षा की गई। **संबंधित आरए को नियमित रूप से याद दिलाया गया।** 24 और 25 नवंबर 2020 को पिछला अनुस्मारक भेजा गया। 2020 में 22 उप पैरा का निस्तारण किया गया है।
9	2019 का 17 5.4.2 डीएपी 53	प्रोत्साहन एवं इनाम योजनाएं (आईईआईएस) : निर्यातित माल के पुनः आयात पर दिए गए लाभों की वसूली के लिए प्रावधान का अभाव	कैग ने अग्राह्य ड्यूटी क्रेडिट के मामलों का रिकवरी स्टेटस प्रदान करने की मांग की। **आरए चेन्नई से पैरा के निस्तारण के लिए 31 अगस्त 2020 को कैग द्वारा मांगा गया विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। 20 अक्टूबर 2020 और 13 नवंबर 2020 को अनुस्मारक भेजे गए।**
10	2019 का 17 5.4.4 डीएपी 27	भारत से सेवित योजना (एसएफआईएस): अंतग्रस्त कर की कटौती न करने के कारण अतिरिक्त क्रेडिट की मंजूरी	आरए कोचीन ने 3 अगस्त 2020 को सूचित किया कि मूलधन की वसूली कर ली गई है तथा ब्याज अभी वसूला जाना है।
11	2019 का 17 5.4.5.2 डीएपी 56	लेट कट का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	आरए जयपुर ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि दो मामलों में से एक मामले में वसूली कर ली गई है। 23 सितंबर 2020 को निर्णयन आदेश जारी किया गया। पैरा के अंतिम निस्तारण के लिए 20 नवंबर 2020 को कैग को जवाब भेजा गया।
12	2019 का सीए 17 अध्याय 6 6.1 से 6.3 डीएपी.96	विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का पालन न किया जाना निर्यात बाध्यता को पूरा न करने के संबंध में लगातार अनियमितता	कैग ने पैरा 6.2.1, 6.2.2 और 6.2.4 के लिए 3 एटीएन को क्लियर कर दिया है तथा अपनी एपीएमएस टिप्पणी दिनांक 23 नवंबर 2020 के माध्यम से पैरा 6.2.3 पर स्पष्टीकरण मांगा है। तद्नुसार, ईपीएसए एसईजेड प्रभाग से 15 नवंबर 2020 को लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का जवाब देने का अनुरोध किया गया।
13	2020 का 5 अध्याय–3 संपूर्ण रिपोर्ट	भारत से पण निर्यात योजना (एमईआईएस) तथा भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) पर निष्पादन लेखा परीक्षा	एटीएन प्रस्तुत करने के लिए पैरावार जवाब प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्रभाग को रिपोर्ट भेजी गई।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे – निर्यात उन्मुख यूनिट/विशेष आर्थिक क्षेत्र

क्र. सं.	कैग रिपोर्ट/पैरा संख्या	पैरा का सार	स्थिति
1	2013 का 8	सीएसटी की प्रतिपूर्ति	कैग की 2013 की रिपोर्ट संख्या 8 के लंबित पैरा 2.34 एवं 2.35 के संबंध में संचार दिनांक 14 जून 2019 के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को जवाब अग्रेषित किया गया है। कैग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11 जुलाई 2019 के माध्यम से 'कोई टिप्पणी नहीं' प्रस्तुत की है।
2	2014 का 21	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	i) 4 दिसंबर 2018 को कैग की संशोधित टिप्पणियां दिनांक 30 नवंबर 2018 प्राप्त हुई हैं। कैग ने 82 पैराओं में से 74 पैराओं पर वाणिज्य विभाग की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है। ii) कैग ने सीबीआईसी से संबंधित दो पैरा और वाणिज्य विभाग से संबंधित 6 पैराओं पर संशोधित टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया है। iii) इसके अलावा कैग ने 5 पैराओं पर अंतिम परिणाम के लिए अनुरोध किया है। iv) डीओसी की चौथी संशोधित टिप्पणियां 1 अक्टूबर 2013 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड की गईं। v) पत्र दिनांक 7 जनवरी 2020 के माध्यम से शेष पैरा अर्थात 3.9, 4.4, 6.3(13) एवं 6.3(14) के संबंध में टिप्पणियां कैग को अग्रेषित की गई हैं तथा एफएसईजेड, केएएसईजेड, वीएसईजेड को 7 जनवरी 2020 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। vi) लेखा परीक्षा ने 6 जनवरी 2020 को एपीएमएस पोर्टल पर संशोधित टिप्पणियां प्रस्तुत की। हमने पत्र दिनांक 27 जनवरी 2020 के माध्यम से सभी डीसी तथा राजस्व विभाग से उस पर टिप्पणियां मांगी हैं और इसके बाद अनुस्मारक दिनांक 25 फरवरी 2020 और 17 मार्च 2020 भेजे गए। जवाब प्राप्त हो गया है। vii) तद्नुसार, डीओसी की 5वीं संशोधित टिप्पणियां 23 जून 2020 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड की गईं। viii) लेखा परीक्षा ने एपीएमएस पर 5वीं संशोधित टिप्पणियां प्रस्तुत की और उनकी जांच की जा रही है।

ईआईसी/एपीडा/एम्पीडा/एफडीडीआई से संबंधित कैग के पैरा का स्टेटस

क्र. सं.	कैग रिपोर्ट/पैरा संख्या	विषय	स्थिति
1	2015 की रिपोर्ट संख्या 18 का पैरा 2.2	सेवा कर का संग्रह नहीं होने के कारण परिहार्य व्यय भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)	मामला न्यायाधीन है। 8 नवंबर 2019 को लेखा परीक्षा द्वारा एटीएन की पुनरीक्षा की गई। अंतिम एटीएन 18 नवंबर, 2019 को सीओपीयू को भेजा गया।
2	2018 की रिपोर्ट संख्या 4 का पैरा 4.1 (अध्याय IV)	एपीडा द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा न करने के कारण नुकसान	निगरानी प्रकोष्ठ को अंतिम एटीएन 15 जुलाई, 2020 को भेजा गया।
3	**2020 का 10** अध्याय II (पैरा 2.2)	मैनग्रोव क्रैब परियोजना में निरर्थक व्यय	एटीएन अपलोड किए जा रहे हैं।

4	**2020 का 10** अध्याय 2 (पैरा 2.1)	केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न किया जाना और लेखा परीक्षा के कहने पर उन पर उठाए गए सुधारात्मक कदम	एटीएन अपलोड किए जा रहे हैं।

सीएंडएजी (वाणिज्यिक) के बकाया पैराग्राफ की सूची – विदेश व्यापार (एसटी) अनुभाग – एसटीसी लिमिटेड/एमएमटीसी

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
1	4,3,1 (2010 का 9)	एसटीसी लिमिटेड से संबंधित व्यवसाय सहयोगियों के साथ संविदा करने और कार्यान्वित करने में आंतरिक नियंत्रणों की व्यवस्था करने में विफलता	चूंकि मामला न्यायाधीन है इसलिए पैरा लंबित है
2	4.1 (2011.12 का सीए 3)	लौह अयस्क व्यवसाय क्षेत्र – एसटीसी लिमिटेड	चूंकि मामला न्यायाधीन है इसलिए पैरा लंबित है
3	4.1 (2012 का 8) – 13 (नया परिवर्धन)	एक व्यवसाय सहयोगी को निधियां जारी करने में अनियमितता	चूंकि मामला न्यायाधीन है इसलिए पैरा लंबित है
4	4.1 (2018 का 11) 7 अगस्त 2018 को रिपोर्ट पटल पर रखी गई।	निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन न करने के कारण नुकसान। एमएमटीसी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को इंडेंट देने से पूर्व क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए सितंबर 2013 में एमएमटीसी के निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन किए बगैर मैसर्स यूएमकेए दक्षिण अफ्रीका से मई 2014 में 4439 मीट्रिक टन मैगनीज अयस्क का आयात किया। चूंकि एमएमटीसी ने प्रतिबद्ध क्रेता प्राप्त नहीं कियाए इसलिए 14 माह तक अयस्क के काफी अंश की बिक्री नहीं हो सकी और इसके बाद सामग्री के क्रय मूल्य से लगभग आधी कीमत पर इसे बेचा गया। इस प्रकार एमएमटीसी को 6.7 करोड़ रुपए का निवल नुकसान हुआ।	एटीएन लोक सभा सचिवालय को 14 जुलाई 2020 को भेजा गया

पीएसी पैरा पर स्टेटस : एपीडा

कुल पैरा	रिपोर्ट संख्या	विषय	स्थिति
पैरा 01 से 06	वर्ष 2018 के लिए 16वीं लोक सभा की 123वीं रिपोर्ट	एपीडा द्वारा निष्प्रभावी निगरानी	इस विभाग के पत्र 18 सितंबर 2019 के माध्यम से सूचित टिप्पणियों पर लेखा परीक्षा के पुनरीक्षण के साथ पीएसी पैरा पर कृत कार्रवाई नोट (एटीएन) 20 मार्च 2020 को लोक सभा सचिवालय, पीएसी शाखा को भेजा गया है। अंतिम एटीएन का हिंदी रूपांतर 11 जून 2020 को एलएसएस को भेजा गया।
कुल	**06**		

अनुबंध ङ

विभिन्न रिपोर्टों में दी गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर स्थिति/की गई कार्रवाई

क्र. सं.	वर्ष	पैरा संख्या/पीए रिपोर्ट जिन पर पीएसी को लेखा परीक्षा द्वारा विधीक्षा के बाद एटीएन सौंपा गया है	पैरा/पीएसी रिपोर्ट का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित है				
			एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए हैं	ऐसे ए टी एन की संख्या जो लेख परीक्षा के पास लंबित है	ऐसे एटीएन की संख्या जो भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथा वापस लौटा दिए गए और मंत्रालय द्वारा जिनके पुनः प्रस्तुत किए जाने का लेखा परीक्षा द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है	निगरानी प्रकोष्ठ/पीएसी शाखा (लोक सभा) को भेज दिया गया है	अन्य कारणों से लंबित एटीएन की संख्या (विचाराधीन)
1.	2008	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे	--	--	01	--	--
2.	2009	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे	--	01	--	--	--
3.	2010	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
4.	2012	वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
5.	2013	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	01	--	-
		सिविल	--	--	01	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	01
6.	2014	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	--	--	--
		सिविल	--	01	01	--	--
7.	2015	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	01	--	--
		सिविल	--	--	--	--	01
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
8.	2016	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	--
9.	2017	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	01	--	--
		सिविल	--	--	--	--	--
		विाणिज्यिक	--	--	--	--	--
10.	2018	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	--	--	--	--
		सिविल	--	--	--	01	--
		वाणिज्यिक	--	--	01	--	--
		पीएसी	--	--	--	06	--
11.	2019	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	03	11	--	01
		सिविल	--	--	--	--	--
12.	2020	सिविल	03	--	--	--	--
		कुल 38	**03**	**05**	**18**	**07**	**05**

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

Designing & Printing : Dolphin Printo-Graphics # dolphinprinto2011@gmail.com